


परिवर्तन का होगा कुशल प्रबंधन संग होगा अवसरों का संवर्धन

NAVIGATING CHANGE EMBRACING OPPORTUNITIES

वार्षिक प्रतिवेदन | ANNUAL REPORT
2022-2023





हमारी कंपनी के लक्ष्य

हमारी कंपनी की अभिलाषा है

- वैश्विक पदार्पण और पहचान के साथ भारत का सबसे पसंदीदा बीमाकर्ता।
- सभी हित ग्राहियों द्वारा प्रशंसित विश्वसनीय छवि।
- उत्कृष्ट तकनीक और बहुमुही चैनलों के साथ सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा प्रदाता।
- सभी क्षेत्रों के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने वाले वृहद नूतन उत्पाद श्रृंखला के प्रदाता।
- अत्यधिक संप्रेरित एवं सशक्तिकृत कर्मचारी वर्ग के साथ कार्य का उत्कृष्ट स्थल।
- अपने सामाजिक योगदान हेतु स्थापित पहचान के साथ।



OUR VISION

We, The Company, will be

- the most preferred insurer in India, with global footprint & recognition.
- a trusted brand admired by all stakeholders.
- the best-in-class customer service provider leveraging technology & multiple channels.
- the provider of a broad range of innovative products to meet the needs of all customer segments.
- a great place to work with highly motivated and empowered employees.
- recognised for its contribution to the society

अनुक्रमणिका / INDEX**पृष्ठ संख्या / Page No.**

| | |
|--|-----|
| निदेशक मंडल की प्रतिवेदन / Report of the Board of Directors | 26 |
| स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS | 143 |
| स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन / Independent Auditors' Report | 144 |
| भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की समीक्षा / Comments of the Comptroller and Auditor General of India | 166 |
| राजस्व खाता / Revenue Accounts | 168 |
| लाभ और हानि खाता / Profit and Loss Account | 174 |
| तुलन पत्र / Balance Sheet | 176 |
| अनुसूचियाँ / Schedules | 178 |
| विभाजन प्रतिवेदन / Segmental Report | 192 |
| कैश फ्लो विवरण / Cash Flow Statement | 224 |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies | 228 |
| टिप्पणियाँ जो खातों का हिस्सा हैं / Notes Forming Part of the Accounts | 240 |
| बकाया दावों का बयान / Ageing of Outstanding Claims | 268 |
| लेखा अनुपात / Accounting Ratios | 270 |
| वित्तीय विवरण का सारांश / Summary of Financial Statements | 280 |
| पॉलिसीधारकों की अनधियाचित राशि का वर्षवार विश्लेषण / Unclaimed amount of the Policyholders - Age-wise Analysis | 282 |
| प्रबन्धन प्रतिवेदन / Management Report | 284 |
| समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | 289 |
| स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन / Independent Auditors' Report | 290 |
| भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की समीक्षा / Comments of the Comptroller and Auditor General of India | 312 |
| राजस्व खाता / Revenue Accounts | 314 |
| लाभ और हानि खाता / Profit and Loss Account | 320 |
| तुलन पत्र / Balance Sheet | 322 |
| अनुसूचियाँ / Schedules | 324 |
| विभाजन प्रतिवेदन / Segmental Report | 338 |
| कैश फ्लो विवरण / Cash Flow Statement | 370 |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies | 374 |
| टिप्पणियाँ जो खातों का हिस्सा हैं / Notes Forming Part of the Accounts | 390 |
| बकाया दावों का बयान / Ageing of Outstanding Claims | 420 |
| पॉलिसीधारकों की अनधियाचित राशि का वर्षवार विश्लेषण / Unclaimed amount of the Policyholders - Age-wise Analysis | 422 |
| फार्म ए ओ सी-1 / FORM AOC-1 | 424 |

BOUQUET OF MOTOR ADD ON COVERS FROM UIIC



TYRE & RIM PROTECTOR

We pay for repair and / or replacement of tyres damaged due to cut, tyre burst, bulge or damage due to continuous running in deflated condition & for replacement of standalone tyre / alloy / rim if damaged or deformed.



PET CARE (DOGS ONLY)

A first of its kind cover offered for pet dogs in case of injury or death occurring due to accident to the insured car in which they are carried. We will pay upto the sum insured chosen by you for this add on cover.




NIL DEPRECIATION

Zero Depreciation is also known as Nil Depreciation or Bumper to Bumper cover. If you choose this cover, then your claim for replacement of vehicle parts damaged due to accident will be paid in full without applying depreciation factor.



ENGINE & GEARBOX PROTECTION

Engine & gearbox protection add on provides cover for any damages to the car's engine or / and its parts arising out of water ingress, leakage of lubricant oil, damage due to hydrostatic lock, damages to engine parts such as the gearbox, crankshaft, cylinder, connecting rods, pistons, etc.



PLATINUM PERSONAL ACCIDENT COVER

We will pay you / your nominee upto Rs. 15 lakhs in the event of any bodily injury or death arising out of an accident to your car.



MEDICAL EXPENSES

We reimburse Hospitalisation Expenses including ambulance charges, upto the sum insured chosen, in case you or other occupants of your car get injured in an accident to the vehicle.



COURTESY CAR

If you opt for this add on cover, you can get reimbursed for expenses incurred on hiring a rental car for the period when your car is in a garage undergoing repairs due to an accident or if it has been stolen.



EMI PROTECT

Even if your car meets with an accident, you may have to pay the EMI if you have taken a loan for its purchase. Now, our EMI Protect cover gives you a worry-free solution for keeping up the EMI payments even if an accident occurs to your car.




RETURN TO INVOICE

Return to invoice is an add - on cover which ensures that you will be paid the actual invoice value of your car along with the registration charges and other applicable taxes, if in case your car meets with a major accident and becomes a total loss.



LOSS OF KEY

We cover the cost of replacement of your car's key(s) in case they were to get lost, damaged or stolen.



CONSUMABLES

We cover consumable items which are normally not payable in vehicle damage claims, such as Engine Oil, Gearbox Oil, Nuts & Bolts, Grease, Washers, Oil Filter, Lubricant, Power Steering Oil, AC Gas Oil, Radiator Coolant etc., and other similar items, excluding fuel.



PERSONAL EFFECTS

We reimburse you for loss of your personal belongings kept in the car, if there is a valid claim admitted for damage to your car due to an accident.



ROAD SIDE ASSISTANCE

Roadside Assistance Cover is an invaluable add on which acts as your most trusted ally if your car should break down anywhere. Whether it is towing your car to the nearest garage or giving fuel in case you are out of petrol / diesel, a professional service provider comes to your rescue when you are stranded due to car breakdown or if you have run out of petrol or battery dies out.



For full terms and conditions of the add on covers, please contact our office or agent or download the terms and conditions from our website www.uiic.co.in



युनाइटेड इंडिया इंश्यूरन्स कंपनी लिमिटेड
UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

(A Government of India undertaking)

Head Office : #19, Nungambakkam High Road, IV Lane, Chennai - 600034.

IRDAI Regn. No. 545 | CIN : U93090TN1938GOI000108 | Toll Free No.: 1-800-425-33333 | Mail : customercare@uiic.co.in | URN250202223500545001 | UIN545NAD202223001ENG

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

Satyajit Tripathy
Chairman cum Managing Director



एम वी राव,
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
(17.6.2022 से)
M V Rao
Director
(from 17.06.2022)



एम जी जयश्री,
सरकार द्वारा नामित निदेशक
M G Jayasree
Director



प्रशांत कुमार गोयल,
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(14.7.2022 से)
Parshant Kumar Goyal
Director
(from 14.07.2022)



राजेश्वरी सिंह मुनि,
महाप्रबंधक एवं निदेशक
(18.11.2022 से)
Rajeshwari Singh Muni
General Manager & Director
(from 18.11.2022)



गोपलकृष्णन सुंदररामन,
महाप्रबंधक एवं निदेशक
(09.05.2023 से)
Gopalakrishnan Sundararaman
General Manager & Director
(from 09.05.2023)



नितिन कुमार बक्शी,
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
(09.05.2023 से)
Nitin Kumar Bakhshi
Director
(from 09.05.2023)



अंबिकेश केशरी,
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
(30.05.2023 से)
Ambikesh Keshri
Director
(from 30.05.2023)

निदेशक और कार्यपालक

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

सत्यजीत त्रिपाठी

निदेशक

एम.वी.राव, गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक (17.6.2022 से)

एम.जी.जयश्री, सरकार द्वारा नामित निदेशक

प्रशांत कुमार गोयल, सरकार द्वारा नामित निदेशक (14.7.2022 से)

राजेश्वरी सिंह मुनि, महाप्रबंधक एवं निदेशक (18.11.2022 से)

गोपलकृष्णन सुंदररामन, महाप्रबंधक एवं निदेशक (09.05.2023 से)

नितिन कुमार बक्शी, गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक (09.05.2023 से)

अंबिकेश केशरी, गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक (30.05.2023 से)

अमित अग्रवाल, सरकार द्वारा नामित निदेशक (4.7.2022 तक)

राजकिरण राय जी., गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक (31.5.2022 तक)

नवनीत डोडा, महाप्रबंधक एवं निदेशक (21.11.2022 to 30.11.2022)

महाप्रबंधक

राजेश्वरी सिंह मुनि(28.11.2022 से)

गोपलकृष्णन सुंदररामन

अंगरूप सोनम (30.06.2023 तक)

उषा गिरीष

सी.एस.राधिका

नरेश कुमार सिद्धु (31.10.2022 से)

एच. आर. गंगवाल(28.04.2023 से)

प्रणय कुमार (28.04.2023 से)

नवनीत डोडा (21.11.2022 से 30.11.2023 तक)

गौरी वेंकटेशन(30.06.2022 तक)

वाई के शिमरै (08.11.2022 तक)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

गोपलकृष्णन सुंदररामन

मुख्य सतर्कता अधिकारी

राजीव कुमार (01.06.2023 से)

आर. बालसुब्रमणियन (31.05.2023 तक)

नियुक्त बिमांकक

पालरेड्डी विष्णुवर्धन (25.7.2022 से)

उप महाप्रबंधक

रघुनाथ सिंह मीना

राजेश खन्ना (30.06.2023 तक)

जयदीप सिन्हा

कलैवेणी सुब्बैय्या

के वी आर कृष्णा

एन सी मॉडल

एल. रंगराजन (31.7.23 तक)

अतुल शर्मा (प्रतिनियुक्ति – नैशनल इश्यूरेंस एकेडेमी)

संतोष कुमार सिंह

आर मीना

उमा स्वामिनाथन

प्रेमा मुकिलन

अजय रस्तोगी

पुष्पलता नटराजन

बासुदेव सान्याल

संजय जोशी

के.राजेस्वरी

सी.एम.मनोहरन

एस.राजगोपाल

जी.के.बंसल

मदन मोहन खींची

जोस वर्गीस

उषा चंद्रमौली

जेनी पी.जॉन

ए.के.पडियारी

एस वासुदेवन अय्यंगार

लिपिका कालरा

बी स्वामिनाथन

थॉमस जी पडिकला

योगेश मेशाम

राजकुमार अरोरा

जयश्री जी नायर

DIRECTORS AND EXECUTIVES

Chairman-cum-Managing Director

Satyajit Tripathy

Directors

M. V. Rao, Non-Executive Independent Director
(from 17.6.2022)

M. G. Jayasree, Government Nominee Director

Parshant Kumar Goyal, Government Nominee Director
(from 14.7.2022)

Rajeshwari Singh Muni, General Manager and Director
(from 18.11.2022)

Gopalakrishnan Sundararaman, General Manager and Director
(from 09.05.2023)

Nitin Kumar Bakhshi, Non-Executive Independent Director
(from 09.05.2023)

Ambikesh Keshri, Non-Executive Independent Director
(from 30.05.2023)

Amit Agrawal, Government Nominee Director
(upto 4.7.2022)

Rajkiran Rai G, Non-Executive Independent Director
(upto 31.5.2022)

Navneet Doda, General Manager and Director
(from 21.11.2022 to 30.11.2022)

General Managers

Rajeshwari Singh Muni (from 18.11.2022)

Gopalakrishnan Sundararaman

Angrup Sonam (upto 30.06.2023)

Usha Girish

C. S. Radhika

Naresh Kumar Sidhu (from 31.10.2022)

H R Gangwal (from 28.04.2023)

Pranay Kumar (from 28.04.2023)

Navneet Doda (from 21.11.2022 to 30.11.2022)

Gauri Venkatesan (upto 30.06.2022)

Y K Shimray (upto 08.11.2022)

Chief Financial Officer

Gopalakrishnan Sundararaman

Chief Vigilance Officer

Rajeev Kumar (from 01.06.2023)

R Balasubramanian (upto 31.05.2023)

Appointed Actuary

Palreddy Vishnuvardhan (from 25.7.2022)

Deputy General Managers

Raghunath Singh Meena

Rajesh Khanna (upto 30.6.2023)

Jaideep Sinha

Kalaiveni Subbiah

K V R Krishna

N C Mondal

L Rangarajan (upto 31.7.2023)

Atul Sharma (Deputation - National Insurance
Academy)

Santosh Kumar Singh

R Meena

Uma Swaminathan

Prema Mukilan

Ajay Rastogi

Pushpalatha Natarajan

Basudev Sanyal

Sanjay Joshi

K. Rajeswari

C.M. Manoharan

S. Rajagopal

G K Bansal

Madan Mohan Khinchi

Jose Varghese

Usha Chandramouli

Jenny P John

A K Padhiari

S Vasudevan Iyengar

Lipika Kalra

B Swaminathan

Thomas G Padicala

Yogesh Meshram

Raj Kumar Arora

Jayashree G Nair

कंपनी सचिव

अनघा शांतनु देशपांडे

लेखा परीक्षक

मेसर्स. पी.एस.सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कं.

मेसर्स. मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स

मेसर्स. एसआरबीआर एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी

मुख्य शिकायत अधिकारी

राज कुमार अरोरा, उप महाप्रबंधक (05.12.2022 से)

संजय जोशी, उप महाप्रबंधक (30.11.2022 तक)

प्रमुख अनुपालन अधिकारी

(एंटी मनी लॉन्डरिंग)

उमा स्वामिनाथन, उप महाप्रबंधक

मुख्य अनुपालन अधिकारी

उषा गिरीष, महाप्रबंधक (8.7.2022 से)

गौरी वेंकटेशन, महाप्रबंधक(30.06.2022 तक)

मुख्य बीमा लेखांकक

बासुदेव सान्याल, उप महाप्रबंधक (08.03.2022 से)

एन सी मॉडल, उप महाप्रबंधक(07.03.2022 तक)

मुख्य जोखिम अधिकारी

एस राजगोपाल, उप महाप्रबंधक

अनुपालन अधिकारी – कॉर्पोरेट गवर्नेन्स दिशानिर्देश

अनघा शांतनु देशपांडे, कंपनी सचिव

मुख्य जन सूचना अधिकारी

जॉयस गोनसाल्विस, मुख्य प्रबंधक

पंजीकृत कार्यालय का पता

24, वाइट्स रोड

चेन्नै 600 014.

प्रधान कार्यालय का पता

क्र. 19, 4th लेन

नुंगम्बाक्कम हाई रोड

चेन्नै 600 034.

ऋणपत्र संरक्षक (17.2.23 तक)

एक्सिस ट्रस्टी सर्वीसेज लिमिटेड

एक्सिस हाऊस, बाम्बे डाईंग मिल्स कम्पाऊंड

पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुम्बई 400025

रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट (17.2.23 तक)

के फिन टेकनॉलजीस लिमिटेड (पूर्व में के फिन टेकनॉलजीस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

सेलेनियम बिल्डिंग, टावर - बी

प्लॉट क्र. 31 32, फायनैशियल डिस्ट्रिक्ट,

नानकरामगूडा, सेरिलिंगमपल्लि,

हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाणा, भारत -500032

Company Secretary

Anagha Shantanu Deshpande

Auditors

M/s. P. S. Subramania Iyer & Co.

M/s. Manohar Chowdhry & Associates

M/s. SRBR & Associates LLP

Chief Grievance Officer

Raj Kumar Arora, Deputy General Manager (from 05.12.2022)

Sanjay Joshi, Deputy General Manager (upto 30.11.2022)

Principal Compliance Officer

(Anti-Money Laundering)

Uma Swaminathan, Deputy General Manager

Chief Compliance Officer

Usha Girish, General Manager (from 8.7.2022)

Gauri Venkatesan, General Manager (upto 30.06.2022)

Chief Underwriter

Basudev Sanyal, Deputy General Manager (from 08.03.2022)

N C Mondal, Deputy General Manager (upto 07.03.2022)

Chief Risk Officer

S Rajagopal, Deputy General Manager

Compliance Officer – Corporate Governance Guidelines

Anagha Shantanu Deshpande, Company Secretary

Chief Public Information Officer

Joice Gonsalves, Chief Manager

Registered Office Address

24, Whites Road
Chennai 600 014.

Head Office Address

No.19, 4th Lane
Nungambakkam High Road
Chennai 600 034.

Debenture Trustee (upto 17.2.2023)

AXIS Trustee Services Limited

Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound

Pandurang Budhkar Marg, Worli,

Mumbai 400025

Registrar and Transfer Agents(upto 17.2.2023)

KFin Technologies Limited

(previously known as KFin Technologies Private Limited)

Selenium Building, Tower - B

Plot No 31 & 32, Financial District,

Nanakramguda, Serilingampally,

Hyderabad, Rangareddi, Telangana, India-500032

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

निगमीय प्रबंधन / CORPORATE MANAGEMENT



सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
Satyajit Tripathy
Chairman cum Managing Director



राजेश्वरी सिंह मुनि,
महाप्रबंधक एवं निदेशक
(18.11.2022 से)
Rajeshwari Singh Muni
General Manager & Director
(from 18.11.2022)



गोपलकृष्णन सुंदररामन,
महाप्रबंधक एवं निदेशक
(09.05.2023 से)
Gopalakrishnan Sundararaman
General Manager & Director
(from 09.05.2023)



अंगरूप सोनम,
महाप्रबंधक
(30.06.2023 तक)
Angrup Sonam
General Manager
(upto 30.06.2023)



उषा गिरीष
महाप्रबंधक
Usha Girish
General Manager



सी. एस. राधिका
महाप्रबंधक
C S Radhika
General Manager



नरेश कुमार सिद्धु
महाप्रबंधक
(31.10.2022 से)
Naresh Kumar Sidhu
General Manager
(from 31.10.2022)



एच आर गंगवाल
महाप्रबंधक
(28.04.2023 से)
H R Gangwal
General Manager
(from 28.04.2023)



प्रणय कुमार
(28.04.2023 से)
महाप्रबंधक
Pranay Kumar
General Manager
(from 28.04.2023)



आर. बालसुब्रमणियन
मुख्य सतर्कता अधिकारी
(31.05.2023 तक)
R Balasubramanian
Chief Vigilance Officer
(upto 31.05.2023)



पालरेड्डी विष्णुवर्धन
नियुक्त बिमांकक
(25.7.2022 से)
Palreddy Vishnuvardhan
Appointed Actuary
(from 25.07.2022)



अनघा शांतनु देशपांडे
कंपनी सचिव
**Anagha Shantanu
Deshpande**
Company Secretary

31.03.2023 को क्षेत्रीय / एल सी बी प्रमुखों की सूची

| क्षेत्रीय कार्यालय | क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख | पदनाम |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| अहमदाबाद | संतोष कुमार सिंह | उप महाप्रबंधक |
| बेंगलूरु | के.राजेस्वरी | उप महाप्रबंधक |
| भोपाल | मदन मोहन खींची | उप महाप्रबंधक |
| भुवनेश्वर | महादेव सेठी | मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक |
| चंडीगढ़ | संजय जोशी | उप महाप्रबंधक |
| चेन्नै | एस वासुदेवन अय्यंगार | उप महाप्रबंधक |
| कोयम्बतूर | एस वासुदेवन अय्यंगार | अतिरिक्त प्रभार |
| देहरादून | गीता आनंद | मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक |
| गुवाहाटी | मून माकन | मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक |
| हबली | उषा चंद्रमौली | उप महाप्रबंधक |
| हैदराबाद | के.वी.आर.कृष्णा | उप महाप्रबंधक |
| जयपुर | रघुनाथ सिंह मीना | उप महाप्रबंधक |
| जोधपुर | विजय कुमार | मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक |
| कोच्ची | अलेक्जेंडर के.पी. | उप महाप्रबंधक (इन-सिट्ट) |
| कोलकाता | निर्मल चंद्र मॉडल | उप महाप्रबंधक |
| कोलीकोड | वाई ए एन रसाईकर | संयुक्त प्रभार |
| | लेखा कीलीकर | |
| लखनऊ | प्रणय कुमार | उप महाप्रबंधक |
| लुधियाना | कुलविंदर सिंह | मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक |
| मदुराई | आर.पन्निरसेल्वम | मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक |
| मुम्बई 1 | मनोहरन सी एम | उप महाप्रबंधक |
| मुम्बई 2 | एच आर गंगवाल | उप महाप्रबंधक |
| नागपुर | योगेश मेश्राम | उप महाप्रबंधक |
| नई दिल्ली 1 | अजय रस्तोगी | उप महाप्रबंधक |
| नई दिल्ली 2 | जी के बंसल | उप महाप्रबंधक |
| पटना | उमाकांता लेंका | मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक |
| पूणे | जयश्री नायर | उप महाप्रबंधक |
| पुदुचेरी | एम मुधुकृष्णन | मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक |
| रायपुर | प्रेम सागर बारला | मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक |
| वडोदरा | दास एस के | मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक |
| वैजाग | एल ज्योती प्रसाद | मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक |

| लार्ज कॉर्पोरेट ब्रोकर्स सेल (एस.सी.बी.) | एस सी बी प्रमुख | पदनाम |
|--|---------------------|--------------------------|
| बैंगलूरु | एस. नागराज | एल सी बी प्रमुख |
| चेन्नै | पुष्पलता नटराजन | उप म प्र एल सी बी प्रमुख |
| हैदराबाद | वैदेही राजारामन | एल सी बी प्रमुख |
| कोलकाता | निहार रंजन बाला | एल सी बी प्रमुख |
| मुम्बई | जयदीप सिन्हा | उप म प्र एल सी बी प्रमुख |
| नई दिल्ली | राजीव कुमार अग्रवाल | एल सी बी प्रमुख |

LIST OF REGIONAL / LCB INCHARGES AS ON 31.03.2023

| Regional Office | Regional Head | Designation |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
| Ahmedabad | Santosh Kumar Singh | Deputy General Manager |
| Bengaluru | K. Rajeswari | Deputy General Manager |
| Bhopal | Madan Mohan Khinchi | Deputy General Manager |
| Bhubaneshwar | Mahadev Sethi | Chief Regional Manager |
| Chandigarh | Sanjay Joshi | Deputy General Manager |
| Chennai | S Vasudevan Iyengar | Deputy General Manager |
| Coimbatore | S Vasudevan Iyengar | Additional Charge |
| Dehradun | Geeta Anand | Chief Regional Manager |
| Guwahati | Moon Makan | Chief Regional Manager |
| Hubli | Usha Chandramouli | Deputy General Manager |
| Hyderabad | K V R Krishna | Deputy General Manager |
| Jaipur | Raghunath Singh Meena | Deputy General Manager |
| Jodhpur | Vijay Kumar | Chief Regional Manager |
| Kochi | Alexander K P | Deputy General Manager (In Situ) |
| Kolkata | Nirmal Chandra Mondal | Deputy General Manager |
| Kozhikode | Y A N Rasaikar | Joint In Charge |
| | Lekha Kilikar | |
| Lucknow | Pranay Kumar | Deputy General Manager |
| Ludhiana | Kulwinder Singh | Chief Regional Manager |
| Madurai | R. Panneerselvam | Chief Regional Manager |
| Mumbai 1 | Manoharan C M | Deputy General Manager |
| Mumbai 2 | H R Gangwal | Deputy General Manager |
| Nagpur | Yogesh Meshram | Deputy General Manager |
| New Delhi 1 | Ajay Rastogi | Deputy General Manager |
| New Delhi 2 | G K Bansal | Deputy General Manager |
| Patna | Umakanta Lenka | Chief Regional Manager |
| Pune | Jayashree G Nair | Deputy General Manager |
| Puducherry | M Muthukrishnan | Chief Regional Manager |
| Raipur | Prem Sagar Barla | Chief Regional Manager |
| Vadodara | Das S K | Chief Regional Manager |
| Vizag | L Jyothi Prasad | Chief Regional Manager |

| Large Corporate & Broker Office (LCB) | LCB Head | Designation |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Bengaluru | S. Nagaraj | LCB Head |
| Chennai | Pushpalatha Natarajan | DGM & LCB Head |
| Hyderabad | Vaidehi Rajaraman | LCB Head |
| Kolkata | Nihar Ranjan Bala | LCB Head |
| Mumbai | Jaideep Sinha | DGM & LCB Head |
| New Delhi | Rajeev Kumar Aggarwal | LCB Head |

सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यवसाय के लिए युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की पचास्सीवीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 21 सितंबर 2023 सुबह 11.30 बजे को कंपनी के प्रधान कार्यालय नंबर 19, IV लेन, नुंगमबक्कम हाई रोड, चेन्नै 600034 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल साधन सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यवसाय

1. 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) और निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और अंगीकार करना।

निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना।

संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) और निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद द्वारा अनुमोदित और अंगीकार किया गया।

2. वर्ष 2023-2024 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

यह संकल्प लिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2023-2024 के लिये नियुक्त किए जाने वाले विभिन्न सांविधिक लेखा परीक्षकों को कुल पारिश्रमिक यानी कर लेखा परीक्षा शुल्क सहित लेखा परीक्षा शुल्क और जेब खर्चों की प्रतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत किया गया है।

(बोर्ड के आदेश से)

कृते युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड

हस्ता /-

(अनघा शांतनु देशपांडे)

कंपनी सचिव

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 12.09.2023

NOTICE

NOTICE is hereby given that the EIGHTY FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Members of United India Insurance Company Limited will be held on Thursday, the 21st day of September 2023 at 11.30 a.m through Video Conference/ Other Audio Visual Means Facility at the Head Office of the Company at No.19, IV Lane, Nungambakkam High Road, Chennai 600 034 to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated) of the Company for the Financial Year ended 31st March 2023 and the Report of the Board of Directors and the Auditors' Report thereon.

To consider and if thought fit to pass, with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT the Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated) of the Company for the financial year ended 31st March 2023 and the Report of the Board of Directors and the Auditors' Report thereon be and is hereby approved and adopted.”

2. To authorise the Board of Directors to fix the remuneration of Statutory Auditors, to be appointed by the C&AG, for the year 2023-2024.

To consider and if thought fit to pass, with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to determine the total remuneration i.e. Audit fees including Tax Audit Fees and reimbursement of out of pocket expenses to various Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2023-2024.”

(By order of the Board)

For United India Insurance Company Limited

Sd/-

(Anagha Shantanu Deshpande)

Company Secretary

Place: Chennai

Date: 12.09.2023

नोट्स:

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र दिनांक 05 मई, 2022 जो 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020, 23 जून 2021, 08 दिसंबर 2021 और नवीनतम 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के परिपत्रों के साथ पठित, के द्वारा 30 सितंबर 2023 तक एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना ओएवीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दे दी। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की यह एजीएम वीसी/के (वीसी/ओएवीएम), के माध्यम से आयोजित की जा रही है।
2. चूंकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों को भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस एजीएम में उपलब्ध नहीं है और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्चियां इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को गीना जाएगा।
4. सदस्य यह भी ध्यान दें कि एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है www.uic.co.in।
5. एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, एमसीए परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन, जो कंपनी के लिये लागू है, में यह एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधन सुविधा के माध्यम से आहूत की गई है।
6. इस बैठक में शामिल होने के लिए वीसी लिंक का विवरण सदस्यों को पृथक रूप से सूचित किया जाएगा।
7. एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेज दी गई है। कंपनी पर लागू वैधानिक रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। एजीएम के दौरान वैधानिक रजिस्ट्रारों के निरीक्षण के इच्छुक सदस्य अपना अनुरोध लिखित रूप में कंपनी को boardandsecretarial@uic.co.in पर भेज सकते हैं।
8. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।
9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के अनुसार कंपनी के सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के बाद यह वार्षिक आम बैठक अल्प सूचना पर बुलाई गई है।

NOTES:

1. The Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) has vide its circular dated May 05, 2022 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 08, 2021 and the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as “MCA Circulars”) permitted the holding of the Annual General Meeting (“AGM”) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue up to 30th September 2023. Accordingly, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and MCA Circulars, this AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM.
2. Since this AGM is being held through VC/OAVM facility, physical attendance of the members has been dispensed with. Accordingly, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the Members is not available at this AGM and hence Proxy Form and Attendance Slips are not annexed to this Notice.
3. The attendance of the Members attending the AGM through Video Conferencing/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
4. Members may also note that the Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.uiic.co.in.
5. This AGM has been convened through Video Conference/Other Audio Visual Means facility in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 read with MCA Circular no.14/2020 dated April 8, 2020, Circular no.17/2020 dated April 13, 2020, MCA Circular no.22/2020 dated June 15, 2020 as applicable to the Company.
6. The details of VC link for joining this meeting shall be communicated to the Members separately.
7. As per MCA above mentioned circulars, the Notice of the AGM has been sent through electronic mode to all members. The Statutory Registers, as applicable to the Company, are available for inspection of the Members through electronic mode. Members desiring inspection of Statutory Registers during the AGM may send their request in writing to the Company at boardandsecretarial@uiic.co.in.
8. Since the AGM will be held through VC/OAVM, the Route Map is not annexed to this Notice.
9. This Annual General Meeting is called at short notice after obtaining consent of Members of the Company pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013.



अध्यक्ष का संदेश

वर्ष 22-23 में महामारी के प्रभाव और आर्थिक गतिविधियों में उछाल के कारण बदलाव आया है। सेवा क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र चरम स्तर पर पहुंच कर पुनः पटरी पर आ गये हैं।

स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशिष्ट बीमाकर्ताओं सहित भारतीय सामान्य बीमा बाजार ने 2022-23 के लिए 2.56 लाख करोड़ रुपये की प्रीमियम आय के आंकड़े को छूने की गति बरकरार रखी है। उद्योग में 16% की वृद्धि हुई।

23.19% की वृद्धि दर के साथ उद्योग कारोबार में 35% योगदान देने वाला स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय प्रमुख रूप में हावी रहना जारी रखी। उद्योग के कारोबार का 31.64% के हिस्से के साथ मोटर व्यवसाय 15.42% की दर से बढ़ी, जो वर्धित वाणिज्यिक गतिविधि और ऑटोमोटिव क्षेत्र में आई उछाल के कारण उत्पन्न हुई।

युनाइटेड इंडिया ने पिछले वर्ष की तुलना में 12.23% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करते हुए 17644 करोड़ रुपये की टॉपलाइन हासिल की। यह उल्लेखनीय है कि कंपनी ने व्यवसाय के हर प्रमुख क्षेत्र में विकास किया है और व्यवसायिक योजना के अनुसार हर मील के पत्थर के छुआ है। कंपनी ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे दो बड़ी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को सेवा प्रदान करना जारी रखी है।

के पी आई-संचालित दिशानिर्देशों के अनुपालन ने कंपनी के संचालन में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित किया है। समग्र आधार पर और विशेष रूप से व्यवसाय के स्वास्थ्य क्षेत्र में उपगत दावा अनुपात में पर्याप्त कमी लाया जाना एक प्रमुख विशेषता है। गैर-मुकदमा दावा निपटान अनुपात 90% के करीब स्तर पर बनाए रखा गया। दावा प्रसंस्करण के केंद्रीकरण द्वारा लागत में बचत, कार्यालयों का समेकन और प्रक्रिया का पुनर्चना के साथ परिचालन प्रभावशीलता को अंजाम दिया गया।

ग्राहक सेवा टीम ने 13 दिनों के औसत टर्नअराउंड समय के साथ निवारण अनुपात को 99.87% के स्तर पर बनाए रखा।

कंपनी ने कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते हुए ₹ 900 करोड़ रुपये का अधीनस्थ ऋण चुकाया।

वर्ष में डिजिटल और केंद्रीकृत प्रक्रियाओं से लैस होकर कंपनी ने भावी कदम रखा है और सामान्य बीमा जागरूकता, ग्राहकों की विशाल संख्या के पास पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने और भारतीय बाजार में सबसे पसंदीदा सामान्य बीमाकर्ता बनने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं।



Chairman's Message

The year 22-23 marked a turnaround from the pandemic impact and upsurge in economic activity. All sectors of the economy including the service sector rebounded reaching peak levels.

The Indian General Insurance Market including the standalone Health insurers and Specialised Insurers kept up the momentum touching figure of INR 2.56 lakh crore premium income for 2022-23. The industry grew by 16%.

The Health line of business contributing to 35% of the industry turnover continued as the dominant driver with growth rate of 23.19%. The Motor line of business constituting 31.64% of the industry turnover grew at 15.42% emanating from enhanced commercial activity and boom in the automotive sector.

United India achieved topline of INR 17644 Crores registering significant growth of 12.23% over the previous year. It is noteworthy that the company grew in every major line of business and achieved the milestones as per the Business Plan. The company continues to service the two large State Health Insurance Schemes viz. Tamil Nadu and Maharashtra.

Adherence to the KPI-driven guidelines ensured marked improvement in the operations of the company. Substantial reduction in the Incurred Claim ratio on overall basis and especially in Health line of business is a key feature. The Non-suit Claim settlement ratio was maintained at a level close to 90%. Cost Savings, Office consolidation and process re-engineering by centralization of claims processing led to operational effectiveness.


The Customer Care team kept up the redressal ratio at 99.87% level with an average turnaround time of 13 days.

The Company redeemed the subordinate debt of INR 900 Crores by exercise of Call Option.

The Company stepped into the year ahead equipped with digital & centralized processes and has a variety of measures to enhance general insurance awareness, access and affordability to the large clientele and be the most preferred General Insurer in the Indian Market.

Satyajit Tripathy


क्षेत्रीय कार्यालयों और लार्ज कॉर्पोरेट और ब्रोकर्स प्रकोष्ठों (एलसीबी) की सूची



क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची और बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल (एलसीबी)

- क्षेत्रीय कार्यालय
- बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल (एलसीबी)




Regional Offices and Large Corporate & Brokers Cells (LCB)






LIST OF REGIONAL OFFICES AND
LARGE CORPORATE & BROKERS CELLS (LCB)

| | |
|-----------|--|
| 1. | निदेशक मंडल की रिपोर्ट |
| | वित्तीय प्रदर्शन |
| | व्यापार समीक्षा और संचालन का सारांश |
| | आंतरिक निमंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किए गए उपाय |
| | नये उत्पाद |
| | दावा प्रबंधन |
| | विदेशी संचालन |
| | उद्यम जोखिम प्रबंधन |
| 2. | प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण |
| | आर्थिक स्थिति, बीमा बाजार की तुलना में युनाइटेड इंडिया का प्रदर्शन |
| | परिचालन प्रदर्शन |
| | निगमिय सामाजिक जिम्मेदारी |
| 3. | कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट |
| | निदेशक मंडल |
| | बैठक विवरण |
| | सचिवीय लेखा परीक्षा |
| | प्रौद्योगिकी संरक्षणऊर्जा का अवशोषण |
| | रिलेटेड पार्टी ट्रांसॉक्शन |
| | कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीमा से अधिक कर्मचारियों का विवरण |
| | सांविधिक लेखा परीक्षक |
| | मनोरंजन, विदेशी दौरों और प्रचार और विज्ञापन के लिए प्रबंधन का खर्च |
| | निदेशकों की जिम्मेदारी कथन |
| | वार्षिक रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखना |
| | 2023-24 के लिए कंपनी की योजनाएं/दृष्टिकोण |
| | स्वीकृतियाँ |
| | निदेशक मंडल की रुपरेखा |
| | कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाणन |
| | यौन उत्पीडन अधिनियम के तहत खुलासा |
| | अनुलग्नक |

| | |
|-----------|---|
| 1. | Report of the Board of Directors |
| | Financial Performance |
| | Business Review and Summary of Operations |
| | Measures taken to enhance credibility of internal controls and financial reporting |
| | New Products |
| | Claims Management |
| | Foreign Operations |
| | Enterprise Risk Management |
| 2. | Management Discussion and Analysis |
| | Economic conditions, insurance market, vis-à-vis performance of United India |
| | Operating Performance |
| | Corporate Social Responsibility |
| 3. | Report on Corporate Governance |
| | Board of Directors |
| | Meeting Details |
| | Secretarial Audit |
| | Conservation of Energy, Technology Absorption |
| | Related Party Transactions |
| | Particulars of Employees as per Companies Act 2013 beyond threshold |
| | Statutory Auditors |
| | Expenses of Management towards Entertainment, Foreign Tours and publicity and advertisement |
| | Directors' Responsibility Statement |
| | Placing of Annual Report before the Parliament |
| | Plans / Outlook of the Company for 2023-24 |
| | Acknowledgements |
| | Profile of the Board of Directors |
| | Certification of Compliance of the Corporate Governance Guidelines |
| | Disclosure under Sexual Harassment Act |
| | Annexures |





1. सदस्यों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खातों के लेखापरीक्षित विवरण और तुलन पत्र के साथ कंपनी की अस्सीवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय प्रदर्शन

हमें कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन और परिचालन परिणामों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए भी हमें प्रसन्नता हो रही है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|-----------------------|----------|----------|
| सकल प्रीमियम आय | 17644.31 | 15722.25 |
| शुद्ध प्रीमियम | 15396.84 | 13436.65 |
| शुद्ध अर्जित प्रीमियम | 15144.29 | 13695.60 |
| उपगत दावे | 14060.98 | 13500.02 |
| कमीशन | 1061.19 | 902.49 |
| परिचालन व्यय | 6307.68 | 4140.93 |
| अन्य आय/(व्यय) | -117.34 | -222.74 |
| निवेश से आय(सकल) | 3573.57 | 2935.03 |
| कर पूर्व लाभ | -2829.33 | -2135.55 |
| कर के लिये प्रावधान | 0.00 | 0.00 |
| कर पश्चात लाभ | -2829.33 | -2135.55 |

अंश पूंजी

31 मार्च 2023 तक कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी ₹ 7500 करोड़ है। कंपनी की चुकता पूंजी ₹ 3905 करोड़ है।

रिजर्व्स

कुल शुद्ध हानि ₹ -2829.33 करोड़ में से ₹ 112.50 करोड़ का नुकसान

लाभ और हानि खाते से सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है। ₹ 2716.83 करोड़ की जनरल रिजर्व से अधिक हानि की राशि को लाभ और हानि खाते में नामे शेष शीर्षक के तहत तुलन पत्र के संपत्ति पक्ष में लिया गया है।

रिजर्व अधिशेष

(₹ रु.करोड़ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---------------|---------|---------|
| प्रदत्त पूंजी | 3905.00 | 3905.00 |
| रिजर्व अधिशेष | 22.12 | 132.53 |

लाभांश

पत्र संदर्भ संख्या IRDAI/FNA/GUI/COM/P2/2020-21/455 दिनांक 24.02.2021 के माध्यम से आईआरडीएआई के निर्देशों के मद्देनजर, यह निर्धारित करते हुए कि बीमाकर्ता अपने शेयरधारकों को तब तक कोई लाभांश घोषित नहीं करेगा जब तक कि बीमाकर्ता की सॉल्वेंसी को नियंत्रण स्तर पर बहाल किया गया तथा निदेशकों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोई लाभांश नहीं देने की सिफारिश की है।

शोध क्षमता

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 (सी) का अनुपालन

चालू वर्ष के लिए कुल प्रबंधन व्यय 7587.92 करोड़ था (पॉलिसीधारकों की निधि से ₹ 5148.90 करोड़ डेबिट किए गए और अंशधारकों के फंड से ₹ 2439.02 करोड़ डेबिट किए गए, जो स्वीकार्य सीमा से अधिक है) जो कि पिछले वर्ष में ₹ 5245.07 करोड़ थी (पॉलिसीधारकों की निधि से ₹ 4656.41 करोड़ डेबिट किये गये और अंशधारकों की निधि से ₹ 588.66 करोड़ डेबिट किए गए, जो स्वीकार्य सीमा से अधिक है)। वर्ष के दौरान व्यवसाय के निम्नलिखित क्षेत्रों में

I. आईआरडीएआई नियामकों के अंतर्गत

आवश्यक शोध क्षमता ₹ 4341.42 करोड़

II. उपलब्ध शोध क्षमता

₹ - 1258.76 करोड़

वर्ष के दौरान 31.03.2023 को बिना फारबियरंस के शोध क्षमता-0.29 है, जबकि 31.03.2022 को 0.51 थी। बोर्ड से अनुमोदन के अनुसार शोध क्षमता की गणना के लिए कंपनी उचित मूल्य परिवर्तन खाते में शेष राशि की 100% छूट की मांग किया है। अगर मंजूरी मिल गई तो शोध क्षमता 0.56 होगा।

1. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE MEMBERS

The Directors have pleasure in presenting the Eighty Fifth Annual Report of the Company together with the Audited Statement of Accounts and Balance Sheet for the year ended 31st March, 2023.

FINANCIAL PERFORMANCE

We are also pleased to report on business performance and operating results of the Company :

(₹ in crores)

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|---------------------------|----------|----------|
| Gross Premium Income | 17644.31 | 15722.25 |
| Net Premium | 15396.84 | 13436.65 |
| Net Earned Premium | 15144.29 | 13695.60 |
| Claims Incurred | 14060.98 | 13500.02 |
| Commission | 1061.19 | 902.49 |
| Operating Expenses | 6307.68 | 4140.93 |
| Other Income/(Expenses) | -117.34 | -222.74 |
| Investment Income (Gross) | 3573.57 | 2935.03 |
| Profit Before Tax | -2829.33 | -2135.55 |
| Provision for Taxation | 0.00 | 0.00 |
| Profit After Tax | -2829.33 | -2135.55 |

Share Capital

The Authorized Share Capital of the Company is at ₹ 7500 crores as on 31st March 2023. The paid up capital of the Company is at ₹3905 crores.

Reserves

The loss of ₹112.50 Crores, out of Total Net Loss

₹ -2829.33 crores is transferred from Profit and Loss Account to General Reserve. The excess of loss over General Reserve amounting to ₹ 2716.83 crores has been taken to Assets side of balance sheet under head Debit Balance in Profit & Loss Account.

Reserves & Surplus

(₹ in Crores)

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|--------------------|---------|---------|
| Paid Up Capital | 3905.00 | 3905.00 |
| Reserves & Surplus | 22.12 | 132.53 |

Dividend

In view of the IRDAI directions vide letter ref No. IRDAI/FNA/GUI/COM/P2/2020-21/455 dated 24.02.2021 stipulating that the insurer shall not declare any dividend to its shareholders till such time the solvency of the insurer is restored to the control level, the Directors recommended no dividend for the year ended 31st March 2023.

Solvency Margin

I. Required Solvency Margin under IRDAI Regulations ₹ 4341.42 crores
 II. Available Solvency Margin ₹- 1258.76 crores
 During the year the Solvency Margin as on 31.03.2023 is -0.29 as against 0.51 as on 31.03.2022 without any forbearances. The Company has sought 100% forbearance of balance in fair value change account for calculation of solvency margin as per approval from Board of the Company. If approved, the solvency margin would be 0.56.

Compliance with Expense of Management Regulation

The total Management Expenses for the current year was ₹ 7587.92 crores (₹ 5148.90 crores debited to Policyholders' Fund and ₹ 2439.02 crores debited to Shareholders' Fund being the excess over the allowable limits) as against ₹ 5245.07 crores (₹ 4656.41 crores debited to Policyholders' Fund and ₹ 588.66 crores debited to Shareholders' Fund being the excess over the allowable limits) in previous year. During the year the excess of expenditure over the allowable limits

स्वीकार्य सीमा (₹ 2439.02 करोड़ रुपये) से अधिक व्यय हुई, जैसे अग्नि ₹- 343.84 करोड़, समुद्री ₹ - 48.96 करोड़, स्वास्थ्य ₹ - 932.22 करोड़ विविध ₹- 273.84 करोड़ और मोटर खंड में ₹ 840.15 करोड़ - जिसे आईआरडीएआई (सामान्य या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2016 के अनुसार अंशधारकों के खाते यानी लाभ और हानि खाते में लिया गया है।

व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई है तो

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, के अंत में और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए हैं।

उपरोक्तानुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सहायक/संयुक्त उद्यम/ संबद्ध कंपनियों का विवरण

| क्र. सं. | सहायक कंपनी का नाम | कुल चुकता अंश पूंजी | युनाइटेड इंडिया इश्यूरेंस कं लि का धारण का % |
|----------|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1. | जेनीथ सेक्यूरिटीज इनवेस्टमेंट लिमिटेड | ₹ 20 लाख | 69.45% |

| क्र. सं. | सहयोगी / संयुक्त उध्यमी का नाम | कुल चुकता अंश पूंजी | युनाइटेड इंडिया इश्यूरेंस कं लि का धारण का % |
|----------|--|---------------------|--|
| 1. | हैल्थ इश्यूरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड | ₹ 120 करोड़ | 23.75% |
| 2. | इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेंस प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर | एसजीडी 5 करोड़ | 20.00% |

समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित प्रत्येक सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों का प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति

विवरण निम्नानुसार है (वि वर्ष 2022-23)

राशि करोड़ में

| क्र. सं. | वस्तुस्थिति | नाम | स्थान | मुद्रा | कारोबार | क पू ला | क प ला |
|----------|-------------|--|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 1. | सहायक | जेनीथ सेक्यूरिटीज इनवेस्टमेंट लिमिटेड | मुम्बई | ₹ | 78.74 | 78.45 | 74.75 |
| 2. | सहयोगी | हैल्थ इश्यूरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड | नई दिल्ली | ₹ | 59.47 | -6.42 | -6.42 |
| 3. | सहयोगी | इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेंस प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर | सिंगापुर | एसजीडी | 29.68 | -0.78 | -0.86 |

व्यवसाय समीक्षा और संचालन का सारांश

वर्ष के दौरान विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों का प्रदर्शन नीचे विस्तृत है:

यूमेक्स – एजेंसी वर्टिकल

88657 व्यक्तिगत एजेंटों की शक्ति के साथ यूमेक्स एजेंसी बल बाजार के रिटेल क्षेत्रों की सेवा कर रहा है। वर्ष 2022-23 में इस चैनल ने 2.42% की वृद्धि दर के साथ ₹ 7419 करोड़ रुपये का सकल प्रीमियम हासिल किया। इस चैनल का योगदान कंपनी के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का लगभग 41.74% है।

एजेंसी चैनल ने करीब 1.08 करोड़ पॉलिसियाँ जारी की हैं। एजेंसी चैनल ने न केवल व्यावसायिक मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि एजेंटों की भर्ती के संबंध में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए वर्ष के दौरान 2819 नई भर्तियाँ के साथ 31 मार्च 2023 तक 88657 एजेंटों की तादाद के साथ वर्ष का समापन किया।

ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने ₹ 44380 एजेंटों को

पोर्टल की सुविधा दी है। पोर्टल बिजनेस ने रिकार्ड ₹ 2660 करोड़ रुपये के उच्च प्रीमियम प्राप्त किया। एजेंटों के पोर्टल के माध्यम से जारी की गई पॉलिसियों की कुल संख्या ₹ 63.15 लाख हुई। यह एजेंटों के पोर्टल पर पेमेंट गेटवे के आईटी सक्षमीकरण के समर्थन से संभव हो सका।

ब्रोकर वर्टिकल

कंपनी ने 2022-2023 में 533 ब्रोकरों के साथ गठबंधन किया है। 19.57% की वृद्धि दर के साथ ब्रोकरों के माध्यम से प्राप्त कुल प्रीमियम ₹ 3885 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में ब्रोकर चैनल का योगदान 22% है और सकल आधार पर आईसीआर 73.05% है। आगामी वर्ष में प्रीमियम में अपनी हिस्सेदारी 22% से बढ़ाकर 27% करने के इरादे से ब्रोकर चैनल पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हमारी पॉलिसी संख्या में सुधार करने और कंपनी के रिटेल व्यवसाय आधार का विस्तार करने के लिए ब्रोकरों को और अधिक पोर्टल जारी किया जाएगा।

(₹ 2439.02 crores) in the following lines of business viz.. Fire - ₹ 343.84 crores, Marine - ₹ 48.96 crores, Health - ₹ 932.22 crores Miscellaneous - ₹ 273.84 crores and Motor segment - ₹ 840.15 crores has been charged to Shareholders' Account i.e. Profit and Loss account as per IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2016.

CHANGES IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY

There was no change in the nature of business carried on by the Company during the year under review.

Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year of the Company to which the Financial Statements relate and the date of the Report.

No changes as aforesaid have taken place.

DETAILS OF SUBSIDIARY/JOINT VENTURES/ASSOCIATE COMPANIES

| S. No. | Name of the Subsidiary | Total Paid up Share Capital | % Holding of United India Insurance Company Limited |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Zenith Securities & Investment Ltd | ₹ 20 Lacs | 69.45% |

| S. No. | Name of the Associates/ Joint Venture Company | Total Paid up Share Capital | % Holding of United India Insurance Company Limited |
|--------|--|-----------------------------|---|
| 1. | Health Insurance TPA of India Limited | ₹ 120 crores | 23.75% |
| 2. | India International Insurance PTE Ltd, Singapore | SGD 5 crores | 20.00% |

PERFORMANCE AND FINANCIAL POSITION OF EACH OF THE SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINT VENTURE COMPANIES INCLUDED IN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

The details are given as follows (FY 2022-23)

(Amount in crores)

| S. No. | Status | Name | Location | Currency | Turnover | PBT | PAT |
|--------|------------|--|-----------|----------|----------|-------|-------|
| 1. | Subsidiary | Zenith Securities & Investment Ltd | Mumbai | ₹ | 78.74 | 78.45 | 74.75 |
| 2. | Associate | Health Insurance TPA of India Limited | New Delhi | ₹ | 59.47 | -6.42 | -6.42 |
| 3. | Associate | India International Insurance PTE Ltd, Singapore | Singapore | SGD | 29.68 | -0.78 | -0.86 |

BUSINESS REVIEW AND SUMMARY OF OPERATIONS

The Performance of the various Business Verticals during the year are detailed below :

UMEX – AGENCY VERTICAL

The UMEX Agency force has been catering to retail segments of the market with its strength of 88657 Individual Agents. In 2022-23 this channel completed a gross premium of ₹ 7419 crores with a growth rate of 2.42%. This Channel's contribution is almost 41.74% of the Gross Direct Premium of the Company.

The agency channel issued around 1.08 crore policies. The agency channel has not only excelled on the business front but also performed well with respect to Agents' Recruitment notching up 2819 new recruitments during the year and closing the year with 88657 agents as on 31st March 2023.

In a bid to increase online transactions, the Company has given Portal facility to 44380 agents. Portal Business touched a record high premium of ₹ 2660 crores. The total number of policies issued through the agents' portal was 63.15 lakhs. This was possible with the support of IT enablement of Payment Gateway on the agents' portals.

BROKER VERTICAL

The Company has tied up with 533 Brokers in 2022-2023. The total premium received through Brokers is ₹ 3885 crores with a growth rate of 19.57%. The contribution of the Broker channel to the Gross Direct Premium Income for the FY 2022-23 is 22% and the ICR on Gross basis is 73.05%. In the coming year there will be continued focus on the Broker channel with an intention of increasing their share of premium from 22% to 27%. More portals will continue to be issued to Brokers to improve our policy count and expand the retail base of the Company.

मोटर बीमा सेवा प्रदाता ओईएम

दिनांक 01.11.2017 से आईआरडीए द्वारा मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देश लागू किए गए थे और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भी यही जारी रहा।

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने निम्न ओईएम के साथ गठबंधन किया है – मारुति, वोक्सवैगन, टाटा, महिंद्रा, हीरो डेइम्लर।

44.83% की वृद्धि दर के साथ ₹ 166.87 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में, कंपनी ने ओईएम-एमआईएसपी के साथ ₹ 539.07 करोड़ रुपये का कारोबार पूरा किया, जबकि पिछले वर्ष का कारोबार ₹ 372.20 करोड़ रुपये थी।

वित्तीय वर्ष में ₹ 166.87 करोड़ रुपये की वृद्धि के अलावा युनाइटेड इंडिया को टाटा कमर्शियल व्हीकल्स के रूप में एक नया गठजोड़ प्राप्त करना प्रमुख उपलब्धि रही है।

विभाग ने व्यवसाय वृद्धि और हानि नियंत्रण उपायों के लिए कार्यनीतियों पर क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ विभिन्न वीसी आयोजित की है।

- ओईएम-एमआईएसपी व्यवसाय और उपगत दावे अनुपात की क्षेत्रीय टीमों के साथ व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की गई और मूल कारण विश्लेषण किया गया।
- डायरेक्ट एमआईएसपी में व्यवसाय के विकास के लिए – यंग एजीक्यूटिव्स प्रोग्राम के तहत 3 कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- दिनांक 01.10.2018 से मारुति ओईएम दावों का केंद्रीकरण नोडल क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय 1, में कर दिया गया, जिसमें लखनऊ क्षेत्र के अलावा समस्त अखिल भारतीय मारुति ओईएम दावों की प्रसंस्करण के लिए एक विशेष हब बनाया गया है।
- दिनांक 15.12.2022 से वोक्सवैगन ओईएम दावों का केंद्रीकरण नोडल क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय 1 में किया गया जिसमें समस्त अखिल भारतीय वोक्सवैगन ओईएम दावों की केंद्रीकरण के लिए एक विशेष हब बनाया गया था।
- ओईएम और डायरेक्ट एमआईएसपी खंड दोनों में व्यवसाय वृद्धि के लिए विशेष पुरस्कार योजना आरंभ की गई।
- डीलर के पास जाएँ' पहल कि शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत नोडल क्षेत्रीय प्रबंधकों को नियमित तौर पर डीलरों का दौरा करना और डीलर पॉइंट पर युनाइटेड इंडिया की उपस्थिति स्थापित करनी थी। यह पहल सफल रही है जिसके परिणामस्वरूप डीलर स्तर पर हमारी दृश्यता बढ़ी है और व्यवसाय में वृद्धि हुई है।
- हमारी हब टीमों को प्रेरित करने और दावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने और टीएटी में सुधार करने के लिए केंद्रीकृत हब और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया गया।

2023-24 के लिये अभियोजन

नए लॉन्च किए गए टाटा कमर्शियल व्हीकल गठबंधन पर ध्यान केंद्रित करना और टाटा सेगमेंट के माध्यम से अधिकतम व्यवसाय हासिल करना हमारी प्राथमिकता होगी। इसी प्रकार, हमारे पास पहले से ही पाइपलाइन में नई परियोजनाएं हैं – अर्थात वोल्वो, अशोक लीलैंड, निसान रेनॉल्ट के साथ-साथ टोयोटा और हुंडई में भी हम प्रवेश करने जा रहे हैं।

एल सी बी

बड़े कॉर्पोरेट की जरूरतों को पूरा करने और ब्रोकरों के साथ सीधे संपर्क के लिए वर्ष 2008 में बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस सेल (एलसीबी) की शुरुआत की गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में छह एलसीबी कार्यरत थे। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में स्थित छह बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर्स कार्यालयों ने ₹ 1261.26 करोड़ रुपये का प्रीमियम पूरा किया जो लक्ष्य प्राप्ति का 95% है और सभी प्रमुख नवीनीकरणों को बरकरार रखते हुए तथा घाटे वाले खातों को जानबूझकर त्यागते हुए ₹ 177.79 करोड़ रुपये का उत्कृष्ट परिचालन अधिशेष दिखा रहे हैं।

कॉर्पोरेट एजेंसी (बैंक बैंकों के अलावा अन्य)

- 31.03.2023 तक कंपनी के पास 54 कॉर्पोरेट एजेंटों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी गठबंधन की व्यवस्था है।
- 54 कॉर्पोरेट एजेंसी गठबंधनों में से 40 बैंक तथा एनबीएफसी तथा 14 अन्य जो बैंकों के अलावा है, के साथ गठबंधन है।
- 3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बैंकों, 1 निजी बैंक (तमिलनाडु मर्केन्टैल बैंक), 12 ग्रामीण बैंक, 20 सहकारी बैंक तथा 4 एनबीएफसी के साथ कंपनी का गठबंधन है।
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने 7 नये कॉर्पोरेट एजेंसियों के साथ समझौता किया है।
- 1.44% वृद्धि दर के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी वर्टिकल ने रु. ₹ 423.27 करोड़ का व्यवसाय पूरा किया।
- कुल ₹ 423.27 करोड़ में से कॉर्पोरेट एजेंसी (बैंक) ने रु. ₹ 303.32 करोड़ का योगदान दिया, जो कुल कॉर्पोरेट एजेंसी चैनल प्रीमियम का 71.66% है।

माइक्रो कार्यालयों का निष्पादन

हमारी कंपनी में माइक्रो कार्यालय/एकल व्यक्ति कार्यालय मॉडल अत्यंत सफल रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में माइक्रो कार्यालयों ने ₹ 874.70 करोड़ रुपये का प्रीमियम हासिल किया है।

वर्तमान में देश भर में कंपनी के लगभग 511 माइक्रो कार्यालय विस्तृत हैं और प्रति माइक्रो कार्यालय का औसत प्रीमियम ₹ 1.71 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2022-23 में नौ माइक्रो कार्यालयों ने ₹ 5 करोड़ रुपये से अधिक का प्रीमियम पूरा किया है और लगभग 56 माइक्रो कार्यालयों ने ₹ 3 करोड़ रुपये से अधिक का प्रीमियम हासिल किया है।

बीमा की पहुंच बढ़ाने और कंपनी की वृद्धि और लाभप्रदता में योगदान देने में माइक्रो कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

MOTOR INSURANCE SERVICE PROVIDERS & OEMS

Motor Insurance Service Providers (MISP) Guidelines were implemented by IRDA w.e.f. 1st November 2017 and the same continued for the financial year 2022-23.

United India Insurance Company Limited has tie ups with the following OEMs - Maruti, Volkswagen, Tata, Mahindra, Hero & Daimler.

In the Financial Year 2022-23, the Company completed business of ₹ 539.07 crores from OEM-MISPs as against the previous year business of ₹ 372.20 crores, registering an accretion of ₹ 166.87 crores with a growth rate of 44.83%.

The major achievement in the financial year apart from the accretion of ₹ 166.87 crores is UNITED INDIA gaining a new tie-up in the form of TATA Commercial Vehicles.

The Department conducted various VCs with Regions on Strategies for Business Growth and Loss Control Measures.

- OEM-MISP Business and Incurred Claims Ratios were reviewed individually with Regional teams and Root Cause analysis conducted.
- For the development of business in Direct MISP – 3 workshops were conducted under the Young Executives programme.
- Centralisation of Maruti OEM Claims was done at Delhi Regional Office 1 the Nodal Regional Office w.e.f. 01.08.2022, where a special Hub is created to take care of all pan-India Maruti OEM claims apart from Lucknow Region.
- Centralisation of Volkswagen OEM claims was done at Delhi Regional Office 1 the Nodal Regional Office w.e.f. 15.12.2022, where a special Hub was created to take care of all pan-India Volkswagen OEM claims.
- For the Business Growth both in the OEM and the Direct MISP segment special prize scheme was launched.
- “Go to the Dealer” initiative was launched, whereby the Nodal RMs were to make visits to the Dealers on regular basis and establish the presence of UNITED INDIA at the Dealer Point. This initiative has been successful resulting into enhancing our visibility at the Dealer end and gaining business.
- Visits were made to Centralised Hubs and various Regional Offices to motivate our Hub Teams and ensure faster settlement of claims and improve the TAT.

PLAN FOR 2023-24

Priority will be to concentrate on the newly launched TATA Commercial Vehicles Tie up and to gain maximum business through the TATA segment. Similarly, the Company has new projects in pipeline – viz. Volvo, Ashok Leyland, Nissan Renault as well as to make an entry in Toyota & Hyundai.

LCB

Large Corporate Business Cells (LCBs) were started in the year 2008 to cater to the needs of large corporate and liaison directly with the brokers. There were six LCBs functioning in the country during FY 2022-23. The Six Large Corporate and Brokers' offices located at Mumbai, Chennai, Delhi, Bangalore, Hyderabad & Kolkata completed a premium of ₹ 1261.26 crores, Target realisation is 95% and are showing an excellent Operating Surplus of ₹ 177.79 crores retaining all major renewals while consciously shedding loss making accounts.

CORPORATE AGENCY (BANKS & OTHER THAN BANKS)

- As on 31.03.2023 the Company has Corporate Agency tie up arrangement with 54 Corporate Agents.
- Out of 54 Corporate Agency tie ups there are 40 Banks and NBFCs and 14 other than bank tie ups.
- The Company has tie ups with 3 PSU Banks, 1 Private Bank (Tamilnad Mercantile Bank), 12 Gramin Banks, 20 Co-operative Banks and 4 NBFCs.
- PSU Banks include Bank of Maharashtra, Indian Bank and Union Bank of India.
- The Company has also entered into 7 New Corporate Agency tie up agreements during FY 2022-23.
- The Corporate Agency Vertical completed premium of ₹ 423.27 crores with a growth rate of 1.44%.
- Out of premium of ₹ 423.27 crores, the Corporate Agency (Banks) contributed ₹ 303.32 crores which is 71.66% of total Corporate Agency channel premium.

PERFORMANCE OF MICRO OFFICES

Micro office/One Man Office model has been very successful in our Company. The Micro Offices have completed a premium of ₹ 874.70 crores in the FY 2022- 23.

The Company currently has around 511 Micro Offices spread across the country and the average premium per Micro Office is ₹ 1.71 crores. Nine of the Micro Offices have completed a premium of over ₹ 5 crores and around

बीमांकिक विभाग की गतिविधियाँ

बीमांकिक विभाग प्रमुख रूप से दावा आरक्षित का आकलन करने में संलग्न रहता है जैसे कि उपगत लेकिन असूचित (आईबीएनआर), आईबीएनईआर (उपगत लेकिन पर्याप्त रूप से असूचित), बीमा नियामक को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित बीमांकिक रिपोर्ट तैयार करना, अर्थात् वित्तीय स्थिति रिपोर्ट (एफसीआर), गणना कंपनी की आर्थिक पूंजी, उत्पाद निष्पादन रिपोर्ट और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन आदि। विभाग एक पूर्णकालिक नियुक्त बीमांकिक की देखरेख में कार्य करता है।

विभाग की अन्य गतिविधियों में उत्पाद डिजाइन, मूल्य निर्धारण और सॉल्वेंसी मूल्यांकन के लिए डोमेन विभागों को समर्थन देना शामिल है। बीमांकिक विभाग आईआरडीएआई, सामान्य बीमा परिषद, सामान्य बीमा सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता संघ (जीआईपीएसए) और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) को विभिन्न सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने में डोमेन विभागों की सहायता भी करता है। निर्णय लेने के उद्देश्य से तकनीकी विभागों को व्यावसायिक प्रदर्शन, दावा निपटान और किए गए दावों पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट समय-समय पर प्रदान की जाती है।

वर्ष के दौरान बीमांकिक विभाग द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियाँ –

- दावा रिजर्व का त्रैमासिक मूल्यांकन और कंपनी की सॉल्वेंसी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए दावा रिजर्व के उपयोगीकरण की ट्रैकिंग।
- कंपनी ने यूपीआर पद्धति को 50% पद्धति से 1/365 पद्धति में परिवर्तित कर दिया है जो जोखिम का एक बेहतर उपाय है और आईएफआरएस कार्यान्वयन के लिए भी सहायक होगा।
- बीमांकिक विभाग ने इस वर्ष लॉन्च के लिए बीमांकिक विभाग ने एक नई अग्नि पॉलिसी – युनाइटेड वैल्यू उद्यम सुरक्षा की दरें तय की।

- तीन बैंकएश्यरेंस पॉलिसियों की निकासी – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-यूबी आरोग्यदान, बैंक ऑफ महाराष्ट्र – महा बैंक स्वास्थ्य योजना तथा इंडियन बैंक – आरोग्य रक्षा। क्योंकि इन पॉलिसियों की सतत निगरानी की गई और इन्हें व्यवहार्य नहीं पाया गया।
- 2024 तक महाराष्ट्र शासकीय स्वास्थ्य पॉलिसी – एमजेपीजेए वाई का वर्ष 2024 तक विस्तार।
- विभाग ने बड़े समूह स्वास्थ्य पॉलिसियों और बड़े समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों की रेटिंग के लिए तकनीकी विभागों को भी समर्थन प्रदान किया। साथ ही सरकारी स्वास्थ्य पॉलिसियों के प्रदर्शन की आवधिक निगरानी, व्यवसाय की सभी क्षेत्रों में उत्पादों के निष्पादन पर नजर रखना, एजेंटों के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार करने और लागू करने के लिए एजेंसी विभाग को डेटा समर्थन आदि भी प्रदान किया।
- विभाग ने लाभदायक सब-पोर्टफोलियो की प्रीमियम वृद्धि को बढ़ाने में मोटर विभाग को विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की, एलएसएम नियमों के अनुसार मोटर ओडी दावों में डिफॉल्ट रिजर्व की शुरुआत अधिक सटीक, समय पर और बेहतर निर्णय की सुविधा बनाने की प्रक्रिया के लिए बीमांकिक विभाग द्वारा गतिविधियों को अंजाम दी गई।

यूनी कस्टोमर केयर

अच्छी ग्राहक सेवा व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही संगठन की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है। ग्राहक सेवा केवल उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने से कहीं अधिक है, और यह सुनिश्चित कराता है कि आपके ग्राहक आपकी कंपनी के साथ होने वाली हर बातचीत से प्रसन्न और संतुष्ट हैं। इस दिशा में, प्रधान कार्यालय यूनी कस्टोमर केयर अपने मूल्यवान ग्राहकों की शिकायतों का कम से कम समय में समाधान करके उनकी सेवा में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है।

निष्पादन के मुख्य बिंदु

| क्र. सं. | विवरण | |
|----------|--|--------|
| 1. | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | 34 |
| 2. | प्राप्त शिकायतों की संख्या | 7398 |
| 3. | वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या | 7423 |
| 4. | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 9 |
| 5. | निपटान अनुपात | 99.87 |
| 6. | समाधान का औसतन टर्न अराउंड समय | 13 दिन |

56 Micro Offices have completed over ₹ 3 crores in the FY 2022-23.

Micro Offices play a significant role in increasing insurance penetration and contributing to the growth and profitability of the Company.

ACTIVITIES OF ACTUARIAL DEPARTMENT

Actuarial Department engages chiefly in estimation of claims reserves such as Incurred But Not Reported (IBNR), IBNER (Incurred But Not Enough Reported), preparation of actuarial reports prescribed for submission to the Insurance Regulator, namely, Financial Condition Report (FCR), calculation of Economic Capital of the Company, Product Performance Reports and Asset Liability Management. The Department functions under the supervision of a full time Appointed Actuary.

Other activities of the department include support to domain departments for product design, pricing and solvency assessment. Actuarial Department also assists domain departments in preparation and submission of various statistical reports to IRDAI, General Insurance Council, General Insurance Public Sector Insurers Association (GIPSA) and Department of Financial Services (DFS). Analytical reports on business performance, claim settlement and incurred claims are provided to Technical departments periodically for the purpose of decision-making.

The major activities performed by the Actuarial department during the year were –

- Quarterly valuation of claims reserves and tracking of utilization of claims reserves for projecting the Company's solvency position.
- The company has changed the UPR methodology from 50% method to 1/365 method which is a better measure of the risk and will be helpful for IFRS implementation.

- Actuarial Department priced a New fire policy - United Value Udyam Suraksha for launch this year.
- Withdrawal of three bancassurance policies - Union Bank of India -UB Arogyadaan, Bank of Maharashtra - Maha Bank Swasthya Yojna and Indian Bank - Arogya Raksha as these policies were continuously monitored and found not viable.
- Extension of Maharashtra Government health policy - MJPJY till 2024.
- The department also supported Technical departments for the rating of Large Group Health policies and Large Group Personal Accident policies. Periodical monitoring of performance of Government Health policies, performance tracking of products in all lines of business, data support to Agency department for devising and implementing the incentive scheme for agents etc.
- The department provided analytical support to Motor department in driving premium growth of profitable sub-portfolios, introduction of DEFAULT RESERVE in Motor OD claims as per the ALSM regulations were activities performed by the Actuarial Department in facilitation of a more accurate, timely and improved decision-making process.

UNI CUSTOMER CARE

Good customer service plays a pivotal role in the success of the business as well as enhances the reputation of the Organization. Customer care is more than just providing excellent customer service, it's about making sure your customers are happy and satisfied with every interaction they have with your Company. Towards this end, HO Uni Customer Care is taking sincere efforts in achieving excellence in the service of our valuable customers by resolving their grievances within the shortest time.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

| S. No. | Particulars | |
|--------|---|---------|
| 1. | No. of grievances outstanding as at the beginning of the year | 34 |
| 2. | No. of grievances received | 7398 |
| 3. | No. of grievances disposed during the year | 7423 |
| 4. | No. of grievances pending as at the end of the year | 9 |
| 5. | Disposal ratio | 99.87 |
| 6. | Average Turn Around Time of resolution | 13 days |

विशेष उपलब्धि

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शिकायत निपटान में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है और 31 मार्च 2023 तक केवल 9 शिकायतें लंबित थीं। यह पिछले 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। 27 क्षेत्रीय कार्यालयों और 5 एलसीबी ने पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में शून्य लंबितता हासिल की।

लोकपाल मामले

कंपनी ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं जो समय-समय पर बीमा लोकपाल को भेजे गए मामलों की निगरानी करते हैं और लोकपाल की सुनवाई में हमारे मामलों का प्रभावी ढंग से बचाव भी करते हैं। समय-समय पर एससीएन को गुणात्मक रूप से तैयार करने के महत्व के बारे में यूनी कस्टमर केयर विभाग अपने नोडल अधिकारियों को सलाह दिया जाता रहा है, जिससे हमारे विरुद्ध सुनाए जाने वाले फ़ैसलों की संख्या को कम करने में काफी मदद मिलेगी। संदर्भाधीन अवधि के दौरान, कंपनी को कुल 745 फ़ैसले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 31 मार्च 2023 तक केवल 87 फ़ैसलों का अनुपालन किया जाना शेष था। इनमें से अधिकांश फ़ैसले बीमाधारक द्वारा दस्तावेज़ जमा न करने के कारण लंबित थे।

शिकायत निवारण सप्ताह

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हर तिमाही में एक बार शिकायत निवारण सप्ताह आयोजित किए गए। समीक्षाधीन वर्ष में आयोजित चार शिकायत निवारण सप्ताहों के दौरान कुल 1240 शिकायतों का निपटारा किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंस

जिन क्षेत्रों में शिकायतों की लंबितता दोहरे अंक के साथ-साथ लंबे समय से लंबित थी, उनकी व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की गई और समाधान के लिए समयसीमा तय की गई। कंपनी द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ 3 और आईआरडीएआई के साथ 2 वीसी आयोजित किये गये। जिनमें शिकायतों पर कंपनी के निष्पादन की सराहना की गई।

प्रगति रिपोर्ट

“प्रगति – प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन” के अंतर्गत महाप्रबंधक को शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा (न्यूनतम 20 संख्या) रिपोर्ट की जाती है और उनकी टिप्पणियों/हस्ताक्षर के साथ, इसे आईआरडीएआई को उनके अवलोकन के लिए भेजा जाता है।

शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण

विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है तिमाही आधार पर यूजीएमएस पोर्टल में पंजीकृत शिकायतों के लिए मूल कारण विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना, ताकि प्रमुख कारण की पहचान की जा सके जो शिकायतों की आवृत्ति को जन्म देता है।

पॉलिसी जारी करने, दावा निपटान, ऑनलाइन संबंधित शिकायतें, टीपीए संबंधित मुद्दे आदि जैसे कई मापदंडों पर गहराई से विश्लेषण किया जाता है। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, क्षेत्रीय कार्यालयों को उपयुक्त उपचारात्मक उपाय पहल करने की सलाह दी जाती है ताकि भविष्य में ऐसे कारणों की पुनरावृत्ति न हो।

उपरोक्त आवधिक अभ्यास के परिणामस्वरूप शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के लोगों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। ‘सूचना का अधिकार’ विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया और इस विधेयक को 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया। यह कानून 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ। यह अधिनियम खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और सरकार या संस्थान के कार्य, भूमिका, संचालन के तरीके और जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते, हमारी कंपनी भी इस कानून के अधीन है।

हमारे निगमिय कार्यालय में आरटीआई विभाग का गठन 2005 में आरटीआई अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद किया गया। भारत के नागरिकों के लिए हमारी कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल 29 सितंबर 2016 को आरंभ किया गया और सभी दूसरी पंक्ति के अधिकारियों और सीपीआईओ को प्रशिक्षण दिया गया।

संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल प्रबंधन पर मार्गदर्शन दिया गया है। मंत्रालय द्वारा हस्तांतरित सभी पत्रों और आवेदनों का तुरंत जवाब दिया गया। सीआईसी की सुनवाई में हमारी कंपनी के संस्करण को माननीय आयोग के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया और सभी सीआईसी आदेशों का अनुपालन किया गया। वार्षिक पारदर्शिता ऑडिट स्व-मूल्यांकन सीआईसी को प्रस्तुत किया गया जिसका स्कोर 507 में से 417 है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सीपीआईओ आरटीआई आवेदनों/अपीलों के निपटान के लिए उत्कृष्ट टीएटी भी बनाए रख रहे हैं और प्रधान कार्यालय के साथ निरंतर समन्वय में हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदनों/अपीलों के समय पर निस्तारण के लिए मार्गदर्शन देने हेतु सभी कार्यालयों की समुचित समीक्षा भी की गई। जटिल मुद्दों से निपटने के लिए प्रधान कार्यालय से सलाह/मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

SPECIAL ACHIEVEMENT

From the above table it is evident that there was a remarkable success in Grievance Disposal during financial year 2022-23 with only 9 grievances pending as on 31st March 2023. This is one of the best performances in the last 10 years. 27 Regions and 5 LCBs achieved NIL pendency at the close of last financial year.

OMBUDSMAN CASES

The Company has appointed Nodal Officers in all our Regional Offices who monitor the cases referred to Insurance Ombudsman periodically and also defend our cases effectively at the Ombudsman hearings. Time and again, Uni Customer Care Department has been advising the Nodal Officers regarding the importance of preparing the SCNs qualitatively which will go a long way in reducing the number of awards being pronounced against us. During the period under reference, the Company has received a total of 745 awards out of which only 87 awards were to be complied with as on 31st March 2023. Most of these awards were pending due to non- submission of documents by the insured.

GRIEVANCE REDRESSAL WEEK

For the FY 2022-23 Grievance Redressal Weeks were held once in every quarter. A total of 1240 grievances were disposed of during the four Grievance Redressal Weeks organized in the year under review.

VIDEO CONFERENCE

Regions which had double digit pendency of grievances as well as long pending grievances were individually reviewed and timelines were given for resolution. The Company had 3 VCs with DFS and 2 with IRDA. The Company's performance in grievance had been appreciated.

PRAGATI REPORT

Weekly review of Grievances (Minimum 20 Nos) is reported to GM under "Pragati – Pro-active Governance and Timely Implementation" and with his remarks/signature, the same is being sent to IRDAI for their perusal.

ROOT CAUSE ANALYSIS OF GRIEVANCES

One of the crucial functions of the department is generating the ROOT CAUSE ANALYSIS report for the grievances

registered in UGMS portal on a quarterly basis to identify the predominant cause which gives rise to frequent repetitive complaints.

The analysis is being done in-depth on many parameters such as policy issuance, claims settlement, online related complaints, TPA related issues etc.

On the basis of the above findings, ROs are being advised to initiate suitable remedial measures so that recurrence of such causes do not arise in future.

The above periodical exercise has resulted in a remarkable reduction of grievances.

RIGHT TO INFORMATION

Right to Information Act empowers the people of India to get information from Government. The 'Right to Information' Bill was passed by the Parliament and this Bill was accepted by the President on June 15, 2005. This law came into force on 12th October, 2005.

The Act was enacted to promote openness, transparency and accountability and to obtain information of the work, role, mode of operation and of the government or institution. Being a Public Authority, our Company is also subject to this statute.

RTI Department at our Corporate Office was formed immediately after enactment of the RTI Act in 2005. Our Company's online Portal for the citizens of India was rolled out on 29th September 2016 and training was imparted to all Second Line Officers and CPIOs.

Guidance on Online RTI Portal management has been given to respective Regional Offices. All letters and applications transferred by Ministry were promptly responded to. In the CIC hearings our Company's versions were effectively presented before the Honorable Commission and all CIC orders were complied with. The Annual Transparency Audit Self-Appraisal was submitted to CIC and the score is 417 out of 507.

The CPIOs of all ROs are also maintaining excellent TAT for disposal of RTI applications/appeals and are in continuous co-ordination with Head Office. Proper reviews were also done of all the Offices to give guidance for timely disposal of applications/appeals received by the respective Regional Offices. For handling complicated issues, advices/ guidance were provided from the Head Office.

वित्तीय वर्ष 2022-23 में निस्तारित आवेदनों एवं अपीलों का विवरण नीचे दर्शाया गया है -

आवेदन/ अपील 2021-22 2022-23 (कंपनी का समग्र रूप से)

| | आवेदन 2021-22 | आवेदन 2022-23 | अपील 2021-22 | अपील 2022-23 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| आरंभिक शेष | 40 | 48 | 5 | 14 |
| प्राप्त संख्या | 1505 | 1817 | 187 | 200 |
| निपटान संख्या | 1497 | 1828 | 182 | 210 |
| लंबित की संख्या | 48 | 37 | 10 | 4 |
| निपटान दर | 96.89% | 98.02% | 94.79% | 98.10% |

सीआईसी के समक्ष अपील

| वित्तीय वर्ष | कंपनी के पक्ष में | आवेदक के पक्ष में | कुल योग |
|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| 2020-21 | 13 | 1 | 14 |
| 2021-22 | 14 | 0 | 14 |
| 2022-23 | 39 | 8 | 47 |

राजभाषा कार्यान्वयन

कंपनी का निरंतर प्रयास रहा है कि भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार दिन-प्रतिदिन के कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हिंदी में मूल पत्राचार और भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) तथा नियम 5 के अनुपालन के क्षेत्र में समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। हम अपने समस्त कॉर्पोरेट, ग्रामीण क्षेत्रों और वैयक्तिक ग्राहकों की उनकी अपनी भाषा के माध्यम से बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

राजभाषा विभाग की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय, चेन्नै की वर्ष 2022-23 के लिए गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:-

- दिनांक 29.06.2021 को अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन तथा दिनांक 23 एवं 24 जनवरी 2023 को चेन्नै में अखिल भारतीय राजभाषा विभाग के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
- प्रधान कार्यालय चेन्नै सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी दिवस / पखवाडा 2022 का आयोजन दिनांक 14 सितंबर से 30 सितंबर तक किया गया, जिनमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने वित्त मंत्रालय के अधीन समस्त बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर समाज के उत्थान में बीमा सेवा का महत्व अथवा आजादी का अमृत महोत्सव - देश की आर्थिक प्रगति में बीमा का योगदान विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसी प्रकार विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर स्थानीय न.रा.का.स., चेन्नै स्तर पर ग- क्षेत्र के कार्यालयों में राजभाषा

कार्यालय की दिशा में व्यावहारिक कठिनाइयाँ विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसी वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर समस्त कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा रचित कविताओं का संकलन - काव्य संग्रह पत्रिका का प्रकाशन किया गया। न.रा.का.स. सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए माह मई 2022 में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तिरुक्कुरल का तमिल से हिंदी में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त एवं वरिष्ठ नागरिक श्री टी. ई.राघवन को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

- प्रधान कार्यालय, चेन्नै में पखवाडा का समापन समारोह हमारे अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2022 को संपन्न कराया गया। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय की गृह पत्रिका प्रगति अंक -25 का तथा दिनांक 23 जनवरी 2023 को राजभाषा अधिकारियों के सम्मेलन के अवसर पर प्रगति अंक -26 का विमोचन, हमारे कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी के कर कमलों से कराया गया।
- वर्ष 2021-22 के लिए प्रधान कार्यालय को न.रा.का.स. (बैंक एवं वित्तीय संस्थान) चेन्नई द्वारा प्रथम पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
- संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को जूनागढ मंडल कार्यालय का तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2022 को मदुरै क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण किया गया, तथा दोनों निरीक्षणों में कंपनी के कार्य निष्पादन को संतोष जनक पाया गया।

Details of applications and appeals disposed in the financial year 2022-23 are as shown below-

Applications /Appeals 2021-22 & 2022-23 (For Company as a whole)

| | APPLICATIONS 2021-22 | APPLICATIONS 2022-23 | APPEALS 2021-22 | APPEALS 2022-23 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Opening Balance | 40 | 48 | 5 | 14 |
| Number Received | 1505 | 1817 | 187 | 200 |
| Number Disposed | 1497 | 1828 | 182 | 210 |
| Number Pending | 48 | 37 | 10 | 4 |
| Disposal Rate | 96.89% | 98.02% | 94.79% | 98.10% |

Appeals to CIC

| FINANCIAL YEAR | IN FAVOUR OF COMPANY | IN FAVOUR OF APPLICANT | GRAND TOTAL |
|----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 2020-21 | 13 | 1 | 14 |
| 2021-22 | 14 | 0 | 14 |
| 2022-23 | 39 | 8 | 47 |

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

It has been the Company's continuous endeavour to encourage the use of Hindi in day-to-day official work in accordance with the Official Language Policy of the Government of India. In the field of original correspondence in Hindi and compliance of Section 3(3) of the Official Language Act of Government of India and Rule 5, we have made notable progress during the financial year 2022-23. We are fully committed to meet the insurance requirements of all our corporate, rural sectors and individual clients through their own language.

Activities and Achievements of Official Language Department

The activities and achievements of Official Language Department, Head Office, Chennai for the year 2022-23 are as follows: -

- 1) Online Hindi Workshop was organized for All India Official Language Officers on 29.06.2022 and two days' seminar for all India officers of Official Language Department on 23rd and 24th January 2023 at Chennai.
- 2) Hindi Divas / Fortnight 2022 was organized from 14th September to 30th September at all offices including Head Office, Chennai, during which various activities were undertaken. Apart from this, the Company organized an essay competition on the topic "SAMAAJ KE UTTHAN ME BEEMAA SEVA KAA MAHATVA or AZADI KA AMRIT MAHOTSAV- DESH KI AARTHIK PRAGATI ME BIMA KA YOGADAAN" at all India level for the Banks and Financial Institutes affiliated to Ministry of Finance. Similarly, on the occasion of Vishwa Hindi Diwas, an essay competition

was organized for the member institutes of the local TOLIC on the topic "C-REGION KE KARYALAYON MEIN RAJBHASHA KARYANVAYAN KI DISHA ME VYAVAHARIK KATHINAIYAN". This year a KAVYA SANGRAH book was also published, compiling the poems contributed by the existing and the retired employees and their family members. One workshop was organized for the employees of the member institutes of TOLIC in the month of May 2022, wherein we felicitated Shri T E Raghavan, a Senior Citizen and recipient of Sahitya Academy Puraskar for translating Thirukkural in Hindi from Tamil. Slogan writing contest was organized on the occasion of International Women's Day.

- 3) The closing ceremony of Hindi Diwas/Fortnight 2022 was held on 30.09.2022, which was presided over by our Chairman-cum-Managing Director, Shri Satyajit Tripathy, at Head Office, Chennai. The 25th issue of our House Magazine "PRAGATHI" was released on this occasion and the 26th issue was released during the Hindi Officers' Seminar on 23rd January 2023 by our Chairman-cum-Managing Director.
- 4) For the Financial Year 2021-22, Head Office was awarded the TOLIC (Banks and Financial Institutes), Chennai First Prize with a Shield and a certificate.
- 5) The Third sub-committee of Parliamentary Committee on Official Language has inspected the Divisional Office, Junagadh on 10th October 2022 and the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India inspected Regional Office-Madurai on 29th November 2022 in respect of implementation of Official Language and our offices were found satisfactory during both inspections.

- 6) वर्ष के दौरान देश के विभिन्न प्रांतों में विस्तारित कुछ कार्यालयों में गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक सुझाव दिए गए।
- 7) वर्ष 2021-22 के लिए प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों तिमाही की बैठकें समय पर संपन्न हुईं, जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। इस प्रकार की बैठकें अधीनस्थ कार्यालयों में भी सुनिश्चित कराई जा रही हैं।
- 8) अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा भी स्थानीय न.रा.का.स. स्तर पर सक्रिय उपस्थिति तथा योगदान सुनिश्चित कराया जा रहा है।
- 9) अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को भी ऑनलाइन तिमाही प्रतिवेदन प्रेषण पर कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जा रहा है।
- 10) अपेक्षित अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी में कार्य निष्पादन करने हेतु प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट संचार

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रचार गतिविधियाँ

प्रधान कार्यालय में कॉर्पोरेट संचार विभाग मुख्य रूप से विभिन्न मीडिया के माध्यम से कंपनी की सभी प्रचार, विज्ञापन और संचार संबंधी गतिविधियों को संभालता है।

आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, भारत सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों को मार्च 2021 से अगस्त 2023 तक विभिन्न स्पर्धीय गतिविधियां चलाकर आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएम) मनाने का निर्देश दिया।

वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रधान कार्यालय कॉर्पोरेट संचार विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय में विभिन्न सामाजिक उन्मुख गतिविधियों का आयोजन करने के अलावा चेन्नई में एक प्रमुख स्थान पर एकेएम लोगो के साथ एक प्रचार होर्डिंग भी लगाया है, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रदर्शन किया गया है और इस योजना से पिछले 11 वर्षों में राज्य के कमजोर वर्गों को लाभ हुआ है। सामाजिक गतिविधियों के आयोजन के साथ-साथ, कंपनी ने विशेष रूप से ग्रामीण और समाज के कमजोर वर्गों के लिए बीमा जागरूकता अभियान चलाकर बीमा पैठ में सुधार लाने की दिशा में भी काम किया है।

कंपनी ने ट्विटर और फेसबुक जैसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शे का/ एलसीबी द्वारा की गई गतिविधियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिनों के जश्न और सतर्कता जागरूकता संदेशों का विवरण पोस्ट किया है। मंत्रालय की सलाह के अनुसार, कंपनी ने स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा आदि जैसी सरकार प्रायोजित कदमों की और व्यापक प्रचार के लिए इसकी तस्वीरें हमारी कंपनी के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की गईं। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अनुरूप, वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकिंग, पेंशन और बीमा क्षेत्रों में वित्तीय परिवर्तन, “हर घर तिरंगा” गान,

“प्रतिज्ञा” वीडियो और “धन्यवाद” वीडियो को प्रदर्शित करने वाला एक “डिजिटल आर्काइव” वीडियो जारी किया है। और प्रधान कार्यालय कॉर्पोरेट संचार विभाग ने कंपनी के ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पेज और कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से इन वीडियो का प्रचार किया है।

आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, प्रधान कार्यालय कॉर्पोरेट संचार विभाग ने डिजिटल कैलेंडर 2023 के लिए थीम को “स्वतंत्रता के बाद की घटनाएं, जिनसे हमारे देश की प्रगति हुई” के रूप में प्रस्तुत किया। तदनुसार, डिजिटल कैलेंडर 2023 को सौंदर्यपूर्ण तरीके से डिजाइन किया गया। डिजिटल कैलेंडर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल और सभी कर्मचारियों को ईमेल के माध्यम से भेजा गया। डिजिटल कैलेंडर 2023 को पॉलिसेधारकों, एजेंटों और जनता के सदस्यों के उपयोग के लिए हमारी कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया। मोटर ओन डैमेज क्लेम प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, मोटर थर्ड पार्टी क्लेम प्रक्रिया का केंद्रीकरण आदि को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय कॉर्पोरेट संचार विभाग ने प्रधान कार्यालय से मोटर ओडी विभाग और प्रधान कार्यालय से मोटर टीपी विभाग के साथ समन्वय किया। विभाग ने बैंकिंग फ्रंटियर्स जैसे प्रतिष्ठित रेटिंग संस्थानों के साथ उपरोक्त उपलब्धियों के लिए नामांकन दाखिल करने में सुविधा प्रदान की, जिससे कंपनी को इंश्योर नेक्स्ट 2023 अवार्ड और फिनोविटी अवार्ड 2023 जीतने में मदद मिली।

प्रधान कार्यालय कॉर्पोरेट संचार विभाग ने समाचार पत्रों और अपने सोशल मीडिया हैंडल में विज्ञापन प्रकाशित करके कंपनी के 85वें स्थापना दिवस समारोह का प्रचार किया।

कॉर्पोरेट संचार विभाग ने सुपर-टॉप अप पॉलिसी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के विज्ञापनों की डिजाइनिंग भी की और उन्हें विभिन्न माध्यमों में विज्ञापित किया।

पिछले वर्षों की तरह, कॉर्पोरेट संचार विभाग ने कॉर्पोरेट वित्त और लेखा विभाग के साथ निकट समन्वय में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की डिजाइन और छपाई का कार्य किया।

वित्त वर्ष 2023-2024 में कंपनी के उत्पादों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने, बीमा जागरूकता पैदा करने और कंपनी की पहुंच और दृश्यता बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल के फॉलोअर्स आधार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है।

सूचना प्रौद्योगिकी

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान, हमारे मजबूत बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने के लिए आईटी बुनियादी ढांचे का समेकन और उन्नयन का कार्य जारी रहा। चालू वर्ष में आईटी विभाग की भी प्रमुख भूमिका यह सुनिश्चित करने में रही कि संगठनात्मक परिवर्तन प्रक्रिया के मद्देनजर कम समय में उत्पादन वातावरण में आवश्यक सॉफ्टवेयर परिवर्तन को सफलतापूर्वक लागू किए जाएं। सुरक्षा अवसंरचना में वृद्धिशील उन्नयन भी किए गए।

- 6) Some of the offices spread across the country were also inspected by the Regional Implementation Offices under the Ministry of Home Affairs and necessary suggestions were given.
- 7) All the four quarterly meetings of the Head Office Official Language Implementation Committee were held in time and important decisions were taken. Such meetings are also being ensured at subordinate offices.
- 8) Active participation and contribution at local TOLICs by the subordinate offices is also being ensured.
- 9) Officers of operating offices are also being trained through workshops for filing online quarterly progress report.
- 10) Required Officers/ Employees are being trained and encouraged for discharging work in Hindi.

CORPORATE COMMUNICATIONS

Publicity Activities during the year 2022-23

Corporate Communications Department at Head Office primarily handles all Publicity, Advertising and Communications related activities of the Company through various media.

Commemorating 75 years of Independence, Government of India directed all organisations under DFS to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM) by undertaking various outreach activities from March 2021 to August 2023.

During the year 2022-23, HO Corporate Communications Department besides organizing various social oriented activities in coordination with Regional Offices has also put up a publicity hoarding in a prominent place in Chennai with the AKAM Logo, showcasing the Tamil Nadu Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme wherein the weaker sections of the State were benefitted for the past 11 years. Alongside organizing social activities, the Company has also worked towards improving the insurance penetration by carrying out insurance awareness campaigns especially for the rural and weaker sections of the society.

The Company posted details of activities carried out by ROs/LCBs, celebration of National and International Days of importance and Vigilance Awareness messages on its Social Media Handles like Twitter and Facebook. As advised by the Ministry, the Company conducted Government sponsored initiatives like Swachh Bharat Abhiyan, Swachhata Pakhwada etc. and the pictures of the same were posted in our Company Twitter and Facebook accounts for widespread publicity. In line with Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, Department of Financial Services has brought out a "Digital Archive"

video showcasing financial transformation in banking, pension & insurance sectors, "Har Ghar Tiranga" "Anthem," "Pledge" video and "Thank you" video and HO Corporate Communications Department has carried out publicity of these videos through the Company's Twitter Account, Facebook page and Corporate Website.

As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, HO Corporate Communications Department identified the theme for Digital Calendar 2023 as "Events Post-Independence that led to the progress of our Country". Accordingly, the Digital Calendar 2023 was designed in an aesthetic manner. The Digital Calendar was sent to all Regional Offices, Large Corporate and Broker Cells and to all employees through email. Digital Calendar 2023 was also published in our Company website for the usage of policyholders, agents and members of the public.

HO Corporate Communications Department coordinated with HO Motor OD Department and HO Motor TP Department to highlight their initiatives viz. Digitization of Motor Own Damage claim process, Centralization of Motor Third Party claim process etc. The Department facilitated in filing nominations for the above achievements with reputed rating institutions like Banking Frontiers which helped the Company to win Insure Next 2023 Award and Finnoviti Award 2023.

HO Corporate Communications Department publicized the Company's 85th Foundation Day Celebrations by publishing advertisements in Newspapers and in its Social Media Handles.

Corporate Communications Department also undertook designing of advertisements of Super-Top up policy, Individual Health Insurance Policy, Personal Accident Policy and advertised them in various mediums.

As in the previous years, Corporate Communications Department in close co-ordination with Corporate Finance & Accounts Department undertook design and printing of the Company's Annual Report for FY 2021-22.

In FY 2023-2024 the Company plans to focus on creating more awareness about the Company's products, create insurance awareness and increase the follower base of its social media handles to increase the Company's reach and visibility.

INFORMATION TECHNOLOGY

During the Financial Year 2022-2023, IT infrastructure consolidation and upgrade continued to enhance our robust infrastructure. IT Department also had a major role in the current year to ensure that the necessary software changes are successfully deployed in production environment in short span of time in view of the organizational transformation process. Incremental upgrades in the Security Infrastructure were also made.

वर्ष के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

- ई-मेल अवसंरचना को उन्नत किया गया
- सभी कार्यालयों को स्कैनर प्रदान किये गये।
- पर्यावरण में नया (सुरक्षा संचालन केंद्र) समाधान तैनात किया गया
- गैर प्रयोग के समय डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन लागू किया गया। नेटवर्क स्तर एन्क्रिप्शन पहले से ही मौजूद है।
- नियामक आवश्यकताओं के अनुसार सीकेवाईसी कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया।
- एसआईपी आधारित बीमालेखन को व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार स्थापित किया गया।
- संगठनात्मक पुनर्गठन गतिविधियों के हिस्से के रूप में 3 स्तरीय रिपोर्टिंग सफलतापूर्वक स्थापित की गई।
- पायलट आधार पर बीमालेखन और दावों का केंद्रीकरण स्थापित किया गया
- स्वास्थ्य बीमा केंद्र को चालू करने के लिए समाधान निकाला गया
- खातों के केंद्रीकरण के लिए कार्य पूरा किया गया और परीक्षण किया गया
- सह-बीमा गतिविधियों के केंद्रीकरण का कार्य पूरा किया गया और परीक्षण किया गया
- रिपोर्टिंग की उद्देश्य के लिए प्रीमियम गणना की 1/365 विधि को स्थापित किया गया
- आईआरडीएआई को नियमित आधार पर डेटा प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया गया
- सेवानिवृत्त कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान के लिए इन-हाउस सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया
- वेतन बकाया समाधान को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया
- संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए आईटी बीसीपी योजना का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है। बीसीपी के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के संबंध में स्वचालन लागू किया गया
- सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए गए

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में मोटर दावे के डिजिटलीकरण के लिए कंपनी ने "सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ट्रॉसफॉर्मेशन इनिशिएटिव" का पुरस्कार भी जीता।

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक

संगठनात्मक नेटवर्क

31.03.2023 को कंपनी के 1472 कार्यालय हैं।

| | |
|--------------------|-------------|
| प्रधान कार्यालय | 01 |
| क्षेत्रीय कार्यालय | 30 |
| एल सी बी | 06 |
| मंडल कार्यालय | 366 |
| शाखा कार्यालय | 558 |
| माइक्रो कार्यालय | 511 |
| कुल | 1472 |

कर्मचारियों की संख्या का विवरण

31.03.2023 को कंपनी में 10356 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

| श्रेणी | कर्मचारियों की संख्या |
|------------------------------|-----------------------|
| श्रेणी I | 6238 |
| श्रेणी II (विपणन प्रशासन) | 132 |
| श्रेणी III | 3236 |
| श्रेणी IV | 749 |
| अंशकालिक कर्मचारी | 1 |
| कुल | 10356 |

अनु जा/जजा/अपि व/ दिव्यांग /भूत पूर्व सैनिकों का कल्याण

जहां भी लागू हो, अनु जा / जजा / अपि व /पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिकों और ईडब्ल्यूएस के लिए पदों के आरक्षण को बढ़ाने, भर्ती में आयु में छूट और पदोन्नति में पदों के आरक्षण पर सरकार के दिशानिर्देशों का कंपनी अनुपालन करती है। भर्ती पर सभी चयन समितियों में, प्रत्येक समिति में अनु जा / जजा / अपि व सदस्यों का प्रतिनिधित्व कंपनी सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार सभी पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को नामांकित किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित बाहरी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाने पर, उन्हें यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

प्रधान कार्यालय की लर्निंग सेंटर, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ नैशनल इंश्योरेंस एकेडमी में आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, अनु जा/ जजा/अपि व कर्मचारियों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की गई।

तृतीय श्रेणी से स्केल ख में पदोन्नति के लिए आयोजित पदोन्नति अभ्यास 2022 में, पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र एससी, एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों (100 अनु जा / जजा कर्मचारियों, 201 अपि व कर्मचारियों और 19 दिव्यांग कर्मचारियों) पर ऑनलाइन पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण दिया गया और प्रथम श्रेणी अधिकारियों (899 अनु जा / जजा, 595 अपि व और 76 दिव्यांग) को भी पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण दिया गया।

निर्धारित योजनाओं के अनुसार डॉ. अम्बेडकर कल्याण ट्रस्ट की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, युनाइटेड इंडिया समय-समय पर समीक्षा के साथ आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने में उत्सुक रहा है। इसे देखते हुए, सभी स्तरों पर प्रशिक्षण नीचे बताए अनुसार विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रति वर्ष आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण गतिविधियों के बारे में चर्चा और निर्णय लेने के लिए 2 महाप्रबंधकों और 4 उप महाप्रबंधकों युक्त प्रशिक्षण सलाहकार समूह एक बैठक करता है।

Details of major activities undertaken during the year are listed below:

- E-mail infrastructure was upgraded
- Scanners were provided to all the offices
- New SOC (Security Operations Center) solution was deployed in the environment
- Encryption was implemented to safeguard data at rest. Network level encryption is already in place.
- CKYC implementation was done successfully as per regulatory requirements
- SIP based underwriting was deployed as per business requirements
- 3 tier reporting was deployed successfully as part of organizational restructuring activities
- Centralization of Underwriting and Claims was deployed on pilot basis
- Solution for rolling out health insurance hub was deployed
- Development for centralization of accounts was completed and tested
- Development for centralization of co-insurance activities was completed and tested
- 1/365 method of Premium calculation deployed for reporting purpose
- Data submissions to IRDAI made on regular basis
- In-house software for payment of retired employees' health insurance premium deployed
- Wage arrears solution was successfully deployed
- IT BCP plan is regularly tested to address eventualities. Automation implemented in respect of critical applications as part of BCP
- To ensure smooth operation lot of proactive measures were taken

The Company also won the award for "BEST DIGITAL TRANSFORMATION INITIATIVE" for the digitization of motor claim in the financial year 2022-2023.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AND PERSONNEL

Organisational Network

As on 31.03.2023 the Company has 1472 offices.

| | |
|--------------------|-------------|
| Head Office | 01 |
| Regional Offices | 30 |
| LCBs | 06 |
| Divisional Offices | 366 |
| Branch Offices | 558 |
| Micro Offices | 511 |
| TOTAL | 1472 |

Break up of Number of Employees

The Company has 10356 employees with the following class-wise breakup as on 31.03.2023:

| Class | No. of Employees |
|---|------------------|
| Class I | 6238 |
| Class II (Marketing & Administration) | 132 |
| Class III | 3236 |
| Class IV | 749 |
| PTE | 1 |
| TOTAL | 10356 |

WELFARE OF SC/ST/OBC/PWD/EX-SERVICEMEN

The Company complies with the guidelines of Government on extending reservation of posts, relaxations of age in recruitment and reservation of posts in promotion for SC/ST/OBC/PWD/Ex-Servicemen and EWS, wherever applicable. In all selection Committees on recruitment, the Company ensures representation of SC/ST/OBC members in each Committee. Similarly, in all Promotion Committees, member belonging to SC/ST is nominated. The outstation candidates belonging to SC/ST/OBC category who are called for interview are reimbursed travelling expenses.

In all the training programs conducted at HO, Learning Centre, Regional Training Centres as also at NIA, adequate participation of SC/ST/OBC employees was ensured.

In the Promotion Exercise 2022 conducted for promotion from Class III to Scale I, SC, ST & OBC & PwD employees eligible to participate in the promotion examination were given online Pre-Promotion training at various Regional Centres (100 SC/ST employees, 201 OBC employees and 19 PwD employees) and also within Class I officers (899 SC/ST, 595 OBCs and 76 PWDs) were imparted Pre-Promotion training.

Incentives and financial support are being extended from Dr. Ambedkar Welfare Trust to the SC/ST and OBC employees as per the prescribed schemes.

Adequate representation is also being given to employees belonging to SC/ST categories in the allotment of Staff Quarters as per reservation guidelines.

Training

Training being a continuous process, United India has been keen in formulating and implementing training programmes on need basis with periodical reviews. In view of this, Training at all levels is being conducted by

चेन्नई स्थित हमारा कॉर्पोरेट लर्निंग सेंटर (सीएलसी) 'नालंदा' और हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े तीस क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र वर्ष के आरंभ में अपने प्रशिक्षण कैलेंडर प्रकाशित और प्रसारित करते हैं और कंपनी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। प्रत्येक आरटीसी में आयोजित किए जाने वाले अनिवार्य कार्यक्रम हर साल कॉर्पोरेट विभाग द्वारा तय किए जाते हैं और वर्ष के आरंभ में ही प्रसारित किए जाते हैं।

हमारे अधिकारियों को पुणे स्थित राष्ट्रीय बीमा अकादमी, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों और एलआईसी के साथ मिल कर कंपनी द्वारा सह-प्रायोजित, विशेष बीमा विषयों पर बीमा प्रशिक्षण प्रदान करती है। बीमा संबंधी विषयों पर अनुसंधान सुविधाएं भी अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। डीएफएस की सलाह पर एनआईए द्वारा युनाइटेड इंडिया के लिए आर ए आई एस ई नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो विशेष

रूप से वरिष्ठ संवर्ग पर ध्यान केंद्रित था। तकनीकी कार्यक्रमों के लिए उचित प्रशिक्षण हेतु कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस, मुंबई और कोलकाता में नियमित रूप से नामांकन किए जाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली द्वारा आईए/पीओ के रूप में प्रतिनियुक्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से नामांकित 17 अधिकारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनु जा / जजा / अ पि व और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

अन्य बुलेटिनों के साथ सेवानिवृत्त स्केल V और उससे ऊपर के अधिकारियों के एक्जिट इंटरव्यू इंटरनेट में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं जो हमारे संचार चैनल को अत्यंत प्रभावी बनाते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान हमारे कर्मचारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

| प्रशिक्षण केंद्र का नाम | कार्यक्रमों की संख्या | प्रतिभागी |
|--|-----------------------|--|
| कॉर्पोरेट लर्निंग सेंटर, प्रधान कार्यालय | 22 | 2164 (अ पि व -703, अनु जा-453, जजा-161) |
| क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र | 329 | 4922 (अ पि व -1148, अनु जा-881, जजा-718, पीअच -12) |
| नैशनल इंश्योरेंस अकादमी | 94 | 625 (अ पि व -146, अनु जा-126, जजा-51, पीएच-1) |
| अन्य बाह्य संस्थाएं | 16 | 34 (अ पि व -9, अनु जा-2, जजा-1) |
| कुल | 461 | 7745 (अ पि व -2006, अनु जा-1462, जजा-931) |

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत खुलासा (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013)

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाई है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी और प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

31.03.2023 तक प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है:

| अवधि | पंजीकृत शिकायतों की सूची | निपटारे गये शिकायतों की संख्या | लंबित शिकायतों की संख्या |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 01.04.2022 TO 31.03.2023 | 4 | 4 | 0 |

परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस)

निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को कॉर्पोरेट उद्देश्यों से प्रवाहित होने वाले प्रमुख परिणाम क्षेत्रों (केआरए) का एक सेट तैयार करके कार्यान्वित किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी के लिए वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा प्रमुख प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) की सलाह दी गई थी जिसमें निम्न को सम्मिलित किये गये

1. दक्षता और युक्तिकरण

2. लाभ के साथ वृद्धि

3. हितधारकों की संतुष्टि

केपीआई की तर्ज पर कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्यालय से लेकर सूक्ष्म कार्यालयों तक सभी स्तरों पर इसे अपनाने के लिए प्रमुख परिणाम क्षेत्र तैयार किया है। कॉर्पोरेट पीएमएस टीम ने व्यावसायिक प्रदर्शन, वित्तीय प्रोफाइल, विभिन्न व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों और दावा केंद्रों के प्रदर्शन, दावों तथा शिकायतों के निपटान और निपटान अनुपात पर डेटा प्राप्त करने के लिए अनुकूलित टेम्पलेट डिजाइन तैयार किए हैं।

various training centres as mentioned below. Training Advisory Group of 2 General Managers and 4 Deputy General Managers meet during every year to discuss and decide about the training activities to be conducted.

Our Corporate Learning Centre (CLC) 'Nalanda' at Chennai and Thirty Regional Training Centres attached to our Regional Offices publish and circulate their Training Calendars in the beginning of the year and conduct trainings as per the requirement of the Training Needs of the Company. The mandatory programmes to be conducted in each RTC are decided by the corporate department every year and circulated in the beginning of the year itself.

National Insurance Academy at Pune, co-sponsored by the Company along with other public sector counterparts and LIC, imparts Insurance training on specialized insurance topics to our officers. The Academy also offers research

facilities on insurance related subjects. An exclusive programme called RAISE as advised by DFS was conducted by NIA for United India which was focusing especially on senior cadres. Appropriate training nominations for technical programmes are regularly done to College of Insurance, Mumbai and Kolkata. A specialized programme for 17 officers nominated from the Regional Offices to depute as IA/PO was conducted by National Productivity Council, New Delhi.

The representation of adequate participation by SC/ST/OBC and PwD employees is ensured in all Training Programmes.

Exit Interviews with retiring Scale V and above executives are published regularly in Intranet along with other bulletins which make our communication channel very effective.

Details of Training Programmes attended by our employees during the year 2022-23 are given below:

| Name of Training Centre | No. of Programmes | Participants |
|-------------------------------|-------------------|---|
| Corporate Learning Centre, HO | 22 | 2164 (OBC-703, SC-453, ST-161) |
| Regional Training Centres | 329 | 4922 (OBC-1148, SC-881, ST-718, PH-12) |
| National Insurance Academy | 94 | 625 (OBC-146, SC-126, ST-51, PH-1) |
| Other External Institutes | 16 | 34 (OBC-9, SC-2, ST-1) |
| Total | 461 | 7745 (OBC-2006, SC-1462, ST-931) |

DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT THE WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL ACT 2013)

The Company has in place an Anti-Sexual Harassment Policy as per the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.

In line with the provisions of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013, the Company has set up Internal Complaints Committee at RO/HO level to redress complaints received against sexual harassment. All employees (Permanent, Contractual, Temporary and Trainees) are covered under this policy.

The following is the summary of complaints received and disposed of as on 31.03.2023:

| Period | No. of Complaints Registered | No. of Complaints Disposed of | No. of Complaints Pending |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 01.04.2022 TO 31.03.2023 | 4 | 4 | 0 |

PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)

Performance Management System (PMS) is implemented by framing a set of Key Result Areas (KRA) that flow from corporate objectives. Major Key Performance Indicators (KPIs) were advised by the Department of Financial Services (Ministry of Finance) for the Company in FY 2022-23 which comprised of :

1. Efficiency and Rationalization
2. Profitable growth
3. Stakeholder Satisfaction

The Company framed the Key Result Areas for adoption at all levels from Corporate Office to the Micro Offices, on the lines of the KPIs. The corporate PMS team

कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों और लार्ज कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल (एलसीबी) के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित किए गए। वार्षिक केआरए लक्ष्य-निर्धारण बैठकें मई 2022 में ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की गईं। कॉर्पोरेट प्रबंधन और 30 क्षेत्रीय कार्यालयों और 6 एलसीबी के क्षेत्रीय/एलसीबी प्रमुखों ने अपनी टीमों के साथ पिछले वर्ष के प्रदर्शन और निर्धारित चालू वर्ष के लक्ष्य पर परस्पर बेहतर इनपुट के साथ बातचीत की। परिचालन कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा केआरए लक्ष्यों की उपलब्धि की सीमा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शन मूल्यांकन का हिस्सा बनी।

संपदा

विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों में कंपनी के पास 746 संपत्तियां (कार्यालय और आवासीय) हैं। कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्तियों के रखरखाव का प्रबंधन संपदा विभाग करता है जिसमें वैधानिक भुगतान, मरम्मत, नवीनीकरण, आवधिक मूल्यांकन शामिल हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित कार्य भी संपन्न कराया जाता है

- नियमानुसार कर्मचारियों को कंपनी स्वामित्व वाली आवासों का आवंटन
- कर्मचारियों के लिये कॉर्पोरेट/ आवासीय पट्टे की मंजूरी
- स्वामित्व विलेखों का उचित भंडारण सुनिश्चित करना
- कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्तियों के रखरखाव के लिए बजटीय आवंटन और नवीकरण/प्रमुख मरम्मत के प्रस्तावों की मंजूरी
- प्रदर्शन विश्लेषण, कर्मचारियों की संख्या, प्रचलित बाजार दर, नए परिसर की उपयुक्तता की तलाश के साथ-साथ विपणन विभाग के परामर्श से किराया न्यूनतम करने के लिए कार्यालयों के स्थानांतरण के आधार पर विभिन्न कार्यालयों के लिए नए/मौजूदा कार्यालय स्थानों को पट्टे पर देने की मंजूरी
- संपत्तियों का मुद्राकरण
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हितलाभ के निपटान के लिए संपत्ति की मंजूरी
- कंपनी में इंटीग्रेटी पैक्ट के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग और एक महत्वपूर्ण निवारक सतर्कता तंत्र के रूप में ₹ 1 करोड़ रुपये की सीमा मूल्य से ऊपर की गई सभी पारदर्शी सार्वजनिक खरीद के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामित स्वतंत्र बाह्य निगरानी के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना।

वर्ष की प्रमुख बातें

विभाग ने भारत सरकार के जीएलआईएस पोर्टल में GOI के स्वामित्व वाली भूमि और भवन का डेटा सफलतापूर्वक अपलोड किया, जिसमें कार्यालय स्थान और आवासीय घर दोनों शामिल हैं।

वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार, हमारी कंपनी में 16 से 31 जनवरी, 2023 तक “स्वच्छता पखवाड़ा 2023” का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य बिंदु कार्यालय परिसर की निरंतर सफाई को लागू करना, परिसर की स्वच्छता और सुविधा बनाए रखने के साथ दिव्यांग व्यक्तियों तक विशेष पहुंच, प्लास्टिक के एकल उपयोग पर रोक, अप्रयुक्त अभिलेखों और संपत्तियों का निस्तारण आदी था।

आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किए गए उपाय

आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग वर्तमान में नियमित लेन-देन लेखापरीक्षा के अलावा सिस्टम और प्रक्रियात्मक लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़ गया है। यह कार्य निष्पादन की स्वतंत्र समीक्षा करता है और कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रक्रियाओं और लेनदेन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है।

देश भर में लगभग 56 लेखापरीक्षकों की एक टीम के साथ, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों, एलसीबी, हब, मंडल कार्यालयों, शाखा कार्यालयों और सूक्ष्म कार्यालयों के साथ-साथ प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों कार्यालयों का 1686 अंकेक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। विभाग ने अपेक्षितानुसार 10 कार्यालयों का औचक निरीक्षण भी किया तथा प्रबंधन की आवश्यकताओं के अनुसार 5 विशेष ऑडिट भी आयोजित किए गए।

इस वर्ष के दौरान, टीपी विभाग के बकाया दावों पर एक विशेष विश्लेषण किया गया और अखिल भारतीय स्तर पर ₹ 54 करोड़ रुपये के डुप्लिकेट दावों की पहचान की गई। कुल ₹ 76 करोड़ रुपये की राशि के कई ओपी दावों की भी पहचान की गई और उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने के लिए डोमेन विभाग को सूचित किया गया।

आवधिक समीक्षा के भाग के रूप में, ऑडिट टीम के सदस्यों के बीच विभिन्न कार्यों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। उन्हें हालिया परिपत्रों/विकास/आईआरडीए नियमों से अवगत कराया गया। ये इंटरैक्टिव सत्र उन्हें विचलन/धोखाधड़ी की पहचान करने/चेतावनी देने में मदद करते हैं और सुधार के लिए सुझाव देने में भी मदद करते हैं।

designed customized templates for capturing the data on business performance, financial profile, performance of various Business Verticals and Claims Hubs, claims and grievances disposal and settlement ratios.

Targets were set by the Corporate Office in consultation with the Regional Offices and Large Corporate and Broker Cells(LCBs). The Annual KRA Target-setting meetings were conducted offline in May 2022. Corporate Management and the Regional/LCB chiefs of 30 Regional Offices and 6 LCBs along with their teams, interacted with a good exchange of inputs on the past year's performance and target set for the current year. The extent of achievement of KRA targets by heads of Operating Offices formed part of the performance evaluation during the Annual Performance Appraisal process.

ESTATES

The Company owns 746 properties (Office and Residential) in major cities of various states. The Estates Department manages the maintenance of company owned properties which includes statutory payments, repairs, renovations, periodical valuations. In addition, the following are handled

- Allotment of Company Owned residential accommodation to employees as per norms
- Approvals of Corporate/Residential lease for employees
- Ensuring proper storage of title deeds
- Budgetary allocation for maintenance of Company owned properties and approval of proposals for renovation/major repairs
- Approval for leasing of new/existing office spaces for various offices based on performance analysis, staff strength, prevailing market rate, suitability scouting of new premises as also relocating of offices for rent minimization in consultation with Marketing Department
- Asset Monetization
- Estate clearance to retiring employees for settlement of benefits
- Nodal Department for implementation of Integrity Pact in the Company and conduct of Quarterly Review meetings with Independent External Monitors nominated by Central Vigilance Commission for all Procurement done above the threshold value of ₹ 1 crore as an important preventive vigilance mechanism and to ensure fair and transparent public procurement

Highlights of the year

The department successfully uploaded data of Land and Building, both including the office spaces and residential houses, owned by the UIIC in GLIS Portal of GOI.

As per directive of Department of Financial Services, "SWACHHATA PAKHWADA 2023" was organized in our Company from 16th to 31st January, 2023. The main focus of the program was to implement continuous cleaning of office premises, maintain hygiene and sanitization of premises, providing special access to differently abled persons, curbing single use of plastics, disposal of unused records and assets etc.

MEASURES TAKEN TO ENHANCE CREDIBILITY OF INTERNAL CONTROLS AND FINANCIAL REPORTING

INTERNAL AUDIT

Internal Audit Department has currently progressed to a proactive role with focus on system and procedural audits in addition to routine transactional audits. It does an independent review of the performance and evaluates effectiveness of the processes and transactions in achieving the objectives of the Company.

With a team of around 56 auditors across the country, the Internal Audit department has successfully completed the 1686 audits of offices including Regional Offices, LCBs, Hubs, Divisional Offices, Branch Offices & Micro Offices as well as various departments at Head Office. The department also conducted surprise inspection of 10 offices. 5 special audits were conducted as per the requirements.

During this year, a special analysis was made on outstanding claims of TP Department and identified duplicate claims to the tune of ₹ 54 crores on all India basis. Multiple OP claims for a total amount of ₹ 76 crores also were identified and the same were communicated to Domain Department for taking corrective steps.

As part of the periodical review, a Video Conference amongst the Audit Team Members was conducted to discuss the various functions and challenges faced by them. They were appraised of the recent circulars/developments/IRDA regulations. These interactive sessions help them in identifying/alerting of deviations/frauds and also helps in bringing in suggestions for improvements.

वित्तीय वर्ष के दौरान, समय पर सेवानिवृत्ति लाभ बकाया की निकासी के लिए मानव संसाधन और विपणन विभाग को 100% ऑडिट क्लियरेंस दिया गया। क्षेत्रीय प्रबंधनों को उनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण टिप्पणियों/विचलनों से अवगत कराया गया। क्षेत्रीय प्रबंधन के साथ नियमित निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान व्यक्तिगत/निरीक्षण और कमीशन वसूली के लिए ₹ 2.89 करोड़ रुपये की 2783 वसूली की गई। उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगिता बढ़ाने के लिए आई ए आर सॉफ्टवेयर में निरंतर सुधार किए जाते हैं।

अंकेक्षण अनुपालन

अंकेक्षण अनुपालन विभाग कंपनी के सीएजी लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करता है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में नामित क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी आंतरिक लेखापरीक्षा कक्षाओं के साथ समन्वय करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संचालन कार्यालयों द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट का समय पर जवाब दिया जाए, जिससे ऑडिट के प्रश्नों का तेजी से अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इन पहचाने गए क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारियों को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रश्नों की समीक्षा और निपटान के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अनुपालन समिति की बैठकें आयोजित करने का काम भी सौंपा गया है। वे सीएजी प्रश्नों का समय पर उत्तर देने के लिए समन्वयक के रूप में भी कार्य करते हैं।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अनुपालन समितियों को सभी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रश्नों की समीक्षा और निपटान करने का अधिकार है, जिसमें लेखापरीक्षा, निरीक्षण प्रश्न और व्यक्तिगत वसूली शामिल हैं और उनके अधीन परिचालन कार्यालयों के स्तर तक सभी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रश्नों का निपटान करना शामिल है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग ने लंबित व्यक्तिगत वसूलियों का 85%, एजेंसी कमीशन संबंधी प्रश्नों का 51% तथा निरीक्षण संबंधी प्रश्नों का 31% निपटारा करके पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति को प्राप्त किया है। यह क्षेत्रीय कार्यालय /एलसीबी की निरंतर निगरानी, क्षेत्रीय कार्यालय को मार्गदर्शन करने के लिए कई वीसी आदि के कारण संभव हो सका। निपटान में और सुधार लाने के लिए, तीन प्रकार के प्रश्नों के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उनकी बारीकी से निगरानी की जाती है।

सीएजी टीम के साथ विभिन्न बैठकों के माध्यम से, प्रधान कार्यालय ऑडिट अनुपालन विभाग 27 प्रश्नों को हल करने में सक्षम रहा और केवल 1 एटीएन लंबित था, जिसके उत्तर 2022-23 में पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके थे।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के समन्वय में, एक अध्ययन आयोजित किया गया था जो विशेष रूप से बार-बार होने वाले प्रश्नों के मूल कारण का विश्लेषण किया गया और सिस्टम में सुधार/जांच और संतुलन करके खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए।

मंत्रालय द्वारा की गई जांच टिप्पणियों का जवाब देने में भी विभाग समन्वय करता है। सीएजी प्रश्नों के लिए विभाग द्वारा बनाई गई डिजिटल रिपोर्टिंग, क्षेत्रीय प्रमुखों और क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अनुपालन अधिकारियों के लिए सुलभ है, जिसमें प्रश्नों और उत्तरों की अद्यतन स्थिति प्राप्त करने के लिए सीएजी रिपोर्ट और उत्तर अपलोड किए जाते हैं।

सतर्कता प्रशासन

कंपनी के पास एक सतर्कता विभाग है, जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करता है, जिसे वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। विभाग में संगठन के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक मुख्य प्रबंधक, दो प्रबंधक, डेस्क अधिकारियों की टीम और 30 क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी (आरवीओ) हैं। प्रधान कार्यालय के डेस्क अधिकारी आरवीओ के साथ परस्पर वार्तालाप करते हैं और उन्हें दिन-प्रतिदिन के कामकाज में मार्गदर्शन करते हैं।

विभाग का ध्यान दंडात्मक सतर्कता के बजाय "निवारक सतर्कता" पर अधिक होता है। सभी क्षेत्रों में तैनात सतर्कता अधिकारी नियमित रूप से परिचालन इकाइयों का औचक निरीक्षण करते हैं और एचओ विजिलेंस को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय की टीम निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का भी दौरा करती हैं। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा प्रबंधन को विभिन्न सुझाव/प्रणालीगत सुधार दिये जाते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा हासिल किए गए कुछ विशिष्ट कार्य यहां सूचीबद्ध हैं:

- नवंबर 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा एमएवीयू (सतर्कता इकाई का प्रबंधन लेखा परीक्षा) का सफलतापूर्वक निष्पादन तथा उसके पश्चात केंद्रीय सतर्कता आयोग की संतुष्टि के साथ एग्जिट इंटरव्यू
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसमें कई प्रतिस्पर्धी गतिविधियों का आयोजन किया गया और पुरस्कार वितरण आयोजित किया गया। साथ ही पीआईडीपीआई (जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा) शिकायतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए
- विभिन्न गतिविधियों के बीच एक निवारक सतर्कता उपाय के रूप में, प्रधान कार्यालय की टीम ने 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और आरवीओ ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान 450 से अधिक परिचालन कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और उसके बाद कई प्रणालीगत सुधार लागू किए।
- सतर्कता विभाग के लिए अनुपालन पोर्टल और अन्य सॉफ्टवेयर पैकेजों के कार्यान्वयन के साथ विभाग स्वचालन की शुरुआत की गई
- सतर्कता विभाग ने सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में वित्त वर्ष 2023 के दौरान 122 शिकायतों का निपटारा किया।
- वित्त वर्ष 2023 के लिए पदोन्नति, पासपोर्ट आवेदन, वीजा आवेदन, विदेशी दौरे, सेवानिवृत्ति, वीआरएस, डिजिटल हस्ताक्षर आदि जैसे विभिन्न कारणों से मांगे गए कर्मचारियों को 5500 से अधिक सतर्कता मंजूरी प्रदान की गई।
- वित्त वर्ष 2023 में 50 से अधिक आरडीए (नियमित विभागीय कार्यवाही) कार्यवाही संपन्न कराये गये

During the financial year, 100% audit clearance was given to HRM and Marketing Department for the clearance of terminal dues, well in time. The Regional Managements were appraised of the significant observations/deviations in their Region. As a result of regular monitoring and follow-up with the Regional Management, 2783 recoveries were made to the tune of ₹ 2.89 crores towards personal/ inspection & commission recoveries during the year. Continuous improvements are undertaken in IAI software to enhance utility to the users.

AUDIT COMPLIANCE

The Audit Compliance Department ensures the timely compliance of queries raised by CAG Auditors & Internal Auditors of the Company. Regional Compliance Officers identified in each of the ROs coordinate with the Internal Audit Cells to make sure that Audit Reports are responded to in time by the Operating Offices thereby ensuring faster compliance of audit queries. These identified Regional Compliance Officers are also entrusted with the job of convening Regional Audit Compliance Committee meetings to review and settle Internal Audit queries. They further act as coordinators for timely reply to CAG queries.

Regional Audit Compliance Committees are empowered to review and settle all internal audit queries, which comprises of Audit, Inspection queries and Personal Recoveries and settle all internal audit queries up to the level of Operating Offices under them. In this financial year the department could achieve a better position compared to previous year by disposing 85% of pending personal recoveries, 51% of agency commission queries and 31% of Inspection queries. This was made possible due to constant monitoring of ROs/LCBs, holding of several VCs to guide ROs etc. In order to bring further improvement in disposal, specific targets are fixed for three types of queries and the same are closely monitored.

Through various sittings with CAG Team, HO Audit Compliance Department was able to get 27 queries dropped and only 1 ATN pending for which replies already submitted in 2022-23.

In coordination with Internal Audit Department, a study was conducted which went into the root cause of the queries especially frequently occurring ones & steps were taken to plug the loopholes by undertaking system improvements/checks & balances.

Department also coordinates in replying for the vetting remarks raised by the Ministry. The digital repository created by the department for CAG queries is accessible to Regional Heads & Regional Audit Compliance Officers, wherein the CAG reports and replies are uploaded to get an updated status of queries and replies.

VIGILANCE ADMINISTRATION

The Company has a Vigilance Department which is headed by Chief Vigilance Officer who is appointed by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. The Department has a Chief Manager, two Managers, team of Desk Officers and 30 Regional Vigilance Officers(RVOs) one for each Regional Office of the organisation. Desk Officers of HO Vigilance closely interact with RVOs and guide them in day to day functioning.

The focus of the Department is more on “Preventive Vigilance” rather than on punitive vigilance. Vigilance Officers posted in all the regions conduct surprise inspection of Operating Units regularly and submit reports to HO Vigilance. In addition, Head Office teams also visit the Regional Offices for inspection. Based on the inspection reports, various suggestions/systemic improvements are given to the management by Vigilance Department.

Some of the milestones achieved by vigilance department during FY 2022-23 are listed here:

- Successful completion of MAVU (Management Audit of Vigilance Unit) by CVC (Central Vigilance Commission) in November 2022 followed by exit interview with satisfaction of the CVC (Central Vigilance Commission)
- VAW 2022 (Vigilance Awareness Week) was conducted successfully in which multiple competitive activities were organised and thereafter prize distribution was held. Also steps were taken to increase awareness of PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers) complaints
- As a Preventive Vigilance measure among various activities, HO team had conducted surprise inspection of 5 ROs and RVOs have conducted surprise inspection of more than 450 operating offices during FY 2023 and implemented many systemic improvements thereafter
- Initiated department automation with implementation of Compliant portal and other software packages for vigilance department
- Vigilance Department has handled 122 complaints during FY 2023 in compliance with CVC guidelines
- Provided more than 5500 vigilance clearance to employees sought for various reasons like Promotion, Passport application, Visa application, Foreign Tour, retirements, VRS, Digital Signature etc. for FY 2023

- वित्त वर्ष 2023 के लिए सहमत सूची, ओडीआई (संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारी) और संवेदनशील पदों के रोटेशन की समीक्षा और अद्यतन की गई
- वित्त वर्ष 2023 के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में प्रति तिमाही कम से कम एक पीवीसी (निवारक सतर्कता समिति) की सलाह दी गई
- सीवीसी की विस्तारित शाखा के रूप में विभिन्न सतर्कता गतिविधियाँ निष्पादित कीं। एनआईए, सीबीआई, एसआईएफओ आदि एसएफआईओ एजेंसियों के साथ संपर्क किया गया।
- कॉर्पोरेट लर्निंग सेंटर, प्रधान कार्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं में सत्र की व्यवस्था के साथ कर्मचारियों को सतर्कता के बारे में प्रशिक्षित किया गया।
- नए शामिल हुए सतर्कता अधिकारियों को एनआईए पुणे में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पास एक व्यापक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढांचा मौजूद है। कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड उप-समिति है, जिसका नाम जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) और एक आंतरिक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति (एफआरएमसी) है। प्रमुख जोखिम अधिकारी धोखाधड़ी जोखिम निगरानी का कार्य परिचालित करता है और नियमित अंतराल पर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के साथ-साथ बोर्ड को रिपोर्ट करता है। क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन के लिए ईआरएम विभाग के साथ समन्वय हेतु नामित नोडल अधिकारी उपलब्ध हैं।

पिछले वर्ष में, कंपनी ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रयासों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है और पिछले धोखाधड़ी की घटनाओं के अनुभव के साथ विशेष रूप से आईटी/लेखा प्रणालियों में प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को मजबूत करने में स्पष्ट प्रगति की है। तेजी से कार्रवाई करने और रिपोर्टिंग टीएटी को कम करने के लिए क्षेत्रीय और प्रधान कार्यालय स्तर पर नोडल अधिकारियों को तत्काल रिपोर्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे प्रभाव कम हो सके।

कंपनी की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों, एलसीबी और प्रधान कार्यालय के विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें बुलाई गईं। की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ धोखाधड़ी के मामलों का विवरण आरएमसी और बोर्ड के समक्ष रखा गया। प्रक्रिया में सुधार के लिए स्वास्थ्य और मोटर जैसे प्रमुख कार्यात्मक विभागों के लिए धोखाधड़ी शमन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का संचालन किया गया। बीमा धोखाधड़ी निगरानी ढांचे पर नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार एफएमआर 1 और एफएमआर 2 फॉर्म में वार्षिक धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट को आईआरडीआई के साथ साझा की गई थी, और आरएमसी और बोर्ड के समक्ष भी रखी गई थी। धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति की सभी हितधारकों की जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट की गई है।

कंपनी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा और पुनः डिजाइन के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी है।

व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

कंपनी के पास आईआरडीआईआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी है जो किसी कर्मचारी या निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी अनियमितता, गलत काम या धोखाधड़ी के बारे में चिंता व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को सभी हितधारकों की जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। व्हिसल ब्लोअर ढांचे की समीक्षा और पुनः डिजाइन के लिए कंपनी एक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग

आईआरडीआई ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर-फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (ए एम एल/सी एफ टी) के कार्यान्वयन के लिए बीमाकर्ताओं को दिशानिर्देश जारी किए। कंपनी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 और पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम 2005 के अनुपालन में अग्रणी रही है।

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वित्तीय सेवाओं के उपयोग के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों के माध्यम से सभी ग्राहकों की वास्तविक पहचान निर्धारित करना आवश्यक है। तदनुसार, हमारी कंपनी ने निपटान चरण में अनिवार्य सीकेवाईसी लागू की, जहां प्रत्येक दावा भुगतान/प्रीमियम रिफंड एक लाख रुपये की सीमा को पार कर गया।

आईआरडीआई ने 01.08.2022 को एएमएल-सीएफटी-2022 पर मास्टर दिशानिर्देश जारी किए (एएमएल/सीएफटी पर पहले के परिपत्रों और दिशानिर्देशों का स्थान लेते हुए) जो इस विषय पर एक व्यापक दिशानिर्देश था और इसे 01.01.2023 को लागू किया गया। अब संबंध शुरू होने के चरण में ही प्रत्येक ग्राहक के लिए केवाईसी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा अनुबंध गुमनाम या काल्पनिक नामों के तहत नहीं हैं, दस्तावेजों, डेटा या जानकारी के विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग करके बीमाकर्ता ग्राहक की पहचान (ग्राहक पहचान प्रक्रिया - सीआईपी) को सत्यापित करेगा। एएमएल/सीएफटी 2022 के लिए आईआरडीआईआई मास्टर दिशानिर्देशों के आधार पर, कंपनी की बोर्ड ने 28.11.2022 को युनाइटेड इंडिया इश्यून्स कंपनी लिमिटेड एएमएल/सीएफटी पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी। कंपनी ने ग्राहकों को कोई भी नई/नवीनीकरण नीति जारी करने से पहले सभी पोर्टलों पर ग्राहकों की पहचान और पते के विवरण को सत्यापित करने के लिए वास्तविक समय ई-केवाईसी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है।

एएमएल दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रधान अनुपालन अधिकारी और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में नामित एक अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएमएल कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम के तहत कंपनी के एजेंटों द्वारा उनके दायित्वों के अनुपालन की निगरानी भी शामिल है।

- Concluded more than 50 RDA (Regular Departmental Action) proceedings in FY 2023
- Review and update of Agreed list, ODI (Officers of Doubtful Integrity) and rotation of sensitive posts for FY 2023
- Advised at least one PVC (Preventive Vigilance Committee) per Quarter in each Regional Office during FY 2023
- Performed various vigilance activities as an extended arm of CVC. Liaised with agencies like NIA, CBI, SFIO, etc.
- Employees were upskilled on vigilance by taking sessions in trainings and workshops that were organised by Corporate Learning Centre, Head Office
- Organised training program on induction of newly joined vigilance officers at NIA Pune

FRAUD RISK MANAGEMENT

The Company has a comprehensive Fraud Risk Management framework in place. The Company has a Board Sub-Committee on Risk Management, named as Risk Management Committee (RMC) and an internal Fraud Risk Management Committee (FRMC). The Chief Risk Officer drives the Fraud Risk Monitoring function and reports at regular intervals to the Risk Management Committee (RMC) as well as the Board. Nodal Officer at Regional Office and Head Office is the designated person to coordinate with ERM department for implementation of Fraud Risk Management policy.

In the past year, the Company has strived to prioritize fraud risk management efforts and made visible progress in strengthening processes and controls especially in IT/Accounting systems with the learnings of the past frauds. Focus has been on immediate reporting to the Nodal officers at Regional and Head Office level to take swift action and bring down the reporting TAT thereby reducing the impact.

In accordance with the Fraud Risk Management Policy of the Company, Fraud Risk Management Committee meetings were convened during the year to review cases of fraud reported by Regional offices, LCBs and HO departments. The details of the fraud cases along with action taken reports were placed before the RMC and Board. Standard Operating Procedure (SOP) for Fraud Mitigation for key functional departments such as Health and Motor were operationalized to improve the process.

The Annual Fraud Monitoring Report in forms FMR 1 and FMR 2 were filed with IRDAI as per Regulatory guidelines on Insurance Fraud Monitoring Framework, and also placed before the RMC and Board. The Fraud Risk Management Policy is posted in the Company's website for information to all stakeholders.

The Company is in process of appointing a consultant for review and redesign of fraud risk management framework.

WHISTLE BLOWER POLICY

The Company has a Whistle Blower Policy as stipulated by IRDAI Corporate Governance Guidelines which enables an employee or a Director or any other person to raise concerns about any irregularities, wrongdoing or frauds. The Whistle Blower Policy is posted in the Company's website for information to all stakeholders.

The Company is in process of appointing a consultant for review and redesign of Whistle Blower framework.

ANTI MONEY LAUNDERING

IRDAI had issued guidelines to insurers for implementation of Anti Money Laundering/Counter-Financing of Terrorism (AML/CFT). The Company has been a pioneer in complying with the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 & PML (Maintenance of Records) Rules 2005.

Keeping in view the potential threat of the usage of Financial services for Money Laundering, it is essential to determine the true identity of all customers through Know your Customer (KYC) norms. Accordingly our Company implemented mandatory CKYC at settlement stage where each claim payout/premium refund crossed the threshold of Rupees One Lac.

IRDA issued Master Guidelines on AML-CFT- 2022 on 01.08.2022 (superceding earlier circulars & guidelines on AML/CFT) which was a comprehensive guideline on the subject & it was implemented on 01.01.2023. KYC is now required of each customer at the relationship commencement stage itself. The Insurer will verify the customer's identity (Customer Identification Procedure – CIP) by using reliable & authentic sources of documents, data or information to ensure that the insurance contracts are not under anonymous or fictitious names. Based on the IRDAI Master Guidelines for AML/CFT 2022, Board of the Company approved United India Insurance Company Limited AML/CFT Policy 2022 on 28.11.2022. The Company has successfully implemented real time e-KYC procedures to verify identity & address details of customers across all portals before issuing any new/renewal policy to customers.

The compliance of AML guidelines is monitored by the Principal Compliance Officer at Corporate Office and an Officer nominated at each Regional Office, who ensures that the Board approved AML programme is being implemented effectively including monitoring compliance by the Company's agents of their obligations under the programme.

कार्यान्वयन से पहले, प्रधान कार्यालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी क्षेत्रीय प्रमुखों/आरएम/एएमएल नोडल अधिकारियों को भारत सरकार के नियमों और आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार केवाईसी के महत्व पर जागरूक करने के लिए संबोधित किया। हमारे सॉफ्टवेयर में ईकेवाईसी लागू करने से पहले देशभर के सभी परिचालन कार्यालयों के कर्मचारियों के कई बैचों को वीसी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। हमारे पास सभी अधिकारियों के सामने आने वाले किसी भी प्रश्न/मुद्दे को हल करने के लिए एएमएल और आईटी विभाग प्रधान कार्यालय के अधिकारियों द्वारा संचालित मेल आईडी ckychhelpdesk@uic.co.in के साथ एक समर्पित हेल्प डेस्क भी है, जो सुचारू और कुशल तरीके से काम कर रहा है।

कार्यक्रम के बारे में कर्मचारियों, एजेंटों, टीपीए आदि के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए चेन्नई के कॉर्पोरेट प्रशिक्षण केंद्र, नालंदा से संचालित सभी कार्यक्रमों में एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों (आईआरडीए 2022 के नवीनतम मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार) पर एक सत्र शामिल किया गया है। त्वरित संदर्भ के लिए और सभी संबंधितों को संवेदनशील बनाने के लिए, कंपनी की एएमएल नीति/परिपत्र इंटरनेट और कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं।

वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान, 73012 मामलों के लिए डेटा का सीकेवाईसी अपलोड (दावों के भुगतान और एक लाख रुपये से अधिक के रिफंड के लिए डीएमएस के माध्यम से) किया गया था और सभी तरीकों (सीकेवाईसी खोज और डाउनलोड, डिजिटलाइजेशन, ओवीडी- अन्य वैध दस्तावेज आदि) के माध्यम से पॉलिसी तैयारी के लिए केवाईसी किया गया था। जनवरी से मार्च 2023 तक के महीनों के लिए 533017 मामलों पर सफलतापूर्वक कार्रवाई की गई।

पर्यावरण राहत निधि

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 नवंबर 2008 के माध्यम से कंपनी को पांच साल की अवधि के लिए "पर्यावरण राहत कोष" (ईआरएफ) के लिए फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया और नवीनतम अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 34 (ई) दिनांक 15 जनवरी 2020, के द्वारा कंपनी को फंड मैनेजर के रूप में 15 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई। फंड मैनेजर के रूप में कंपनी को सभी सामान्य बीमा कंपनियों से योगदान प्राप्त करने और यथानिर्धारित योजना में निधि के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश रखने के लिए अधिकृत किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, सामान्य बीमाकर्ताओं से योगदान और राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत पर्यावरण को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में ₹ 9.23 करोड़ की राशि प्राप्त हुई और इसे निधि में जमा कर दिया गया। 31.03.2023 तक ईआरएफ की सावधि जमा में पड़ी कुल राशि ₹ 1060.95 करोड़ है।

नये उत्पाद

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी द्वारा 14 मुख्य उत्पाद/एड-ऑन पेश/संशोधित किए गए और 3 सह-ब्रांडेड स्वास्थ्य उत्पाद वापस ले लिए गए। कुल मिलाकर, 18 मुख्य उत्पादों/एड-ऑन को हमारी उत्पाद प्रबंधन समिति (पीएमसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

शानदार समीक्षाओं के साथ युनाइटेड वैल्यू उद्यम सुरक्षा (यूवीयूएस) का बाजार में स्वागत किया गया। इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी और फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी (रीटेल और वाणिज्यिक) की शब्दावली को संशोधित किया गया।

हमारे दावों के अनुभव को देखते हुए युनाइटेड भारत लघु उद्यम सुरक्षा (यूबीएलयूएस) और यूनाइटेड भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा (यूबीएसयूएस) के लिए प्रीमियम दरों को संशोधित किया गया। अग्नि पॉलिसियों के लिए कुछ नए एड-ऑन को भी मंजूरी दी गई और वे कार्यान्वयन चरण में हैं।

मोटर में, इंजन और गियर बॉक्स सुरक्षा प्लेटिनम एड-ऑन कवर की शब्दावली को संशोधित किया गया। नए एड-ऑन अर्थात् आरटीआर (रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन) और नो क्लेम बोनस (एनसीबी) प्रोटेक्ट को मंजूरी दी गई।

देयता एलओबी में, इंजीनियरों और वास्तुकारों के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसियों के लिए पॉलिसी शब्दों को संशोधित किया गया। एक नया उत्पाद - मध्यस्थों के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति नीति अनुमोदित की गई और जीसी में कार्यान्वयन है।

व्यवसाय के स्वास्थ्य क्षेत्र में, तीन सह-ब्रांडेड स्वास्थ्य पॉलिसियाँ, अर्थात् इंडियन बैंक आरोग्य रक्षा, यूनियन बैंक आरोग्य दान और बैंक ऑफ महाराष्ट्र - महा बैंक स्वास्थ्य योजना को उनके प्रतिकूल दावों के अनुभव को देखते हुए वापस ले लिया गया।

विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों और मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए एक नया मानक स्वास्थ्य उत्पाद, समग्र सुरक्षा बीमा योजना आरंभ की गई।

2 स्वास्थ्य उत्पादों, यानी इंडिविजुअल हेल्थ इश्यूरेंस पॉलिसी और फैमिली मैडिकेयर पॉलिसी के मूल्य निर्धारण में संशोधन को पीएमसी द्वारा अनुमोदित किया गया। मौजूदा बाजार रुझानों के आधार पर, टियर-2/टियर-3 शहरों को लक्ष्य करते हुए 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए एक नई स्वास्थ्य पॉलिसी का विचार रखा गया। उत्पाद विकास के अंतिम चरण में है।

आगे की राह - आगामी वर्ष में, बीमा पैठ में सहायता के लिए कम कीमत वाले सरल बीमा उत्पाद (एसआईपी) और एंबेडेड उत्पादों का विकास पाइपलाइन में है। साइबर और ड्रोन खंड के लिए विशिष्ट उत्पाद भी लिए जा रहे हैं।

दावा प्रबंधन

हम कार्य कर रहे आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में, दावा प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बेहतर और परेशानी मुक्त ग्राहक सेवा पर विशेष जोर दिया गया है। कंपनी ने ओडी सर्विस हब और टीपी हब के माध्यम से तेजी से दावा निपटान पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल दावा निपटान अनुपात मुकदमा वाले दावों और गैर-मुकदमा दावों के लिए क्रमशः 32.54% और 89.93% है।

Prior to implementation, Head Office has through Video Conferencing mode addressed all the Regional Heads/RMs/AML Nodal Officers to sensitize them on the importance of KYC as per Government of India Regulations & IRDAI stipulated norms. Several batches of employees of all operating offices across the country were given training through VCs before implementing EKYC in our software. We also have a dedicated help desk with mail ID ckychelpdesk@uiic.co.in manned by officials of AML and IT Departments HO, to resolve any queries/issues faced by all officers which is functioning in a smooth and efficient manner.

A session on AML/CFT guidelines (as per the latest Master Guidelines of IRDA 2022) is included in all programs conducted at NALANDA the Corporate Training Centre at Chennai to create awareness among the employees, Agents, TPAs, etc about the programme. For the sake of ready reference and to sensitize all concerned, Company's AML policy/circulars have been posted in intranet and on Company's website.

During the period 2022-23, CKYC upload of data (through DMS for payment of claims and refund more than ₹ 1 lac) was done for 73012 cases and KYC for policy generation through all modes (CKYC search and download, Digilocker, OVD - other valid documents etc) for the months from January to March 2023 was successfully processed for 533017 cases.

ENVIRONMENT RELIEF FUND

The Company was appointed as Fund Manager for "Environment Relief Fund" (ERF) vide Ministry of Environment and Forests Gazette Notification dated 4th November 2008 for a period of five years and vide latest notification no. G.S.R 34 (E) dated 15th January 2020, the Company's position as Fund Manager was extended up to 15th August 2024. The Company as Fund Manager has been authorized to receive contribution from all General Insurance Companies and keep invested the same in Fixed Deposits as prescribed in the Scheme in separate bank accounts in the name of the Fund. During the year 2022-23, an amount of ₹9.23 crores was received towards contribution from General Insurers and as compensation for environment damages caused under sub-section (1) of Section 22 of the National Environment Tribunal Act, 1995 and the same has been credited to the Fund. The total amount lying in Fixed Deposits of the ERF as on 31.03.2023 is ₹1060.95 crores.

NEW PRODUCTS

During the Financial year 2022-23, 14 main products/add-ons were introduced/revised by the Company and 3 Co-branded Health products were withdrawn. In all, 18

main products/add-ons were approved by our Product Management Committee (PMC).

United Value Udyam Suraksha (UVUS) was welcomed in the market with rave reviews. Wordings of Industrial All Risk Policy & Fire Loss of Profit Policy (Retail and Commercial) were revised.

Premium rates for United Bharat Laghu Udyam Suraksha (UBLUS) and United Bharat Sookshma Udyam Suraksha (UBSUS) were revised considering our claims experience. Few new add-ons for Fire policies were also approved and are in implementation stage.

In Motor, wordings of Engine and Gear Box Protection Platinum Add-on Cover were modified. New add-ons namely, RTR (Road Tax & Registration) and No Claim Bonus(NCB) Protect were approved.

In Liability LOB, policy wording for Professional Indemnity policies for Engineers & Architects was revised. A new product - Professional Indemnity policy for Intermediaries was approved and is under implementation in GC.

In Health line of business, Three Co-Branded Health Policies viz, Indian Bank Arogya Raksha, Union Bank Arogya Daan and Bank of Maharashtra – Maha Bank Swasthya Yojana were withdrawn in view of their adverse claims experience.

A new standard Health product, Samaveshi Suraksha Bima Yojna,- for Persons with Disabilities (PwD), Persons suffering from HIV/AIDS and those with Mental Illness was introduced.

Revision of pricing for 2 Health products i.e, Individual Health Insurance Policy and Family Medicare Policy stands approved by PMC. Based on the current market trends, an idea for a new Health policy for the age band upto 45 years was mooted, targeting Tier-2/Tier-3 cities. The product is under final stages of development.

Road Ahead - In the ensuing year, development of low priced Simple Insurance Products (SIPs) & Embedded products are in pipeline to aid insurance penetration. Niche products for Cyber & drone segments are also being taken up.

CLAIMS MANAGEMENT

Claims management assumes utmost importance in today's competitive environment in which we operate. Special emphasis was laid on improved and hassle free customer service. The Company focused on faster claim settlement through OD Service Hubs and TP Hubs. The overall claims settlement ratio for FY 2022-23 stands at 32.54% and 89.93% for suit claims and non-suit claims respectively.

अग्नि अभियांत्रिकी

युआईआईसी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए फायर लाइन ऑफ बिजनेस में ₹ 1881.84.84 करोड़ रुपये का प्रीमियम हासिल किया है, जबकि पिछले वर्ष में यह प्रीमियम ₹ 1838.38 करोड़ रुपये का प्रीमियम था, जिसमें ₹ 309.06 करोड़ रुपये की वृद्धि और 2.12% की वृद्धि दर दर्ज की गई। हालांकि वृद्धि मध्यम रही है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फायर लाइन ऑफ बिजनेस के तहत उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) 45.54 % है जो इंगित करता है कि पोर्टफोलियो अनुकूल रहा है।

युआईआईसी ने इंजीनियरिंग लाइन ऑफ बिजनेस (एलओबी) में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 460.64 करोड़ रुपये का प्रीमियम हासिल किया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹ 400.51 करोड़ रुपये का प्रीमियम था। प्रीमियम की अभिवृद्धि ₹ 60.14 करोड़ रुपये रही और पिछले वित्त वर्ष में दर्ज 3.46% की वृद्धि के मुकाबले 15.02 % की वृद्धि हुई। इंजीनियरिंग एलओबी में प्रीमियम वृद्धि के मामले में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है जो आने वाले वर्षों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इंजीनियरिंग एलओबी में आईसीआर 27.31% है। इस एलओबी में कम आईसीआर इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि इंजीनियरिंग एलओबी कंपनी के सबसे अनुकूल एलओबी में से एक है।

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के क्लेम सर्विसिंग वर्टिकल के पास देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक कुशल केंद्रीकृत संरचना है, जिसमें मोटर ओडी और टीपी क्लेम हब, नॉन मोटर क्लेम हब और हेल्थ क्लेम सर्विसिंग हब शामिल हैं।

दावे के पी आई पहल के रूप में दावा दक्षता में सुधार के लिए दावा निगरानी कक्ष की स्थापना हाल ही में लागू की गई। फरवरी 2022 में नई दिल्ली में स्थापित दावा स्वचालन और निगरानी सेल (सीएएमसी) की शुरुआत के साथ, हम हर कार्यालय के दावा निपटान अनुपात में काफी वृद्धि करने में सक्षम हुए हैं और दावों के निपटान के लिए टर्न-अराउंड-टाइम (टीएटी) में सुधार हुआ है।



सीएएमसी टीम अग्नि, इंजीनियरिंग, समुद्री और विविध के संबंध में दावा का निपटान और दावा निपटान अनुपात के लिए टीएटी में सुधार लाने के उद्देश्य से वास्तविक समय के आधार पर दावे की निगरानी करती है।

सर्वेक्षणकर्ताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 में 126496 गैर मोटर गैर स्वास्थ्य दावों का निपटान सुनिश्चित किया गया, जिसका निपटान अनुपात वित्त वर्ष 2022-23 में 90.69% था, जबकि 2021-22 में 84.03% के संगत अनुपात पर 92284 दावों का निपटान किया गया। आईआरडीआई ने सीएटी दावों के निपटान पर विशेष जोर दिया है और सीएएमसी टीम ने नियामक को समय पर डेटा प्रस्तुत करने के साथ-साथ इन दावों के निपटान के समन्वय और सुविधा में सहायता की है। हम उम्मीद करते हैं कि टीम की निरंतर निगरानी और मार्गदर्शन के साथ, हमारा दावा निपटान अनुपात आने वाले दिनों में उद्योग में एक बेंचमार्क स्थापित करेगा।



बाजार की आवश्यकताओं के आधार पर, नए ऐड-ऑन और तात्कालिक मौजूदा कवर के साथ युनाइटेड वैल्यू उद्यम सुरक्षा (यूवीयूएस) नाम से फायर पोर्टफोलियो में एक नया उत्पाद पेश किया गया, जो कि आईआरडीआई द्वारा 01/04/2021 से लाये गये युनाइटेड भारत गृह रक्षा, युनाइटेड भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और युनाइटेड भारत लघु उद्यम सुरक्षा फायर लाइन ऑफ बिजनेस के 3 नए उत्पादों का हिस्सा नहीं थे। नए उत्पाद यूवीयूएस की प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही है और हमें उम्मीद है कि यह इस वित्तीय वर्ष में गेम चेंजर साबित होगा।

वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में संपत्ति के दावों के केंद्रीकरण तथा त्वरित और गुणवत्तापूर्ण दावा निपटान हेतु कई संपत्ति और अपघटना केंद्र खोले गए हैं। वर्ष 2023-24 में प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर इन हब को खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर केंद्रीकरण और वांछित तकनीकी विशेषज्ञता के कारण दावों के त्वरित प्रसंस्करण में मदद मिलेगी।

अग्नि



अभियांत्रिकी



विविध लाईन ऑफ बिजनेस

विविध विभाग ने 11,52,000 पॉलिसियां जारी की और 2021-22 में ₹ 1055.56 करोड़ रुपये (ग्रामीण को छोड़कर) की तुलना में 2022-23 में ₹ 1029.57 करोड़ रुपये (ग्रामीण को छोड़कर) का प्रीमियम हासिल किया गया। देयता में प्रीमियम 7% और अन्य विविध बीमा में 10% से बढ़ा है। व्यक्तिगत दुर्घटना में प्रमुख घाटे वाले जीपीए में कटौती के कारण 14% की गिरावट आई है। कुल मिलाकर आईसीआर 71% है। दावा निपटान अनुपात 84% से बढ़कर 91% हो गया।

FIRE & ENGINEERING

UIIC has completed a premium of ₹ 1882.54 crores for the FY 2022-23 in Fire Line of Business as against a premium of ₹ 1843.48 crores in the previous year, registering an accretion of ₹ 39.06 crores and a growth of 2.12%. Though, the growth has been moderate, the Incurred Claims Ratio (ICR) under Fire Line of Business for FY 2022-23 stands at 47.17 % which indicates the portfolio has been favourable.

UIIC has completed a premium of ₹ 460.67 crores for FY 2022-23 in Engineering Line of Business (LOB) as against a premium of ₹ 400.46 crores in the previous financial year. The accretion of premium being ₹ 60.21 crores and growth of 15.04 % against the growth of 3.46 % registered in the previous FY. There has been an increasing trend in terms of premium growth in Engineering LOB which is a positive sign for coming years. The ICR in Engineering LOB for FY 2022-23 is 27.31%. The lower ICR in this LOB highlights the fact, that Engineering LOB is one of the most favourable LOBs of the Company.



The claims servicing vertical of United India Insurance has an efficient centralized structure across various regions in the country consisting of Motor OD and TP claims hubs, Non Motor claims hub and a Health Claims servicing hubs. Claim Monitoring Cell is recently implemented as a KPI initiative for improving Claims Efficiency. With the introduction of Claim Automation and Monitoring Cell (CAMC) set up at New-Delhi in February 2022, we have been able to substantially increase the Claims Settlement Ratio of every office and improved the Turn-Around-Time (TAT) for claims settlement.

CAMC team monitors the claim on Real-time basis with objective of improving TAT for Claims settlement and Claims Settlement ratio in respect of Fire, Engineering, Marine & Miscellaneous Claims. The follow up with surveyors and coordination with Regional Offices resulted in ensuring settlement of 126496 Non Motor Non Health Claims in FY2022-23 with a settlement Ratio of 90.69% in FY2022-23 against 92284 claims settled at a corresponding ratio of 84.03% in 2021-22. IRDAI has placed special emphasis on disposal of CAT Claims and CMAC team has assisted in coordination and facilitation of the settlement of these claims along with the timely submission of data to the Regulator. With continued monitoring & guidance from the team, we expect our Claims Settlement Ratio to set a benchmark in the industry in the coming days.



Based on the market requirements, a new product in Fire portfolio named United Value Udyam Suraksha (UVUS) was introduced with new Add-ons and improvised existing covers which were not a part of the 3 new products in the Fire Line Of Business by IRDAI w.e.f. 01/04/2021– United Bharat Griha Raksha, United Bharat Sookshma Udyam Suraksha and United Bharat Laghu Udyam Suraksha. The response of the new product UVUS has been quite encouraging and we expect it to be a game changer in this financial year.

In the last quarter of the FY for centralization of property claims, many Property and Causality Hubs have been opened for speedy and quality claim settlement. It has further been decided to open these Hubs at each RO level in the year 2023-24. This will further help in speedy claims processing due to centralization and desired technical expertise at the RO Level

FIRE



ENGINEERING



MISCELLANEOUS LINE OF BUSINESS

Miscellaneous Department issued 11,52,000 policies and completed premium of ₹ 1029.57 crores (excl. Rural) in 2022-23 as against ₹ 1055.56 crores (excl. Rural) in 2021-22. Premium has grown by 7% in Liability and 10% in Other Miscellaneous Insurance. In PA there is de-growth of 14% due to shedding of major loss making GPAs. Overall ICR stands at 71%. The claim settlement ratio improved from 84% to 91%.

पोर्टफोलियो वार प्रीमियम, वृद्धि तथा आई सी आर, (₹. करोड़ में)

| | प्रीमियम | वृद्धि | आईसीआर |
|----------------------------|----------------|---------------|------------|
| देयता | 234.11 | 7% | 17.82% |
| अन्य विविध(पी ए को छोड़कर) | 361.00 | 10% | 42% |
| पीए | 434.46 | -14.36% | 113.65% |
| कुल | 1029.57 | -2.46% | 71% |

47% से 71% तक आईसीआर की बढ़ती के प्रमुख कारक

1. एक्स्टेंडेड वारंटी दावे
2. गैर नवीनीकृत पॉलिसियों के दर्ज पीए के दावे
3. बैंकर्स इंडेमनिटी के कुछ बड़े दावे

वर्ष की कुछ प्रमुख गतिविधियाँ:

- अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक पर्सनल लाइन बीमा के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिससे 16.76 करोड़ रुपये का नया प्रीमियम प्राप्त हुआ।
- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए विविध बीमालेखन तथा दावों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया
- नए उत्पाद का शुभारंभ – बीमा मध्यस्थों के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी

मोटर तृतीय पक्ष

प्रीमियम

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड ने पिछले वर्ष के प्रीमियम 4065.06 करोड़ रुपये के मुकाबले 4307.93 करोड़ रुपये का मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम हासिल किया, जो 5.97% की वृद्धि दर के साथ वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के कुल कारोबार का लगभग 24.23% है। बीमा नियामक द्वारा अनिवार्य प्रीमियम के लिए मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम दायित्वों का पूरी तरह से पालन किया गया।

दावे

विशेष रूप से मोटर टीपी दावों को संभालने के उद्देश्य से गठित टीपी हब में मोटर टीपी दावों के प्रसंस्करण और निपटान को केंद्रीकृत किया गया। इसके अलावा, निपटान को अधिकतम करने की दृष्टि से, सुलह तंत्र के माध्यम से निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों को चार सूत्रीय कार्य योजना दी गई:

- अ. जहाँ भी हमारी देनदारी स्पष्ट रूप से स्थापित होती है, वहाँ लोक अदालतों और इन-हाउस दावा समितियों के माध्यम से दावों का अधिकतम निपटान सुनिश्चित करें
- ब. दावों का तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित करना और यथार्थ के आधार पर पर्याप्त प्रावधान करना
- स. भौतिक फाइलों के सत्यापन और ई-कोर्ट खोज के माध्यम से दावे की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए बकाया दावों की समीक्षा

ड. पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित बकाया मामलों की समीक्षा पर अधिक जोर देना

- सुलह निपटान के माध्यम से दावा निपटान को अधिकतम करने के कॉर्पोरेट विजन के अनुरूप, प्रभावी सुलह के लिए मौजूदा प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, अपील मामलों को वापस लेने के लिए सुलह मैनुअल को संशोधित किया गया, जो नवीनतम ऐतिहासिक निर्णयों के अनुरूप नहीं था, और इसके परिणामस्वरूप दावों के निपटान की संख्या में वृद्धि हुई तथा पिछली लोक अदालत की तुलना में 2000 से अधिक की संख्या में लोक अदालत में निपटारे हुए।
- 32.60% के उच्चतम स्तर को छूते हुए निपटान अनुपात के साथ 76,356 दावों के निपटान में समीक्षा प्रक्रिया सफल साबित हुई है, जिनमें से लोक अदालत के निपटान में लगभग 40% का योगदान है।
- जीसी कोर सिस्टम में लोक अदालत के दावों के पंजीकरण के लिए व्यापक अनुवर्ती कार्रवाई की गई। फरवरी 2023 की लोक अदालत में अंतिम रूप दिए गए 90% दावों का निपटान मार्च 2023 में कर दिया गया।
- वित्तीय सीमाओं को बढ़ाते हुए वित्तीय स्थायी आदेश में किये गये संशोधन ने दावा संचालकों को दावों के त्वरित निपटान हेतु सशक्त बनाया
- देशभर में 38 नए टीपी हब खोले गए, जिससे टीपी हब की कुल संख्या 82 हो गई। इसके साथ, विशेष दावा हब पर मोटर टीपी दावों का पूर्ण केंद्रीकरण हासिल किया गया।
- प्रत्येक टीपी हब के प्रदर्शन की निगरानी करने और ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय स्तर पर टीपी मामलों के प्रभावी प्रबंधन के पहलुओं पर दावा प्रबंधन अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए वर्ष भर नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
- नवीनतम न्यायिक विकास के बारे में हब प्रभारियों को संवेदनशील बनाने और मोटर टीपी दावों पर प्रभाव डालने वाले नवीनतम निर्णयों पर चर्चा करने के लिए फरवरी 2023 में दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र टीपी हब प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई थी। विभिन्न मापदंडों पर खरा उतरने वालों को सम्मानित किया गया
- देशभर की न्यायपालिका ने सुलह के साधनों के माध्यम से मुकदमे को निपटाने के लिए हमारे अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। हमारे विभिन्न टीपी हब को लोक अदालतों में उत्कृष्ट निपटान के लिए न्यायपालिका से प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त हुए।

Portfolio-wise Premium, Growth and ICR

| | Premium (₹ In crores) | Growth | ICR |
|-----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| Liability | 234.11 | 7% | 17.82% |
| Other Misc (excl. PA) | 361.00 | 10% | 42% |
| PA | 434.46 | -14.36% | 113.65% |
| Total | 1029.57 | -2.46% | 71% |

Major contributors for increase in ICR from 47% to 71%

1. Extended warranty claims
2. PA claims reported under policies which were not renewed
3. Few major Bankers' Indemnity claims

Key Activities during the Year:

- Special drive for Personal Line insurance was conducted from October 2022 to March 2023 which brought in fresh premium of ₹ 16.76 crores
- Conducted Miscellaneous Claims and Underwriting workshop for all ROs
- Launching of new product – Professional Indemnity Policy for Insurance Intermediaries

MOTOR THIRD PARTY**Premium**

United India Insurance Company Limited completed Motor Third Party premium of ₹ 4307.93 crores against the last year premium of ₹ 4065.06 crores with a growth rate of 5.97% contributing to about 24.23% of the total business of the Company for the year 2022-23. The Motor Third Party Premium obligations for premium as mandated by the Insurance Regulator were fully complied with.

Claims

The processing and settling of Motor TP Claims were centralized at TP Hubs exclusively formed for the purpose of handling Motor TP Claims. Further, with a view to maximize settlement, focus was shifted to settlements through conciliatory mechanism. Regional Offices were given a four point Action Plan to:

- a. Ensure maximum settlement of claims through Lok Adalats and In-house Claims committees wherever our liability is clearly established
- b. Ensure immediate registration of claims and adequate provisioning on realistic basis

- c. Review of outstanding claims to ascertain the current status of the claim through verification of physical files and also through e-court search
 - d. More thrust on review of outstanding cases pending for more than five years
- In line with Corporate Vision of maximizing claim settlement through Conciliatory settlements, Conciliation Manual was revised taking into account the current practices for effective conciliation, withdrawal of appeal cases which are not in consonance with latest landmark judgements which resulted in increase in the number of claims settled in Lok Adalat by 2000 numbers more than the previous Lok Adalat
 - The review exercise has proved worthy in disposal of 76,356 claims with settlement ratio touching the high of 32.60%, out of which Lok Adalat settlements contributed to almost 40% of the settlements
 - Extensive follow up was done for registration of the Lok Adalat claims in the GC core system. 90% of the claims finalized in Lok Adalat of February 2023 were completely settled in March 2023.
 - Revision in Financial Standing Order enhancing the financial limits empowered Claim Handlers in speedy disposal of claims
 - 38 new TP Hubs were opened across the country taking the total number of TP Hubs to 82. With this, complete centralization of Motor TP claims at specialized Claims Hub was achieved
 - Regular Video Conferences were held throughout the year to monitor the performance of individual TP Hubs and to guide the claim handling officials on aspects of effective handling of TP cases at Tribunal as well as High Court level
 - South and West zone TP Hub Incharges Meet was held in February 2023 to sensitize the Hub Incharges about the latest judicial developments and to discuss latest judgements having an impact on the Motor TP claims. Performers were felicitated on various parameters

सफलताएं और पहल

- अ. **जीसी कोर में एफएसओ का कार्यान्वयन:** बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय स्थायी आदेश जीसी कोर (संगठन संस्थान का स्वामित्व सॉफ्टवेयर) में लागू किया गया है। वित्तीय प्राधिकारी के अनुसार अब दावा भुगतान को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिस्टम में अनुमोदित किया जाना है।
- अ. **टीपी दावों का केंद्रीकरण:** मोटर टीपी दावों को, विशेष रूप से केवल एमएसीटी/उच्च न्यायालय को सेवाएं प्रदान करने वाले मोटर टीपी दावों के प्रसंस्करण के लिए मोटर टीपी दावों को विशिष्ट टीपी केंद्रों पर केंद्रीकृत कर दिया गया। 31.03.2023 तक, 82 ऐसे हब परिचालन में हैं।
- ब. **सुलह समझौता:** सुलह तंत्र के माध्यम से दावों के निपटान को अधिकतम करने की कॉर्पोरेट दृष्टि के अनुरूप, समझौता निपटान के लिए उपयुक्त मामलों की एक सूची कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।
- स. **न्यूजलेटर:** विभिन्न अवधारणाओं, ऐतिहासिक निर्णयों, क्षेत्रीय प्रदर्शनों और सफलता की कहानियों और मोटर टीपी डोमेन से संबंधित अन्य मामलों को उजागर करने के उद्देश्य से "मोटर तृतीय पक्ष" शीर्षक के साथ एक त्रैमासिक इन-हाउस न्यूजलेटर लॉन्च किया गया, जिसे आईआरडीए सदस्य द्वारा खूब सराहा गया। यह न्यूजलेटर आज के लगातार विकसित हो रहे मोटर टीपी इको-सिस्टम में एक मार्गदर्शक और ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बनने का प्रयास करता है।
- ड. **फिनोविटी पुरस्कार 2023:** कंपनी को "मोटर थर्ड पार्टी दावों के केंद्रीकरण" के लिए बैंकिंग फ्रंटियर्स द्वारा दिये जाने वाला प्रतिष्ठित "फिनोविटी 2023 पुरस्कार" का विजयी विजेता घोषित किया गया और यह निजी कंपनियों सहित सभी सामान्य बीमाकर्ताओं के बीच पुरस्कार पाने वाली एकमात्र सामान्य बीमा कंपनी बनी।

2023-24 के लिये योजना

- मोटर टीपी आईसीआर में 10% घटाना
- 40%के दावा निपटान के लक्ष्य को प्राप्त करना
- विभिन्न सुलह तरीकों के माध्यम से अधिकतम दावों का निपटान
- दावों की औसत लंबितता को कम करने के लिए बकाया दावों की समय-समय पर समीक्षा
- यथार्थ और वैज्ञानिक आधार पर दावों के प्रावधान के साथ दावों का तत्काल पंजीकरण
- जीसी-कोर के माध्यम से अधिवक्ताओं और अन्वेषकों की नियुक्ति का डिजिटलीकरण और पोर्टल का विकास
- प्रचलित ऐतिहासिक निर्णयों के आधार पर प्रावधान गणना के लिए सिस्टम इंटीग्रल ऐप का विकास
- आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता-आधारित टीपी हब का सृजन

मोटर स्व-क्षति (ओडी)

कंपनी ने मोटर निजी क्षति व्यवसाय में ₹ 1679 करोड़ रुपये का प्रीमियम हासिल किया। पिछले वर्ष के 3,34,738 की तुलना में वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की कुल संख्या 4,13,638 है। 2022-23 के लिए मोटर ओडी के लिए उपगत दावा अनुपात 89.34% है।

दावों का तेजी से निपटान के लिए ₹ 50,000/- रुपये तक के मोटर दावों के निपटान के लिए नुकसान मूल्यांकन एजेंसियों (एलएए) का विस्तार पूरे भारत में किया गया है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कागजी कार्रवाई कम हो गई और डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा मिला है।

दावा समीक्षा प्रबंधक

दावा अनुपात और दावा निपटान अनुपात को ठीक करने के लिए बकाया दावों और संबंधित प्रावधानों की अखिल भारतीय क्षेत्रवार और हबवार समीक्षा की गई।

सर्विस हब

ओडी क्लेम हब के माध्यम से मोटर ओडी दावों की सेवा वितरण की निगरानी की जाती है। चालू वर्ष के दौरान मौजूदा 31 हब के अलावा 9 नए हब खोले गए हैं।

नये पहल

1. आरसीएससी – रैपिड क्लेम सेटलमेन्ट सेल

दावा निपटान अनुपात में सुधार लाने और मोटर ओडी दावों के निपटान का टीएटी में सुधार करने के उद्देश्य से गठित आरसीएससी अपनी तरह की पहली पहल है। कोझिकोड, हुबली, मदुरै, कोयंबटूर, नागपुर और हुबली क्षेत्रीय कार्यालय के दावों के प्रसंस्करण के लिए ₹ 75000/- रुपये तक के दावों के निपटान के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ में दो और आरसीएससी खोले गए हैं। 99.7% के निपटान अनुपात के साथ इस पहल के अंतर्गत टीएटी 3 दिन का है।

2. जीसी के माध्यम से सर्वेक्षणकर्ताओं की स्वचालित नियुक्ति

राउंड-रॉबिन आधार पर वर्ष के दौरान सर्वेक्षकों की स्वचालित नियुक्ति ₹ 6 लाख रुपये से बढ़कर ₹ 10 लाख रुपये कर दी गई

- Judiciary across the country has appreciated the efforts made by our officials for clearing litigation by way of conciliatory means of settlement. Our various TP Hubs got appreciation certificates from Judiciary for excellent settlement in Lok Adalats

Initiatives and Successes

- Implementation of FSO in GC Core:** The Board approved financial standing order has been implemented in GC Core (Organization's Proprietary Software). Now, the claim payment has to be approved in the system by the competent authority as per financial authority.
- Centralization of TP Claims:** Motor TP claims have been centralized at specialized TP Hubs exclusively catering to MACT/High Courts for processing of Motor TP Claims. As on 31.03.2023, 82 such Hubs are in operation.
- Conciliatory Settlements:** In line with corporate vision of maximizing claims settlement through conciliatory mechanisms, a list of cases fit for compromise settlements have been uploaded on the company's website.
- Newsletter:** A quarterly In-house newsletter titled "Motor Tiritiya Paksha" was launched which aims to highlight various concepts, Landmark judgements, Regional performances and success stories and other matters pertaining to Motor TP domain which was well appreciated by IRDA Member. This newsletter strives to be a guide and source of knowledge and inspiration in today's constantly evolving motor TP eco-system.
- Finnoviti Awards 2023:** Company was declared as the triumphant winner of the coveted "Finnoviti 2023 Award" awarded by Banking Frontiers for "Centralization of Motor Third Party Claims" and was the only general insurer to get the award among all General Insurance players including private companies.

Plan for 2023-24

- Reduction of Motor TP ICR by 10%
- Achieve a claims settlement ratio of 40%
- Maximising Claim settlements through various Conciliatory Methods
- Periodical review of outstanding claims to reduce the average pendency of claims

- Immediate registration of claims with provisioning of claims on realistic and scientific basis
- Digitalisation of appointment of Advocates and investigators through GC-Core and development of portals
- Development of system integral app for provision calculation based on prevalent landmark judgements
- Opening of need-based TP Hubs to cater to the requirements

Motor Own Damage (OD)

The Company completed premium of ₹ 1679 crores in Motor Own Damage Line of Business. Total number of claims settled during the year is 4,13,638 as against 3,34,738 in previous year. The Incurred claims Ratio for Motor OD for 2022-23 is 89.34%.

Loss Assessment Agencies (LAA) for settlement of claims has been expanded for PAN India for Motor Claims up to ₹ 50,000/- for fast disposal of the claims. The process has resulted in reducing the paperwork and promoting the Digital India Campaign.

CLAIMS REVIEW & MANAGEMENT

PAN India Region wise and Hub wise review of Outstanding claims and related provisions was undertaken to address the claim ratio and also the claims settlement ratios.

SERVICE HUBS

The Service delivery of Motor OD Claims are monitored through OD Claims Hub. During the current year 9 new Hubs have been opened, in addition to existing 31 Hubs.

NEW INITIATIVES

1. RCSC – RAPID CLAIMS SETTLEMENT CELL

RCSC is a first of its kind initiative with the objective of improving the claim settlement Ratio and improve the TAT in settlement of Motor OD claims. Two more RCSCs have been opened at Delhi and Chandigarh for the settlement of claims upto ₹ 75000/- for processing claims of RO - Kozhikode, Hubli, Madurai, Coimbatore, Nagpur. The TAT under this initiative is 3 days with settlement ratio of 99.7%.

2. AUTOMATIC APPOINTMENT OF SURVEYORS THROUGH GC

The automatic appointment of Surveyors on round-robin basis increased from ₹ 6 lakhs to ₹ 10 lakhs during the year.

3. दावों का केंद्रीकरण तथा डिजिटइजेशन

नवंबर 2022 से मोटर स्वामित्व क्षति दावों के प्रसंस्करण का 100% डिजिटलीकरण (कागज रहित) शुरू कर दिया गया है। दावा निपटान को हब स्तर पर केंद्रीकृत किया गया है और सभी दावों का निपटान 43 हब स्तर पर हो रहा है।

उपलब्धियाँ

यूनाइटेड इंडिया को बैंकिंग फ्रंटियर्स द्वारा 2023 के लिए 'सर्वश्रेष्ठ डिजिटल परिवर्तन पहल' से सम्मानित किया गया।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बीमा में, समाज के सभी वर्गों को कवर करने वाली देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से यूनाइटेड इंडिया एक है। एक ओर, हमने महाराष्ट्र में "महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना" और तमिलनाडु मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को कवर करने के लिए हमेशा अपना सुरक्षात्मक हाथ बढ़ाया है तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को और शीर्ष कॉर्पोरेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारी हमारी समूह स्वास्थ्य पोलिसियों के अंतर्गत आवरण में आते हैं। हमारे रीटेल उत्पाद जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, फैमिली मेडिकेयर पॉलिसी और सुपर टॉप अप मेडिकेयर पॉलिसी आम आदमी की जरूरतों को पूरा करते हैं।

कंपनी ने विवेकपूर्ण बीमालेखन प्रथाओं पर अपना ध्यान जारी रखा। समूह स्वास्थ्य खंड में सुधार के लिए शुरू किए गए उपाय जारी रहे। प्रतिकूल चयन वाले खातों को टाल दिया गया या हटा दिया गया और जहां भी दावा अनुपात लगातार उच्च स्तर पर था और पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही थी, उनका नवीनीकरण नहीं किया गया।

इस वर्ष हमने दिल्ली में मौजूदा हेल्थ हब के अलावा हैदराबाद और मुंबई में दो नए हेल्थ हब खोले हैं। स्वास्थ्य विभाग के सुचारु कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और एलसीबी को इन हब के साथ मैप किया गया है। दावा प्रबंधन, रीटेल स्वास्थ्य दावों को अस्वीकार करना या दुबारा खोलना, स्वास्थ्य दावों का ऑडिट, धोखाधड़ी नियंत्रण प्रबंधन, कानूनी और लोकपाल मामलों को प्रबंधन, रीटेल पॉलिसियों की बीमालेखन वृद्धि का प्रबंधन, पीपीएन प्रबंधन जैसी गतिविधियों को स्वास्थ्य हब को सौंपी गई हैं। इसके अलावा, सभी दावों का वितरण अब दिल्ली हेल्थ हब द्वारा किया जाता है। विभिन्न गतिविधियों के इस विकेंद्रीकरण से हमें उम्मीद है कि बेहतर ग्राहक सेवा के लिए समग्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी होगी।

विदेशी परिचालन

01.04.2002 से हांगकांग में अंडरराइटिंग परिचालन बंद हो गया और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हांगकांग तब से रन-ऑफ पोर्टफोलियो की देखभाल करती है। 31.03.2023 तक, 3 दावे अभी भी बकाया थे।

टीपीए निष्पादन की नियमित त्रैमासिक समीक्षा के कारण थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स (टीपीए) की दावा सेवाओं में सुधार हुआ। टीपीए से डेटा संग्रहण तंत्र में भी सुधार किया गया है। धोखाधड़ी नियंत्रण प्रबंधन पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अस्वीकृति, विलंब माफ़ी और स्वास्थ्य दावों को फिर से खोलने का स्वचालन शुरू किया गया है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोविड-19 के प्रभाव से राहत मिली है और पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर महसूस किया गया है। इसके और बेहतर दावा प्रबंधक के परिणामस्वरूप हमारे आईसीआर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हमारा कुल शुद्ध उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) 89.18% है। समूह पॉलिसियों के लिए हम अपनी मूल्य संरचना को संतुलित करने के अपने प्रयास को जारी रख रहे हैं और साथ ही अपनी रीटेल बिक्री में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं जिससे हमारी समग्र आईसीआर में और कमी आएगी।

हमारी कंपनी ने हमारे स्वास्थ्य उत्पादों के समूह को नया रूप देने और संशोधित करने की पहल जारी रखी। हमारे सभी स्वास्थ्य उत्पाद पूरी तरह से आईआरडीएआई के अनुरूप हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, हमने एमटीएमएटी (आधुनिक उपचार पद्धति और प्रौद्योगिकियों में उन्नति) के तहत उपचार के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। व्यापक और संशोधित स्वास्थ्य दावा ऑडिट मैनुअल जारी किया गया है जिससे स्वास्थ्य दावों के बेहतर निर्णय लेने में सुविधा होगी। हमारे खुदरा स्वास्थ्य उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रस्ताव प्रपत्र लागू किया गया है। स्वास्थ्य दावों की आंतरिक प्रोसेसिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है। लगातार प्रतिकूल दावा अनुपात के कारण, यूनियन बैंक (यूबी-आरोग्यदान), इंडियन बैंक (एबी-आरोग्य रक्षा) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (महा बैंक स्वास्थ्य योजना) के तीन बैंकेशोरेंस उत्पाद वापस ले लिए गए हैं।

उत्पादों और प्रक्रियाओं में विकास के बारे में अपडेट रखने के लिए हमारी कंपनी अपने कर्मचारियों और हमारे बिजनेस एसोसिएट्स और टीपीए जैसे अन्य मध्यस्थों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखती है। 2022-23 के दौरान निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं-

- अखिल भारतीय बीमालेखकों की बैठक
- अखिल भारतीय टीपीए के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक
- समस्त टीपीए के निष्पादन की समीक्षा

3. DIGITISATION AND CENTRALISATION OF CLAIMS

100% digitization (paperless) of claims processing of Motor Own Damage claims has been introduced w.e.f. November 2022. The claim settlement has been centralized at HUB level and all claims settlement is happening at 43 Hub level.

ACHIEVEMENTS

United India was awarded ‘Best Digital Transformation Initiative’ for 2023 by Banking Frontiers.

HEALTH

In health insurance, United India is one of the largest insurers in the country covering all sections of the society. On the one hand, we have always extended our protective arm to cover the poor and the needy under social sector schemes like “Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana” in Maharashtra and Tamil Nadu Chief Minister’s Comprehensive Health Insurance Scheme and on the other hand the employees and executives of top corporates and MNCs are covered under our Group Health Policies. Our retail products such as Individual Health Insurance Policy, Family Medicare Policy and Super Top Up Medicare Policy cater to the needs of the common man.

The Company continued its focus on prudent underwriting practices. The measures initiated to improve the group health segment continued. Accounts with adverse selection were avoided or shed and wherever the incurred claims ratio was continuously on the higher side and adequate price was not forthcoming, the renewal was not done.

This year we have opened two new Health Hubs at Hyderabad and Mumbai in addition to the existing Health Hub at Delhi. All Regional Offices and LCBs are mapped with these Hubs to facilitate the smooth functioning of Health Department. Activities like Claims management, Rejection and Reopening of Retail Health Claims, Audit of Health Claims, Fraud Control Management, Handling of Legal and Ombudsman Cases, Management of Underwriting Escalation of Retail Policies, PPN management have been assigned to the Health Hubs. Besides, all the claims disbursement is now done by Delhi Health Hub. With this decentralisation of various activities we hope that the overall decision making process will be faster for better customer service.

FOREIGN OPERATIONS

Underwriting operations at Hong Kong ceased with effect from 01.04.2002 and New India Assurance Company Limited, Hong Kong looks after the Run-off portfolio since then. As on 31.03.2023, 3 claims were still outstanding.

The claims services of the Third Party Administrators (TPA) improved due to regular quarterly review of the TPA performance. The data collection mechanism from the TPAs has also been further improved. Comprehensive guidelines on Fraud Control Management have been issued. Automation of repudiation, delay condonation and reopening of health claims have been initiated.

There has been a respite from the impact of COVID 19 during this fiscal and its toll on health services was felt across the country. This along with better claims management has resulted in a significant improvement in our ICR. Our overall net incurred claims ratio (ICR) stands at 89.18%. We are continuing with our endeavour to balance our pricing structure for the group policies and at the same time taking proactive steps to improve our retail sales which will further reduce our overall ICR.

Our Company carried on with the initiative to revamp and modify our bouquet of health products. All our health products are fully IRDAI compliant. During this fiscal, we have issued revised guidelines for treatment under MTMAT (Modern Treatment Method & Advancement in Technologies). Comprehensive and revised Health Claims Audit Manual has been released which will facilitate in better adjudication of health claims. Electronic Proposal Form for our retail health products has been implemented. In house processing of health claims has been completely discontinued. Due to continuous adverse claims ratio, three Bancassurance products of Union Bank (UB-Arogyadaan), Indian Bank (AB-Arogya Raksha) and Bank of Maharashtra (Maha Bank Swasthya Yojana) have been withdrawn.

Our company engages its employees and other intermediaries like our Business Associates and TPAs continuously to keep them updated on the developments in the products and processes. During 2022-23 the following meets were conducted-

- All India Underwriters’ Meet
- All India TPA CMO’s Meet
- Review of the performance of all the TPAs

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए हांगकांग एजेंसी में रन-ऑफ परिचालन का विवरण

(₹ करोड़ों में)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|--------------------|-----------|------------|
| शुद्ध प्रीमियम | 0.0000 | 0.0000 |
| उपगत दावे | 0.1924 | 0.0706 |
| प्रबंधन व्यय | 0.2371 | 0.2540 |
| अन्य आय व्यय | 0.0000 | 0.0000 |
| बीमालेखन लाभ/ हानि | (0.4295) | (0.3246) |
| निवेश से आय | 0.8489 | 0.2383 |
| शुद्ध लाभ/ हानि | 0.4194 | 0.0863 |

31.03.2023 के वर्ष अंत में विदेशी मुद्रा आय तथा निर्गम का विवरण

(₹ करोड़ में)

| | |
|----------------------|--------|
| विदेशी मुद्रा आय | 168.26 |
| विदेशी मुद्रा निर्गम | 378.95 |

उद्यम जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है जो व्यावसायिक उद्देश्यों से जुड़ा है और वित्तीय, परिचालन, रणनीतिक और अनुपालन जोखिमों सहित व्यवसाय संचालन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों से संबंधित जोखिम की पहचान करने, प्रभाव की संभावना और परिमाण के संदर्भ में उनका आकलन करने, स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ हमारे व्यावसायिक संचालन के पहलुओं पर नियंत्रण और उपचारात्मक कार्रवाई तैयार करने के लिए प्रक्रियाएं और कार्यविधियाँ मौजूद हैं।

पिछले वर्ष में, कंपनी ने जोखिम प्रबंधन प्रयासों को प्राथमिकता देना जारी रखा है, और अपनी प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को मजबूत करने में प्रगति की है। कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी द्वारा ग्रहण किए गए सभी जोखिमों की निगरानी करता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) ने अपने सदस्यों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हुए विचारार्थ विषय उल्लिखित की हैं। कंपनी द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और जोखिम प्रबंधन पहलों पर निगरानी और सलाह देने के लिए उद्यम जोखिम प्रबंधन पर एक प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

बोर्ड के आरएमसी ने संगठन में जोखिम प्रबंधन कार्यों में सुधार पर विचार-विमर्श किया और उद्यम जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे को सुधारने और जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर को लागू करने के लिए विशेष जोखिम प्रबंधन सलाहकारों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए।

कंपनी द्वारा चिन्हित प्रमुख जोखिमों और उनके शमन के लिए उठाए गए कदमों का सारांश नीचे दिया गया है:

1. **बीमालेखन जोखिम-** खराब गुणवत्ता के जोखिमों को रेखांकित करना, मूल्य निर्धारण अपर्याप्तता, प्रीमियम छूट और उत्पाद मिश्रण और उत्पाद नवाचार में विविधीकरण की आवश्यकता

न्यूनीकरण : बीमालेखन दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और विभिन्न उत्पाद प्रकारों के लिए स्वीकृति प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं। स्वीकृति प्राधिकारी का पालन सिस्टम संचालित वर्कफ्लो का उपयोग करके लागू किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा टीम स्वीकृति प्राधिकारी के पालन की भी समीक्षा करती है। पर्याप्त पुनर्बीमा व्यवस्था मौजूद है।

2. **दावा आरक्षण और निपटान संबंधी जोखिम -** अपर्याप्त/अतिरिक्त प्रावधान, दावों का विलंबित निपटान, प्रतिकूल दावा अनुपात, दावा धोखाधड़ी।

न्यूनीकरण : दावा निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू है, प्रावधानों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व हेतु दिशानिर्देश निर्धारित हैं। परिचालन टीम और वरिष्ठ प्रबंधन दोनों द्वारा नियमित आवधिकता पर दावों की समीक्षा की जाती है। दावों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया है। दावा संबंधी धोखाधड़ी से निपटने के लिए धोखाधड़ी ढांचा मौजूद है।

3. **विपणन जोखिम** डिजिटल चैनलों का अपर्याप्त उपयोग, नई प्रौद्योगिकी संचालित प्रवेशकों द्वारा व्यवधान

न्यूनीकरण : कंपनी ने डिजिटल चैनलों के साथ गठजोड़ किया है और इसे चैनल भागीदारों और वॉल्यूम के संदर्भ में बढ़ाया गया है।

4. **निवेश जोखिम :** बाजार की अस्थिरता के कारण होने वाला नुकसान।

न्यूनीकरण : ऋण और इक्विटी के बीच उचित मिश्रण होना।

5. **ऋण जोखिम -** क्रेडिट जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्षों के डिफॉल्ट के जोखिम से है।

Statement of run-off operations in Hong Kong Agency for the year ended 31.03.2023

(₹ In crores)

| Details | Current year | Previous year |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Net Premium | 0.0000 | 0.0000 |
| Incurred Claims | 0.1924 | 0.0706 |
| Expenses of Management | 0.2371 | 0.2540 |
| Other Income & Outgo | 0.0000 | 0.0000 |
| Underwriting Profit/Loss | (0.4295) | (0.3246) |
| Investment Income | 0.8489 | 0.2383 |
| Net Profit /Loss | 0.4194 | 0.0863 |

Details of Foreign Exchange earnings and outgo for the year ended 31.03.2023

(₹ In crores)

| | |
|---------------------------|--------|
| Foreign Exchange Earnings | 168.26 |
| Foreign Exchange Outgo | 378.95 |

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

The Company has established a Risk Management framework that is aligned to the business objectives and encompasses all aspects of the business operations including financial, operational, strategic and compliance risks. Procedures and processes are in place to identify risk relevant to company's business objectives, assessing them in terms of likelihood and magnitude of impact, formulating controls and remedial actions to aspects of our business operations with clearly defined roles and responsibilities.

In the past year, the Company has continued to prioritize risk management efforts, and has made progress in strengthening our processes and controls. The Board of Directors of the Company has oversight of all risks assumed by the Company. Risk Management Committee (RMC) of the Board has written terms of reference setting out the responsibilities of its members. A senior officer has been nominated by the Company as Chief Risk Officer and a Management Committee on Enterprise Risk Management has been constituted to monitor and advise on risk management initiatives.

The RMC of the Board deliberated on improving the risk management functions in the organization and gave directions to engage the services of specialised Risk Management consultants for revamping the Risk Management framework and implementing Risk Management software to achieve the objectives of Enterprise Risk Management.

The major risks identified and steps taken for mitigation by the Company are summarised below:

1. Underwriting Risk - Underwriting poor quality

risks, Pricing inadequacy, Premium discounts and requirement of diversification in product mix and product innovation.

Mitigation : Underwriting guidelines are framed and acceptance authority prescribed for various product types. Adherence to acceptance authority is enforced using system driven workflows. Internal audit team also reviews adherence to acceptance authority. Adequate reinsurance arrangements are in place.

2. Claims Reserving and Settlement Related Risk – Inadequate/excess provisioning, Delayed Settlement of claims, Adverse claims ratio, Claim frauds.

Mitigation : Standard operating procedure for claim settlement is in place, reserving guidelines are prescribed to ensure adequacy of provisions. Review of claims is done at regular periodicity both by the operations team and senior management. Emphasis is laid on quick settlement of claims. Fraud framework is in place to handle claim related frauds.

3. Marketing Risk – Inadequate use of digital channels, disruption by new technology driven entrants.

Mitigation : The Company has entered into Tie-ups with digital channels and the same are scaled up in terms of Channel partners and volumes.

4. Investment Risk : Losses arising due to market volatility.

Mitigation : Having an appropriate mix between debt and equity.

5. Credit Risk - Credit Risk refers to the risk of default of counter parties.

न्यूनीकरण : न्यूनतम स्वीकार्य क्रेडिट रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश करना और क्रेडिट रेटिंग में बदलाव की समीक्षा करना। कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ भी डील करती है।

6. **तरलता जोखिम** – तरलता जोखिम अपर्याप्त धन के कारण दावों का भुगतान करने में असमर्थता है, जब वे देय हो जाते हैं।

न्यूनीकरण: तरलता की पर्याप्तता की लगातार निगरानी की जाती है और पर्याप्त तरल संपत्ति बनाए रखी जाती है।

7. **परिचालन जोखिम** – परिचालन जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिम से है।

न्यूनीकरण: संचालन के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए आवधिक ऑडिट होता है। नियमित आधार पर विजिलेंस औचक निरीक्षण भी करती रहती है। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर प्रणालीगत सुधार किए जाते हैं।

8. **साइबर & आई टी रिस्क** – साइबर जोखिम का तात्पर्य साइबर हमलों और संवेदनशील/ग्राहक जानकारी के नुकसान से जुड़े जोखिम से है। आपूर्ति शृंखला की बाधाओं के कारण हार्डवेयर आपूर्ति में व्यवधान अभी भी बना हुआ है।

न्यूनीकरण : सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, साइबर संकट प्रबंधन योजना और साइबर सुरक्षा नीति, आईटी व्यवसाय निरंतरता नीति लागू हैं और प्रमुख हितधारकों तक पहुंचाई गई हैं। साइबर खतरों के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए कंपनी के पास साइबर बीमा पॉलिसी है। नियमित वीएपीटी ऑडिट और सूचना प्रणाली (आईएस) अनुपालन ऑडिट किए जाते हैं और कमियों को दूर किया जाता है।

कंपनी ईआरएम और संबद्ध ढांचे की व्यापक समीक्षा और पुनः डिजाइन करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

कॉर्पोरेट लीगल

कॉर्पोरेट विधिक विभाग एनसीडीआरसी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपभोक्ता मामलों के प्रभावी और सुचारु संचालन के लिए कार्य कर रहा है। विभाग इसे संदर्भित दावे संबंधी मध्यस्थता के कानूनी पहलुओं को भी संभालता है और क्षेत्रीय कार्यालय/एलसीबी द्वारा सूचित उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता मामलों में नियुक्तियों की वकालत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता मामलों में प्रधान कार्यालय में दिए गए कानूनी नोटिस, सम्मन, निष्पादन आदेश और शिकायतों का उचित और प्रभावी ढंग से निपटारा किया जाए। विभाग उपभोक्ता मामलों से संबंधित सांख्यिकीय आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आईआरडीएआई सहित नियामक प्राधिकरणों के साथ भी समन्वय करता है।

पिछले वित्तीय वर्ष में, विभाग ने उपभोक्ता मामलों में मुकदमेबाजी प्रबंधन की गुणवत्ता और टीएटी में सुधार के लिए कई उपाय शुरू किए जैसे:

(अ) उपभोक्ता सूट दावा मैनुअल

2 दिसंबर 2022 को कॉर्पोरेट कानूनी विभाग ने उपभोक्ता संबंधी मुकदमेबाजी पर “उपभोक्ता सूट दावा मैनुअल” शीर्षक के साथ पहला मैनुअल प्रकाशित किया।

उपभोक्ता सूट दावों को संभालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षित करने के लिए मैनुअल बनाया गया। इसमें शामिल किये गये अनुभाग हैं (ए) न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के प्रकार जो बीमा दावों के विवादों से उत्पन्न मामलों पर विचार करते हैं (बी) मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों में उपभोक्ता मामलों को संभालने वाले कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रियाएं (सी) जीसी वर्कफ्लो आवश्यकताएं (डी) विधिक शब्दावली, सामान्य बीमा क्षेत्र से संबंधित विधान और विनियम और (ई) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और बीमा कानून की मिसालें।

यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था, क्योंकि सामान्य बीमा दावों से उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों को विभिन्न प्रकार के न्यायिक मंचों के समक्ष दर्ज किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग प्रक्रियाएं/विशेषताएं होती हैं और किसी विशेष मंच में मुकदमेबाजी का प्रबंधन करने वाले अधिकारी, उक्त फोरम से संबंधित मैनुअल के प्रासंगिक अनुभाग का हवाला देकर प्रभावी ढंग से मामलों को संभाल सकते हैं।

उपभोक्ता मुकदमेबाजी में दांव पर लगी रकम और लंबित मामलों की बड़ी संख्या, विशेष रूप से, वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा दर्ज किए गए मामलों को देखते हुए इस मैनुअल का जारी किया जाना महत्वपूर्ण है।

(ब) मध्यस्थता दिशानिर्देश

अधिकांश बीमा पॉलिसियों में एक मध्यस्थता खंड होता है और क्लॉटम विवादों के मामले में, उक्त खंड अक्सर बीमाधारक द्वारा लागू किया जाता है। मध्यस्थता मामलों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/एलसीबी के संदर्भ के लिए मध्यस्थता मामलों पर विस्तृत दिशानिर्देश रखने की आवश्यकता महसूस हुई। तदनुसार 18.11.2022 को कॉर्पोरेट कानूनी विभाग द्वारा “मध्यस्थता मामलों को संभालने के लिए मानक प्रक्रिया” प्रकाशित की गई। यह अधिकारियों को मध्यस्थता के विभिन्न चरणों के दौरान, बीमाधारक द्वारा मध्यस्थता के आह्वान से लेकर आदेश की घोषणा तक कैसे प्रतिक्रिया देनी है, इसके बारे में विस्तृत निर्देश प्रदान करता है।

(स) उपभोक्ता मामलों के लिए लोक अदालत

उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश पर और वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार लंबित उपभोक्ता मामलों की संख्या को कम करने के लिए, दिनांक 12/11/2022 को देशभर में पहली बार उपभोक्ता मामलों के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया। नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के बाद और मामलों की पहचान/निपटान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया बनाकर, 225 उपभोक्ता मामले लोक अदालत के लिए रखे गए थे, जिनमें से 72 मामलों का समझौते से निपटारा किया गया।

इसके बाद दिनांक 16.12.2022 को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आयोजित ग्राहक मध्यस्थ समाधान में 201 उपभोक्ता मामले समाधान चर्चा हेतु रखे गये तथा 82 मामले आपसी सहमति से निस्तारित किये गये।

Mitigation : Investing in securities with minimum acceptable credit rating and reviewing changes in credit ratings. The Company also deals with financially sound reinsurers.

6. **Liquidity Risk** - Liquidity Risk is the inability to pay claims as and when they fall due, on account of insufficient funds.

Mitigation : Sufficiency of Liquidity is constantly monitored and adequate liquid assets are maintained.

7. **Operational Risk** – Operational Risk refers to the risk of losses arising from inadequate or failed internal processes, people and systems.

Mitigation : Periodic audit happens covering all areas of operations. Vigilance also undertakes surprise inspections on regular basis. Based on audit reports systemic improvements are done.

8. **Cyber And IT Risk** – Cyber risk refers to risk associated with Cyber attacks and loss of sensitive/customer information. Hardware supply disruption due to supply chain constraints still persists.

Mitigation : Information Security Management System, Cyber Crisis Management Plan and Cyber Security Policy, IT Business Continuity Policy are in place and percolated to key stakeholders. The Company has the Cyber Insurance Policy to cover losses due to cyber threats. Regular VAPT audits and Information System (IS) compliance audits are done and shortcomings are addressed.

Company is in the process of appointing a consultant to comprehensively review and redesign the ERM and allied frameworks.

CORPORATE LEGAL

Corporate Legal Department has been functioning for the effective and smooth handling of consumer cases before NCDRC and Supreme Court of India. The Department also handles the legal aspects of claim related arbitrations referred to it and advocate appointments in high value consumer cases intimated by ROs/LCBs. It ensures that legal notices, summons, execution orders and complaints, served at Head Office, in consumer cases, are properly and effectively dealt with. The Department also coordinates with regulatory authorities, including IRDAI, for complying with statistical requirements related to consumer cases.

In the last financial year, the Department initiated several measures to improve the quality and TAT of litigation management in consumer matters such as:

(a) Consumer Suit Claims Manual

The Corporate Legal Department published the first ever Manual on consumer related litigation titled “Consumer Suit Claims Manual” on 2nd December 2022.

The Manual was created to guide and train officers and employees handling Consumer Suit Claims. It contains sections on (a) types of adjudicatory authorities which entertain cases arising from insurance claims disputes (b) standard procedures to be followed by offices handling consumer cases at various stages of the litigation (c) GC workflow requirements (d) legal terminology, statutes and regulations relevant to general insurance sector and (e) Judgments of the Supreme Court and precedents in insurance law.

It was a pivotal effort, since legal disputes arising out of general insurance claims can be lodged before a wide variety of Judicial Fora, each with its own distinct procedures/peculiarities and the officers managing litigation in a particular forum, can effectively handle the cases therein, by referring to the relevant section of the Manual dealing with the said forum.

The release of this Manual assumes significance in view of the amounts at stake in consumer litigation and the high number of pending cases, in particular, cases lodged by commercial entities.

(b) Arbitration Guidelines

Most of the insurance policies have an arbitration clause and in case of quantum disputes, the said clause often gets invoked by the insured. In the context of rising number of Arbitration cases, there was a need for having detailed guidelines on arbitration matters for reference by all ROs/LCBs. Accordingly on 18.11.2022, “Standard Procedure for Handling Arbitration Matters” was published by the Corporate Legal Department. It provides detailed instructions to officers, on how to respond during various stages of an arbitration, starting from invocation of arbitration by the insured to the pronouncement of the Award.

(c) Lok Adalat for Consumer Affairs

At the behest of the Department of Consumer Affairs and as instructed by the Ministry of Finance to reduce the number of pending consumer cases, Lok Adalat for consumer cases, was organized for the first time across the country, on 12.11.2022. After regular follow up and by making simplified procedures for identifying/settling cases, 225 consumer cases were placed for Lok Adalat, out of which 72 cases were disposed of, by compromise settlement.

Thereafter, in the Grahak Madhyastata Samadhan organized by the Department of Consumer Affairs on 16.12.2022, 201 consumer cases were placed for settlement discussions and 82 cases were settled through mutual consent.

2. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

आर्थिक स्थितियाँ, बीमा बाजार की तुलना में कंपनी का प्रदर्शन

स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और विशिष्ट बीमा कंपनियों सहित सामान्य बीमा उद्योग में वित्त वर्ष 2022-23 में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उद्योग का कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम पिछले वर्ष के ₹ 2.20 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले ₹ 2.56 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। सामान्य बीमा उद्योग में 2022-23 में कई परिवर्तन हुए हैं। महामारी ने उद्योग के तेजी से डिजिटलीकरण की गति को और और भी तेज कर दिया है, स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती मांग को दर्शाया है, नए उत्पादों की आवश्यकता का सृजन किया है और भी बहुत कुछ। क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा ने बीमा कंपनियों को डिजिटल-फर्स्ट अर्थव्यवस्था में प्रासंगिक बने रहने के लिए रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया है। स्वास्थ्य, समुद्री, इंजीनियरिंग, देयता और अग्नि उद्योग के विकास के मुख्य प्रेरक शक्ति थे।

2022-23 के दौरान हमारी कंपनी ने 12.22 प्रतिशत की वृद्धि दर से ₹ 17,643 करोड़ रुपये का प्रीमियम हासिल किया। हमारी कंपनी के विकास के लिए फसल, समुद्री, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और देयता प्रमुख प्रेरक शक्ति थे। मोटर पोर्टफोलियो, जो पहले हमारे जीडीपीआई के लिए प्रमुख योगदानकर्ता हुआ करता था, ने 9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो हमारी जीडीपीआई में 41 प्रतिशत का योगदान देता है। भारत में सामान्य बीमा बाजार के विस्तार में स्वास्थ्य बीमा का प्रमुख योगदान है। यह भारत में कुल सामान्य बीमा प्रीमियम आय का लगभग 35% योगदान देता है। जबकि वैश्विक महामारी का कई उद्योगों पर प्रभाव पड़ा, वहीं कोविड-19 ने भारतीय बीमा क्षेत्र में विकास को गति दी।

स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती मांग के साथ, हमने नए स्वास्थ्य उत्पादों को पेश करके और मौजूदा उत्पादों में संशोधन करके अपनी स्थिति को अग्रणी बनाए रखने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। ग्राहक व्यवहार में बदलाव डिजिटल लेनदेन के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है और ग्राहक बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने की उम्मीद कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में, प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुकूलन और पारदर्शिता से भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में बीमा की मांग बढ़ने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी परिवर्तनों और नवाचारों के माध्यम से विकास की गति जारी रहेगी।

परिचालन प्रदर्शन

खंडवार प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

| वर्ग-वार निष्पादन सारांश | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| विवरण | | वर्ष | अग्नि | समुद्री | विविध | कुल |
| प्रत्यक्ष सकल प्रीमियम | भारत में | 2022-23 | 1882.54 | 436.34 | 15325.42 | 17644.30 |
| वृद्धि का प्रतिशत | भारत में | 2022-23 | 2.12% | 16.42% | 13.49% | 12.23% |
| प्रत्यक्ष सकल प्रीमियम | भारत में | 2021-22 | 1843.48 | 374.79 | 13503.98 | 15722.25 |
| वृद्धि का प्रतिशत | भारत में | 2021-22 | 3.67% | 10.01% | -7.42% | -5.88% |
| प्रत्यक्ष सकल प्रीमियम | भारत से बाहर | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| वृद्धि का प्रतिशत | भारत से बाहर | 2022-23 | 0% | 0% | 0% | 0% |

डिजिटल मार्केटिंग

कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग पर अपना ध्यान जारी रखा है और अपने आईएसएनपी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पॉलिसियों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विभिन्न वेब एग्जिगेटर्स और ब्रोकर्स के साथ गठजोड़ किया है। कंपनी ने 19 वेब एग्जिगेटर्स और ब्रोकर्स के साथ गठजोड़ किया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान डिजिटल मार्केटिंग में 45.49% की दर से वृद्धि हुई है। कंपनी ने 19 वेब एग्जिगेटर्स, ब्रोकर्स और कस्टमर पोर्टल के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 225.98 करोड़ रुपये के प्रीमियम की तुलना में कुल ₹ 328.78 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त किया है।

वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने अपने आईएसएनपी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पॉलिसियों की ऑनलाइन बिक्री के लिए 7 नए टाई अप्स को शामिल किया है। इन नए टाई अप्स से, कंपनी ने ₹ 51.19 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त किया है और 3,80,830 पॉलिसियां जारी की हैं। डिजिटल मोड के माध्यम से 19 वेब एग्जिगेटर्स और ब्रोकर्स द्वारा योगदान किया गया प्रीमियम 77.89% की भारी वृद्धि दर के साथ ₹ 261 करोड़ रुपये है और ऑनलाइन बेची गई पॉलिसियों की कुल संख्या 9.76 लाख थी।

2022-23 के दौरान कंपनी ने एकीकरण के लिए 16 टाई अप के साथ एमओयू भी किए हैं और उनमें से 3 सफलतापूर्वक शामिल हो गए हैं और अन्य पाइपलाइन में हैं। कंपनी को उम्मीद है कि ये नए गठजोड़ आगामी वर्षों के लिए अच्छा प्रीमियम सुनिश्चित करेंगे।

वित्त वर्ष 2022-23 में ग्राहक पोर्टल के माध्यम से कंपनी ने लगभग रु. ₹ 67.57 करोड़ और ₹ 1.12 लाख पॉलिसियां जारी की। कंपनी की योजना ग्राहक पोर्टल पर अधिक उत्पाद पेश करने और प्रक्रिया को और अधिक ग्राहक अनुकूल बनाने की है।

2. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

ECONOMIC CONDITIONS, INSURANCE MARKET VIS-A-VIS COMPANY'S PERFORMANCE

The General Insurance Industry including Standalone Health Insurance Companies and Specialised Insurance Companies grew by 16 per cent in FY 2022-23 and the total gross direct premium of the industry crossed ₹ 2.56 lakh crore as against ₹ 2.20 lakh crore in the last year. The General Insurance Industry has undergone numerous transformations in 2022-23. The pandemic has accelerated the pace of rapid digitalization of the industry, reflected an increased demand for health insurance, created the need for new products and more. Stiff competition in the sector has pushed insurance companies to adopt strategies to remain relevant in a digital-first economy. The main growth drivers of the Industry were Health, Marine, Engineering, Liability & Fire.

During 2022-23 our Company completed a premium of ₹ 17,644 crores at a growth rate of 12.23 per cent. The key growth drivers for our Company were Crop, Marine, Engineering, Health & Liability. Motor portfolio which was earlier major contributor for our GDPI registered a growth rate of 9 per cent. Health Insurance portfolio contributes 41 per cent of our GDPI. Health insurance is a major contributor to the expansion of the general insurance market in India. It contributes to approximately 35% of total general insurance premium income in India. While the global pandemic had an impact on many industries, COVID-19 spurred growth in the Indian insurance sector.

With growing demand for Health Insurance, we have initiated several measures to maintain our position in the forefront by introducing new health products and revision in existing ones. Changing customer behaviour shows an increasing trend towards digital transactions and customers are expecting to provide a better digital experience. In the coming years, technology-enabled customization and

transparency are expected to increase the demand for insurance in India's tier 2 and tier 3 cities. We hope to continue the growth momentum through transformations and innovations in the coming years as well.

DIGITAL MARKETING

The Company has continued its focus on digital marketing and has entered into tie ups with various Web Aggregators and Brokers for online sale of policies through their ISNP platforms. The Company has tie ups with 19 Web Aggregators & Brokers.

During FY 2022-23 Digital Marketing has grown @45.49%. The Company has procured a total premium of ₹ 328.78 crores compared to last financial year's ₹ 225.98 crores premium through 19 Web Aggregators, Brokers and Customer Portal.

FY 2022-23 has seen on boarding of 7 new Tie Ups by the Company for the online sale of policies through their ISNP Platforms. From these new Tie Ups, the Company has procured ₹ 51.19 crores premium and issued 3,80,830 policies. The premium contributed by 19 Web Aggregators and Brokers through digital mode is ₹ 261 crores with a whopping growth rate of 77.89% and the total number of policies sold online was 9.76 Lakhs.

During 2022-23 the Company has also entered into MOUs with 16 Tie Ups for integration and out of them 3 were on boarded successfully and others are in the pipeline. The Company expects these new tie ups will ensure good premium for the upcoming years.

In FY 2022-23 through customer portal the company has collected a premium of about ₹ 67.57 crores and issued ₹ 1.12 Lakh policies. The company plans to introduce more products on the customer portal and make the process more customer friendly.

OPERATING PERFORMANCE

Segmental Performance

(₹ In Crores)

| CLASS-WISE PERFORMANCE SUMMARY | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|---------|--------|----------|----------|
| Particulars | | Year | Fire | Marine | Misc. | Total |
| Gross Direct Premium | In India | 2022-23 | 1882.54 | 436.34 | 15325.42 | 17644.30 |
| Percentage Growth | In India | 2022-23 | 2.12% | 16.42% | 13.49% | 12.23% |
| Gross Direct Premium | In India | 2021-22 | 1843.48 | 374.79 | 13503.98 | 15722.25 |
| Percentage Growth | In India | 2021-22 | 3.67% | 10.01% | -7.42% | -5.88% |
| Gross Direct Premium | Outside India | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Percentage Growth | Outside India | 2022-23 | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | | वर्ष | अग्नि | समुद्री | विविध | कुल |
|---|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| प्रत्यक्ष सकल प्रीमियम | भारत से बाहर | 2021-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| वृद्धि का प्रतिशत | भारत से बाहर | 2021-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| प्रत्यक्ष सकल प्रीमियम | कुल | 2022-23 | 1882.54 | 436.34 | 15325.42 | 17644.30 |
| वृद्धि का प्रतिशत | कुल | 2022-23 | 2.12% | 16.42% | 13.49% | 12.23% |
| प्रत्यक्ष सकल प्रीमियम | कुल | 2021-22 | 1843.48 | 374.79 | 13503.98 | 15722.25 |
| वृद्धि का प्रतिशत | कुल | 2021-22 | 3.67% | 10.01% | -7.42% | -5.88% |
| स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम | भारत में | 2022-23 | 213.21 | 2.32 | 39.43 | 254.96 |
| स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम | भारत में | 2021-22 | 249.82 | 8.51 | 52.77 | 311.10 |
| स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम | भारत से बाहर | 2022-23 | 9.55 | 2.44 | 3.07 | 15.06 |
| स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम | भारत से बाहर | 2021-22 | 4.64 | 1.60 | 9.84 | 16.08 |
| स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम | कुल | 2022-23 | 222.76 | 4.76 | 42.5 | 270.02 |
| स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम | कुल | 2021-22 | 254.46 | 10.11 | 62.61 | 327.18 |
| अर्पित पुनर्बीमा प्रीमियम | भारत में | 2022-23 | 860.31 | 62.46 | 666.16 | 1588.93 |
| अर्पित पुनर्बीमा प्रीमियम | भारत में | 2021-22 | 688.61 | 109.38 | 1103.05 | 1901.04 |
| अर्पित पुनर्बीमा प्रीमियम | भारत से बाहर | 2022-23 | 336.37 | 161.08 | 431.09 | 928.54 |
| अर्पित पुनर्बीमा प्रीमियम | भारत से बाहर | 2021-22 | 364.17 | 43.24 | 304.31 | 711.72 |
| अर्पित पुनर्बीमा प्रीमियम | कुल | 2022-23 | 1196.68 | 223.54 | 1097.25 | 2517.47 |
| अर्पित पुनर्बीमा प्रीमियम | कुल | 2021-22 | 1052.78 | 152.62 | 1407.36 | 2612.76 |
| शुद्ध प्रीमियम | भारत में | 2022-23 | 1235.44 | 376.20 | 14698.69 | 16310.33 |
| पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत | भारत में | 2022-23 | -12.05% | 37.34% | 18.03% | 15.41% |
| सकल प्रीमियम का प्रतिशत | भारत में | 2022-23 | 65.63% | 86.22% | 95.91% | 92.44% |
| शुद्ध प्रीमियम | भारत में | 2021-22 | 1404.69 | 273.92 | 12453.70 | 14132.31 |
| पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत | भारत में | 2021-22 | 10.81% | -14.55% | -7.12% | -5.76% |
| सकल प्रीमियम का प्रतिशत | भारत में | 2021-22 | 76.20% | 73.09% | 92.22% | 89.89% |
| शुद्ध प्रीमियम | भारत से बाहर | 2022-23 | -326.82 | -158.64 | -428.02 | -913.48 |
| पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत | भारत से बाहर | 2022-23 | -9.10% | 280.98% | 45.35% | 31.32% |
| सकल प्रीमियम का प्रतिशत | भारत से बाहर | 2022-23 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| शुद्ध प्रीमियम | भारत से बाहर | 2021-22 | -359.53 | -41.64 | -294.47 | -695.64 |
| पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत | भारत से बाहर | 2021-22 | -6.44% | -67.84% | -26.77% | -24.05% |
| सकल प्रीमियम का प्रतिशत | भारत से बाहर | 2021-22 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| शुद्ध प्रीमियम | कुल | 2022-23 | 908.62 | 217.56 | 14270.67 | 15396.85 |
| पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत | कुल श्र | 2022-23 | -13.06% | -6.34% | 17.36% | 14.59% |
| सकल प्रीमियम का प्रतिशत | कुल | 2022-23 | 48.27% | 49.86% | 93.12% | 87.26% |
| शुद्ध प्रीमियम | कुल | 2021-22 | 1045.16 | 232.28 | 12159.23 | 13436.67 |
| पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत | कुल | 2021-22 | 18.31% | 21.56% | -6.51% | -4.57% |
| सकल प्रीमियम का प्रतिशत | कुल | 2021-22 | 56.69% | 61.98% | 90.04% | 85.46% |
| असमाप्त जोखिम भंडार में वृद्धि | | 2022-23 | -88.10 | 9.23 | -173.69 | -252.56 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | | 2022-23 | -9.70% | 4.24% | -1.22% | -1.64% |
| असमाप्त जोखिम भंडार में वृद्धि | | 2021-22 | -135.40 | -29.36 | 423.71 | 258.95 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | | 2021-22 | 12.95% | 12.64% | -3.48% | -1.93% |

(₹ In Crores)



| | | Year | Fire | Marine | Misc. | Total |
|---|---------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Gross Direct Premium | Outside India | 2021-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Percentage Growth | Outside India | 2021-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Gross Direct Premium | Total | 2022-23 | 1882.54 | 436.34 | 15325.42 | 17644.30 |
| Percentage Growth | Total | 2022-23 | 2.12% | 16.42% | 13.49% | 12.23% |
| Gross Direct Premium | Total | 2021-22 | 1843.48 | 374.79 | 13503.98 | 15722.25 |
| Percentage Growth | Total | 2021-22 | 3.67% | 10.01% | -7.42% | -5.88% |
| Reinsurance Premium Accepted | In India | 2022-23 | 213.21 | 2.32 | 39.43 | 254.96 |
| Reinsurance Premium Accepted | In India | 2021-22 | 249.82 | 8.51 | 52.77 | 311.10 |
| Reinsurance Premium Accepted | Outside India | 2022-23 | 9.55 | 2.44 | 3.07 | 15.06 |
| Reinsurance Premium Accepted | Outside India | 2021-22 | 4.64 | 1.60 | 9.84 | 16.08 |
| Reinsurance Premium Accepted | Total | 2022-23 | 222.76 | 4.76 | 42.5 | 270.02 |
| Reinsurance Premium Accepted | Total | 2021-22 | 254.46 | 10.11 | 62.61 | 327.18 |
| Reinsurance Premium Ceded | In India | 2022-23 | 860.31 | 62.46 | 666.16 | 1588.93 |
| Reinsurance Premium Ceded | In India | 2021-22 | 688.61 | 109.38 | 1103.05 | 1901.04 |
| Reinsurance Premium Ceded | Outside India | 2022-23 | 336.37 | 161.08 | 431.09 | 928.54 |
| Reinsurance Premium Ceded | Outside India | 2021-22 | 364.17 | 43.24 | 304.31 | 711.72 |
| Reinsurance Premium Ceded | Total | 2022-23 | 1196.68 | 223.54 | 1097.25 | 2517.47 |
| Reinsurance Premium Ceded | Total | 2021-22 | 1052.78 | 152.62 | 1407.36 | 2612.76 |
| Net Premium | In India | 2022-23 | 1235.44 | 376.20 | 14698.69 | 16310.33 |
| Percentage Increase over previous year | In India | 2022-23 | -12.05% | 37.34% | 18.03% | 15.41% |
| Percentage to Gross Premium Net Premium | In India | 2022-23 | 65.63% | 86.22% | 95.91% | 92.44% |
| Net Premium | In India | 2021-22 | 1404.69 | 273.92 | 12453.70 | 14132.31 |
| Percentage Increase over previous year | In India | 2021-22 | 10.81% | -14.55% | -7.12% | -5.76% |
| Percentage to Gross Premium Net Premium | In India | 2021-22 | 76.20% | 73.09% | 92.22% | 89.89% |
| Net Premium | Outside India | 2022-23 | -326.82 | -158.64 | -428.02 | -913.48 |
| Percentage Increase over previous year | Outside India | 2022-23 | -9.10% | 280.98% | 45.35% | 31.32% |
| Percentage to Gross Premium Net Premium | Outside India | 2022-23 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Net Premium | Outside India | 2021-22 | -359.53 | -41.64 | -294.47 | -695.64 |
| Percentage Increase over previous year | Outside India | 2021-22 | -6.44% | -67.84% | -26.77% | -24.05% |
| Percentage to Gross Premium Net Premium | Outside India | 2021-22 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Net Premium | Total | 2022-23 | 908.62 | 217.56 | 14270.67 | 15396.85 |
| Percentage Increase over previous year | Total | 2022-23 | -13.06% | -6.34% | 17.36% | 14.59% |
| Percentage to Gross Premium Net Premium | Total | 2022-23 | 48.27% | 49.86% | 93.12% | 87.26% |
| Net Premium | Total | 2021-22 | 1045.16 | 232.28 | 12159.23 | 13436.67 |
| Percentage Increase over previous year | Total | 2021-22 | 18.31% | 21.56% | -6.51% | -4.57% |
| Percentage to Gross Premium Net Premium | Total | 2021-22 | 56.69% | 61.98% | 90.04% | 85.46% |
| Increase in Unexpired Risk Reserves | | 2022-23 | -88.10 | 9.23 | -173.69 | -252.56 |
| Percentage to Net Premium | | 2022-23 | -9.70% | 4.24% | -1.22% | -1.64% |
| Increase in Unexpired Risk Reserves | | 2021-22 | -135.40 | -29.36 | 423.71 | 258.95 |
| Percentage to Net Premium | | 2021-22 | 12.95% | 12.64% | -3.48% | -1.93% |

(₹ करोड में)

| | वर्ष | अग्नि | समुद्री | विविध | कुल |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|
| अर्जित शुद्ध प्रीमियम | 2022-23 | 820.52 | 226.79 | 14096.98 | 15144.29 |
| अर्जित शुद्ध प्रीमियम | 2021-22 | 909.76 | 202.92 | 12582.94 | 13695.62 |
| शुद्ध उपगत दावे | 2022-23 | 573.59 | 134.17 | 13353.22 | 14060.98 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2022-23 | 63.13% | 61.67% | 93.57% | 91.32% |
| शुद्ध उपगत दावे | 2021-22 | 531.98 | 179.58 | 12788.46 | 13500.02 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2021-22 | 50.90% | 77.31% | 105.17% | 100.47% |
| शुद्ध कमीशन | 2022-23 | 97.15 | 26.70 | 937.35 | 1061.20 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2022-23 | 10.69% | 12.27% | 6.57% | 6.89% |
| शुद्ध कमीशन | 2021-22 | 126.32 | 26.29 | 749.89 | 902.50 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2021-22 | 12.09% | 11.32% | 6.17% | 6.72% |
| विदेशी कर और विनिमय लाभ/ हानि सहित बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय | 2022-23 | 734.59 | 117.58 | 5455.50 | 6307.67 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2022-23 | 80.85% | 54.04% | 38.23% | 40.97% |
| विदेशी कर और विनिमय लाभ/ हानि सहित बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय | 2021-22 | 531.47 | 75.79 | 3533.68 | 4140.94 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2021-22 | 50.85% | 32.63% | 29.06% | 30.82% |
| बीमालेखन परिणाम | 2022-23 | -584.81 | -51.66 | -5649.09 | -6285.56 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2022-23 | -64.36% | -23.75% | -39.59% | -40.82% |
| बीमालेखन परिणाम | 2021-22 | -280.01 | -78.74 | -4489.09 | -4847.84 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2021-22 | -26.79% | -33.90% | -36.92% | -36.08% |
| निवेश आय का विभाजन, निवेश की प्राप्ति पर लाभ सहित (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का शुद्ध) | 2022-23 | 233.98 | 53.91 | 3235.87 | 3523.76 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2022-23 | 25.75% | 24.78% | 22.67% | 22.89% |
| निवेश आय का विभाजन, निवेश की प्राप्ति पर लाभ सहित (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का शुद्ध) | 2021-22 | 234.34 | 41.37 | 2364.79 | 2640.50 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2021-22 | 22.42% | 17.81% | 19.45% | 19.65% |
| अन्य आय/ निर्गम | 2022-23 | 337.64 | 47.52 | 1961.54 | 2346.70 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2022-23 | 37.16% | 21.84% | 13.75% | 15.24% |
| अन्य आय/ निर्गम | 2021-22 | 138.98 | 16.41 | 374.07 | 529.46 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2021-22 | 13.30% | 7.07% | 3.08% | 3.94% |
| पॉलिसी धारकों के खाते में परिचालन परिणाम | 2022-23 | -13.20 | 49.78 | -451.67 | -415.09 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2022-23 | -1.45% | 22.88% | -3.17% | -2.70% |
| पॉलिसी धारकों के खाते में परिचालन परिणाम | 2021-22 | 93.31 | -20.96 | -1750.24 | -1677.88 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 2021-22 | 8.93% | -9.02% | -14.39% | -12.49% |

(₹ In Crores)

| | Year | Fire | Marine | Misc. | Total |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|
| Net Premium Earned | 2022-23 | 820.52 | 226.79 | 14096.98 | 15144.29 |
| Net Premium Earned | 2021-22 | 909.76 | 202.92 | 12582.94 | 13695.62 |
| Net Incurred Claims | 2022-23 | 573.59 | 134.17 | 13353.22 | 14060.98 |
| Percentage to Net Premium | 2022-23 | 63.13% | 61.67% | 93.57% | 91.32% |
| Net Incurred Claims | 2021-22 | 531.98 | 179.58 | 12788.46 | 13500.02 |
| Percentage to Net Premium | 2021-22 | 50.90% | 77.31% | 105.17% | 100.47% |
| Net Commission | 2022-23 | 97.15 | 26.70 | 937.35 | 1061.20 |
| Percentage to Net Premium | 2022-23 | 10.69% | 12.27% | 6.57% | 6.89% |
| Net Commission | 2021-22 | 126.32 | 26.29 | 749.89 | 902.50 |
| Percentage to Net Premium | 2021-22 | 12.09% | 11.32% | 6.17% | 6.72% |
| Operating Expenses Related to Insurance business including Foreign Taxes & Exchange Gain / Loss | 2022-23 | 734.59 | 117.58 | 5455.50 | 6307.67 |
| Percentage to Net Premium | 2022-23 | 80.85% | 54.04% | 38.23% | 40.97% |
| Operating Expenses Related to Insurance business including Foreign Taxes & Exchange Gain / Loss | 2021-22 | 531.47 | 75.79 | 3533.68 | 4140.94 |
| Percentage to Net Premium | 2021-22 | 50.85% | 32.63% | 29.06% | 30.82% |
| Underwriting Results | 2022-23 | -584.81 | -51.66 | -5649.09 | -6285.56 |
| Percentage to Net Premium | 2022-23 | -64.36% | -23.75% | -39.59% | -40.82% |
| Underwriting Results | 2021-22 | -280.01 | -78.74 | -4489.09 | -4847.84 |
| Percentage to Net Premium | 2021-22 | -26.79% | -33.90% | -36.92% | -36.08% |
| Investment Income Apportioned, including Profit on realisation of Investments (Net of Provision for Non Performing Assets) | 2022-23 | 233.98 | 53.91 | 3235.87 | 3523.76 |
| Percentage to Net Premium | 2022-23 | 25.75% | 24.78% | 22.67% | 22.89% |
| Investment Income Apportioned, including Profit on realisation of Investments (Net of Provision for Non Performing Assets) | 2021-22 | 234.34 | 41.37 | 2364.79 | 2640.50 |
| Percentage to Net Premium | 2021-22 | 22.42% | 17.81% | 19.45% | 19.65% |
| Other Income / Outgo | 2022-23 | 337.64 | 47.52 | 1961.54 | 2346.70 |
| Percentage to Net Premium | 2022-23 | 37.16% | 21.84% | 13.75% | 15.24% |
| Other Income / Outgo | 2021-22 | 138.98 | 16.41 | 374.07 | 529.46 |
| Percentage to Net Premium | 2021-22 | 13.30% | 7.07% | 3.08% | 3.94% |
| Operating Results in Policy Holders' Account | 2022-23 | -13.20 | 49.78 | -451.67 | -415.09 |
| Percentage to Net Premium | 2022-23 | -1.45% | 22.88% | -3.17% | -2.70% |
| Operating Results in Policy Holders' Account | 2021-22 | 93.31 | -20.96 | -1750.24 | -1677.88 |
| Percentage to Net Premium | 2021-22 | 8.93% | -9.02% | -14.39% | -12.49% |

प्रीमियम विश्लेषण (वैश्विक) - ₹ करोड में

भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम - ₹ करोड.में

सारांश



(₹ करोड में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|----------|----------|
| पॉलिसी धारकों के खाते में परिचालन परिणाम | -415.09 | -1677.88 |
| निवेश की आय का प्रभाजन, निवेश की प्राप्ति पर लाभ (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का शुद्ध) सहित - शेयरधारकों का खाता | 0 | 200.88 |
| अन्य आय और व्यय | -2414.24 | -658.55 |
| कर पूर्व लाभ | -2829.33 | -2135.55 |
| कर के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ें: कर समायोजन | 0.00 | 0.00 |
| कर उपरांत शुद्ध लाभ | -2829.33 | -2135.55 |
| घटाएं: डिबेंचर रीडिम्पशन रिजर्व में हस्तांतरित राशि | 0.00 | 22.50 |
| घटाएं: आकस्मिकता आरक्षित निधि में अंतरित राशि | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में/से अंतरित की गई राशि | -112.50 | -2158.05 |
| लाभांश के लिए प्रस्तावित शेष राशि | 0.00 | 0.00 |
| कॉर्पोरेट लाभांश कर | 0.00 | 0.00 |

पूँजी & निधि

(₹ in crores)

| विवरण | के अनुसार | के अनुसार |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| प्रदत्त पूंजी | 3905.00 | 3905.00 |
| संपत्ति कोष | 1.36 | 1.36 |
| सामान्य आरक्षित | 0.00 | 0.00 |
| आकस्मिक आरक्षित | 0.00 | 0.00 |
| निवेश रिजर्व | 0.86 | 0.86 |
| विदेशी मुद्रा संप्रेषण रिजर्व | 19.90 | 17.80 |
| डिबेंचर रीडिम्पशन रिजर्व | 0 | 112.50 |
| कुल | 3927.12 | 4037.52 |



Summary

(₹ In Crores)


| Details | 2022-23 | 2021-22 |
|--|----------|----------|
| Operating Results in Policy Holders' Account | -415.09 | -1677.88 |
| Investment Income Apportioned, including Profit on realisation of Investments (Net of Provision for Non-Performing Assets) – Shareholders' Account | 0 | 200.88 |
| Other Income & Outgo | -2414.24 | -658.55 |
| Profit Before Tax | -2829.33 | -2135.55 |
| Provision for Tax | 0.00 | 0.00 |
| Add: Tax Adjustments | 0.00 | 0.00 |
| Net Profit after Tax | -2829.33 | -2135.55 |
| Less: Amount Transferred to Debenture Redemption Reserve | 0.00 | 22.50 |
| Less: Amount Transferred to Contingency Reserve | 0.00 | 0.00 |
| Less: Amount transferred to/from General Reserve | -112.50 | -2158.05 |
| Balance proposed for Dividend | 0.00 | 0.00 |
| Corporate Dividend Tax | 0.00 | 0.00 |

Capital & Funds


(₹ in crores)

| Details | As on | As on |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Paid-up Capital | 3905.00 | 3905.00 |
| Capital Reserve | 1.36 | 1.36 |
| General Reserve | 0.00 | 0.00 |
| Contingency Reserve | 0.00 | 0.00 |
| Investment Reserve | 0.86 | 0.86 |
| Foreign Currency Translation Reserve | 19.90 | 17.80 |
| Debenture Redemption Reserve | 0 | 112.50 |
| Total | 3927.12 | 4037.52 |


ब्याज, लाभांश तथा किराया - ₹ करोड़ में




पूँजी व निधि तथा कुल परिसंपत्तियाँ - ₹ करोड़ में




लाभ विश्लेषण - ₹ करोड़ में




Interest, Dividend and Rent - ₹ in crores



Capital & Funds and Total Assets - ₹ in crores



Profit Analysis - ₹ in crores



निष्पादन समीक्षा

(₹ करोड में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|----------|----------|
| सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम | 17644.31 | 15722.25 |
| पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत | 12.23% | -5.88% |
| शुद्ध प्रीमियम | 15396.84 | 13436.65 |
| पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत | 14.59% | -4.57% |
| प्रतिधारण अनुपात | 85.95% | 83.72% |
| असमाप्त रिज़र्व में परिवर्तन | -252.55 | 258.95 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | -1.64% | 1.93% |
| शुद्ध उपगत दावे | 14060.98 | 13500.02 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 91.32% | 100.47% |
| कमीशन (शुद्ध) | 1061.19 | 902.49 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 6.89% | 6.72% |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय (विनियम हानि/लाभ सहित) | 6307.68 | 4140.93 |
| शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत | 40.97% | 30.82% |
| निवेश आय (प्रावधानों का शुद्ध) | 3523.76 | 2845.59 |
| अन्य आय | -67.52 | -133.30 |
| कुल आय | 3456.24 | 2712.29 |
| पॉलिसी धारकों को आवंटित | 5870.47 | 3169.95 |
| शेयरधारकों को आवंटित | -2414.23 | -457.66 |

- 2021-22 में ₹ 121.97 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 2022-23 में शुद्ध आधार पर निवेश आय में ₹ 1.55 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। निवेश पर औसत उपज (बिक्री और अन्य आय पर लाभ सहित) 2021-22 में 8.26% की तुलना में 10.26% है। कंपनी ने ऋण और डिबेंचर के वर्गीकरण और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रावधान से संबंधित आईआरडीएआई मानदंडों/संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन किया है। 31-03-2023 को कुल निवेश पर शुद्ध एनपीए प्रतिशत 0% था, जबकि 31-03-2022 को यह 0.04% था।
- 31 मार्च 2023 तक कुल निवेश का बहिर्मुख पिछले वर्ष के ₹ 34,745.16 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹ 32,759.96 करोड़ रुपये हो गया और वर्ष के दौरान शुद्ध अभिवृद्धि 2021-22 में ₹ 256.12 करोड़ रुपये की तुलना में (₹ 1985.20) करोड़ रुपये हो गई।

(₹ करोड में)

| | 2022-23 | 2021-22 |
|--------------------------------|----------|----------|
| कुल संपत्तियाँ | 44253.50 | 45066.38 |
| निवेश संपत्तियाँ (बहिर्मुख पर) | 32759.96 | 34745.16 |

- 31 मार्च 2023 को हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य ₹ 6,963.66 करोड़ रुपये के बहिर्मुख की तुलना में ₹ 10,564.43 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष का संगत मूल्य क्रमशः ₹ 10,393.35 करोड़ रुपये और ₹ 7,301.54 करोड़ रुपये था।

आईआरडीएआई विनियमनों का अनुपालन

31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने बुनियादी ढांचे में निवेश सहित निवेश में आईआरडीएआई विनियमों का अनुपालन किया है:

| श्रेणी | 31-03-2023 को निवेश की स्थिति (₹ करोड में) | कुल निवेश का % | निर्धारित सीमा |
|--|--|----------------|----------------|
| केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | 17,254.50 | 52.67% | 30% से कम नहीं |
| आवास/बुनियादी ढाँचा तथा राज्य सरकार को आवास एवं अग्रिम और ऋण | 6,077.02 | 18.55% | 15% से कम नहीं |

Performance Review

(₹ in crores)

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|--|----------|----------|
| Gross Direct Premium | 17644.31 | 15722.25 |
| Percentage change over Previous Year | 12.23% | -5.88% |
| Net Premium | 15396.84 | 13436.65 |
| Percentage change over Previous Year | 14.59% | -4.57% |
| Retention Ratio | 85.95% | 83.72% |
| Change in Unexpired Reserve | -252.55 | 258.95 |
| Percentage to Net Premium | -1.64% | 1.93% |
| Incurred Claims Net | 14060.98 | 13500.02 |
| Percentage to Net Premium | 91.32% | 100.47% |
| Commission (Net) | 1061.19 | 902.49 |
| Percentage to Net Premium | 6.89% | 6.72% |
| Operating Expenses relating to Insurance Business (Including Exchange Loss/Gain) | 6307.68 | 4140.93 |
| Percentage to Net Premium | 40.97% | 30.82% |
| Investment Income (Net of Provisions) | 3523.76 | 2845.59 |
| Other Income | -67.52 | -133.30 |
| Total Income | 3456.24 | 2712.29 |
| Apportioned to Policy Holders | 5870.47 | 3169.95 |
| Apportioned to Share Holders | -2414.23 | -457.66 |

- Investment Income on net basis increased by ₹ 1.55 crores in 2022-23 as compared to increase by ₹ 121.97 crores in 2021-22. The Mean yield on Investments (including Profit on Sale and Other Income) is 10.26% as compared to 8.26% in 2021-22. The Company followed the IRDAI norms/related RBI guidelines relating to classification of loans and debentures and provision for Non-Performing Assets. The net NPA percentage to Total Investments stood at 0% as on 31-03-2023 as against 0.04% as on 31-03-2022.
- Book value of total investments as at 31st March 2023 aggregated to ₹ 32,759.96 crores from ₹ 34,745.16 crores in the Previous Year and the net accretion during the year amounted to ₹ (1985.20) crores as against ₹ 256.12 crores in 2021-22.

(₹ in Crores)

| | 2022-23 | 2021-22 |
|------------------------------------|----------|----------|
| Total Assets | 44253.50 | 45066.38 |
| Investments Assets (at Book Value) | 32759.96 | 34745.16 |

- The Market Value of our Equity Portfolio as at 31st March 2023 stood at ₹ 10,564.43 crores as compared to Book Value of ₹ 6,963.66 crores. The corresponding value for the previous year was ₹ 10,393.35 crores and ₹ 7,301.54 crores respectively.

Compliance with IRDAI Regulation

As on 31st March 2023, the Company has complied with IRDAI Regulations in Investments including investments in infrastructure as under:

| Category | Investment as on 31-03-2023 (₹ in Crores) | % to Total Investments | Prescribed Limit |
|---|---|------------------------|-------------------|
| Central Government, State Government and Other Approved Securities | 17,254.50 | 52.67% | Not less than 30% |
| Housing/Infrastructure and Loans to State Govt. Housing and Fire Fighting | 6,077.02 | 18.55% | Not less than 15% |

राष्ट्रीय कोष को योगदान

(₹ करोड रु. में)

| विवरण | 2022-23 के अनुसार | 2021-22 के अनुसार |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| निगमित कर | 0.00 | 0.00 |
| संपत्ति कर | 0.00 | 0.00 |
| सरकार को लाभांश भुगतान | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान लाभांश कर का भुगतान | 0.00 | 0.00 |
| जीएसटी/सेवा कर | 1751.92 | 1691.61 |

प्रमुख लेखा अनुपात

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|------------------------|----------|----------|
| तकनीकी रिजर्व अनुपात | 2.08 | 2.32 |
| शुद्ध प्रतिधारण अनुपात | 85.95% | 83.72% |
| परिचालन लाभ अनुपात | -2.74% | -12.25% |
| शुद्ध अर्जित अनुपात | -18.38% | -15.89% |
| निवल मूल्य पर प्रतिफल | -386.49% | -101.93% |

निगमीय सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध 3 के रूप में संलग्न है।

ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र तथा माइक्रो बीमा

इन बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न उत्पादों के साथ कंपनी का ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है। ग्रामीण बीमा क्षेत्र में कंपनी की महत्वपूर्ण मौजूदगी है। मुख्य पोर्टफोलियो इस प्रकार है

- 1) पशुधन बीमा
- 2) जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- 3) किसान क्रेडिट कार्ड पॉलिसियाँ

पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारी कंपनी का ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र का व्यवसाय इस प्रकार है:

| विवरण | वि व - 2022-23 | वि व - 2021-22 | वि व - 2020-21 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| बीमा लिखित कुल सकल प्रीमियम (₹ रु. करोड में) | 17644.31 | 15722.25 | 16704.69 |
| ग्रामीण क्षेत्र का प्रीमियम (₹ रु.करोड में) | 1570.78 | 1191.03 | 1489.07 |
| सामाजिक क्षेत्र में कवर किये गये व्यक्तियों की संख्या (₹ रु. करोड में) | 18.69 | 15.70 | 15.77 |

विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भारत में किसानों के सभी प्रकार के मवेशियों को पशु बीमा पोर्टफोलियो कवर करता है। वर्ष 2022-23 में, कंपनी ने तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय पशुधन मिशन/पशुधन बीमा योजनाएं लागू किया है। तमिलनाडु सरकार की निःशुल्क वितरण योजना के अंतर्गत भेड़ और बकरियों के लिए बीमा कवरेज भी कंपनी ने वर्ष के दौरान विस्तारित किया।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के संदर्भ में, जनता व्यक्तिगत दुर्घटना और समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियाँ किफायती उत्पाद हैं जो आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पॉलिसी भी विभिन्न बैंकों के माध्यम से जारी की जाती हैं।

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले 20 माइक्रो बीमा उत्पाद हैं। माइक्रो बीमा उत्पादों के वितरण के लिए कंपनी के 231 माइक्रो बीमा एजेंट हैं जिनमें गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह और इसी तरह के समूह शामिल हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कंपनी ने 120 बैंकों के माध्यम से 30949410 लोगों को कवर किया है।
- इस योजना के अंतर्गत हासिल की गई प्रीमियम 60.75 करोड रुपये है।

कॉमन सर्विस सेंटर (सी एस सी)

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) भारत में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का एक अभिन्न अंग है, जो ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा स्थापित किया गया है। देश भर में 3,60,000 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) फ्रॉन्टले हुए हैं और वे डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, शिक्षा, कृषि और सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसी व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं।

Contribution to National Exchequer

(₹ in Crores)

| Details | As on 2022-23 | As on 2021-22 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Corporate Tax | 0.00 | 0.00 |
| Wealth Tax | 0.00 | 0.00 |
| Dividend paid to Government | 0.00 | 0.00 |
| Dividend Tax paid during the year | 0.00 | 0.00 |
| GST | 1751.92 | 1691.61 |

Key Accounting Ratios

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|-------------------------|----------|----------|
| Technical Reserve Ratio | 2.08 | 2.32 |
| Net Retention Ratio | 85.95% | 83.72% |
| Operating Profit Ratio | -2.74% | -12.25% |
| Net Earning Ratio | -18.38% | -15.89% |
| Return on Networth | -386.49% | -101.93% |

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Annual Report on CSR as required under the Companies Act, 2013 is enclosed as Annexure 3.

RURAL AND SOCIAL SECTOR AND MICRO INSURANCE

The Company has a strong focus on the rural and social sectors with a variety of products designed to cater to the needs of these markets. The Company has a significant presence in the rural insurance. The main portfolio is as under:

- 1) Livestock Insurance
- 2) Janta Personal Accident Insurance
- 3) Kisan Credit Card policies

The rural & social sector business of our Company during the last three years is as follows:

| Particulars | FY - 2022-23 | FY - 2021-22 | FY - 2020-21 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GROSS PREMIUM UNDERWRITTEN (₹ IN CRORES) | 17644.31 | 15722.25 | 16704.69 |
| RURAL SECTOR PREMIUM (₹ IN CRORES) | 1570.78 | 1191.03 | 1489.07 |
| NO. OF LIVES COVERED UNDER SOCIAL SECTOR (₹ IN CRORES) | 18.69 | 15.70 | 15.77 |

Cattle insurance portfolio covers all types of cattle belonging to farmers in India through various government schemes. In the year 2022-23, the Company has implemented the National Livestock Mission/Cattle insurance schemes in the States of Tamil Nadu, Odisha, West Bengal, Gujarat, Karnataka, Punjab, Assam, Kerala, West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. Company also extended insurance coverage to sheep and goats under the Free Distribution Scheme of the Government of Tamil Nadu during the year.

In terms of personal accident insurance, Janta Personal Accident and Group Janta Personal Accident policies are affordable products that provide social security to the common man. Kisan Credit Card policies are also issued through different banks.

The Company has 20 micro insurance products to cater to the needs of financially weaker sections of society. The

Company has 231 micro insurance agents comprising NGOs, self-help groups and similar groups for distributing micro insurance products.

PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA (PMSBY)

- Under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Scheme, the Company has covered 30949410 lives from 120 Banks.
- The premium procured under this Scheme is ₹ 60.75 crores.

COMMON SERVICE CENTRES (CSC)

Common Service Centers (CSCs) are an integral part of the National e-governance plan (NeGP) in India, established by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) to provide access to essential public services to citizens in rural and remote areas of the

सीएससी भारत में बीमा उत्पादों के वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल बन गया है। यूआईआईसी की सीएससी पोर्टल ने नागरिकों को व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी, फायर पॉलिसी, मोटर देयता पॉलिसी और मोटर पैकेज पॉलिसी सहित कई बीमा पॉलिसियां उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा विभिन्न माइक्रो बीमा पॉलिसियों, विविध बीमा और स्वास्थ्य उत्पादों को शीघ्र ही सीएससी प्लेटफॉर्म में एकीकृत किए जाने की उम्मीद है।

31 मार्च, 2023 तक, 70,586 वीएलई (ग्राम स्तर के उद्यमी) यूआईआईसी के पोर्टल पर मैप किए गए थे और इस मंच के माध्यम से कुल 3,254 पॉलिसियों का लेनदेन किया गया था। 2022-23 में कुल 36,36,297 रुपये का प्रीमियम हासिल किया गया।

पीओएसपी चैनल

पीओएसपी चैनल 2022 में पेश किया गया था। यह चैनल पॉइंट ऑफ सेल पर्सन्स (पीओएसपी) की सीधी भर्ती की अनुमति देता है जो ग्राहकों को बीमा पॉलिसी बेच सकते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने 1200 पीओएसपी के माध्यम से ₹ 44.03 करोड़ रुपये की पॉलिसियां बेचीं, जिनकी सीधे भर्ती की गई थी या बिजनेस डेवलपमेंट एजीक्यूटिव्स/मैनेजरों के माध्यम से भर्ती की गई थी। अतिरिक्त 4104 पीओएसपी को मध्यस्थों के माध्यम से मैप किया गया।

पीओएसपी चैनल स्वास्थ्य और व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद पेश करता है। भविष्य में भी इस चैनल पर ध्यान केंद्रित रहेगा।

मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना- तमिलनाडु

मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना, एक प्रतिष्ठित बीमा कवर लागू करने के लिए हमारी कंपनी ने एक बार फिर तमिलनाडु सरकार से निविदा प्राप्त की है, जो 11 जनवरी 2012 को 4 साल की अवधि के लिए पहली निविदा के साथ परिचालन में आई थी। आपसी सहमति के साथ एक वर्ष के विस्तार का विकल्प का लाभ लेते हुए अब हम 12वें वर्ष की सफल यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार तीसरी बार एल 1 बोलीदाता के रूप में उभरकर 2022 की निविदा को प्राप्त किया।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसी भी परिवार के सदस्यों को, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (वीएओ) द्वारा प्रमाणित ₹1,20,000/- रुपये से कम है और जिसके पास वैध राशन कार्ड (पीडीएस) हो, उन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचार प्रदान करना है। आदिवासी, दिव्यांग, शीलंकाई शरणार्थी, अन्य राज्यों के प्रवासी, अनाथ और निस्तारित किये गये बच्चियां भी इस योजना में सम्मिलित हैं। सीएमसीएचआईएस के अंतर्गत प्रति परिवार ₹ 5 लाख रुपये की बीमा राशि है। पूरी प्रक्रिया कैशलेस और कागज रहित है। लाभार्थियों की भलाई के लिए समय-समय पर ग्रामवार और तालुकावार चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं।

इस योजना को 2018 में 01-12-2018 से आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत किया गया। 861 सरकारी अस्पताल, 966 निजी अस्पताल, कुल 1827 अस्पताल और 942 डायग्नोस्टिक सेंटर, 53 ऑटिज्म सेंटर, 38 डीडीएडब्ल्यूओ के द्वारा आज तक इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 7 दिनों के दावे की टीएटी के साथ 1% से कम की शिकायत ही इस योजना की विशिष्टता है। 12वें पॉलिसी वर्ष के दौरान हासिल किया गया प्रीमियम ₹ 1200 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें राज्य में ₹ 1.41 करोड़ परिवारों का कवरेज है, तथा राज्य में परिवार का आकार 2.7 है।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने 18.11.2021 को नई जीवन रक्षक योजना "इनुयिर कप्पोम थिड्रम- नम्मई काक्कुम 48" योजना की घोषणा की, ताकि गोल्डन ऑवर्स के दौरान सड़क यातायात से होने वाली चोटों के कारण होने वाली मौतों को कम करने और आहत हुए अहम जीवन को बचाने में मदद मिल सके। तमिलनाडु सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इस नई योजना को लागू करने के लिए यूआईआईसी का चयन किया। एनके-48 योजना के तहत सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों को, चाहे वे कहीं का भी निवासी हों, तमिलनाडु के 600 से अधिक चिन्हित अस्पतालों में ₹ 1 लाख रुपये की सीमा तक 48 घंटों के लिए मुफ्त आपातकालीन उपचार प्रदान किया जाएगा।

हमें एनएचए (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण) और तमिलनाडु सरकार से कई प्रशंसाएं और सराहना प्राप्त हुई हैं। नीति आयोग ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा था कि "पिछले 10 वर्षों से तमिलनाडु में सीएमसीएचआईएस के कार्यान्वयन के कारण गरीबी कम हुई है, जिससे राज्य में गरीबों का वित्तीय बोझ कम हुआ है।"

हरियाणा, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम जैसे कई राज्यों के सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने यूआईआईसी द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे टीएन-सीएमसीएचआईएस के सफल संचालन मॉडल का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु राज्य का दौरा किया।

इस क्षेत्र की अग्रणी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को तमिलनाडु सरकार के लिए उनकी तमिलनाडु सरकार कर्मचारी पॉलिसी और तमिलनाडु सरकार पेंशनभोगी पॉलिसी के साथ सीएमसीएचआईएस और एबी-पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए सबसे पसंदीदा बीमा भागीदार माना जाता है।

योजना के संचालन का वर्तमान 12वां वर्ष (तीसरी निविदा का दूसरा वर्ष) इस योजना के सफल कार्यान्वयन का स्पष्ट प्रमाण है।

फसल बीमा

कंपनी ने 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में सक्रिय रूप से फिर से प्रवेश किया है और महाराष्ट्र राज्य के क्लस्टर 5 में सरप्लस शेयरिंग मॉडल (एसएसएम) के तहत योजना को लागू किया है, जिसमें 4 जिले - नांदेड़, ठाणे, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी शामिल हैं। व्यावसायिक विवरण को यहां नीचे दिखाया गया है:

country. There are 3,60,000 Common Service Centers (CSCs) spread across the country and they provide a wide range of services such as healthcare, finance, education, agriculture and social welfare schemes to promote digital inclusion.

CSCs have become an important channel for delivery of insurance products in India. The UIIC CSC Portal has made several insurance policies available to citizens including Personal Accident Policy, Fire Policy, Motor Liability Policy and Motor Package Policy. In addition various micro insurance policies, miscellaneous insurance and health products are expected to be integrated into the CSC platform shortly.

As on March 31, 2023, there were 70,586 VLEs (Village Level Entrepreneurs) mapped to the UIIC Portal and a total of 3,254 policies were transacted through this platform. The total premium procured in 2022-23 was ₹ 36,36,297.

POSP CHANNEL

The POSP channel was introduced in 2022. This channel allows for direct recruitment of Point of Sale Persons (POSPs) who can sell insurance policies to customers.

During FY 2022-23 the Company sold policies worth ₹ 44.03 crores through 1200 POSPs who were directly recruited or recruited through Business Development Executives/Managers. An additional 4104 POSPs were mapped through Intermediaries.

The POSP Channel offers a variety of products including health and personal accident policies. There will be continued focus on this channel in the future.

Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme – Tamil Nadu

Our Company has once again secured the Tender from the Government of Tamil Nadu to implement the **Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme**, a prestigious insurance cover, which came into operation on 11th January 2012 with first tender being for a period of 4 years and with an option for extension by one year on mutual consent and we are now marching ahead with the successful journey of 12th year, won 2022 tender by emerging as L1 bidder for 3rd consecutive term.

The main objective of this scheme is to provide free medical and surgical treatment in Government and private hospitals to the members of any family whose annual family income is less than ₹ 1,20,000/- as certified by the Village Administrative Officer (VAO) and who has valid ration card (PDS). The tribals, differently abled, Sri Lankan refugees, migrants from other states, orphans and rescued girl children are also covered. The sum insured is ₹ 5 lakh floater per family under CMCHIS. The entire process is cashless and paperless. Periodical Medical camps are conducted villagewise and taluka wise for the wellbeing of the beneficiaries.

The scheme was integrated with Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana in 2018 with effect from 01-12-2018. As on date 861 Government hospitals, 966 private hospitals with total of 1827 hospitals and 942 Diagnostic Centres, 53 Autism Centres, 38 DDAWOs are rendering quality and seamless services to the beneficiaries under the scheme. The scheme is having a grievance of less than 1% with claims TAT of 7 days. The premium procured during the 12th policy year is more than ₹ 1200 crores with a coverage of ₹ 1.41 crore families in the state with a family size of 2.7 in the state.

Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu announced the new life saving scheme "Innuyir Kappom Thittam- Nammai Kakkum 48" scheme on 18.11.2021 in order to achieve the objective of reducing road traffic injury fatalities during the Golden Hours and help to save the valuable lives of the victims. The Government of Tamil Nadu had selected UIIC for implementing this new scheme on pilot project basis. Under the NK-48 scheme all road accident victims irrespective of their domicile, will be provided free emergency treatment for 48 hours at over 600 identified Hospitals in Tamil Nadu up to a limit of ₹ 1 lakh.

We have received numerous accolades and appreciations from NHA (National Health Authority) & Tamil Nadu Government. NITI Aayog had appreciated the scheme stating that "poverty has been reduced, because of the implementation of CMCHIS in Tamil Nadu for the past 10 years which has reduced the financial burden of the poor in the state."

Government health officials from many states such as Haryana, Meghalaya, Jammu & Kashmir, Mizoram had visited Tamil Nadu state for studying the successful operating model of the TN-CMCHIS which is being implemented by UIIC.

United India Insurance Company Limited, a pioneer in the field, is considered to be the most preferred insurance partner for Tamil Nadu Government for implementation of **CMCHIS & AB-PMJAY** along with their Tamil Nadu Government Employees policy and Tamil Nadu Government Pensioners policy.

The current 12th year (2nd year of 3rd tender) of operation of the scheme is a clear testimony to the successful implementation of the scheme.

CROP INSURANCE

The Company has actively reentered the Government sponsored Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) during 2022-23 and implemented the Scheme under Surplus Sharing Model (SSM) in Cluster 5 of Maharashtra State comprising of 4 districts - Nanded, Thane, Sindhudurg and Ratnagiri. The business performance is shown hereunder:

यूआईआईसी – फसल बीमा – 2022-23

| | किसान आवेदनों की संख्या | बीमित क्षेत्र (हेक्टर में) | बीमित राशि (₹ रु. करोड में) | कुल प्रीमियम (₹ रु. करोड में) |
|------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| खरीफ | 1124683 | 646747.78 | 3361.85 | 633.72 |
| रबी | 153115 | 109647.45 | 410.46 | 60.82 |
| कुल | 1277798 | 756395.23 | 3772.31 | 694.54 |

क्लस्टर 5 के चार जिलों में से, नांदेड़ में लगभग 12.22 लाख आवेदनों के नामांकन के साथ कुल प्रीमियम का लगभग 96% हिस्सा है। चुनौतियों के बावजूद और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सीजन के दौरान बड़ी संख्या में व्यक्तिगत दावों का मूल्यांकन हुआ तथा कंपनी उचित दावा प्रबंधन के माध्यम से स्थिति को संभालने में सक्षम रही। किए गए उपायों के मद्देनजर, खरीफ और रबी दोनों मौसमों की समाप्ति पर कुल हानि अनुपात 80% से 85% के बीच होने की उम्मीद है।

3. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली 'सर्वोत्तम प्रथाओं' को अपनाने में कंपनी विश्वास करती है। कंपनी अपने हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए अपने सभी लेनदेन में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देती है। कंपनी में शासन तंत्र के माध्यम से, बोर्ड अपनी समितियों के साथ अपने निर्णय लेने में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करके अपने सभी हितधारकों के प्रति अपनी प्रत्ययी जिम्मेदारियां निभाती है।

जहां तक बीमा क्षेत्र का संबंध है, पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा, सॉल्वेंसी का रखरखाव, ठोस दीर्घकालिक निवेश नीति और विवेकपूर्ण आधार पर बीमालेखन जोखिमों की धारणा और संगठन की संरचना में समग्र जोखिम प्रबंधन के मूल्यांकन जैसे पहलुओं पर जोर दिया गया है।

निदेशक मंडल

कंपनी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मंडल द्वारा शासित होती है। कंपनी के बोर्ड में 5 निदेशक हैं जिनमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, 1 पूर्णकालिक निदेशक, 3 गैर-कार्यकारी निदेशक जिनमें 2 सरकारी नामित निदेशक और 1 गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च 2023 को निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

- श्री सत्यजीत त्रिपाठी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
- श्री एम वी राव, गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
- सुश्री एम जी जयश्री, सरकार द्वारा नामित निदेशक
- श्री प्रशांत कुमार गोयल, सरकार द्वारा नामित निदेशक
- सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनी, महाप्रबंधक और निदेशक

बोर्ड ने पिछले निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख यानी 29 अगस्त, 2022 से अपनी संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं।

| क्र. सं | निदेशक का नाम | पदनाम | नियुक्ति/ विमुक्ति की तिथि |
|---------|---------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | श्री नवनीत डोडा | महाप्रबंधक और निदेशक | 21.11.2022 से महाप्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्ति तथा 01.12.2022 को सेवानिवृत्ति के कारण निदेशक के पद से विमुक्ति |
| 2. | सश्री राजेश्वरी सिंह मुनी | महाप्रबंधक और निदेशक | 18.11.2022 से महाप्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्ति |
| 3. | श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन | महाप्रबंधक निदेशक सीएफओ | 09.05.2023 से महाप्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्ति (28.07.2020 से महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में) |
| 4. | डॉ. नितिन कुमार बक्शी | गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | 09.05.2023 से गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति |
| 5. | श्री अंबिकेश केशरी | गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | 30.05.2023 से गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति |

UIIC - CROP INSURANCE - 2022-23

| | No of Farmer Applications | Area Insured (in Hectares) | Sum Insured (₹ In Crores) | Total Premium (₹ In Crores) |
|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| KHARIF | 1124683 | 646747.78 | 3361.85 | 633.72 |
| RABI | 153115 | 109647.45 | 410.46 | 60.82 |
| TOTAL | 1277798 | 756395.23 | 3772.31 | 694.54 |

Out of the four districts in Cluster 5, Nanded constitutes nearly 96% of the total premium with an enrolment of around 12.22 lakh applications. Despite the challenges posed and the unfavorable weather conditions leading to a large number of individual claim assessments during the seasons, the Company was able to handle the situation through proper claims management. In view of the measures taken, the overall loss ratio at the close of both Kharif and Rabi seasons is expected to be in the range of 80% to 85%.

3. REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company believes in adopting the 'best practices' that are followed in the area of Corporate Governance. The Company emphasizes the need for full transparency and accountability in all its transactions in order to protect the interests of its stakeholders. Through the Governance mechanism in the Company, the Board along with its Committees undertakes its fiduciary responsibilities to all its stakeholders by ensuring transparency, fair play and independence in its decision making.

As regards the Insurance sector, the emphasis is on aspects like protection of the interests of the policyholders, maintenance of solvency, sound long term investment policy and assumption of underwriting risks on a prudential basis and evaluation of overall risk management across the structure of the organization.

BOARD OF DIRECTORS

The Company is governed by the Board of Directors under the chairmanship of Chairman cum Managing Director. The Board of the Company has 5 Directors including the Chairman cum Managing Director, 1 Whole Time Director, 3 Non-Executive Directors comprising of 2 Government Nominee Directors, and 1 Non-Executive Independent Director.

The composition of the Board of Directors as on 31st March 2023 is given as under:

- (i) Shri Satyajit Tripathy, Chairman cum Managing Director
- (ii) Shri M V Rao, Non-Executive Independent Director
- (iii) Ms. M G Jayasree, Government Nominee Director
- (iv) Shri Parshant Kumar Goyal, Government Nominee Director
- (v) Ms. Rajeshwari Singh Muni, General Manager & Director

The Board underwent the following changes in its composition since the date of last Directors' Report i.e. 29th August, 2022.

| Sl.No. | Name of the Director | Designation | Date of appointment /cessation |
|--------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. | Shri Navneet Doda | General Manager & Director | Appointed as General Manager & Director with effect from 21.11.2022 and ceased to be a Director due to superannuation with effect from 01.12.2022 |
| 2. | Ms. Rajeshwari Singh Muni | General Manager & Director | Appointed as General Manager & Director with effect from 18.11.2022 |
| 3. | Shri Gopalakrishnan Sundararaman | General Manager & Director & CFO | Appointed General Manager & Director with effect from 09.05.2023 (He was General Manager & CFO since 28.07.2020) |
| 4. | Dr. Nitin Kumar Bakhshi | Non-Executive Independent Director | Appointed as Non-Executive Independent Director with effect from 09.05.2023 |
| 5. | Shri Ambikesh Keshri | Non-Executive Independent Director | Appointed as Non-Executive Independent Director with effect from 30.05.2023 |

निदेशक मंडल का वर्तमान विवरण

| नाम | पदनाम | अर्हता | विशेषज्ञता/मौजूदा कौशल/ विशेषज्ञता/क्षमता का क्षेत्र |
|-----------------------------|-------------------------------|---|---|
| श्री सत्यजीत त्रिपाठी | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक | बी.एससी. (कृषि), पीजीडीएम (एक्सआईएमबी) | बीमा |
| श्री एम वी राव | गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | एम.एससी.(कृषि) सीएआईआईबी | बैंकिंग वित्त |
| सुश्री एम जी जयश्री | सरकार द्वारा नामित निदेशक | आईएसएस, एम.एससी (स्टैटिस्टिक्स), एम.एससी. (पब्लिक मैनेजमेन्ट एंड गवर्नेन्स) | - |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल | सरकार द्वारा नामित निदेशक | एमबीबीएस | - |
| सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनी* | महाप्रबंधक निदेशक | बी. एससी एमबीए | बीमा |
| श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन** | महाप्रबंधक निदेशक सीएफओ | बी.कॉम, सीएस (इंटर), एआईआई आई | बीमा |
| डॉ. नितिन कुमार बक्शी # | गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | एम.कॉम, पीएचडी | विद्याविद |
| श्री अंबिकेश केशरी ## | गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | एम.ए.(पॉलिटिकल सायन्स) एलएलबी | कृषि विधि |

* 18 नवंबर 2022 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि को महाप्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

** 09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन को महाप्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

09 मई 2023 से डॉ नितिन कुमार बक्शी को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

30 मई 2023 से श्री अंबिकेश केशरी को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

अन्य व्यवसायों के अलावा व्यापार नीति और रणनीति पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए बोर्ड नियमित अंतराल पर बैठक करता है। वर्ष के दौरान, बोर्ड की 8 बार बैठकें अर्थात 26 जुलाई 2022, 29 अगस्त 2022, 30 सितंबर 2022, 10 नवंबर 2022, 28 नवंबर 2022, 23 दिसंबर 2022, 15 फरवरी 2023 और 28 मार्च 2023 को हुई।

किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल एक सौ बीस दिन से कम रही। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। किसी भी निदेशक के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं थे।

निदेशकों के नाम, वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति, 31 मार्च 2023 तक उनके द्वारा आयोजित समिति की सदस्यता/अध्यक्षता निम्नलिखित तालिकाओं में दी गई है :

| निदेशक | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | भाग लिये गये बैठकों की संख्या |
|---|--|---|
| श्री सत्यजीत त्रिपाठी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक | 8 | 8 (26.07.2022, 29.08.2022,30.09.2022,10.11.2022, 28.11.2022, 23.12.2022, 15.02.2023, 28.03.2023) |
| श्री एम वी राव गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | 8 | 7 (26.07.2022, 29.08.2022,30.09.2022,10.11.2022, 28.11.2022,23.12.2022,15.02.2023) |
| सुश्री एम जी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक | 8 | 7 (26.07.2022, 29.08.2022,30.09.2022, 10.11.2022, 28.11.2022,15.02.2023, 28.03.2023) |

PRESENT DETAILS OF BOARD OF DIRECTORS

| Name | Designation | Qualifications | Field of Specialisation/ Existing skills/ expertise/competence |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Shri Satyajit Tripathy | Chairman cum Managing Director | B.Sc. (Agriculture), PGDM (XIMB) | Insurance |
| Shri M V Rao | Non-Executive Independent Director | M.Sc.(Agriculture) CAIIB | Banking & Finance |
| Ms. M G Jayasree | Government Nominee Director | ISS, M.Sc (Statistics), M.Sc.(Public Manage- ment and Governance) | - |
| Shri Parshant Kumar Goyal | Government Nominee Director | MBBS | - |
| Ms. Rajeshwari Singh Muni* | General Manager & Director | B.Sc, MBA | Insurance |
| Shri Gopalakrishnan Sundararaman** | General Manager & Director & CFO | B.Com, CS (Inter), AIII | Insurance |
| Dr. Nitin Kumar Bakhshi# | Non-Executive Independent Director | M.Com, Ph.D. | Academician |
| Shri Ambikesh Keshri## | Non-Executive Independent Director | M.A.(Political Science), LLB | Agriculture & Law |

*Ms. Rajeshwari Singh Muni appointed as General Manager & Director w.e.f. 18th November 2022

**Shri Gopalakrishnan Sundararaman appointed as General Manager & Director w.e.f. 09th May 2023

#Dr. Nitin Kumar Bakhshi appointed as Non-Executive Independent Director w.e.f. 09th May 2023

##Shri Ambikesh Keshri appointed as Non-Executive Independent Director w.e.f. 30th May 2023

The Board meets at regular intervals to discuss and decide on business policy and strategy apart from other board businesses. During the year, Board met 8 times i.e. on 26th July 2022, 29th August 2022, 30th September 2022, 10th November 2022, 28th November 2022, 23rd December 2022, 15th February 2023 and 28th March 2023.

The maximum gap between any two Board meetings was less than one hundred and twenty days. In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfil the conditions specified in the Listing Regulations and are independent of the management. There were no inter-se relationships between any of the Directors.

The names of the Directors, their attendance at Board Meetings during the year, Committee memberships/chairpersonships held by them as at 31st March 2023 are set out in the following tables:

| DIRECTOR | NO. OF MEETING/S HELD DURING HIS/ HER TENURE | NO. OF MEETING/S ATTENDED |
|--|--|--|
| Shri Satyajit Tripathy Chairman cum Managing Director | 8 | 8 (26.07.2022, 29.08.2022,30.09.2022,10.11.2022, 28.11.2022, 23.12.2022, 15.02.2023, 28.03.2023) |
| Shri M V Rao Non-Executive Independent Director | 8 | 7 (26.07.2022, 29.08.2022,30.09.2022,10.11.2022, 28.11.2022,23.12.2022,15.02.2023) |
| Ms. M G Jayasree Government Nominee Director | 8 | 7 (26.07.2022, 29.08.2022,30.09.2022, 10.11.2022, 28.11.2022,15.02.2023, 28.03.2023) |

| | | |
|---|---|--|
| श्री प्रशांत कुमार गोयल सरकार द्वारा नामित निदेशक | 8 | 8 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022, 10.11.2022, 28.11.2022, 23.12.2022, 15.02.2023, 28.03.2023) |
| श्री नवनीत डोडा ¹ कार्यकारी निदेशक | 1 | 1 (28.11.2022) |
| सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि ² कार्यकारी निदेशक | 4 | 4 (28.11.2022, 23.12.2022, 15.02.2023, 28.03.2023) |

1. श्री नवनीत डोडा को 21 नवंबर 2022 से महाप्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा 01 दिसंबर 2022 को महाप्रबंधक निदेशक के पद से विमुक्त हुए।
2. 18 नवंबर 2022 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि को महाप्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
3. 09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्ण सुंदरामन को महाप्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
4. 09 मई 2023 से डॉ नितिन कुमार बक्शी को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
5. 30 मई 2023 से श्री अबिकेश केशरी को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

31 दिसंबर 2022 तक "अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद" और "अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता" का विवरण इस प्रकार है:

| निदेशक का नाम | अन्य निदेशक पदों की संख्या | अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के नाम जहां वह निदेशक हैं | | अन्य कंपनियों की समितियों की संख्या * | |
|----------------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------|
| | | कंपनी | निदेशक पद की श्रेणी | जिसमें वे सदस्य हैं | अध्यक्ष |
| श्री सत्यजीत त्रिपाठी | 4 | जीआईसी हाऊसिंग फायनांस लिमिटेड | गैर कार्यकारी | 1 | - |
| श्री एम वी राव | 1 | एग्जिम बैंक | गैर कार्यकारी | 2 | - |
| सश्री एम जी जयश्री | 1 | पंजाब सिंध बैंक | कार्यकारी | - | - |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल | 1 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | कार्यकारी | - | - |
| सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि | - | - | - | - | - |

*इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति में सदस्यता/अध्यक्षता, सदस्यता की संख्या में अध्यक्षों की संख्या शामिल है (युनाइटेड इंडिया इश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड को छोड़कर)

नोट: 31 मार्च 2023 तक कंपनी एक असूचीबद्ध इकाई है

लिस्टिंग विनियमों के संदर्भ में, कंपनी के सभी निदेशकों के लिये पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों (ऑडिट समिति और हितधारकों की संबंध समिति) की संख्या, जिसमें एक निदेशक सदस्य/अध्यक्ष/चेयरपर्सन है, लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर थी। प्रत्येक गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र निदेशक के निदेशक पद की संख्या भी समय-समय पर संशोधित लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके बोर्ड के सभी निदेशकों का चयन और नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में, बोर्ड के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और क्षमता की सूची, निदेशकों के चयन के लिए सरकार की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी के बोर्ड ने लिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक किसी निदेशक द्वारा ऐसे किसी भी मूल कौशल या विशेषज्ञता या क्षमता की आवश्यकता की अलग से पहचान नहीं की है।

31 मार्च 2023 तक गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

कंपनी की 100% इक्विटी हिस्सेदारी भारत के राष्ट्रपति के पास है।

बोर्ड की समितियां

बोर्ड ने निम्न समितियों का गठन किया है :

- लेखा परीक्षा समिति
- निवेश समिति

| | | |
|--|---|--|
| Shri Parshant Kumar Goyal Government Nominee Director | 8 | 8 (26.07.2022, 29.08.2022,30.09.2022, 10.11.2022, 28.11.2022,23.12.2022, 15.02.2023, 28.03.2023) |
| Shri Navneet Doda ¹ General Manager & Director | 1 | 1 (28.11.2022) |
| Ms. Rajeshwari Singh Muni ² General Manager & Director | 4 | 4 (28.11.2022,23.12.2022, 15.02.2023, 28.03.2023) |

¹ Shri Navneet Doda appointed as General Manager & Director w.e.f. 21st November 2022 and ceased to be General Manager & Director w.e.f. 1st December 2022

² Ms. Rajeshwari Singh Muni appointed as General Manager & Director w.e.f. 18th November 2022

³ Shri Gopalakrishnan Sundararaman appointed as a General Manager & Director w.e.f. 09th May 2023

⁴ Dr. Nitin Kumar Bakhshi appointed as Non-Executive Independent Director w.e.f. 09th May 2023

⁵ Shri Ambikesh Keshri appointed as Non-Executive Independent Director w.e.f. 30th May 2023

The details of “Directorships held in other Companies” and “Memberships/Chairpersonships of Committees in other Companies” as on 31st December 2022 are as follows:

| Name of the Director | No. of other Directorships | Names of other listed companies where he/she is a Director | | Number of Committees of other Companies* | |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|----------|
| | | Company | Category of Directorship | In which a member | Chairman |
| Shri Satyajit Tripathy | 4 | GIC Housing Finance Limited | Non-Executive | 1 | - |
| Shri M V Rao | 1 | Exim Bank | Non- Executive | 2 | - |
| Ms. M G Jayasree | 1 | Punjab & Sind Bank | Non-Executive | - | - |
| Shri Parshant Kumar Goyal | 1 | Bank of Maharashtra | Non- Executive | - | - |
| Ms. Rajeshwari Singh Muni | - | - | - | - | - |

*Memberships/Chairpersonships in Audit Committee and Stakeholders’ Relationship Committee of Indian Public Limited Companies, number of Memberships includes Chairpersonships (excluding United India Insurance Company Limited)

Note: The Company is an unlisted entity as on 31st March 2023

In terms of Listing Regulations, the number of Committees (Audit Committee and Stakeholders’ Relationship Committee) of public limited Companies in which a Director is a member/chairman/chairperson were within the limits prescribed under the Listing Regulations, for all the Directors of the Company. The number of Directorships of each Non-Executive, Independent Director is also within the limits prescribed under the Listing Regulations as amended from time to time.

Being a Government Company, all the Directors on its Board are selected and appointed by the Government of India as per well laid down selection process for appointment of Directors. The list of core skills, expertise and competence required for the Board to function effectively, in context of the Company’s business, forms an integral part of the Government’s process for selection of the Directors. In view thereof, the Board of the Company has not identified separately any such core skills or expertise or competence required by a Director as required under the Listing Regulations.

Details of Equity Shares held by Non-Executive Directors as on 31st March 2023

100% Equity holding of the Company is held by the President of India.

COMMITTEES OF THE BOARD

The Board has constituted the following Committees:

- Audit Committee
- Investment Committee

- iii) जोखिम प्रबंधन समिति
- iv) पॉलिसी धारकों की सुरक्षा समिति
- v) नामांकन पारिश्रमिक समिति
- vi) निगमीय सामाजिक दायित्व समिति
- vii) हितधारक संबंधी समिति
- viii) सूचना प्रौद्योगिकि समिति
- ix) मानव संसाधन समिति
- x) संपत्ति समीक्षा समिति

विचारार्थ विषय, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या सहित संरचना तथा बोर्ड की समितियों की उपस्थिति नीचे दी गई है

लेखा परीक्षा समिति

विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति की वर्तमान विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की निगरानी करना और वार्षिक और त्रैमासिक आधार पर इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करना और इसकी शुद्धता, यथार्थता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना।
2. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के कुशल कामकाज की निगरानी करना और किसी भी जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और जहां धोखाधड़ी या अनियमितता का संदेह हो, उसे बोर्ड को रिपोर्ट करना।
3. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक, निष्पादन और कार्य की निगरानी के लिए सिफारिश.
4. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की मंजूरी या तत्पश्चात संशोधन.

31 मार्च 2023 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

| क्र. सं | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|-------------------------|---------|--|
| 1. | श्री एम वी राव | अध्यक्ष | गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | सुश्री एम जी जयश्री | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 3. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |

*09 मई 2023 से डॉ. नितिन कुमार बक्शी को समित के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

31 मार्च 2023 को लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सात (7) बार बैठक हुई अर्थात 26 जुलाई 2022, 29 अगस्त 2022, 30 सितंबर 2022, 10 नवंबर 2022, 28 नवंबर 2022, 09 फरवरी 2023 और 15 फरवरी 2023.

| निदेशक | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठक/बैठकों की संख्या |
|--|--|---|
| श्री एम वी राव गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | 7 | 7 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022, 10.11.2022, 28.11.2022, 09.02.2023, 15.02.2023) |
| सुश्री एम जी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक | 7 | 7 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022, 10.11.2022, 28.11.2022, 09.02.2023, 15.02.2023) |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल सरकार द्वारा नामित निदेशक | 7 | 7 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022, 10.11.2022, 28.11.2022, 09.02.2023, 15.02.2023) |

¹ 09 मई 2023 से डॉ. नितिन कुमार बक्शी को समित के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

- iii) Risk Management Committee
- iv) Policyholders' Protection Committee
- v) Nomination & Remuneration Committee
- vi) Corporate Social Responsibility Committee
- vii) Stakeholders' Relationship Committee
- viii) Information Technology Committee
- ix) HR Committee
- x) Property Review Committee

The terms of reference, the composition along with the number of meetings held during FY 2022-2023 and the attendance of the Committees of the Board are provided below:

AUDIT COMMITTEE

Terms of Reference

The present terms of reference of Audit Committee inter-alia includes the following:

1. Oversight of the Company's financial reporting and disclosure of its financial information on an annual and quarterly basis and ensuring its correctness, sufficiency and credibility.
2. Oversight of the efficient functioning of Internal Audit department and review of the findings of any investigation where there is suspected fraud or irregularity and reporting matter to the Board.
3. Recommendation for appointment, remuneration, performance and oversight of the work of the Auditors.
4. Approval or subsequent modification of transaction with related parties.

The composition of Audit Committee as on 31st March 2023 was as follows:

| Sl. No | Name | Category | Designation |
|--------|---------------------------|----------|---|
| 1. | Shri M V Rao | Chairman | Non-Executive Independent Director |
| 2. | Ms. M G Jayasree | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 3. | Shri Parshant Kumar Goyal | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |

*Dr. Nitin Kumar Bakhshi was appointed as Member of the Committee w.e.f. 09th May 2023

Attendance of Members of Audit Committee as on 31st March 2023 was as follows:

The Audit Committee met Seven (7) times during the year under review i.e on 26th July 2022, 29th August 2022, 30th September 2022, 10th November 2022, 28th November 2022, 09th February 2023 and 15th February 2023.

| DIRECTOR | NO. OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE | NO. OF MEETING/S ATTENDED |
|--|---|---|
| Shri M V Rao Non-Executive Independent Director | 7 | 7 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022, 10.11.2022, 28.11.2022, 09.02.2023, 15.02.2023) |
| Ms. M G Jayasree Government Nominee Director | 7 | 7 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022, 10.11.2022, 28.11.2022, 09.02.2023, 15.02.2023) |
| Shri Parshant Kumar Goyal Government Nominee Director | 7 | 7 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022, 10.11.2022, 28.11.2022, 09.02.2023, 15.02.2023) |

¹ Dr. Nitin Kumar Bakhshi was appointed as Member of the Committee w.e.f. 09th May 2023

निवेश समिति

विचारार्थ विषय

निवेश समिति की वर्तमान विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. निवेश नीति की सिफारिश करना तथा निवेश नीति निर्धारित करना और कंपनी के निवेश संचालन के लिए परिचालन ढांचा तैयार करना। नीति को मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों द्वारा समर्थित विवेकपूर्ण परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए
2. बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित निवेश नीति का कार्यान्वयन करना।

31 मार्च 2023 को निवेश समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

| क्र. सं | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|-----------------------------|---------|---|
| 1. | श्री सत्यजीत त्रिपाठी | अध्यक्ष | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक |
| 2. | श्री एम वी राव | सदस्य | गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक |
| 3. | सुश्री एम जी जयश्री | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 4. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 5. | श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन * | सदस्य | महाप्रबंधक मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| 6. | श्री एल संगराजन | सदस्य | उप महाप्रबंधक मुख्य निवेश अधिकारी |
| 7. | श्री एस राजगोपाल | सदस्य | उप महाप्रबंधक मुख्य जोखिम अधिकारी |
| 8. | श्री पालरेड्डी विष्णुवर्धन | सदस्य | नियुक्त बीमांकक |

*09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन को महाप्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

31 मार्च 2023 को निवेश समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निवेश समिति ने वर्ष के दौरान पांच (5) बैठकों की यानी 26 जुलाई 2022, 29 अगस्त 2022, 30 सितंबर 2022, 28 नवंबर 2022 और 15 फरवरी 2023 को।

| सदस्य | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठक/बैठकों की संख्या |
|--|--|--|
| श्री सत्यजीत त्रिपाठी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022, 28.11.2022, 15.02.2023) |
| सुश्री एम जी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022,28.11.2022, 15.02.2023) |
| श्री एम वी राव गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022,28.11.2022, 15.02.2023) |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल सरकार द्वारा नामित निदेशक | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022,28.11.2022, 15.02.2023) |
| श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन* मुख्य वित्तीय अधिकारी | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022,28.11.2022, 15.02.2023) |

INVESTMENT COMMITTEE

Terms of Reference

The present terms of reference of Investment Committee inter-alia includes the following:

1. To recommend investment policy and lay down investment policy and lay down the operational framework for the investment operations of the Company. The policy should focus on a prudential Asset Liability Management (ALM) supported by robust internal control systems.
2. To implement the Investment policy duly approved by the Board.

The composition of Investment Committee as on 31st March 2023 was as follows:

| Sl. No | Name | Category | Designation |
|--------|------------------------------------|----------|---|
| 1. | Shri Satyajit Tripathy | Chairman | Chairman cum Managing Director |
| 2. | Shri M V Rao | Member | Non-Executive Independent Director |
| 3. | Ms. M G Jayasree | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 4. | Shri Parshant Kumar Goyal | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 5. | Shri Gopalakrishnan Sundararaman * | Member | General Manager & Chief Financial Officer |
| 6. | Shri L Rangarajan | Member | Deputy General Manager & Chief Investment Officer |
| 7. | Shri S Rajagopal | Member | Deputy General Manager & Chief Risk Officer |
| 8. | Shri Palreddy Vishnuvardhan | Member | Appointed Actuary |

*Shri Gopalakrishnan Sundararaman is appointed as General Manager & Director w.e.f. 09th May 2023

Attendance of Members of the Investment Committee as on 31st March 2023 was as follows:

The Investment Committee met Five (5) times during the year i.e. on 26th July 2022, 29th August 2022, 30th September 2022, 28th November 2022 and 15th February 2023.

| MEMBER | NO. OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE | NO. OF MEETING/S ATTENDED |
|--|---|--|
| Shri Satyajit Tripathy Chairman cum Managing Director | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022, 28.11.2022, 15.02.2023) |
| Ms. M G Jayasree Government Nominee Director | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022,28.11.2022, 15.02.2023) |
| Shri M V Rao Non-Executive Independent Director | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022,28.11.2022, 15.02.2023) |
| Shri Parshant Kumar Goyal Government Nominee Director | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022,28.11.2022, 15.02.2023) |
| Shri Gopalakrishnan Sundararaman* Chief Financial Officer | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022,28.11.2022, 15.02.2023) |

| | | |
|---|---|--|
| श्री पालरेड्डी विष्णुवर्धन नियुक्त बीमांकक | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022, 28.11.2022, 15.02.2023) |
| श्री एल रंगराजन मुख्य निवेश अधिकारी | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022, 28.11.2022, 15.02.2023) |
| श्री एस राजगोपाल मुख्य जोखिम अधिकारी | 5 | 4 (26.07.2022, 30.09.2022, 28.11.2022, 15.02.2023) |

*09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन को महाप्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

जोखिम प्रबंधन समिति

विचारार्थ विषय

जोखिम प्रबंधन समिति की वर्तमान विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करना तथा बोर्ड को कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं की सिफारिश करना।
2. विशेष विश्लेषण और गुणवत्ता समीक्षा करके जोखिम प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी संचालन में बोर्ड की सहायता करना।
3. बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए धोखाधड़ी निगरानी नीति और रूपरेखा तैयार करना और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना
4. जोखिम अनावृत्ति और जोखिमों के प्रबंधन के लिए की गई कार्रवाइयों के बारे में बोर्ड को विवरण देना
5. कंपनी की सॉल्वेंसी स्थिति की समीक्षा करना और व्यवसाय निरंतरता पर नियमित अद्यतन की निगरानी करना।

31 मार्च 2023 को जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|----------|------------------------------|---------|--|
| 1. | श्री सत्यजीत त्रिपाठी | अध्यक्ष | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक |
| 2. | श्री एम वी राव | सदस्य | गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक |
| 3. | सुश्री एम जी जयश्री | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 4. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 5. | सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि * | सदस्य | महाप्रबंधक निदेशक |

* 28 नवंबर 2022 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

**09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन को समिति की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

31 मार्च 2023 को जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की पांच (5) बार बैठक हुई यानी 26 जुलाई 2022, 30 सितंबर 2022, 23 दिसंबर 2022, 15 फरवरी 2023 और 28 मार्च 2023 को ।

| निदेशक | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठक/बैठकों की संख्या |
|---|--|--|
| श्री सत्यजीत त्रिपाठी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक | 5 | 5 (26.07.2022, 30.09.2022, 23.12.2022, 15.02.2023, 28.03.2023) |
| श्री एम वी राव गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | 5 | 4 (26.07.2022, 30.09.2022, 23.12.2022, 15.02.2023) |
| सुश्री एम जी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक | 5 | 4 (26.07.2022, 30.09.2022, 15.02.2023, 28.03.2023) |

| | | |
|--|---|---|
| Shri Palreddy Vishnuvardhan Appointed Actuary | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022,28.11.2022, 15.02.2023) |
| Shri L Rangarajan Chief Investment Officer | 5 | 5 (26.07.2022, 29.08.2022, 30.09.2022,28.11.2022, 15.02.2023) |
| Shri S Rajagopal Chief Risk Officer | 5 | 4 (26.07.2022, 30.09.2022,28.11.2022, 15.02.2023) |

*Shri Gopalakrishnan Sundararaman is appointed as General Manager & Director w.e.f. 09th May 2023

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Terms of Reference

The present terms of reference of Risk Management Committee inter-alia includes the following:

1. To establish an effective Risk Management framework and recommend to the Board, the Risk Management policy and processes for the Company.
2. To assist the Board in effective operation of Risk Management system by performing specialized analysis and quality reviews.
3. To formulate fraud monitoring policy and framework for approval by the Board and to monitor its implementation.
4. To report to the Board details on the risk exposures and the actions taken to manage the exposures.
5. To review the solvency position of the Company and also to monitor regular updates on business continuity.

The composition of Risk Management Committee as on 31st March 2023 was as follows:

| Sl. No | Name | Category | Designation |
|--------|-----------------------------|----------|---|
| 1. | Shri Satyajit Tripathy | Chairman | Chairman cum Managing Director |
| 2. | Shri M V Rao | Member | Non-Executive Independent Director |
| 3. | Ms. M G Jayasree | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 4. | Shri Parshant Kumar Goyal | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 5. | Ms. Rajeshwari Singh Muni * | Member | General Manager & Director |

*Ms. Rajeshwari Singh Muni was appointed as Member of the Committee w.e.f.28th November 2022

**Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as Member of the Committee w.e.f.09th May 2023

Attendance of Members of Risk Management Committee as on 31st March 2023 was as follows:

The Risk Management Committee met five (5) times during the year under review i.e. on 26th July 2022, 30th September 2022, 23rd December 2022, 15th February 2023 and 28th March 2023.

| DIRECTOR | NO. OF MEETING/S HELD DURING HIS/ HER TENURE | NO. OF MEETING/S ATTENDED |
|--|--|---|
| Shri Satyajit Tripathy Chairman cum Managing Director | 5 | 5 (26.07.2022, 30.09.2022,23.12.2022, 15.02.2023, 28.03.2023) |
| Shri M V Rao Non-Executive Independent Director | 5 | 4 (26.07.2022, 30.09.2022, 23.12.2022, 15.02.2023) |
| Ms. M G Jayasree Government Nominee Director | 5 | 4 (26.07.2022, 30.09.2022, 15.02.2023, 28.03.2023) |

| | | |
|--|---|--|
| श्री प्रशांत कुमार गोयल सरकार द्वारा नामित निदेशक | 5 | 5 (26.07.2022, 30.09.2022, 23.12.2022, 15.02.2023, 28.03.2023) |
| सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि महाप्रबंधक निदेशक ¹ | 3 | 3 (23.12.2022, 15.02.2023, 28.03.2023) |

¹ 28 नवंबर 2022 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

² 09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति

विचारार्थ विषय

पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति की वर्तमान विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. पॉलिसीधारकों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करना।
2. बीमा लोकपाल/उपभोक्ता मंचों द्वारा दिए गए पुरस्कारों की समीक्षा के लिए एक रूपरेखा तैयार करना।
3. पॉलिसीधारकों की अनधियाचित रकम की समीक्षा करना।
4. पॉलिसीधारकों को "भौतिक जानकारी" के प्रकटीकरण की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।
5. नीति और दावों के सर्विसिंग मापदंडों के लिए समय सीमा और उनके कार्यान्वयन की निगरानी को सम्मिलित करते हुए ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाना।

31 मार्च 2023 को पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|----------|------------------------------|---------|---|
| 1. | सुश्री एम जी जयश्री | अध्यक्ष | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 2. | श्री सत्यजीत त्रिपाठी | सदस्य | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक |
| 3. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 4. | सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि * | सदस्य | महाप्रबंधक निदेशक |

* 28 नवंबर 2022 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि को समिति की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

** 09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन को समिति की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

31 मार्च 2023 को पॉलिसीधारक संरक्षण समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पॉलिसीधारक संरक्षण समिति की चार (4) बार बैठक हुई, यानी 26 जुलाई 2022, 30 सितंबर 2022, 23 दिसंबर 2022 और 15 फरवरी 2023 को।

| निदेशक | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठक/बैठकों की संख्या |
|--|--|---|
| सुश्री एम जी जयश्री सरकार नामित निदेशक | 4 | 3 (26.07.2022, 30.09.2022, 15.02.2023) |
| श्री सत्यजीत त्रिपाठी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक | 4 | 4 (26.07.2022, 30.09.2022, 23.12.2022, 15.02.2023) |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल सरकार द्वारा नामित निदेशक | 4 | 4 (26.07.2022, 30.09.2022, 23.12.2022, 15.02.2023) |
| सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि ¹ महाप्रबंधक निदेशक | 2 | 2 (23.12.2022, 15.02.2023) |

| | | |
|--|---|---|
| Shri Parshant Kumar Goyal Government Nominee Director | 5 | 5 (26.07.2022, 30.09.2022, 23.12.2022, 15.02.2023,28.03.2023) |
| Ms. Rajeshwari Singh Muni General Manager & Director ¹ | 3 | 3 (23.12.2022,15.02.2023, 28.03.2023) |

¹ Ms. Rajeshwari Singh Muni was appointed as a Member of the Committee w.e.f.28th November 2022

² Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as a Member of the Committee w.e.f.09th May 2023

POLICYHOLDERS' PROTECTION COMMITTEE

Terms of Reference

The present terms of reference of Policyholders' Protection Committee inter-alia includes the following:

1. To establish an effective mechanism to address complaints and grievances of policyholders.
2. To put in place a framework for review of awards given by Insurance Ombudsman/Consumer Forums.
3. To review unclaimed amounts of policyholders.
4. To ensure adequacy of disclosure of "material information" to the policyholders.
5. To adopt standard operating procedures for fair treatment of customers including time frames for policy and claims servicing parameters and monitoring implementation thereof.

The composition of Policyholders' Protection Committee as on 31st March 2023 was as follows:

| Sl. No | Name | Category | Designation |
|--------|-----------------------------|-------------|---|
| 1. | Ms. M G Jayasree | Chairperson | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 2. | Shri Satyajit Tripathy | Member | Chairman cum Managing Director |
| 3. | Shri Parshant Kumar Goyal | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 4. | Ms. Rajeshwari Singh Muni * | Member | General Manager & Director |

*Ms. Rajeshwari Singh Muni was appointed as Member of the Committee w.e.f.28th November 2022

** Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as Member of the Committee w.e.f.09th May 2023

Attendance of Members of Policyholders' Protection Committee as on 31st March 2023 was as follows:

The Policyholders' Protection Committee met four (4) times during the year under review i.e. on 26th July 2022, 30th September 2022, 23rd December 2022 and 15th February 2023.

| DIRECTOR | NO. OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE | NO. OF MEETING/S ATTENDED |
|--|---|---|
| Ms. M G Jayasree Government Nominee Director | 4 | 3 (26.07.2022, 30.09.2022, 15.02.2023) |
| Shri Satyajit Tripathy Chairman cum Managing Director | 4 | 4 (26.07.2022, 30.09.2022, 23.12.2022, 15.02.2023) |
| Shri Parshant Kumar Goyal Government Nominee Director | 4 | 4 (26.07.2022, 30.09.2022, 23.12.2022, 15.02.2023) |
| Ms. Rajeshwari Singh Muni ¹ General Manager & Director | 2 | 2 (23.12.2022, 15.02.2023) |

| निदेशक | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठक/बैठकों की संख्या |
|--|--|---|
| आमंत्रित : सुश्री राज्यलक्ष्मी राव, उपभोक्ता प्रतिनिधि | 4 | 4 (26.07.2022, 30.09.2022, 23.12.2022, 15.02.2023) |
| श्री संजय जोशी ² उप महाप्रबंधक मुख्य शिकायत अधिकारी | 2 | 2 (26.07.2022, 30.09.2022) |
| श्री राजकुमार अरोरा ³ उप महाप्रबंधक मुख्य शिकायत अधिकारी | 2 | 1 (15.02.2023) |

¹ 28 नवंबर 2022 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

² 30 नवंबर 2022 से श्री संजय जोशी मुख्य शिकायत अधिकारी के रूप से विमुक्त हुए।

³ 05 दिसंबर 2022 से श्री राजकुमार अरोरा को मुख्य शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

⁴ 09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन को समिति की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

नामांकन पारिश्रमिक समिति

विचारार्थ विषय

नामांकन पारिश्रमिक समिति की वर्तमान विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सहित कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति/परिवर्तनों की मंजूरी के लिए बोर्ड को सिफारिश करना, जिनकी नियुक्ति संबंधित मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार आयोजित वार्षिक पदोन्नति अभ्यास के माध्यम से प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/वरिष्ठ प्रबंधन की समीक्षा करना और उन पर ध्यान देना।
3. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की सिफारिशों के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कार्यकारी निदेशकों और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के अलावा) में नियुक्ति/परिवर्तन की मंजूरी के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।
4. निदेशक मंडल की विविधता पर नीति सहित भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों/नीतियों को रिकॉर्ड में लेना।
5. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के मानदंड तैयार करना।

31 मार्च 2023 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार थी:

| क्र. सं. | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|----------|-------------------------|---------|---|
| 1. | श्री एम वी राव | अध्यक्ष | गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | श्री सत्यजीत त्रिपाठी | सदस्य | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक |
| 3. | सुश्री एम जी जयश्री | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 4. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |

*09 मई 2023 से डॉ. नितिन कुमार बक्शी को समिति की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

** 30 मई 2023 से श्री अंबिकेश केशरी को समिति की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

31 मार्च 2023 को नामांकन पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की वर्ष के दौरान तीन (3) बार बैठक हुई यानी 26 जुलाई 2022, 28 नवंबर 2022 और 28 मार्च 2023 को।

| DIRECTOR | NO. OF MEETING/S HELD DURING HIS/ HER TENURE | NO. OF MEETING/S ATTENDED |
|--|--|---|
| Invitee: Ms. Rajyalakshmi Rao, Consumer Representative | 4 | 4 (26.07.2022, 30.09.2022, 23.12.2022, 15.02.2023) |
| Shri Sanjay Joshi ² DGM & Chief Grievance Officer | 2 | 2 (26.07.2022, 30.09.2022) |
| Shri Raj Kumar Arora ³ DGM & Chief Grievance Officer | 2 | 1 (15.02.2023) |

¹ Ms. Rajeshwari Singh Muni was appointed as Member of the Committee w.e.f.28th November 2022

² Shri Sanjay Joshi ceased to be Chief Grievance Officer w.e.f. 30th November 2022

³ Shri Raj Kumar Arora appointed as Chief Grievance Officer w.e.f. 05th December 2022

⁴ Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as Member of the Committee w.e.f.09th May 2023

NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Terms of Reference

The present terms of reference of Nomination & Remuneration Committee inter-alia includes the following:

- To recommend to the Board for approval the appointment/changes in Executive Directors including Chairman cum Managing Director who are appointed by the President of India acting through the respective Ministry.
- To review and take note of Key Managerial Personnel/Senior Management through annual promotion exercises conducted as per the existing rules and regulations.
- To recommend to the Board for approval the appointment/changes in Key Managerial Personnel (other than Executive Directors and Chairman cum Managing Director) as per recommendations of Chairman cum Managing Director.
- To take on record various directives/policies issued by the Government of India including policy on diversity of Board of Directors.
- To formulate the criteria of evaluation of performance of Independent Directors and Board of Directors.

The composition of Nomination and Remuneration Committee as on 31st March 2023 was as follows:

| Sl. No | Name | Category | Designation |
|--------|---------------------------|----------|---|
| 1. | Shri M V Rao | Chairman | Non-Executive Independent Director |
| 2. | Shri Satyajit Tripathy | Member | Chairman cum Managing Director |
| 3. | Ms. M G Jayasree | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 4. | Shri Parshant Kumar Goyal | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |

*Dr. Nitin Kumar Bakhshi was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 09th May 2023

** Shri Ambikesh Keshri was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 30th May 2023

Attendance of Members of Nomination and Remuneration Committee as on 31st March 2023 was as follows:

The Nomination and Remuneration Committee met Three (3) times during the year i.e. on 26th July 2022, 28th November 2022 and 28th March 2023.

| निदेशक | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठक/बैठकों की संख्या |
|--|--|---|
| श्री एम वी राव गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | 3 | 2 (26.07.2022, 28.11.2022) |
| श्री सत्यजीत त्रिपाठी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक | 3 | 3 (26.07.2022, 28.11.2022, 28.03.2023) |
| सुश्री एम जी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक | 3 | 3 (26.07.2022, 28.11.2022, 28.03.2023) |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल सरकार द्वारा नामित निदेशक | 3 | 3 (26.07.2022, 28.11.2022, 28.03.2023) |

¹ 09 मई 2023 से डॉ. नितिन कुमार बक्शी को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

² 30 मई 2023 से श्री अंबिकेश केशरी को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

हितधारक संबंध समिति

विचारार्थ विषय

हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूत धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलना, घोषित लाभांश न मिलना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
2. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

कंपनी ने 2 फरवरी 2023 को कॉल विकल्प के प्रयोग के माध्यम से सूचीबद्ध ऋणपत्रों को पूर्ण ब्याज के साथ भुनाया और 16 फरवरी 2023 के बीएसई सूचना के अनुसार एक अब सूचीबद्ध इकाई नहीं रही। 15 फरवरी 2023 को हितधारकों की संबंध समिति की संरचना इस प्रकार है:

| क्र. सं. | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|----------|------------------------------|----------|------------------------------------|
| 1. | सुश्री एम जी जयश्री | अध्यक्षा | सरकार नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 2. | श्री सत्यजीत त्रिपाठी | सदस्य | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक |
| 3. | श्री एम वी राव | सदस्य | गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक |
| 4. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | सदस्य | सरकार नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 5. | सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि * | सदस्य | महाप्रबंधक निदेशक |

* 28 नवंबर 2022 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

15 फरवरी 2023 को हितधारक संबंध समिति के सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

हितधारक संबंध समिति की समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक बार 15 फरवरी 2023 को बैठक हुई।

| निदेशक | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठक/बैठकों की संख्या |
|--|--|-------------------------------|
| सुश्री एम जी जयश्री सरकार नामित निदेशक | 1 | 1 (15.02.2023) |
| श्री सत्यजीत त्रिपाठी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक | 1 | 1 (15.02.2023) |
| श्री एम वी राव गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | 1 | 1 (15.02.2023) |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल सरकार द्वारा नामित निदेशक | 1 | 1 (15.02.2023) |
| सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि महाप्रबंधक निदेशक ¹ | 1 | 1 (15.02.2023) |

¹ 28 नवंबर 2022 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

| DIRECTOR | NO. OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE | NO. OF MEETING/S ATTENDED |
|--|---|--|
| Shri M V Rao Non-Executive Independent Director | 3 | 2 (26.07.2022, 28.11.2022) |
| Shri Satyajit Tripathy Chairman cum Managing Director | 3 | 3 (26.07.2022,28.11.2022,28.03.2023) |
| Ms. M G Jayasree Government Nominee Director | 3 | 3 (26.07.2022,28.11.2022, 28.03.2023) |
| Shri Parshant Kumar Goyal Government Nominee Director | 3 | 3 (26.07.2022,28.11.2022, 28.03.2023) |

¹ Dr. Nitin Kumar Bakhshi was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 09th May 2023

² Shri Ambikesh Keshri was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 30th May 2023

STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE

Terms of Reference

The terms of reference of Stakeholders' Relationship Committee inter-alia included the following:

- Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.

The Company redeemed the listed debentures in full with interest through the exercise of call option on 2nd February 2023 and ceased to be a listed entity as per BSE Notice dated 16th February 2023. The composition of Stakeholders' Relationship Committee as on 15th February 2023 was as follows:

| Sl. No | Name | Category | Designation |
|--------|-----------------------------|-------------|---|
| 1. | Ms. M G Jayasree | Chairperson | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 2. | Shri Satyajit Tripathy | Member | Chairman cum Managing Director |
| 3. | Shri M V Rao | Member | Non-Executive Independent Director |
| 4. | Shri Parshant Kumar Goyal | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 5. | Ms. Rajeshwari Singh Muni * | Member | General Manager & Director |

*Ms. Rajeshwari Singh Muni was appointed as a Member of the Committee w.e.f.28th November 2022

Attendance of Members of the Stakeholders' Relationship Committee as on 15th February 2023 was as follows:

The Stakeholders' Relationship Committee met once during the year under review on 15th February 2023.

| DIRECTOR | NO. OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE | NO. OF MEETING/S ATTENDED |
|--|---|---------------------------|
| Ms. M G Jayasree Government Nominee Director | 1 | 1 (15.02.2023) |
| Shri Satyajit Tripathy Chairman cum Managing Director | 1 | 1 (15.02.2023) |
| Shri M V Rao Non-Executive Independent Director | 1 | 1 (15.02.2023) |
| Shri Parshant Kumar Goyal Government Nominee Director | 1 | 1 (15.02.2023) |
| Ms. Rajeshwari Singh Muni General Manager & Director ¹ | 1 | 1 (15.02.2023) |

¹ Ms. Rajeshwari Singh Muni was appointed as a Member of the Committee w.e.f.28th November 2022

1 अप्रैल 2022 से 16 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान प्राप्त निवेशकों की शिकायतों का विवरण और लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 13(3) के तहत रिपोर्ट की गई जानकारी नीचे दी गई है:

| क्र. सं. | विवरण | शिकायतों की संख्या |
|----------|--|--------------------|
| 1 | 01.04.2022 को लंबित निवेशकों की शिकायतें | 0 |
| 2 | 01.04.2022 से 16.2.2023 के दौरान प्राप्त निवेशकों की शिकायतें | 0 |
| 3 | 01.04.2022 से 16.2.2023 के दौरान निपटाए गये निवेशकों की शिकायतें | 0 |
| 4 | 16.2.2023 को अनुसूलझे निवेशकों की शिकायतों की संख्या | 0 |

16 फरवरी 2023 तक सुश्री अनघा शांतनु देशपांडे, कंपनी सचिव भी कंपनी की अनुपालन अधिकारी थी (कंपनी 17 फरवरी 2023 से एक सूचीबद्ध इकाई नहीं रही)।

निगमिय सामाजिक दायित्व समिति

सीएसआर समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार बोर्ड सीएसआर नीति तैयार करने और सिफारिश करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

31 मार्च 2023 को सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार थी:

| क्र. सं. | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|----------|-------------------------|---------|---|
| 1. | श्री सत्यजीत त्रिपाठी | अध्यक्ष | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक |
| 2. | श्री एम वी राव | सदस्य | गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक |
| 3. | सुश्री एम जी जयश्री | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 4. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |

*09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

31 मार्च 2023 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

समिति की वर्ष के दौरान एक बार 26 जुलाई 2022 को बैठक हुई।

| निदेशक | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठक/बैठकों की संख्या |
|--|--|-------------------------------|
| श्री सत्यजीत त्रिपाठी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक | 1 | 1 (26.07.2022) |
| श्री एम वी राव गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | 1 | 1 (26.07.2022) |
| सुश्री एम जी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक | 1 | 1 (26.07.2022) |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल सरकार द्वारा नामित निदेशक | 1 | 1 (26.07.2022) |

1-09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी समिति विभिन्न आईटी प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और अनुमोदन के लिए बोर्ड को इसकी सिफारिश करती है।

31 मार्च 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी समिति की संरचना इस प्रकार थी:

| क्र. सं. | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|----------|------------------------------|---------|---|
| 1. | श्री सत्यजीत त्रिपाठी | अध्यक्ष | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक |
| 2. | सुश्री एम जी जयश्री | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 3. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 4. | सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि * | सदस्य | महाप्रबंधक निदेशक |

*28 नवंबर 2022 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

**09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

Details of Investors' Complaints received and attended during the period from 1st April 2022 upto 16th February 2023 and reported under Regulation 13(3) of the Listing Regulations are as given below:

| Sr. No. | Particulars | No. of Complaints |
|---------|--|-------------------|
| 1 | No. of Investors' complaints pending as on 01.04.2022 | 0 |
| 2 | No. of Investors' complaints received during 01.04.2022 to 16.2.2023 | 0 |
| 3 | No. of Investors' complaints disposed during 01.04.2022 to 16.2.2023 | 0 |
| 4 | No. of Investors' complaints those remained unsolved as on 16.2.2023 | 0 |

Ms. Anagha Shantanu Deshpande, Company Secretary also was the Compliance Officer of the Company upto 16th February 2023 (the Company ceased to be a listed entity w.e.f. 17th February 2023).

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE

The CSR Committee is constituted as per Section 135 of Companies Act, 2013 to formulate and recommend to the Board CSR Policy and ensure its effective implementation.

The composition of CSR Committee as on 31st March 2023 was as follows:

| Sl. No | Name | Category | Designation |
|--------|---------------------------|----------|---|
| 1. | Shri Satyajit Tripathy | Chairman | Chairman cum Managing Director |
| 2. | Shri M V Rao | Member | Non-Executive Independent Director |
| 3. | Ms. M G Jayasree | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 4. | Shri Parshant Kumar Goyal | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |

*Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 09th May 2023

Attendance of Members of Corporate Social Responsibility Committee as on 31st March 2023 was as follows:

The Committee met once during the year on 26th July 2022.

| DIRECTOR | NO. OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE | NO. OF MEETING/S ATTENDED |
|--|---|---------------------------|
| Shri Satyajit Tripathy Chairman cum Managing Director | 1 | 1 (26.07.2022) |
| Shri M V Rao Non-Executive Independent Director | 1 | 1 (26.07.2022) |
| Ms. M G Jayasree Government Nominee Director | 1 | 1 (26.07.2022) |
| Shri Parshant Kumar Goyal Government Nominee Director | 1 | 1 (26.07.2022) |

¹ Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 09th May 2023

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

The IT Committee evaluates various IT proposals and recommends the same to the Board for approval.

The composition of IT Committee as on 31st March 2023 was as follows:

| Sl. No | Name | Category | Designation |
|--------|-----------------------------|----------|---|
| 1. | Shri Satyajit Tripathy | Chairman | Chairman cum Managing Director |
| 2. | Ms. M G Jayasree | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 3. | Shri Parshant Kumar Goyal | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 4. | Ms. Rajeshwari Singh Muni * | Member | General Manager & Director |

*Ms. Rajeshwari Singh Muni was appointed as a Member of the Committee w.e.f.28th November 2022

**Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as a Member of the Committee w.e.f.09th May 2023

31 मार्च 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी समिति के सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

समिति की वर्ष के दौरान तीन बार 26 जुलाई 2022, 10 नवंबर 2022 और 28 मार्च 2023 को बैठक हुई।

| निदेशक | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठक/बैठकों की संख्या |
|--|--|--|
| श्री सत्यजीत त्रिपाठी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक | 3 | 3 (26.07.2022, 10.11.2022, 28.03.2023) |
| सुश्री एम जी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक | 3 | 3 (26.07.2022, 10.11.2022, 28.03.2023) |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल सरकार द्वारा नामित निदेशक | 3 | 3 (26.07.2022, 10.11.2022, 28.03.2023) |
| सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि महाप्रबंधक निदेशक ¹ | 1 | 1 (28.03.2023) |

¹ 28 नवंबर 2022 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

² 09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

मानव संसाधन समिति

इस समिति का गठन, आज तक संशोधित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 2014 के अनुसार किया गया था। अनुसूची ए के साथ पढ़े गए उक्त नियमों के नियम 40 के अनुसार, स्केल IV और V संवर्ग के अधिकारियों का स्मारक इस समिति के समक्ष रखा जाना है। समिति स्केल VI और VII कैडर के अधिकारियों के लिए अपीलीय प्राधिकरण भी है।

31 मार्च 2023 को मानव संसाधन समिति की संरचना इस प्रकार थी:

| क्र. सं. | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|----------|-------------------------|---------|---|
| 1. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | अध्यक्ष | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |
| 2. | श्री एम वी राव | सदस्य | गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक |
| 3. | सुश्री एम जी जयश्री | सदस्य | सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) |

*09 मई 2023 से डॉ नितिन कुमार बक्शी को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

**30 मई 2023 से श्री अंबिकेश केशरी को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

31 मार्च 2023 को मानव संसाधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

वर्ष के दौरान समिति की दो बार बैठकें हुईं, 30 सितंबर 2022 और 28 मार्च 2023 को।

| निदेशक | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठक/बैठकों की संख्या |
|--|--|-------------------------------|
| श्री प्रशांत कुमार गोयल सरकार द्वारा नामित निदेशक | 2 | 2 (30.09.2022, 28.03.2023) |
| श्री एम वी राव गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | 2 | 1 (30.09.2022) |
| सुश्री एम जी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक | 2 | 2 (30.09.2022, 28.03.2023) |

¹ 09 मई 2023 से डॉ नितिन कुमार बक्शी को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

² 30 मई 2023 से श्री अंबिकेश केशरी को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

Attendance of Members of Information Technology Committee as on 31st March 2023 was as follows:

The Committee met three times during the year on 26th July 2022, 10th November 2022 and 28th March 2023.

| DIRECTOR | NO. OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE | NO. OF MEETING/S ATTENDED |
|--|---|--|
| Shri Satyajit Tripathy Chairman cum Managing Director | 3 | 3 (26.07.2022, 10.11.2022, 28.03.2023) |
| Ms. M G Jayasree Government Nominee Director | 3 | 3 (26.07.2022, 10.11.2022, 28.03.2023) |
| Shri Parshant Kumar Goyal Government Nominee Director | 3 | 3 (26.07.2022, 10.11.2022, 28.03.2023) |
| Ms. Rajeshwari Singh Muni General Manager & Director ¹ | 1 | 1 (28.03.2023) |

¹ Ms. Rajeshwari Singh Muni was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 28th November 2022

² Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 09th May 2023

HR COMMITTEE

This Committee was formed as per the United India Insurance Company (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 2014, as amended till date. As per Rule 40 of the said Rules read with Schedule A, Memorial of Officers in Scale IV & V cadres is to be placed to this Committee. The Committee is also the Appellate Authority for officers in Scale VI & VII cadres.

The composition of HR Committee as on 31st March 2023 was as follows:

| Sl. No | Name | Category | Designation |
|--------|---------------------------|----------|---|
| 1. | Shri Parshant Kumar Goyal | Chairman | Government Nominee Director (Non-Executive) |
| 2. | Shri M V Rao | Member | Non-Executive Independent Director |
| 3. | Ms. M G Jayasree | Member | Government Nominee Director (Non-Executive) |

*Dr. Nitin Kumar Bakhshi was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 09th May 2023

**Shri Ambikesh Keshri was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 30th May 2023

Attendance of Members of the HR Committee as on 31st March 2023 was as follows:

The Committee met two times during the year, on 30th September 2022 and 28th March 2023.

| DIRECTOR | NO. OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE | NO. OF MEETING/S ATTENDED |
|--|---|-------------------------------|
| Shri Parshant Kumar Goyal Government Nominee Director | 2 | 2 (30.09.2022, 28.03.2023) |
| Shri M V Rao Non-Executive Independent Director | 2 | 1 (30.09.2022) |
| Ms. M G Jayasree Government Nominee Director | 2 | 2 (30.09.2022, 28.03.2023) |

¹ Dr. Nitin Kumar Bakhshi was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 09th May 2023

² Shri Ambikesh Keshri was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 30th May 2023

संपत्ति समीक्षा समिति

कंपनी द्वारा धारित संपत्तियों और अन्य संपत्ति संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार बोर्ड की संपत्ति समीक्षा समिति का गठन किया गया था। वर्ष 2022-2023 के दौरान कोई भी बैठक नहीं हुई।

पारिश्रमित समिति

वर्ष के दौरान कोई भी बैठक नहीं हुई।

वार्षिक आम बैठक का विवरण

कंपनी के सदस्यों की चौरासीवीं वार्षिक आम बैठक 11 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी। श्री सत्यजीत त्रिपाठी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सुशी एम जी जयश्री, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री एम वी राव, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक ने इसमें भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कहा गया है कि गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना ही कंपनी के स्वतंत्र निदेशक एक वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करेंगे। वर्ष 2022-23 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई क्योंकि वर्ष के दौरान कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।

निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित "निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता" कंपनी की वेबसाइट www.uic.co.in पर पोस्ट की गई है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सभी लागू अनिवार्य सचिवीय मानकों का कंपनी अनुपालन करती है

लागत रिकॉर्ड और लागत लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा किये जाने वाले व्यवसायिक गतिविधियों के लिए नियत लागत अभिलेखों का रखरखाव और लागत लेखापरीक्षा की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

जमा

समीक्षाधीन अवधि में कंपनी द्वारा किसी प्रकार का जमा नहीं लिया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन प्रकटीकरण

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया है।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न तो किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण लिया गया और न ही किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ कोई समझौता किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान न तो कोई आवेदन दिया गया था और न ही वित्तीय वर्ष के अंत में शोधाक्षमता और दिवालियापन संहिता 2016 के अंतर्गत कोई कार्यवाही लंबित है।
- नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण, जो भविष्य के लिये चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करेंगे: कोई नहीं
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इसकी समीक्षित्य : कंपनी के पास व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप समीक्षित्य आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं। कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लगातार आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है और एक लेखापरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट समय-समय पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई वार्षिक घोषणा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक श्री एम वी राव से वार्षिक घोषणा प्राप्त हुई है। इसके अलावा, कंपनी को डॉ. नितिन कुमार बख्शी, जिन्हें 9 मई 2023 को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और श्री अंबिकेश केशरी, जिन्हें 30 मई 2023 को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, से भी घोषणाएँ प्राप्त हुईं। यह घोषणाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के प्रावधानों और उसके अंतर्गत प्रासंगिक नियमों के अनुसार प्रस्तुत की गई हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में एक पुष्टिकरण भी उनसे प्राप्त हो गया है।

PROPERTY REVIEW COMMITTEE

The Property Review Committee of the Board was constituted in terms of the directives received from the Ministry of Finance to review the matters of properties held by the Company and other Estate related matters.

No meeting was held during the year 2022-2023.

REMUNERATION COMMITTEE

No meeting was held during the year.

ANNUAL GENERAL MEETING DETAILS

The Eighty Fourth Annual General Meeting of the Members of the Company was held on 11th November 2022. Shri Satyajit Tripathy, Chairman cum Managing Director, Ms. M. G. Jayasree, Government Nominee Director, Shri M V Rao, Non-Executive Independent Director attended the same.

MEETING OF INDEPENDENT DIRECTORS

Schedule IV of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder mandate that the independent directors of the Company shall hold at least one meeting in a year without the attendance of Non Independent Directors and members of the management. No meeting was held during the year 2022-23 since the Company had only one Independent Director during the year.

CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS/SENIOR MANAGEMENT

The “Code of Conduct for Directors/Senior Management” duly approved by the Board is posted on the website of the Company at www.uiic.co.in.

COMPLIANCE OF SECRETARIAL STANDARDS

The Company complies with all applicable mandatory Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

COST RECORDS AND COST AUDIT

Maintenance of cost records and requirement of cost audit as prescribed under the provisions of Section 148(1) of the Companies Act, 2013 are not applicable for the business activities carried out by the Company.

DEPOSITS

No deposits were accepted by the Company during the year under review.

DISCLOSURES UNDER THE COMPANIES ACT 2013 AND RULES MADE THEREUNDER

- The Company has not made any loans, guarantees or investments pursuant to the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013.
- Neither any loan was taken from any bank or financial institution nor any settlement was done with any bank or financial institution during the year under review.
- Neither any application was made during the Financial Year 2022-23 nor any proceeding is pending as at the end of the financial year under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016.
- Details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future : None
- Internal Financial Controls and its adequacy : The Company has adequate Internal Control Systems commensurate with its size and nature of business. Internal Audit is continuously conducted by the in house Internal Audit department of the Company and an Audit Compliance Report is placed before the Audit Committee of the Board periodically.

ANNUAL DECLARATION MADE BY INDEPENDENT DIRECTORS

During the financial year 2022-23, the Company has received annual declaration from Shri M V Rao, Non Executive Independent Director. Further, the Company also received annual declaration from Dr. Nitin Kumar Bakhshi, who was appointed as a Non Executive Independent Director w.e.f. 9th May 2023 and Shri Ambikesh Keshri who was appointed as a Non Executive Independent Director w.e.f. 30th May 2023. The declarations have been submitted in terms of the provisions of Section 149(7) of the Companies Act, 2013 and relevant Rules thereunder. A confirmation regarding compliance with schedule IV of the Companies Act, 2013 and the Company's Code of Conduct for Directors/Senior Management is also received from them.

आम सभा की बैठकें और पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण

| बैठक का विवरण | बैठक की तिथि एवं समय | स्थान | प्रारित विशेष प्रस्ताव |
|-----------------------|--|--|--|
| 82वीं वार्षिक आम बैठक | 28 दिसंबर 2020 मध्याह्न 4:00 बजे | प्रधान कार्यालय 19, 4 th लेन, नुंगम्बाक्कम हाई रोड चेन्नै 600034 | - |
| 83वीं वार्षिक आम बैठक | 1 नवंबर 2021 को प्रातः 11.30 बजे | प्रधान कार्यालय 19, 4 th लेन, नुंगम्बाक्कम हाई रोड चेन्नै 600034 | - |
| 84वीं वार्षिक आम बैठक | 11 नवंबर 2022 को 12.00 बजे | प्रधान कार्यालय 19, 4 th लेन, नुंगम्बाक्कम हाई रोड चेन्नै 600034 | - |
| असाधारण सामान्य बैठक | 17 मई 2022 को मध्यह्न 4:00 बजे | प्रधान कार्यालय 19, 4 th लेन, नुंगम्बाक्कम हाई रोड चेन्नै 600034 | अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने की मंजूरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पूंजी खंड में बदलाव की मंजूरी, एसोसिएशन के लेखों में परिणामी बदलाव की मंजूरी |
| असाधारण सामान्य बैठक | 29 अगस्त 2022 को मध्यह्न 12:00 बजे | प्रधान कार्यालय 19, 4 th लेन, नुंगम्बाक्कम हाई रोड चेन्नै 600034 | <ol style="list-style-type: none"> यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र) के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ श्री एम वी राव की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त करना। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के निदेशक, श्री प्रशांत कुमार गोयल की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त करना। |
| असाधारण सामान्य बैठक | 23 दिसंबर 2022 को मध्याह्न 4.15 बजे | प्रधान कार्यालय 19, 4 th लेन, नुंगम्बाक्कम हाई रोड चेन्नै 600034 | <ol style="list-style-type: none"> यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में महाप्रबंधक और निदेशक के रूप में सुशी राजेश्वरी सिंह मुनि, महाप्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त करना। |

अन्य प्रकटीकरण

- कंपनी के 900 करोड़ रुपये के 8.25% प्रतिभूति रहित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र 1 अप्रैल 2022 से 16 फरवरी 2023 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए थे। उक्त अवधि के दौरान लागू सेबी नियमों के तहत सभी अनुपालनों का विधिवत पालन किया गया था। 2 फरवरी 2023 को कॉल ऑप्शन और ब्याज सहित पूर्ण रिडेम्प्शन के प्रयोग के कारण 16 फरवरी 2023 के बीएसई नोटिस के अनुसार कंपनी एक सूचीबद्ध इकाई नहीं रही।
- कुछ अनुपालन प्रस्तुत करने में विलंब के कारण बीएसई द्वारा लगाए गए विभिन्न दंड/जुर्माना को दिनांक 2.3.2023 और 3.3.2023 के मेल के माध्यम से माफ/वापस ले लिए गए थे।

निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है और कार्यकारी निदेशकों को उनके वेतनमान के अनुसार वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। गैर-आधिकारिक निदेशक को उनके द्वारा भाग ली गई बैठकों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, हालांकि चूंकि कंपनी के बोर्ड में कोई गैर-आधिकारिक निदेशक नहीं था, इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, बैंक निदेशक और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले नामांकित व्यक्तियों को बैठकों का शुल्क देय नहीं है।

GENERAL BODY MEETINGS & DETAILS OF SPECIAL RESOLUTIONS PASSED

| Meeting Details | Date and Time of the Meeting | Venue | Special Resolution passed |
|---|--|--|---|
| 82 nd Annual General Meeting | 28 th December 2020 at 4.00 pm | Head Office 19, 4 th Lane, Nungambakkam High Road Chennai 600034 | - |
| 83 rd Annual General Meeting | 1 st November 2021 at 11.30 am | Head Office 19, 4 th Lane, Nungambakkam High Road Chennai 600034 | - |
| 84 th Annual General Meeting | 11 th November 2022 at 12.00 pm | Head Office 19, 4 th Lane, Nungambakkam High Road Chennai 600034 | - |
| Extra-Ordinary General Meeting | 17 th May 2022 at 4.00 pm | Head Office 19, 4 th Lane, Nungambakkam High Road Chennai 600034 | Approval for Increasing the Authorized Share Capital, approval of alteration to the Capital Clause of the Memorandum of Association, approval of the consequent alteration to the Articles of Association |
| Extra-Ordinary General Meeting | 29 th August 2022 at 12.00 noon | Head Office 19, 4 th Lane, Nungambakkam High Road Chennai 600034 | 1. To seek approval to the appointment of Shri M V Rao, MD & CEO, Central Bank of India as a Director (Non-Executive Independent) on the Board of United India Insurance Company Limited. 2. To seek approval to the appointment of Shri Parshant Kumar Goyal, Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance as a Government Nominee Director (Non-Executive) on the Board of United India Insurance Company Limited |
| Extra-Ordinary General Meeting | 23 rd December 2022 at 4.15 pm | Head Office 19, 4 th Lane, Nungambakkam High Road Chennai 600034 | 1. To seek approval to the appointment of Ms. Rajeshwari Singh Muni, General Manager, Agriculture Insurance Company of India Limited as General Manager and Director on the Board of United India Insurance Company Limited |

OTHER DISCLOSURES

- The Company's 8.25% Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures of ₹ 900 crores were listed on the Bombay Stock Exchange from 1st April 2022 to 16th February 2023. All compliances under applicable SEBI Regulations had been duly complied with during the said period. The Company ceased to be a listed entity as per BSE Notice dated 16th February 2023 due to the exercise of call option and redemption in full with interest on 2nd February 2023.
- The various penalties/fines which were imposed by BSE on account of delay in submission of certain

compliances were waived/withdrawn vide mail dated 2.3.2023 and 3.3.2023.

REMUNERATION TO DIRECTORS

The Chairman cum Managing Director is paid salary/remuneration as fixed by the Government of India and the Executive Directors are paid salary/remuneration as per their scale of pay. The Non-Official Director is paid sitting fee in accordance with guidelines issued by Ministry of Finance for the Meetings attended by them, however since there were no non official Directors on the Board of the Company, no sitting fees were paid during

अधीनस्त ऋण

कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूति रहित प्रतिदेय पूर्णतः चुकता गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र पर कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल किया। 8.25% वाले ऋणपत्र 2 फरवरी 2023 को ब्याज के साथ पूर्ण रूप से भुनाए गए। किसी भी ऋणपत्र धारक को भुगतान में कोई चूक नहीं हुई और कॉल विकल्प के प्रयोग के संबंध में सभी नियामक अनुपालन विधिवत पूरे किए गए। बीएसई ने 16 फरवरी 2023 के नोटिस के जरिए कंपनी की डीलिंग की पुष्टि की है।

उक्त मोचन के कारण, क्रिसिल ने कंपनी के अधीनस्थ ऋण को दी गई रेटिंग वापस ले ली है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के तहत प्रदान किया गया है, कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षा को संपन्न करने के लिए कंपनी ने कंपनी सचिवों की एक फर्म, एस धनपाल एंड एसोसिएट्स एलएलपी को नियुक्त किया है और वर्ष 2022-23 के लिए उनकी रिपोर्ट अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है।

सहायक कंपनियों पर भौतिक नीति

जब कंपनी सूचीबद्ध थी उस अवधि के दौरान, कंपनी के पास भौतिक सहायक कंपनी पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति थी। यह नीति कंपनी की वेबसाइट www.uiic.co.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशक का मूल्यांकन

स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन मानदंड को नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूल्यांकन तदनुसार किया गया।

निदेशक एवं अधिकारियों का बीमा

कंपनी ने अपने सभी निदेशकों के लिये निदेशकों और अधिकारियों का बीमा लिया है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) के अनुसार वार्षिक विवरणी प्रपत्र एमजीटी-7 को <https://uiic.co.in/en/public-disclosures> पर दर्शाया गया है।

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण

कंपनी के संचालन के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण पर प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी लागू नहीं होते हैं।

संबंधित पार्टी नीति और लेनदेन

जिस अवधि में कंपनी सूचीबद्ध हुई थी, उस दौरान कंपनी ने संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने के लिए एक नीति तैयार की थी। नीति और लागू कानूनों के अनुसार आवश्यक मंजूरी ली जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित फॉर्म एओसी-2 इस रिपोर्ट के अनुबंध 4 में दिया गया है। संबंधित पार्टी लेनदेन नीति कंपनी की वेबसाइट www.uiic.co.in पर उपलब्ध है।

संबंधित पार्टी लेनदेन

निम्नलिखित के साथ संबंधित पार्टी के लेनदेन खातों की टिप्पणियों में दिए गए हैं:

- सहायक
मेसर्स. जेनीथ सेक्यूरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
- सहयोगी
मेसर्स. इंडिया इंटरनैशनल इश्यूरेस प्रा. लि. सिंगापुर
मेसर्स. हैल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लि. भारत
- सामान्य निदेशक
मेसर्स केन इंडिया एश्यूरेस कं. लि. केन्या .
मेसर्स. जीआईसी हाऊसिंग फायनान्स लि. भारत
- प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
श्री सत्यजीत त्रिपाठी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, (01.04.2022 से 31.03.2023)
श्री नवनीत डोडा, महाप्रबंधक निदेशक (21.11.2022 से 30.11.2022)
सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि, महाप्रबंधक निदेशक (18.11.2022 से 31.03.2023)
श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन, महाप्रबंधक मुख्य वित्तीय अधिकारी (01.04.2022 से 31.03.2023)
सुश्री अनघा शांतनु देशपांडे, कंपनी सचिव (01.04.2022 से 31.03.2023)

प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) में उल्लिखित सीमा से अधिक वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

कोई भी निदेशक जो कंपनी से कोई कमीशन प्राप्त कर रहा है और जो कंपनी का प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक है, उसे किसी होल्डिंग कंपनी या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त होता है तो वह कंपनी द्वारा बोर्ड की रिपोर्ट में इसके प्रकटीकरण के अधीन होगा। कोई नहीं।

FY 2022-23. No sitting fees is payable to Chairman cum Managing Director, Whole-time Director, Bank Director and nominees representing Government of India.

SUBORDINATED DEBT

The Company exercised call option on the Unsecured Redeemable Fully paid up Non-Convertible Debentures which were listed on the Bombay Stock Exchange. The 8.25% Debentures were redeemed in full with interest on 2nd February 2023. There was no default in the payment to any debenture holder and all regulatory compliances with regard to the exercise of call option were duly met. BSE has confirmed the delisting of the Company vide Notice dated 16th February 2023.

On account of the said redemption, CRISIL has withdrawn the ratings assigned to the subordinated debt of the Company.

SECRETARIAL AUDIT

As provided under section 204 of the Companies Act 2013, the Company has appointed S Dhanapal & Associates LLP, a firm of company secretaries to carry out the Secretarial Audit of the Company and their Report for the year 2022-23 is enclosed as Annexure 2.

POLICY ON MATERIAL SUBSIDIARIES

During the period when the Company was listed, the Company had a Board approved policy on material subsidiary. The same is available on the website of the Company at www.uiic.co.in.

EVALUATION OF INDEPENDENT DIRECTOR BY THE BOARD

The Evaluation criteria for Evaluation of Independent Directors was approved by the Nomination and Remuneration Committee and Evaluation was carried out accordingly for FY 2022-23.

DIRECTORS AND OFFICERS INSURANCE

The Company has taken "Directors and Officers Insurance" for all its Directors.

ANNUAL RETURN

In accordance with Section 134(3) of the Companies Act, 2013, the Annual Return in Form MGT-7 is placed at <https://uiic.co.in/en/public-disclosures>

CONSERVATION OF ENERGY & TECHNOLOGY ABSORPTION

Considering the nature of operations of the Company, the provisions of section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Accounts) Rules 2014 relating to information to be furnished on Conservation

of Energy and Technology absorption are not applicable.

RELATED PARTY POLICY AND TRANSACTIONS

During the period when the Company was listed, the Company had framed a policy on dealing with Related Party Transactions. Necessary approvals are taken in accordance with the policy and applicable laws. Form AOC-2 pursuant to Section 134(3)(h) of the Companies Act 2013 read with the Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is set out in Annexure 4 to this Report. The Related Party Transactions Policy is available on the Company's website www.uiic.co.in.

Related Party Transactions

Related party transactions with the following are given in the Notes to Accounts:

- i) **Subsidiary**
M/s. Zenith Securities and Investments Limited
- ii) **Associates**
M/s. India International Insurance Pte Ltd., Singapore
M/s. Health Insurance TPA of India Ltd., India
- iii) **Common Director**
M/s. Ken India Assurance Co Ltd., Kenya
M/s GIC Housing Finance Ltd., India
- iv) **Key Management Personnel**
Shri Satyajit Tripathy, Chairman cum Managing Director, (01.04.2022 to 31.03.2023)
Shri Navneet Doda, General Manager & Director, (21.11.2022 to 30.11.2022)
Ms. Rajeshwari Singh Muni, General Manager & Director, (18.11.2022 to 31.03.2023)
Shri Gopalakrishnan Sundararaman, General Manager & Chief Financial Officer (01.04.2022 to 31.03.2023)
Ms. Anagha Shantanu Deshpande, Company Secretary (01.04.2022 to 31.03.2023)

MANAGERIAL REMUNERATION

None of the employees of the Company was paid salary exceeding limits mentioned in Section 196 of the Companies Act, 2013 and Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

Any Director who is in receipt of any commission from the Company and who is a Managing Director or Whole Time Director of the Company shall receive any remuneration or commission from any holding company or subsidiary company of such company subject to its disclosure by the Company in the Board's Report : NONE

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक का विवरण (वि व 2022-23)

| क्र. सं | नाम | वेतन (₹) | अनुलाभों का मूल्य (₹) | कुल (₹) |
|---------|--|------------|-----------------------|------------|
| 1 | श्री सत्यजीत त्रिपाठी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (01.04.2022 to 31.03.2023) | 4523776.00 | - | 4523776.00 |
| 2 | श्री नवनीत डोडा महाप्रबंधक निदेशक (21.11.2022 to 30.11.2022) | 5851255.00 | - | 5851255.00 |
| 3 | सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि महाप्रबंधक निदेशक (18.11.2022 to 31.03.2023) | 1134872.92 | 7490.00 | 1142362.92 |
| 4 | श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन महाप्रबंधक निदेशक सीएफओ * (01.04.2022 to 31.03.2023) | 4742194.00 | 361179.47 | 5103373.47 |
| 5 | सुश्री अनघा शांतनु देशपांडे कंपनी सचिव (01.04.2022 to 31.03.2023) | 2947898.58 | 299063.51 | 3246962.09 |

*09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन को महाप्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

नोट : उपरोक्त पारिश्रमिक में राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 4896ई दिनांक 14.10.2022 एसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान किया गया वेतन बकाया शामिल है।

आईआरडीएआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2016 (वित्त वर्ष 2022-23) के अनुसार प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण

| क्र. सं | नाम | वेतन (₹) | अनुलाभों का मूल्य (₹) | कुल (₹) |
|---------|--|------------|-----------------------|------------|
| 1 | श्री सत्यजीत त्रिपाठी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (01.04.2022 to 31.03.2023) | 4523776.00 | - | 4523776.00 |
| 2 | श्री नवनीत डोडा महाप्रबंधक निदेशक (21.11.2022 to 30.11.2022) | 5851255.00 | - | 5851255.00 |
| 3 | सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि महाप्रबंधक निदेशक (18.11.2022 to 31.03.2023) | 1134872.92 | 7490.00 | 1142362.92 |
| 4 | श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन महाप्रबंधक निदेशक सीएफओ * (01.04.2022 to 31.03.2023) | 4742194.00 | 361179.47 | 5103373.47 |
| 5 | सुश्री गौरी वेंकटेशन मुख्य अनुपालन अधिकारी (01.04.2022 to 30.06.2022) | 2377793.88 | 348561.00 | 2726354.88 |
| 6 | सुश्री उषा गिरीष मुख्य अनुपालन अधिकारी (08.07.2022 to 31.03.2023) | 4470251.37 | 343943.00 | 4814194.37 |
| 7 | श्री एल रंगराजन मुख्य निवेश अधिकारी (01.04.2022 to 31.03.2023) | 4427021.58 | 399482.62 | 4826504.20 |
| 8 | श्री एस. राजगोपाल मुख्य जोखिम अधिकारी (01.04.2022 to 31.03.2023) | 3609099.68 | 21600.00 | 3630699.68 |
| 9 | सुश्री अनघा शांतनु देशपांडे कंपनी सचिव (01.04.2022 to 31.03.2023) | 2947898.58 | 299063.51 | 3246962.09 |

*09 मई 2023 से श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन को महाप्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

नोट : उपरोक्त पारिश्रमिक में राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 4896ई दिनांक 14.10.2022 एसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान किया गया वेतन बकाया शामिल है।

DETAILS OF REMUNERATION PAID TO KEY MANAGEMENT PERSONS AS PER COMPANIES ACT, 2013 (FY 2022-23)

| Sr. No | Name | Salary (₹) | Value of Perquisites (₹) | Total (₹) |
|--------|--|------------|--------------------------|------------|
| 1 | Shri Satyajit Tripathy Chairman cum Managing Director (01.04.2022 to 31.03.2023) | 4523776.00 | - | 4523776.00 |
| 2 | Shri Navneet Doda General Manager & Director (21.11.2022 to 30.11.2022) | 5851255.00 | - | 5851255.00 |
| 3 | Ms. Rajeshwari Singh Muni General Manager & Director (18.11.2022 to 31.03.2023) | 1134872.92 | 7490.00 | 1142362.92 |
| 4 | Shri Gopalakrishnan Sundararaman General Manager & Director & CFO * (01.04.2022 to 31.03.2023) | 4742194.00 | 361179.47 | 5103373.47 |
| 5 | Ms. Anagha Shantanu Deshpande Company Secretary (01.04.2022 to 31.03.2023) | 2947898.58 | 299063.51 | 3246962.09 |

*Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as General Manager & Director w.e.f. 9th May 2023

Note: The above remuneration is inclusive of wage arrears paid during FY 2022-23 as per Gazette Notification No.S.O. No.4896E dt.14.10.2022

DETAILS OF REMUNERATION PAID TO KEY MANAGEMENT PERSONS AS PER IRDAI CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES, 2016 (FY 2022-23)

| Sr. No | Name | Salary (₹) | Value of Perquisites (₹) | Total (₹) |
|--------|--|------------|--------------------------|------------|
| 1 | Shri Satyajit Tripathy Chairman cum Managing Director (01.04.2022 to 31.03.2023) | 4523776.00 | - | 4523776.00 |
| 2 | Shri Navneet Doda General Manager & Director (21.11.2022 to 30.11.2022) | 5851255.00 | - | 5851255.00 |
| 3 | Ms. Rajeshwari Singh Muni General Manager & Director (18.11.2022 to 31.03.2023) | 1134872.92 | 7490.00 | 1142362.92 |
| 4 | Shri Gopalakrishnan Sundararaman General Manager & Director & CFO * (01.04.2022 to 31.03.2023) | 4742194.00 | 361179.47 | 5103373.47 |
| 5 | Ms. Gauri Venkatesan Chief Compliance Officer (01.04.2022 to 30.06.2022) | 2377793.88 | 348561.00 | 2726354.88 |
| 6 | Ms. Usha Girish Chief Compliance Officer (08.07.2022 to 31.03.2023) | 4470251.37 | 343943.00 | 4814194.37 |
| 7 | Shri L Rangarajan Chief Investment Officer (01.04.2022 to 31.03.2023) | 4427021.58 | 399482.62 | 4826504.20 |
| 8 | Shri S Rajagopal Chief Risk Officer (01.04.2022 to 31.03.2023) | 3609099.68 | 21600.00 | 3630699.68 |
| 9 | Ms. Anagha Shantanu Deshpande Company Secretary (01.04.2022 to 31.03.2023) | 2947898.58 | 299063.51 | 3246962.09 |

*Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as General Manager & Director w.e.f. 9th May 2023

Note: The above remuneration is inclusive of wage arrears paid during FY 2022-23 as per Gazette Notification No.S.O. No.4896E dt.14.10.2022

वैधानिक लेखा परीक्षक

समीक्षाधीन अवधि के लिए विभिन्न क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों के अलावा, मे. पी एस सुब्रमण्यम अय्यर एंड कंपनी, मे. मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स और मे. एसआरबीआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

वर्ष के दौरान मनोरंजन, विदेशी दौरों और प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन पर प्रबंधन के व्यय का विवरण

| | राशि रु. में ₹ |
|--------------------------|----------------|
| मनोरंजन | 39271.00 |
| विदेशी दौरों | 842844.00 |
| प्रचार प्रसार विज्ञापन | 42537169.09 |

निदेशकों का जवाबदेही कथन

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए)) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

- 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी का घाटा या लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
- निदेशकों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एक चिंता के विषय के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए हैं।
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

स्थान: चेन्नै
दिनांक : 30.05.2023

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट का रखा जाना

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) ने पुष्टि की है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार 20.12.2022 को राज्यसभा और 06.02.2023 को लोकसभा के समक्ष रखी गई थी।

2023-24 के लिए कंपनी की योजनाएं/दृष्टिकोण

वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी विवेकपूर्ण बीमालेखन, लाभदायक विकास, रीटेल व्यापार को मजबूत करने, उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) में कमी, दावा निपटान दक्षता में सुधार के माध्यम से सॉल्वेंसी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखती है।

अन्य ध्यानार्थ के क्षेत्र में, जोखिम अनुभव आधारित और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, बीमालेखन के मुनाफे के लिए लाभदायक व्यवसाय/चैनल की ओर बढ़ना, परिचालन लागत को कम करना, सह-बीमा और पुनर्बीमा शेष को समेटना और व्यवस्थित करना होगा।

जहां सूचित/आकलित नुकसान ₹ 50,000/- रुपये से कम है वहाँ पर मोटर दावों के 100% ऐप-आधारित निपटान की शुरुआत करके कंपनी अपनी दावा निपटान दक्षता में सुधार करने की भी योजना बना रही है। जहां पिछले 3 वर्षों में आईसीआर स्टैंडअलोन आधार पर 90% से अधिक या ग्राहक पोर्टफोलियो के आधार पर 95% से अधिक है, वहाँ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आईसीआर को कम करने और जीएमसी से बाहर निकलने के प्रयास जारी रहेंगे।

उपभोक्ता व्यवहार और मांगें बदल रही हैं। ग्राहक बीमाकर्ताओं से बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने की उम्मीद कर रहे हैं। जोखिम मूल्यांकन और बीमा प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए इंश्योर टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई ओ टी) जैसी तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए, डिजिटलीकरण का बढ़ता उपयोग विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों की योजना और विकास के मूल में रहेगा।

आभार

निदेशक मंडल सभी ग्राहकों को उनके निरंतर संरक्षण के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है। बोर्ड कंपनी के कर्मचारियों और एजेंटों, दलालों और अन्य मध्यस्थों द्वारा किए गए अच्छे काम के लिए अपनी सराहना भी दर्ज करता है। बोर्ड नियुक्त एक्जुअरी, सांविधिक लेखा परीक्षकों, वित्त मंत्रालय के बीमा प्रभाग, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, सामान्य बीमाकर्ता (सार्वजनिक क्षेत्र) एसोसिएशन और सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/-
(सत्यजीत त्रिपाठी)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.08681994

STATUTORY AUDITORS

M/s. P S Subramania Iyer & Co., M/s. Manohar Chowdhry & Associates and M/s. SRBR & Associates LLP Chartered Accountants were appointed for the period under review, as Statutory Auditors by the Comptroller & Auditor General of India under section 139 of the Companies Act 2013, in addition to the auditors appointed for various Regional and Divisional Offices.

DETAILS OF EXPENSES OF MANAGEMENT DURING THE YEAR ON ENTERTAINMENT, FOREIGN TOURS AND PUBLICITY & ADVERTISEMENT

| | Amount in ₹ |
|---------------------------|-------------|
| Entertainment | 39271.00 |
| Foreign Tours | 842844.00 |
| Publicity & Advertisement | 42537169.09 |

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement under Section 134 of Companies Act 2013 (Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956) with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed that:

- In the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31 March 2023, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.
- The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for the year under review.
- The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The Directors have prepared the annual accounts for the financial year ended 31 March 2023 on a going concern basis.
- The Directors have laid down Internal Financial Controls to be followed by the Company and that such Internal Financial Controls were adequate and were operating effectively.
- The Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

The Ministry of Finance, Department of Financial Services (Insurance Division) has confirmed that the Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-22 was placed before Rajya Sabha on 20.12.2022 and Lok Sabha on 06.02.2023 as per the requirements of the Companies Act, 2013.

PLANS/OUTLOOK OF THE COMPANY FOR 2023-24

During the year 2023-24, the Company intends to focus on improving solvency through prudent underwriting, profitable growth, strengthening the retail business, reduction in Incurred Clam Ratio(ICR), improving claims settlement efficiency.

The other focus area would be to shift towards risk experience based & customer centric approach, profitable business/channels for underwriting profits, to reduce operating costs, to reconcile & settle co-insurance and reinsurance balances.

The Company is also planning to improve its claims settlement efficiency by introducing 100% app-based settlement of motor claims where intimated / assessed loss is less than ₹ 50,000/-. Efforts will be on to reduce ICR on Year-on-Year basis and to exit from GMCs where past 3 years ICR is more than 90% on standalone basis or 95% on client portfolio basis.

Consumer behaviour and demands are changing. Customers are expecting insurers to provide a better digital experience. Insure Techs are leveraging technologies such as Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data Analytics, and the Internet of Things (IoT) to improve the Risk assessment and insurance processes. Hence, an increased use of digitization would be at the core of planning and development of various business activities.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors conveys its sincere thanks to all clients for their continued patronage. Board also places on record its appreciation for the good work done by employees and agents, brokers and other intermediaries of the company. The Board also thanks the Appointed Actuary, Statutory Auditors, Insurance Division of the Ministry of Finance, Insurance Regulatory and Development Authority of India, General Insurers' (Public Sector) Association and Member Audit Board for their guidance and support.

For and on behalf of the Board
Sd/-

(SatyajitTripathy)
Chairman-cum-Managing Director
DIN No.08681994

वर्तमान निदेशक मंडल का रूपरेखा

| नाम (श्री / श्रीमती) | अर्हता | विशेषज्ञता का क्षेत्र | निदेशक पद की स्थिति |
|--|---|-----------------------|--|
| सत्यजीत त्रिपाठी | बी.एससी. (कृषि) पी जी डी एम (एक्स आई एम बी) | बीमा | निदेशक, हैल्थ इश्यूरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लि निदेशक, एग्रीकल्चर इश्यूरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. निदेशक, केन इंडिया एश्यूरेंस कं. लि. निदेशक जीआईसी हाऊसिंग फायनैस लि. |
| एम वी राव | एमएससी (कृषि) सीएआईआई बी | बैंकिंग फायनान्स | एमडी सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया |
| एम जी जयश्री | आईएसएस, एमएससी (स्टैटिस्टिक्स) एम.एससी. (पब्लिक मैनेजमेंट एंड गवर्नेन्स) | - | निदेशक, पंजाब सिंद बैंक |
| प्रशांत कुमार गोयल | एमबीबीएस | - | निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र |
| राजेश्वरी सिंह मुनि (18.11.2022 से) | बी.एससी. एमबीए | बीमा | - |
| गोपालकृष्ण सुंदररामन (09.05.2023 से) | बी.कॉम, सीएस (इंटर), एआईआईआई | बीमा | निदेशक, जेनेथ सेक्युरिटीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड |
| डॉ. नितिन कुमार बक्शी (09.05.2023 से) | एम.कॉम, पी.एचडी | विद्याविद् | - |
| अम्बिकेश केशरी (30.05.2023 से) | एम.ए.(पॉलिटिकल सायन्स) एलएलबी | कृषि विधि | - |

कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाणन

मैं, अनघा शांतनु देशपांडे, प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने समय-समय पर संशोधित बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है और कुछ भी छुपाया या दबाया नहीं गया है।

स्थान: चेन्नै
दिनांक : 30.05.2023

अनघा शांतनु देशपांडे
कंपनी सचिव
एसीएस 12700

PROFILE OF THE PRESENT BOARD OF DIRECTORS

| Name (Shri/Smt) | Qualification | Field of Specialization | Status of Directorship |
|---|--|-------------------------|--|
| Satyajit Tripathy | B.Sc. Agriculture, PGDM (XIMB) | Insurance | Director, Health Insurance TPA of India Ltd Director, Agriculture Insurance Company of India Ltd Director, Kenindia Assurance Co. Ltd Director, GIC Housing Finance Ltd |
| M V Rao | M.Sc. (Agriculture), CAIIB | Banking & Finance | MD & CEO, Central Bank of India |
| M.G. Jayasree | ISS, M.Sc (Statistics), M.Sc. (Public Management and Governance) | - | Director, Punjab & Sind Bank |
| Parshant Kumar Goyal | MBBS | - | Director, Bank of Maharashtra |
| Rajeshwari Singh Muni (From 18.11.2022) | B.Sc, MBA | Insurance | - |
| Gopalakrishnan Sundararaman (From 09.05.2023) | B.Com, CS (Inter), AIII | Insurance | Director, Zenith Securities and Investment Limited |
| Dr. Nitin Kumar Bakhshi (From 09.05.2023) | M.Com, Ph.D. | Academician | - |
| Ambikesh Keshri (From 30.05.2023) | M.A.(Political Science), LLB | Agriculture & Law | - |

Certification for Compliance of the Corporate Governance Guidelines

I, Anagha Shantanu Deshpande, hereby certify that the Company has complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

Anagha Shantanu Deshpande
Company Secretary
ACS 12700

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार दिनांक 30 मई 2023

की निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट

वर्ष 2022-23 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और प्रबंधन के उत्तरों पर वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणी

प्रश्न 1. वर्ष के अंत की पुष्टि की गैर-प्राप्ति

क) प्रदर्शित हो रही स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 29 से संदर्भ, पुनर्बीमाकर्ताओं सहित अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत की पुष्टि प्राप्त न करने और वित्तीय स्थिति पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

ख) प्रदर्शित हो रही स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक पर टिप्पणी

अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने और समाधान के लिए कंपनी के पास उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं था।

प्रबंधक का उत्तर :

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 29 से संदर्भ, ₹1436162 हजार में से ₹645873 हजार सह बीमा शेष राशि का पुष्टि प्राप्त न करना।

कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक और निजी बीमाकर्ताओं दोनों के साथ संभागीय/क्षेत्रीय और प्रादेशिक स्तरों पर आयोजित आवधिक भौतिक और आभासी बैठकों का आयोजन/उपस्थित सुनिश्चित किया है। कंपनी द्वारा सुलह

और निपटान के लिए किए गए लगातार प्रयासों के कारण वसूली योग्य/देय राशि में काफी कमी आई है। त्वरित समाधान की सुविधा के लिए अन्य बीमाकर्ताओं के साथ शेष राशि का विस्तृत विवरण साझा किया जाता है। परिचालन कार्यालयों ने अन्य बीमाकर्ताओं को पुष्टि पत्र प्रेषित किये हैं और ₹1436162 हजार शेष में से ₹790289 हजार की सीमा तक पुष्टि प्राप्त कर ली है।

1 अप्रैल 2023 से कंपनी ने 4 क्षेत्रीय स्तर के सह-बीमा केंद्र शुरू किए हैं जो भविष्य में शेष राशि के त्वरित समाधान और निपटान के लिए पूरी तरह से कार्यरत हैं।

2. पुनर्बीमा मॉड्यूल

अ) प्रदर्शित हो रही स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक पर टिप्पणी

रिपोर्ट में त्रुटियों को समाप्त करने के लिए पुनर्बीमा मॉड्यूल में सिस्टम नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा।

प्रबंधक का उत्तर :

चूंकि सॉफ्टवेयर स्थिर हो गया है और पिछले एक पूरे वित्तीय वर्ष से परिचालन में है अतः तैयार की गई रिपोर्ट को डेटा एकीकरण के लिए ठीकठाक कर दिया गया है। विभिन्न रिपोर्टों के बीच प्रारूप और संरचना में एकरूपता के सुझाव पर सुधार हेतु कार्य किया जा रहा है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनके तरफ से

(सत्यजीत त्रिपाठी)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डी.आई.एन. 08681994

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 30.05.2023

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT DATED 30TH MAY 2023 AS PER SECTION 134(3)(f) OF THE COMPANIES ACT, 2013

Statutory Auditors' Comments on Standalone Financial Statements and Management Replies for the year 2022-23

1) Non-obtention of year end confirmation

- a) Observation as appearing in Independent Auditors' Report

Note No.29 to the Standalone Financial Statements, refers to non-obtention of year end confirmation from other insurance companies including Reinsurers and consequential impact on the financials, if any, is not ascertainable.

- b) Observation as appearing in Annexure I to the Independent Auditors' Report

The Company did not have appropriate internal controls for obtention of year end confirmation of balances from other insurance companies and reconciliation.

Reply of the Management

Note No: 29 in the Standalone Financial Statements, refers to non-obtention of confirmation for co-insurance balances to the extent of ₹ 645873 thousands out of ₹ 1436162 thousands of balances.

The company has conducted/attended periodical physical and virtual meeting held during the year at Divisional/Regional and at Zonal levels with both PSU and Private Insurers. The amount recoverable/ payable have reduced substantially due to the persistent

efforts taken by the company for reconciliation and settlement. Detailed statement of balances are shared with other insurers to facilitate faster reconciliation. The operating offices have sent the confirmation letters to other insurers and have obtained the confirmations to the extent of ₹ 790289 thousands out of ₹ 1436162 thousands of balances.

The company has started 4 Zonal level Co-Insurance Hubs w.e.f 1st April 2023 solely engaged for speedy reconciliation and settlement of balances in the future.

2) Reinsurance module

- a) Observation as appearing in Annexure I to the Independent Auditors' Report

The system controls in Reinsurance module to be strengthened to eliminate errors in reports.

Reply of the Management

The report generated are fine tuned for data integrity as the software has stabilised and has been in operation for the last one full financial year. The suggestion regarding consistency in format and structure between different reports are being worked out to improve further.

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Satyajit Tripathy)

Chairman-cum-Managing Director
DIN No.08681994

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार दिनांक 30 मई 2023

की निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट

वर्ष 2022-23 के लिए समेकित वित्तीय विवरण और प्रबंधन के उत्तरों पर वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणी

1. वर्ष के अंत की पुष्टि की गैर-प्राप्ति

क) प्रदर्शित हो रही स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 29 से संदर्भ, पुनर्बीमाकर्ताओं सहित अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत की पुष्टि प्राप्त न करने और वित्तीय स्थिति पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

ख) प्रदर्शित हो रही स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक पर टिप्पणी

अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने और समाधान के लिए कंपनी के पास उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं था।

प्रबंधक का उत्तर :

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 29 से संदर्भ, ₹1436162 हजार में से ₹645873 हजार सह बीमा शेष राशि का पुष्टि प्राप्त न करना।

कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक और निजी बीमाकर्ताओं दोनों के साथ संभागीय/क्षेत्रीय और प्रादेशिक स्तरों पर आयोजित आवधिक भौतिक और आभासी बैठकों का आयोजन/उपस्थित सुनिश्चित किया है। कंपनी द्वारा सुलह और निपटान के लिए किए गए लगातार प्रयासों के कारण वसूली योग्य/देय राशि में काफी कमी आई है। त्वरित समाधान की

सुविधा के लिए अन्य बीमाकर्ताओं के साथ शेष राशि का विस्तृत विवरण साझा किया जाता है। परिचालन कार्यालयों ने अन्य बीमाकर्ताओं को पुष्टि पत्र प्रेषित किये हैं और ₹1436162 हजार शेष में से ₹790289 हजार की सीमा तक पुष्टि प्राप्त कर ली है।

1 अप्रैल 2023 से कंपनी ने 4 क्षेत्रीय स्तर के सह-बीमा केंद्र शुरू किए हैं जो भविष्य में शेष राशि के त्वरित समाधान और निपटान के लिए पूरी तरह से कार्यरत हैं।

2. पुनर्बीमा मॉड्यूल

अ) प्रदर्शित हो रही स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक पर टिप्पणी

रिपोर्ट में त्रुटियों को खत्म करने के लिए पुनर्बीमा मॉड्यूल में सिस्टम नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा।

प्रबंधक का उत्तर:

तैयार की गई रिपोर्ट को डेटा एकीकरण के लिए ठीक किया गया है क्योंकि सॉफ्टवेयर स्थिर हो गया है और पिछले एक पूरे वित्तीय वर्ष से परिचालन में है। विभिन्न रिपोर्टों के बीच प्रारूप और संरचना में एकरूपता के सुझाव पर और सुधार करने के लिए काम किया जा रहा है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनके तरफ से

(सत्यजीत त्रिपाठी)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डी.आई.एन. 08681994

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 30.05.2023

**ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT DATED 30TH MAY 2023
AS PER SECTION 134(3)(f) OF THE COMPANIES ACT, 2013**

**Statutory Auditors' comments on
Consolidated Financial Statements and Management Replies for the year 2022-23**

1. Non-obtention of year end confirmation

- a) Observation as appearing in Independent Auditors' Report

Note No.29 to the Consolidated Financial Statements, refers to non-obtention of year end confirmation from other insurance companies including Reinsurers and consequential impact on the financials, if any, is not ascertainable.

- b) Observation as appearing in Annexure I to the Independent Auditors' Report.

The Company did not have appropriate internal controls for obtention of year end confirmation of balances from other insurance companies and reconciliation.

Reply of the Management

Note No. 29 in the Consolidated Financial Statements, refers to non-obtention of confirmation for co-insurance balances to the extent of ₹ 645873 thousands out of ₹ 1436162 thousands of balances.

The company has conducted/attended periodical physical and virtual meeting held during the year at Divisional/Regional and at Zonal levels with both PSU and Private Insurers. The amount recoverable/ payable

have reduced substantially due to the persistent efforts taken by the company for reconciliation and settlement. Detailed statement of balances are shared with other insurers to facilitate faster reconciliation. The operating offices have sent the confirmation letters to other insurers and have obtained the confirmations to the extent of ₹ 790289 thousands out of ₹ 1436162 thousands of balances.

The company has started 4 Zonal level Co-Insurance Hubs w.e.f 1st April 2023 solely engaged for speedy reconciliation and settlement of balances in the future.

2. Reinsurance module

- a) Observation as appearing in Annexure I to the Independent Auditors' Report.

The system controls in Reinsurance module to be strengthened to eliminate errors in reports.

Reply of the Management

The report generated are fine tuned for data integrity as the software has stabilised and has been in operation for the last one full financial year. The suggestion regarding consistency in format and structure between different reports are being worked out to improve further.

For and on behalf of the Board

Sd/-
(SatyajitTripathy)

Chairman-cum-Managing Director
DIN No.08681994

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

अनुलग्नक-2, सचिवीय लेखा परीक्षा एवं टिप्पणियाँ।

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार

प्रति

सदस्य गण,

यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

चेन्नै

हमने मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (इसके पश्चात कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है। हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से आयोजित की गई कि जिससे हमें निगमीय आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय/समझ व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए और हमें उपलब्ध कराए गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखा परीक्षण संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम, उन रिकॉर्डों और इस प्रकार प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय और समझ में, **31 मार्च, 2023** को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षण अवधि के दौरान, कंपनी वैधानिक का अनुपालन करती प्रतीत होती है तथा यहां नीचे सूचीबद्ध प्रावधानों और हमारी सीमित समीक्षा में भी, कंपनी के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा, तरीके और विषय के अनुसार उचित और आवश्यक बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं।

हमने लागू प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए और हमें उपलब्ध कराए गए पुस्तकों, कागजात, मिनट्स बुक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत लागू नियम;
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और लागू सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम।
- वर्ष के दौरान लागू सीमा तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अभिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी कारोबार का निषेध) विनियम, 2015;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2018
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;
 - कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021; और
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

Annexure-2 Secretarial Audit Report and Observations

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2023

Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

To
The Members,
UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED,
Chennai

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **M/s. UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED**, (hereinafter called the company). Secretarial Audit was conducted based on records made available to us, in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion/understanding thereon.

Based on our verification of the Company's Books, Papers, Minute Books, Forms and Returns filed and other records maintained by the Company and made available to us and also the information provided by the Company, its Officers, Agents and Authorized Representatives during the conduct of Secretarial Audit, we, on strength of those records, and information so provided, hereby report that in our opinion and understandings, the Company, during the audit period covering the financial year ended on **March 31, 2023**, appears to have complied with the statutory provisions listed hereunder and also in our limited review, the Company has proper and required Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the Books, Papers, Minutes' Book, Forms and Returns filed and other records maintained by the Company and made available to us, for the financial year ended on March 31, 2023 according to the applicable provisions of:

- i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder as applicable;
- ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings to the extent applicable.
- v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992('SEBI ACT') to the extent applicable during the year:-
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021;
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; and
 - h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;

vi) प्रबंधन ने कंपनी (बीमा कानून) पर विशेष रूप से लागू होने वाले निम्नलिखित कानूनों की पहचान और पुष्टि की है):

- साधारण बीमा व्यवसाय(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (जीआईबीएनए);
- बीमा अधिनियम, 1938;
- भारतीय बीमा विकास एवं विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1999;
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2016;
- औद्योगिक विवाद (बैंकिंग और बीमा कंपनियों) अधिनियम, 1949.
- समुद्री बीमा अधिनियम 1963.
- उपरोक्त कानून के अंतर्गत लागू सीमा तक जारी नियम, विनियम, परिपत्र, आदेश, अधिसूचना और निर्देश

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, और
- कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित सीमा को छोड़कर आवश्यक सीमा तक उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के लागू प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।:

- बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न होना और निदेशक मंडल की संरचना, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति, स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन सहित सभी संबंधित अनुपालन;
- वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एपीआर) दाखिल न करना और विदेशी संपत्तियों और देनदारियों (एफएलए) पर रिटर्न दाखिल करने में विलंब;
- 31.03.2022, 30.06.2022 और 30.09.2022 को समाप्त तिमाहियों के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 52(1) और 52(4) के अंतर्गत अपेक्षित लाइन आइटम के साथ वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में विलंब के कारण जुर्माना लगाया गया था। हालांकि बाद में कंपनी के अभ्यावेदन के आधार पर बीएसई से प्राप्त ईमेल दिनांक 03.03.2023 के माध्यम से बीएसई ने इसे माफ कर दिया।
- 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए विनियमन 54(2) के प्रावधानों और वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए विनियमन 50(2) और 53(2) के अंतर्गत विलंब / गैर-अनुपालन के लिए बीएसई द्वारा जुर्माना लगाया गया था, हालांकि बाद में कंपनी के अभ्यावेदन के आधार पर बीएसई की ईमेल दिनांक 02.03.2023 के माध्यम से इसे वापस ले लिया गया था;
- 1 जनवरी, 2022 से 24 जुलाई, 2022 तक "नियुक्त बीमांकक" के कार्यालय में रिक्ति;
- रिटर्न जमा करने में विलंब, आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन और आरक्षित पर्याप्तता का रखरखाव न करना और बीमा कानूनों के अंतर्गत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रबंधन व्यय।

हमें यह दर्शाया गया है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू विभिन्न अधिनियमों के तहत वैधानिक प्राधिकारियों और कंपनी द्वारा प्राप्त पत्रों/नोटिस, यदि कोई हो, द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, उपाय आरंभ किए हैं।

आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि, उपरोक्त के अधीन, जो संबंधित दस्तावेज़ हमें मिले हैं वे दर्शाते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए हैं, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को एजेंडा और पर्याप्त सूचना दी गई, और कम से कम सात दिन पहले एजेंडा पर विस्तृत नोट्स भेजे गए और सार्थक भागीदारी के लिए और बैठक से पहले और एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को मिनट के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है। आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की हमारी सीमित समीक्षा के आधार पर, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त सिस्टम दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। कंपनी के लिए आईटी योजना/नीति के संबंध में, कंपनी ने बताया है कि उसने आईटी सलाहकार की नियुक्ति के लिए अपने बोर्ड की मंजूरी प्राप्त कर ली है और उनकी मंजूरी के लिए संबंधित मंत्रालय को आवेदन किया जाएगा।

- vi) The management has identified and confirmed the following laws as being specifically applicable to the Company (Insurance Laws):
- General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (“GIBNA”);
 - The Insurance Act, 1938;
 - Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999;
 - Corporate Governance Guidelines, 2016 issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India;
 - Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, 1949.
 - Marine insurance Act 1963.
 - Rules, Regulations, Circulars, Orders, Notification and Directives issued under the above statute to the extent applicable.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2), and
- The Listing Agreements entered into by the Company with BSE Limited and The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review, the Company has complied with the requirements to be met in accordance with the applicable provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above to the required extent except to the extent as mentioned below:

- Non-appointment of requisite number of independent Directors on the Board and all related compliances including composition of Board of Directors, Audit committee and Nomination and Remuneration Committee, separate meeting of independent directors, performance evaluation by independent directors;
- Non-filing of Annual Performance Report (APR) and delay in filing of return on Foreign Assets and Liabilities (FLA);
- Delay in submission of financial results with requisite line items under regulations 52(1) and 52(4) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for quarters ended 31.03.2022, 30.06.2022 and 30.09.2022 for which fine was levied by BSE, however the same was later waived vide email from BSE dated 03.03.2023 based on Company’s representations;
- Delay / non compliance with provisions of regulation 54(2) for period ended 31.03.2022 and under regulation 50(2) and 53(2) for FY 2021-2022 for which fine was levied by BSE, however the same was later withdrawn vide email from BSE dated 02.03.2023 based on Company’s representations;
- Vacancy in the office of “Appointed Actuary” from January 1, 2022 to July 24, 2022;
- Delay in submission of returns, non-maintenance of required solvency margin and reserve adequacy and Management Expenses in excess of allowable limits under insurance laws.

It is represented to us that the company has initiated measures, wherever required, to address issues raised by the Statutory Authorities and Letters/Notices received by the Company, if any, during the financial year under various enactments as applicable to the company.

We further report that, subject to the above, the related documents that we have come across depict that:

The Board of Directors of the Company is constituted as applicable with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and the changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, Agenda and detailed notes on Agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members’ views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that, based on our limited review of the compliance mechanism established by the Company, there appear adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company

आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि, लेखापरीक्षण अवधि के दौरान कंपनी ने 11 नवंबर, 2022 को आयोजित एजीएम में सामान्य व्यवसाय के अलावा निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रमों के लिए अपने सदस्यों की अनुमोदन मांगी है;

- किसी भी धर्मार्थ, सार्वजनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परोपकारी या सामान्य निधि, समाज, संघ, संस्थानों, ट्रस्ट, संगठनों में समय-समय पर योगदान, दान, सदस्यता या अन्यथा सहायता प्रदान करने की स्वीकृति, जो सीधे कंपनी के व्यवसाय से संबंधित नहीं है या कर्मचारियों का कल्याण, आदि, ₹2 करोड़ से अधिक नहीं की राशि तक (11 नवंबर, 2022 को आयोजित एजीएम में)।
- कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने और इसके परिणामस्वरूप मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के पूंजी खंड में बदलाव को मंजूरी (17 मई, 2022 को आयोजित ईजीएम में);
- श्री एम वी राव, एमडी और सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और श्री प्रशांत कुमार गोयल, निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय की निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी (29 अगस्त, 2022 को आयोजित ईजीएम में);
- सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि, महाप्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की महाप्रबंधक और निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी (23 दिसंबर, 2022 को आयोजित ईजीएम में)।

आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षण अवधि के दौरान कंपनी ने डिबेंचर ('एनसीडी') की प्रकृति में 8.25% रेटेड, प्रतिभूति रहित, सबऑर्डिनेटेड, पूर्णतः चुकता, सूचीबद्ध, प्रतिदेय और गैर परिवर्तनीय बांडों में से पूरे 9000 को भुनाया है। 02.02.2023 को 'कॉल ऑप्शन' का प्रयोग करते हुए आईएसआईएन INE346Z08011 के तहत प्रत्येक को ₹ 10,00,000/- का मूल्य जारी किया गया। बीएसई के नोटिस के अनुसार, 17 फरवरी, 2023 से उक्त डिबेंचर डीलिस्ट कर दिए गए।

आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष 2021-22 के दौरान,

- मई, 2021 में लार्ज कॉर्पोरेट एंड ब्रोकर्स ऑफिस (एलसीबी) मुंबई में एक कर्मचारी और उसके पति या पत्नी, जो एक कर्मचारी भी है, द्वारा कंपनी के निधि के दुरुपयोग का मामला पकड़ाया गया। ₹204.69 करोड़ रुपये का दुरुपयोग करते हुए निधि को उनके व्यक्तिगत खाते और दूसरों के खाते में अंतरित किया गया। जून 2022 में ₹79.11 करोड़ रुपये की वसूली की गई तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ईओडब्ल्यू द्वारा 9.87 करोड़ रुपये की और वसूली की गई है जो एस्क्रो खाते में जमा है (राशि प्राप्त करने के लिए अदालत के आदेश की प्रतीक्षा है)। प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न पार्टियों से ₹ 15.32 करोड़ रुपये की राशि कुर्क की है तथा ₹4.53 करोड़ रुपये की 6 संपत्तियों को बरामद की है।
- वर्ष 2021-22 में मंडल कार्यालय सूरत में ₹2.11 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का एक और मामला उजागर हुआ है। कर्मचारी हिरासत में है और जांच जारी है।

आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारा लेखा परीक्षा केवल कंपनी द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूद सिस्टम और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की पुष्टि करने के अधीन था और हम कंपनी की ओर से उन अनुपालनों में किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अन्य ऑडिट के अधीन लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन की हमारे द्वारा स्वतंत्र रूप से समीक्षा नहीं की गई है और जहां भी हमें रिपोर्ट दिखाई गई है, हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उन पर भरोसा किया गया है।

आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए कंपनी के अनुरोध और उनकी सुविधा के अनुसार, जब भी आवश्यकता हुई, ऑनलाइन सत्यापन और रिकॉर्ड की जांच के माध्यम से हमने सचिवीय लेखा परीक्षा को निष्पादित किया है।

कृते एस धनपाल एसोसिएट्स एलएलपी
(प्रेक्टिसिंग कंपनी सिक्रेटरीज)
(फर्म पंजीयन संख्या. L2023TN014200)
LLPIN: ACB 0368

एस. धनपाल
(भागीदार)
FCS. 6881
CP No. 7028

पियर रिव्यू सर्टिफिकेट संख्या 1107/2021
यूडीआईएन: F 006881E000429842

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 30/05/2023

इस रिपोर्ट को सम दिनांक की हमारी साक्ष्य के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलग्नक के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

to monitor and ensure compliance with applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines. With respect to IT plan/policy for the Company, the company reported to have obtained the approval of its Board for appointment of an IT Consultant and an application will be made to the relevant Ministry for their approval.

We further report that, during the audit period the company has sought the approval of its members for following main events other than ordinary business at the AGM held on 11th November, 2022;

- Approval to contribute, donate, subscribe or otherwise provide assistance from time to time to any charitable, public, social, cultural, benevolent or general fund, society, association, institutions, trust, organizations, not directly relating to the business of the Company or the welfare of the employees, etc, up to an amount not exceeding ₹ 2 Crores (At AGM held on 11th November, 2022);
- Approval to increase the Authorised Share Capital of the Company and consequent alteration to the Capital Clause of the Memorandum of Association and Articles of Association (At EGM held on 17th May, 2022);
- Approval for the appointment of Shri M V Rao, MD & CEO, Central Bank of India and Shri Parshant Kumar Goyal, Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance as a Directors (At EGM held on 29th August, 2022);
- Approval for the appointment of Ms. Rajeshwari Singh Muni, General Manager, Agriculture Insurance Company of India Limited as General manager and Director (At EGM held on 23rd December, 2022).

We further report that during the audit period the company has redeemed in full 9000 Nos. of 8.25% Rated, Unsecured, Subordinated, Fully Paid-up, Listed, Redeemable and Non Convertible Bonds in the nature of Debentures (“NCDs”) having face value of ₹ 10,00,000/- each issued under ISIN INE346Z08011 by exercise of a “Call Option” on 02.02.2023. As per notice from BSE, the said debentures were delisted w.e.f 17th February, 2023.

We further report that during the FY 2021-22,

- a case of misappropriation of Company funds by an employee and his spouse, who is also an employee, was detected at Large Corporate and Brokers Office (LCB) Mumbai in May, 2021. The amount was misappropriated by transfer of funds to the tune of INR 204.69 crores to his personal account and account of others. In June 2022 an amount of INR 79.11 crores was recovered and an amount of ₹ 9.87crores has been further recovered during the current financial year by EOW which is deposited in the escrow account (waiting court order for releasing the amount). Enforcement Directorate has attached an amount of ₹ 15.32 Crores recovered from various parties and 6 properties worth ₹ 4.53 Crores.
- another case of fraud was unearthed in the year 2021-22 amounting to ₹ 2.11 Crores at DO Surat. The employee is in detention and investigation is in progress.

We further report that our Audit was subjected only to verifying adequacy of systems and procedures that are in place for ensuring proper compliance by the Company and we are not responsible for any lapses in those compliances on the part of the Company. The compliance with provisions of applicable laws which have been subject to other audits have not been independently reviewed by us and the reports wherever shown to us have been relied upon in rendering our report.

We further report that we have conducted the secretarial audit whenever required through online verification and examination of records, as requested and facilitated by the company, for the purpose of issuing this Report.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES LLP
(Practicing Company Secretaries)
(Firm Regn. No. L2023TN014200)
LLPIN: ACB 0368

S. DHANAPAL
(Partner)
FCS. 6881
CP No. 7028

Peer Review Certificate No.1107/2021

UDIN: F006881E000429842

Place : Chennai

Date : 30.05.2023

This Report is to be read with our testimony of even date which is annexed as Annexure and forms an integral part of this report.

अनुलग्नक ए

प्रति

सदस्य गण,

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

चेन्नै

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

ऑडिट के आधार पर, कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और रिकॉर्ड के रखरखाव पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("आईसीएसआई") द्वारा निर्धारित ऑडिटिंग मानकों सीएसएस 1 से सीएसएस 4 ("सीएसएस") के अनुसार हमने अपना ऑडिट किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि ऑडिटर वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं और योजनाओं का अनुपालन करे और लागू कानूनों के अनुपालन और रिकॉर्ड के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करे।

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित ऑडिट की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत विवरण या भौतिक गैर-अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही ऑडिट ठीक से और योजनाबद्ध तरीके से की गई हो और सीएसएस के अनुसार किया गया हो। इस पत्र के साथ हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट को पढ़ा जाय।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, इसके लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए यथोचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों पुस्तकों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और इसके लिए हमने वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास किया है।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का नुमाइंदगी प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही हमारी जाँच सीमित थी।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते एस धनपाल एसोसिएट्स एलएलपी
(प्राैक्टीसिंग कंपनी सकेटरीज)
(फर्म पंजीयन संख्या. L2023TN014200)
LLPIN: ACB 0368

एस. धनपाल
(भागीदार)
FCS. 6881
CP No. 7028

पियर रिव्यू सर्टिफिकेट संख्या .1107/2021
गृखछ: F 006881E000429842

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 30/05/2023

Annexure A

To
The Members,
UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED,
Chennai

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

Based on audit, our responsibility is to express an opinion on the compliance with the applicable laws and maintenance of records by the Company. We conducted our audit in accordance with the auditing standards CSAS 1 to CSAS 4 ("CSAS") prescribed by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"). These standards require that the auditor complies with statutory and regulatory requirements and plans and performs the audit to obtain reasonable assurance about compliance with applicable laws and maintenance of records.

Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the CSAS. Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial Record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of Financial Records and Books of Accounts of the Company and for which we relied on the report of statutory auditor.
4. Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of Laws, Rules and Regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable Laws, Rules, Regulations, Standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES LLP
(Practicing Company Secretaries)
(Firm Regn. No. L2023TN014200)
LLPIN: ACB 0368

S. DHANAPAL
(Partner)
FCS. 6881
CP No. 7028

Peer Review Certificate No.1107/2021
UDIN: F006881E000429842

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-2023 को कवर करने वाली सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणियों का उत्तर

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिकल्पित सचिवीय ऑडिट में लागू कानूनों के अनुपालन का सत्यापन शामिल है तथा ऑडिटर्स ने कुछ टिप्पणियां की हैं। निदेशक अपनी टिप्पणियों के संबंध में निम्नलिखित बातें रिकार्ड पर रखना चाहते हैं।

- **बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न होना और निदेशक मंडल की संरचना, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति, स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निष्पादन का मूल्यांकन सहित सभी संबंधित अनुपालन**

जैसा कि अवलोकन में कहा गया है, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली और जीआईबीएनए 1972 द्वारा शासित कंपनी होने के कारण, उचित प्रक्रिया से गुजरने के बाद स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

तदनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। इस प्रकार, कंपनी के पास अब आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक हैं तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति और लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।

- **वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एपीआर) दाखिल न करना और विदेशी संपत्तियों और देनदारियों (एफएलए) पर रिटर्न दाखिल करने में विलंब**

(i) भारत के बाहर की संस्थाओं में UIIC द्वारा किए गए निवेश के संबंध में वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एपीआर) को हमारे बैंकर के माध्यम से आरबीआई को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 31-12-2021 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स एशियाई पुनर्बीमा निगम, थाईलैंड (एशियाई रे) में हमारे निवेश के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय पर तैयार एपी आर को हमारे वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को आगे प्रस्तुत करने के लिए 10 नवंबर 2022 (कटऑफ तिथि 31 दिसंबर 2022) को एचडीएफसी बैंक (हमारे बैंकर) को प्रस्तुत किया गया। बैंकर से पुष्टि की हमारी प्रतीक्षा है।

(ii) 29 अगस्त 2022 को बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2021-2022 के खातों को स्वीकृत किया गया। इसलिए, विदेशी संपत्ति और देनदारियों (एफएलए) पर रिटर्न दाखिल करने में विलंब हुई।

- **जनवरी 2022 से 24 जुलाई 2022 तक नियुक्त बीमांकक के कार्यालय में रिक्ति**

31 दिसंबर 2021 को पिछले नियुक्त बीमांकक द्वारा पदत्याग करने के कारण पद रिक्त हुई।

वर्ष 2021 के दौरान (माह मार्च, मई तथा ऑक्टोबर में) नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ किया गया था, परंतु नियुक्त बीमांकक विनियामकों की समस्त प्रावधानों पूरा करने वाला कोई भी पात्र अभ्यर्थी हमें नहीं मिला।

जनवरी 2022 में प्रक्रिया पुनः आरंभ की गई तथा मार्च 2022 में कंपनी ने पद के लिए एक अभ्यर्थी का चयन किया। परंतु चयनित अभ्यर्थी ने आईआरडीएआई का अनुमोदन और अन्य औपचारिकताओं के पश्चात 25 जुलाई 2022 को ही कंपनी में भर्ती हुए। इसलिये पद रिक्त थी।

REPLY TO OBSERVATIONS IN THE SECRETARIAL AUDIT REPORT COVERING THE FINANCIAL YEAR 2022-2023 FORMING PART OF THE DIRECTORS' REPORT

The Secretarial audit as envisaged under the Companies Act 2013 covers verification of compliance with the applicable laws and the auditors have made few observations. The Directors wish to place on record the following with respect to the observations.

- **Non-appointment of requisite number of independent Directors on the Board and all related compliances including composition of Board of Directors, Audit committee and Nomination and Remuneration Committee, separate meeting of independent directors, performance evaluation by independent directors**

As stated in the observation, being a Company wholly owned by the Government of India and also governed by the GIBNA 1972 the Directors including Independent Directors are appointed by the Central Government after going through due process.

Accordingly, the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India has appointed two Independent Directors in the current Financial Year 2023-24. Thus, the Company now has the required number of Independent Directors and the reconstitution of Nomination and Remuneration Committee and Audit Committee will be undertaken as per statutory requirements.

- **Non-filing of Annual Performance Report (APR) and delay in filing of return on Foreign Assets and Liabilities (FLA)**

(i) Annual Performance Report (APR) in respect of investments made by UIIC in outside India entities are required to be submitted to RBI through our Banker. APR in respect of our Investment in M/s. Asian Reinsurance Corporation, Thailand (Asian Re), prepared on the audited financials for the year ended 31-12-2021, was duly certified by our Statutory Auditors and submitted to HDFC Bank (our Banker) on 10th November 2022 (Cutoff date 31st December 2022) for onward submission to Reserve Bank of India (RBI). We are awaiting the confirmation from the Banker.

(ii) The Accounts of FY 2021-2022 was adopted by the Board on 29th August 2022. Hence, there was a delay in filing the returns on Foreign Assets and Liabilities (FLA).

- **Vacancy in the office of "Appointed Actuary" from January 1, 2022 to July 24, 2022**

The vacancy arose due to the resignation of the previous Appointed Actuary on 31st December 2021.

The appointment process for Appointed Actuary was initiated during 2021 [in the months of March, May and October], but we could not get any eligible candidates fulfilling all the provisions of the AA regulations.

The process was again initiated in January 2022 and the Company selected a candidate for the post in March 2022. But the selected candidate could join the Company only on 25th July, 2022 after approval by IRDAI and other formalities. Hence the vacancy.

- रिटर्न जमा करने में विलंब, आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन और आरक्षित पर्याप्तता का गैर प्रतिपालन करना और प्रबंधन व्यय का बीमा कानूनों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक होना।

जिसका मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक खातों को पूरा करने और स्वीकार करने में हुई विलंब के कारण आईआरडीएआई के साथ रिटर्न दाखिल करने में देरी हुई।

आईआरडीएआई द्वारा नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति और 25 जुलाई 2022 को उनके कार्यभार संभालने के साथ, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिया गया और 29 अगस्त 2022 को बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया।

30 जून 2022 और 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए खातों को स्वीकार करने में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, जिन्हें क्रमशः 30 सितंबर 2022 और 28 नवंबर 2022 को स्वीकार किया गया। 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के खाते 15 फरवरी 2023 को स्वीकार किये गए।

चूंकि खातों को स्वीकारने में विलंब हुई, इसलिए आईआरडीएआई को विवरण और आवश्यक रिटर्न जमा करने में विलंब हुई।

स्थान: चेन्नै
दिनांक : 30.05.2023

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/-
(सत्यजीत त्रिपाठी)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.08681994

- **Delay in submission of returns, non-maintenance of required solvency margin and reserve adequacy and Management Expenses in excess of allowable limits under insurance laws.**

There were delays in filing returns with IRDAI, which was mainly due to delay in completion and adoption of Annual Accounts for FY 2021-22.

With the appointment of Appointed Actuary by IRDAI and his taking charge on 25th July 2022, the Annual Accounts for the FY 2021-22 were finalized and adopted by Board on 29th August 2022.

This had a cascading effect in adoption of Accounts for the Quarter ending 30th June 2022 and 30th September 2022, which were adopted on 30th September 2022 and 28th November 2022 respectively. The Accounts for the Quarter ending 31st December were adopted on 15th February 2023.

As the accounts adoption were delayed, there is a delay in submission of statements and necessary returns to IRDAI.

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Satyajit Tripathy)

Chairman-cum-Managing Director

DIN No.08681994

Place : Chennai

Date : 30.05.2023

सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूप रेखा

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार हमारी बोर्ड ने 2014-15 में हमारी कंपनी की सीएसआर नीति को मंजूरी दी थी। हमारी कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद स्कूलों और गांवों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने और लोगों के बीच बीमा जागरूकता विस्तृत करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम, व्यापक ग्राम विकास कार्यक्रम, स्कूल बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम आदि की पहल की है। हमारी कंपनी ने समाज के कल्याण के लिए शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण और निवारक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित परियोजनाएं भी आरंभ की है।

जनवरी 2021 में सीएसआर संशोधित नियम लागू होने के पश्चात नीति में संशोधन किया गया।

2. सीएसआर समिति की संरचना

सीएसआर समिति के निम्न सदस्य हैं (31.03.2023 को):

| क्र.सं | निदेशक का नाम | पदनाम /निदेशक पद का स्वरूप | वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया। |
|--------|--------------------|----------------------------|---|--|
| 1. | सत्यजीत त्रिपाठी | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक | 1 | 1 |
| 2. | एम वी राव | निदेशक | | |
| 3. | एम जी जयश्री | निदेशक | | |
| 4. | प्रशांत कुमार गोयल | निदेशक | | |

3. जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है, उस वेब-लिंक को प्रदान करें।

सी एस आर समिति की संरचना :

https://uiic.co.in/sites/default/files/uploads/csr/Composition_CSR_Committee.pdf

सीएसआर नीति :

<https://uiic.co.in/csr>

सीएसआर परियोजनाएं:

<https://uiic.co.in/sites/default/files/uploads/csr/List%20of%20CSR%20Projects.pdf>

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो तो।

लागू नहीं

5. (अ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

₹ 0

(ब) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत

₹ 0

CSR ANNUAL REPORT

1. Brief outline on CSR Policy of the Company

Our Board approved our Company's CSR Policy in 2014-15 as per section 135 of the Companies Act, 2013, as notified by the Ministry of Corporate Affairs. Our Company has undertaken initiatives like Rural Infrastructure Development Program, Comprehensive Village Development Program, School Infrastructure Development Program etc. to provide Infrastructure to the needy schools and villages in rural areas and spread insurance awareness amongst the people. Our Company has also undertaken Education, Skill Development, Environmental Protection & Preventive Healthcare related Projects for the Welfare of the Society.

The policy was subsequently amended when the CSR Amended Rules came into action in January, 2021.

2. Composition of CSR Committee

The CSR Committee comprises of the following members (as on 31.03.2023):

| S.No | Name of Director | Designation/Nature of Directorship | Number of meetings of CSR Committee held during the year | Number of meetings of CSR Committee attended during the year |
|------|----------------------|------------------------------------|--|--|
| 1. | Satyajit Tripathy | Chairman cum Managing Director | 1 | 1 |
| 2. | M V Rao | Director | | |
| 3. | M G Jayasree | Director | | |
| 4. | Parshant Kumar Goyal | Director | | |

3. Provide the web-link where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company

Composition of CSR Committee:

https://uiic.co.in/sites/default/files/uploads/csr/Composition_CSR_Committee.pdf

CSR Policy:

<https://uiic.co.in/csr>

CSR Projects:

<https://uiic.co.in/sites/default/files/uploads/csr/List%20of%20CSR%20Projects.pdf>

4. Provide the executive summary along with web link(s) of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable

Not applicable

5. (a) Average net profit of the Company as per Section 135(5)

₹ 0

(b) Two percent of average net profit of the Company as per Section 135(5)

₹ 0

(स) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष

₹ 0

(ड) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो

₹ 0

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व ((ब) + (ल) – (व))

₹ 0

6. (अ) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चालू परियोजनाएं और चालू परियोजनाओं के अलावा दोनों)

₹ 1,17,28,344/-

(ब) प्रशासनिक ओवरहेड्स में व्यय की गई राशि

₹ 22,864/-

(स) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो

लागू नहीं

(ड) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (अ) + (ब) + (स)

₹ 1,17,51,208/-

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित या अव्ययित सीएसआर की राशि

| वित्त वर्ष के लिये खर्च की गई कु. राशि (₹ में) | अव्ययित राशि (रुपये में) | | | | |
|--|---|---------------|---|-------|---------------|
| | धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि | | धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि को हस्तांतरित राशि | | |
| | राशि | अंतरण की तिथि | निधि का नाम | राशि | अंतरण की तिथि |
| 1,17,51,208/- | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं |

(फ) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

| क्र. सं. | विवरण | राशि ₹ में |
|----------|---|------------|
| i | धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत | 0 |
| ii | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि | 0 |
| iii | वित्त वर्ष में व्ययित आधिक्य राशि (ii-i) | 0 |
| iv | सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों, या पिछले वित्तीय वर्ष की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो | 0 |
| v | आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (iii-iv) | 0 |

(c) Surplus arising out of the CSR projects, programs or activities of the previous financial years

₹ 0

(d) Amount required to be set off for the financial year, if any

₹ 0

(e) Total CSR obligation for the Financial Year ((b)+ (c) – (d))

₹ 0

6. (a) Amount spent on CSR Projects (Both ongoing projects and other than ongoing projects)

₹ 1,17,28,344/-

(b) Amount spent in administrative overheads

₹ 22,864/-

(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable

NA

(d) Total amount spent for the Financial Year [(a) +(b) +(c)]

₹ 1,17,51,208/-

(e) CSR amount spent or unspent for the financial year

| Total Amount Spent for the Financial Year (in ₹) | Amount Unspent (in ₹) | | | | |
|---|---|------------------|---|--------|------------------|
| | Total Amount Transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6) | | Amount Transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5) | | |
| | Amount | Date of Transfer | Name of the Fund | Amount | Date of transfer |
| 1,17,51,208/- | NIL | N.A. | N.A. | NIL | N.A |

(f) Excess amount for set off, if any

| S.No | Particulars | Amount in ₹ |
|------|---|-------------|
| i | Two percent of average net profit of the Company as per Section 135(5) | 0 |
| ii | Total amount spent for the financial year | 0 |
| iii | Excess amount spent for the Financial Year (ii-i) | 0 |
| iv | Surplus arising out of CSR Projects or programs, or activities of the previous Financial Year, if any | 0 |
| v | Amount available for set off in succeeding financial years (iii-iv) | 0 |

7. पिछले तीन वर्षों में अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | (8) |
|----------|-------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------|--|----------------|
| क्र. सं. | पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष | धारा के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में) | धारा के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ में) | वर्ष के दौरान राशि खर्च (₹ में) | धारा के अनुसार अनुसूची के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो | | शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष में खर्च किया गया (₹ में) | कमी यदि कोई हो |
| | | | | | राशि (₹ में) | स्थानांतरण की तिथि | | |
| 1 | 2019-20 | लागू नहीं | लागू नहीं | 75010699 | लागू नहीं | लागू नहीं | 68318881 | लागू नहीं |
| 2 | 2020-21 | लागू नहीं | लागू नहीं | 79618439 | लागू नहीं | लागू नहीं | 17161776 | लागू नहीं |
| 3 | 2021-22 | 17161776 | 16297826 | 863950 | 112600000 | 27.09.2021 | 16297826 | लागू नहीं |

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई या अधिग्रहित की गई है: नहीं

यदि हाँ, तो पूंजीगत संपत्ति बनाई/अधिग्रहित की गई को दर्शाएँ:

लागू नहीं।

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें।

| क्र. सं. | संपत्ति या संपत्ति का संक्षिप्त विवरण संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित | संपत्ति या परिसंपत्ति(याँ) का पिन कोड | निर्माण तिथि | व्यय किया गया सीएसआर राशि | पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण | | |
|----------|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--|-----|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | |
| | | | | | सीएसआर पंजीयन संख्या, यदि लागू हो | नाम | पंजीकृत पता |

< --- लागू नहीं --- >

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

पिछले वर्षों की चल रही परियोजनाएँ ही एकमात्र ऐसी परियोजनाएँ हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है, और यह कार्यान्वयन के लिए कई वर्षों तक चलती हैं।

कंपनी वर्ष 2022-23 में कंपनी ने सीएसआर के लिए कोई निधि मंजूर नहीं कर सकी क्योंकि उसने पहले ही सभी अव्ययित/गैरआवंटित निधि को स्वच्छ भारत कोष में स्थानांतरित कर दिया था, जो कि सीएसआर संशोधन नियम 2021 के अनुसार अनुसूची तखख के तहत चिन्हित निधि है।

हस्ता/-

(सत्यजीत त्रिपाठी)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

एवं अध्यक्ष - सीएसआर समिति

डी.आई.एन.08681994

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 30.05.2023

7. Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years

| (1) S.No | (2) Preceding Financial Year | (3) Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135(6) (in ₹) | (4) Balance Amount in Unspent CSR Account under sub- section (6) of section 135(in ₹) | (5) Amount Spent in the Financial Year (in ₹) | (6) Amount Transferred to a fund specified under Schedule VII as per second proviso to Section 135(5), if any | | (7) Amount Remaining to be spent in succeeding Financial Years (in ₹) | (8) Deficiency, if any |
|-------------|---------------------------------|---|---|---|--|------------------|---|---------------------------|
| | | | | | Amount (in ₹) | Date of Transfer | | |
| 1 | 2019-20 | NA | NA | 75010699 | NA | NA | 68318881 | NA |
| 2 | 2020-21 | NA | NA | 79618439 | NA | NA | 17161776 | NA |
| 3 | 2021-22 | 17161776 | 16297826 | 863950 | 112600000 | 27.09.2021 | 16297826 | NA |

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year

No

If yes, enter the number of Capital assets created/acquired

Not Applicable

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year

| Sl. No | Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property] | Pin code of the property or asset(s) | Date of creation | Amount of CSR Amount Spent | Details of entity/Authority/beneficiary of the registered owner | | |
|--------|---|--------------------------------------|------------------|----------------------------|---|------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | |
| | | | | | CSR Registration Number, if applicable | Name | Registered address |

< --- Not Applicable --- >

9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two percent of the average net profit as per section 135(5)

The ongoing projects of the previous years are the only projects which are being implemented, which run for multiple years for implementation.

The Company could not sanction any fund to CSR in the year 2022-23 since it had already transferred all the unspent /unallocated funds to Swachh Bharat Kosh, a fund identified under Schedule VII as per the CSR Amendment Rules 2021.

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

Sd/-
(Satyajit Tripathy)
Chairman-cum-Managing Director
& Chairman- CSR Committee
DIN No.08681994

प्रपत्र संख्या. एओसी.2

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कुछ निश्चित लेनदेन भी शामिल हैं

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की नियम 8(2) के अनुवर्ती में)

1. आर्म्स लेंथ बेसिस से परे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण:

| संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध का स्वरूप | अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन का स्वरूप | अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि | अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो | ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन करने का औचित्य | बोर्ड द्वारा अनोमोदित तिथि(याँ) | अगिम राशि का भुगतान, यदि कोई हो | धारा 188 के पहले परंतुक के अंतर्गत अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित विशेष प्रस्ताव की तिथि |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

2. आर्म्स लेंथ के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण:

| संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध का स्वरूप | अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन का स्वरूप | अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि | अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो: | बोर्ड द्वारा अनोमोदित तिथि(याँ): | भुगतान राशि (लाख रुपये में) |
|--|----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| प्राप्त लाभ/अंश | | | | | |
| जेनीथ सेक्यूरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड | सहायक | लागू नहीं | | लागू नहीं | 4167.00 |
| इंडिया इंटरनैशनल इश्यूरेस प्रा. लि. | सहयोगी | लागू नहीं | | लागू नहीं | 567.80 |
| केन इंडिया एश्यूरेस कं. लि. | | लागू नहीं | | लागू नहीं | 43.90 |
| जीआईसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड | | लागू नहीं | | लागू नहीं | 178.02 |
| प्राप्त किया | | | | | |
| हैल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड | सहयोगी | 1 दिसंबर 2017-30 नवंबर 2026 | सर्विस लेवल अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार | नोट 1 का संदर्भ लें | 6.46 |
| जीआईसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड | | लागू नहीं | | नोट 1 का संदर्भ लें | 1.06 |
| किराया प्राप्त | | | | | |
| हैल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड | सहयोगी | 1 दिसंबर 2017-30 नवंबर 2026 | सर्विस लेवल अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार | नोट 1 का संदर्भ लें | 0.54 |
| जीआईसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड | | लागू नहीं | | नोट 1 का संदर्भ लें | 5.43 |
| किया गया टीपीए शुल्क का भुगतान | | | | | |
| हैल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड | सहयोगी | लागू नहीं | सर्विस लेवल अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार | नोट 1 का संदर्भ लें | 1016.58 |
| देय टीपीए शुल्क | | | | | |
| हैल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड | सहयोगी | लागू नहीं | | नोट 1 का संदर्भ लें | 10.74 |
| पुनर्बीमा लेनदेन | | | | | |
| - प्रत्यक्ष देय इंडिया इंटरनैशनल इश्यूरेस प्रा. लि. | सहयोगी | लागू नहीं | सर्विस लेवल अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार. | नोट 1 का संदर्भ लें | 1307.47 |
| प्राप्त निदेशकों का पारिश्रमिक | | | | | |
| केन इंडिया एश्यूरेस कं. लि. | | लागू नहीं | | लागू नहीं | 1.46 |
| हस्तांतरित आवास ऋण | | | | | |
| जीआईसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड | | लागू नहीं | | नोट 1 का संदर्भ लें | 1644.86 |
| आवास ऋण पर ब्याज का भुगतान | | | | | |
| जीआईसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड | | लागू नहीं | | नोट 1 का संदर्भ लें | 627.71 |

नोट 1 : चूंकि लेनदेन की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर है, अतः 30.05.2023 को लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेनदेन को अनुमोदित कर दिया गया।

Annexure-4

FORM NO. AOC.2

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:

| Name(s) of the related party and nature of relationship | Nature of contracts/arrangements/transactions | Duration of the contracts/arrangements/transactions | Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any | Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions | Date(s) of approval by the Board | Amount paid as advances, if any | Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188 |
|---|---|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis for the financial year 2022-23:

| Name(s) of the related party and nature of relationship | Nature of contracts/arrangements/transactions | Duration of the contracts/arrangements/transactions | Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any: | Date(s) of approval by the Board, if any | Amount paid (in INR Lacs) |
|---|---|---|---|--|---------------------------|
| Dividend Received | | | | | |
| Zenith Securities and Investments Ltd | Subsidiary | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 4167.00 |
| India International Insurance Pte Ltd | Associate | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 567.80 |
| Ken India Assurance Co Ltd | | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 43.90 |
| GIC Housing Finance Limited | | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 178.02 |
| Rent Received | | | | | |
| Health Insurance TPA of India Ltd | Associate | 1st Dec 2017 – 30th November 2026 | As per the terms and conditions mentioned in Service Level Agreement | Refer Note 1 | 6.46 |
| GIC Housing Finance Limited | | Not Applicable | | Refer Note 1 | 1.06 |
| Rent Receivable | | | | | |
| Health Insurance TPA of India Ltd | Associate | 1st Dec 2017 – 30th November 2026 | As per the terms and conditions mentioned in Service Level Agreement | Refer Note 1 | 0.54 |
| GIC Housing Finance Limited | | Not Applicable | | Refer Note 1 | 5.43 |
| TPA Fees Paid | | | | | |
| Health Insurance TPA of India Ltd | Associate | Not Applicable | As per the terms and conditions mentioned in Service Level Agreement | Refer Note 1 | 1016.58 |
| TPA Fees Payable | | | | | |
| Health Insurance TPA of India Ltd | Associate | Not Applicable | | Refer Note 1 | 10.74 |
| Reinsurance transactions | | | | | |
| - Due to Direct India International Insurance Pte Ltd. | Associate | Not Applicable | As per the terms and conditions mentioned in Re-insurance agreement. | Refer Note 1 | 1307.47 |
| Director's Remuneration Received | | | | | |
| Ken India Assurance Co. Ltd. | | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 1.46 |
| Housing Loan transferred | | | | | |
| GIC Housing Finance Limited | | Not Applicable | | Refer Note 1 | 1644.86 |
| Interest on Housing Loan Paid | | | | | |
| GIC Housing Finance Limited | | Not Applicable | | Refer Note 1 | 627.71 |

Note 1: Since the quantum of transactions is within the prescribed threshold limits, the transactions were approved by the Audit Committee on 30.05.2023.

विगत पाँच वर्षों में स्वास्थ्य, ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र का प्रदर्शन

| पॉलिसी विवरण | वर्ष | जारी की गई पॉलिसियों की संख्या | बीमित व्यक्तियों की संख्या | एकत्रित प्रीमियम राशि | रिपोर्ट की गई दावों की संख्या | उपगत दावा राशि | निष्पादित दावों की संख्या | दावा निप-टान राशि | उपगत दावा अनुपात% |
|---|---------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| मेडिकलेम पॉलिसियाँ | | | | | | | | | |
| स्वास्थ्य (वैयक्तिक + समूह) | 2018-19 | 1207183 | 13225057 | 536524.65 | 2701535 | 541836.62 | 2351403 | 569102.58 | 100.99 |
| | 2019-20 | 1102842 | 52761935 | 533692.00 | 2964648 | 544338.00 | 3052216 | 612058.00 | 102.00 |
| | 2020-21 | 1119506 | 161266550 | 624153.02 | 3940255 | 610312.21 | 3834329 | 610189.72 | 97.78 |
| | 2021-22 | 998860 | 159796316 | 631934.26 | 6288134 | 756739.94 | 5996905 | 761580.04 | 119.75 |
| | 2022-23 | 883927 | 154170951 | 724376.00 | 3876081 | 714622.27 | 4183331 | 11304.36 | 89.18 |
| सामाजिक एवं ग्रामीण क्षेत्र – एक झलक | | | | | | | | | |
| जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा | 2018-19 | 53025 | 11766001 | 2117.88 | 1938 | 957.98 | 1964 | 1533.19 | 45.23 |
| | 2019-20 | 45310 | 45102577 | 1943.30 | 831 | 805.76 | 1429 | 1001.99 | 41.00 |
| | 2020-21 | 25773 | 8750879 | 611.30 | 503 | 512.24 | 895 | 688.54 | 84.00 |
| | 2021-22 | 25369 | 3217886 | 563.00 | 827 | 513.86 | 791 | 574.09 | 91.25 |
| | 2022-23 | 26050 | 3613943 | 645.64 | 833 | 910 | 770 | 1094 | 90.00 |
| पशु बीमा | 2018-19 | 210236 | 212232 | 14897.61 | 43072 | 10138.33 | 42280 | 10790.96 | 68.05 |
| | 2019-20 | 162719 | 1838177 | 10295.43 | 33258 | 8946.39 | 34080 | 8753.97 | 86.90 |
| | 2020-21 | 118000 | 1565710 | 7962.62 | 20467 | 5795.26 | 22375 | 6285.34 | 73.00 |
| | 2021-22 | 96405 | 748889 | 6085.00 | 18645 | 5064.60 | 17889 | 5094.53 | 83.23 |
| | 2022-23 | 92665 | 746625 | 6803.00 | 23631 | 6543.44 | 22723 | 6678.53 | 96.18 |

Annexure-5

PERFORMANCE IN HEALTH, RURAL AND SOCIAL LINES IN THE PAST FIVE YEARS

| Policy Details | Year | No. of Policies issued | No. of Persons insured | Amount of Premium collected | No. of claims reported | Incurred Claims Amount | No. of claims settled | Claims settled Amount | Incurred Claims Ratio % |
|--|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| MEDICLAIM POLICIES | | | | | | | | | |
| Health (Individual+ Group) | 2018-19 | 1207183 | 13225057 | 536524.65 | 2701535 | 541836.62 | 2351403 | 569102.58 | 100.99 |
| | 2019-20 | 1102842 | 52761935 | 533692.00 | 2964648 | 544338.00 | 3052216 | 612058.00 | 102.00 |
| | 2020-21 | 1119506 | 161266550 | 624153.02 | 3940255 | 610312.21 | 3834329 | 610189.72 | 97.78 |
| | 2021-22 | 998860 | 159796316 | 631934.26 | 6288134 | 756739.94 | 5996905 | 761580.04 | 119.75 |
| | 2022-23 | 883927 | 154170951 | 724376.00 | 3876081 | 714622.27 | 4183331 | 711304.36 | 89.18 |
| SOCIAL AND RURAL SECTOR - A GLIMPSE | | | | | | | | | |
| Janata Personal Accident policy | 2018-19 | 53025 | 11766001 | 2117.88 | 1938 | 957.98 | 1964 | 1533.19 | 45.23 |
| | 2019-20 | 45310 | 45102577 | 1943.30 | 831 | 805.76 | 1429 | 1001.99 | 41.00 |
| | 2020-21 | 25773 | 8750879 | 611.30 | 503 | 512.24 | 895 | 688.54 | 84.00 |
| | 2021-22 | 25369 | 3217886 | 563.00 | 827 | 513.86 | 791 | 574.09 | 91.25 |
| | 2022-23 | 26050 | 3613943 | 645.64 | 833 | 910.00 | 770 | 1094.00 | 90.00 |
| Cattle insurance | 2018-19 | 210236 | 212232 | 14897.61 | 43072 | 10138.33 | 42280 | 10790.96 | 68.05 |
| | 2019-20 | 162719 | 1838177 | 10295.43 | 33258 | 8946.39 | 34080 | 8753.97 | 86.90 |
| | 2020-21 | 118000 | 1565710 | 7962.62 | 20467 | 5795.26 | 22375 | 6285.34 | 73.00 |
| | 2021-22 | 96405 | 748889 | 6085.00 | 18645 | 5064.60 | 17889 | 5094.53 | 83.23 |
| | 2022-23 | 92665 | 746625 | 6803.00 | 23631 | 6543.44 | 22723 | 6678.53 | 96.18 |

शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों की निधि 2022-23
शेयरधारकों की निधि

(₹ '000 में)

| | 31.03.2023 तक शेष राशि | प्रतिशत | 31.03.2022 तक शेष राशि | प्रतिशत |
|--|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| शेयर पूंजी | 39050000 | | 39050000 | |
| लाभ एवं हानि खाता का डेबिट बैलेंस सहित सामान्य आरक्षित | -46591733 | | -19423447 | |
| संपत्ति कोष | 13589 | | 13589 | |
| विविध/विशेष रिजर्व | 207627 | | 1311673 | |
| कुल | -7320517 | 0% | 20951815 | 6.52% |

पॉलिसीधारकों की निधि
31.03.2022 तक शेष राशि

(₹ '000 में)

| विवरण | (क) असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व | (ख) बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता | (ग) प्रीमियम की कमी रिजर्व | (घ) आपदा रिजर्व | (ङ) अन्य देनदारियां समायोजित अन्य परिसंपत्तियां* | कुल | |
|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---|------------------|-------------|
| अग्नि | 6923391 | 14297509 | 0 | 0 | -980764 | 20240136 | |
| समुद्री | 1485865 | 3394287 | 0 | 0 | -225546 | 4654606 | |
| विविध | 62650686 | 231058132 | 0 | 0 | -13574314 | 280134504 | |
| कुल | 71059942 | 248749928 | 0 | 0 | -14780624 | 305029246 | 100% |
| कुल निधि | | | | | | 305029246 | 100% |

31.03.2022 तक शेष राशि

(₹ '000 में)

| विवरण | (क) असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व | (ख) बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता | (ग) प्रीमियम की कमी रिजर्व | (घ) आपदा रिजर्व | (ङ) अन्य देनदारियां समायोजित अन्य परिसंपत्तियां* | कुल | |
|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---|------------------|---------------|
| अग्नि | 6042441 | 15145786 | 0 | 0 | -734735 | 20453492 | |
| समुद्री | 1578206 | 3417713 | 0 | 0 | -173241 | 4822678 | |
| विविध | 60913780 | 224330431 | 0 | 0 | -9891297 | 275352914 | |
| कुल | 68534427 | 242893930 | 0 | 0 | -10799273 | 300629084 | 93.48% |
| कुल निधि | | | | | | 321580899 | 100% |

टिप्पणी :

- शेयरधारकों के फंड के नकारात्मक संतुलन के कारण, शेयरधारकों के फंड को शून्य माना जाता है और उपलब्ध सभी फंडों को पॉलिसीधारकों के फंड के रूप में 100% माना जाता है।
- अन्य देनदारियों में शामिल हैं (i) अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम (ii) आवंटित प्रीमियम (iii) अन्य बीमा कंपनियों के कारण शेष (iv) पूल के अन्य सदस्यों जैसे कि तृतीय पक्ष पूल, टूरिज्म पूल, आदि के कारण। (v) विविध लेनदारों (के कारण पॉलिसीधारक)।
- अन्य परिसंपत्तियों में शामिल हैं (i) बकाया प्रीमियम (ii) बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं से देय, जिनमें शामिल हैं: पुनर्बीमाकर्ता (iii) पूल के साथ शेष राशि जैसे; तृतीय पक्ष पूल आतंकवाद पूल, आदि।
- शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों से संबंधित निवेशों को आईआरडीएआई विनियमन (परिपत्र आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/सीपीएम/056/03/2016 दिनांक 04 अप्रैल, 2016) के अनुसार बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार अलग किया जाता है।

SHAREHOLDERS' AND POLICYHOLDERS' FUNDS 2022-23

Shareholders' Fund

(₹ in'000)

| | BALANCE AS ON 31.03.2023 | PERCENTAGE | BALANCE AS ON 31.03.2022 | PERCENTAGE |
|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| Capital | 39050000 | | 39050000 | |
| General Reserve including Debit Balance of P&L Account | -46591733 | | -19423447 | |
| Capital Reserve | 13589 | | 13589 | |
| Misc./Special Reserves | 207627 | | 1311673 | |
| Total | -7320517 | 0% | 20951815 | 6.52% |

Policyholders' Fund

BALANCE AS ON 31.03.2023

(₹ in'000)

| Particulars | (a) Reserve for Unexpired Risk | (b) Estimated Liability for O/s Claims | (c) Premium Deficiency Reserve | (d) Catastrophe Reserve | (e) Other Liabilities net off Other Assets* | Total | |
|--------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|------------------|-------------|
| Fire | 6923391 | 14297509 | 0 | 0 | -980764 | 20240136 | |
| Marine | 1485865 | 3394287 | 0 | 0 | -225546 | 4654606 | |
| Miscellaneous | 62650686 | 231058132 | 0 | 0 | -13574314 | 280134504 | |
| Total | 71059942 | 248749928 | 0 | 0 | -14780624 | 305029246 | 100% |
| Total Funds | | | | | | 305029246 | 100% |

BALANCE AS ON 31.03.2022

(₹ in'000)

| Particulars | (a) Reserve for Unexpired Risk | (b) Estimated Liability for O/s Claims | (c) Premium Deficiency Reserve | (d) Catastrophe Reserve | (e) Other Liabilities net off Other Assets* | Total | |
|--------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|------------------|---------------|
| Fire | 6042441 | 15145786 | 0 | 0 | -734735 | 20453492 | |
| Marine | 1578206 | 3417713 | 0 | 0 | -173241 | 4822678 | |
| Miscellaneous | 60913780 | 224330431 | 0 | 0 | -9891297 | 275352914 | |
| Total | 68534427 | 242893930 | 0 | 0 | -10799273 | 300629084 | 93.48% |
| Total Funds | | | | | | 321580899 | 100% |

Notes :

- Due to negative balance of shareholders fund, shareholders fund considered NIL and available all funds considered as policyholders fund 100%
- Other Liabilities comprise of (i) Premium received in advance (ii) Unallocated Premium (iii) Balance due to other Insurance Companies (iv) Due to other members of a pool such as Third Party Pool, Terrorism Pool, etc. (v) Sundry Creditors (due to Policyholders).
- Other Assets comprise of (i) Outstanding Premium (ii) Due from other entities carrying on Insurance business including Re-insurers (iii) Balance with Pool such as Third Party Pool; Terrorism Pool, etc.
- The investments pertaining to Shareholders and Policyholders are segregated as on the Balance Sheet date as per the IRDAI Regulation. (Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 dated April 04, 2016)

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और अनुसूचियाँ

**STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS AND SCHEDULES
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023**

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हक अभियत

हमने मेसर्स युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट, अग्रि, समुद्री और विविध राजस्व खाते, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं तथा समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में 30 क्षेत्रीय कार्यालयों (जिनमें 366 मंडल कार्यालयों के रिटर्न शामिल हैं), 6 बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए विदेशी रन-ऑफ ऑपरेशन ('अन्य कार्यालय') के रिटर्न शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 ('बीमा अधिनियम') द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ('आईआरडीएआई अधिनियम'), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय तैयारी) बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 ('आईआरडीएआई वित्तीय विवरण विनियम'), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ('आईआरडीएआई'), कंपनी अधिनियम ('अधिनियम') द्वारा जारी आदेश/निर्देश सहित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 ('लेखा मानकों) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों को आवश्यक तरीके से लागू सीमा तक सम्मिलित करते हुए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को पुष्टि करते हुए बीमा द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं।

- तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति;
- राजस्व खाते के मामले में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के घाटे का
- लाभ एवं हानि खाते के मामले में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के नुकसान का; तथा
- कैश फ्लो स्टेटमेंट के मामले में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो स्टेटमेंट

योग्य अभिप्राय का आधार

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 29, पुनर्बीमाकर्ताओं सहित अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत की पुष्टि प्राप्त न करने और

वित्तीय स्थिति पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित करने योग्य नहीं है, को संदर्भित करता है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण (एसएसएस) के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे वित्तीय लेखा परीक्षा अनुभाग की ऑडिट के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित इसे वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने उनके आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

असमाप्त जोखिम आरक्षिति का प्रावधान

असमाप्त जोखिम आरक्षिति (यूआरआर) को अब तक शुद्ध लिखित प्रीमियम के 50% के रूप में मान्यता दी गई है, सिवाय समुद्री समुद्री पोतकाय, आतंकवाद और परमाणु पूल के मामले को छोड़कर, जहां यह शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100% है। चालू वर्ष में, प्रबंधन ने संबंधित पालिसियों के लिए समय विभाजन के आधार पर या जोखिम के आधार पर, जो भी उचित हो, के लिये 1/365 पद्धति को अपनाने के लिए बोर्ड और आईआरडीएआई की मंजूरी प्राप्त कर ली है सिवाय समुद्री पोतकाय के अलावा जहां यह शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100% है। इसकी प्रक्रिया कंपनी ने तैयार कर ली है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

हमारे द्वारा निरीक्षण, उचित विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और पुनः गणना के माध्यम से पर्याप्त संख्या में नमूनों का सत्यापन किया गया। किसी भी भौतिक विसंगतियों की पहचान नहीं की गई है।

INDEPENDENT AUDITORS REPORT

To the members of United India Insurance Company Limited

Report on the Audit of Standalone Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the standalone financial statements of M/s United India Insurance Company Limited (“the Company”), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2023, the Fire, Marine and Miscellaneous Revenue Accounts, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these standalone financial statements are the returns of the 30 Regional Offices (in which are incorporated the Returns of 366 Divisional Offices), 6 Large Corporate and Broker Cells and an overseas run-off operations (“other offices”) audited by other auditors.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 (‘the Insurance Act’), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (‘the IRDAI Act’), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor’s Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 (‘the IRDAI Financial Statements Regulations’), orders/ directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (‘the IRDAI’), the Companies Act (‘the Act’) including the accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (‘the Accounting standards’) to the extent applicable in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India

- in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2023;
- in the case of the Revenue Accounts, of the deficit for the year ended 31st March 2023;
- in the case of Profit and Loss Account, of the loss for the year ended 31st March 2023; and
- in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended 31st March 2023.

Basis for Qualified Opinion

Note No. 29 to the standalone financial statements, refers to non-obtention of year end confirmation from

other insurance companies including reinsurers and consequential impact on the financials, if any, is not ascertainable.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Provisioning of Unexpired Risk Reserve

Unexpired Risk Reserve (URR) hitherto had been recognized as 50% of net written premium, except in the case of Marine hull, terrorism & Nuclear Pool where it is 100% of the net written premium. In the current year, the management has obtained the approval of the Board and the IRDAI to adopt the 1/365 method on time apportionment basis or period of risk basis for the respective policies, whichever is appropriate other than Marine Hull where it is 100% of the Net written premium. The process of the same has been formulated by the company.

Auditor’s Response

Sufficient number of samples were verified by us through inspection, appropriate analytical procedures and re-calculation. No material discrepancies have been identified.

स्वास्थ्य बीमा दावे का निपटान

स्वास्थ्य दावों की 3 श्रेणियां हैं, जैसे कि

- विभिन्न मंडलीय अधिकारियों द्वारा तृतीय पक्ष की एजेंसियों के माध्यम से संसाधित किये जाने वाले घरेलू स्वास्थ्य दावा
 - विदेशी चिकित्सा दावे जिनके लिए सीएफएसी द्वारा भुगतान किये जाने वाले ओवरसीज चिकित्सा दावे
 - भुगतान पश्चात ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से प्रतिपूर्ति किए गए कर्मचारी चिकित्सा दावे
- चूंकि स्वास्थ्य दावों की श्रेणियों की संख्या और घटनाओं की संख्या बहुत बड़ी है, अतः स्वास्थ्य दावों के निपटान में भुगतानों का सत्यापन एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला साबित हुआ।

लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया

उपरोक्त श्रेणियों में से प्रत्येक से पर्याप्त संख्या में दावों का चयन किया गया और नियंत्रण और लेखांकन की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए दावा दर्ज से लेकर निपटान किये गये दावों के भुगतान तक की प्रक्रिया को सत्यापित किया गया और सत्यापन के दौरान कोई बड़ी विसंगतियां नहीं देखी गईं।

दावा का प्रावधान

उपगत दावे कंपनी के खर्च का एक प्रमुख घटक है। बीमा अनुबंधों की देयता के अनुमान में सर्वेयर की रिपोर्ट, अधिवक्ता की सलाह, जहाँ कहीं भी लागू हो सह बीमाकर्ताओं से सूचना, उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई दावों (आईबीएनआर) और उपगत लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किये गये दावे (आईबीएनईआर) के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उच्च स्तर का अनुमान शामिल है। अनुमानों, निर्णय और सुझाव के आधार पर कार्यप्रणाली में शामिल जटिलताओं को देखते हुए दावों का सत्यापन एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला बन गया।

लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया

निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया गया:

- पुनर्बीमा, समुद्री टेकनिकल, फसल बीमा तथा ओवरसीज स्वास्थ्य दावा पोर्टफोलियो के दावों का प्रावधान हमारे द्वारा सत्यापित किया गया।
- कंपनी के दिशा-निर्देशों के आधार पर दावा प्रसंस्करण के लिये घटक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सर्वेयर के अनुमान के आधार पर दावों का प्रावधान, अधिवक्ताओं की सलाह और सह-बीमाकर्ता की प्रतिक्रिया को दावों के निपटान और दावों के प्रावधान की प्रक्रियाओं पर खुद को संतुष्ट करने के लिए जांचा गया।

उपगत दावे लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई और उपगत दावे लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं की गई हेतु हमने कंपनी के नियुक्त बीमांकिक द्वारा किए गए 31/3/2022 को बीमांकिक मूल्यांकन पर विश्वास किया गया।

निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन की उपयुक्तता

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की अनुसूची 8 और 8ए देखें। लेखांकन नीति के लिए, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के बिंदु 8 को देखें। कंपनी पॉलिसी धारकों की देनदारियों, लिंकड देनदारियों और शेयरधारकों के फंड के बदले में निवेश रखती है। कंपनी की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निवेश के रूप में है (31 मार्च, 2023 तक कुल निवेश 32759.96 करोड़ रुपये है जो कुल संपत्ति का 80.74% है)। जैसा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई") द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी निवेश, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016 ("निवेश विनियम") और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार किए और प्रबंधित किए जाने चाहिए। इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता था क्योंकि असूचीबद्ध या अक्सर कारोबार न किए जाने वाले निवेश के मूल्यांकन में प्रबंधन निर्णय शामिल होता है। साथ ही, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी की रेटिंग को प्रभावित करने वाली घटनाओं के कारण, निवेश को पुनर्वर्गीकृत करने और निवेश विनियमों और/या कंपनी की आंतरिक नीतियों की आवश्यकताओं के अनुसार इसके मूल्यांकन/हानि का आकलन करने की आवश्यकता हो सकती है।

लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया

हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित निवेश के उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन/हानि पर संबंधित प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और परीक्षण परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- नमूना आधार पर निवेश की सही रिकॉर्डिंग, मूल्यांकन / हानि, प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और निवेश विनियमन और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुपालन का परीक्षण किया गया।
- असूचीबद्ध और कम कारोबार वाले निवेशों और/या घटना विशिष्ट पुनर्वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए, हमने नियामक आवश्यकताओं और कंपनी की आंतरिक नीतियों के साथ प्रबंधन के मूल्यांकन की पुष्टि की।

किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई ठोस अपवाद नहीं मिला जो यह बताता हो कि निवेशों को उचित रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकित नहीं किया गया हो।

मामले का महत्व

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट में निम्नलिखित मामले पर ध्यान आकर्षित करते हैं

Settlement of Health Insurance claim

There are 3 categories of Health claims namely

- (i) Domestic Health claim processed by various divisional officers through third party agencies
- (ii) Overseas medical claims for which payment are made by CFAC
- (iii) Staff medical claims paid and reimbursed from Oriental Insurance Company Ltd

As the number of categories of health claims and the number of instances are very large verification of payments in settlement of health claims proved to be a key audit matter.

Auditor's Response

Sufficient number of claims from each of the above categories were selected and the process involved from lodgments of claim to payment of settlement claims were verified to check the effectiveness of controls and accounting and no major discrepancies were observed during the verification.

Claim Provisioning

Incurred Claims is a major component of expense of the Company. The estimation of liability of insurance contracts involve a high degree of estimation based on surveyor's report, advocate's advices, communication from co insurers wherever applicable, actuarial valuation of liability in respect of claims incurred but not reported (IBNR) and claims incurred but not enough reported (IBNER). In view of complexities involved in the methodology based on assumptions, judgments and advices verification of claims provision became a key audit matter.

Auditor's Response

The following audit process was adopted:

- (i) Claims provisioning of Reinsurance, Marine Technical, Crop Insurance and Overseas Medical Claim portfolios were verified by us.
- (ii) Reports of Component Auditors on claims processing based on guidelines of the company and claims provisioning based on Surveyor's estimate, advice from advocates and co-insurer's feedback were checked to satisfy ourselves on the procedures of settling claims and provisioning for claims.

For claims incurred but not reported and claims incurred but not enough reported, we relied on the Actuarial valuation as on 31/3/2023 done by company appointed Actuary.

Appropriateness of the classification and valuation of Investments

Refer Schedule 8 & 8A of the Standalone Financial Statement. For accounting policy, refer Point 8 to the standalone financial statements. The Company holds investments against policy holders 'liabilities, linked liabilities and shareholders' funds. A significant portion of the assets of the Company is in the form of investments (total investments as at March 31, 2023 is ₹ 32759.96 crore which constitutes 80.74% of Total Assets). As prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI"), all investments, should be made and managed in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2016 (the "Investment Regulations") and policies approved by Board of Directors of the Company. This area was considered as a key audit matter as the valuation of unlisted or not frequently traded investment involves management judgement. Also, due to events affecting the investee company's rating, there could be a need to reclassify investment and assess its valuation / impairment per the requirements of the Investment Regulations and/ or Company's internal policies.

Auditor's Response

Our procedures included the following:

- Evaluating the design and testing operating effectiveness of the related key controls over proper classification and valuation/ impairment of investment implemented by the management.
- Tested on Sample basis the correct recording of Investments, valuation / Impairment , classification of securities and compliance with Investment regulation and policies approved by the Board of Directors
- For unlisted and not frequently traded investments and/or event specific reclassification and valuation, we corroborated management's assessment with the regulatory requirements and the Company's internal policies.

Based on the work carried out, we did not come across any material exception which suggests that the investments were not properly classified or valued.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following matter in the Notes to the standalone financial statements

- 31 मार्च 2023 को सॉल्वेंसी मार्जिन के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में नोट संख्या 21 के अनुसार (-)0.29 है जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (संपत्ति, देनदारियां और सामान्य बीमा व्यवसाय की सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियम, 2016 के अनुसार निर्धारित मार्जिन से कम है।
- नोट संख्या 31 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए, सामान्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन का विकल्प चुनने वाले कंपनी के सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देयता के आस्थगन के संबंध में, वर्ष के दौरान 253.12 हजार रुपये की राशि को अवशोषित किया गया है। जैसा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा उनके पत्र संख्या 411/F&A(NL)/Amort-EB/2019-20/125 दिनांक 07-07-2020 के माध्यम से अनुमोदित किया गया है, 253.12 हजार रुपये की शेष राशि का परिशोधन 2023-24 में किया जाएगा।
- अचल संपत्तियों में कमियों के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 24 में, विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए दी गई पहचान को अचल संपत्ति रजिस्टर में विवरण के साथ सहसंबंधित किया जाना शेष है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 02, जो 500.39 करोड़ रुपये की राशि जिसे आयकर विभाग से वापसी के मामले में अग्रिम वसूली योग्य के रूप में दर्शाया गया है, के संबंध में, सीआईटी, आईटीएटी, एचसी और एससी जैसे विभिन्न स्तरों पर ये रकम वित्तीय वर्ष 2000-01 से लंबित हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल मामले, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुबंध की रिपोर्ट, व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य जानकारी इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस बारे में कोई भी आश्वासन व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि जब यह उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर दी गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट के दौरान हमारे द्वारा प्राप्त की गई जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्य कथन प्रतीत होता है।

अन्य जानकारी प्राप्त होने पर, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें प्रशासन के प्रभारी लोगों

को इस मामले के बारे में सूचित करना आवश्यक है और हम,

- यदि महत्वपूर्ण गलतबयानी को सुधार कर लिया गया है, तो सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया निष्पादित करें; या
- यदि प्रशासन के प्रभारी लोगों को मामले के बारे में सूचित करने के बाद भी महत्वपूर्ण गलतबयानी को सुधारा नहीं किया जाता है, तो हमारे कानूनी अधिकारों और दायित्वों पर विचार करते हुए उचित कार्रवाई करें, ताकि बिना सुधारी गई महत्वपूर्ण गलतबयानी को उचित रूप से उन उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाया जा सके जिनके लिए यह ऑडिटर की रिपोर्ट तैयार किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और उन पर प्रशासन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और लेखा परीक्षकों की बीमा कंपनियों की रिपोर्ट) विनियमन 2002, ('विनियमन') के अनुसार कंपनी का वित्तीय प्रकटन और नकदी प्रवाह, लेखांकन तथा आमतौर पर भारत में स्वीकृत सिद्धांत जो विनियमन द्वारा निर्धारित आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं, उन वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाना भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है और धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, व्यवसाय की वर्तमान समुत्थान के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं और, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, व्यवसाय की वर्तमान समुत्थान संबंधित मामलों और लेखांकन के व्यवसाय की वर्तमान समुत्थान आधार का उपयोग करते हुए जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को परिसमापन करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं करता है, या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

1. Note No. 21 to the standalone financial statements, regarding the Solvency Margin as on 31st March 2023 is (-)0.29 which is below the stipulated margin as per the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016.
2. Note No.31 to the standalone financial statements, regarding the deferment of pension liability of the retired and existing employees of the company who opted for Pension under General Employees' Pension Scheme 1995. An amount of Rs 253.12 Crores has been absorbed during the year. As approved by Insurance Regulatory and Development Authority of India, vide its letter Ref 411/F&A(NL) /Amort-EB/2019-20/125 dated 07-07-2020. The balance provision amounting to ₹ 253.12 Crores will be amortized in 2023-24.
3. Note No.24 to the Standalone financial statements regarding deficiencies in fixed assets, the identification given for various assets is yet to be correlated with the details in the Fixed Asset Register.
4. Note No.02 to the standalone financial statements, regarding an amount of ₹ 500.39 Crores which is shown as advance recoverable in respect of Refund dues from Income Tax Department, are pending at various levels such as CIT, ITAT, HC and SC. These amounts are pending from FY 2000-01.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Director's Report including Annexures to Director's report and Responsibility Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The Other Information is expected to be made available to us after the date of this Auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

On receipt of Other Information, if we conclude that

there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and we shall,

- a) If the material misstatement is corrected, perform necessary procedure to ensure the correction; or
- b) If the material misstatement is not corrected after communicating the matter to those charged with governance, take appropriate action considering our legal rights and obligations, to seek to have the uncorrected material misstatement appropriately brought to the attention of users for whom this auditor's report is prepared.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002, ("the Regulation") the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards issued by ICAI as prescribed by the Regulation. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता है कि एसएएस के अनुसार आयोजित ऑडिट, मौजूदा एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलतबयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हमारे लिये

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की

तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू चिंता वाली संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और अंतर्निहित वस्तु का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने कार्य के लक्ष्यों की योजना बनाते हैं और अपने कार्य के परिणामों का आकलन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक पहलुओं पर विचार करते हैं; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

जो शासी अधिकारी हैं हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले बन गये हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, विनियमन और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लागू सीमा तक और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आवश्यक तरीके से तैयार किए गए हैं।
2. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश या निर्देश के अनुसार आवश्यक है, हम इसकी रिपोर्ट करते हैं
 - ए) हमने योग्य राय के आधार वाली पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions

may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The standalone financial statements have been drawn up in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Regulation and the provisions of the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in the manner so required.
2. As required by Section 143 (3) of the Companies Act, 2013 and Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and orders or direction issued by the Insurance Regulatory and Development Authority we report that:
 - a) We have sought and except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, obtained all the information and explanations

- बी) योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें कंपनी में रखी गई हैं, और जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है जो उचित है और हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रिटर्न उन क्षेत्रीय कार्यालयों और मंडल कार्यालयों से प्राप्त हुए हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।
- सी) घटक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के तहत ऑडिट किए गए क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों, मंडल लेखा परीक्षकों और विदेशी रन-ऑफ परिचालन की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और हमारे द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले तरीके से इसे तैयार करने इसका ध्यान रखा गया है।
- डी) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, राजस्व खाते, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण और उन कार्यालयों से प्राप्त रिटर्न के साथ, जहां हम नहीं गए, वहाँ खाते किताबों के अनुरूप हैं।
- ई) योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और लेखांकन नीतियां लेखांकन सिद्धांतों और धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित का अनुपालन करती हैं, जो प्रासंगिक और उचित सीमा तक और जो आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के साथ असंगत नहीं हैं।
- एफ) अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।
- जी) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निवेश का मूल्यांकन बीमा अधिनियम के प्रावधानों, इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों और आदेशों/ निर्देशों के अनुसार किया गया है।
- एच) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हम अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक -1 में देते हैं।
- आई) इसके अलावा कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि:
- हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है और प्रबंधन रिपोर्ट

- और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के बीच कोई स्पष्ट गलती या भौतिक विसंगतियां नहीं हैं;
- अनुपालन के जिम्मेदार कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी ने आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया है; और
 - पॉलिसीधारकों की निधियों के अनुप्रयोग और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के प्रावधानों के उल्लंघन में पॉलिसीधारकों की निधियों की संपत्ति का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया गया है।
- जे) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 2 देखें ;
 - कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो।
 - ऐसे कोई राशियां नहीं थी जिसे कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी।
 - (अ) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन दिया कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (ओं) या इकाई (ओं) को या उनमें कोई धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से)'), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें।

- which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the Regional offices and Divisional offices not visited by us.
 - c) The Reports of the Regional Auditors, Divisional Auditors and of foreign run off operations audited under section 143(8) of the Companies Act, 2013 by the component auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report in the manner considered necessary by us.
 - d) The Balance Sheet, Revenue Accounts, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from offices not visited by us.
 - e) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, the standalone financial statements and the Accounting Policies of the Company comply with the accounting principles and with the Accounting Standard specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, to the extent considered relevant and appropriate and which are not inconsistent with accounting principles prescribed by IRDAI;
 - f) As per the Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05.06.2015, sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 is not applicable to Government Companies.
 - g) As per the information and explanations provided to us, the investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, the regulations and orders/directions issued by IRDAI in this regard.
 - h) With respect to the adequacy of internal financial control systems and the operating effectiveness of such controls, we give our Report in Annexure – I
 - i) Further on the basis of our examination of books and records of the Company and according to the information and explanation given to us and to the best of our knowledge and belief, we certify that:
 - i) We have reviewed the management report attached with the Standalone Financial Statements and there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the management report and the Standalone financial statements;
 - ii) Based on the written representation made by the management of the Company charged with compliance, nothing has come to our attention which causes us to believe that the company has not complied with the terms and conditions of registration as stipulated by IRDAI; and
 - iii) No part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) relating to the application and investments of the policyholders' funds
 - j) With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements – Refer Note No 2 to the standalone financial statements;
 - ii. The company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate

- (बी) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में बताए गए के अलावा, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियाँ") सहित किसी भी व्यक्ति(यों) या इकाई(ओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी। अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना; और
- (सी) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उचित माना है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- V. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या

भुगतान नहीं किया है।

- VI. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की किताबें बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, कंपनी पर 1 अप्रैल, 2023 से लागू है और तदनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के संबंध में हमारी टिप्पणियाँ अनुबंध - II में दी गई हैं।

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929
UDIN 23021929BGZDR04462

दिनांक: 30.05.2023
स्थान: चेन्नै

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276
UDIN 23218276BGWJHM8869

वास्ते एस आर बी आर &
एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814
UDIN 23029814BGYMTM6973

Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

- (b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
- (c) Based on audit procedures which we considered reasonable and appropriate

in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (a) and (b) contain any material misstatement.

- V. The company has not declared or paid any dividend during the year.
- VI. Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail facility is applicable to the Company with effect from April 1, 2023, and accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended March 31, 2023.
3. As required by section 143(5) of the Companies Act, 2013, our comments with regard to the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India are given in Annexure – II.

For P S Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN :004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN : 001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/S200051

CA J Raghuram
Partner
Membership No. 021929
UDIN 23021929BGZDRO4462

CA D Theresa
Partner
Membership No. 218276
UDIN 23218276BGWJHM8869

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN 23029814BGYMTH6973

Date: 30.05.2023
Place: Chennai

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 तक युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट भी किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और संरक्षण शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होने वाली सीमा तक निर्धारित माना जाता है तथा दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त

करना, मौजूदा कमजोरी के कारण से उत्पन्न जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के कारण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण से ही हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों का अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए व्यवहारों को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त

ANNEXURE-I TO INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of United India Insurance Company Limited ("the Company") as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial

controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the

हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण खराब हो सकता है।

योग्य अभिप्राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च, 2023 को नीचे दी गई आसक्ति के कारण की पहचान की गई है:

1. कंपनी के पास अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने और समाधान के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं था।
2. रिपोर्ट में त्रुटियों को खत्म करने के लिए पुनर्बीमा मॉड्यूल में सिस्टम नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा।

आसक्ति का कारण' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण को एक सामयिक आधार पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित आसक्ति के कारण के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड

अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर। वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2023 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरी पर विचार किया है, और भौतिक कमजोरी ने स्टैंडअलोन पर हमारी राय को प्रभावित किया है। कंपनी के वित्तीय विवरण और हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर एक योग्य राय जारी की है।

अन्य मामल

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह 30 क्षेत्रीय कार्यालयों (जिसमें 366 मंडल कार्यालयों के रिटर्न शामिल हैं) 6 बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल से संबंधित है, संबंधित कार्यालयों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929
UDIN 23021929BGZDR04462

दिनांक: 30.05.2023
स्थान: चेन्नै

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276
UDIN 23218276BGWJHM8869

वास्ते एस आर बी आर &
एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814
UDIN 23029814BGYMTM6973

degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the material weakness has been identified as at March 31, 2023 as below:

1. The Company did not have appropriate internal controls for obtention of year end confirmation of balances from other insurance companies and reconciliation.
2. The system controls in Reinsurance module to be strengthened to eliminate errors in reports.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim standalone financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal

financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2023 standalone financial statements of the Company, and the material weakness has affected our opinion on the standalone financial statements of the Company and we have issued a qualified opinion on the Standalone Financial Statements.

Other Matters

Our aforesaid reports under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting in so far as it relates to 30 Regional Offices (in which are incorporated the Returns of 366 Divisional Offices) 6 Large Corporate and Broker Cells is based on the corresponding reports of the auditors of the respective offices.

For P S Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN :004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN : 001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/S200051

CA J Raghuram
Partner
Membership No. 021929
UDIN 23021929BGZDRO4462

CA D Theresa
Partner
Membership No. 218276
UDIN 23218276BGWJHM8869

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN 23029814BGYMTH6973

Date: 30.05.2023
Place: Chennai

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी
निर्देशों एवं उप-निर्देशों के संबंध में टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश

| क्र. सं. | निर्देश | उत्तर |
|----------|---|---|
| 1 | क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है। | हाँ। सभी लेखांकन व्यवहार आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। जेनिसिस कॉन्फिगरेटर (जीसी कोर) सभी ऑपरेटिंग कार्यालयों और पोर्टलों पर उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। निवेश विभाग में एक स्टैंडअलोन ट्रेजरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है और प्रधान कार्यालय के सीएफएसी विभाग में जीसी सॉफ्टवेयर के अलावा एफएसीटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। स्थापना विभाग में पेरोल की प्रक्रिया एसएपी के माध्यम से की जाती है। सीएफएसी विभाग में एक अलग एसक्यूएल सॉफ्टवेयर द्वारा अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व की गणना की जा रही है। |
| 2 | क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ़/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। | ऐसा कोई मामला नहीं है। |
| 3 | क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं। | कंपनी को केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से पीएमएफबीवाई/आरएसबीवाई से संबंधित सब्सिडी का एक हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसका उचित हिसाब-किताब किया गया और उसका उपयोग किया गया। |

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर &
एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929
UDIN 23021929BGZDR04462

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276
UDIN 23218276BGWJHM8869

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814
UDIN 23029814BGYMTM6973

दिनांक: 30.05.2023
स्थान: चेन्नै

ANNEXURE-II TO INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Comments in regard to the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India

DIRECTION U/S 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013

| S.No. | Directions | Reply |
|-------|--|---|
| 1 | Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the Integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated. | Yes. All Accounting transactions are processed through IT Systems. Genisys configurator (GC CORE) is the software used across all operating offices and portals. A standalone treasury management software is used at Investment department and in CFAC Department of Head office FACT software is used in addition to GC Software. Payroll is processed through SAP in Establishment Department The Unexpired Risk Reserve is being computed by a separate SQL Software in CFAC Department. |
| 2 | Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off debts/loans/interest etc., made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. | No such cases. |
| 3 | Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilised as per its term and conditions? List the cases of deviations. | The Company received a part of Subsidy relating to PMFBY / RSBY from central and state agencies which were properly accounted for and utilized. |

For P S Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN :004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN : 001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/S200051

CA J Raghuram
Partner
Membership No. 021929
UDIN 23021929BGZDRO4462

CA D Theresa
Partner
Membership No. 218276
UDIN 23218276BGWJHM8869

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN 23029814BGYMTH6973

Date: 30.05.2023
Place: Chennai

STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE MEMBERS OF UIIC

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत उप निर्देश

| क्र. सं. | विवरण | उत्तर | | | |
|----------|--|--|----------|---------------------------|--------------|
| | | विवरण | समाधानित | गैर समाधानित | पुनर्गठनाधीन |
| 1 | भौतिक/डीमैट रूप में उपलब्ध सीजीएस/एसजीएस/बॉन्ड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के शीर्षकों की संख्या और इनमें से, ऐसे मामलों की संख्या जो कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्शाई गई संबंधित राशियों से मेल नहीं खाती हैं, जिन्हें सत्यापित किया जा सकता है और पाई गई विसंगति को उचित रूप से रिपोर्ट किया जा सकता है। | ऋणपत्र | 18 | 2 (बहि मूल्य रु. 4947501) | 0 |
| 2 | क्या निवेश के संबंध में स्टॉप लॉस सीमा निर्धारित की गई है। यदि हाँ, तो सीमा का पालन किया गया अथवा नहीं। यदि नहीं, तो विवरण दिया जा सकता है। | हां निवेश नीति मौजूद है और इसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की व्यवस्था शामिल है। हाँ। निवेश के संबंध में स्टॉप लॉस सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उनका पालन किया गया है। | | | |
| 3 | क्या कंपनी ने अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं के साथ अपने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अंतर-कंपनी शेष के लिए समाधान पर कार्रवाई किया है और क्या अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं से उनके कारण शेष के लिए पुष्टि प्राप्त की गई है? | कंपनी के पास ज़ोनल/क्षेत्रीय स्तर पर पीएसयू बीमाकर्ताओं के साथ समय-समय पर बैठकों के माध्यम से सह-बीमा शेष राशि को सुलझाने की एक प्रक्रिया है जहां शेष राशि पर सहमति और निपटान किया जाता है। हालाँकि कंपनी ने वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की है | | | |
| 4 | क्या कंपनी के संबंध में जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध संपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर लिया गया है। | कंपनी जीएसटी पोर्टल में उपलब्ध क्रेडिट के साथ चालान के मिलान के बाद पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट के अलावा सभी पात्र इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाती है। 31.03.2023 को बेजोड़ इनपुट क्रेडिट रु. 56.19 करोड़ रुपये कितारों में उपलब्ध हैं। | | | |
| 5 | क्या पुनर्बीमा व्यवहारों को कोर बीमा समाधान के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत कर दिया गया है। यदि हां, तो क्या पुनर्बीमा संबंधी आंकड़ों का प्रवाह पूरी तरह से स्वचालित है। यदि नहीं, तो विवरण दिया जा सकता है। | हां, पुनर्बीमा व्यवहारों को कोर बीमा समाधानों के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत कर दिया गया है। बीमा लेखन आंकड़े और दावा आंकड़े स्वचालित रूप से जीसी-कोर के आरआई मॉड्यूल में प्रवाहित होते हैं। | | | |

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर &
एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929
UDIN 23021929BGZDR04462

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276
UDIN 23218276BGWJHM8869

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814
UDIN 23029814BGYMTM6973

दिनांक: 30.05.2023

स्थान: चेन्नै

II. SUB-DIRECTIONS U/S 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013

| S.No. | Particular | Reply | | | |
|-------|--|--|------------|--------------------------|---------------------|
| | | Particulars | Reconciled | Un-Reconciled | Under Restructuring |
| 1 | Number of titles of ownership in respect of CGS / SGS / Bonds / Debentures etc. available in physical/demat form and out of these, number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported. | Debentures | 18 | 2 (Book Value ₹ 4947501) | 0 |
| 2 | Whether stop loss limits have been prescribed in respect of the investments. If yes, whether or not the limit was adhered to. If no, details may be given. | Yes. Investment Policy exists and includes mechanism to review investment portfolios. Yes. Stop loss limits have been prescribed in respect of the investments and have been adhered to. | | | |
| 3 | Whether Company has carried out reconciliation exercise for inter-company balances reflected in their financial statements with other PSU insurers and whether confirmation has been obtained from other PSU insurers for balances due from them? | The company has a process of reconciling co-insurance balances through periodical meetings with PSU insurers at Zonal/ Regional level where balances are agreed and settled. However the Company has not obtained year end confirmation of balances. | | | |
| 4 | Whether entire input tax credit (ITC) available on GST portal in respect of the Company has been availed within prescribed time limits. | The Company avails all eligible input credit other than inputs on capital goods after matching with the invoices with the credit available in the GST portal. The unmatched input credit as on 31.03.2023 is ₹ 56.19 Crs lying in the books. | | | |
| 5 | Whether re-insurance transaction have been fully integrated with CORE Insurance Solution. If yes, whether the flow of re-insurance related data is fully automated. If no details may be given | Yes. Reinsurance transactions have been fully integrated with GC CORE insurance solutions. The underwriting data and claims data flow automatically to RI module of GC CORE. | | | |

For P S Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN :004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN : 001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/S200051

CA J Raghuram
Partner
Membership No. 021929
UDIN 23021929BGZDRO4462

CA D Theresa
Partner
Membership No. 218276
UDIN 23218276BGWJHM8869

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN 23029814BGYMTH6973

Date: 30.05.2023
Place: Chennai

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियम, 2002 की अनुसूची 'सी' के अनुसार आवश्यक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रमाण पत्र

हम प्रमाणित करते हैं:

1. अ. हमने आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक नकदी शेष और कंपनी के ऋण और निवेश से संबंधित प्रतिभूतियों का सत्यापन निम्नलिखित आधार पर नीचे दिए गए पैराग्राफ (बी) के अधीन किया है।:

| क्र. सं. | परिसंपत्ति | सत्यापन का स्वरूप |
|----------|----------------------------|---|
| i) | रोकड | भौतिक सत्यापन, प्रबंधन प्रमाणपत्र और क्षेत्रीय/शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट |
| ii) | निवेश | संरक्षक का प्रमाणपत्र (आरबीआई, सीसीआईएल और एसएचसीआईएल) और प्रबंधन का प्रमाणपत्र |
| iii) | ऋण से संबंधित प्रतिभूतियाँ | प्रबंधन का प्रमाणपत्र |

ब. (i) निम्नलिखित के संबंध में संरक्षक से कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं थी:

अ. ₹ शून्य के बुक वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों में निवेश पर आपत्ति है

ब. इक्विटी शेयर जिनका अंकित मूल्य क्रमशः ₹ शून्य है और ऋणपत्र/बॉन्ड जिनका अंकित मूल्य क्रमशः शून्य है, जिनके लिए स्वामित्व का कोई सबूत उपलब्ध नहीं था।

(ii) सावधि ऋण में निवेश, आवास और अग्निशमन उपकरणों के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को ऋण, पास थू सर्टिफिकेट (पीटीसी) में निवेश और ऋणों के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण के कारण शेष राशि पुष्टि/समाधान के अधीन है - ₹ शून्य।

(iii) शून्य की राशि के विदेशी निवेश के संबंध में कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं थी।

2. हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ट्रस्टी के रूप में कोई ट्रस्ट नहीं बनाया है।

3. ₹ पॉलिसी धारक के फंड के आवेदन और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधान के उल्लंघन में पॉलिसी धारक के फंड की संपत्ति का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया गया है।

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर &
एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929
UDIN 23021929BGZDR04462

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276
UDIN 23218276BGWJHM8869

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814
UDIN 23029814BGYMTMTH6973

दिनांक: 30.05.2023

स्थान: चेन्नै

Certificate for the year ended 31st March, 2023 as required by Schedule 'C' of Insurance Regulatory & Development Authority Regulations, 2002 for Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies in case of United India insurance Company Limited

We certify that:

1. a. We have verified Cash balances, to the extent considered necessary, and securities related to the Company's Loans and Investments, subject to paragraph (b) herein mentioned below, on following basis:

| Sr No. | Asset | Nature of Verification |
|--------|-----------------------------|---|
| i) | Cash | Physical verification, Management Certificate and Regional / Branch Auditor's reports |
| ii) | Investment | Custodian's Certificate (RBI, CCIL & SHCIL) and Management's Certificate |
| iii) | Securities relating to Loan | Management's Certificate. |

b. (i) No confirmations were available from custodian in respect of following:

a. Investment in equity shares having book value of ₹ Nil are under objection.

b. Equity shares having book value amounting to ₹ Nil and Debentures/Bonds having face value ₹ Nil respectively for which no evidence of ownership was available.

(ii) Investment in Term Loans, Loans to State Government for the purpose of Housing & Fire Fighting Equipment's, Investments in Pass Through Certificates (PTC) and Balances on account of restructuring/rescheduling of debts are subject to confirmations/reconciliations - ₹ Nil.

(iii) No confirmations were available in respect of Foreign Investments amounting to ₹ Nil.

2. To the best of our information and explanations given to us, the company has not undertaken any trust as trustee.
3. No part of the assets of Policy Holder's Funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provision of the Insurance Act, 1938 relating to the application and Investments of the Policy Holder's Funds.

For P S Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN :004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN : 001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/S200051

CA J Raghuram
Partner
Membership No. 021929
UDIN 23021929BGZDRO4462

CA D Theresa
Partner
Membership No. 218276
UDIN 23218276BGWJHM8869

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN 23029814BGYMTH6973

Date: 30.05.2023
Place: Chennai

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के साथ पठित 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ पढ़ी गई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। कथन है कि यह उनके द्वारा 30 मई 2023 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक पूरक ऑडिट किया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजातों तक पहुंचे बिना यह पूरक ऑडिट स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक ही सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को इजाजत दे।

वास्ते एवं कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(एस.वेह्लियांगिरि)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 31.07.2023

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of United India Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938, read with the Insurance Regulatory & Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of United India Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

(S. Velliangiri)

Principal Director of Commercial Audit

Place : Chennai

Date : 31.07.2023

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: January 27, 2022

अग्नि बीमा राजस्व खाता 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

FIRE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|--|---------------------|---|--|
| | | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net) | 1 | 8205207 | 9097570 |
| निवेशों की बिक्री / अदायगी पर लाभ/हानि (शुद्ध) Profit/Loss on sale/redemption of Investments (Net) | | 869773 | 450565 |
| विनिमय से हानि/लाभ Exchange Loss/Gain | | 0 | 0 |
| ब्याज, लाभांश व किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross | | 1503075 | 1949719 |
| अन्य / Others | | | |
| शेयरधारकों की निधि से अतिरिक्त ईओएम को अंशदान Contribution from Shareholders Fund towards excess EOM | | 3438489 | 1430810 |
| कुल (अ) TOTAL (A) | | 14016544 | 12928664 |
| उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net) | 2 | 5735895 | 5319758 |
| कमीशन Commission | 3 | 971503 | 1263156 |
| बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business | 4 | 7345937 | 5314622 |
| अन्य / Others | | | |
| निवेश से संबंधित खर्च Expenses relating to Investments | | 2787 | 2659 |
| निवेश की प्रीमियम पर परिशोधन Amortisation of Premium on Investments | | 6187 | 6742 |
| अशोध्य और सन्दिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts | | 62133 | 41050 |
| हासित निवेश से संबंधित बट्टे खाते में डाली गयी राशि Amount written off in respect of depreciated investments | | 39647 | 61043 |
| सक्रिय रूप से न व्यापारित साम्यांश के अवमूल्यन हेतु प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities | | -15551 | -13556 |
| कुल (आ) TOTAL (B) | | 14148538 | 11995474 |
| प्रचालन लाभ/(हानि) इ = (अ - आ) Operating Profit/(Loss) C = (A-B) | | -131994 | 933190 |

| विनिमयन / APPROPRIATIONS | | | |
|---|--|----------------|---------------|
| शेयरधारकों के खाते को अंतरित Transfer to Shareholders' Account | | -131994 | 933190 |
| महाविपत्ति आरक्षित को अंतरित Transfer to Catastrophe Reserve | | 0 | 0 |
| अन्य आरक्षित को अंतरित Transfer to Other Reserves | | 0 | 0 |
| कुल (₹) TOTAL (C) | | -131994 | 933190 |

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 सी (2) के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार अग्नि बीमा कारोबार में, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कहीं भी किए गए उपगत प्रबंध खर्च सभी अग्नि बीमा राजस्व खाते में खर्च के रूप में पूर्णतः विकलित किये गये हैं।

As required by Section 40C(2) of Insurance Act 1938, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief, all expenses wherever incurred whether directly or indirectly in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the Fire Insurance Revenue account as expenses.

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से / For and on behalf of Board

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते यनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर एण्ड एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 30.05.2023

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: January 27, 2022

समुद्री बीमा राजस्व खाता 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

MARINE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 (₹ '000) | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 (₹ '000) |
|--|---------------------|---|--|
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net) | 1 | 2267831 | 2029094 |
| निवेशों की बिक्री / अदायगी पर लाभ/हानि (शुद्ध) Profit/Loss on sale/redemption of Investments (Net) | | 200415 | 106265 |
| विनिमय से हानि/लाभ Exchange Loss/Gain | | 0 | 0 |
| ब्याज, लाभांश व किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross | | 346340 | 320849 |
| अन्य / Others | | | |
| शेयरधारकों की निधि से अतिरिक्त ईओएम को अंशदान Contribution from Shareholders Fund towards excess EOM | | 489563 | 173825 |
| कुल (अ) TOTAL (A) | | 3304149 | 2630033 |
| उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net) | 2 | 1341732 | 1795760 |
| कमीशन Commission | 3 | 266967 | 262851 |
| बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business | 4 | 1175818 | 757898 |
| अन्य / Others | | | |
| निवेश से संबंधित खर्च Expenses relating to Investments | | 642 | 627 |
| निवेश की प्रीमियम पर परिशोधन Amortisation of Premium on Investments | | 1426 | 1590 |
| हासित निवेश से संबंधित बटूटे खाते में डाली गयी राशि Amount written off in respect of depreciated investments | | 9136 | 14397 |
| अशोध्य और सन्दिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts | | 14316 | 9681 |
| सक्रिय रूप से न व्यापारित साम्यांश के अवमूल्यन हेतु प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities | | -3583 | -3197 |
| कुल (आ) TOTAL (B) | | 2806454 | 2839607 |
| प्रचालन लाभ/(हानि) इ = (अ - आ) Operating Profit/(Loss) C = (A-B) | | 497695 | -209574 |

| विनिमयन / APPROPRIATIONS | | | |
|---|--|---------------|----------------|
| शेयरधारकों के खाते को अंतरित Transfer to Shareholders' Account | | 497695 | -209574 |
| महाविपत्ति आरक्षित को अंतरित Transfer to Catastrophe Reserve | | 0 | 0 |
| अन्य आरक्षित को अंतरित Transfer to Other Reserves | | 0 | 0 |
| कुल (₹) TOTAL (C) | | 497695 | -209574 |

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 सी (2) के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार समुद्री बीमा कारोबार में, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कहीं भी किए गए उपगत प्रबंध खर्च, सभी समुद्री बीमा राजस्व खाते में खर्च के रूप में पूर्णतः विकलित किये गये हैं।

As required by Section 40C(2) of Insurance Act 1938, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief, all expenses wherever incurred whether directly or indirectly in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the Marine Insurance Revenue account as expenses.

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से / For and on behalf of Board

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर एण्ड एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 30.05.2023

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: January 27, 2022

विविध बीमा राजस्व खाता 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|--|---------------------|---|--|
| | | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net) | 1 | 140969822 | 125829337 |
| निवेशों की बिक्री / अदायगी पर लाभ/हानि (शुद्ध) Profit/Loss on sale/redemption of Investments (Net) | | 12028810 | 6065629 |
| अंतरण शुल्क इत्यादी / Transfer fees, etc. | | 12574 | 11395 |
| ब्याज, लाभांश व किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross | | 20787254 | 18348059 |
| अन्य / Others | | | |
| शेयरधारकों की निधि से अतिरिक्त ईओएम को अंशदान Contribution from Shareholders Fund towards excess EOM | | 20462159 | 4281902 |
| कुल (अ) TOTAL (A) | | 194260619 | 154536322 |
| उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net) | 2 | 133532205 | 127884641 |
| कमीशन Commission | 3 | 9373450 | 7498894 |
| बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business | 4 | 54555017 | 35336779 |
| अन्य / Others | | | |
| निवेश से संबंधित खर्च Expenses relating to Investments | | 38533 | 35796 |
| निवेश की प्रीमियम पर परिशोधन Amortisation of Premium on Investments | | 85565 | 90762 |
| हासित निवेश से संबंधित बटूटे खाते में डाली गयी राशि Amount written off in respect of depreciated investments | | 548317 | 821776 |
| अशोध्य और सन्देह ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts | | 859286 | 552621 |
| सक्रिय रूप से न व्यापारित साम्यांश के अवमूल्यन हेतु प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities | | -215062 | -182501 |
| कुल (आ) TOTAL (B) | | 198777311 | 172038768 |
| प्रचालन लाभ/(हानि) इ = (अ - आ) Operating Profit/(Loss) C = (A-B) | | -4516692 | -17502446 |

| विनिमयन / APPROPRIATIONS | | | |
|---|--|-----------------|------------------|
| शेयरधारकों के खाते को अंतरित Transfer to Shareholders' Account | | -4516692 | -17502446 |
| महाविपत्ति आरक्षित को अंतरित Transfer to Catastrophe Reserve | | 0 | 0 |
| अन्य आरक्षित को अंतरित Transfer to Other Reserves | | 0 | 0 |
| कुल (₹) TOTAL (C) | | -4516692 | -17502446 |

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 सी (2) के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विविध बीमा कारोबार में, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कहीं भी किए गए उपगत प्रबंध खर्च सभी विविध बीमा राजस्व खाते में खर्च के रूप में पूर्णतः विकलित किये गये हैं।

As required by Section 40C(2) of Insurance Act 1938, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief, all expenses wherever incurred whether directly or indirectly in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the Miscellaneous Insurance Revenue account as expenses.

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से / For and on behalf of Board

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर एण्ड एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 30.05.2023

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: January 27, 2022

लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 (₹ '000) | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 (₹ '000) |
|---|---------------------|---|--|
| प्रचालन लाभ / (हानि) / OPERATING PROFIT/(LOSS) | | | |
| अग्नि बीमा / Fire Insurance | | -131994 | 933190 |
| समुद्री बीमा / Marine Insurance | | 497695 | -209574 |
| विविध बीमा / Miscellaneous Insurance | | -4516692 | -17502446 |
| निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENTS | | | |
| ब्याज, लाभांश व किराया - सकल / Interest, Dividend & Rent - Gross | | 0 | 1647343 |
| निवेश की बिक्री पर लाभ / Profit on sale of investments | | 0 | 461900 |
| अन्य आय / OTHER INCOME | | | |
| बूटे खाते में खला गया विविध शेष / Sundry Balance written off | | 1050830 | 22719 |
| परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि तथा अन्य आय Profit/Loss on sale of assets & other incomes | | -171281 | 139824 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | | -3271442 | -14507044 |
| प्रावधान (कर के अलावा) / PROVISIONS (Other than taxation) | | | |
| निवेश के अवमूल्यन हेतु / For diminution in the value of investments | | 0 | -13898 |
| सन्देह ऋणों हेतु / For doubtful debts | | 0 | 42082 |
| अन्य खर्च / OTHER EXPENSES | | | |
| उधार पर ब्याज/ Interest On Borrowings | | 624514 | 742500 |
| निगमिय सामाजिक दायित्व पर खर्च Expenses on Corporate Social Responsibility | | 7120 | 118980 |
| अतिरिक्त ईओएम हेतु पालिसीधारकों की निधि को अंशदान Contribution to Policyholders Fund towards excess EOM | | 24390211 | 5886537 |
| गैर बीमा कारोबार से संबंधित खर्च Expenses other than those related to Insurance Business | | 0 | 2726 |
| बूटे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण / Bad debts written off | | 0 | 0 |
| निवेश प्रीमियम पर परिशोधन / Amortisation of Premium on Investments | | 0 | 6912 |
| हासित निवेश से संबंधित बूटे खाते में डाली गयी राशियाँ Amount written off in respect of depreciated investments | | 0 | 62579 |
| कुल (आ) TOTAL (B) | | 25021845 | 6848418 |
| कर के पूर्व लाभ (इ) = (अ - आ)/Profit / (Loss) Before Tax (C) = (A-B) | | -28293287 | -21355462 |

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| कर के लिये प्रावधान / Provision for Taxation | | 0 | 0 |
| गत वर्षों से संबंधित कर / Taxation relating to earlier years | | 0 | 0 |
| कर के बाद लाभ / (हानि) (ई) / Profit/(Loss) After Tax (D) | | -28293287 | -21355462 |
| विनियोजन / APPROPRIATIONS | | | |
| वर्ष के दौरान किया गया अंतरिम लाभांश / Interim dividends paid during the year | | 0 | 0 |
| प्रस्तावित अंतिम लाभांश / Proposed final dividend | | 0 | 0 |
| लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax | | 0 | 0 |
| डिबेंचर मोचन आरक्षित को अंतरित / Transfer to Debenture Redemption Reserve | | 0 | 225000 |
| सामान्य आरक्षित को अंतरित / Transferred to General Reserve | | -1125000 | -2157015 |
| तुलन पत्र को अंतरित शेष / Balance carried forward to Balance Sheet | | -27168287 | -19423447 |
| मूल और तरलीकृत प्रति शेयर से आय Basic and Dilluted Earning Per Share | | -7.25 | -5.67 |

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से / For and on behalf of Board

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर एण्ड एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 30.05.2023

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: January 27, 2022

31 मार्च 2023 के दिन पर का तुलन पत्र

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष / Current Year | गत वर्ष / Previous Year |
|--|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| | | (₹ '000) | (₹ '000) |
| निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS | | | |
| शेयर पूंजी SHARE CAPITAL | 5 | 39050000 | 39050000 |
| आरक्षितियाँ और अधिशेष RESERVES AND SURPLUS | 6 | 221216 | 1325262 |
| सही मूल्य परिवर्तन खाता - शेयरधारकों FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT - SHAREHOLDERS' | | 0 | 2064471 |
| सही मूल्य परिवर्तन खाता - पॉलिसीधारकों FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT - POLICYHOLDERS' | | 36783513 | 29599206 |
| ऋण BORROWINGS | 7 | 0 | 9000000 |
| कुल / TOTAL | | 76054729 | 81038939 |
| निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS | | | |
| निवेश - शेयरधारकों / INVESTMENTS - SHAREHOLDERS' | 8 | 0 | 23368655 |
| निवेश - पॉलिसीधारकों / INVESTMENTS - POLICYHOLDERS' | 8A | 354787862 | 335046294 |
| ऋण LOANS | 9 | 2081296 | 1950390 |
| स्थायी परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS | 10 | 4403224 | 4498886 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS | | | |
| नकद और बैंक शेष CASH AND BANK BALANCES | 11 | 21990193 | 26680544 |
| अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियाँ ADVANCES AND OTHER ASSETS | 12 | 59272462 | 59119029 |
| उप कुल (अ) SUB-TOTAL (A) | | 81262655 | 85799573 |

 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 31 मार्च 2023 के दिन पर का तुलन पत्र / BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023

| | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| चालू देयताएँ CURRENT LIABILITIES | 13 | 326839876 | 308162606 |
| प्रावधान / PROVISIONS | 14 | 86232166 | 80885700 |
| उप कुल (आ) / SUB-TOTAL (B) | | 413072042 | 389048306 |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (इ) = (अ-आ) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | | -331809387 | -303248733 |
| विविध खर्च (जिनको बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 15 | 0 | 0 |
| लाभ और हानि खाते में नामे शेष DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT | 6A | 46591734 | 19423447 |
| कुल / TOTAL | | 76054729 | 81038939 |

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से / For and on behalf of Board

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर कं. चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी एसोसिएट्स चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर एसोसिएट्स एल एल पी चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 30.05.2023

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

31 मार्च 2023 को आकस्मिक देयताएँ / CONTINGENT LIABILITIES AT 31ST MARCH 2023
(₹ '000)

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|--|---|--|
| आंशिक रूप में चुकता शेयर / On Partly Paid Investments | 1074.55 | 800 |
| पालिसी के तहत अन्य दावे जिन्हें कंपनी ऋण नहीं मानती Claims other than those under policies, not acknowledged as debts | 1625300 | 1648619 |
| शेष बीमालेखन अभिबन्धन (शेयर और ऋण पत्रों के संबंध में) Underwriting commitments outstanding (in respect of Shares and Securities) | 0 | 0 |
| कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई प्रतिभूतियाँ Guarantees given by or on behalf of the Company | 0 | 150 |
| विवादास्पद वैधानिक माँग / देयताएँ जिसका प्रावधान नहीं किया गया Statutory demands /liabilities in dispute, not provided for | 41682481 | 35868504 |
| खाते में पुनर्बीमा देयताओं के लिये प्रावधान नहीं किया गया है Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts | 0 | 0 |
| बकाया साख पत्र / Outstanding Letter of Credit | 32218 | 31017 |

नोट:

- वैधानिक मांगों/विवाद में देनदारियाँ, जिनके लिए प्रावधान नहीं है, में जुर्माना यदि कोई लागू हो, शामिल नहीं है
- आयकर अधिकारियों ने विगत कुछ वर्षों में कंपनी को अब तक देय धनवापसी को समायोजित किया है, जिसकी राशि ₹ 5003975 हजार (₹ 4850674 हजार)

Note :

- Statutory Demands/Liabilities in dispute, not provided for does not include penalty, if any applicable.
- The Income Tax Authorities have adjusted, over the years, the refund due till date to the Company amounting to ₹ 5003975 thousands (₹ 4850674 thousands)

वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 1 - अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए /
SCHEDULE - 1 - PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | | समुद्री / Marine | | विविध / Misc. | | कुल / Total | |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year |
| | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business Written | 18825406 | 18434801 | 4363405 | 3747916 | 153254240 | 135039770 | 176443051 | 157222487 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Premium on Reinsurance accepted | 2227617 | 2544589 | 47540 | 101015 | 425003 | 626062 | 2700160 | 3271666 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Premium on Reinsurance Ceded | 11966866 | 10527842 | 2235455 | 1526201 | 10972515 | 14073584 | 25174836 | 26127627 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 9086157 | 10451548 | 2175490 | 2322730 | 142706728 | 121592248 | 153968375 | 134366526 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -880950 | -1353978 | 92341 | -293636 | -1736906 | 4237089 | -2525515 | 2589475 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 8205207 | 9097570 | 2267831 | 2029094 | 140969822 | 125829337 | 151442860 | 136956001 |

अनुसूची - 2 - उपगत दावे (शुद्ध) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए SCHEDULE - 2 - CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | | समुद्री / Marine | | विविध / Misc. | | कुल / Total | |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year |
| | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 9289209 | 8272624 | 3942437 | 2262217 | 137822493 | 132487744 | 151054139 | 143022585 |
| जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 387314 | 1699183 | 10584 | 82946 | 274449 | 317947 | 672347 | 2100076 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance ceded | 3092351 | 3436382 | 2587863 | 1058311 | 11292438 | 13095560 | 16972652 | 17590253 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 6584172 | 6535425 | 1365158 | 1286852 | 126804504 | 119710131 | 134753834 | 127532408 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष Add: Claims Outstanding - Closing - Direct | 25887244 | 26296290 | 9155289 | 11680036 | 256915338 | 252118469 | 291957871 | 290094795 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted | 2311386 | 3483096 | 170623 | 140652 | 863867 | 1061726 | 3345876 | 4685474 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा Less: Claims outstanding - Closing - RI Ceded | 13901121 | 14633600 | 5931625 | 8402975 | 26721072 | 28849763 | 46553818 | 51886338 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध Add: Claims Outstanding - Closing - Net | 14297509 | 15145786 | 3394287 | 3417713 | 231058133 | 224330432 | 248749929 | 242893931 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 26296290 | 30315116 | 11680036 | 8581367 | 252118469 | 244563793 | 290094795 | 283460276 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 3483096 | 4452408 | 140652 | 177148 | 1061726 | 1211023 | 4685474 | 5840579 |
| जोड़े : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 14633600 | 18406071 | 8402975 | 5849710 | 28849763 | 29618894 | 51886338 | 53874675 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - शुद्ध Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net | 15145786 | 16361453 | 3417713 | 2908805 | 224330432 | 216155922 | 242893931 | 235426180 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 5735895 | 5319758 | 1341732 | 1795760 | 133532205 | 127884641 | 140609832 | 135000159 |

अनुसूची - 3 - कमीशन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए SCHEDULE - 3 - COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | | समुद्री / Marine | | विविध / Misc. | | कुल / Total | |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year |
| | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अदा किये गये कमीशने / COMMISSION PAID | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 1781009 | 1742324 | 316368 | 299934 | 10321385 | 8530170 | 12418762 | 10572428 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 1781009 | 1742324 | 316368 | 299934 | 10321385 | 8530170 | 12418762 | 10572428 |
| जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन Add: Commission on Reinsurance Accepted | 288623 | 330696 | 10816 | 17030 | 84275 | 121212 | 383714 | 468938 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Reinsurance Ceded | 1098129 | 809864 | 60217 | 54113 | 1032210 | 1152488 | 2190556 | 2016465 |
| कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net) | 971503 | 1263156 | 266967 | 262851 | 9373450 | 7498894 | 10611920 | 9024901 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय (सकल) का विवरण / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | | | | | | | |
| एजेंट्स / Agents | 703318 | 689880 | 182401 | 175768 | 7467030 | 6128196 | 8352749 | 6993844 |
| दलाल / Brokers | 1009350 | 980482 | 133820 | 124022 | 2387000 | 1911888 | 3530170 | 3016392 |
| निगमिय एजेंसी / Corporate Agency | 68341 | 71962 | 147 | 144 | 467355 | 490086 | 535843 | 562192 |
| अन्य / Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 1781009 | 1742324 | 316368 | 299934 | 10321385 | 8530170 | 12418762 | 10572428 |

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

**अनुसूची - 4 - बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालन खर्च 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
SCHEDULE - 4 - OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023**

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | | समुद्री / Marine | | विविध / Misc. | | कुल / Total | |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year |
| | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) |
| कर्मचारियों का वेतन और कल्याण हित Employees' remuneration and Welfare benefits | 6719001 | 4740268 | 1057305 | 652463 | 49068036 | 30654934 | 56844342 | 36047665 |
| यात्रा, परिवहन और वाहन खर्च Travel, conveyance and vehicle running expenses | 41788 | 33103 | 6576 | 4556 | 305172 | 214074 | 353536 | 251733 |
| प्रशिक्षण खर्च Training Expenses | 2679 | 867 | 422 | 120 | 19563 | 5605 | 22664 | 6592 |
| किराया, दरें और कर Rents, rates & taxes | 144516 | 154774 | 22741 | 21303 | 1055383 | 1000915 | 1222640 | 1176992 |
| मरम्मत / Repairs | 15655 | 14968 | 2464 | 2060 | 114324 | 96796 | 132443 | 113824 |
| मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and Stationery | 19511 | 20481 | 3070 | 2819 | 142490 | 132447 | 165071 | 155747 |
| संचार / Communication | 25867 | 32336 | 4071 | 4451 | 188906 | 209111 | 218844 | 245898 |
| विधि और व्यवसायिक प्रभार Legal and Professional charges | 12946 | 11891 | 2037 | 1637 | 94546 | 76898 | 109529 | 90426 |
| लेखा परीक्षक के शुल्क, खर्च आदि Auditors' fees, expenses etc. | | | | | | | | |
| अ) लेखापरीक्षक के रूप में (a) as auditor | 4892 | 6159 | 770 | 848 | 35723 | 39834 | 41385 | 46841 |
| आ) सलाहकार के रूप में या अन्य किसी हैसियत में (b) as advisor or in any other capacity, in respect of | | | | | | | | |
| (i) कर संबंधित मामले (i) Taxation matters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ii) बीमा मामले (ii) Insurance matters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (iii) प्रबंधन सेवाएँ तथा (iii) Management services; and | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| इ) अन्य किसी हैसियत (c) Any other capacity | 252 | 269 | 39 | 37 | 1842 | 1743 | 2133 | 2049 |
| विज्ञापन और जन संचारण Advertisement and publicity | 5028 | -178 | 792 | -25 | 36717 | -1153 | 42537 | -1356 |
| ब्याज और बैंक प्रभार Interest and Bank Charges | 38302 | 40276 | 6027 | 5544 | 279710 | 260461 | 324039 | 306281 |
| मूल्यहास / Depreciation | 106606 | 51720 | 16775 | 7118 | 778532 | 334467 | 901913 | 393305 |
| प्रीमियम खाते पर सेवा कर Service Tax on Premium A/c | 0 | 620 | 0 | 86 | 0 | 4010 | 0 | 4716 |
| बहिष्कृत व्यय Outsourcing Expenses | 37858 | 29852 | 5957 | 4109 | 276469 | 193049 | 320284 | 227010 |
| यूमेक्स व्यय / UMX Exp. | 86847 | 97632 | 13666 | 13438 | 634237 | 631377 | 734750 | 742447 |
| अन्य / Others | 84189 | 79584 | 33106 | 37334 | 1523367 | 1482211 | 1640662 | 1599129 |
| कुल / TOTAL | 7345937 | 5314622 | 1175818 | 757898 | 54555017 | 35336779 | 63076772 | 41409299 |

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

अनुसूची - 5 - 31 मार्च 2023 को शेयर पूँजी
SCHEDULE - 5 - SHARE CAPITAL AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष Previous Year 31-03-2022 |
|--|---|--|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अधिकृत पूँजी Authorised Capital 7500000000 साम्यांश शेयर प्रत्येक ₹ 10/- का 7500000000 Equity Shares of ₹ 10/- each | 75000000 | 50000000 |
| निर्गमित पूँजी Issued Capital 3905000000 साम्यांश शेयर प्रत्येक ₹ 10/- का 3905000000 Equity Shares of ₹ 10/- each | 39050000 | 39050000 |
| अभिदत्त पूँजी Subscribed Capital 3905000000 साम्यांश शेयर प्रत्येक ₹ 10/- का 3905000000 Equity Shares of ₹ 10/- each | 39050000 | 39050000 |
| माँग पूँजी Called up Capital 3905000000 साम्यांश शेयर प्रत्येक ₹ 10/- का 3905000000 Equity Shares of ₹ 10/- each | 39050000 | 39050000 |
| घटाएँ : अप्रदत्त माँग Less : Calls unpaid | 0 | 0 |
| जोड़ें : जब्त साम्यांश शेयर (मूलतः प्रदत्त राशि) Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up) | 0 | 0 |
| घटाएँ : सम मूल्य साम्यांश शेयरों की वापसी खरीद Less : Par Value of Equity Shares bought back | 0 | 0 |
| घटाएँ : प्रारंभिक खर्च Less : Preliminary Expenses | 0 | 0 |
| घटाएँ : खर्च में बीमालेखन या शेयरों के अंशदान पर कमीशन या दलाल कमीशन शामिल है Less : Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares | 0 | 0 |
| कुल / TOTAL | 39050000 | 39050000 |

अनुसूची - 5अ - शेयरधारण का प्रतिमान (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित) 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए
SCHEDULE - 5A - PATTERN OF SHARE HOLDING [As certified by the Management] FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | शेयरों की संख्या No. of Shares | आधिपत्य % % of Holding | शेयरों की संख्या No. of Shares | आधिपत्य % % of Holding |
| संवर्धक / Promoters | | | | |
| भारतीय / Indian | | | | |
| भारत सरकार / Government of India | 3904999970 | 100% | 3904999970 | 100% |
| भारत सरकार के मनोनीत सदस्य Nominees of Govt. of India | 30 | 0% | 30 | 0% |
| कुल / Total | 3905000000 | | 3905000000 | |

**अनुसूची - 6 - 31 मार्च 2023 को आरक्षितियाँ तथा अधिशेष
SCHEDULE - 6 - RESERVES & SURPLUS AS AT 31ST MARCH 2023**

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|--|--|---------------------------------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| पूँजी आरक्षित / Capital Reserve | 13589 | 13589 |
| पूँजी परिशोधन आरक्षित / Capital Redemption Reserve | 0 | 0 |
| शेयर प्रीमियम / Share Premium | 0 | 0 |
| सामान्य आरक्षित (वर्ष के आरंभ में) / General Reserve (Opening) | 0 | 2157015 |
| जोड़ें: निर्बाध रिजर्व / Add: Free Reserve | 1125000 | 0 |
| घटाएँ : लाभ और हानि खाते से अंतरित / Less: Transfer from Profit & Loss Account | 1125000 | 2157015 |
| वर्ष के अंत में शेष / Closing Balance | 0 | 0 |
| महाविपत्ति आरक्षित / Catastrophe Reserve | 0 | 0 |
| अन्य आरक्षितियाँ - निवेश आरक्षित Other Reserves - Investment Reserve | 8627 | 8628 |
| वर्ष के आरंभ में विदेशी मुद्रा संप्रेषित आरक्षित / Foreign Currency Translation Reserve - Opening Balance | 178045 | 170649 |
| वर्ष के दौरान जोड़ें/घटाएँ/ Addition/Withdrawal during the year | 20955 | 7396 |
| विदेशी मुद्रा अनुवाद आरक्षित-वर्ष के अंत में शेष Foreign Currency Translation Reserve - Closing Balance | 199000 | 178045 |
| ऋण पत्र मोचन आरक्षित / Debenture Redemption Reserve | 0 | 1125000 |
| लाभ और हानि खाते में शेष लाभ / Balance of Profit in Profit & Loss Account | 0 | 0 |
| कुल / TOTAL | 221216 | 1325262 |

**अनुसूची - 6ए - 31 मार्च 2023 को लाभ और हाने खाते में डेबिट बैलेंस
SCHEDULE - 6A - DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT AS AT 31ST MARCH 2023**

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|---|--|---------------------------------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| Opening Balance / वर्ष के आरंभ में शेष | 19423447 | 0 |
| Add: Loss of Current Year / चालू वर्ष का हानि | 27168287 | 19423447 |
| वर्ष के अंत में शेष / Closing Balance | 46591734 | 19423447 |

**अनुसूची - 7 - 31 मार्च 2023 को उधार
SCHEDULE - 7 - BORROWINGS AS AT 31ST MARCH 2023**

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|---|--|---------------------------------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| ऋण पत्र / बाण्ड / Debentures / Bonds | 0 | 9000000 |
| बैंक / Banks | 0 | 0 |
| वित्तीय संस्थायें / Financial Institutions | 0 | 0 |
| अन्य (विवरणानुसार) / Others (to be specified) | 0 | 0 |
| कुल / TOTAL | 0 | 9000000 |

अनुसूची - 8 - 31 मार्च 2023 को निवेश (अंशधारी निधि)
SCHEDULE - 8 (Shareholders' Funds) As On 31ST MARCH 2023

| विवरण / Investments | 31-03-2023 | | 31-03-2022 | |
|--|------------|----------|------------|-----------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) |
| दीर्घकालीन निवेश / Long Term Investment | | | | |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी प्रत्याभूत बाण्ड जिसमें सरकारी हुण्डी भी शामिल है / Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills | | 0 | | 10662420 |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities | | 0 | | 0 |
| अन्य निवेश / Other Investments | | | | |
| a) शेयर / Shares | 0 | | 0 | |
| aa) साम्यांश / Equity | 0 | | 5423924 | |
| ab) अधिमान / Preference | 0 | | 0 | |
| b) म्यूचुअल फण्ड / Mutual Funds | 0 | | 0 | |
| c) व्युत्पन्न दस्तावेज / Derivative Instruments | 0 | | 0 | |
| d) ऋणपत्र तथा बाण्ड / Debentures and Bonds | 0 | | 875029 | |
| e) अन्य प्रतिभूतियाँ / Other Securities | 0 | | 0 | |
| f) नियंत्रित कंपनी / Subsidiaries | 0 | | 0 | |
| g) निवेश परिसंपत्तियाँ - संपदा / Investment Properties-Real Estates | 0 | | 0 | |
| | | 0 | | 6298953 |
| आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश / Invst in Infra and Social Sector | 0 | 0 | 3452879 | 3452879 |
| गैर अनुमोदित निवेश / Other than Approved Investments | 0 | 0 | 1330105 | 1330105 |
| उप कुल / SUB-TOTAL | | 0 | | 21744357 |
| अल्पकालीन निवेश / Short Term Investment | | | | |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी प्रत्याभूत बाण्ड जिसमें सरकारी हुण्डी भी शामिल है / Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills | | 0 | | 445837 |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities | | 0 | | 0 |

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 8 - 31 मार्च 2023 को निवेश (अंशधारी निधि)
SCHEDULE - 8 (Shareholders' Funds) As On 31ST MARCH 2023

| विवरण / Investments | 31-03-2023 | | 31-03-2022 | |
|--|------------|----------|------------|-----------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अन्य निवेश / Other Investments | | | | |
| a) शेयर / Shares | 0 | | 0 | |
| aa) साम्यांश / Equity | 0 | | 0 | |
| ab) अधिमान / Preference | 0 | | 0 | |
| b) म्यूचुअल फण्ड / Mutual Funds | 0 | | 372438 | |
| c) व्युत्पन्न दस्तावेज / Derivative Instruments | 0 | | 0 | |
| d) ऋणपत्र तथा बाण्ड / Debentures and Bonds | 0 | | 371796 | |
| e) अन्य प्रतिभूतियाँ / Other Securities | 0 | | 0 | |
| f) नियंत्रित कंपनी / Subsidiaries | 0 | | 0 | |
| g) निवेश परिसंपत्तियाँ - संपदा / Investment Properties-Real Estates | 0 | | 0 | |
| | | 0 | | 744234 |
| आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश / Invnt in Infra and Social Sector | 0 | 0 | 401627 | 401627 |
| गैर अनुमोदित निवेश / Other than Approved Investments | 0 | 0 | 32600 | 32600 |
| उप कुल / SUB-TOTAL | | 0 | | 1624298 |
| कुल / TOTAL | | 0 | | 23368655 |
| गैर अंकित साम्यांश प्रतिभूतियाँ एवं व्युत्पन्न दस्तावेजों के अलावा कंपनी का सम्पूर्ण निवेश / Aggregate amount of Company's Investment other than listed equity securities and derivative instruments | | | | |
| खाता मूल्य / Book Value | | 0 | | 16300472 |
| बाजार मूल्य / Market Value | | 0 | | 16269877 |

 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 8ए - 31 मार्च 2023 को निवेश (पालिसीधारकों की निधि)
SCHEDULE - 8A (Policyholders' Funds) As On 31ST MARCH 2023

| विवरण / Investments | 31-03-2023 | | 31-03-2022 | |
|---|------------|------------------|------------|------------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) |
| दीर्घकालीन निवेश / Long Term Investment | | | | |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी प्रत्याभूत बाण्ड जिसमें सरकारी हुण्डी भी शामिल है / Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills | | 166819299 | | 152871631 |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities | | 0 | | 0 |
| अन्य निवेश / Other Investments | | | | |
| a) शेयर / Shares | | 0 | | 0 |
| aa) साम्यांश / Equity | 82457065 | | 77765100 | |
| ab) अधिमान / Preference | | 0 | | 0 |
| b) म्यूचुअल फण्ड / Mutual Funds | | 0 | | 0 |
| c) व्युत्पन्न दस्तावेज / Derivative Instruments | | 0 | | 0 |
| d) ऋणपत्र तथा बाण्ड / Debentures and Bonds | 11718802 | | 12545665 | |
| e) अन्य प्रतिभूतियाँ / Other Securities | | 0 | | 0 |
| f) नियंत्रित कंपनी / Subsidiaries | | 0 | | 0 |
| g) निवेश परिसंपत्तियाँ - संपदा / Investment Properties-Real Estates | | 0 | | 0 |
| | | 94175867 | | 90310765 |
| आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश / Invst in Infra and Social Sector | 57292460 | 57292460 | 49505392 | 49505392 |
| गैर अनुमोदित निवेश / Other than Approved Investments | 13717677 | 13717677 | 19070279 | 19070279 |
| उप कुल / SUB-TOTAL | | 332005303 | | 311758067 |
| अल्पकालीन निवेश / Short Term Investment | | | | |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी प्रत्याभूत बाण्ड जिसमें सरकारी हुण्डी भी शामिल है / Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills | | 5725711 | | 6392149 |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities | | 0 | | 0 |

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

**अनुसूची - 8ए - 31 मार्च 2023 को निवेश (पालिसीधारकों की निधि)
SCHEDULE - 8A - (Policyholders' Funds) As On 31ST MARCH 2023**

| विवरण / Investments | 31-03-2023 | | 31-03-2022 | |
|--|------------|------------------|------------|------------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अन्य निवेश / Other Investments | | | | |
| a) शेयर / Shares | 0 | | 0 | |
| aa) साम्यांश / Equity | 0 | | 0 | |
| ab) अधिमान / Preference | 0 | | 0 | |
| b) म्यूचुअल फण्ड / Mutual Funds | 7457229 | | 5339793 | |
| c) व्युत्पन्न दस्तावेज / Derivative Instruments | 0 | | 0 | |
| d) ऋणपत्र तथा बाण्ड / Debentures and Bonds | 2640881 | | 5330590 | |
| e) अन्य प्रतिभूतियाँ / Other Securities | 0 | | 0 | |
| f) नियंत्रित कंपनी / Subsidiaries | 0 | | 0 | |
| g) निवेश परिसंपत्तियाँ - संपदा / Investment Properties-Real Estates | 0 | | 0 | |
| | | 10098110 | | 10670383 |
| आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश / Invnt in Infra and Social Sector | 6958738 | 6958738 | 5758295 | 5758295 |
| गैर अनुमोदित निवेश / Other than Approved Investments | 0 | 0 | 467400 | 467400 |
| उप कुल / SUB-TOTAL | | 22782559 | | 23288227 |
| कुल / TOTAL | | 354787862 | | 335046294 |
| गैर अंकित साम्यांश प्रतिभूतियाँ एवं व्युत्पन्न दस्तावेजों के अलावा कंपनी का सम्पूर्ण निवेश / Aggregate amount of Company's Investment other than listed equity securities and derivative instruments | | | | |
| खाता मूल्य / Book Value | | 242937170 | | 233706768 |
| बाजार मूल्य / Market Value | | 234884529 | | 233268111 |

नोट : Note:

- 1) *स्वीकृत निवेश के अलावा अन्य में ₹ 1610396 हजार (दीर्घावधि) और शून्य (अल्पावधि) और आवास में निवेश (शून्य) के बुनियादी ढांचे के निवेश शामिल हैं।
*Other than Approved Investments comprises of Infrastructure Investments of ₹ 1610396 Thousands (Long Term) & Nil (Short Term) and Investments in Housing (NIL)"

- 2) **चालू वर्ष के लिए स्वीकृत निवेश के अलावा अन्य में शामिल हैं: / ** Other than Approved Investment for the year includes:

A. सहायक कंपनियाँ / Subsidiaries:

- (1) जेनिथ सिक्योरिटीज लिमिटेड - ₹ 762 हजार (पिछला वर्ष - ₹ 762 हजारों) /
Zenith Securities Limited - ₹ 762 thousands (Previous Year - ₹ 762 thousands)

B. सहयोगी कंपनियाँ / Associate Companies:

- (2) स्वास्थ्य बीमा टीपीए लिमिटेड - ₹ 197933 हजारों (पिछले वर्ष - ₹ 197933 हजारों) /
Health Insurance TPA Ltd - ₹ 197933 Thousands (Previous Year - ₹ 197933 Thousands)
- (3) भारत अंतर्राष्ट्रीय बीमा - ₹ 18276 हजार (पिछला वर्ष - ₹ 18276 हजारों) /
India International Insurance - ₹ 18276 Thousands (Previous Year - ₹ 18276 Thousands)
- (4) केन इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - ₹ 7337 हजारों (पिछले वर्ष - ₹ 7337 हजारों) /
Ken India Insurance Co Ltd - ₹ 7337 Thousands (Previous Year - ₹ 7337 Thousands)

अनुसूची - 9 - 31 मार्च 2023 को ऋण / SCHEDULE - 9 - LOANS AS AT 31ST MARCH 2023

| SL NO | विवरण / Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|-------|---|----------------|----------------|
| | | (₹ '000) | (₹ '000) |
| 1 | प्रतिभूति के आधार पर वर्गीकरण / SECURITY-WISE CLASSIFICATION | | |
| | प्रतिभूति / Secured | | |
| | (अ) संपत्ति के बन्धक पर | | |
| | (a) On mortgage of property | | |
| | (अअ) भारत में / (aa) In India | 1750709 | 1539088 |
| | (अआ) भारत के बाहर / (ab) Outside India | 0 | 0 |
| | (आ) शेयर, बाण्ड, सरकार की प्रतिभूतियों में / (b) On Shares, Bonds, Govt. Securities | 0 | 0 |
| | (इ) अन्य (सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण) / (c) Others (Govt Guaranteed Loans) | 216626 | 297341 |
| | अप्रतिभूत / Unsecured | 113961 | 113961 |
| | कुल / TOTAL | 2081296 | 1950390 |
| 2 | ऋणकर्ता के आधार पर वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION | | |
| | (अ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें / (a) Central and State Governments | 216626 | 297341 |
| | (आ) बैंक तथा वित्तीय संस्थायें / (b) Banks and Financial Institutions | 0 | 0 |
| | (इ) नियंत्रित कंपनी / (c) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | (ई) औद्योगिक उपक्रम / (d) Industrial Undertakings | 150638 | 155823 |
| | (उ) हड्को को ऋण / (e) Loans to HUDCO | 0 | 0 |
| | (ऊ) अन्य-कर्मचारी आवास ऋण / (f) Others-Employees Housing Loan | 1714032 | 1497226 |
| | कुल / TOTAL | 2081296 | 1950390 |
| 3 | निष्पादन के आधार पर वर्गीकरण / PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION | | |
| | (अ) मानक ऋण / (a) Loan classified as standard | | |
| | (अअ) भारत में / (aa) In India | 1915800 | 1784217 |
| | (अआ) भारत के बाहर / (ab) Outside India | 0 | 0 |
| | (आ) गैर निष्पादन ऋण / (b) Non-Performing Loans | | |
| | (अअ) भारत में / (ba) In India | 165496 | 166173 |
| | (अआ) भारत के बाहर / (bb) Outside India | 0 | 0 |
| | कुल / TOTAL | 2081296 | 1950390 |
| 4 | परिपक्वता के आधार पर वर्गीकरण / MATURITY-WISE CLASSIFICATION | | |
| | (अ) अल्पकालीन / (a) Short - Term | 62478 | 83479 |
| | (आ) दीर्घकालीन / (b) Long - Term | 2018818 | 1866911 |
| | कुल / TOTAL | 2081296 | 1950390 |

*नोट : अनुसूची 14 में अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण के तहत गैर निष्पादन ऋण के लिए ₹150638 (गत वर्ष ₹ 150638) का प्रावधान किया गया है

*Note: Provision of ₹ 150638 thousands (Previous year ₹ 150638 thousands) against non performing loan is grouped under provision for Bad and Doubtful debts in Schedule 14.

| | चालू वर्ष | गत वर्ष | | Current Year | Previous Year |
|---|-----------|-----------|--|--------------|---------------|
| | ₹ in '000 | ₹ in '000 | | ₹ in '000 | ₹ in '000 |
| गैर निष्पादन ऋण का प्रावधान | 165496 | 166173 | Provision against non performing loans | 165496 | 166173 |
| ऋण संदिग्ध माना गया है और हानि परिसंपत्तियाँ हेतु | 165496 | 166173 | Loans considered as doubtful & loss assets | 165496 | 166173 |

‡ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ₹ 7663 हजार (₹ 7137 हजार) का प्रावधान किया गया है जो मानक परिसंपत्तियों का राशि ₹ 1915800 हजार (₹ 17842170 हजार) के 0.4% पर है।

Pursuant to RBI Guidelines a provision of ₹ 7663 thousands (₹ 7137 thousands) is made, being 0.4% on standard assets amounting to ₹ 1915800 thousands (₹ 1784217 thousands)

अनुसूची - 10 - 31 मार्च 2023 को स्थायी परिसम्पत्तियाँ
SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | लागत / सकल ब्लाक / COST / GROSS BLOCK | | | | मूल्यहास / DEPRECIATION | | | | शुद्ध ब्लाक / NET BLOCK | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | आरंभ में Opening | जोड़े / अंतरण Additions / Transfers | कटौती / अंतरण Deductions / Transfers | अंत में Closing | गत वर्ष तक Upto last year | वर्ष के लिए For the year | बिग्री पर/ समायोजन On Sales / Adjustments | तारीख तक To Date | वर्ष के अंत पर As at year end | गत वर्ष Previous year |
| गुडविल / Good will | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अप्रत्यक्ष / Intangibles | 1399748 | 200714 | 0 | 1600462 | 924787 | 183644 | 0 | 1108431 | 492031 | 474960 |
| संपत्ति-स्वामित्व / Land - Freehold | 131793 | 0 | 0 | 131793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131793 | 131793 |
| पट्टे की संपत्ति / Land - Leasehold | 42403 | 8846 | 0 | 51249 | 30701 | 7021 | 0 | 37722 | 13527 | 11702 |
| पट्टे की संपत्तियाँ/ Leasehold Properties | 260792 | 0 | 0 | 260792 | 79014 | 4051 | 0 | 83065 | 177727 | 181778 |
| भवन / Building | 811819 | 54079 | 0 | 865898 | 473202 | 26174 | 0 | 499376 | 366522 | 338617 |
| असबाब सज्जा सामग्री / Furniture & Fittings | 409113 | 2460 | 15571 | 396002 | 366168 | 9714 | 15103 | 360779 | 35223 | 42945 |
| सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण / Information Technology Equipment | 3825393 | 138120 | 127087 | 3836426 | 2536437 | 519239 | 124978 | 2930698 | 905728 | 1288957 |
| वाहन / Vehicles | 956961 | 158434 | 239819 | 875576 | 710057 | 126131 | 205282 | 630906 | 244670 | 246904 |
| कार्यालय उपकरण / Office Equipment | 112746 | 5054 | 10769 | 107031 | 95276 | 7105 | 9915 | 92466 | 14565 | 17469 |
| अन्य-विद्युत उपकरण / Others - Electrical Equipments | 457870 | 3941 | 14897 | 446914 | 413896 | 9273 | 14114 | 409055 | 37859 | 43974 |
| अन्य परिसंपत्तियाँ / Other Assets | 223195 | 2630 | 4194 | 221631 | 169737 | 9558 | 3869 | 175426 | 46205 | 53458 |
| कुल / Total | 8631833 | 574278 | 412337 | 8793774 | 5799275 | 901910 | 373261 | 6327924 | 2465850 | 2832557 |
| चालू कार्य / Work-in-progress | 1666329 | 379634 | 108589 | 1937374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937374 | 1666329 |
| कुल योग / Grand Total | 10298162 | 953912 | 520926 | 10731148 | 5799275 | 901910 | 373261 | 6327924 | 4403224 | 4498886 |
| गत वर्ष / Previous Year | 8302198 | 2349567 | 353604 | 10298162 | 5721389 | 393305 | 315418 | 5799276 | 4498886 | |

अनुसूची - 11 - मार्च 2023 को नकद एवं बैंक शेष
SCHEDULE - 11 CASH AND BANK BALANCES AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| नकद (चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प को मिलाकर) / Cash (including cheques, drafts and stamps) | 508567 | 622524 |
| बैंक शेष / Bank Balances | | |
| जमा खाते / Deposits Accounts | | |
| अल्पकालीन (12 महीने के अंदर देय) / Short-term (due within 12 months) | 9931072 | 16745058 |
| अन्य / Others | | |
| चालू खाते / Current Accounts | 11550554 | 6414130 |
| अन्य - मार्गस्थ प्रेषणाएँ / Others - Remittance in transit | 0 | 0 |
| संक्षिप्त नोटिस और माँगे जानेवाली राशि / Money at Call and Short Notice | 0 | 0 |
| अन्य संस्थान के साथ / With other Institutions | 0 | 2898832 |
| कुल / TOTAL | 21990193 | 26680544 |
| बैंक शेष में गैर राष्ट्रीकृत बैंकों के साथ का शेष सम्मिलित है Balances with Non-Scheduled Banks included in Bank Balances | 4109 | 6856 |

अनुसूची - 12 - 31 मार्च 2023 को अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियाँ SCHEDULE - 12 ADVANCES AND OTHER ASSETS AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अग्रिम / ADVANCES | | |
| अर्पणकारी कंपनियों के पास आरक्षित जमा / Reserve Deposits with ceding companies | 17939941 | 15271509 |
| पूर्व अदायगी / Prepayments | 223311 | 216278 |
| निदेशकों / अधिकारियों को अग्रिम / Advance to Directors/Officers | 4719 | 5074 |
| अग्रिम कर भुगतान और स्रोत पर काटा गया कर (कर के लिये शुद्ध प्रावधान) / Advance tax paid and Taxes Deducted at Source (Net of provision for taxation) | 1787222 | 1877441 |
| अन्य / Others | | |
| कर्मचारी अग्रिम और ऋण (₹ 599 संदिग्ध माना गया) / Staff Advances and Loans (₹ 599 considered doubtful) | 149801 | 168268 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 20104994 | 17538570 |
| अन्य परिसम्पत्तियाँ / OTHER ASSETS | | |
| निवेश से उपार्जित आय / Income accrued on investments | 5413410 | 6175434 |
| बकाया प्रीमियम (₹ 228 संदिग्ध माना गया) / Outstanding Premiums (₹ 228 considered doubtful) | 433106 | 318210 |
| अन्य संस्थाओं के कारण बीमा कारोबार (पुनर्बीमा सहित) को लेकर (₹ 893516 रुपये संदिग्ध माना गया) / Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) (₹ 893516 considered doubtful) | 20697202 | 20579250 |
| अन्य / Others | | |
| जमा, अग्रिम और अन्य लेखा (₹ 1383477 संदिग्ध माना गया) / Deposits, Advances & Other Accounts (₹ 1383477 considered doubtful) | 12624128 | 14508554 |
| अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustments (Net) | -378 | -989 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 39167468 | 41580459 |
| कुल (अ + आ) / TOTAL (A+B) | 59272462 | 59119029 |

अनुसूची - 13 - 31 मार्च 2023 को चालू देयताएँ SCHEDULE - 13 CURRENT LIABILITIES AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|------------------|------------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अभिकर्ताओं के शेष / Agents' Balances | 1700472 | 1316223 |
| अन्य बीमा कंपनियों को देय राशि / Balances due to other insurance companies | 17297811 | 18334482 |
| अर्पित पुनर्बीमा पर जमा राशि / Deposits held on re-insurance ceded | 0 | 0 |
| अग्रिम प्राप्त प्रीमियम / Premiums received in advance | 4536118 | 6161364 |
| विविध लेनदार / Sundry Creditors | 53816473 | 38658157 |
| बकाया दाव / Claims Outstanding | 248749929 | 242893931 |
| अन्य / Others | | |
| भूतपूर्व शेयरधारकों की निधि / Former Share Holders Fund | 1330 | 1330 |
| अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustments (Net) | 0 | 0 |
| पालिसीधारकों की अदावित राशि / Unclaimed Amount of Policy Holders | 737743 | 797119 |
| कुल / TOTAL | 326839876 | 308162606 |

अनुसूची - 14 - 31 मार्च 2023 को प्रावधान / SCHEDULE - 14 PROVISIONS AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| असमाप्त जोखिमों के लिये आरक्षित / Reserve for Unexpired Risk | 71059942 | 68534427 |
| कर के लिए (घटाएँ अग्रिम कर भुगतान किया और स्रोत में घटाए गए कर) / For taxation (less advance tax paid and taxes deducted at source) | 0 | 0 |
| सक्रिय रूप से न व्यापारित साम्यांश के अवमूल्यन हेतु प्रावधान / Provision for diminution in value of other than actively traded Equities | 765021 | 999216 |
| ग्रुप मेडिकलेम पालिसी के लिए प्रावधान / Provision for Group Mediclaim Policy | 126140 | 45000 |
| अवकाश का नकदीकरण हेतु / For Leave Encashment | 4918339 | 2850513 |
| कर्मचारी अल्पकालीन सुविधा के लिए प्रावधान / Provision for Employee Short term Benefits | 132500 | 67500 |
| चिकित्सा छुट्टी के लिए प्रावधान / Provision for Sick Leave | 0 | 94557 |
| ऋण, निवेश और अन्य परिसम्पत्तियों हेतु / For Loans, Investments and Other Assets | 9230224 | 8294487 |
| कुल / TOTAL | 86232166 | 80885700 |

**अनुसूची - 15 - 31 मार्च 2023 को विविध खर्च
((जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)
SCHEDULE - 15 MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)
AS AT 31ST MARCH 2023**

| विवरण / Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|------------|------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| शेयर/ऋण पत्र के जारी में प्रदान की गयी छूट / Discount Allowed in issue of shares/debentures | 0 | 0 |
| अन्य (विवरणानुसार) / Others (to be specified) | 0 | 0 |
| कुल / TOTAL | 0 | 0 |

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये मदवार विभाजन रिपोर्ट

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष प्राप्त कारोबार / Direct Business Written | 18825406 | 18434801 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted | 2227617 | 2544589 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded | 11966866 | 10527842 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 9086157 | 10451548 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -880950 | -1353978 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 8205207 | 9097570 |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 9289209 | 8272624 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 387314 | 1699183 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 3092351 | 3436382 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 6584172 | 6535425 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct | 25887244 | 26296290 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted | 2311386 | 3483096 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding - Closing - RI Ceded | 13901121 | 14633600 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding Closing - Net | 14297509 | 15145786 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 26296290 | 30315116 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 3483096 | 4452408 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 14633600 | 18406071 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे शुद्ध / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - Net | 15145786 | 16361453 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 5735895 | 5319758 |
| अदा किये गये कमीशन / COMMISSION PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 1781009 | 1742324 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 1781009 | 1742324 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 288623 | 330696 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 1098129 | 809864 |
| कमीशन (शुद्ध) / COMMISSION (NET) | 971503 | 1263156 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय (सकल) का विवरण / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेंट / Agents | 703318 | 689880 |
| दलाल / Brokers | 1009350 | 980482 |
| निगमिय एजेंसी / Corporate Agency | 68341 | 71962 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 1781009 | 1742324 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(₹ '000)

| समुद्री नौभार / Marine Cargo | | समुद्री पोत / Marine Hull | | कुल समुद्री / Marine Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 1878374 | 1995626 | 2485031 | 1752290 | 4363405 | 3747916 |
| 33523 | 16469 | 14017 | 84546 | 47540 | 101015 |
| 469768 | 523046 | 1765687 | 1003155 | 2235455 | 1526201 |
| 1442129 | 1489049 | 733361 | 833681 | 2175490 | 2322730 |
| 173890 | -118196 | -81549 | -175440 | 92341 | -293636 |
| 1616019 | 1370853 | 651812 | 658241 | 2267831 | 2029094 |
| 2086948 | 1243704 | 1855489 | 1018513 | 3942437 | 2262217 |
| 15015 | 12871 | -4431 | 70075 | 10584 | 82946 |
| 987638 | 375110 | 1600225 | 683201 | 2587863 | 1058311 |
| 1114325 | 881465 | 250833 | 405387 | 1365158 | 1286852 |
| 2837282 | 4031093 | 6318007 | 7648943 | 9155289 | 11680036 |
| 31529 | 31245 | 139094 | 109407 | 170623 | 140652 |
| 1365469 | 2201786 | 4566156 | 6201189 | 5931625 | 8402975 |
| 1503342 | 1860552 | 1890945 | 1557161 | 3394287 | 3417713 |
| 4031093 | 4490005 | 7648943 | 4091362 | 11680036 | 8581367 |
| 31245 | 31664 | 109407 | 145484 | 140652 | 177148 |
| 2201786 | 2872638 | 6201189 | 2977072 | 8402975 | 5849710 |
| 1860552 | 1649031 | 1557161 | 1259774 | 3417713 | 2908805 |
| 757115 | 1092986 | 584617 | 702774 | 1341732 | 1795760 |
| 273795 | 260297 | 42573 | 39637 | 316368 | 299934 |
| 273795 | 260297 | 42573 | 39637 | 316368 | 299934 |
| 7584 | 3933 | 3232 | 13097 | 10816 | 17030 |
| 13094 | 17747 | 47123 | 36366 | 60217 | 54113 |
| 268285 | 246483 | -1318 | 16368 | 266967 | 262851 |
| 169808 | 162210 | 12593 | 13558 | 182401 | 175768 |
| 103873 | 97958 | 29947 | 26064 | 133820 | 124022 |
| 114 | 129 | 33 | 15 | 147 | 144 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273795 | 260297 | 42573 | 39637 | 316368 | 299934 |

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये मदवार विभाजन रिपोर्ट

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | मोटर निजी क्षति / Motor OD | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष प्राप्त कारोबार / Direct Business Written | 16786991 | 14126547 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded | 672462 | 723845 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 16114529 | 13402702 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -2253388 | 124051 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 13861141 | 13526753 |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 16026551 | 12809351 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 752116 | 632173 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 15274435 | 12177178 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct | 5966620 | 5319758 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted | 48201 | 31815 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding - Closing - RI Ceded | 269675 | 271424 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding Closing - Net | 5745146 | 5080149 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 5319758 | 4707407 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 31815 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 271424 | 238825 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे शुद्ध / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - Net | 5080149 | 4468582 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 15939432 | 12788745 |
| अदा किये गये कमीशन/ COMMISSION PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 3288360 | 2523699 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 3288360 | 2523699 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 100897 | 105974 |
| कमीशन (शुद्ध) / COMMISSION (NET) | 3187463 | 2417725 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय (सकल) का विवरण / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेंट / Agents | 2222162 | 1827781 |
| दलाल / Brokers | 933829 | 563184 |
| निगमिय एजेंसी / Corporate Agency | 132369 | 132734 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 3288360 | 2523699 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(₹ '000)

| मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP | | मोटर कुल / Motor Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 43065734 | 40641006 | 59852725 | 54767553 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1737697 | 2064852 | 2410159 | 2788697 |
| 41328037 | 38576154 | 57442566 | 51978856 |
| -3536785 | 1432765 | -5790173 | 1556816 |
| 37791252 | 40008919 | 51652393 | 53535672 |
| 35991729 | 23099812 | 52018280 | 35909163 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110988 | 1286064 | 2863104 | 1918237 |
| 33880741 | 21813748 | 49155176 | 33990926 |
| 210360363 | 207241179 | 216326983 | 212560937 |
| 0 | 0 | 48201 | 31815 |
| 11364685 | 11847903 | 11634360 | 12119327 |
| 198995678 | 195393276 | 204740824 | 200473425 |
| 207241179 | 187057680 | 212560937 | 191765087 |
| 0 | 756 | 31815 | 756 |
| 11847903 | 10008974 | 12119327 | 10247799 |
| 195393276 | 177049462 | 200473425 | 181518044 |
| 37483143 | 40157562 | 53422575 | 52946307 |
| 2266616 | 1538839 | 5554976 | 4062538 |
| 2266616 | 1538839 | 5554976 | 4062538 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86908 | 102443 | 187805 | 208417 |
| 2179708 | 1436396 | 5367171 | 3854121 |
| 2163054 | 1463369 | 4385216 | 3291150 |
| 99380 | 70542 | 1033209 | 633726 |
| 4182 | 4928 | 136551 | 137662 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2266616 | 1538839 | 5554976 | 4062538 |

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये मदवार विभाजन रिपोर्ट

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | कर्मकार प्रतिकर / Workmen Comp. | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष प्राप्त कारोबार / Direct Business Written | 657174 | 649411 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded | 26328 | 32477 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 630846 | 616934 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | 76002 | 3014 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 706848 | 619948 |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 170750 | 125429 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 10299 | 7485 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 160451 | 117944 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct | 839235 | 685955 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding - Closing- RI Accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding - Closing- RI Ceded | 44516 | 98761 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding Closing - Net | 794719 | 587194 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 685955 | 798174 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year- RI Accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 98761 | 43887 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे शुद्ध / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - Net | 587194 | 754287 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 367976 | -49149 |
| अदा किये गये कमीशन / COMMISSION PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 85836 | 80324 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 85836 | 80324 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 3950 | 3654 |
| कमीशन (शुद्ध) / COMMISSION (NET) | 81886 | 76670 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय (सकल) का विवरण / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेंट / Agents | 79756 | 74404 |
| दलाल / Brokers | 6230 | 6244 |
| निगमिय एजेंसी / Corporate Agency | -150 | -324 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 85836 | 80324 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(₹ '000)

| व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident | | विमानन / Aviation | | इंजीनियरिंग / Engineering | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 4344571 | 5073087 | 792230 | 1209365 | 4606763 | 4004604 |
| 21376 | 10282 | 90219 | 167417 | 172918 | 246776 |
| 1649119 | 2517746 | 840937 | 1210160 | 2197186 | 2146345 |
| 2716828 | 2565623 | 41512 | 166622 | 2582495 | 2105035 |
| 242230 | -290917 | 73550 | -14327 | -893387 | 26805 |
| 2959058 | 2274706 | 115062 | 152295 | 1689108 | 2131840 |
| 5420566 | 4793045 | 326796 | 500711 | 1882814 | 2283438 |
| 10687 | 12861 | 124003 | 95053 | 95577 | 157942 |
| 3068608 | 2938328 | 264158 | 435894 | 433752 | 989141 |
| 2362645 | 1867578 | 186641 | 159870 | 1544639 | 1452239 |
| 5477291 | 5960254 | 1916890 | 1172083 | 7901090 | 8525957 |
| 88638 | 7048 | 128332 | 243837 | 205901 | 240968 |
| 2159233 | 3143142 | 1568405 | 844805 | 5258524 | 5427394 |
| 3406696 | 2824160 | 476817 | 571115 | 2848467 | 3339531 |
| 5960253 | 6607601 | 1172083 | 2216689 | 8525957 | 10328297 |
| 7048 | 682 | 243837 | 272350 | 240968 | 489762 |
| 3143142 | 3830245 | 844805 | 1573404 | 5427394 | 6503543 |
| 2824159 | 2778038 | 571115 | 915635 | 3339531 | 4314516 |
| 2945182 | 1913700 | 92343 | -184650 | 1053575 | 477254 |
| 212866 | 216578 | 16408 | 13560 | 463567 | 421930 |
| 212866 | 216578 | 16408 | 13560 | 463567 | 421930 |
| 5019 | 0 | 34996 | 29832 | 43408 | 84038 |
| 158825 | 301953 | 26444 | 34113 | 124634 | 108728 |
| 59060 | -85375 | 24960 | 9279 | 382341 | 397240 |
| 110891 | 105369 | 1846 | 1631 | 170098 | 145063 |
| 68345 | 81567 | 14562 | 11929 | 292723 | 276056 |
| 33630 | 29642 | 0 | 0 | 746 | 811 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212866 | 216578 | 16408 | 13560 | 463567 | 421930 |

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये मदवार विभाजन रिपोर्ट

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अन्य विविध / Other Misc. | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष प्राप्त कारोबार / Direct Business Written | 4407164 | 4198564 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted | 1229 | 64967 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded | 845128 | 543133 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 3563265 | 3720398 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -2016259 | 9798 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 1547006 | 3730196 |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 2663742 | 2411351 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 39934 | 49531 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 349970 | 294709 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 2353706 | 2166173 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct | 4175531 | 3558216 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted | 202193 | 474053 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding - Closing - RI Ceded | 1055333 | 862891 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding Closing - Net | 3322391 | 3169378 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 3558216 | 3160996 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 474053 | 310198 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 862891 | 888971 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे शुद्ध / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - Net | 3169378 | 2582223 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 2506719 | 2753328 |
| अदा किये गये कमीशन / COMMISSION PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 1067263 | 737990 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 1067263 | 737990 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 553 | 5962 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 83531 | 131697 |
| कमीशन (शुद्ध) / COMMISSION (NET) | 984285 | 612255 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय (सकल) का विवरण / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेंट / Agents | 859979 | 607151 |
| दलाल / Brokers | 173701 | 93056 |
| निगमिय एजेन्सी / Corporate Agency | 33583 | 37783 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 1067263 | 737990 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(₹ '000)

| देयताये / Liability | | स्वास्थ्य व अस्पतालीकरण / Health & Hosp. | | फसल / Crop | | कुल विविध / Total Misc. | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 1683918 | 1538773 | 72482237 | 63193427 | 4427458 | 404986 | 153254240 | 135039770 |
| 139261 | 136620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425003 | 626062 |
| 474123 | 479827 | 2926645 | 4233464 | -397110 | 121735 | 10972515 | 14073584 |
| 1349056 | 1195566 | 69555592 | 58959963 | 4824568 | 283251 | 142706728 | 121592248 |
| 23055 | -120511 | 6495397 | -256428 | 52679 | 3322839 | -1736906 | 4237089 |
| 1372111 | 1075055 | 76050989 | 58703535 | 4877247 | 3606090 | 140969822 | 125829337 |
| 239102 | 326831 | 71171211 | 76158004 | 3929232 | 9979772 | 137822493 | 132487744 |
| 4248 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274449 | 317947 |
| 67458 | 64237 | 3457748 | 4340151 | 777341 | 2107378 | 11292438 | 13095560 |
| 175892 | 265154 | 67713463 | 71817853 | 3151891 | 7872394 | 126804504 | 119710131 |
| 1721491 | 1867295 | 13954399 | 13917952 | 4602428 | 3869820 | 256915338 | 252118469 |
| 115845 | 63844 | 162 | 161 | 74595 | 0 | 863867 | 1061726 |
| 152155 | 181935 | 689827 | 763043 | 4158719 | 5408465 | 26721072 | 28849763 |
| 1685181 | 1749204 | 13264734 | 13155070 | 518304 | -1538645 | 231058133 | 224330432 |
| 1867295 | 2484058 | 13917952 | 14401962 | 3869821 | 12800929 | 252118469 | 244563793 |
| 63844 | 62680 | 161 | 0 | 0 | 74595 | 1061726 | 1211023 |
| 181935 | 252516 | 763043 | 815078 | 5408465 | 5463451 | 28849763 | 29618894 |
| 1749204 | 2294222 | 13155070 | 13586884 | -1538644 | 7412073 | 224330432 | 216155922 |
| 111869 | -279864 | 67823127 | 71386039 | 5208839 | -1078324 | 133532205 | 127884641 |
| 155092 | 150980 | 2765826 | 2804458 | -449 | 41812 | 10321385 | 8530170 |
| 155092 | 150980 | 2765826 | 2804458 | -449 | 41812 | 10321385 | 8530170 |
| 299 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84275 | 121212 |
| 14553 | 13184 | 320389 | 358403 | 112079 | -7661 | 1032210 | 1152488 |
| 140838 | 139176 | 2445437 | 2446055 | -112528 | 49473 | 9373450 | 7498894 |
| 55458 | 48445 | 1803786 | 1855315 | 0 | -332 | 7467030 | 6128196 |
| 99325 | 100039 | 699354 | 667127 | -449 | 42144 | 2387000 | 1911888 |
| 309 | 2496 | 262686 | 282016 | 0 | 0 | 467355 | 490086 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155092 | 150980 | 2765826 | 2804458 | -449 | 41812 | 10321385 | 8530170 |

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 18825406 | 18434801 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 18825406 | 18434801 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 2227617 | 2544588 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 2132126 | 2498186 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 95491 | 46402 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 11966866 | 10527841 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 8603132 | 6886108 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 3363734 | 3641733 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 9086157 | 10451548 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India | 12354400 | 14046879 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत के बाहर / Net Premium - Outside India | -3268243 | -3595331 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -880950 | -1353978 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 8205207 | 9097570 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 1 - PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| समुद्री नौभार / Marine Cargo | | समुद्री पोत / Marine Hull | | कुल समुद्री / Marine Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| | | | | | |
| 1878374 | 1995626 | 2485031 | 1752290 | 4363405 | 3747916 |
| 1878374 | 1995626 | 2485031 | 1752290 | 4363405 | 3747916 |
| 33523 | 16469 | 14017 | 84546 | 47540 | 101015 |
| 10559 | 556 | 12607 | 84433 | 23166 | 84989 |
| 22964 | 15913 | 1410 | 113 | 24374 | 16026 |
| 469768 | 523046 | 1765687 | 1003155 | 2235455 | 1526201 |
| 242104 | 277125 | 382510 | 816627 | 624614 | 1093752 |
| 227664 | 245921 | 1383177 | 186528 | 1610841 | 432449 |
| 1442129 | 1489049 | 733361 | 833681 | 2175490 | 2322730 |
| 1646829 | 1719057 | 2115127 | 1020096 | 3761956 | 2739153 |
| -204700 | -230008 | -1381766 | -186415 | -1586466 | -416423 |
| 173890 | -118196 | -81549 | -175440 | 92341 | -293636 |
| 1616019 | 1370853 | 651812 | 658241 | 2267831 | 2029094 |

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | मोटर निजी क्षति / Motor OD | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 16786991 | 14126547 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 16786991 | 14126547 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 672462 | 723845 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 672462 | 715702 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 0 | 8143 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 16114529 | 13402702 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India | 16114529 | 13410844 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत के बाहर / Net Premium - Outside India | 0 | -8143 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -2253388 | 124051 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 13861141 | 13526753 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SCHEDULE - 1 - PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP | | मोटर कुल / Motor Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| | | | |
| 43065734 | 40641006 | 59852725 | 54767553 |
| 43065734 | 40641006 | 59852725 | 54767553 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1737697 | 2064852 | 2410159 | 2788697 |
| 1737697 | 2049272 | 2410159 | 2764974 |
| 0 | 15580 | 0 | 23723 |
| 41328037 | 38576154 | 57442566 | 51978856 |
| 41328037 | 38591734 | 57442566 | 52002578 |
| 0 | -15580 | 0 | -23723 |
| -3536785 | 1432765 | -5790173 | 1556816 |
| 37791252 | 40008919 | 51652393 | 53535672 |

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | कर्मकार प्रतिकर / Workmen Comp. | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 657174 | 649411 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 657174 | 649411 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 26328 | 32477 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 26328 | 32477 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 630846 | 616934 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India | 630846 | 616934 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत के बाहर / Net Premium - Outside India | 0 | 0 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | 76002 | 3014 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 706848 | 619948 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SCHEDULE - 1 - PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident | | विमानन / Aviation | | इंजीनियरिंग / Engineering | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| | | | | | |
| 4344571 | 5073087 | 792230 | 1209365 | 4606763 | 4004604 |
| 4344571 | 5073087 | 792230 | 1209365 | 4606763 | 4004604 |
| 21376 | 10282 | 90219 | 167417 | 172918 | 246776 |
| 0 | 40 | 100000 | 111210 | 153858 | 233336 |
| 21376 | 10242 | -9781 | 56207 | 19060 | 13440 |
| 1649119 | 2517746 | 840937 | 1210160 | 2197186 | 2146345 |
| -950594 | 979483 | 368291 | 938519 | 1304741 | 1273859 |
| 2599713 | 1538263 | 472646 | 271641 | 892445 | 872486 |
| 2716828 | 2565623 | 41512 | 166622 | 2582495 | 2105035 |
| 5295166 | 4093644 | 523938 | 382056 | 3455880 | 2964080 |
| -2578338 | -1528022 | -482426 | -215434 | -873385 | -859045 |
| 242230 | -290917 | 73550 | -14327 | -893387 | 26805 |
| 2959058 | 2274706 | 115062 | 152295 | 1689108 | 2131840 |

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अन्य विविध / Other Misc. | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 4407164 | 4198564 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 4407164 | 4198564 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 1229 | 64967 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 1228 | 46467 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 1 | 18500 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 845128 | 543133 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 511154 | 516974 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 333974 | 26159 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 3563265 | 3720398 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India | 3897239 | 3728056 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत के बाहर / Net Premium - Outside India | -333974 | -7659 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -2016259 | 9798 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 1547006 | 3730196 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 1 - PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| देयताये / Liability | | स्वास्थ्य व अस्पतालीकरण / Health & Hosp. | | फसल / Crop | | कुल विविध / Total Misc. | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| | | | | | | | |
| 1683918 | 1538773 | 72482237 | 63193427 | 4427458 | 404986 | 153254240 | 135039770 |
| 1683918 | 1538773 | 72482237 | 63193427 | 4427458 | 404986 | 153254240 | 135039770 |
| 139261 | 136620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425003 | 626062 |
| 139261 | 136620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394347 | 527673 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30656 | 98389 |
| 474123 | 479827 | 2926645 | 4233464 | -397110 | 121735 | 10972515 | 14073584 |
| 380878 | 405326 | 2926645 | 4219485 | -315985 | -100616 | 6661617 | 11030481 |
| 93245 | 74501 | 0 | 13979 | -81125 | 222351 | 4310898 | 3043103 |
| 1349056 | 1195566 | 69555592 | 58959963 | 4824568 | 283251 | 142706728 | 121592248 |
| 1442301 | 1270067 | 69555592 | 58973942 | 4743443 | 505602 | 146986971 | 124536959 |
| -93245 | -74501 | 0 | -13979 | 81125 | -222351 | -4280243 | -2944714 |
| 23055 | -120511 | 6495397 | -256428 | 52679 | 3322839 | -1736906 | 4237089 |
| 1372111 | 1075055 | 76050989 | 58703535 | 4877247 | 3606090 | 140969822 | 125829337 |

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 2 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 9289209 | 8272624 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 9289209 | 8272624 |
| प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 387314 | 1699183 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 347162 | 1673166 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 40152 | 26017 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 3092351 | 3436382 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 2125443 | 2078329 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 966908 | 1358053 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 6584172 | 6535425 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत में / Net Claims paid - In India | 7510928 | 7867461 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत के बाहर / Net Claims paid - Outside India | -926756 | -1332036 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year | 14297509 | 15145786 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - In India | 25887244 | 26296290 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct | 25887244 | 26296290 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India | 1882681 | 3127884 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India | 428705 | 355212 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted | 2311386 | 3483096 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India | 7927712 | 9802675 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India | 5973409 | 4830925 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded | 13901121 | 14633600 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net | 14297509 | 15145786 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning | 15145786 | 16361453 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India | 26296290 | 30315116 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 26296290 | 30315116 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India | 3127884 | 4263736 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India | 355212 | 188672 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 3483096 | 4452408 |
| जोड़ें : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India | 9802675 | 10719802 |
| जोड़ें : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India | 4830925 | 7686269 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 14633600 | 18406071 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net | 15145786 | 16361453 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 5735895 | 5319758 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 2 - CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| समुद्री नौभार / Marine Cargo | | समुद्री पोत / Marine Hull | | कुल समुद्री / Marine Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 2086948 | 1243704 | 1855489 | 1018513 | 3942437 | 2262217 |
| 2086948 | 1243704 | 1855489 | 1018513 | 3942437 | 2262217 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15015 | 12871 | -4431 | 70075 | 10584 | 82946 |
| -1043 | 1639 | 1490 | 70073 | 447 | 71712 |
| 16058 | 11232 | -5921 | 2 | 10137 | 11234 |
| 987638 | 375110 | 1600225 | 683200 | 2587863 | 1058310 |
| 483598 | 155293 | 881025 | 637177 | 1364623 | 792470 |
| 504040 | 219817 | 719200 | 46023 | 1223240 | 265840 |
| 1114325 | 881465 | 250833 | 405388 | 1365158 | 1286853 |
| 1602307 | 1090050 | 975954 | 451409 | 2578261 | 1541459 |
| -487982 | -208585 | -725121 | -46022 | -1213103 | -254607 |
| 1503342 | 1860552 | 1890945 | 1557161 | 3394287 | 3417713 |
| 2837282 | 4031093 | 6318007 | 7648943 | 9155289 | 11680036 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2837282 | 4031093 | 6318007 | 7648943 | 9155289 | 11680036 |
| 7134 | 7599 | 60425 | 88563 | 67559 | 96162 |
| 24395 | 23646 | 78669 | 20844 | 103064 | 44491 |
| 31529 | 31245 | 139094 | 109407 | 170623 | 140652 |
| 2223059 | 2511550 | 4603696 | 6142524 | 6826755 | 8654074 |
| -857590 | -309764 | -37540 | 58665 | -895130 | -251099 |
| 1365469 | 2201786 | 4566156 | 6201189 | 5931625 | 8402975 |
| 1503342 | 1860552 | 1890945 | 1557161 | 3394287 | 3417713 |
| 1860552 | 1649031 | 1557161 | 1259774 | 3417713 | 2908805 |
| 4031093 | 4490005 | 7648943 | 4091363 | 11680036 | 8581368 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4031093 | 4490005 | 7648943 | 4091363 | 11680036 | 8581368 |
| 7599 | 13244 | 87883 | 124645 | 95482 | 137889 |
| 23646 | 18420 | 21524 | 20839 | 45170 | 39259 |
| 31245 | 31664 | 109407 | 145484 | 140652 | 177148 |
| 2511551 | 1245168 | 6142524 | 1169217 | 8654075 | 2414385 |
| -309765 | 1627470 | 58665 | 1807855 | -251100 | 3435325 |
| 2201786 | 2872638 | 6201189 | 2977072 | 8402975 | 5849710 |
| 1860552 | 1649031 | 1557161 | 1259775 | 3417713 | 2908806 |
| 757115 | 1092986 | 584617 | 702774 | 1341732 | 1795760 |

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 2 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | मोटर निजी क्षति / Motor OD | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 16026551 | 12809351 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 16026551 | 12809351 |
| प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 752116 | 632173 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 752116 | 632173 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 15274435 | 12177178 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत में / Net Claims paid - In India | 15274435 | 12177178 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत के बाहर / Net Claims paid - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year | 5745146 | 5080149 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - In India | 5966620 | 5319758 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct | 5966620 | 5319758 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India | 48201 | 31815 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted | 48201 | 31815 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India | 269675 | 271424 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded | 269675 | 271424 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net | 5745146 | 5080149 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning | 5080149 | 4468582 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India | 5319758 | 4707407 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 5319758 | 4707407 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India | 0 | 0 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India | 31815 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 31815 | 0 |
| जोड़े : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India | 271424 | 238825 |
| जोड़े : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़े : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 271424 | 238825 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net | 5080149 | 4468582 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 15939432 | 12788745 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SCHEDULE - 2 - CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP | | मोटर कुल / Motor Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 35991729 | 23099811 | 52018280 | 35909162 |
| 35991729 | 23099811 | 52018280 | 35909162 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110988 | 1286063 | 2863104 | 1918236 |
| 2110886 | 1286063 | 2863002 | 1918236 |
| 102 | 0 | 102 | 0 |
| 33880741 | 21813748 | 49155176 | 33990926 |
| 33880844 | 21813748 | 49155279 | 33990926 |
| -103 | 0 | -103 | 0 |
| 198995678 | 195393276 | 204740824 | 200473425 |
| 210344673 | 207226643 | 216311293 | 212546401 |
| 15690 | 14536 | 15690 | 14536 |
| 210360363 | 207241179 | 216326983 | 212560937 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 48201 | 31815 |
| 0 | 0 | 48201 | 31815 |
| 11364685 | 11847903 | 11634360 | 12119327 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11364685 | 11847903 | 11634360 | 12119327 |
| 198995678 | 195393276 | 204740824 | 200473425 |
| 195393276 | 177049462 | 200473425 | 181518044 |
| 207226643 | 187043568 | 212546401 | 191750975 |
| 14536 | 14112 | 14536 | 14112 |
| 207241179 | 187057680 | 212560937 | 191765087 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 756 | 31815 | 756 |
| 0 | 756 | 31815 | 756 |
| 11847903 | 10008974 | 12119327 | 10247799 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11847903 | 10008974 | 12119327 | 10247799 |
| 195393276 | 177049462 | 200473425 | 181518044 |
| 37483143 | 40157562 | 53422575 | 52946307 |

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 2 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | कर्मकार प्रतिकर / Workmen Comp. | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 170750 | 125429 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 170750 | 125429 |
| प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 10299 | 7485 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 10299 | 7485 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 160451 | 117944 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत में / Net Claims paid - In India | 160451 | 117944 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत के बाहर / Net Claims paid - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year | 794719 | 587194 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - In India | 828775 | 676265 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - Outside India | 10460 | 9690 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct | 839235 | 685955 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India | 44516 | 98761 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded | 44516 | 98761 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net | 794719 | 587194 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning | 587194 | 754287 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India | 676265 | 788766 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India | 9690 | 9408 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 685955 | 798174 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India | 0 | 0 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 0 | 0 |
| जोड़े : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India | 98761 | 43887 |
| जोड़े : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़े : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 98761 | 43887 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net | 587194 | 754287 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 367976 | -49149 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 2 - CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident | | विमानन / Aviation | | इंजीनियरिंग / Engineering | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 5420566 | 4793045 | 326796 | 500711 | 1882814 | 2283438 |
| 5420566 | 4793045 | 326796 | 500711 | 1882814 | 2283438 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10687 | 12861 | 124003 | 95053 | 95577 | 157942 |
| 173 | 4605 | 54223 | 1471 | 81740 | 147080 |
| 10514 | 8256 | 69780 | 93582 | 13837 | 10862 |
| 3068608 | 2938328 | 264158 | 435894 | 433752 | 989141 |
| 936040 | 482058 | 226816 | 431554 | 272895 | 711368 |
| 2132568 | 2456270 | 37342 | 4340 | 160857 | 277773 |
| 2362645 | 1867578 | 186641 | 159870 | 1544639 | 1452239 |
| 4484699 | 4315591 | 154203 | 70628 | 1691658 | 1719151 |
| -2122054 | -2448014 | 32438 | 89242 | -147019 | -266912 |
| 3406696 | 2824160 | 476817 | 571115 | 2848467 | 3339531 |
| 5477291 | 5960253 | 1916890 | 1172083 | 7901090 | 8525957 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5477291 | 5960253 | 1916890 | 1172083 | 7901090 | 8525957 |
| 5163 | 5518 | 86663 | 131104 | 202537 | 238460 |
| 83475 | 1530 | 41669 | 112733 | 3364 | 2509 |
| 88638 | 7048 | 128332 | 243837 | 205901 | 240969 |
| 3086694 | 3507955 | 1398327 | 786399 | 3518821 | 3646637 |
| -927461 | -364814 | 170078 | 58406 | 1739703 | 1780758 |
| 2159233 | 3143141 | 1568405 | 844805 | 5258524 | 5427395 |
| 3406696 | 2824160 | 476817 | 571115 | 2848467 | 3339531 |
| 2824159 | 2778038 | 571115 | 915635 | 3339531 | 4314516 |
| 5960253 | 6607601 | 1172083 | 2216689 | 8525957 | 10328297 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5960253 | 6607601 | 1172083 | 2216689 | 8525957 | 10328297 |
| 5518 | 682 | 131104 | 78222 | 238459 | 338214 |
| 1530 | 0 | 112733 | 194129 | 2509 | 151549 |
| 7048 | 682 | 243837 | 272351 | 240968 | 489763 |
| 3507955 | 999609 | 786399 | 1491918 | 3646637 | 4317335 |
| -364813 | 2830636 | 58406 | 81487 | 1780757 | 2186209 |
| 3143142 | 3830245 | 844805 | 1573405 | 5427394 | 6503544 |
| 2824159 | 2778038 | 571115 | 915635 | 3339531 | 4314516 |
| 2945182 | 1913700 | 92343 | -184650 | 1053575 | 477254 |

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 2 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अन्य विविध / Other Misc. | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 2663742 | 2411351 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 2663742 | 2411351 |
| प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 39934 | 49531 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 39235 | 31462 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 699 | 18069 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 349970 | 294709 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 284254 | 209918 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 65716 | 84791 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 2353706 | 2166173 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत में / Net Claims paid - In India | 2418724 | 2232896 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत के बाहर / Net Claims paid - Outside India | -65018 | -66722 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year | 3322391 | 3169378 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - In India | 4175531 | 3558216 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct | 4175531 | 3558216 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India | 1540 | 186369 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India | 200653 | 287683 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted | 202193 | 474052 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India | 699815 | 495964 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India | 355518 | 366926 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded | 1055333 | 862890 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net | 3322391 | 3169378 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning | 3169378 | 2582223 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India | 3558216 | 3160996 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 3558216 | 3160996 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India | 186369 | 136818 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India | 287684 | 173380 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 474053 | 310198 |
| जोड़ें : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India | 499916 | 604436 |
| जोड़ें : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India | 362975 | 284535 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 862891 | 888971 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net | 3169378 | 2582223 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 2506719 | 2753328 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 2 - CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| देयताये / Liability | | स्वास्थ्य व अस्पतालीकरण / Health & Hosp. | | फसल / Crop | | कुल विविध / Total Misc. | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 239102 | 326831 | 71171211 | 76158004 | 3929232 | 9979772 | 137822493 | 132487743 |
| 239102 | 326831 | 71171211 | 76158004 | 3929232 | 9979772 | 137822493 | 132487743 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4248 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274449 | 317947 |
| 4248 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179619 | 187178 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94830 | 130769 |
| 67458 | 64237 | 3457748 | 4340151 | 777341 | 2107378 | 11292438 | 13095559 |
| 21712 | 39816 | 3649793 | 4148106 | 566427 | 2107378 | 8831238 | 10055919 |
| 45746 | 24421 | -192045 | 192045 | 210914 | 0 | 2461200 | 3039640 |
| 175892 | 265154 | 67713463 | 71817853 | 3151891 | 7872394 | 126804504 | 119710131 |
| 221638 | 289575 | 67521418 | 72009899 | 3362805 | 7872394 | 129170875 | 122619004 |
| -45746 | -24420 | 192045 | -192045 | -210914 | 0 | -2366371 | -2908871 |
| 1685181 | 1749204 | 13264734 | 13155070 | 518304 | -1538645 | 231058133 | 224330432 |
| 1721491 | 1867295 | 13954399 | 13917952 | 4602428 | 3869820 | 256889188 | 252094242 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26150 | 24226 |
| 1721491 | 1867295 | 13954399 | 13917952 | 4602428 | 3869820 | 256915338 | 252118468 |
| 115845 | 63844 | 162 | 162 | 74595 | 0 | 486505 | 625457 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377362 | 436270 |
| 115845 | 63844 | 162 | 162 | 74595 | 0 | 863867 | 1061727 |
| 149053 | 165905 | 737517 | 767238 | 2651610 | 3155831 | 23920713 | 24744017 |
| 3102 | 16030 | -47690 | -4194 | 1507109 | 2252634 | 2800359 | 4105746 |
| 152155 | 181935 | 689827 | 763044 | 4158719 | 5408465 | 26721072 | 28849763 |
| 1685181 | 1749204 | 13264734 | 13155070 | 518304 | -1538645 | 231058133 | 224330432 |
| 1749204 | 2294222 | 13155070 | 13586884 | -1538644 | 7412074 | 224330432 | 216155923 |
| 1867295 | 2484057 | 13917952 | 14401962 | 3869821 | 12800930 | 252094243 | 244540273 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24226 | 23520 |
| 1867295 | 2484057 | 13917952 | 14401962 | 3869821 | 12800930 | 252118469 | 244563793 |
| 63844 | 62680 | 161 | 0 | 0 | 74595 | 625455 | 691211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436271 | 519814 |
| 63844 | 62680 | 161 | 0 | 0 | 74595 | 1061726 | 1211025 |
| 165905 | 173447 | 767237 | 814718 | 3155831 | 2999552 | 24747968 | 21692701 |
| 16030 | 79068 | -4194 | 360 | 2252634 | 2463899 | 4101795 | 7926194 |
| 181935 | 252515 | 763043 | 815078 | 5408465 | 5463451 | 28849763 | 29618895 |
| 1749204 | 2294222 | 13155070 | 13586884 | -1538644 | 7412074 | 224330432 | 216155923 |
| 111869 | -279864 | 67823127 | 71386039 | 5208839 | -1078325 | 133532205 | 127884640 |

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची- 3 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए कमीशन
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| कमीशन / COMMISSION | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 1781009 | 1742324 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 1781009 | 1742324 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 288623 | 330695 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन - भारत में / Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India | 278498 | 321383 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India | 10125 | 9312 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 1098129 | 809863 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत में / Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India | 791276 | 543963 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India | 306853 | 265900 |
| कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net) | 971503 | 1263156 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India | 1268231 | 1519745 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत के बाहर / Commission (Net) - Outside India | -296728 | -256589 |
| व्यवसाय प्राप्त करन के लिए उपगत व्यय(सकल) का विवरण नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेंट-भारत में / Agents - In India | 703318 | 689880 |
| एजेंट / Agents | 703318 | 689880 |
| दलाल / Brokers | 1009350 | 980482 |
| निगमिय एजेन्सी / Corporate Agency | 68341 | 71962 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 1781009 | 1742324 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SCHEDULE - 3 - COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| समुद्री नौभार / Marine Cargo | | समुद्री पोत / Marine Hull | | कुल समुद्री / Marine Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 273795 | 260297 | 42573 | 39637 | 316368 | 299934 |
| 273795 | 260297 | 42573 | 39637 | 316368 | 299934 |
| 7584 | 3933 | 3232 | 13097 | 10816 | 17030 |
| 1101 | 107 | 2946 | 13046 | 4047 | 13153 |
| 6483 | 3826 | 286 | 51 | 6769 | 3877 |
| 13094 | 17747 | 47123 | 36366 | 60217 | 54113 |
| 11879 | 15454 | 18599 | 34193 | 30478 | 49647 |
| 1215 | 2293 | 28524 | 2173 | 29739 | 4466 |
| 268285 | 246483 | -1318 | 16368 | 266967 | 262851 |
| 263017 | 244949 | 26920 | 18491 | 289937 | 263440 |
| 5268 | 1534 | -28238 | -2123 | -22970 | -589 |
| 169808 | 162209 | 12593 | 13558 | 182401 | 175767 |
| 169808 | 162209 | 12593 | 13558 | 182401 | 175767 |
| 103873 | 97958 | 29947 | 26064 | 133820 | 124022 |
| 114 | 130 | 33 | 15 | 147 | 145 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273795 | 260297 | 42573 | 39637 | 316368 | 299934 |

 स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची- 3 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए कमीशन
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | मोटर निजी क्षति / Motor OD | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| कमीशन / COMMISSION | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 3288360 | 2523699 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 3288360 | 2523699 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन - भारत में / Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 100897 | 105974 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत में / Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India | 100897 | 105974 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net) | 3187463 | 2417725 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India | 3187463 | 2417725 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत के बाहर / Commission (Net) - Outside India | 0 | 0 |
| व्यवसाय प्राप्त करन के लिए उपगत व्यय(सकल) का विवरण नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेन्ट-भारत में / Agents - In India | 2222162 | 1827781 |
| एजेन्ट / Agents | 2222162 | 1827781 |
| दलाल / Brokers | 933829 | 563184 |
| निगमिय एजेन्सी / Corporate Agency | 132369 | 132734 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 3288360 | 2523699 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SCHEDULE - 3 - COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP | | मोटर कुल / Motor Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 2266616 | 1538839 | 5554976 | 4062538 |
| 2266616 | 1538839 | 5554976 | 4062538 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86908 | 102443 | 187805 | 208417 |
| 86908 | 102443 | 187805 | 208417 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2179708 | 1436396 | 5367171 | 3854121 |
| 2179708 | 1436396 | 5367171 | 3854121 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2163054 | 1463369 | 4385216 | 3291150 |
| 2163054 | 1463369 | 4385216 | 3291150 |
| 99380 | 70542 | 1033209 | 633726 |
| 4182 | 4928 | 136551 | 137662 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2266616 | 1538839 | 5554976 | 4062538 |

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची- 3 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए कमीशन
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | कर्मकार प्रतिकर / Workmen Comp. | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| कमीशन / COMMISSION | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 85836 | 80324 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 85836 | 80324 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन - भारत में / Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 3950 | 3654 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत में / Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India | 3950 | 3654 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net) | 81886 | 76670 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India | 81886 | 76670 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत के बाहर / Commission (Net) - Outside India | 0 | 0 |
| व्यवसाय प्राप्त करन के लिए उपगत व्यय(सकल) का विवरण नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेन्ट-भारत में / Agents - In India | 79756 | 74404 |
| एजेन्ट / Agents | 79756 | 74404 |
| दलाल / Brokers | 6230 | 6244 |
| निगमिय एजेन्सी / Corporate Agency | -150 | -324 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 85836 | 80324 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 3 - COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident | | विमानन / Aviation | | इंजीनियरिंग / Engineering | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 212866 | 216578 | 16408 | 13560 | 463567 | 421930 |
| 212866 | 216578 | 16408 | 13560 | 463567 | 421930 |
| 5019 | 0 | 34996 | 29832 | 43408 | 84038 |
| 0 | 0 | 25296 | 22564 | 36267 | 76499 |
| 5019 | 0 | 9700 | 7268 | 7141 | 7539 |
| 158825 | 301953 | 26444 | 34113 | 124634 | 108728 |
| 55543 | 195824 | 23291 | 33439 | 84218 | 79623 |
| 103282 | 106129 | 3153 | 674 | 40416 | 29105 |
| 59060 | -85375 | 24960 | 9279 | 382341 | 397240 |
| 157323 | 20754 | 18413 | 2685 | 415616 | 418806 |
| -98263 | -106129 | 6547 | 6594 | -33275 | -21566 |
| 110891 | 105369 | 1846 | 1631 | 170098 | 145063 |
| 110891 | 105369 | 1846 | 1631 | 170098 | 145063 |
| 68345 | 81567 | 14562 | 11929 | 292723 | 276056 |
| 33630 | 29642 | 0 | 0 | 746 | 811 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212866 | 216578 | 16408 | 13560 | 463567 | 421930 |

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची- 3 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए कमीशन
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अन्य विविध / Other Misc. | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| कमीशन / COMMISSION | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 1067263 | 737990 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 1067263 | 737990 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 553 | 5962 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन - भारत में / Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India | 371 | 5097 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India | 182 | 865 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 83531 | 131697 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत में / Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India | 57249 | 106767 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India | 26282 | 24930 |
| कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net) | 984285 | 612255 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India | 1010385 | 636320 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत के बाहर / Commission (Net) - Outside India | -26100 | -24065 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय(सकल) का विवरण नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेन्ट-भारत में / Agents - In India | 859979 | 607151 |
| एजेन्ट / Agents | 859979 | 607151 |
| दलाल / Brokers | 173701 | 93056 |
| निगमीय एजेन्सी / Corporate Agency | 33583 | 37783 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 1067263 | 737990 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 3 - COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| देयताये / Liability | | स्वास्थ्य व अस्पतालीकरण / Health & Hosp. | | फसल / Crop | | कुल विविध / Total Misc. | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 155092 | 150980 | 2765826 | 2804458 | -449 | 41812 | 10321385 | 8530170 |
| 155092 | 150980 | 2765826 | 2804458 | -449 | 41812 | 10321385 | 8530170 |
| 299 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84275 | 121212 |
| 299 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62233 | 105540 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22042 | 15672 |
| 14553 | 13184 | 320389 | 358403 | 112079 | -7661 | 1032210 | 1152488 |
| 13887 | 13183 | 320389 | 358403 | 120321 | -13964 | 866653 | 985346 |
| 666 | 1 | 0 | 0 | -8242 | 6303 | 165557 | 167142 |
| 140838 | 139176 | 2445437 | 2446055 | -112528 | 49473 | 9373450 | 7498894 |
| 141504 | 139177 | 2445437 | 2446055 | -120770 | 55777 | 9516965 | 7650365 |
| -666 | -1 | 0 | 0 | 8242 | -6304 | -143515 | -151471 |
| 55458 | 48445 | 1803786 | 1855315 | 0 | -332 | 7467030 | 6128196 |
| 55458 | 48445 | 1803786 | 1855315 | 0 | -332 | 7467030 | 6128196 |
| 99325 | 100039 | 699354 | 667127 | -449 | 42144 | 2387000 | 1911888 |
| 309 | 2496 | 262686 | 282016 | 0 | 0 | 467355 | 490086 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155092 | 150980 | 2765826 | 2804458 | -449 | 41812 | 10321385 | 8530170 |

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये कैश फ्लो विवरण

STAND ALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| I. प्रचालन कार्यों से कैश फ्लो I. Cash Flow from the Operating Activities | | |
| अग्रिम आय, शुद्ध सह बीमा सहित पालिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम Premium received from policyholders, including advance receipts, net of coinsurance | 177217385 | 160612030 |
| अन्य आय / Other Receipts | 207647 | 143002 |
| पुनर्बीमाकर्ताओं को अदायगी, शुद्ध कमीशन और दावे Payments to reinsurers, net of commission and claims | (9680268) | (8619924) |
| सहबीमाकर्ताओं को अदायगी, शुद्ध दावे से प्राप्त आय Payments to coinsurers, net of claims recovery | 2521100 | 9710251 |
| अदा किये गये दावे / Payments of claims | (151542545) | (142974640) |
| अदा किया गया कमीशन और दलाल कमीशन Payments of commission and brokerage | (12034513) | (10172353) |
| अदा किया गया अन्य प्रचालन खर्च Payments of other operating expenses | (46212634) | (34882010) |
| प्रारंभिक और पूर्व-ऑपरेटिव व्यय / Preliminary & Pre-operative Expenses | 0 | 0 |
| जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण / Deposits, advances and staff loans | 587417 | 323828 |
| अदा किया गया/वापसी आय कर (शुद्ध) / Income taxes paid/ refund (net) | (63081) | (36864) |
| अदा किया गया सेवा कर/वापसी (शुद्ध) / Service tax paid / refund (net) | (617508) | 1497427 |
| अन्य अदायगी / प्राप्तियाँ (शुद्ध) / Other payments/collections (Net) | 989218 | 18631 |
| विदेशी विनिमय के परिवर्तन में हुई लाभ / हानि / Gain /Loss on Foreign Exchange Fluctuations | (212305) | 93892 |
| असाधारण कार्यों के पूर्व कैश फ्लो / Cash flow before extraordinary activities | (38840087) | (24286731) |
| असाधारण कार्य / Extraordinary Activities | (610) | 989 |
| असाधारण कार्यों के पश्चात् कैश फ्लो Cash flow after extraordinary activities | (38840697) | (24285742) |
| प्रचालन कार्यों से शुद्ध कैश फ्लो Net Cash flow from the Operating Activities | (38840697) | (24285742) |

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| II. निवेश कार्यों से कैश फ्लो II. Cash Flow from the Investing Activities | | |
| स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय / Purchase of fixed assets | (855212) | (2280137) |
| स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से आय / Proceeds from Sale of Fixed Assets | 178002 | 68920 |
| निवेश का क्रय / Purchase of investments | (24830827) | (66832381) |
| वितरित ऋण / Loans Disbursed | 0 | 0 |
| निवेश का बिक्री मूल्य / Sale Value of Investments | 27183237 | 15915959 |
| प्राप्त वापसियाँ / Repayments Received | 20325846 | 39449018 |
| प्राप्त किराया / ब्याज/लाभांश / Rents/Interests/Dividends received | 22324235 | 21128794 |
| मुद्रा बाजार के साधन में और तरल म्युचुअल फंड में निवेश / Investments in money market instruments and in liquid mutual funds | (397568) | 2324454 |
| निवेश से संबंधित खर्च / Expenses relating to investments | (34871) | (35653) |
| अन्य अदायगी / प्राप्तियाँ (शुद्ध) / Other payments / collections (Net) | 5 | 50659 |
| निवेश कार्यों से शुद्ध कैश फ्लो / Net cash flow from the Investing Activities | 43892846 | 9789634 |
| III. वित्तीय कार्यों से कैश फ्लो III. Cash Flow from the Financing Activities | | |
| शेयर पूँजी के निर्गमन से आय / Proceeds from issuance of share capital | 0 | 1000000 |
| उधार से आय / निवेश / Proceeds from borrowing / investments | 0 | 0 |
| उधार का पुनर्अदायगी / Repayments of borrowing | (9000000) | 0 |
| अदा किया गया ब्याज/लाभांश / Interest/dividends paid | (742500) | (742500) |
| वित्तीय कार्यों से शुद्ध कैश फ्लो / Net cash flow from the Financing Activities | (9742500) | 257500 |
| IV. नकद और नकद समतुल्य पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव (शुद्ध) IV. Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents (net) | | |
| नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़ोत्तरी / Net increase in Cash and Cash Equivalents | (4690351) | (14238608) |
| वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य / Cash and cash equivalents at the beginning of the year | 26680544 | 40919152 |
| वर्ष की समाप्ति पर नकद और नकद समतुल्य / Cash and cash equivalents at the end of the year | 21990193 | 26680544 |

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| घटक का नकद और नकद समतुल्य Components of Cash and Cash Equivalnets | | |
| हाथ में नकदी / Cash on Hand | 508567 | 622524 |
| बैंकों के साथ शेष / Balance with Banks | | |
| चालू खातों में / In Current Accounts | 11550554 | 6414130 |
| 3 महीने से कम परिपक्वता वाले एफडी आर में / In FDR with maturity less than 3 Months | 289082 | 16478747 |
| उप कुल / Sub-Total | 12348203 | 23515401 |
| 3 महीनों से अधिक और 12 महीने से कम अल्पकालिक एफडी / FD for Short Term More than 3 Months and Less than 12 Months | 9641990 | 266310 |
| अन्य संस्थानों के साथ (सीबीएलओ के साथ) / With Other Institution (with CBLO) | 0 | 2898832 |
| उप कुल / Sub-Total | 9641990 | 3165143 |
| कुल योग / Grand Total | 21990193 | 26680544 |

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से / For and on behalf of Board

 अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

 गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

 सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

 वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

 वास्ते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

 वास्ते एस आर बी आर एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

 सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

 सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

 सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

स्थान : चेन्नै

Place : Chennai

दिनांक : 30.05.2023

Date : 30.05.2023

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

31 मार्च 2023 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स

I. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन परंपरा:

1.1 वित्तीय विवरणों को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002, बीमा अधिनियम, 1938, द्वारा निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किया जाता है, जो समय-समय पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) द्वारा जारी किए गए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, आदेश / परिपत्र / अधिसूचनाएं के अनुसार होते हैं।

1.2 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रत्यक्ष पद्धति पर तैयार किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। संलग्न वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं।

3. शेयरधारकों/पॉलिसीधारकों की निधि:

3.1. शेयरधारकों के फंड में शेयर पूंजी के साथ-साथ सभी रिजर्व और अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व और उचित मूल्य परिवर्तन खाते को छोड़कर) संचित घाटे और विविध व्यय को उस सीमा तक शामिल किया जाता है, जिसे तुलन पत्र की तिथि में बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.2. पॉलिसीधारकों के फंड में शामिल हैं:

- क) उपगत लेकिन असूचित दावे (आईबीएनआर) और उपगत लेकिन अपर्याप्त सूचित दावे (आईबीएनईआर);
- ख) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व;
- ग) प्रीमियम की कमी रिजर्व; यदि कोई

घ) आपदा रिजर्व, यदि कोई हो; और

ड) अन्य देनदारियां अन्य परिसंपत्तियों को मिलाकर

उपरोक्त बिंदु (ड) में अन्य देनदारियों में शामिल हैं (i) अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम (ii) अनावंटित प्रीमियम (iii) अन्य बीमा कंपनियों के कारण शेष राशि (iv) पूल के अन्य सदस्यों जैसे कि तृतीय पक्ष पूल के कारण; आतंकवाद पूल; आदि (v) विविध लेनदार (पॉलिसीधारकों के कारण)।

उपरोक्त बिंदु (ड) में अन्य परिसंपत्तियों में शामिल हैं (i) बकाया प्रीमियम (ii) पुनर्बीमाकर्ताओं सहित बीमा कारोबार करने वाली अन्य संस्थाओं से देय (iii) तृतीय पक्ष पूल जैसे पूल के साथ शेष राशि; आतंकवाद पूल; आदि।

4. प्रीमियम:

4.1 प्रत्यक्ष कारोबार:

4.1.1 लंबी अवधि (एक वर्ष से अधिक की अवधि के साथ) की मोटर बीमा पॉलिसियों के अलावा अन्य प्रीमियम आय जोखिम की धारणा पर मान्य की जाती है।

4.1.2 दीर्घकालिक मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में, प्राप्त प्रीमियम (वस्तु एवं सेवा कर का शुद्ध) को 1/n आधार पर जोखिम के प्रारंभ में पॉलिसी अवधि के दौरान समान रूप से माना जाता है, जहां n वर्षों में पॉलिसी की अवधि को दर्शाता है। स्वयं की क्षति कवरेज के लिए प्राप्त प्रीमियम को बीमाकृत घोषित मूल्य (आईडीवी) के अनुपात में साल-दर-साल आधार पर मान्यता दी जाती है।

4.1.3 उन पॉलिसियों के मामले में जहां भुगतान किस्तों में प्राप्त होता है, आय किस्त प्राप्त होने पर माना जाता है।

4.1.4 फसल बीमा के संबंध में, प्रीमियम का हिसाब प्रीमियम के किसान हिस्से की प्राप्ति पर किया जाता है और संबंधित सरकारी हिस्से का उचित आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

4.1.5 प्रीमियम की प्राप्ति होने पर पुनर्स्थापन प्रीमियम का हिसाब लगाया जाता है।

4.1.6 अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम उस वर्ष के दौरान जारी पॉलिसियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है जहां जोखिम तुलन पत्र की तिथि के बाद शुरू होता है। इसके अलावा, लंबी अवधि की मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में,

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31ST MARCH 2023

I. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION:

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost convention in accordance with the accounting principles prescribed by The Insurance Regulatory and Development Authority Of India (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, Orders / Circulars / Notifications issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) from time to time.

1.2 Cash flow statement is prepared on Direct method as per Insurance Regulatory and Development Authority of India (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, revenue and expenses and disclosure of contingent liabilities as of the date of the financial statements. The estimates and assumptions used in the accompanying financial statements are based upon the management's evaluation of the relevant facts and circumstances as of the date of the financial statements. Actual results may differ from estimates and assumptions used in preparing these financial statements.

3. SHAREHOLDERS'/POLICYHOLDERS' FUNDS:

3.1. Shareholders' funds consists of Share Capital plus all Reserves and Surplus (except Revaluation reserve and fair value change account) net of accumulated losses and Miscellaneous expenditure to the extent not written off as at the balance sheet date.

3.2. Policyholders' funds consists of:

- a) Outstanding claims including Incurred but not Reported (IBNR) and Incurred but not enough reported (IBNER);
- b) Unearned Premium Reserve;

- c) Premium Deficiency Reserve; if any
- d) Catastrophe Reserve, if any; and
- e) Other Liabilities net of Other Assets

Other Liabilities in point (e) above, comprise of (i) Premium received in advance (ii) Unallocated premium (iii) Balance due to Other Insurance companies (iv) Due to other members of a pool such as third party pool; Terrorism pool; etc (v) Sundry creditors (due to policyholders).

Other Assets in point (e) above, comprise of (i) Outstanding premium (ii) due from other entities carrying on insurance business including Re insurers (iii) balance with Pool such as Third Party Pool; Terrorism Pool; etc.

4. PREMIUM:

4.1 Direct Business:

- 4.1.1 Premium Income other than for long term (with term More than one year) Motor Insurance policies is recognized on assumption of risk.
- 4.1.2 In case of Long term Motor Insurance Policies, Premium received (net of Goods & Services Tax) for third party coverage is recognized equally over the policy period at the commencement of risk on 1/n basis where n denotes the term of the policy in years. Premium received for own damage coverage is recognised on a year to year basis in proportion to the insured declared value (IDV).
- 4.1.3 In the case of Policies where payments are received in instalment revenue is recognised on receipt of instalment.
- 4.1.4 In respect of Crop Insurance, premium is accounted upon receipt of farmer share of premium and corresponding government share is accounted on due basis.
- 4.1.5 Reinstatement premium is accounted as and when the premium is recovered.
- 4.1.6 Premium received in Advance represents premium received in respect of policies issued during the year where the risk commences subsequent to the balance sheet date. Further in case of long term motor insurance policies, premium

बाद के वर्षों में मान्य किये जाने योग्य प्रीमियम को अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम माना जाता है।

- 4.1.7 अर्जित प्रीमियम को सकल आधार पर 1/365 विधि के आधार पर जोखिम की अवधि या पॉलिसी अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है। किस्त प्रीमियम को शेष पॉलिसी अवधि में मान्यता दी जाती है। प्रीमियम में बाद में कोई भी संशोधन जब भी होता है, उसे जोखिम की शेष अवधि या लागू होने वाली पॉलिसी अवधि में मान्यता दी जाती है।
- 4.1.8 पॉलिसी रद्द करने पर उत्पन्न होने वाली प्रीमियम आय का समायोजन उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें इसे रद्द किया गया है।
- 4.1.9 फ्री-लुक अवधि सहित प्रीमियम रिफंड का हिसाब वर्ष के दौरान पारित पृष्ठांकन के आधार पर किया जाता है।
- 4.1.10 समय विभाजन के आधार पर या जोखिम की अवधि, जो भी उचित हो, के आधार पर गणना की जाने वाली आगामी लेखांकन अवधि के लिए प्राप्त प्रीमियम के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक खंड के लिए अनर्जित प्रीमियम के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है। यह नीचे दिए गए 4.3 के अनुसार गणना की गई असमाप्त जोखिम रिजर्व का हिस्सा है।

4.2 पुनर्बीमा:

- 4.2.1 प्रीमियम आय की पहचान 31 मार्च तक प्राप्त विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों से प्राप्त रिटर्न/सलाहों के आधार पर की जाती है।
- 4.2.2 भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में प्रीमियम आय की पहचान संबंधित लेखा वर्ष के खातों को अंतिम रूप देने तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर की जाती है। जहां भी खातों को अंतिम रूप देने तक रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ है, उसका अनुमान लगाया गया है।
- 4.2.3 अर्पित प्रीमियम को परिचालन कार्यालयों द्वारा बीमालेखन किए गए प्रीमियम के आधार पर मान्यता दी जाती है। जहां भी पूर्ण तकनीकी विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वहां उपलब्ध जानकारी के आधार पर अर्पित प्रीमियम का अनुमान लगाया जाता है।
- 4.2.4 पूल स्वीकृतियां/अर्पण: आतंकवाद पूल रेट्रो/परमाणु पूल के संबंध में प्रीमियम, दावे, सेवा शुल्क, निवेश आय और व्यय का हिसाब-किताब अंतिम रूप देने तक जीआईसी (पूल प्रशासक) से प्राप्त

विवरण के अनुसार किया जाता है। आतंकवाद पूल/परमाणु पूल के संबंध में प्रीमियम, दावे, सेवा शुल्क और सत्र के खर्च का हिसाब 31 मार्च तक किया जाता है।

4.3 असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व:

असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम कमी रिजर्व शामिल हैं

- (i) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर): अनर्जित प्रीमियम रिजर्व की गणना निम्नानुसार की जाती है
- क) समुद्री पोत: पिछले बारह महीनों के दौरान शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100%,
- ख) अन्य सभी खंडों के संबंध में: 1/365 पद्धति के आधार पर संबंधित पॉलिसियों के लिए समय विभाजन आधार या जोखिम आधार की अवधि, जो भी उचित हो।
- (ii) प्रीमियम कमी रिजर्व: प्रीमियम कमी की गणना तब की जाती है जहां अपेक्षित दावा लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत का योग संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक हो जाता है। प्रीमियम कमी को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण दिशानिर्देशों के अनुसार पहचाना जाता है।

5. दावे:

5.1 प्रत्यक्ष कारोबार:

- क) सूचित किए जाने पर दावों को मान्यता दी जाती है
- ख) विनिमय में उतार-चढ़ाव, लाभ/हानि सहित दावों से सीधे तौर पर जुड़े सभी खर्चों को दावों के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है।
- ग) वर्ष के अंत में बकाया दावे:-

- वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित दायित्व सर्वेक्षण रिपोर्ट, अग्रणी की सलाह, पिछले अनुभव, अन्य लागू कानूनों, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और खातों को अंतिम रूप देने की तिथि तक अन्य स्रोतों के आधार पर प्रदान की जाती है।
- एक वर्ष से अधिक समय से बकाया अज्ञात मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में अनुमानित दायित्व के 100% की दर से प्रावधान किया गया है। अन्य मामलों में अनुमानित दायित्व के 1/3 की दर से प्रावधान किया जाता है।

5.2 पुनर्बीमा:

- क. सूचित किए जाने पर दावों को मान्यता दी जाती है।
- ख. आवक स्वीकृतियों (भारतीय) के संबंध में बकाया दावों की दायित्व खातों को अंतिम रूप देने तक प्राप्त रिटर्न पर आधारित है। आवक स्वीकृतियों (विदेशी) के संबंध

recognizable in subsequent years is treated as premium received in advance.

- 4.1.7 Premium earned is recognised as income over the period of risk or the policy period based on 1/365 method on gross basis. The Instalment premium are recognised over the balance policy period. Any subsequent revisions to premium as and when they occur are recognised over the remaining period of risk or policy period as applicable.
- 4.1.8 Adjustment to Premium Income arising on cancellation of policy are recognised in the period in which it is cancelled.
- 4.1.9 Premium refunds including for the free-look period are accounted on the basis of endorsements passed during the year.
- 4.1.10 A reserve for unearned premium for each segment representing that part of the recognised premium attributable to the succeeding accounting periods calculated on time apportionment basis or the period of risk, whichever is appropriate is created. This forms part of unexpired risk reserve calculated as per 4.3 below.

4.2 Reinsurance:

- 4.2.1 Premium income is recognized based on the returns/advices received from foreign reinsurance companies received upto 31st March.
- 4.2.2 Premium income in respect of Indian Reinsurers is recognized based on returns received upto finalization of accounts of the relevant accounting year. Wherever returns are not received upto finalization of accounts, the same has been estimated.
- 4.2.3 Premium on cessions are recognized on the basis of the premium underwritten by the operating offices. Wherever full technical particulars are not available, reinsurance cessions are estimated on the basis of information available.
- 4.2.4 Pool Acceptances/ Cessions: Premium, Claims, Service charges, Investment income and expenses in respect of Terrorism Pool Retro/ Nuclear Pool are accounted as per the statements received from GIC (Pool Administrator) upto finalisation of accounts. Premium,

Claims, Service charges and expenses of cessions in respect of Terrorism Pool / Nuclear Pool are accounted upto 31st March.

4.3 Reserve for Unexpired Risk:

Reserve for Unexpired Risk Comprises of Unearned Premium Reserve and Premium Deficiency Reserve

- (i) Unearned Premium Reserve (UPR): Unearned Premium Reserve is computed as under
- Marine Hull: 100% of the Net Written Premium during the preceding. Twelve Months,
 - In respect of all other segments: on the Basis of 1/365 method on time apportionment basis or period of risk basis for the respective policies, whichever is appropriate.
- (ii) Premium Deficiency Reserve: Premium deficiency is calculated where the sum of expected claim costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium. The premium Deficiency is recognised as per IRDAI guidelines.

5. CLAIMS:

5.1 Direct Business:

- Claims are recognized as and when intimated.
- All expenses directly attributable to claims including exchange fluctuation gains / losses are accounted as part of claims.
- Outstanding claims at the year-end:-
 - Estimated liability for outstanding claims at the year end are provided on the basis of survey reports, advices of Leaders, past experience, other applicable laws, information provided by clients and other sources upto the date of finalization of accounts.
 - In respect of unidentified motor third party claims outstanding for more than one year, provision is made at the rate of 100% of the estimated liability. In other cases provision is made at the rate of 1/3rd of the estimated liability.

5.2 Reinsurance:

- Claims are recognized as and when intimated.
- Liability for outstanding claims in respect of Inward Acceptances (Indian) is based on returns received up to finalization of accounts. Liability for outstanding claims in respect of Inward Acceptances (Foreign) is based on returns received up to 31st March. Wherever returns are not received upto

में बकाया दावों का दायित्व 31 मार्च तक प्राप्त रिटर्न पर आधारित है। जहां भी खातों को अंतिम रूप देने तक रिटर्न प्राप्त नहीं होता है, उसका अनुमान बीमांकिक मूल्यांकन पर लगाया गया है।

5.3 आईबीएनआर/आईबीएनईआर:

उपगत लेकिन असूचित दावे (आईबीएनआर) और उपगत लेकिन पर्याप्त सूचित नहीं किए गए दावे (आईबीएनईआर) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं।

5.4 साल्वेज और दावा संबंधी वसूलियाँ:

दावों के तहत वसूली और साल्वेज के विक्रय का लेखा-जोखा प्राप्ति पर किया जाता है और दावों में जमा किया जाता है।

6. प्रबंधन का खर्च :

6.1 खर्चों का बंटवारा:

प्रबंधन के व्ययों को सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और स्वीकृत पुनर्बीमा के आधार पर आय खातों में विभाजित किया जाता है, जिसमें समुद्री कारोबार के लिए 75% और अग्नि और विविध कारोबार के लिए 100% का भार दिया जाता है। पॉलिसी स्टाम्प और पुनर्बीमा से संबंधित व्यय सीधे संबंधित आय खातों में ले जाया जाता है। निवेश से संबंधित व्यय, जैसे सुरक्षित अभिरक्षा, ब्याज/लाभांश बैंक शुल्क आदि का संग्रह, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के फंड के आधार पर आय खातों और लाभ और हानि खाते के बीच विभाजित किया जाता है।

6.1.1 पॉलिसीधारकों की शेष राशि से संबंधित विविध क्रेडिट शेष को वापस लाभ और हानि खाते में लिखा जाता है।

6.2 मूल्यहास:

नई वाहन योजना 2011 के अंतर्गत शामिल मोटर कारों के मामले में, जिसके लिए उपयोगी जीवन 5 वर्ष अपनाया गया है के सिवाय अचल संपत्तियों पर मूल्यहास परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास की अवलेखित मूल्य पद्धति पर लगाया जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के अनुसार मूल लागत के 5% तक अवशिष्ट मूल्य पर विचार किया जाता है।

6.2.1 लीज होल्ड संपत्तियों की लागत कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर परिशोधित की जाती है।

6.3 कर्मचारी लाभ:

6.3.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

6.3.2 रोजगारोत्तर लाभ योजनाएँ:

परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के भुगतान पर देय होने पर व्यय के रूप में शुल्क लिया जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लिए लाभ और हानि खाते में पूर्ण रूप से मान्य किया जाता है, जिसमें वे घटित होते हैं। पिछली सेवा लागत को उस सीमा तक तुरंत मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभ पहले से ही निहित नहीं हो जाते हैं, और अन्यथा लाभ निहित होने तक औसत अवधि में स्ट्रेट लाइन मूल्यहास के आधार पर परिशोधन किया जाता है।

7. विदेशी मुद्राओं का विनिमय/रूपांतरण:

7.1 आय और व्यय की मर्दें, विदेशी शाखा की तुलन पत्र की तिथि के अनुसार मौद्रिक मर्दें और भारतीय परिचालन में विदेशी मुद्रा लेनदेन का विनिमय निम्नानुसार किया गया है:

7.1.1 लेनदेन की तिथि पर प्रचलित दरों पर आय और व्यय की मर्दें।

7.1.2 तुलन पत्र की तिथि पर मौद्रिक मर्दों को उस तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

7.2 विदेशी शाखा (गैर-अभिन्न) से संबंधित शेष राशि के विनिमय के कारण विनिमय अंतर परिचालन बंद होने तक विदेशी मुद्रा विनिमय रिजर्व में जमा हो जाता है। इस गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन के बंद होने पर, स्थगित किए गए विनिमय अंतर की संचयी राशि को ऐसे समापन के वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

7.3 भारतीय परिचालन में विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विनिमय में अंतर को प्रासंगिक आय खातों / लाभ और हानि खाते में लागू माना जाता है।

8. ऋण और निवेश:

8.1. शेयरों, बांडों और डिबेंचर की खरीद और बिक्री का हिसाब अनुबंध की तिथि (कारोबार तिथि) पर किया जाता है।

8.2. निवेश की लागत में प्रतिभूति लेनदेन कर (जहां भी लागू हो), अधिग्रहण पर प्रीमियम और निवेश के अधिग्रहण के लिए किए गए अन्य प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं और यह उस पर अर्जित कमीशन/शुल्क को छोड़कर है। इक्विटी के संबंध में ब्रोकरेज और प्रतिभूति लेनदेन कर को कम करने के बाद शुद्ध बिक्री पर विचार किया जाता है।

finalization of accounts, the same has been estimated on actuarial valuation.

5.3 IBNR/IBNER:

Claims Incurred But Not Reported (IBNR) and Incurred But Not Enough Reported (IBNER) is made on the basis of actuarial valuation.

5.4 Salvage and Claim related Recoveries:

Recoveries under claims and disposal of salvage are accounted on realisation and are credited to claims.

6. EXPENSES OF MANAGEMENT:

6.1 Apportionment of expenses:

Expenses of Management are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of gross direct premium plus reinsurance accepted, giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business. Expenses relating to policy stamps and reinsurance are directly taken to respective Revenue Accounts. Expenses relating to Investment, such as safe custody, collection of interest/dividend, bank charges etc., are apportioned between Revenue Accounts and Profit and loss Account based on policyholders' and shareholders' funds as on the Balance Sheet date.

6.1.1 Sundry credit balances not pertaining to policyholders' balances are written back to profit and loss account.

6.2 Depreciation:

Depreciation on fixed assets is charged on written down value method based on useful life of the Assets and considering residual value upto 5% of original cost as per Schedule II to the Companies Act, 2013, except in case of Motor Cars covered under New Conveyance Scheme 2011, for which useful life adopted is 5 years.

6.2.1 Cost of Lease Hold properties is amortized over the period of lease or useful life of the asset, as per Schedule II to the Companies Act, 2013, whichever is shorter.

6.3 Employee Benefits:

6.3.1 Short-term employee benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

6.3.2 Post –Employment benefit Plans:

Payments to defined contribution retirement benefit schemes are charged as an expense as they fall due.

For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognized in full in the Profit and Loss account for the period in which they occur. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

7. TRANSLATION/CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES:

7.1 Items of income and expenditure, Monetary items as at the Balance Sheet date of foreign branch and foreign currency transactions in Indian operations are translated as under:

7.1.1 Items of income and expenditure at the rates prevailing on the date of transaction.

7.1.2 Monetary items as at the Balance Sheet date are converted at the exchange rates prevailing at that date.

7.2 Exchange differences on account of translation of the balances relating to foreign branch (non-integral) is accumulated in a Foreign Currency Translation Reserve until the closure of the operation. On the closure of this non-integral foreign operation, the cumulative amount of the exchange differences which have been deferred will be recognized as income or as expenses in the year of such closure.

7.3 The difference in translation arising out of foreign currency transaction in Indian operations is recognized in the relevant Revenue accounts / Profit and Loss Account as applicable.

8. LOANS & INVESTMENT:

8.1 Purchase and sale of shares, bonds & debentures are accounted for on the date of contract (trade date).

8.2 The cost of investment includes Securities Transaction Tax (wherever applicable), premium on acquisition and other direct expenses incurred for the acquisition of the investment and is net of commission / fee earned thereon.

- 8.3. इक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड में निवेश को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो निवेश तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर निष्पादित और परिपक्व हो रहे हैं उन्हें अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैर-निष्पादित निवेश सहित अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 8.4. मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट जैसे जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और सीबीएलओ (टीआरईपी) जिन पर अनुबंध के समय छूट दी जाती है, उनका हिसाब उनके रियायती मूल्य पर किया जाता है।
- 8.5. सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय प्रिफरेंस शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को परिशोधन के अधीन लागत पर दिखाया गया है। भारत औसत लागत के आधार पर प्रीमियम को इंस्ट्रूमेंट की नवीनतम खरीद की तिथि से परिपक्वता की शेष अवधि तक की अवधि के लिए, पुट/कॉल विकल्प, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए परिशोधित किया जाता है।
- 8.6. सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन तुलन पत्र की तिथि के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (मुख्य एक्सचेंज) पर अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाता है। हालाँकि, किसी भी स्टॉक के एनएसई में सूचीबद्ध नहीं होने/कारोबार नहीं होने की स्थिति में, इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन तुलन पत्र की तिथि के अनुसार बीएसई (सेकेंडरी एक्सचेंज) में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के आधार पर किया जाएगा। भारत के बाहर की कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, जो उद्धृत और सक्रिय रूप से कारोबार किया

जाता है, का मूल्यांकन तुलन पत्र की तिथि के अनुसार लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अंतिम उद्धृत मूल्य पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते-शेयरधारकों/पॉलिसी धारकों में पहचाना जाता है।

- 8.7. भारत के बाहर निगमित कंपनियों में रखे गए शेयरों सहित असूचीबद्ध / कम कारोबार वाले इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और जब ब्रेक-अप मूल्य लागत से कम होता है तो ऐसे निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान किया जाता है। यदि ब्रेक-अप मूल्य नकारात्मक है, तो खाता मूल्य के 100% की दर से प्रावधान किया जाता है।
- 8.8. क) म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन फंड द्वारा घोषित तुलन पत्र की तिथि के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य पर किया जाता है और अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते -शेयरधारकों/पॉलिसी धारकों में मान्यता दी जाती है।

ख) वेंचर कैपिटल फंड्स/वैकल्पिक निवेश फंड्स (वीसीएफ/एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है जहां तुलन पत्र की तिथि के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य लागत से कम है। जहां भी तुलन पत्र की तिथि के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य उपलब्ध नहीं है या जहां फंड की अवधि समाप्त हो गई है, वहां खाता मूल्य पर निम्नलिखित तरीके से प्रावधान किया गया है:

क. नवीनतम शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य की अनुपलब्धता के मामले में:

| | प्रावधान: जहां शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य खाता मूल्य | प्रावधान: जहां शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य खाता मूल्य |
|----------------|---|---|
| 1 वर्ष तक. | खाता मूल्य और शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के बीच अंतर | शून्य |
| 2 वर्ष तक | खाता मूल्य और शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के बीच अंतर या खाता मूल्य का 10% जो भी अधिक हो | खाता मूल्य का 10% |
| 3 वर्ष तक | खाता मूल्य और शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के बीच अंतर या खाता मूल्य का 20% जो भी अधिक हो | खाता मूल्य का 20% |
| 4 वर्ष तक | खाता मूल्य और शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के बीच अंतर या खाता मूल्य का 50% जो भी अधिक हो | खाता मूल्य का 50% |
| 4 वर्ष से ऊपर. | खाता मूल्य का 100% | खाता मूल्य का 100% |

ख. निधि की अवधि (विस्तार सहित)

| | प्रावधान |
|--|------------------------------|
| 18 महीने तक के फंड की अवधि (अर्थात मूल अवधि या विस्तारित अवधि) की समाप्ति पर | उपरोक्त क के अनुसार प्रावधान |
| 18 महीने बाद | 100% |

The net sale consideration is arrived at after reducing brokerage and Securities Transaction Tax in respect of equity.

- 8.3 Investments in Equity Shares and Venture Capital Funds are classified as Long term Investments. Investments which are performing and maturing within 12 months from the Balance Sheet date are classified as Short Term Investments. All other investments including Non-Performing Investments are classified as Long term Investments.
- 8.4 Money market instruments such as Certificate of Deposit, Commercial Papers and CBLO (TREP) which are discounted at the time of contract, are accounted at their discounted value.
- 8.5 Investments in debt securities including Government Securities and redeemable Preference Shares are shown at cost subject to amortization. The premium, based on weighted average cost is amortized for the period from the date of latest purchase of the instrument till the residual period of maturity, considering put/ call option, if any.
- 8.6 Investments in Equity shares that are actively traded are valued at last quoted closing price on NSE (Primary Exchange) as on the Balance Sheet date. However, in case of any stock not being listed/not traded in NSE, Equity shares will be valued based on last quoted closing price in BSE(Secondary Exchange) as on the Balance Sheet date. Investments in Equity shares of

companies outside India that are quoted and actively traded are valued at last quoted price at London Stock Exchange as on the Balance Sheet date. The unrealized gains / losses are recognized in Fair Value Change account -Shareholders/Policy Holders.

- 8.7 Investments in Unlisted / Thinly traded equity shares including shares held in companies incorporated outside India are valued at cost and provision is made for diminution in value of such investments when break-up value is lower than the cost. In case the break-up value is negative, provision is made @ 100% of book value.
- 8.8
 - a) Investment in units of Mutual funds, are valued at Net Asset Value as at the Balance Sheet date as declared by the funds and unrealized gains / losses are recognized in Fair Value Change account -Shareholders/Policy Holders.
 - b) Investments in Venture Capital Funds/ Alternative Investment Funds (VCF/AIF) are valued at Cost. Provision is made for diminution in value of such investments where Net Asset Value as at the Balance Sheet date is lower than cost. Wherever the Net Asset Value as on Balance Sheet date is not available or where the term of the fund has expired, provision is made on the Book Value in the following manner:

A. In case of Non-availability of Latest NAV:

| | Provision: Where NAV < Book Value | Provision: Where NAV > Book Value |
|--------------|--|---|
| Upto 1 yr. | Difference between Book Value and NAV | Nil |
| Upto 2yrs | Difference between Book Value and NAV or 10% of Book Value whichever is higher | 10% of Book Value |
| Upto 3yrs | Difference between Book Value and NAV or 20% of Book Value whichever is higher | 20% of Book Value |
| Upto 4yrs | Difference between Book Value and NAV or 50% of Book Value whichever is higher | 50% of Book Value |
| Above 4 yrs. | 100% of Book Value | 100% of Book Value |

B. Term of Fund (Including Extension)

| | Provision |
|--|-------------------------|
| On expiry of term(i.e. original term or term as extended) of fund upto 18 months | Provision as in A above |
| After 18 months | 100% |

8.9. हानि

8.9.1 हानि को उन कंपनियों के इक्विटी शेयरों के संबंध में मान्यता दी गई है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार घाटे में रहे हैं और जिनकी पूंजी आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गई है, या जहां पिछले तीन वर्षों के लिए ऑडिट किए गए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं।

8.9.2. निवेश निम्नानुसार अवलेखितकिये गये हैं:

1. सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को उनके बाजार मूल्य पर अवलेखित किया जाता है।
2. सक्रिय कारोबार के अलावा अन्य इक्विटी शेयरों को ब्रेक अप मूल्य पर अवलेखित किया जाता है और जहां ब्रेकअप मूल्य नकारात्मक होता है, उन्हें प्रति कंपनी 1/- रुपये पर अवलेखित किया जाता है।

8.9.2.1 हानि क्षति का कोई भी परिवर्तन, जिसे पहले राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई थी,

- क) सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के संबंध में, राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी
- i. यदि संचित घाटा पूरी तरह समाप्त हो जाए और
- ii. कंपनी ने ठीक पिछले तीन वर्षों में शुद्ध लाभ दिखाया है।
- ख) सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के अलावा अन्य के संबंध में, प्राप्ति पर राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

8.9.3. कंपनी परिसंपत्ति वर्गीकरण, आय की पहचान और ऋण/अग्रिम/डिबेंचर से संबंधित प्रावधान के संबंध में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण/संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करती है।

8.9.4. प्रिफरेंस शेयरों के संबंध में, 100% की सीमा तक स्थायी हास का प्रावधान किया गया है। स्थायी हास की गणना इस प्रकार की गई है:

- क. अधिमान लाभांश का भुगतान लगातार तीन वर्षों तक नहीं किया जाता है (या)
- ख. परिपक्वता आय लगातार तीन वर्षों तक प्राप्त नहीं हुई है (या)

ग. कंपनी को पिछले तीन वर्षों में घाटा हुआ है और उसकी पूंजी आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गई है (या)

घ. जहां पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं।

8.10. निवेश की प्राप्ति/बिक्री पर लाभ या हानि की गणना प्रत्येक निवेश के भारित औसत खाता मूल्य को घटाकर की जाती है।

8.11. लाभांश आय (अंतरिम लाभांश के अलावा) को घोषणा के वर्ष में आय के रूप में गिना जाता है। अंतरिम लाभांश, भारत के बाहर रखी गई इक्विटी पर लाभांश और वरीयता शेयरों पर लाभांश का हिसाब प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। शेयरों और डिबेंचर से होने वाली आय, जो आपत्ति/लंबित डिलीवरी के अधीन है, का हिसाब प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

8.12. वेंचर कैपिटल फंड के संबंध में आय की पहचान प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

8.13. भविष्य में ब्याज की हानि के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि को केवल लेखांकन वर्ष के कारण होने वाली सीमा तक आय के रूप में मान्यता दी जाती है और शेष राशि को संबंधित वर्षों में विभाजन के लिए अग्रिम खाते में प्राप्त ब्याज में रखा जाता है।

8.14. निवेश आय, बिक्री पर लाभ/हानि/निवेश की प्राप्ति, निवेश से संबंधित व्यय, निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन, मूल्यहास निवेश के संबंध में बट्टे खाते में डाली गई/अवलेखित राशि, गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान/मूल्य में कमी को आईआरडीएआई विनियमन (परिपत्र IRDA/FA/CIR/CPM/056/03/2016 दिनांक 04 अप्रैल, 2016) के अनुसार तुलन पत्र की तिथि पर पॉलिसी धारकों के फंड के आधार पर राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है।

8.15. आईआरडीएआई विनियमन (परिपत्र IRDA/FA/CIR/CPM/056/03/2016 दिनांक 04 अप्रैल, 2016) के अनुसार पॉलिसीधारकों के फंड से किए गए निवेश को तुलन पत्र की तारीख पर पृथक और अलग से प्रकट किया जाता है।

9. क) अचल परिसंपत्तियां:

अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की लागत से संचित मूल्यहास घटाकर बताया गया है। प्रत्यक्ष लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि संपत्ति उपयोग के लिए तैयार न हो जाए। इन लागतों में माल डुलाई, स्थापना लागत, शुल्क, कर और अन्य आवंटित खर्च शामिल हैं। इसके अलावा, लागत निकालने में किसी भी कारोबार छूट और रियायत में कटौती की जाती है।

8.9. Impairment

- 8.9.1 Impairment is recognized in respect of Equity shares of companies which have been continuously incurring losses during three immediately preceding years and the capital of which has been partially or fully eroded, or where the audited annual accounts for the three immediately preceding years are not available.
- 8.9.2 Investments are written down as under:
1. Equity shares, which are actively traded, are written down to their market value.
 2. Equity shares other than actively traded, are written down to the break up value and where the breakup value is negative, are written down to Re.1/- per company.
- 8.9.2.1 Any reversal of impairment loss, earlier recognized in Revenue/Profit & Loss account,
- a) In respect of Actively Traded Equity shares, shall be recognized in the Revenue/Profit & Loss account
 - i. If the accumulated losses are completely wiped out and
 - ii. The company has shown net profit for three immediately preceding years.
 - b) In respect of other than Actively traded equity shares, shall be recognized in the Revenue/Profit & Loss account, on realization.
- 8.9.3. The Company follows the prudential norms prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority / related RBI guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans / advances / debentures.
- 8.9.4. In respect of preference shares, provision for permanent diminution is made to the extent of 100%. The permanent diminution is reckoned as follows:
- a. The preference dividend is not paid for three consecutive years (or)
 - b. The maturity proceeds have not been received for three consecutive years (or)
 - c. The company has incurred losses in three immediately preceding years and the capital of which has been partially or fully eroded (or)
 - d. Where the audited annual accounts for the three immediately preceding years are not available.
- 8.10. Profit or Loss on realization / sale of investment is computed by deducting the weighted average book value of each investment.
- 8.11. Dividend income (other than interim dividend) is accounted for as income in the year of declaration. Interim dividends, dividend on Equity held outside India and dividend on Preference Shares are accounted on receipt basis. Income from shares and debentures, which are under objection / pending delivery, is accounted for on receipt basis.
- 8.12. Revenue with respect to Venture Capital Funds is recognized on Receipt basis.
- 8.13. Amounts received towards compensation for future loss of interest is recognized as income only to the extent attributable to the accounting year and the balance is kept in interest received in advance account for apportionment in the relevant years.
- 8.14. Investment income, profit/loss on sale / realization of investment, expenditure relating to investments, amortization of premium on investments, amount written off / written down in respect of depreciated investments, provision for non performing investment / diminution in value are apportioned to Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policy holders' Funds and Share holders' Funds as on the Balance Sheet date as per IRDAI Regulation (Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 dated April 04,2016).
- 8.15. Investments made out of Policyholders' Funds are segregated and disclosed separately as on the Balance Sheet date as per IRDAI Regulation (Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 dated April 04,2016).
- 9. a) FIXED ASSETS:**
- Fixed assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Direct costs are capitalized till the assets are ready to be put to use. These costs include freight, installation costs, duties, taxes and other allocated expenses. Further, any trade discounts and rebates are deducted in arriving at the cost.

ख) अमूर्त संपत्ति:

अमूर्त संपत्तियों को विकास/अधिग्रहण की लागत से संचित परिशोधन घटाकर बताया गया है। इसका परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर तीन वर्षों की अवधि में किया जाता है। सॉफ्टवेयर विकास/अधिग्रहण लागत, लेखांकन मानक 26 (एएस 26) में निर्धारित मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाली लागतों को छोड़कर, राजस्व में ली जाती है।

10. कराधान

- 10.1 आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात् आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि) और आस्थगित कर शुल्क या क्रेडिट (लेखा आय और अवधि के लिए कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभावों को दर्शाते हुए) शामिल हैं। आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट और संबंधित आस्थगित कर देनदारियों या परिसंपत्तियों को उन कर दरों का उपयोग करके पहचाना जाता है जो तुलन पत्र की तिथि के अनुसार अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं।
- 10.2 वर्तमान कर का प्रावधान लागू न्यायिक घोषणाओं और कंपनी के वकील की राय पर उचित विचार के बाद किया गया है।
- 10.3 कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भविष्य की आयकर दायित्व के समायोजन के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देता है, को एक संपत्ति माना जाता है यदि इस बात का पुख्ता सबूत है कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एमएटी को तुलन पत्र में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभावना होती है कि इससे जुड़ा भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा।

- 10.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब तक कि उचित निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों को भविष्य में बेचा जा सकता है। कराधान कानूनों के तहत अवशोषित मूल्यहास या अग्रेषित हानि के मामले में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां आभासी निश्चितता होती है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों का एहसास हो सकता है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

11. पट्टा शुल्क

पट्टे, जहां पट्टादाता पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी के विकल्प पर सभी लीज समझौते रद्द किए जा सकते हैं।

12. प्रावधान और आकस्मिकताएँ (पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले दावों के अलावा अन्य दावे)

- 12.1 कंपनी किसी पिछली घटना के वर्तमान दायित्व के लिए एक विश्वसनीय अनुमान के आधार पर प्रावधान बनाती है जो भविष्य में संसाधनों के बहिर्वाह का कारण बन सकती है।
- 12.2 आकस्मिक दायित्व का खुलासा तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी।
- 12.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

b) INTANGIBLE ASSETS:

Intangible Assets are stated at cost of development / acquisition less accumulated amortisation. The same is amortised over a period of three years on straight line basis. Software development / acquisition costs, except those which meet the recognition criteria as laid down in Accounting Standard 26 (AS 26), are charged to revenue.

10. TAXATION

- 10.1 Income tax expense comprises current tax (i.e amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law) and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between the accounting income and taxable income for the period). The deferred tax charge or credit and the corresponding deferred tax liabilities or assets are recognized using the tax rates that have been enacted or substantively enacted as on the balance sheet date.
- 10.2 Provision for current tax is made after due consideration of the applicable judicial pronouncements and opinions from the company's counsel.
- 10.3 Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognized as an asset in the Balance Sheet when it

is probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

- 10.4 Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future. In the case of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only to the extent there is virtual certainty that the deferred tax assets can be realized. Deferred tax assets are reviewed as at each balance sheet date.

11. LEASE CHARGES

Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term. All lease agreements are cancellable at the option of the company.

12. PROVISIONS AND CONTINGENCIES (CLAIMS OTHER THAN THOSE UNDER POLICIES)

- 12.1 The Company creates provision based on a reliable estimate for the present obligation of a past event that might cause outflow of resources in future.
- 12.2 Disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may or may not require an outflow of resources.
- 12.3 Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

II. खारतों के लिए नोटः

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को

1. लेखा नीतियों में परिवर्तन का प्रभावः

1.1 लेखा परंपरा

असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व

मौजूदा नीति

असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम की कमी रिजर्व शामिल हैं।

(i) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर):

अनर्जित प्रीमियम रिजर्व लिखित शुद्ध प्रीमियम के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि पर बनाया जाता है, जो समुद्री पोत कारोबार, परमाणु पूल और आतंकवाद (अग्नि और इंजीनियरिंग) के मामले को छोड़कर, शुद्ध प्रीमियम के 50% पर आगामी लेखा अवधि के लिए जिम्मेदार और आवंटित किया जाता है, जहां यह शुद्ध प्रीमियम के 100% पर बनाया जाता है।

(ii) प्रीमियम कमी रिजर्व :

प्रीमियम कमी की गणना तब की जाती है जब अपेक्षित दावा लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत का योग संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक हो जाता है। प्रीमियम कमी को आईआरडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पहचाना जाता है।

संशोधित नीति

असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम कमी रिजर्व शामिल है

(i) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर):

अनर्जित प्रीमियम रिजर्व की गणना निम्नानुसार की जाती है

क) समुद्री पोत: गत बारह महीनों के दौरान शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100%

ख) अन्य सभी खंडों के संबंध में: 1/365 पद्धति के आधार पर समय विभाजन के आधार पर या संबंधित पॉलिसियों के लिए जोखिम की अवधि के आधार पर, जो भी उचित हो।

(ii) प्रीमियम कमी रिजर्व :

प्रीमियम कमी की गणना तब की जाती है जब अपेक्षित दावा लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत का योग संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक हो जाता है। प्रीमियम कमी को आईआरडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पहचाना जाता है।

अनर्जित प्रीमियम रिजर्व की गणना के लिए 1/365 पद्धति को अपनाने का औचित्य: चूंकि बीमा क्षेत्र द्वारा कुछ वर्षों में भारतीय एएस को लागू करने की संभावना है, इसलिए यूआरआर की गणना के लिए 1/365 पद्धति को अपनाना जरूरी समझा गया जो भारतीय एएस के प्रावधानों के अनुरूप है।

परिवर्तन का प्रभाव: 7158685 हजार (रिजर्व रिलीज)

2. आकस्मिक देयताएं:

(₹ '000)

| विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|------------|------------|
| आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश पर | 1074.55 | 800 |
| पॉलिसियों के तहत दावों के अलावा अन्य दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है | 1625300 | 1648619 |
| बकाया बीमालेखन प्रतिबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में) | 0 | 0 |
| कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी | 0 | 150 |
| वैधानिक मांगों/देयताएं विवाद में, जिनके लिए प्रावधान नहीं है** | 41682481 | 35868504 |
| खारतों में प्रदान नहीं की गई सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व | 0 | 0 |
| बकाया साख पत्र | 32218 | 31017 |

**नोटः

- विवाद में वैधानिक मांग/दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं है, में जुर्माना, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- आयकर अधिकारियों ने गत कुछ वर्षों में कंपनी को अब तक देय रनिधि की राशि ₹ 5003975 हजार (₹ 4850674 हजार) को समायोजित किया है।

II. NOTES TO ACCOUNTS:

To the members of United India Insurance Company Limited

1. Impact of change in Accounting Policies:

1.1 Accounting Convention

Reserve for Unexpired Risk

Existing Policy

Reserve for Unexpired Risk comprises of Unearned Premium Reserve and Premium Deficiency Reserve.

(i) Unearned Premium Reserve (UPR):

Unearned Premium Reserve is made on the amount representing that part of net premium written which is attributable to, and allocated to the succeeding accounting periods at 50% of net premium, except in the case of Marine Hull business, Nuclear Pool and Terrorism (Fire and Engineering), where it is made at 100% of net premium

(ii) Premium Deficiency Reserve:

Premium Deficiency is calculated where the sum of expected claim costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium. The Premium Deficiency is recognised as per IRDAI guidelines.

Revised Policy

Reserve for Unexpired Risk comprises of Unearned Premium Reserve and Premium Deficiency Reserve

(i) Unearned Premium Reserve (UPR):

Unearned Premium Reserve is computed as under

- Marine Hull: 100% of the Net Written Premium during the preceding Twelve Months
- In respect of all other Segments: on the basis of 1/365 method on time apportionment basis or period of risk basis for the respective policies, whichever is appropriate.

(ii) Premium Deficiency Reserve:

Premium Deficiency is calculated where the sum of expected claim costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium. The Premium Deficiency is recognised as per IRDAI guidelines.

Rationale for adopting 1/365 method of calculating URR: As Insurance Sector is likely to implement the Ind AS in a couple of years, it was felt imperative to adopt 1/365 method of calculation of URR which is in alignment to the provisions of Ind AS. Impact of Change: ₹ 7158685 thousands (Reserve Release)

2. Contingent Liabilities:

| Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|------------|------------|
| On partly paid investments | 1074.55 | 800 |
| Claims other than those under policies, not acknowledged as debts | 1625300 | 1648619 |
| Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities) | 0 | 0 |
| Guarantees given by or on behalf of the Company | 0 | 150 |
| Statutory demands / liabilities in dispute, not provided for** | 41682481 | 35868504 |
| Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts | 0 | 0 |
| Outstanding Letter of Credit | 32218 | 31017 |

**Notes:

- Statutory demands / liabilities in dispute, not provided for does not include penalty, if any applicable.
- The Income Tax authorities have adjusted, over the years, the refund due until date to the company amounting to ₹ 5003975 thousands (₹ 4850674 thousands).

3. भारत के भीतर और बाहर कंपनी की परिसंपत्तियों पर भार।

(क) जमा और निवेश

(₹ '000)

| विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|------------|------------|
| साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने के लिए मार्जिन मनी के रूप में जमा | 32218 | 31017 |
| दावों के लिए बैंक खातों के आदेश/ संलग्नक के अनुसार अदालत में जमा की गई राशि | 153589 | 56787 |
| विदेशी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए की गई जमाराशियाँ | 0 | 0 |
| सीबीएलओ ऑपरेशन के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जमा 6.54% भारत सरकार 2032 (6.79% भारत सरकार 2029) – एफवी ₹ 46800 हजार (₹ 46800 हजार) | 44702 | 46608 |
| कैश मार्केट में संस्थागत ट्रेडों की मार्जिनिंग के संबंध में सेबी के दिनांक 19.03.2008 के परिपत्र के अनुपालन में मार्जिन मनी के माध्यम से स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास ₹ 287866 हजार के लिए 6.22% भारत सरकार 2035 (अंकित मूल्य ₹ 300000 हजार) (₹ 287866 हजार के लिए 6.22% भारत सरकार 2035 (अंकित मूल्य ₹ 300000 हजार) जमा किया गया है। | 287866 | 287866 |

(ख) वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया निवेश: शून्य

(ग) अग्रिम और जमा में शामिल हैं:

- शून्य (₹ 1005433 हजार) एचडीएफसी बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा किया गया और इंद्रा-डे बैंकिंग लेनदेन की सुविधा के लिए ग्रहणाधिकार के लिए चिह्नित किया गया।
- मार्जिन मनी सीबीएलओ (टीआरईपी) ऑपरेशन के माध्यम से क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास ₹ 500 हजार (₹ 500 हजार) जमा किए गए।

4. ऋण, निवेश और अचल संपत्तियों के संबंध में की गई प्रतिबद्धताएं और बकाया:

(₹ '000)

| विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|------------|------------|
| ऋण और निवेश (अनुमानित) | 190000 | 190000 |
| सम्पदा के लिए प्रतिबद्धताएँ | 814542 | 797646 |
| ईडीपी/कोर बीमा परियोजना के लिए प्रतिबद्धताएँ | 29070 | 782480 |
| स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क और लंबित परिवहन (अनुमानित)** | 83733 | 89505 |

**दिसंबर 2022 में किए गए उचित मूल्य अनुमान के अनुसार

5. भारत में/बाहर दावेदारों को दावों का भुगतान, पुनर्बीमा को घटाकर:

(₹ '000)

| कारोबार | भारत में | | भारत के बाहर | |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| अग्नि | 6544020 | 6509408 | 40152 | 26017 |
| समुद्री | 1355021 | 1275619 | 10138 | 11234 |
| विविध | 126709674 | 119579362 | 94830 | 130769 |
| कुल | 134608715 | 127364389 | 145120 | 168020 |

6. बही-खाते के आंकड़ों और कंपनी के निवेशों की एसएचसीआईएल (अभिरक्षक) से प्राप्त पुष्टि के बीच मिलान से उत्पन्न निवेश में अंतर को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है।

(₹ '000)

| विवरण | प्रकार | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---------------------------|--------|-------------|------------|------------|
| इक्विटी और प्रिफरेंस शेयर | अल्प | खाता मूल्य | शून्य | शून्य |
| डिबेंचर | अल्प | खाता मूल्य | 4947 | 4947 |
| कुल | अल्प | खाता मूल्य | 4947 | 4947 |
| इक्विटी और प्रिफरेंस शेयर | आधिक्य | अंकित मूल्य | शून्य | शून्य |

7. 31.03.2023 तक बकाया दावों का आयु-वार विश्लेषण अनुलग्नक-ख में संलग्न है।

3. Encumbrances to assets of the company within and outside India.

(a) Deposits and Investments (₹ '000)

| Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|------------|------------|
| Deposits towards margin money for issue of letters of credit / bank guarantee | 32218 | 31017 |
| Deposits made in court as per orders /attachments of bank accounts for claims | 153589 | 56787 |
| Deposits made to comply with Overseas Statutory requirements | 0 | 0 |
| 6.54% GOI 2032 (6.79% GOI 2029) deposited with Clearing Corporation of India for CBLO operation – FV ₹ 46800 thousands (₹ 46800 thousands) | 44702 | 46608 |
| 6.22% GOI 2035 for ₹ 287866 thousands (Face Value ₹300000 thousands) (6.22% GOI 2035 for ₹ 287866 thousands {Face Value ₹300000 thousands}) has been deposited with Stock Holding Corporation of India Ltd by way of margin money in compliance with SEBI circular dated 19.03.2008 regarding Margining of Institutional Trades in the Cash Market. | 287866 | 287866 |

(b) Investments made in accordance with statutory requirements: NIL

(c) Advances and Deposits include:

- ₹ NIL (₹ 1005433 thousands) deposited with HDFC Bank as Fixed Deposit and marked for lien to facilitate intra-day banking transactions.
- ₹ 500 thousands (₹ 500 thousands) deposited with Clearing Corporation of India by way of margin money CBLO (TREP) Operation.

4. Commitments made and outstanding on account of loans, investments and fixed assets: (₹ '000)

| Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|------------|------------|
| Loans and Investment (Estimated) | 190000 | 190000 |
| Commitments for Estates | 814542 | 797646 |
| Commitments for EDP/Core Insurance Project | 29070 | 782480 |
| Stamp duty and Registration charges and pending conveyance (estimated at)** | 83733 | 89505 |

**As per Fair value estimation done in December 2022

5. Claims less reinsurance, paid to claimants in/outside India: (₹ '000)

| Business | In India | | Outside India | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Fire | 6544020 | 6509408 | 40152 | 26017 |
| Marine | 1355021 | 1275619 | 10138 | 11234 |
| Miscellaneous | 126709674 | 119579362 | 94830 | 130769 |
| Total | 134608715 | 127364389 | 145120 | 168020 |

6. Differences in investment, arising out of the reconciliation between the book figures and the confirmation received from SHCIL (Custodian) of the Company's investments are tabulated as under. (₹ '000)

| Particulars | Nature | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| Equity and Preference Shares | Short | Book Value | Nil | Nil |
| Debentures | Short | Book Value | 4947 | 4947 |
| Total | Short | Book Value | 4947 | 4947 |
| Equity and Preference Shares | Excess | Face Value | Nil | Nil |

7. Age wise Analysis of Outstanding Claims as at 31.03.2023 are enclosed in Annexure-I

8. भारत के अंदर/बाहर व्यवसाय से लिखित पुनर्बीमा रहित प्रीमियम: (₹ '000)

| कारोबार | भारत में | | भारत के बाहर | |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| अग्नि | 8990666 | 10405146 | 95491 | 46402 |
| समुद्री | 2151116 | 2306704 | 24374 | 16026 |
| विविध | 142676072 | 121493859 | 30656 | 98389 |
| कुल | 153817854 | 134205709 | 150521 | 160817 |

9. वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पूँजी के अन्य रूप) विनियमों के तहत और आईआरडीएआई द्वारा पत्र 177/एफ एंड ए (एनएल)/जीयूआई/ओएफसी/01/2017-18/141 दिनांक 06 दिसंबर 2017 द्वारा अनुमोदित के तहत निजी प्लेसमेंट के आधार पर 8.25% की कूपन दर पर ₹ 10 लाख के डिबेंचर (एनसीडी या डिबेंचर) की स्वरूप में 9000 असुरक्षित, अधीनस्थ, सूचीबद्ध पूर्ण भुगतान वाले प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड जारी करके अधीनस्थ ऋण के रूप में ₹ 900 करोड़ जुटाए हैं। प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और 5 वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा कॉल विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार है।

कंपनी ने ISIN INE346Z08011 के तहत जारी प्रत्येक ₹ 10,00,000/- अंकित मूल्य वाले 9000 नंबर 8.25% रेटेड, असुरक्षित, अधीनस्थ, पूर्ण भुगतान, सूचीबद्ध, प्रतिदेय और डिबेंचर की प्रकृति में गैर परिवर्तनीय बांड ("एनसीडी") के संबंध में मूल राशि ₹ 900 करोड़ पूरी तरह से भुना ली है और 02 फरवरी को कॉल विकल्प का उपयोग करके डिबेंचर धारकों को देय वार्षिक ब्याज का भुगतान किया है। डिबेंचर के मोचन के परिणामस्वरूप, बीएसई ने अपने पत्र दिनांक 16 फरवरी 2023 के माध्यम से कंपनी को 17 फरवरी 2023 से स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध करने की घोषणा की है। इसके अलावा, रेटिंग एजेंसियों ने कंपनी की ऋण रेटिंग वापस ले ली है।

10. निवेश की खरीद के संबंध में, डिलीवरी ₹ 96029 हजार (₹ 117240 हजार) की सीमा तक लंबित है और निवेश की बिक्री के संबंध में ₹ 892728 हजार (₹ 169398 हजार) की राशि का भुगतान 31.03.2023 तक अतिदेय है।

11. आय पहचान के उद्देश्य से निवेश को निष्पादित और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में अलग करना: (₹ '000)

| विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| निष्पादित परिसंपत्तियाँ | 322241938 | 341673867 |
| गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ | 5357658 | 5777723 |
| कुल | 327599597 | 347451590 |

संबंधित आईआरडीए दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए (छूट/संग्रह का शुद्ध) पर चालू लेखा वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त आय की कुल राशि ₹ 1635455 हजार (₹ 1526226 हजार) है और 31.03.2023 तक ₹ 13303250 हजार (₹ 11667795 हजार) है।

12. ऋण परिसंपत्तियाँ 31-03-2023 तक पुनर्गठन के अधीन हैं (₹ '000)

| क्र.सं. | विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---------|--|------------|------------|
| 1. | पुनर्गठन के अधीन ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि | 66297 | 71482 |
| 2. | पुनर्गठन के अधीन मानक परिसंपत्तियों की राशि | 0 | 5184 |
| 3. | पुनर्गठन के अधीन उप-मानक परिसंपत्तियों की राशि | 0 | 0 |
| 4. | संदिग्ध और पुनर्गठन के अधीन अन्य परिसंपत्तियों की राशि | 66297 | 66298 |

13. आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 की अनुसूची बी के भाग ख के अनुसार, ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों' के रूप में माना जाएगा और परिशोधन के अधीन परंपरागत लागत पर मापा जाएगा। प्रीमियम का परिशोधन, पुट/कॉल विकल्प, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए, परिपक्वता की शेष अवधि में किया जाता है।

14. आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित विनियमन के अनुसार, सूचीबद्ध इक्रिटी शेयरों और म्यूचुअल निधि के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले ₹ 36783513 हजार (₹ 31663678 हजार) की अवास्तविक लाभ / हानि (शुद्ध) को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है। ऐसे निवेशों की परंपरागत लागत (बट्टे खाते में डालने का शुद्ध) ₹ 76796450 हजार (₹ 78665770 हजार) थी। लंबित वसूली के कारण, उचित मूल्य परिवर्तन खाते में क्रेडिट शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

8. Premium less reinsurance written from business in/outside India: (₹ '000)

| BUSINESS | In India | | Outside India | |
|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Fire | 8990666 | 10405146 | 95491 | 46402 |
| Marine | 2151116 | 2306704 | 24374 | 16026 |
| Miscellaneous | 142676072 | 121493859 | 30656 | 98389 |
| Total | 153817854 | 134205709 | 150521 | 160817 |

9. During the year 2017-18, the Company has raised ₹ 900 crores as Subordinated Debt issuing 9000 unsecured, subordinated, listed fully paid up redeemable non-convertible Bonds in the nature of Debentures (NCDs or Debentures) of ₹ 10 lakhs each at a coupon rate of 8.25% on a private placement basis under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2015 and as approved by IRDAI vide letter 177/F&A(NL)/GUI/OFC/01/2017-18/141 dated 06th December 2017. The tenor of the securities is 10 years with the right to exercise call option by the Company at the end of 5 years.”

The Company has redeemed in full the principal amount ₹ 900 Crores in respect of 9000 Nos. 8.25% Rated, Unsecured, Subordinated, Fully Paid-up, Listed, Redeemable and Non Convertible Bonds in the nature of Debentures (“NCDs”) face value of ₹10,00,000/- each issued under ISIN INE346Z08011 and paid annual interest due there on to the debenture holders by exercise of Call Option on 02nd February 2023. In consequence of redemption of debenture, BSE vide its letter dated 16th February 2023 has announced the Company to be unlisted from Stock Exchange with effect from 17th February 2023. Further, the rating agencies has withdrawn debt rating of the Company.

10. In respect of Purchases of Investments, deliveries are pending to the extent of ₹ 96029 thousands (₹ 117240 thousands) and in respect of sale of investments payment amounting to ₹ 892728 thousands (₹169398 thousands) is overdue as on 31.03.2023.

11. Segregation of Investments into performing and non-performing assets for the purpose of Income recognition:

(₹ '000)

| Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Performing Assets | 322241938 | 341673867 |
| Non-Performing Assets | 5357658 | 5777723 |
| Total | 327599597 | 347451590 |

The aggregate amount of income not recognized for the current accounting year on NPA (net of waiver/ collections) as per related IRDA guidelines is ₹ 1635455 thousands (₹ 1526226 thousands) and up to 31.03.2023 is ₹ 13303250 thousands (₹ 11667795 thousands).

12. Loan assets subject to Restructuring as on 31-03-2023

(₹ '000)

| Sl. No | Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--------|--|------------|------------|
| 1. | Total amount of loan assets subjected to restructuring | 66297 | 71482 |
| 2. | The amount of standard assets subjected to restructuring | 0 | 5184 |
| 3. | The amount of Sub-Standard assets subjected to restructuring | 0 | 0 |
| 4. | The amount of Doubtful and other assets subjected to restructuring | 66297 | 66298 |

13. As per Part I of Schedule B of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor’s Report of Insurance Companies) Regulations 2002, Debt Securities shall be considered as ‘Held to Maturity Securities’ and shall be measured at Historical costs subject to amortization. Amortization of premium is done over the residual period of maturity, considering put/ call option, if any.

14. In accordance with the regulation prescribed by IRDAI, unrealized gains / losses (net) amounting to ₹ 36783513 thousands (₹ 31663678 thousands) arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual funds are taken to Fair Value Change Account. The historical cost (net of write off) of such investments amounted to ₹ 76796450 thousands (₹ 78665770 thousands). Pending realization, the credit balance in the fair value change account is not available for distribution

15. उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किए गए निवेशों के बाजार मूल्य और ऐतिहासिक लागतों का विवरण इस प्रकार है: (₹ '000)

| विवरण | बाजार मूल्य | | ऐतिहासिक लागत | | उचित मूल्य परिवर्तन | |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| ईक्यूटी शेयर | 106122734 | 104617218 | 69636573 | 73015387 | 36486161 | 31601831 |
| म्यूचुअल फंड | 7457229 | 5712230 | 7159877 | 5650383 | 297352 | 61847 |
| कुल | 113579963 | 110329448 | 76796450 | 78665770 | 36783513 | 31663678 |

16. परिपत्र संख्या IR/A/FI/CIR/INV/250/12/2012 दिनांक 04.12.2012 के अनुसार, रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन में एक्सपोजर का विवरण नीचे दिया गया है: (₹ '000)

| विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | | को लंबित | |
|---|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ | | | | | | | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ | | | | | | | | |
| (iii) सरकारी प्रतिभूतियाँ | शून्य | 1352540 | शून्य | 1499713 | शून्य | 1389333 | शून्य | शून्य |
| (iv) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

17. कंपनी ने आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों पर आईआरडीएआई नियमों के अनुसार निम्नलिखित गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (डिबेंचर) के संबंध में प्रावधान किए हैं:

“रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) – 31.03.2023 को प्रावधान ₹ 872692 हजार (₹ 1149750 हजार) है जबकि कुल एक्सपोजर ₹ 872692 हजार (₹ 1149750 हजार) है। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में कुल ऋण एक्सपोजर का 100% प्रावधान किया गया है।

18. कंपनी के पास रियल एस्टेट निवेश संपत्ति नहीं है।

19. सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और स्वीकृत पुनर्बीमा के आधार पर राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है, जिसमें समुद्री कारोबार के लिए 75% और अग्नि और विविध कारोबार के लिए 100% का भार दिया जाता है।

20. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 31.03.2023 तक ₹ 75000000 हजार है। कंपनी की चुकता पूंजी ₹ 390500000 हजार (प्रत्येक ₹ 10 के ₹ 3905000000 शेयर) है।

21. 31 मार्च 2023 को सॉल्वेंसी मार्जिन (-) 0.29 है। कंपनी बोर्ड से अनुमोदन के बाद सॉल्वेंसी मार्जिन की गणना के लिए उचित मूल्य

परिवर्तन खाते में शेष राशि की 100% छूट की मांग करेगी। यदि स्वीकृत हो जाता है, तो सॉल्वेंसी मार्जिन 0.56 होगा।

22. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना से संबंधित प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार कंपनी (एक सरकारी कंपनी होने के नाते) पर लागू नहीं होते हैं।

23. विवादित मामलों को छोड़कर, कोई भी निपटारा गया बीमा दावा तुलन पत्र की तारीख तक छह महीने से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया गया – शून्य (शून्य)

24. अचल संपत्तियों में शामिल हैं:-

क) भूमि- लीजहोल्ड में बेंगलूर फाइनेंशियल सिटी में आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से प्राप्त लगभग 1 एकड़ भूमि शामिल है, जिसकी राशि उप-पट्टा-सह-बिक्री समझौते पर ₹ 39761 हजार (₹ 39761 हजार) है, जिसे उसमें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कार्यालय परिसर का निर्माण पूरा होने के बाद कंपनी के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। सिविल निर्माण कार्य पूरा करने

15. Break up of Market value and historical costs of investments which have been valued on fair value basis are as follows: (₹ '000)

| Particulars | Market Value | | Historical Cost | | Fair value change | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Equity Shares | 106122734 | 104617218 | 69636573 | 73015387 | 36486161 | 31601831 |
| Mutual fund | 7457229 | 5712230 | 7159877 | 5650383 | 297352 | 61847 |
| Total | 113579963 | 110329448 | 76796450 | 78665770 | 36783513 | 31663678 |

16. In accordance with Circular No IRDA/F&I/CIR/INV/250/12/2012 dated 04.12.2012, the details of exposure in Repo/ Reverse Repo transactions are given below: (₹ '000)

| Particulars | Minimum outstanding during the year | | Maximum outstanding during the year | | Daily Average Outstanding during the year | | Outstanding as on | |
|--|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|---|------------|-------------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Securities Sold under Repo | | | | | | | | |
| (i) Government Securities | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| (ii) Corporate Debt Securities | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Securities purchased under Reverse Repo | | | | | | | | |
| (iii) Government Securities | Nil | 1352540 | Nil | 1499713 | Nil | 1389333 | Nil | Nil |
| (iv) Corporate Debt Securities | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |

17. The Company has made provisions in respect of the following non-performing assets (Debentures) as per IRDAI regulations on income recognition, asset classification, provisioning and other related matters:

- Reliance Home Finance Ltd (RHFL) – Provision as on 31.03.2023 is ₹ 872692 thousands (₹ 1149750 thousands) against total exposure of ₹ 872692 thousands (₹ 1149750 thousands). Provision has been made at 100% of the total debt exposure in Reliance Home Finance Ltd.

18. The Company does not have Real Estate Investment Property

19. Interest, Dividends and Rent are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of gross direct premium plus reinsurance accepted, giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business.

20. The Authorized Share Capital of the Company is at ₹ 75000000 thousands as of 31.03.2023. The Paid up Capital of the Company is ₹390500000 thousands (3905000000 shares of ₹10 each)

21. The Solvency margin as on 31st March 2023 is (-) 0.29. The Company will seek 100% forbearance of balance in Fair Value change account for calculation

of Solvency Margin after approval from the Board of the company. If approved, the Solvency margin would be 0.56

22. Computation of Managerial Remuneration:

Disclosure relating to computation of managerial remuneration has not been made as the provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the company (being a government company) vide Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR463 (E) dated 5th June, 2015.

23. Barring disputed cases, no settled insurance claim remained unpaid for more than six months as on the Balance Sheet date – NIL (NIL).

24. Fixed Assets include: -

A) Land- Leasehold includes land measuring about 1 acre acquired from IFCI Infrastructure Development Ltd (IIDL) at Bangalore Financial City, amounting to ₹ 39761 thousands (₹ 39761 thousands) on sub-lease-cum-sale agreement, which will be registered in the name of the company after completion of construction of office complex within the time limit specified therein. The time limit for completion of civil construction work and commencement of

और गतिविधि/कारोबार शुरू करने की समय सीमा दिसंबर 2018 तक थी।

चूँकि कई उप आवंटियों ने निर्माण पूरा नहीं किया है, केआईएडीबी (कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियार्स डेवलपमेंट बोर्ड) ने अपने पत्र दिनांक 03 सितंबर, 2018 के माध्यम से अपने बोर्ड के फैसले की जानकारी देते हुए समय का और विस्तार हेतु आईआईडीएल को मंजूरी के लिए राज्य उच्च स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमेटी (एसएचएसएसडब्ल्यूसीसी) से संपर्क करने की सलाह दी।

इस बीच, कंपनी ने साइट पर कंपाउंड वॉल का निर्माण कर लिया है। 16.02.2021 को सभी उप पट्टेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान, केआईएडीबी द्वारा 30 सितंबर 2022 तक दो साल के लिए विस्तार दिया गया और सभी उप पट्टेदारों द्वारा विस्तारित समयसीमा के भीतर निर्माण पूरा किया जाना था। विस्तार अवधि की समाप्ति पर, आईआईडीएल ने उप-पट्टेदारों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन के लिए समय के विस्तार के साथ-साथ लीज अवधि के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। कंपनी ने आईआईडीएल के जवाब में कहा है कि निर्माण गतिविधि का विवरण उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा और प्रारंभिक चरण में युइंडकं के लिए बिजली आपूर्ति की न्यूनतम मानक आवश्यकताओं पर विचार किया जा सकता है।

ख) ₹102529 हजार (₹ 166341 हजार) मूल्य की इमारतें संप्रेषण और पंजीकरण के लिए लंबित हैं।

ग) अनुसूची 10 (स्थिर संपत्ति) में शामिल फ्रीहोल्ड भूमि के तहत ₹ 241 हजार (₹ 241 हजार) की 5 संपत्तियों के संबंध में शीर्षक विलेख युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विलय की गई पूर्ववर्ती कंपनियों के नाम पर हैं। एलिस ब्रिज, अहमदाबाद में लीजहोल्ड संपत्ति के लिए ₹ 2334 हजार (₹ 2334 हजार) मूल्य का एक लीज डीड उपलब्ध नहीं है।

घ) अचल संपत्ति मॉड्यूल को परिसंपत्तियों की भौतिक उपलब्धता से जोड़ा जाएगा।

25. कंपनी ₹ 2000000 हजार (₹ 15000000 हजार की सामूहिक क्षमता के साथ जीआईसी द्वारा प्रशासित) की भागीदारी के साथ इंडिया न्यूक्लियर पूल इंश्योरेंस की सदस्य है। वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से प्रीमियम के हमारे हिस्से के रूप में ₹ 207000 हजार (₹ 207000 हजार) का हिसाब लगाया है और इसे 100% की दर से सौंप दिया गया है। पुनर्बीमा आवक ₹ 138008 हजार (₹ 136619 हजार) पर बुक की गई थी और इसे देयता प्रीमियम के तहत दर्ज किया गया है।
26. हांगकांग स्थित कंपनी की एजेंसी ने 01.04.2002 से बीमालेखन परिचालन बंद कर दिया है और रन ऑफ परिचालन से संबंधित

व्यवहारों का हिसाब में लिया गया है। अंतिम आईबीएनआर/आईबीएनईआर रिपोर्ट लंबित होने के कारण, गत वर्ष के लिए बीमांकक की रिपोर्ट पर आधारित शून्य प्रावधान पर वर्तमान वर्ष के लिए विचार किया गया है। कंपनी ने 2022-23 के दौरान रन ऑफ परिचालन के प्रबंधन के लिए ₹ 2371 हजार (₹ 2540 हजार) की राशि खर्च की और 31.03.2023 तक ₹ 26151 हजार (₹ 24226 हजार) की राशि के तीन दावे बकाया हैं।

27. बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2023 को आईबीएनआर/आईबीएनईआर रिजर्व ₹ 123426786 हजार (₹ 119465260 हजार) है, जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में अतिरिक्त प्रावधान ₹ 3961526 हजार (₹ 6540715 हजार) हो गया है।
28. अंतर-कार्यालय खातों का समाधान प्रगति पर है और तुलन पत्र की तारीख के अनुसार ₹ 378 हजार (क्रेडिट बैलेंस) (₹ 978 हजार (क्रेडिट बैलेंस)) का अंतर है।
29. बीमा कारोबार चलाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से देय / देय शेष राशि का समय-समय पर निपटान किया जाता है। हालाँकि, वर्ष के अंत की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।
 - पुनर्बीमा के संबंध में, खातों के विवरण के आधार पर दलालों/पुनर्बीमाकर्ताओं को निपटान किया जाता है। हालाँकि, वर्ष के अंत की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।
 - जमा, अग्रिम और अन्य खातों में केंद्र/राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए वसूली योग्य ₹ 2269266 हजार (₹ 2354074 हजार) की राशि शामिल है। (₹ '000)

| | 31-03-2023 तक | 31-03-2022 तक |
|----------------|------------------|------------------|
| एक वर्ष से कम | 794988 | 883451 |
| 1 - 3 वर्ष | 81704 | 78679 |
| 3 वर्ष से अधिक | 1392574 | 1392574 |
| कुल | 2269266 | 2354704 |

- अन्य अग्रिमों में ₹ 561987 हजार (₹ 744600 हजार) की राशि शामिल है जो बकाया जीएसटी इनपुट क्रेडिट शेष का प्रदर्शित करती है, जिसे युइंडकं जीएसटी अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले जीएसटी पोर्टल में विक्रेताओं द्वारा दायर मिलान इनवाइस के समाधान पर दावा करने के लिए पात्र है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी का हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो 29 मार्च 2019 के वचन पत्र के अनुसार 8.4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹ 144.32 करोड़ की सीमा तक जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीआईसी एचएफएल) के पक्ष में सौंपा गया है।

activity/business was upto December 2018. As many of the sub allottees have not completed construction, KIADB (Karnataka Industrial Areas Development Board) vide its letter dated 03rd September, 2018 informed its board decision advising IIDL to approach the State High Level Single Window Clearance Committee (SHLSWCC) for approval for a further extension of time.

In the meanwhile, the company has constructed compound wall at the site. During the meeting held on 16.02.2021 through video conference with all sub lessees, extension for two years up to 30th September 2022 was granted by KIADB and construction to be completed by all the sub lessees within the extended timeline. On expiry of the extension period, IIDL submitted application for renewal of the Lease period along with extension of time for project implementation by the sub-lessees. The Company in response to IIDL has represented that the details of construction activity will be submitted in due course and the minimum standard requirements of power supply may be considered for UIIC in the initial phase.

- B) Buildings valued at ₹ 102529 thousands (₹ 166341 thousands) are pending for Conveyance and Registration.
 - C) Title deeds in respect of 5 properties of ₹ 241 thousands (₹ 241 thousands) under the Freehold lands included in schedule 10 (Fixed Assets) are in the name of erstwhile companies merged with United India Insurance Co. Ltd. One lease deed for leasehold property at Ellis Bridge, Ahmedabad valued at ₹ 2334 thousands (₹ 2334 thousands) is not available.
 - D) Fixed assets module to be linked with the physical availability of the assets.
25. The Company is a member of India Nuclear Pool Insurance with a participation of ₹ 2000000 thousands (administrated by GIC with a collective capacity of ₹ 15000000 thousands). For the year 2022-23 the company has accounted ₹ 207000 thousands (₹ 207000 thousands) as our share of premium on direct side and the same was ceded @ 100%. RI inward was booked at ₹ 138008 thousands (₹ 136619 thousands) and is accounted under Liability Premium.
26. The Company's Agency at Hong Kong ceased underwriting operations with effect from 01.04.2002 and the transactions relating to run off operations have been accounted. Pending final IBNR/IBNER

report, the NIL provision based on the Actuary's report for the previous year has been considered for current year. The company incurred a sum of ₹ 2371 thousands (₹ 2540 thousands) towards expenditure for managing the Run off operations during 2022-23 and three claims amounting to ₹ 26151 thousands (₹ 24226 thousands) are outstanding as on 31.03.2023.

- 27. As per the Actuarial Valuation, the IBNR/IBNER Reserves as on 31st March 2023 is ₹ 123426786 thousands (₹ 119465260 thousands), resulting in additional provisioning in the current year amounting to ₹ 3961526 thousands (₹ 6540715 thousands).
- 28. Reconciliation of Inter-Office accounts is in progress and as on the balance sheet date there is a difference of ₹ 378 thousands (credit balance) (₹ 978 thousands {credit balance}).
- 29. Balances Due from / Due to other persons or bodies carrying on Insurance business, are settled periodically. However, confirmations of balance have not been received for year-end balances.
 - In respect of Reinsurance, settlements are effected to brokers /reinsurers based on statement of accounts. However, confirmations of balance have not been received for year-end balances.
 - Deposits, Advances & Other Accounts include a sum of ₹ 2269266 thousands (₹ 2354074 thousands) recoverable from Central/ State Government towards various schemes.

(₹ '000)

| | As on 31-03-2023 | As on 31-03-2022 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Less than 1 year | 794988 | 883451 |
| 1 – 3 years | 81704 | 78679 |
| More than 3 years | 1392574 | 1392574 |
| Total | 2269266 | 2354704 |

- Other Advances includes a sum of ₹561987 thousands (₹744600 thousands) which represents outstanding GST input credit balance which UIIC is eligible to claim upon reconciliation of matching invoices filed by vendors in GST portal before the due date specified by the GST Act.
- During the year 2018-19, the Housing Loan Portfolio of the Company has been assigned in favour of GIC Housing Finance Ltd. (GIC HFL) to the extent of ₹ 144.32 crores as per undertaking dated 29th March 2019 at an interest rate of 8.4% p.a.

31 मार्च 2018 तक आवास ऋण शेष, जहां ऋण ६ महीने से अधिक (90%) और ६ महीने से कम (80%) के लिए नियमित रूप से चुकाया गया है, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में सौंपा गया है। मूल संपत्ति दस्तावेज जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से युइंकेकं द्वारा ट्रस्ट में रखे जाएंगे। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ सहमति के अनुसार 8.4% ब्याज और कर्मचारियों से वसूली गई ब्याज राशि के बीच का अंतर कंपनी द्वारा अवशोषित किया जाता है।

30. क) आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित लेखा अनुपात अनुलग्नक II में दिए गए हैं ।
 ख) आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभाजन प्रतिवेदन वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियों के साथ दी गई है ।
 ग) आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित तरीके से गत पांच वर्षों के वित्तीय विवरणों का सारांश अनुलग्नक खखख में दिया गया है ।

31. पेंशन

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 1627 (ई) दिनांक 23.04.2019 के माध्यम से उन सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों के लिए एक अंतिम विकल्प को मंजूरी दी, जो 1995 से पहले कंपनी की सेवाओं में शामिल हुए हैं, ताकि वे सामान्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन का विकल्प चुन सकें। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, इस योजना के तहत पेंशन का विकल्प चुनने वाले मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में भविष्य की देनदारी ₹ 12655948 हजार है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संदर्भ 411/F&A(NL) /Amort-EB/2019-20/125 दिनांक 07-07-2020 के माध्यम से कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 से पांच साल की अवधि में पेंशन योजना 1995 के विस्तार से उत्पन्न होने वाली ₹ 12655948 हजार की अतिरिक्त भविष्य की पेंशन देनदारी के परिशोधन की अनुमति दी है।

तदनुसार, कंपनी ने वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान कुल देनदारी का पांचवां हिस्सा, यानी ₹ 2531190 हजार रुपये प्रत्येक को अवशोषित कर लिया है। भविष्य में ली जाने वाली देनदारी की अवशोषित राशि ₹ 2531190 हजार है।

(₹ '000)

| पेंशन | |
|---------------------------------------|---|
| विवरण | योजना के विस्तार के लिए परिशोधन की जाने वाली राशि |
| कुल देनदारी | 12655948 |
| वर्ष 2019-20 में अवशोषित | 2531190 |
| वर्ष 2020-21 में अवशोषित | 2531190 |
| वर्ष 2021-22 में अवशोषित | 2531190 |
| वर्ष 2022-23 में अवशोषित | 2531190 |
| वर्ष 2023-24 में अवशोषित किया जाना है | 2531188 |

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ

(i) भविष्य निधि

पात्र कर्मचारी (जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना है) को भविष्य निधि से लाभ मिलता है, जो एक नियत लाभ योजना है। सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या रोजगार समाप्ति पर ब्याज सहित कुल योगदान का भुगतान किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर मासिक योगदान करते हैं। ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न और ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के बीच यदि कोई कमी है तो उसे पूरा करना कंपनी का दायित्व है।

कंपनी ने राजस्व खातों और लाभ और हानि खाते में भविष्य निधि योगदान के लिए ₹ 1899807 हजार (₹ 15601 हजार) को मान्यता दी।

(ii) उपदान

कंपनी पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए उपदान, एक नियत लाभ सेवानिवृत्ति योजना ("उपदान योजना") प्रदान करती है। उपदान योजना निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार के कार्यकाल के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। पांच साल की सेवा पूरी होने पर निहित होती है। उपदान योजना के संबंध में देयताएं तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसके आधार पर, कंपनी युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज उपदान निधि ट्रस्ट ("ट्रस्ट") में सभी निश्चित दायित्व का योगदान करती है। ट्रस्टी ट्रस्ट में किए गए योगदान का प्रबंधन करते हैं और योगदान को कानून द्वारा अनुमति के अनुसार विशिष्ट निवेशों में निवेश किया जाता है।

(iii) (क) सेवानिवृत्ति/पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए मासिक पेंशन, एक नियत लाभ सेवानिवृत्ति योजना ("पेंशन योजना") प्रदान करती है। पेंशन योजना कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु तक मासिक पेंशन प्रदान करती है। मासिक पेंशन संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार के कार्यकाल पर आधारित है। दस वर्ष की सेवा पूरी होने पर निहित होती है। कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम से वार्षिकी खरीदकर मासिक पेंशन का भुगतान करती है। पेंशन योजना के संबंध में देयताएं तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसके आधार पर, कंपनी सभी सुनिश्चित दायित्व को युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज पेंशन निधि ट्रस्ट ("ट्रस्ट") में योगदान करती है। ट्रस्टी ट्रस्ट में किए गए योगदान का प्रबंधन करते हैं और योगदान को कानून द्वारा अनुमति के अनुसार विशिष्ट निवेशों में निवेश किया जाता है।

Housing Loan Balances as on 31st March 2018, where the loan has been serviced regularly for more than 6 months (90%) and less than 6 months (80%) has been assigned in favour of GIC Housing Finance Ltd. The original Property documents will be held in trust by UIIC on behalf of GIC Housing Finance Ltd. The difference between interest of 8.4% as agreed with GIC Housing Finance Ltd and the interest amount recovered from the employees is absorbed by the Company.

30. a) Accounting Ratios as prescribed by IRDAI are given in Annexure II.
- b) Segmental reporting in the format prescribed by IRDAI is given along with Schedules forming part of Financial Statements.
- c) A summary of financial statements for the last five years in the manner prescribed by IRDAI is given in Annexure III.

31. Pension

Government of India vide gazette notification no 1627(E) dated 23.04.2019 approved a final option to the Retired and existing Employees who have joined the services of the Company before 1995 to opt for Pension under General Employees' Pension Scheme 1995. As per Actuarial valuation, the future liability in respect of existing employees who have opted for pension under this scheme is ₹ 12655948 thousands.

Insurance Regulatory and Development Authority of India, vide its letter Ref 411/F&A(NL) /Amort-EB/2019-20/125 dated 07-07-2020, has allowed amortization, of additional future Pension liability of ₹ 12655948 thousands arising out of extension of Pension Scheme 1995 to the existing employees of the company, over a period of five years with effect from financial year 2019-20.

Accordingly, the company has absorbed one fifth of the total liability, amounting to ₹ 2531190 thousands each during the years 2019-20 till 2022-23. The unabsorbed amount of future liability carried over is ₹ 2531190 thousands.

(₹ '000)

| Pension | |
|--------------------------------|--|
| Particulars | Amount to be Amortized for Extension of Scheme |
| Total liability | 12655948 |
| Absorbed in year 2019-20 | 2531190 |
| Absorbed in year 2020-21 | 2531190 |
| Absorbed in year 2021-22 | 2531190 |
| Absorbed in year 2022-23 | 2531190 |
| To be Absorbed in year 2023-24 | 2531188 |

Retirement benefits to employees

(i) Provident fund

Eligible employees (employees not opted for pension plan) receive benefits from the provident fund, which is a defined benefit plan. Aggregate contributions along with interest thereon are paid at retirement, death, incapacitation or termination of employment. Both the employee and the Company make monthly contributions to the United India Insurance Employee's Provident Fund Trust equal to a specified percentage of the covered employee's salary. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return from the investments of the trust and the interest rate notified by the trust.

The Company recognized ₹1899807 thousands (₹15601 thousands) for provident fund contribution in the Revenue Accounts and Profit and Loss account.

(ii) Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan (the "Gratuity Plan") covering eligible employees. The Gratuity Plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement, death, incapacitation or termination of employment, of an amount based on the respective employee's salary and the tenure of employment. Vesting occurs upon completion of five years of service. Liabilities with regard to the Gratuity Plan are determined by actuarial valuation as of the balance sheet date, based upon which, the company contributes all the ascertained liabilities to the United India Insurance Employees' Gratuity Fund Trust (the "Trust"). Trustees administer contributions made to the Trust and contributions are invested in specific investments as permitted by law.

(iii) (a) Superannuation/ Pension

The Company provides for monthly pension, a defined benefit retirement plan (the "pension Plan") covering eligible employees. The pension Plan provides a monthly pension after retirement of the employees till death. The Monthly pension is based on the respective employee's salary and the tenure of employment. Vesting occurs upon completion of ten years of service. The company pays the monthly pension by purchasing the annuity from Life Insurance Corporation of India. Liabilities with regard to the pension Plan are determined by actuarial valuation as of the balance sheet date, based upon which, the company contributes all the ascertained liabilities to the United India Insurance Employees' Pension Fund Trust (the "Trust"). Trustees administer contributions made to the Trust and contributions are invested in specific investments as permitted by law.

(iii) (ख) नई सेवानिवृत्ति/नई पेंशन

नई पेंशन योजना एक परिभाषित योगदान योजना है, जो 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है। कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है।

कंपनी ने राजस्व खातों और लाभ और हानि खाते में पेंशन योगदान के लिए ₹ 492354 हजार (₹ 282036 हजार) को मान्यता दी।

(iv) अवकाश नकदीकरण

कंपनी के कर्मचारी अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं। कर्मचारी अप्रयुक्त अर्जित अवकाश नकदीकरण के एक हिस्से को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य की अवधि में इसका उपयोग कर सकते हैं या अधिकतम 240 दिनों के लिए अप्रयुक्त अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए सेवानिवृत्ति या रोजगार समाप्ति पर नकद मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी उस अवधि में छुट्टी नकदीकरण के लिए एक दायित्व दर्ज करती है जिसमें कर्मचारी इस पात्रता को बढ़ाने वाली सेवाएं प्रदान

करता है। कंपनी अवकाश नकदीकरण की अपेक्षित लागत को उस अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जिसे कंपनी अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की उम्मीद करती है जो कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर जमा हुई है।

(v) चिकित्सकीय अवकाश

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 से चिकित्सकीय अवकाश के प्रावधान को वापस ले लिया है क्योंकि सेवा के दौरान किसी भी समय और इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के समय चिकित्सकीय अवकाश का कोई नकदीकरण नहीं होता है और इसलिए संशोधित एएस 15 (2005) के पैरा 14 के तहत आवश्यक कोई भुगतान शामिल नहीं है। संशोधित एएस 15 (2005) के पैरा 14 के अनुसार, "एक उद्यम को क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को जमा करने की अपेक्षित लागत को उस अतिरिक्त राशि के रूप में मापना चाहिए जिसे उद्यम तुलन पत्र की तारीख में जमा हुई अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की उम्मीद करता है।"

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2023 तक उपदान/पेंशन योजना की वित्त पोषित स्थिति और कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि निर्धारित करती है।

क. परिभाषित लाभ दायित्व के प्रारंभिक और समापन शेष का समाधान:
(₹ '000)

| विवरण | पेंशन निधि | | उपदान निधि | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व | 46393849 | 42036243 | 11108693 | 12198456 |
| चालू सेवाएं लागत | 841211 | 734198 | 246513 | 263932 |
| ब्याज लागत | 3048156 | 2414011 | 662082 | 682848 |
| बीमांकिक (लाभ)/हानि | 24140513 | 12779357 | 1521333 | 682624 |
| वर्ष के दौरान अवशोषित की गई परिशोधन राशि | 2531190 | 2531190 | 0 | 0 |
| पिछली सेवा लागत | 0 | 0 | 0 | 0 |
| भुगतान किया गया लाभ | (20529867) | 14101150 | (3300758) | 2719169 |
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व | 56425052 | 46393849 | 10237863 | 11108693 |

ख. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक और समापन शेष का समाधान:
(₹ '000)

| विवरण | पेंशन निधि | | उपदान निधि | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 31079039 | 33506000 | 10823791 | 10696300 |
| योजना आस्तियों पर संभावित लाभ | 1607497 | 2451219 | 709222 | 711320 |
| बीमांकिक लाभ/(हानि) | 3411171 | 257801 | 4158 | 364681 |
| अन्य कंपनियों से प्राप्त | 0 | 0 | 808 | 0 |
| नियोक्ता योगदान | 15680000 | 12455000 | 1190000 | 1770658 |
| पिछला योगदान | 309804 | (3489831) | 362930 | 0 |
| भुगतान किया गया लाभ | (20529867) | (14101150) | (3300758) | 2719169 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 31557644 | 31079039 | 9790151 | 10823791 |

(iii) (b) New Superannuation/ New Pension

New pension scheme which is applicable to employees who joined the company on or after 1st April 2010 is a defined contribution scheme. The company pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the company is limited to such fixed contribution.

The Company recognized ₹ 492354 thousands (₹ 282036 thousands) for pension contribution in the Revenue Accounts and Profit and Loss account.

(iv) Leave encashment

The employees of the Company are entitled to Leave Encashment. The employees can carry forward a portion of the unutilized accrued Leave Encashment and utilize it in future periods or receive cash compensation at retirement or termination of employment for the unutilized accrued Leave Encashment for a maximum of 240 days. The company records an obligation for Leave Encashment in the period in which the employee renders the services that increase this entitlement. The Company

measures the expected cost of Leave Encashment as the additional amount that the company expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the balance sheet date based on actuarial valuation.

(v) Sick Leave

The company has withdrawn the provision for sick leave from FY 2022-23 onwards since there is no encashment for sick leave anytime during service and also at the time of resignation or retirement and therefore there is no payment involved as required under Para 14 of AS 15 (2005) revised. As per Para 14 of AS 15 (2005) revised, "An enterprise should measure the expected cost of accumulating compensated absences as the additional amount that the enterprise expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date.

The following table sets out the funded status of gratuity/pension plan and the amounts recognized in the company's financial statements as at March 31, 2023.

A. Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit obligation:

(₹ '000)

| Particulars | Pension Fund | | Gratuity Fund | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Defined benefit obligation at the beginning of the year | 46393849 | 42036243 | 11108693 | 12198456 |
| Current service cost | 841211 | 734198 | 246513 | 263932 |
| Interest cost | 3048156 | 2414011 | 662082 | 682848 |
| Actuarial (gain)/loss | 24140513 | 12779357 | 1521333 | 682624 |
| Amortized amount absorbed during the year | 2531190 | 2531190 | 0 | 0 |
| Past Service Cost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benefits paid | (20529867) | 14101150 | (3300758) | 2719169 |
| Defined benefit obligation at the end of the year | 56425052 | 46393849 | 10237863 | 11108693 |

B. Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets:

(₹ '000)

| Particulars | Pension Fund | | Gratuity Fund | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Fair value of plan assets at the beginning of the year | 31079039 | 33506000 | 10823791 | 10696300 |
| Expected return on plan assets | 1607497 | 2451219 | 709222 | 711320 |
| Actuarial gain/(loss) | 3411171 | 257801 | 4158 | 364681 |
| Received from other companies | 0 | 0 | 808 | 0 |
| Employer contribution | 15680000 | 12455000 | 1190000 | 1770658 |
| Past Contribution | 309804 | (3489831) | 362930 | 0 |
| Benefits paid | (20529867) | (14101150) | (3300758) | 2719169 |
| Fair value of plan assets at the end of the year | 31557644 | 31079039 | 9790151 | 10823791 |

ग. संपत्ति और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान:

(₹ '000)

| विवरण | पेंशन निधि | | उपदान निधि | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 31557644 | 31079039 | 9790151 | 10823791 |
| वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 58956241 | 43862659 | 10237863 | 11108693 |
| अवशोषित दायित्व | 2531190 | 2531190 | 0 | 0 |
| तुलन पत्र में गैर-निधिकृत देयता/(संपत्ति) को किया गया मान्य | 24867407 | 15314810 | 447712 | 284902 |

घ. लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय:

(₹ '000)

| विवरण | पेंशन निधि | | उपदान निधि | |
|---|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| चालू सेवाएं लागत | 841211 | 734198 | 246513 | 263932 |
| ब्याज लागत | 3048155 | 2414011 | 662082 | 682849 |
| योजना आस्तियों से अनुमानित लाभ | (1607497) | (2451219) | (709222) | 711320 |
| शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि | 20729341 | 12521555 | 1517175 | 317944 |
| अन्य कंपनियों से प्राप्त | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वर्ष के दौरान परिशोधन | 2531190 | 0 | 0 | 0 |
| लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल व्यय | 25542400 | 13218545 | 1716548 | 553405 |
| योजना आस्तियों पर वास्तविक रिटर्न | 5018668 | (2709021) | 713380 | 1076001 |

ड. ट्रस्ट द्वारा बनाए रखा निवेश प्रतिशत

(In %)

| विवरण | पेंशन निधि | | उपदान निधि | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| सरकारी प्रतिभूतियां | 7.13 | 8.69 | 6.31 | 12.40 |
| उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड | 12.42 | 15.30 | 1.06 | 12.40 |
| सूचीबद्ध कंपनी के इक्विटी शेयर | 0.47 | 1.49 | 0 | 0 |
| विशेष जमा योजना (म्यूचुअल फंड) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य | 79.98 | 74.52 | 92.63 | 75.20 |

च. बैलेंस शीट की तारीख पर मूल बीमांकिक धारणा (भारत औसत के रूप में व्यक्त)

(In %)

| विवरण | पेंशन (वित्त पोषित) | उपदान (वित्त पोषित) | अवकाश नकदीकरण (गैर वित्त पोषित) |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| छूट की दर | 7.48 | 7.47 | 7.47 |
| योजना आस्तियों पर लाभ की अनुमानित दर | 7.40 | 7.00 | N.A |
| वेतन में वृद्धि की दर | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| कर्मचारी कारोबार | महत्वपूर्ण नहीं है | | |
| मृत्यु दर | सेवारत कर्मचारियों के लिए एलआईसी (2012-14) और सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए एलआईसी (2012-15) गत वर्ष - (सेवारत कर्मचारियों के लिए एलआईसी (2006-08) और सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए एलआईसी (1996-98) | | |
| इस्तेमाल की गई विधि | प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि | | |

छ. बीमांकिक अनुमान का आधार

| विवरण | धारणा का आधार |
|--------------------------------------|--|
| योजना आस्तियों पर लाभ की अनुमानित दर | एक वर्ष का ब्याज दर |
| वेतन में वृद्धि की दर | बीमांकिक मूल्यांकन में मान्य किया गया भविष्य के वेतन वृद्धि का अनुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखता है। |

C. Reconciliation of fair value of assets and obligations: (₹ '000)

| Particulars | Pension Fund | | Gratuity Fund | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Fair value of plan assets as at the end of the year | 31557644 | 31079039 | 9790151 | 10823791 |
| Present value of obligations as at the end of the year | 58956241 | 43862659 | 10237863 | 11108693 |
| Absorbed Liability | 2531190 | 2531190 | 0 | 0 |
| Unfunded liability/ (asset) recognized in the Balance Sheet | 24867407 | 15314810 | 447712 | 284902 |

D. Expense recognized in the Profit and Loss account: (₹ '000)

| Particulars | Pension Fund | | Gratuity Fund | |
|--|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Current service cost | 841211 | 734198 | 246513 | 263932 |
| Interest cost | 3048155 | 2414011 | 662082 | 682849 |
| Expected return on plan assets | (1607497) | (2451219) | (709222) | 711320 |
| Net Actuarial (gain)/loss | 20729341 | 12521555 | 1517175 | 317944 |
| Received from other companies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortization During the year | 2531190 | 0 | 0 | 0 |
| Total expenses recognized in the Profit and Loss account | 25542400 | 13218545 | 1716548 | 553405 |
| Actual return on plan assets | 5018668 | (2709021) | 713380 | 1076001 |

E. Investment percentage maintained by the trust (In %)

| Particulars | Pension (Funded) | | Gratuity (Funded) | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Government securities | 7.13 | 8.69 | 6.31 | 12.40 |
| High Quality Corporate Bonds | 12.42 | 15.30 | 1.06 | 12.40 |
| Equity Shares of Listed Co. | 0.47 | 1.49 | 0 | 0 |
| Special Deposit Scheme (Mutual Fund) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 79.98 | 74.52 | 92.63 | 75.20 |

F. Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet date (expressed as weighted average) (In %)

| Particulars | Pension (Funded) | Gratuity (Funded) | Leave Encashment (Unfunded) |
|--|---|-------------------|-----------------------------|
| Discount rate | 7.48 | 7.47 | 7.47 |
| Expected rate of return on plan assets | 7.40 | 7.00 | N.A |
| Rate of escalation in salary | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Employee turnover | Not significant | | |
| Mortality | LIC (2012-14) for serving employees and LIC (2012-15) for retired members Previous Year -(LIC (2006-08) for serving employees and LIC (1996-98) for retired members) | | |
| Method used | Projected Unit Credit Method | | |

G. Basis of Actuarial assumption considered

| Particulars | Basis of assumption |
|--|---|
| Expected rate of return on plan assets | One-year Interest rate |
| Rate of escalation in salary | The estimate of future salary increase, considered in actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employment market |

ज. (1) चालू वर्ष और पिछले चार वर्षों में मान्य की गई राशि: (₹ '000)

| विवरण (पेंशन) | समाप्त वर्ष | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31-03-2019 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2022 | 31-03-2023 |
| नियत लाभ दायित्व का यूल्स | 31965544 | 48881898 | 42036243 | 46393849 | 56425051 |
| योजना आस्तियां | 29388303 | 31856204 | 33506000 | 31079039 | 31557644 |
| अधिशेष/(कमी) | (339937) | (17025694) | (8530243) | (15314810) | (24867407) |
| योजना दायित्वों पर बीमांकन (लाभ)/ हानि | 2237304 | 35156163 | 9100721 | 12779357 | 24140513 |
| योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकन (लाभ)/ हानि | 91922 | (76756) | (480044) | (257801) | 3411171 |

ज. (2) चालू वर्ष और पिछले चार वर्षों में मान्य की गई राशि: (₹ '000)

| विवरण उपदान | समाप्त वर्ष | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31-03-2019 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2022 | 31-03-2023 |
| नियत लाभ दायित्व का मूल्य | 11514123 | 12320302 | 12198456 | 11108693 | 10237863 |
| योजना आस्तियां | 10496842 | 13307618 | 10696300 | 10823791 | 9790151 |
| अधिशेष/(कमी) | (1017281) | 987316 | (1502156) | (284902) | (447712) |
| योजना दायित्वों पर बीमांकन (लाभ)/ हानि | 483469 | 954612 | 1007920 | 682624 | 1521333 |
| योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकन (लाभ)/ हानि | 106707 | (125968) | (136059) | 364681 | 4158 |

32. भारत सरकार की विस्तृत राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 4896, 4897 और 4898ई दिनांक 14.10.2022 के द्वारा 01.08.2017 से कर्मचारियों के वेतन संशोधन को अधिसूचित किया गया। "कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण लाभ" के तहत ₹ 2901 करोड़ की राशि शामिल की गई है, जो वर्तमान और सेवानिवृत्त पात्र कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि और एएस-15 के अनुसार वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लाभ के प्रति बीमांकिक दायित्व में वृद्धि को प्रदर्शित करती है

33. नियामक आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित शीर्षों के तहत किए गए व्यय का खुलासा किया गया है: (₹ '000)

| विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|------------------|------------|------------|
| आउटसोर्सिंग व्यय | 332550 | 227644 |
| व्यवसाय विस्तार | 734749 | 742447 |
| विपणन समर्थन | शून्य | शून्य |

34. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (एस 18):

क. संबंधित पक्ष का नाम और कंपनी के साथ उनका संबंध:

- सहायक
मेसर्स जेनिथ सिक्वोरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
- सहयोगी
मेसर्स इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
मेसर्स हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत
- सामान्य निदेशक
मेसर्स केन इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या
मेसर्स जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, भारत
- प्रमुख प्रबंधन कार्यपालक
श्री सत्यजीत त्रिपाठी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (01-04-2022 से)।
श्री नवनीत डोडा, महाप्रबंधक एवं पूर्ण कालिक निदेशक (21.11.2022 से 30.11.2022 तक)
सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि, महाप्रबंधक एवं पूर्ण कालिक निदेशक (18.11.2022 से)
श्री जी सुंदर रमन, महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी (01-04-2022 से)।
सुश्री अनघा शांतनु देशपांडे, कंपनी सचिव (01-04-2022 से)।

H. (1) Amount recognized in current year and previous four years: (₹ '000)

| Particulars (Pension) | Year Ended | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31-03-2019 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2022 | 31-03-2023 |
| Defined Benefit Obligation | 31965544 | 48881898 | 42036243 | 46393849 | 56425051 |
| Plan Assets | 29388303 | 31856204 | 33506000 | 31079039 | 31557644 |
| Surplus/ (Deficit) | (339937) | (17025694) | (8530243) | (15314810) | (24867407) |
| Actuarial (gain)/loss on plan obligation | 2237304 | 35156163 | 9100721 | 12779357 | 24140513 |
| Actuarial (gain)/loss on plan assets | 91922 | (76756) | (480044) | (257801) | 3411171 |

H. (2) Amount recognized in current year and previous four years: (₹ '000)

| Particulars (Gratuity) | Year Ended | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31-03-2019 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2022 | 31-03-2023 |
| Defined Benefit Obligation | 11514123 | 12320302 | 12198456 | 11108693 | 10237863 |
| Plan Assets | 10496842 | 13307618 | 10696300 | 10823791 | 9790151 |
| Surplus/ (Deficit) | (1017281) | 987316 | (1502156) | (284902) | (447712) |
| Actuarial (gain)/loss on plan obligation | 483469 | 954612 | 1007920 | 682624 | 1521333 |
| Actuarial (gain)/loss on plan assets | 106707 | (125968) | (136059) | 364681 | 4158 |

32. Government of India vide Gazette Notification No. S.O 4896, 4897 & 4898E dated 14.10.2022 notified the wage revision of employees with effect from 01.08.2017. An amount of ₹2901 crores has been included under "Employee Remuneration and Welfare Benefits" which represents arrears paid to the current and retired eligible employees and increase in actuarial liability towards employee benefit on account of wage revision as per AS-15.

33. The expenses incurred under the following heads are disclosed as per Regulatory requirement: (₹ '000)

| Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|----------------------|------------|------------|
| Outsourcing Expenses | 332550 | 227644 |
| Business Development | 734749 | 742447 |
| Marketing Support | NIL | NIL |

34. Related party disclosures (AS 18):

a. Name of the related party and their relationship with the company:

i) Subsidiary

M/s. Zenith Securities and Investments Limited

ii) Associates

M/s. India International Insurance Pte Ltd., Singapore

M/s. Health Insurance TPA of India Ltd., India

iii) Common Director

M/s. Ken India Assurance Co Ltd., Kenya

M/s GIC Housing Finance Ltd., India

iv) Key Management Personnel

Shri Satyajit Tripathy, Chairman cum Managing Director (From 01-04-2022).

Shri Navneet Doda, General Manager & WTD (from 21.11.2022 to 30.11.2022)

Ms. Rajeshwari Singh Muni, General Manager & WTD (from 18.11.2022)

Shri G Sundararaman, General Manager & CFO (From 01-04-2022).

Ms. Anagha Shantanu Deshpande, Company Secretary (From 01-04-2022).

ख. व्यवहारों का विवरण

(₹ '000)

| क्रम संख्या | विवरण | मे. इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेस प्रा. लि. | मे. केन इंडिया इश्यूरेस कं. लि. | मेसेर्स हैल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड | मे. जी आईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | |
|-------------|---|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1. | वर्ष के दौरान लेन देन | | | | | | |
| क. | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | 56780.00 | 4390.34 | शून्य | 17802 | शून्य |
| | | 31-03-2022 | 41122.50 | 3131.40 | शून्य | 15824 | शून्य |
| क. | ईडिटी में निवेश | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ग. | पुर्नबीमा लेनदेन | | | | | | |
| | - प्रत्यक्ष को बकाया | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | 130747 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | 31-03-2022 | 19523 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | - प्रत्यक्ष से बकाया | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| घ. | निदेशकों को प्राप्त पारिश्रमिक | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | 146 | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | 136 | शून्य | शून्य | शून्य |
| ङ. | वेतन, भत्ते और योगदान | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 11704 |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 9277 |
| च. | प्राप्त किराया | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | 646 | 106 | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | 1185 | 530 | शून्य |
| छ. | प्राप्त किराया | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | 54 | 543 | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | 173 | 269 | शून्य |
| ज. | वर्ष के दौरान भुगतान किया गया टीपीए शुल्क | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | 101658 | शून्य | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | 114141 | शून्य | शून्य |
| झ. | देय टीपीए शुल्क | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | 1074 | शून्य | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | 32199 | शून्य | शून्य |
| j. | भुगतान किया गया ब्याज | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | शून्य | 62771 | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | 83255 | शून्य |
| ट. | चूकता ऋण | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | शून्य | 164486 | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | 189466 | शून्य |
| 2. | को ऋण और अग्रिम का शेष: | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 4719 |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 5074 |

चूंकि कंपनी और उसकी सहायक कंपनी शासन नियंत्रित हैं, इसलिए लेखा मानक एएस-18 की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य शासन नियंत्रित उपक्रमों के साथ लेनदेन से संबंधित कोई प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

b. Details of Transactions

(₹ '000)

| Sl. No | Particulars | M/s. India International Insurance Pte Ltd. | M/s. Ken India Assurance Co Ltd. | M/s. Health Insurance TPA of India Ltd. | M/s GIC Housing Finance Ltd. | Key Managerial Personnel |
|--------|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| 1. | Transactions during the year | | | | | |
| a. | Dividend received during the year | | | | | |
| | 31-03-2023 | 56780.00 | 4390.34 | Nil | 17802 | Nil |
| | 31-03-2022 | 41122.50 | 3131.40 | Nil | 15824 | Nil |
| b. | Investment in Equity | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| c. | Reinsurance transactions | | | | | |
| | - Due to Direct | | | | | |
| | 31-03-2023 | 130747 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | 31-03-2022 | 19523 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | - Due from Direct | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| d. | Director's Remuneration Received | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | 146 | Nil | Nil | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | 136 | Nil | Nil | Nil |
| e. | Salaries, Allowances and Contributions | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | Nil | Nil | 11704 |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | Nil | Nil | 9277 |
| f. | Rent received | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | 646 | 106 | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | 1185 | 530 | Nil |
| g. | Rent receivable | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | 54 | 543 | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | 173 | 269 | Nil |
| h. | TPA fees paid during the year | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | 101658 | Nil | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | 114141 | Nil | Nil |
| i. | TPA fees payable | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | 1074 | Nil | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | 32199 | Nil | Nil |
| j. | Interest Paid | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | Nil | 62771 | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | Nil | 83255 | Nil |
| k. | Loan Repaid | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | Nil | 164486 | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | Nil | 189466 | Nil |
| 2. | Balances of Loan and Advances as on: | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | Nil | Nil | 4719 |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | Nil | Nil | 5074 |

Since the Company and its Subsidiary are State controlled, no disclosures are made pertaining to the transactions with other State controlled undertakings in accordance with the requirements of the Accounting Standard AS-18.

35. पट्टे- एस-19

कंपनी ने किराया करार में टर्मिनेशन क्लॉज (इसकी समाप्ति से पहले समझौते को समाप्त करने के प्रावधान के साथ) के साथ विभिन्न वाणिज्यिक परिसरों और आवासीय फ्लैटों को पट्टे पर लिया है। ये पट्टा समझौते आम तौर पर तत्कालीन प्रचलित शर्तों/आवश्यकताओं के आधार पर समीक्षा के बाद समाप्ति पर नवीनीकृत किए जाते हैं। लीज की शर्तें/समझौते आमतौर पर कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक प्रारूपों के आधार पर निष्पादित किए जाते हैं। परिचालन पट्टों के संबंध में राजस्व खाते से लिया गया पट्टा किराया व्यय ₹ 1222640 हजार (₹ 1176992 हजार) है।

36. ए एस 20 के अनुसार “प्रति शेयर आय” का प्रकटीकरण

| क्र.सं. | विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---------|--|------------|------------|
| 1. | शेयर धारकों को सुनिश्चित किया जाने वाला शुद्ध लाभ/ (हानि) (₹ हजारों में) | -28293287 | -21580462 |
| 2. | जारी किए गए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (संख्या में) | 3905000000 | 3805273973 |
| 3. | प्रति शेयर मूल आय ₹10/- प्रत्येक | -7.25 | -5.67 |

कंपनी के पास कोई बकाया डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयर नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी की प्रति शेयर मूल और घटी हुई आय समान रहती है।

37. लेखा मानक-22 की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय की आभासी निश्चितता के अभाव में 31 मार्च 2023 को वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर संपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है।

38. प्रबंधन की राय में, कंपनी की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं है जिसके लिए लेखा मानक-28 के संदर्भ में किसी समायोजन की आवश्यकता हो।

39. प्रबंधन द्वारा प्रमाणित क्षेत्रवार सकल प्रीमियम इस प्रकार है:

(₹ '000)

| क्र.सं. | विवरण | 31-03-2023 | | | 31-03-2022 | | |
|---------|--|------------------|---|---------------|------------------|---|---------------|
| | | कीमत | जारी की गई पॉलिसियाँ और कवर किए गए जीवन की संख्या | % | मूल्य | जारी की गई पॉलिसियाँ और कवर किए गए जीवन की संख्या | % |
| 1. | ग्रामीण क्षेत्र (जारी पॉलिसियों की संख्या) | 15707799 | | 8.90 | 11910300 | | 7.58 |
| 2. | सामाजिक क्षेत्र (जीवन कवर) | 28814901 | 186873 | 16.33 | 20991300 | 156956 | 13.35 |
| 3. | अन्य क्षेत्र | 131920351 | - | 74.77 | 124320887 | - | 79.07 |
| | कुल कारोबार | 176443051 | | 100.00 | 157222487 | | 100.00 |

40. प्रतिधारित और पुनर्बीमा किए गए जोखिम की सीमा का विवरण इस प्रकार है:

(% में)

| क्र.सं. | विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---------|------------------|------------|------------|
| 1. | प्रतिधारित जोखिम | 87.26 | 85.46 |
| 2. | प्रतिधारित जोखिम | 12.74 | 14.54 |

41.क. अन्य प्रावधानों का विवरण

(₹ '000)

| विवरण | अवकाश नकदीकरण का प्रावधान दीर्घकालिक | | बीमारी लिए अवकाश | | अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| आरंभिक शेष | 2850513 | 2677756 | 94557 | 100041 | 8294486 | 7649052 |
| परिवर्धन | 2067826 | 0 | 0 | 0 | 961481 | 1471954 |
| उपयोग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बदलाव | 0 | 172757 | 94557 | 5484 | 25744 | 826520 |
| अंतिम शेष | 4918339 | 2850513 | 0 | 94557 | 9230223 | 8294486 |

ख. कर्मचारियों को अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ जो उस अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर पूरी तरह से देय हो जाते हैं जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की थी, जैसे अवकाश यात्रा सब्सिडी, चिकित्सीय लाभ अनुमान के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

35. Leases- AS-19

The Company has taken various commercial premises and residential flats on lease with Termination Clause in the Rent Agreement (with provision to terminate the agreement before its expiry). These lease agreements are normally renewed on expiry after review based on the then prevalent conditions / requirements. Lease Terms / Agreements are usually executed based on Standard Formats as per Company guidelines. Lease rental expense in respect of operating leases charged to revenue account is ₹1222640 thousands (₹ 1176992 thousands).

36. Disclosures as per AS 20 "Earnings per Share"

| Sl. No | Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--------|---|------------|------------|
| 1. | Net Profit/(Loss) attributable to shareholders (₹ in thousands) | -28293287 | -21580462 |
| 2. | Weighted Average Number of Equity Shares issued (in Nos.) | 3905000000 | 3805273973 |
| 3. | Basic earnings per share of ₹10/- each | -7.25 | -5.67 |

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

37. Deferred Tax Assets has not been recognized in the financial statements as on 31st March 2023 in the absence of virtual certainty of sufficient future taxable income as per the requirements of Accounting Standard-22.
38. In the opinion of the management, there is no impairment of assets of the company that require any adjustment to be made in terms of Accounting Standard-28.

39. The sector-wise Gross Premium underwritten as certified by the Management is as follows: (₹ '000)

| Sl. No. | Particulars | 31-03-2023 | | | 31-03-2022 | | |
|---------|---------------------------------------|------------------|---|---------------|------------------|---|---------------|
| | | Value | No of Policies issued and lives covered | % | Value | No of Policies issued and lives covered | % |
| 1. | Rural Sector (No. of Policies issued) | 15707799 | | 8.90 | 11910300 | | 7.58 |
| 2. | Social Sector (Lives covered) | 28814901 | 186873 | 16.33 | 20991300 | 156956 | 13.35 |
| 3. | Other Sector | 131920351 | - | 74.77 | 124320887 | - | 79.07 |
| | Total Business | 176443051 | | 100.00 | 157222487 | | 100.00 |

40. The details for extent of risk retained and reinsured are as follows: (In %)

| Sl. No. | Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---------|----------------|------------|------------|
| 1. | Risk Retained | 87.26 | 85.46 |
| 2. | Risk Reinsured | 12.74 | 14.54 |

41. a. Details of Other Provisions (₹ '000)

| Particulars | Provision for Leave Encashment Long term | | Sick Leave | | Provision for Bad and Doubtful Debts | |
|------------------------|--|----------------|------------|--------------|--------------------------------------|----------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Opening balance | 2850513 | 2677756 | 94557 | 100041 | 8294486 | 7649052 |
| Additions | 2067826 | 0 | 0 | 0 | 961481 | 1471954 |
| Utilization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reversals | 0 | 172757 | 94557 | 5484 | 25744 | 826520 |
| Closing balance | 4918339 | 2850513 | 0 | 94557 | 9230223 | 8294486 |

Short Term Benefits to Employees

Short term employee benefits which fall due wholly within 12 months after the end of the period in which the employee rendered the related service, such as leave travel subsidy, medical benefits are provided based on estimates.

42. **प्रीमियम की कमी:** राजस्व खंड स्तर पर असमाप्त प्रीमियम रिजर्व नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित अपेक्षित दावा लागत और प्रबंधन द्वारा अनुमानित दावे से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त पाया गया है। इसलिए, वर्ष के दौरान कोई प्रीमियम कमी रिजर्व प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, प्रीमियम की कमी केवल विमानन, व्यक्तिगत दुर्घटना और फसल पोर्टफोलियो में उत्पन्न हुई है और इसका प्रकटीकरण यहां किया गया है।

(₹ '000)

| खंड | न्यूनता | |
|--------------------|------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| मोटर | 0 | 472963 |
| विमानन | 11952 | 5084 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | 87463 | 0 |
| फसल | 7084 | 0 |

43. **परिपत्र संख्या IRDA/FA/CIR/CLD/114/05/2015 दिनांक 28-05-2015 के अनुसार अनधियाचित राशि और उस पर निवेश आय का प्रकटीकरण** (₹ '000)

| विवरण | चालू वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | पॉलिसी बकाया | अर्जित आय | पॉलिसी बकाया | अर्जित आय |
| आरंभिक शेष | 786125 | 10994 | 789124 | 11557 |
| जोड़ें: दावा न की गई राशि में हस्तांतरित राशि | 413440 | 0 | 2469412 | 0 |
| जोड़ें: अनधियाचित राशि से जारी किया गया चेक, लेकिन पॉलिसीधारक द्वारा भुनाया नहीं गया (केवल तभी शामिल किया जाएगा जब चेक पुराना हो) | 13252 | 0 | 7652 | 0 |
| जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय | 42864 | 3991 | 44091 | -563 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि | 430718 | 0 | 2486655 | 0 |
| घटाएँ: एससीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का शुद्ध) | 102206 | 0 | 37499 | 0 |
| दावा न की गई राशि का अंतिम शेष | 722758 | 14985 | 786125 | 10994 |

- *टिप्पणी: (i) आईआरडीएआई परिपत्र संख्या IRDA/FA/CIR/MISC/173/07/2017 दिनांक 25.07.2017 और परिपत्र संख्या IRDA/FA/CIR/MISC/20/02/2018 दिनांक 06.02.2018 के अनुसार ₹ 102206 हजार (₹ 37499 हजार) की राशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित कर दी गई है।
- (ii) पॉलिसीधारकों से अनधियाचित राशि के लिए ₹ 740500 हजार (₹ 867946 हजार) की राशि का सावधि अंतिम शेष 31-03-2023 तक उपलब्ध है।
- (iii) पॉलिसीधारकों के धन की अनधियाचित राशि का आयु-वार विश्लेषण अनुलग्नक-IV में संलग्न है।

44. अ. पॉलिसीधारकों की शेष राशि से संबंधित नहीं होने वाले विविध क्रेडिट शेष को लेखा नीति के अनुसार लाभ और हानि खाते में अवलेखित किया जाता है, जिसमें ₹ 897508 हजार शामिल हैं जो तीन साल से अधिक पुराने गतावधि चेक और भुगतान रोके गए चेक को प्रदर्शित करते हैं।
- ब. 31.03.2023 तक, चूंकि कंपनी का निवल मूल्य (अंशधारकों की निधि) नकारात्मक हो गया है, पॉलिसीधारक निधि और अंशधारक निधि का अनुपात 100:0 माना गया है और यु इंडेक्स के सभी निवेश, पॉलिसीधारकों को आवंटित कर दिये गए हैं।

45. विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम 2016 के अनुसार व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रबंधन व्यय की गणना की गई है। उन खंडों के प्रबंधन के व्यय जो स्वीकार्य सीमा के भीतर हैं, राजस्व खातों से वसूल किए गए हैं। उन खंडों के लिए प्रबंधन का खर्च जो स्वीकार्य सीमा से अधिक हो गया है, लाभ और हानि खाते (शेयरधारकों के खाते) से ₹ 24390211 हजार (₹ 5886537 हजार) का प्रभार लिया गया है।
46. कंपनी को पर्यावरण और वन मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4.11.2008 के माध्यम से पांच साल की अवधि के लिए "पर्यावरण राहत कोष" (ईआरएफ) के लिए फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया था और नवीनतम अधिसूचना संख्या जीएसआर 34 (ई) दिनांक 15 जनवरी 2020 के माध्यम से, फंड मैनेजर के रूप में कंपनी की स्थिति को 15 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया। संविधान, वैधानिक आवश्यकताओं और अन्य परिचालन मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण की प्राप्ति तक, कंपनी ने उक्त अधिसूचना के संदर्भ में फंड के अनऑडिटेड खातों के आधार पर, वर्ष के दौरान ₹ 3621 हजार (₹ 3066 हजार) की आय के रूप में फंड मैनेजर के सेवा शुल्क (खर्चों का शुद्ध) को मान्यता दी है।

42. Premium Deficiency: The Unexpired premium reserve at revenue segment level is found to be sufficient to cover the expected claims cost as certified by the appointed actuary and the claims related expenses as estimated by the management. Hence, no premium deficiency reserve is required to be provided during the year. However, premium deficiency has arisen only in Aviation, Personal Accident and Crop portfolio and the same is disclosed here.

(₹ '000)

| Segment | Deficiency | |
|-------------------|------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Motor | 0 | 472963 |
| Aviation | 11952 | 5084 |
| Personal Accident | 87463 | 0 |
| Crop | 7084 | 0 |

43. Disclosure of Unclaimed amount and Investment Income thereon as per circular No. IRDA/F&A/CIR/GLD/114/05/2015 dated 28-05-2015.

(₹' 000)

| Particulars | Current Year | | Previous Year | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Policy Dues | Income Accrued | Policy Dues | Income Accrued |
| Opening Balance | 786125 | 10994 | 789124 | 11557 |
| Add: Amount Transferred to Unclaimed Amount | 413440 | 0 | 2469412 | 0 |
| Add: Cheque issued out of the Unclaimed amount but not encashed by the policyholders' (to be included only when the cheques are stale) | 13252 | 0 | 7652 | 0 |
| Add: Investment Income on Unclaimed Fund | 42864 | 3991 | 44091 | -563 |
| Less: Amount of claims paid during the year | 430718 | 0 | 2486655 | 0 |
| Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier) | 102206 | 0 | 37499 | 0 |
| Closing Balance of Unclaimed Amount | 722758 | 14985 | 786125 | 10994 |

- *Note: (i) An amount of ₹ 102206 thousands (37499 thousands) has been transferred to Senior Citizens welfare Funds as per IRDAI Circular No. IRDA/F&A/CIR/MISC/173/07/2017 dated 25.07.2017 and Circular No. IRDA/F&A/CIR/MISC/20/02/2018 dated 06.02.2018.
(ii) Fixed Deposit balance for an amount of ₹ 740500 thousands (₹ 867946 thousands) is available as on 31-03-2023 towards unclaimed amount pertaining to policyholders.
(iii) Age wise analysis of unclaimed amount of Policyholders' funds is enclosed in Annexure-IV.

44. (a) Sundry credit balances not pertaining to policyholders' balances are written back to profit and loss account as per accounting policy, which includes ₹897508 thousands representing write back of stale and stop cheques more than three years old.
(b) As on 31.03.2023, since the Networth (Shareholders funds) of the Company has become negative, the proportion of Policyholders Funds and Shareholders Funds has been taken as 100:0 and all the Investments of UIIC has been allotted to Policyholders.
45. Expenses of Management expenses over allowable limits have been computed in respect of different lines of business in terms of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2016. The Expenses of Management for the segments which are within the allowable limits have been charged to the Revenue Accounts. Expenses of Management for the segments which have exceeded the allowable limits have been charged to the Profit & Loss Account (Shareholders Account) to the tune of ₹ 24390211 thousands (₹ 5886537 thousands).
46. The Company was appointed as Fund Manager for "Environment Relief Fund" (ERF) vide Ministry of Environment and Forest's Gazette Notification dated 4.11.2008 for a period of five years and vide latest notification no. G.S.R 34 (E) dated 15th January 2020, the company's position as Fund Manager was extended up to 15th August 2024. Pending receipt of clarification regarding Constitution, statutory requirements and other operational issues, the Company in terms of the said notification has recognized Fund Manager's service charges (net of expenses) to the tune of ₹ 3621 thousands (₹ 3066 thousands) as income during the year, based on the unaudited accounts of the Fund.

47. विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाइयों का विवरण:

| क्र. सं. | प्राधिकारी | गैर - अनुपालन / उल्लंघन | दिया गया दंड (₹ '000) | भुगतान किया गया दंड (₹ '000) | कम/माफ किया गया दंड (₹ '000) |
|----------|--|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | सेवा कर / जीएसटी प्राधिकरण | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | आयकर प्राधिकारी | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | कोई अन्य कर प्राधिकरण | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | प्रवर्तन निदेशालय / न्याय निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या फेमा के तहत कोई प्राधिकरण | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | कंपनियों के रजिस्ट्रार / एनसीएलटी / सीएलबी / कॉर्पोरेट मामलों के विभाग या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कोई प्राधिकरण | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | दावा निपटान सहित लेकिन मुआवजे को छोड़कर किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया जुर्माना | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / बीएसई | सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की विनियम संख्या 52(1), 52(4), 54(2), 50(2), 53(2), 6(1), 7(1) | 1185 | 0 | 1185 |
| 9 | भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | कोई अन्य केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकार/सांविधिक प्राधिकरण | - | 0 | 0 | 0 |

वर्ष के दौरान किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

48. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान पर अध्याय के तहत आवश्यक प्रकटीकरण

| विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|------------|------------|
| वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन राशि | शून्य | शून्य |
| उपरोक्त राशि पर देय ब्याज | शून्य | शून्य |
| एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि। | शून्य | शून्य |
| वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि | शून्य | शून्य |
| अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने में देरी के लिए देयता और देय ब्याज की राशि | शून्य | शून्य |
| वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि | शून्य | शून्य |

उपरोक्त जानकारी को कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान करने के लिए संकलित किया गया है।

47. Details of penal actions taken by various Government Authorities:

| Sl.no | Authority | Non-Compliance / Violation | Penalty Awarded (₹ '000) | Penalty Paid (₹ '000) | Penalty Waived / Reduced (₹ '000) |
|-------|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. | Insurance Regulatory and Development Authority | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Service Tax / GST Authorities | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Income Tax Authorities | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Any other Tax Authorities | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Enforcement Directorate / Adjudicating Authority / Tribunal or any Authority under FEMA | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Registrar of Companies / NCLT / CLB / Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956 | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penalty awarded by any Court / Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Securities and Exchange Board of India / BSE | Regulation No 52 (1),52(4),54(2),50 (2),53(2),6(1),7 (1) of SEBI(LODR) Regulations, 2015 | 1185 | 0 | 1185 |
| 9 | Competition Commission of India | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Any other Central / State / Local Government / Statutory Authority | - | 0 | 0 | 0 |

No other penal action has been taken by any other Government Authority during the year.

48. Disclosures required under Section 22 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 under the Chapter on Delayed Payments to Micro and Small Enterprises.

| Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|------------|------------|
| Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the year | Nil | Nil |
| Interest due on the above amount | Nil | Nil |
| Amount of interest paid in terms of Section 16 of the MSMED Act, 2006. | Nil | Nil |
| Amount of payments made to the suppliers beyond the appointed day during the year | Nil | Nil |
| Amount of interest due and payable for the delay in making the payment but without adding the interest specified under the Act | Nil | Nil |
| Amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the year | Nil | Nil |

The above information has been compiled to the extent such parties have been identified based on information available with the company.

49. क. कंपनी खातों को बंद करने से पहले मई 2021 में एलसीबी मुंबई में एक बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ और इसमें ₹ 2046911 हजार की राशि संलिप्त थी और यह पिछले वर्ष के खातों में पूरी तरह से प्रदान की गई है। जून 2022 में, हमें आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई (ईओडब्ल्यू) द्वारा की गई वसूली में से अदालत के आदेश के अनुसार क्षतिपूर्ति बांड के निष्पादन पर ₹ 791160 हजार की राशि प्राप्त हुई है। ईओडब्ल्यू द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 98749 हजार की राशि और वसूल की गई है, जिसे जारी करने के लिए अदालत के आदेश की प्रतीक्षा में इस राशि को एस्करो खाते में जमा किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न पक्षों से वसूल की गई ₹ 153187 हजार की रकम और ₹ 45397 हजार की छह संपत्तियां कुर्क की हैं।
- ख. मंडल कार्यालय सूरत में वर्ष 2021-22 में उजागर हुई ₹ 21145 हजार की धोखाधड़ी का पूरा प्रावधान पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया है। कर्मचारी हिरासत में है और जांच जारी है।
50. वर्तमान वर्ष के समूहों/वर्गीकरणों के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहीकरण/पुनर्वर्गीकरण/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्निर्माण किया गया है।
51. वित्तीय विवरण के वर्णनात्मक भाग में आंकड़े हजारों रुपये में हैं, जो आईआरडीआई मानदंडों के अनुरूप हैं।
52. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष से संबंधित हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 30.05.2023

49. a. A major fraud was unearthed in LCB Mumbai in May 2021 before the closure of company accounts and the amount involved was ₹ 2046911 thousands and this is fully provided for in the earlier year accounts. In June 2022, we have received an amount of ₹ 791160 thousands on execution of indemnity bond as per the court order out of recoveries made by Economic offence wing, (EOW) Mumbai. An amount of ₹ 98749 thousand has been further recovered during the current financial year by EOW which is deposited in the escrow account awaiting court order for releasing the amount. Enforcement directorate has attached an amount of ₹ 153187 thousands recovered from various parties and six properties worth ₹ 45397 thousands.
- b. Fraud unearthed in the year 2021-22 amounting to ₹ 21145 thousands at DO Surat has been fully provided in the last financial year. The employee is in detention and investigation is in progress.
50. Regrouping/reclassifying/ rearranging/recasting of previous year figures has been done wherever necessary to conform to the current year groupings/ classifications.
51. Figures in the narrative part of financial statements are in thousands of Rupees, conforming to IRDAI norms.
52. Figures given in brackets relate to previous year.

For and on behalf of Board

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

Vide our report of date attached

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

31-03-2023 को बकाया दावों का बयान (भारतीय व्यवसाय)
अनुलग्नक -1

(₹ in '000)

| विभाग | 30 दिन या उससे कम अवधि के लिये शेष | | 3 महीने या उससे कम परन्तु 30 दिन से अधिक अवधि के लिये शेष | | 6 महीने या उससे कम परन्तु 3 महीने से अधिक अवधि के लिये शेष | | 1 साल या उससे कम परन्तु 6 महीने से अधिक अवधि के लिये शेष | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---|----------------|--|----------------|--|-----------------|
| | सं. | राशि | सं. | राशि | सं. | राशि | सं. | राशि |
| अग्नि | 212 | 799197 | 209 | 1544637 | 310 | 1409212 | 626 | 4432867 |
| समुद्री नौभार | 186 | 56530 | 289 | 118362 | 341 | 136613 | 506 | 247883 |
| समुद्री पोत | 22 | 17570 | 27 | 33694 | 84 | 126749 | 49 | 399934 |
| मोटर निजी क्षति | 24979 | 1098385 | 15725 | 1526999 | 8306 | 1214444 | 3243 | 580698 |
| मोटर तृतीय पक्ष | 3108 | 2084988 | 4418 | 2773795 | 7490 | 4425557 | 14899 | 9513891 |
| मोटर अस्वीकृत जोखिम पूल | 6 | 534 | 5 | 275 | 4 | 202 | 9 | 4094 |
| मोटर तृतीय पक्ष पूल | 23 | 13131 | 26 | 6441 | 26 | 10036 | 75 | 15850 |
| कर्मकार प्रतिकर | 28 | 7699 | 59 | 8872 | 71 | 16809 | 90 | 29779 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | 353 | 1133956 | 664 | 343802 | 659 | 387897 | 556 | 303929 |
| विमानन | 0 | 0 | 1 | 7050 | 3 | 11486 | 6 | 26656 |
| इंजीनियरिंग | 348 | 137133 | 466 | 175878 | 416 | 345506 | 500 | 1143272 |
| साख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य विविध | 666 | 125933 | 831 | 236944 | 634 | 319585 | 615 | 503333 |
| देयतायें | 12 | 6474 | 14 | 14804 | 26 | 42188 | 67 | 79149 |
| स्वास्थ्य व अस्पतालीकरण | 44519 | 5550792 | 30750 | 1249968 | 29326 | 565487 | 58853 | 1083078 |
| फ़सल | 6 | 6674 | 0 | 0 | 1 | 382315 | 1 | 1123857 |
| कुल | 74468 | 11038996 | 53484 | 8041521 | 47697 | 9394084 | 80095 | 19488267 |

| विभाग | 3 वर्ष या उससे कम लेकिन 1 वर्ष से अधिक के लिये लंबित के लिये | | 5 वर्ष या उससे कम लेकिन 3 वर्ष से अधिक के लिये लंबित | | 5 वर्ष से अधिक के लिये लंबित | | कुल | |
|-------------------------|--|-----------------|--|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | सं. | राशि | सं. | राशि | सं. | राशि | सं. | राशि |
| अग्नि | 506 | 7357082 | 328 | 5070295 | 806 | 4111400 | 2997 | 24724688 |
| समुद्री नौभार | 400 | 1286293 | 139 | 158788 | 320 | 517406 | 2181 | 2521874 |
| समुद्री पोत | 65 | 3450502 | 41 | 1391728 | 68 | 339823 | 356 | 5760000 |
| मोटर निजी क्षति | 1349 | 317281 | 965 | 212471 | 1504 | 246402 | 56071 | 5196679 |
| मोटर तृतीय पक्ष | 41625 | 27203936 | 39354 | 24077518 | 41216 | 19423769 | 152110 | 89503454 |
| मोटर अस्वीकृत जोखिम पूल | 36 | 9120 | 59 | 20887 | 431 | 190616 | 550 | 225726 |
| मोटर तृतीय पक्ष पूल | 290 | 115978 | 552 | 180813 | 6596 | 2507417 | 7588 | 2849665 |
| कर्मकार प्रतिकर | 214 | 68100 | 186 | 66731 | 515 | 161601 | 1163 | 359590 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | 662 | 481632 | 197 | 73295 | 609 | 196090 | 3700 | 2920600 |
| विमानन | 17 | 1370123 | 19 | 124007 | 7 | 7880 | 53 | 1547202 |
| इंजीनियरिंग | 567 | 1429148 | 111 | 1945695 | 160 | 2545211 | 2568 | 7721843 |
| साख | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4361 | 5 | 4361 |
| अन्य विविध | 720 | 658897 | 366 | 375666 | 962 | 686488 | 4794 | 2906846 |
| देयतायें | 122 | 340162 | 214 | 275712 | 1085 | 354855 | 1540 | 1113344 |
| स्वास्थ्य व अस्पतालीकरण | 36408 | 1232843 | 1476 | 122321 | 1011 | 78730 | 202343 | 9883219 |
| फ़सल | 17 | 195672 | 28 | 1174747 | 1 | 9241 | 54 | 2892506 |
| कुल | 82998 | 45516769 | 44035 | 35270673 | 55296 | 31381288 | 438073 | 160131597 |

AGE WISE CLAIMS OUTSTANDING AS ON 31ST MARCH 2023

Annexure-1

(₹ in '000)

| Department | O/s for 30 days or Less | | O/s for 3 months or Less but more than 30 days | | O/s for 6 months or Less but more than 3 months | | O/s for 1 year or Less but more than 6 months | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|--|----------------|---|----------------|---|-----------------|
| | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| Fire | 212 | 799197 | 209 | 1544637 | 310 | 1409212 | 626 | 4432867 |
| Marine Cargo | 186 | 56530 | 289 | 118362 | 341 | 136613 | 506 | 247883 |
| Marine Hull | 22 | 17570 | 27 | 33694 | 84 | 126749 | 49 | 399934 |
| Motor OD | 24979 | 1098385 | 15725 | 1526999 | 8306 | 1214444 | 3243 | 580698 |
| Motor TP Others | 3108 | 2084988 | 4418 | 2773795 | 7490 | 4425557 | 14899 | 9513891 |
| Motor DR Pool | 6 | 534 | 5 | 275 | 4 | 202 | 9 | 4094 |
| Motor TP Pool | 23 | 13131 | 26 | 6441 | 26 | 10036 | 75 | 15850 |
| Workmen Comp. | 28 | 7699 | 59 | 8872 | 71 | 16809 | 90 | 29779 |
| Personal Acc. | 353 | 1133956 | 664 | 343802 | 659 | 387897 | 556 | 303929 |
| Aviation | 0 | 0 | 1 | 7050 | 3 | 11486 | 6 | 26656 |
| Engineering | 348 | 137133 | 466 | 175878 | 416 | 345506 | 500 | 1143272 |
| Credit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Misc. | 666 | 125933 | 831 | 236944 | 634 | 319585 | 615 | 503333 |
| Liabilities | 12 | 6474 | 14 | 14804 | 26 | 42188 | 67 | 79149 |
| Health & Hosp. | 44519 | 5550792 | 30750 | 1249968 | 29326 | 565487 | 58853 | 1083078 |
| Crop | 6 | 6674 | 0 | 0 | 1 | 382315 | 1 | 1123857 |
| TOTAL | 74468 | 11038996 | 53484 | 8041521 | 47697 | 9394084 | 80095 | 19488267 |

| Department | O/s for 3 years or Less but more than 1 year | | O/s for 5 years or Less but more than 3 years | | O/s for more than 5 years | | Total | |
|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| Fire | 506 | 7357082 | 328 | 5070295 | 806 | 4111400 | 2997 | 24724688 |
| Marine Cargo | 400 | 1286293 | 139 | 158788 | 320 | 517406 | 2181 | 2521874 |
| Marine Hull | 65 | 3450502 | 41 | 1391728 | 68 | 339823 | 356 | 5760000 |
| Motor OD | 1349 | 317281 | 965 | 212471 | 1504 | 246402 | 56071 | 5196679 |
| Motor TP Others | 41625 | 27203936 | 39354 | 24077518 | 41216 | 19423769 | 152110 | 89503454 |
| Motor DR Pool | 36 | 9120 | 59 | 20887 | 431 | 190616 | 550 | 225726 |
| Motor TP Pool | 290 | 115978 | 552 | 180813 | 6596 | 2507417 | 7588 | 2849665 |
| Workmen Comp. | 214 | 68100 | 186 | 66731 | 515 | 161601 | 1163 | 359590 |
| Personal Acc. | 662 | 481632 | 197 | 73295 | 609 | 196090 | 3700 | 2920600 |
| Aviation | 17 | 1370123 | 19 | 124007 | 7 | 7880 | 53 | 1547202 |
| Engineering | 567 | 1429148 | 111 | 1945695 | 160 | 2545211 | 2568 | 7721843 |
| Credit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4361 | 5 | 4361 |
| Other Misc. | 720 | 658897 | 366 | 375666 | 962 | 686488 | 4794 | 2906846 |
| Liabilities | 122 | 340162 | 214 | 275712 | 1085 | 354855 | 1540 | 1113344 |
| Health & Hosp. | 36408 | 1232843 | 1476 | 122321 | 1011 | 78730 | 202343 | 9883219 |
| Crop | 17 | 195672 | 28 | 1174747 | 1 | 9241 | 54 | 2892506 |
| TOTAL | 82998 | 45516769 | 44035 | 35270673 | 55296 | 31381288 | 438073 | 160131597 |

AGEING OF OUTSTANDING CLAIMS AS AT 31-03-2023

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुलग्नक II : लेखा अनुपात

(₹. '000)

| विवरण | को समाप्त वर्ष के लिये | | को समाप्त वर्ष के लिये | |
|---|---------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| | सकल प्रीमियम | | वृद्धि | |
| 1. सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर | | | | |
| अग्नि | 18825406 | 18434801 | 2.12% | 3.67% |
| समुद्री नौभार | 1878374 | 1995626 | -5.88% | 10.93% |
| समुद्री पोत | 2485031 | 1752290 | 41.82% | 8.97% |
| मोटर | 59852725 | 54767553 | 9.29% | -5.64% |
| कर्मकार प्रतिकर | 657174 | 649411 | 1.20% | -0.97% |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | 4344571 | 5073087 | -14.36% | 0.72% |
| विमानन | 792230 | 1209365 | -34.49% | 34.55% |
| इंजीनियरिंग | 4606763 | 4004604 | 15.04% | 3.78% |
| स्वास्थ्य | 72482237 | 63193427 | 14.70% | 1.25% |
| दायित्व | 1683918 | 1538773 | 9.43% | 9.99% |
| अन्य विविध | 4407164 | 4198564 | 4.97% | -4.22% |
| फसल | 4427458 | 404986 | 993.24% | -95.58% |
| कुल योग | 176443051 | 157222487 | 12.23% | -5.88% |
| 2. शुद्ध मूल्य में सकल प्रीमियम | | | | |
| सकल प्रीमियम | 176443051 | 157222487 | | |
| शेयरधारकों की निधि | -7320518 | 20951815 | | |
| अनुपात | -24.10 | 7.50 | | |
| 3. शुद्ध मूल्य में वृद्धि दर | | | | |
| वर्ष के अंत में | -7320518 | 20951815 | | |
| वर्ष के प्रारंभ में | 20951815 | 41299881 | | |
| वृद्धि दर | -134.94% | -49.27% | | |
| 4. शुद्ध प्रतिधारण अनुपात | शुद्ध प्रतिधारण प्रीमियम | | को समाप्त वर्ष के लिये | |
| | | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| 4. (i) शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (भारतीय) | | | | |
| अग्नि | 9086157 | 10451548 | 43.16% | 49.82% |
| समुद्री नौभार | 1442129 | 1489049 | 75.43% | 74.00% |
| समुद्री पोत | 733361 | 833681 | 29.35% | 45.39% |
| मोटर | 57442566 | 51978856 | 95.97% | 94.91% |
| कर्मकार प्रतिकर | 630846 | 616934 | 95.99% | 95.00% |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | 2716828 | 2565623 | 62.23% | 50.47% |
| विमानन | 41512 | 166622 | 4.70% | 12.10% |
| इंजीनियरिंग | 2582495 | 2105035 | 54.03% | 49.51% |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

ANNEXURE II : ACCOUNTING RATIOS

(₹. '000)

| Particulars | For the Period ended | | For the Period ended | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| | Gross Premium | | Growth Rate | |
| 1. Gross Premium Growth rate | | | | |
| Fire | 18825406 | 18434801 | 2.12% | 3.67% |
| Marine Cargo | 1878374 | 1995626 | -5.88% | 10.93% |
| Marine Hull | 2485031 | 1752290 | 41.82% | 8.97% |
| Motor | 59852725 | 54767553 | 9.29% | -5.64% |
| W.C | 657174 | 649411 | 1.20% | -0.97% |
| PA | 4344571 | 5073087 | -14.36% | 0.72% |
| Aviation | 792230 | 1209365 | -34.49% | 34.55% |
| Engineering | 4606763 | 4004604 | 15.04% | 3.78% |
| Health | 72482237 | 63193427 | 14.70% | 1.25% |
| Liability | 1683918 | 1538773 | 9.43% | 9.99% |
| Other Misc | 4407164 | 4198564 | 4.97% | -4.22% |
| Crop | 4427458 | 404986 | 993.24% | -95.58% |
| Grand Total | 176443051 | 157222487 | 12.23% | -5.88% |
| 2. Gross Direct Premium to Net Worth Ratio | | | | |
| Gross Premium | 176443051 | 157222487 | | |
| Shareholders' Fund | -7320518 | 20951815 | | |
| Ratio | -24.10 | 7.50 | | |
| 3. Growth rate of Net Worth | | | | |
| At the end of the year | -7320518 | 20951815 | | |
| At the beginning of the year | 20951815 | 41299881 | | |
| Growth rate | -134.94% | -49.27% | | |
| 4. Net Retention Ratio | | | For the Period ended | |
| Net Written Premium | | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| 4. (i) Net Retention Ratio(Indian) | | | | |
| Fire | 9086157 | 10451548 | 43.16% | 49.82% |
| Marine Cargo | 1442129 | 1489049 | 75.43% | 74.00% |
| Marine Hull | 733361 | 833681 | 29.35% | 45.39% |
| Motor | 57442566 | 51978856 | 95.97% | 94.91% |
| W.C | 630846 | 616934 | 95.99% | 95.00% |
| PA | 2716828 | 2565623 | 62.23% | 50.47% |
| Aviation | 41512 | 166622 | 4.70% | 12.10% |
| Engineering | 2582495 | 2105035 | 54.03% | 49.51% |

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुलग्नक II : लेखा अनुपात

(₹. '000)

| विवरण | शुद्ध प्रतिधारण प्रीमियम | | को समाप्त वर्ष के लिये | |
|---|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| स्वास्थ्य | 69555592 | 58959963 | 95.96% | 93.30% |
| दायित्व | 1349056 | 1195566 | 73.99% | 71.36% |
| अन्य विविध | 3563265 | 3720398 | 80.83% | 87.26% |
| फसल | 4824568 | 283251 | 108.97% | 69.94% |
| कुल योग | 153968375 | 134366526 | 85.95% | 83.72% |
| 4. (ii) शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (विदेशी) | शून्य | | | |
| 5. शुद्ध कमीशन अनुपात | शुद्ध कमीशन | | को समाप्त वर्ष के लिये | |
| | | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| अग्नि | 971503 | 1263156 | 10.69% | 12.09% |
| समुद्री नौभार | 268285 | 246483 | 18.60% | 16.55% |
| समुद्री पोत | -1318 | 16368 | -0.18% | 1.96% |
| मोटर | 5367171 | 3854121 | 9.34% | 7.41% |
| कर्मकार प्रतिकर | 81886 | 76670 | 12.98% | 12.43% |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | 59060 | -85375 | 2.17% | -3.33% |
| विमानन | 24960 | 9279 | 60.13% | 5.57% |
| इंजीनियरिंग | 382341 | 397240 | 14.81% | 18.87% |
| स्वास्थ्य | 2445437 | 2446055 | 3.52% | 4.15% |
| दायित्व | 140838 | 139176 | 10.44% | 11.64% |
| अन्य विविध | 984285 | 612255 | 27.62% | 16.46% |
| फसल | -112528 | 49473 | -2.33% | 17.47% |
| कुल योग | 10611920 | 9024901 | 6.89% | 6.72% |
| 6. सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन खर्च | को समाप्त वर्ष के लिये | | | |
| | | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| प्रत्यक्ष कमीशन | | | 12418762 | 10572428 |
| प्रचालन व्यय | | | 63076772 | 41409299 |
| कुल | | | 75495534 | 51981727 |
| कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात | | | 176443051 | 157222487 |
| | | | 42.79% | 33.06% |
| 7. शुद्ध प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन खर्च | को समाप्त वर्ष के लिये | | | |
| | | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| प्रत्यक्ष कमीशन | | | 266967 | 262851 |
| प्रचालन व्यय | | | 63076772 | 41409299 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
ANNEXURE II : ACCOUNTING RATIOS

(₹. '000)

| Particulars | For the Period ended | | For the Period ended | |
|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Health | 6955592 | 58959963 | 95.96% | 93.30% |
| Liability | 1349056 | 1195566 | 73.99% | 71.36% |
| Other Misc | 3563265 | 3720398 | 80.83% | 87.26% |
| Crop | 4824568 | 283251 | 108.97% | 69.94% |
| Grand Total | 153968375 | 134366526 | 85.95% | 83.72% |
| 4. (ii) Net Retention Ratio(Foriegn) | NIL | | | |
| 5. Net Commission Ratio | Net Commission | | For the Period ended | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Fire | 971503 | 1263156 | 10.69% | 12.09% |
| Marine Cargo | 268285 | 246483 | 18.60% | 16.55% |
| Marine Hull | -1318 | 16368 | -0.18% | 1.96% |
| Motor | 5367171 | 3854121 | 9.34% | 7.41% |
| W.C | 81886 | 76670 | 12.98% | 12.43% |
| PA | 59060 | -85375 | 2.17% | -3.33% |
| Aviation | 24960 | 9279 | 60.13% | 5.57% |
| Engineering | 382341 | 397240 | 14.81% | 18.87% |
| Health | 2445437 | 2446055 | 3.52% | 4.15% |
| Liability | 140838 | 139176 | 10.44% | 11.64% |
| Other Misc | 984285 | 612255 | 27.62% | 16.46% |
| Crop | -112528 | 49473 | -2.33% | 17.47% |
| Grand Total | 10611920 | 9024901 | 6.89% | 6.72% |
| 6. Expenses of management to Gross Direct Premium ratio | For the Period ended | | For the Period ended | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Direct Commission | 12418762 | 10572428 | | |
| Operating Expenses | 63076772 | 41409299 | | |
| Total | 75495534 | 51981727 | | |
| Gross Direct Premium | 176443051 | 157222487 | | |
| Ratio | 42.79% | 33.06% | | |
| 7. Expense of Management to Net Written Premium Ratio | For the Period ended | | For the Period ended | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Net Commission | 266967 | 262851 | | |
| Operating Expenses | 63076772 | 41409299 | | |

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुलग्नक II : लेखा अनुपात

(₹. '000)

| विवरण | को समाप्त वर्ष के लिये | |
|--|------------------------|------------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| कुल | 63343739 | 41672150 |
| शुद्ध प्रीमियम | 153968375 | 134366526 |
| अनुपात | 41.14% | 31.01% |
| 8. शुद्ध अर्जित प्रीमियम में शुद्ध उपगत दावे | शुद्ध उपगत दावे | |
| | को समाप्त वर्ष के लिये | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| अग्नि | 5735895 | 5319758 |
| समुद्री नौभार | 757115 | 1092986 |
| समुद्री पोत | 584617 | 702774 |
| मोटर | 53422575 | 52946307 |
| कर्मकार प्रतिकर | 367976 | -49149 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | 2945182 | 1913700 |
| विमानन | 92343 | -184650 |
| इंजीनियरिंग | 1053575 | 477254 |
| स्वास्थ्य | 67823127 | 71386039 |
| दायित्व | 111869 | -279864 |
| अन्य विविध | 2506719 | 2753328 |
| फसल | 5208839 | -1078324 |
| कुल योग | 140609832 | 135000159 |
| | 92.85% | 98.57% |
| 9. संयुक्त अनुपात * | को समाप्त वर्ष के लिये | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| शुद्ध उपगत दावे | 140609832 | 135000159 |
| कमीशन (शुद्ध) | 10611920 | 9024901 |
| प्रचालन व्यय | 63076772 | 41409299 |
| शुद्ध अर्जित प्रीमियम | 151442860 | 136956001 |
| शुद्ध प्रीमियम | 153968375 | 134366526 |
| अनुपात | 140.71% | 136.11% |
| 10. शुद्ध प्रीमियम अनुपात में तकनीकी आरक्षित | को समाप्त वर्ष के लिये | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये आरक्षित | 71059942 | 68534427 |
| प्रीमियम की कमी आरक्षित | 0 | 0 |
| बकाया दावों के लिये आरक्षित | 248749929 | 242893931 |
| कुल | 319809871 | 311428358 |
| शुद्ध प्रीमियम | 153968375 | 134366526 |
| अनुपात | 2.08 | 2.32 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

ANNEXURE II : ACCOUNTING RATIOS

(₹. '000)

| Particulars | For the Period ended | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | | |
| Total | 63343739 | 41672150 | | |
| Net Written Premium | 153968375 | 134366526 | | |
| Ratio | 41.14% | 31.01% | | |
| 8. Net Incurred Claims to Net Earned Premium | Net Incurred Claim | | For the Period ended | |
| | | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Fire | 5735895 | 5319758 | 69.91% | 58.47% |
| Marine Cargo | 757115 | 1092986 | 46.85% | 79.73% |
| Marine Hull | 584617 | 702774 | 89.69% | 106.77% |
| Motor | 53422575 | 52946307 | 103.43% | 98.90% |
| W.C | 367976 | -49149 | 52.06% | -7.93% |
| P.A | 2945182 | 1913700 | 99.53% | 84.13% |
| Aviation | 92343 | -184650 | 80.25% | -121.24% |
| Engineering | 1053575 | 477254 | 62.37% | 22.39% |
| Health | 67823127 | 71386039 | 89.18% | 121.60% |
| Liability | 111869 | -279864 | 8.15% | -26.03% |
| Other Misc | 2506719 | 2753328 | 162.04% | 73.81% |
| Crop | 5208839 | -1078324 | 106.80% | -29.90% |
| Grand Total | 140609832 | 135000159 | 92.85% | 98.57% |
| 9. Combined Ratio * | | | For the Period ended | |
| | | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Net Incurred Claims | | | 140609832 | 135000159 |
| Commission (Net) | | | 10611920 | 9024901 |
| Operating Expenses | | | 63076772 | 41409299 |
| Net Earned Premium | | | 151442860 | 136956001 |
| Net Written Premium | | | 153968375 | 134366526 |
| Ratio | | | 140.71% | 136.11% |
| 10. Technical Reserves to net premium ratio | | | For the Period ended | |
| | | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Reserve for Unexpired Risks | | | 71059942 | 68534427 |
| Premium Deficiency Reserve | | | 0 | 0 |
| Reserve for O/s Claims | | | 248749929 | 242893931 |
| Total | | | 319809871 | 311428358 |
| Net Written Premium | | | 153968375 | 134366526 |
| Ratio | | | 2.08 | 2.32 |

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुलग्नक II : लेखा अनुपात

(₹. '000)

| विवरण | को समाप्त वर्ष के लिये | | को समाप्त वर्ष के लिये | |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| 11. बीमालेखन शेष अनुपात | बीमालेखन लाभ / हानि | | | |
| अग्नि | -5848128 | -2799966 | -71.27% | -30.78% |
| समुद्री नौभार | 78151 | -363181 | 4.84% | -26.49% |
| समुद्री पोत | -594837 | -424234 | -91.26% | -64.45% |
| मोटर | -28377168 | -17506440 | -54.94% | -32.70% |
| कर्मकार प्रतिकर | 23234 | 422340 | 3.29% | 68.13% |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | -1593591 | -877266 | -53.85% | -38.57% |
| विमानन | -318255 | -31063 | -276.59% | -20.40% |
| इंजीनियरिंग | -1434833 | 167221 | -84.95% | 7.84% |
| स्वास्थ्य | -19936579 | -31560633 | -26.21% | -53.76% |
| दायित्व | 473628 | 780154 | 34.52% | 72.57% |
| अन्य विविध | -3535119 | -768744 | -228.51% | -20.61% |
| फसल | -1792167 | 4483454 | -36.75% | 124.33% |
| कुल योग | -62855664 | -48478358 | -41.50% | -35.40% |
| 12. प्रचालन लाभ अनुपात | को समाप्त वर्ष के लिये | | | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | | |
| बीमालेखन लाभ | -62855664 | -48478358 | | |
| निवेश आय | 35237623 | 26404948 | | |
| अन्य | 23467050 | 5294580 | | |
| प्रचालन लाभ | -4150991 | -16778830 | | |
| शुद्ध अर्जित प्रीमियम | 151442860 | 136956001 | | |
| अनुपात | -2.74% | -12.25% | | |
| 13. पॉलिसीधारकों की देनदारियों के लिए तरल संपत्ति | को समाप्त वर्ष के लिये | | | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | | |
| नकद परिसम्पत्तियाँ * | 44835230 | 51676547 | | |
| पॉलिसीधारकों की देयताएँ | 319621427 | 315823863 | | |
| अनुपात | 0.14 | 0.16 | | |
| 14. शुद्ध आय अनुपात | को समाप्त वर्ष के लिये | | | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | | |
| कर के बाद लाभ | -28293287 | -21355462 | | |
| शुद्ध प्रीमियम | 153968375 | 134366526 | | |
| अनुपात | -18.38% | -15.89% | | |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

ANNEXURE II : ACCOUNTING RATIOS

(₹. '000)

| Particulars | For the Period ended | | For the Period ended | |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| 11. Underwriting Balance Ratio | Underwriting Profit/Loss | | | |
| Fire | -5848128 | -2799966 | -71.27% | -30.78% |
| Marine Cargo | 78151 | -363181 | 4.84% | -26.49% |
| Marine Hull | -594837 | -424234 | -91.26% | -64.45% |
| Motor | -28377168 | -17506440 | -54.94% | -32.70% |
| W.C | 23234 | 422340 | 3.29% | 68.13% |
| P.A | -1593591 | -877266 | -53.85% | -38.57% |
| Aviation | -318255 | -31063 | -276.59% | -20.40% |
| Engineering | -1434833 | 167221 | -84.95% | 7.84% |
| Health | -19936579 | -31560633 | -26.21% | -53.76% |
| Liability | 473628 | 780154 | 34.52% | 72.57% |
| Other Misc | -3535119 | -768744 | -228.51% | -20.61% |
| Crop | -1792167 | 4483454 | -36.75% | 124.33% |
| Grand Total | -62855664 | -48478358 | -41.50% | -35.40% |
| 12. Operating Profit Ratio | For the Period ended | | | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | | |
| Underwriting Profit | -62855664 | -48478358 | | |
| Investment Income | 35237623 | 26404948 | | |
| Others | 23467050 | 5294580 | | |
| Operating Profits | -4150991 | -16778830 | | |
| Net Earned Premium | 151442860 | 136956001 | | |
| Ratio | -2.74% | -12.25% | | |
| 13. Liquid Assets to Policyholders' Liabilities | For the Period ended | | | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | | |
| Liquid Assets * | 44835230 | 51676547 | | |
| Policyholders' Liabilities | 319621427 | 315823863 | | |
| Ratio | 0.14 | 0.16 | | |
| 14. Net Earnings Ratio | For the Period ended | | | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | | |
| Profit after Tax | -28293287 | -21355462 | | |
| Net Premium | 153968375 | 134366526 | | |
| Ratio | -18.38% | -15.89% | | |

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुलग्नक II : लेखा अनुपात

(₹. '000)

| विवरण | को समाप्त वर्ष के लिये | |
|---|------------------------|-------------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| 15. शुद्ध मूल्य से प्राप्त आय | | |
| कर के बाद लाभ | -28293287 | -21355462 |
| शुद्ध मूल्य | -7320518 | 20951815 |
| अनुपात | -386.49% | -101.93% |
| 16. उपलब्ध शोध क्षमता सीमा अनुपात में अपेक्षित शोध क्षमता अनुपात | को समाप्त वर्ष के लिये | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| उपलब्ध शोध क्षमता सीमा | -12587646 | 22836230 |
| अपेक्षित शोध क्षमता अनुपात | 43414225 | 44961407 |
| अनुपात | -0.29 | 0.51 |
| 17. एन पी ए अनुपात | को समाप्त वर्ष के लिये | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| सकल एन पी ए अनुपात | 1.64% | 1.66% |
| शुद्ध एन पी ए अनुपात | 0.00% | 0.04% |
| 18. प्रति शेयर पर खाता मूल्य | -1.87 | 5.51 |
| 19. प्रति शेयर पर भारी औसतन लाभ | -7.25 | -5.67 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
ANNEXURE II : ACCOUNTING RATIOS

(₹. '000)

| Particulars | For the Period ended | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| 15. Return on Networth | | |
| Profit after Tax | -28293287 | -21355462 |
| Networth | -7320518 | 20951815 |
| Ratio | -386.49% | -101.93% |
| 16. Available Solvency Margin Ratio to Required Solvency Margin Ratio | For the Period ended | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Available Solvency Margin | -12587646 | 22836230 |
| Required Solvency Margin | 43414225 | 44961407 |
| Ratio | -0.29 | 0.51 |
| 17. NPA Ratio | For the Period ended | |
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Gross NPA Ratio | 1.64% | 1.66% |
| Net NPA Ratio | 0.00% | 0.04% |
| 18. Book Value per Share | -1.87 | 5.51 |
| 19. Weighted average Earnings Per Share | -7.25 | -5.67 |

वित्तीय विवरण का सारांश
अनुलग्नक-III

(₹ करोड़ों में)

| क्रम सं. | विवरण | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
|---------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| परिचालन परिणाम | | | | | | |
| 1 | सकल प्रीमियम प्राप्त | 17644.31 | 15722.25 | 16704.70 | 17515.08 | 16420.47 |
| 2 | शुद्ध प्रीमियम आय # | 15396.84 | 13436.65 | 14080.66 | 13740.02 | 13792.46 |
| 3 | निवेश से प्राप्त आय (शुद्ध) @ | 3447.89 | 2640.49 | 2390.79 | 2884.40 | 2911.25 |
| 4 | अन्य आय / व्यय (कृपया निर्दिष्ट करें) | 8.60 | 529.46 | -226.55 | -89.47 | -24.94 |
| 5 | कुल आय | 18853.33 | 16606.60 | 16244.90 | 16534.95 | 16678.77 |
| 6 | कमीशन (शुद्ध ब्रोकरेज सहित) | 1061.19 | 902.49 | 918.33 | 764.71 | 732.70 |
| 7 | प्रचालन खर्च | 6307.68 | 4140.93 | 3905.02 | 3432.98 | 3059.41 |
| 8 | दावे, असमाप्त जोखिम आरक्षित और अन्य व्यय में वृद्धि | 14313.53 | 13241.07 | 12474.84 | 13940.80 | 15024.04 |
| 9 | प्रचालन लाभ / हानि | -415.10 | -1677.89 | -1053.29 | -1603.54 | -2137.38 |
| गैर-प्रचालन परिणाम | | | | | | |
| 10 | शेयरधारकों के खाते के अधीन कुल आय | 0.00 | -457.66 | 68.61 | 117.67 | 259.47 |
| 11 | कर के पूर्व लाभ / (हानि) | -2829.33 | -2135.55 | -984.68 | -1485.72 | -1877.91 |
| 12 | कर के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 13 | कर के बाद लाभ / हानि | -2829.33 | -2135.55 | -984.68 | -1485.85 | -1877.91 |
| विविध | | | | | | |
| 14 | पालिसी धारकों का खाता :* | | | | | |
| | कुल निधि | 32508.37 | 31142.84 | 30655.01 | 28229.14 | 25467.73 |
| | कुल निवेश | | | | | |
| | निवेश से आय | | | | | |
| 15 | शेयरधारकों का खाता * | | | | | |
| | कुल निधि | -732.05 | 2095.18 | 4129.99 | 1510.51 | 2944.13 |
| | कुल निवेश | | | | | |
| | निवेश से आय | | | | | |
| 16 | प्रदत्त साम्यांश पूंजी | 3905.00 | 3905.00 | 3805.00 | 200.00 | 150.00 |
| 17 | शुद्ध मूल्य | -732.05 | 2095.18 | 4129.99 | 1443.01 | 2899.13 |
| 18 | कुल परिसंपत्तियाँ | 44253.50 | 45066.38 | 43864.19 | 36002.79 | 37705.16 |
| 19 | कुल निवेश से आय | 10.26% | 6.32% | 6.32% | 6.45% | 6.46% |
| 20 | प्रति शेयर से आय (₹) | -7.25 | -5.67 | -6.62 | -99.47 | -126.69 |
| 21 | प्रति शेयर का खाता मूल्य (₹) | -1.87 | 5.51 | 27.14 | 72.15 | 193.28 |
| 22 | कुल लाभांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | प्रति शेयर पर लाभांश (₹) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # | शुद्ध पुनर्बीमा | | | | | |
| @ | शुद्ध हानि | | | | | |

*यदि संभव हो तो मद सं. 15 एवं 16 के पृथक रूप से दिया जाय।

SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS

Annexure-III

(₹ in crores)

| Sl.No. | Particulars | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | OPERATING RESULTS | | | | | |
| 1 | Gross Premiums Written | 17644.31 | 15722.25 | 16704.70 | 17515.08 | 16420.47 |
| 2 | Net Premium Income # | 15396.84 | 13436.65 | 14080.66 | 13740.02 | 13792.46 |
| 3 | Income from investments (net) @ | 3447.89 | 2640.49 | 2390.79 | 2884.40 | 2911.25 |
| 4 | Other income / outgo (Pl. specify) | 8.60 | 529.46 | -226.55 | -89.47 | -24.94 |
| 5 | Total income | 18853.33 | 16606.60 | 16244.90 | 16534.95 | 16678.77 |
| 6 | Commissions (Net incl brokerage) | 1061.19 | 902.49 | 918.33 | 764.71 | 732.70 |
| 7 | Operating Expenses | 6307.68 | 4140.93 | 3905.02 | 3432.98 | 3059.41 |
| 8 | Claims, increase in Unexpired Risk Reserve and other outgoes | 14313.53 | 13241.07 | 12474.84 | 13940.80 | 15024.04 |
| 9 | Operating Profit / loss | -415.10 | -1677.89 | -1053.29 | -1603.54 | -2137.38 |
| | NON-OPERATING RESULT | | | | | |
| 10 | Total income under shareholders' account | 0.00 | -457.66 | 68.61 | 117.67 | 259.47 |
| 11 | Profit / (loss) before tax | -2829.33 | -2135.55 | -984.68 | -1485.72 | -1877.91 |
| 12 | Provision for tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 13 | Profit / loss after tax | -2829.33 | -2135.55 | -984.68 | -1485.85 | -1877.91 |
| | MISCELLANEOUS | | | | | |
| 14 | Policy holders' Account: * | | | | | |
| | Total funds | 32508.37 | 31142.84 | 30655.01 | 28229.14 | 25467.73 |
| | Total investments | | | | | |
| | Yield on investments | | | | | |
| 15 | Shareholders' Account * | | | | | |
| | Total funds | -732.05 | 2095.18 | 4129.99 | 1510.51 | 2944.13 |
| | Total investments | | | | | |
| | Yield on investments | | | | | |
| 16 | Paid up equity capital | 3905.00 | 3905.00 | 3805.00 | 200.00 | 150.00 |
| 17 | Net worth | -732.05 | 2095.18 | 4129.99 | 1443.01 | 2899.13 |
| 18 | Total assets | 44253.50 | 45066.38 | 43864.19 | 36002.79 | 37705.16 |
| 19 | Yield on total investments | 10.26% | 6.32% | 6.32% | 6.45% | 6.46% |
| 20 | Earnings per share (₹) | -7.25 | -5.67 | -6.62 | -99.47 | -126.69 |
| 21 | Book value per share (₹) | -1.87 | 5.51 | 27.14 | 72.15 | 193.28 |
| 22 | Total Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Dividend per share (₹) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # | Net of reinsurance | | | | | |
| @ | Net of losses | | | | | |
| | *Points 15 & 16 may be given separately, if it is feasible | | | | | |

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
अनुलग्नक-IV
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
प्रपत्र-अ - 31 मार्च 2023 को पालिसीधारकों द्वारा गैर दावा राशि का
वर्षवार विश्लेषण का विवरण

(₹. लाख में)

| विवरण | कुल राशि | वर्षवार विश्लेषण | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | 0-6 महीने | 7-12 महीने | 13-18 महीने | 19-24 महीने | 25-30 महीने | 31-36 महीने | 37-120 महीने | 120 महीने से अधिक |
| किसी कारणवश पालिसीधारकों / बीमाधारकों को निपटित दावे की राशि अदा नहीं की गयी बीमाधारकों / पालिसीधारकों द्वारा दर्जवाद के तहत को छोड़कर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| परिपक्वता या अन्यतः पर बीमाधारकों / पालिसीधारकों को देय राशि | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पालिसी शर्तों के अनुसार या प्राधिकरण के निर्देशानुसार पालिसीधारकों को आधिक्य वसूल प्रीमियम कर या अन्य प्रभार जो देय है लेकिन वापस नहीं की गयी | 5406 | 422 | 294 | 386 | 208 | 136 | 150 | 3333 | 477 |
| चेक जारी किया लेकिन पालिसी धारकों / लाभार्थियों द्वारा भुनाया नहीं गया | 1971 | 654 | 436 | 55 | 115 | 20 | 54 | 584 | 53 |
| कुल | 7377 | 1076 | 730 | 441 | 323 | 156 | 204 | 3917 | 530 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Annexure-IV

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

Form A - Statement showing the age-wise analysis of the unclaimed amount of the Policyholders as on 31.03.2023

(₹. in Lakhs)

| Particulars | Total Amount | AGE-WISE ANALYSIS | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| | | 0-6 months | 7-12 months | 13-18 months | 19-24 months | 25-30 months | 31-36 months | 37-120 months | More than 120 months |
| Claims settled but not paid to the policyholders/ beneficiaries due to any reasons except under litigation from the policyholders/ beneficiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum due to the policyholders/ beneficiaries on maturity or otherwise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Any excess collection of the premium/tax or any other charges which is refundable to the policyholders/ beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far | 5406 | 422 | 294 | 386 | 208 | 136 | 150 | 3333 | 477 |
| Cheques issued but not encashed by the policyholder/beneficiaries | 1971 | 654 | 436 | 55 | 115 | 20 | 54 | 584 | 53 |
| Total | 7377 | 1076 | 730 | 441 | 323 | 156 | 204 | 3917 | 530 |

UNCLAIMED AMOUNT OF THE POLICYHOLDERS - AGE-WISE ANALYSIS

31.03.2023 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन प्रतिवेदन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) (बीमा कंपनियों के विनियमों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) करना), विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है

- हम पुष्टि करते हैं कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा (3) के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया गया है और यह 31 मार्च 2023 तक वैध है।
- हम प्रमाणित करते हैं कि वैधानिक प्राधिकारियों को देय सभी अविवादित देय राशि का विधिवत भुगतान कर दिया गया है।
- हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार है और वर्ष के दौरान शेयरों का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।
- प्रबंधन एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता है कि भारत में जारी पॉलिसियों के धारकों की धनराशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।
- हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र की तिथि को सभी परिसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा की गई है और परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी/ गिरावट के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। तुलन पत्र में निर्धारित संपत्ति को कुल राशि में दिखाया जाता है जो शीर्षकों के तहत उनकी वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं है - ऋण, निवेश, निवेश के लिए आवेदन राशि, भारत में आवेदीय संपत्ति, अभिकर्ता शेष, बकाया प्रीमियम, ब्याज, लाभांश और बकाया किराया, ब्याज, लाभांश और किराए पर उपार्जित लेकिन देय नहीं, बीमा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों या निकायों से देय राशि, पुनर्बीमा के कारण कंपनियों से देय आरक्षित जमा, विविध देनदार, अग्रिम कर और अन्य कर भुगतान, नकद, अभिदान पर वाहन ऋण की वसूली से घटाव के आधार पर (स्थिर संपत्तियों के अलावा जो लागत से मूल्यहास घटाव पर बताई गई है)।
- हम पुष्टि करते हैं कि जोखिम संसर्ग के लिए प्रत्येक पोर्टफोलियो के अंतर्गत अंडरराइट किए गए सभी जोखिमों का बारीकी से मूल्यांकन और निगरानी करती है। जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। कंपनी की क्षमता के अनुरूप प्रत्येक पोर्टफोलियो पर जोखिम संसर्ग को ध्यान में रखते हुए पुनर्बीमा कार्यक्रम तैयार किया गया है। निवल खाते के लिए प्रति जोखिम/ घटना जोखिम संसर्ग को कई जोखिमों के संसर्ग के आधार पर उपयुक्त स्तरों पर सुरक्षित किया गया है।
- कंपनी की हांगकांग एजेंसी ने 31.03.2002 से बीमालेखन संचालन बंद कर दिया है। हमारे बहीखातों में राजस्व लेन-देन और परिसंपत्तियों और देनदारियों का लेखा-जोखा जारी है। किसी अन्य विदेशी देश में कंपनी का कोई सीधा संचालन नहीं है।
- 067/आईआरडीए/एफ और ए/सीआईआर/मार्च 08 दिनांक 28.03.2008 के संदर्भ में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दावों का आयुवार विश्लेषण खातों का हिस्सा बनने वाले नोट्स के अनुलब्धक में दिया गया है।
- हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र के प्रयोजन के लिए, सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड (वेंचर कैपिटल फंड के अलावा) की इकाइयों के अलावा अन्य निवेश, जिन्होंने एनएवी घोषित किया है, लागत पर या उससे कम दिखाया गया है। बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार करने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन एनएसई पर तुलन पत्र की तारीख के अनुसार अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाता है और जहां कोई स्टॉक एनएसई में सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है, इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के आधार पर किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख पर बीएसई म्यूचुअल फंड की इकाइयों (वेंचर कैपिटल फंड के अलावा) का मूल्यांकन फंड द्वारा घोषित बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार नेट एसेट वैल्यू पर किया जाता है। वेंचर कैपिटल फंड में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और ऐसे निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है, जहां बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य लागत से कम है या जहां बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य उपलब्ध नहीं है या फिर जहां फंड की अवधि समाप्त हो गई है। सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अप्राम लाभ/हानि को राजस्व में नहीं लिया जाता है बल्कि नियमों के अनुसार उचित मूल्य परिवर्तन खातों में ले जाया जाता है। बकाया वसूली, उचित मूल्य परिवर्तन खाते में शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। निवेश के बाजार मूल्य के प्रयोजन के लिए, गैर-निष्पादित आस्तियों के अलावा सरकारी प्रतिभूतियों और ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफ एम आई आई डी ए दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया है। सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों (उद्यम पूंजी निधियों के अलावा) के अलावा अन्य सभी निवेश, जिन्होंने एनएवी घोषित किया है, का मूल्यांकन लागत से कम किए गए प्रावधानों, यदि कोई हो, पर किया गया है।
- 10. निवेश का प्रदर्शन**
ऋण और जमा सहित निवेश का कुल बही मूल्य पिछले वर्ष के ₹ 34,745.16 करोड़ रुपये से घटकर ₹ 32,759.96 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष के दौरान शुद्ध अभिवृद्धि ₹ (1985.20) करोड़ रही, जबकि 2021-22 में यह ₹ 256.12 करोड़ थी।

MANAGEMENT REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31.03.2023 PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF IRDAI (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT OF INSURANCE COMPANIES REGULATIONS), 2002

1. We confirm that the Registration Certificate granted under Section 3 of Insurance Act, 1938 by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has been renewed and is valid as on 31st March 2023.
 2. We certify that all the undisputed dues payable to statutory authorities have been duly paid.
 3. We hereby confirm that the share holding pattern is in accordance with the statutory and regulatory requirements and there is no transfer of shares during the year.
 4. The Management hereby confirms and declares that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
 5. We certify that the values of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and necessary provisions made for diminution/decline in value of assets. The assets set forth in the Balance Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realisable or market value under the headings – Loans, Investments, Application Money for Investments, House property in India, Agents Balances, Outstanding Premium, Interest, Dividends and Rents outstanding, Interest, Dividends and Rents accruing but not due, amounts due from persons or bodies carrying on insurance business, reserve deposits due from companies on account of reinsurance, sundry debtors, advance tax and other tax payments, cash, vehicle loans on contribution basis less recoveries (other than fixed assets which is stated at cost less depreciation).
 6. We confirm that the company evaluates and monitors closely all risks underwritten under each portfolio for the risk exposure. Remedial action is initiated to mitigate the risks effectively. Reinsurance Programme is drawn keeping in view the risk exposure on every portfolio commensurate with the capacity of the company. The risk exposure per risk/event for the net account is protected at appropriate levels based on exposure to multiple perils.
 7. The Company's Hong Kong Agency has ceased underwriting operations with effect from close of business as of 31.03.2002. The revenue transactions and the assets and liabilities continue to be accounted in our books of accounts. The Company has no direct operation in any other foreign country.
 8. Agewise analysis of the claims for the preceding five years ending 31.03.2023, in terms of 067/IRDA/F & A / CIR/March 08 dated 28.03.2008, has been given in the Annexure, to Notes forming Part of Accounts.
 9. We certify that for the purpose of balance sheet, the investments other than Actively traded Equity shares and units of Mutual Funds (other than Venture Capital Funds) which have declared NAV's have been shown at or below cost. Equity shares that are actively traded in the market are valued at last quoted closing price on NSE as on the balance sheet date and where any stock is not being listed in NSE, the equity shares are valued on the basis of the last quoted closing price on BSE on the balance sheet date. Units of Mutual Funds (other than Venture Capital Funds) are valued at Net Asset Value as at the balance sheet date as declared by the funds. Investment in Venture Capital Fund is valued at Cost and Provision is made for diminution in value of such investment where net asset value as at the balance sheet date is lower than the cost or wherever Net Asset Value as on the balance sheet date is not available, or where the term of the fund has expired.

The unrealized gain/loss arising due to changes in Fair Value of actively traded equity shares and mutual fund investments are not taken to revenue but are taken to the fair value change accounts in accordance with the regulations. Pending realization, the balance in the fair value change account is not available for distribution.

For the purpose of market value of investments, Government Securities and Debt securities other than non-performing assets have been valued on the basis of FIMMDA guidelines. All other investments other than actively traded equity shares and units of mutual funds (other than venture capital funds) which have declared NAV have been valued at cost less provisions made, if any.
- 10. Performance of Investment**
- Total Book Value of Investments including Loans and Deposits has decreased to ₹ 32,759.96 crores from ₹ 34,745.16 crores in the previous year. The net accretion during the year amounted to ₹ (1985.20) crores as against ₹ 256.12 crores in 2021-22.

पिछले वर्ष के ₹ 2,152.06 करोड़ रुपये की तुलना में निवेश आय ₹ 2,153.62 करोड़ रुपये है। इसी अवधि के दौरान, पिछले वर्ष के 6.22% की तुलना में निवेश निधि पर औसत प्रतिफल 6.38% रहा है। वर्ष के दौरान बुक किए गए निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ पिछले वर्ष ₹ 708.43 करोड़ रुपये की तुलना में 1309.90 करोड़ रुपये है।

11. कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 31.03.2023 को 0% है, जबकि 31.03.2022 को यह 0.04% थी।
12. इसके द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि
 - क) 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का पालन किया गया है;
 - बी) प्रबंधन ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के

मामलों की स्थिति का तथा वर्ष के लिए कंपनी का लाभ / हानि को सही और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जा सके;

- सी) प्रबंधन ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी को रोकने के और अन्य अनियमितताओं का पता लगाना लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;
 - घ) प्रबंधन ने वित्तीय विवरणों को चालू संस्था के आधार पर तैयार किया है; तथा
 - ई) प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि व्यापार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली लागू किया है और यह प्रभावी ढंग से काम कर रही है।
13. संबंधित पक्ष के लेन-देन का खुलासा खातों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में किया गया है।

गोपालाकृष्णन सुंदर रामन

महा प्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी & निदेशक

चेन्नै

30 मई 2023

सत्यजित त्रिपाठी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The investment income is ₹ 2,153.62 crores as compared to ₹ 2,152.06 crores in the previous year. During the same period, the mean yield on Investment funds has been 6.38% as compared to 6.22% in the previous year. Profit on sale/redemption of investments booked during the year is ₹ 1309.90 crores as compared to ₹ 708.43 crores in the previous year.

11. The net Non-Performing Assets, as a percentage to the total investments is at 0% as on 31.03.2023 as against 0.04% as on 31.03.2022.
12. It is hereby confirmed that
 - a) in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2023, the applicable Accounting Standards, Principles and Policies have been followed along with proper explanations relating to material departures;
 - b) the Management has selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit/loss of the company for the year;
- c) the Management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)/Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the Management has prepared the financial statements on a going concern basis; and
- e) the Management has ensured that an Internal Audit System commensurate with the size and nature of the business is in place and is operating effectively.
13. The related party transactions are disclosed in the Notes forming part of accounts.

GOPALKRISHNAN SUNDARARAMAN
GENERAL MANAGER, CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

Chennai
30TH May 2023

Your concern is our concern

Insure your office / business with
United India's



*Insurance is the subject matter of solicitation

Compact Insurance Policy

Now, you can also buy policies online! For details, visit www.uiic.co.in
"For more details on risk factors, terms and conditions please read sales brochure carefully before concluding a sale"



युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड
UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD.

(A Government of India undertaking)

Regd. Office: 24, Whites Road Chennai-600 014.

Head Office: #19, Nungambakkam High Road, IV Lane, Chennai - 600034.

At United India, it's always U before | IRDAI Regn. No.545 | CIN : U93090TN1938GOI000108 | Toll Free No.: 1-800-425-33333 | Mail: customercare@uiic.co.in

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये
समेकित वित्तीय विवरण और अनुसूचियाँ

**CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND SCHEDULES
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023**

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

I. अर्हक अभिमत

हमने मेसर्स युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके पश्चात "धारक कंपनी" के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनी (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ "समूह" कहा जाता है), इसके सहयोगियों के समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, जिसमें 31 मार्च 2023 तक समेकित बैलेंस शीट, समेकित अग्रि, समेकित समुद्री और समेकित विविध राजस्व खाते, समेकित लाभ और हानि खाता और समाप्त वर्ष के लिए समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल हैं, और समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके पश्चात "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) का सारांश शामिल है, इन समेकित वित्तीय विवरणों में 30 क्षेत्रीय कार्यालयों (जिनमें 366 मंडल कार्यालयों के रिटर्न्स को सम्मिलित किया गया है 6 बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल और एक विदेशी रन-ऑफ ऑपरेशन ("अन्य कार्यालय"), एक सहायक कंपनी और एक सहयोगी का संबंधित इकाई जिनका ऑडिट नियुक्त स्थानीय ऑडिटर्स द्वारा ऑडिट किया जाता है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 (बीमा अधिनियम) द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (आईआरडीएआई अधिनियम), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय तैयारी) बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी विनियम, 2002 (आईआरडीएआई वित्तीय विवरण विनियम), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), कंपनी अधिनियम (अधिनियम) द्वारा जारी आदेश/निर्देश सहित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 (लेखा मानकों) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों को आवश्यक तरीके से लागू सीमा तक सम्मिलित करते हुए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को पुष्टि करते हुए बीमा द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं

अ) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति;

- ब) राजस्व खाते के मामले में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के घाटे का
- स) लाभ एवं हानि खाते के मामले में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के नुकसान का; तथा
- ड) कैश फ्लो स्टेटमेंट के मामले में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो स्टेटमेंट

II. योग्य अभिप्राय का आधार

- 1) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 29, पुनर्बीमाकर्ताओं सहित अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत की पुष्टि प्राप्त न करने और वित्तीय स्थिति पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित करने योग्य नहीं है, को संदर्भित करता है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण (एसएसएस) के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे वित्तीय लेखा परीक्षा अनुभाग की ऑडिट के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में इसे वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो कि समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने उनके आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

III. मुख्य लेखा परीक्षा मामला

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

1. असमाप्त जोखिम आरक्षिति का प्रावधान

असमाप्त जोखिम आरक्षिति (यूआरआर) को अब तक शुद्ध लिखित प्रीमियम के 50% के रूप में मान्यता दी गई है, सिवाय समुद्री पोतकाय, आतंकवाद और परमाणु पूल के मामले को छोड़कर, जहां यह शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100% है। चालू वर्ष में, प्रबंधन ने संबंधित पालिसियों के लिए समय विभाजन के आधार पर या जोखिम के आधार पर, जो भी उचित हो, के लिये 1/365 पद्धति

INDEPENDENT AUDITORS REPORT

To the members of United India Insurance Company Limited

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

I. Qualified Opinion

We have audited the accompanying Consolidated financial statements of M/s United India Insurance Company Limited (hereinafter referred to as the "Holding Company") and its subsidiary (the Holding company and its subsidiary together referred to as "the Group"), its associates and jointly controlled entities, which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2023, the consolidated Fire, the consolidated Marine and the consolidated Miscellaneous Revenue Accounts, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements"), incorporated in these consolidated financial statements are the returns of the 30 Regional Offices (in which are incorporated the Returns of 366 Divisional Offices), 6 Large Corporate and Broker Cells and an overseas run-off operations ("other offices") audited by other auditors, one subsidiary and one associate audited by the local auditors appointed by the respective entity and one associate unaudited financials.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 ('The Insurance Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ('the IRDA Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ('the IRDA Financial Statements Regulations'), orders / directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ('the IRDAI'), the Companies Act ('the Act') including the accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 ('the Accounting Standards'), to the extent applicable in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group and its Associates.

a) in the case of the Balance Sheet, of the consolidated state of affairs of the Group, its associates and jointly controlled entities as at 31st March 2023;

- b) in the case of the Revenue Accounts, of the deficit for the year ended 31st March 2023;
- c) in the case of Profit and Loss Account, of the consolidated loss for the year ended 31st March 2023; and
- d) in the case of the Cash Flow Statement, of the consolidated cash flows for the year ended 31st March 2023.

II. Basis for Qualified Opinion

- 1) Note No. 29 to the consolidated financial statements, refers to non-obtention of year end confirmation from other insurance companies including reinsurers and consequential impact on the financials, if any, of adjustment/ reconciliation is not ascertainable.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Holding Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

III. Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

1. Provisioning of Unexpired Risk Reserve

Unexpired Risk Reserve (URR) hitherto had been recognized as 50% of net written premium, except in the case of Marine hull, terrorism & Nuclear Pool where it is 100% of the net written premium. In the current year, the management has obtained the approval of the Board and the IRDAI to adopt the 1/365 method on time apportionment basis

को अपनाने के लिए बोर्ड और आईआरडीएआई की मंजूरी प्राप्त कर ली है सिवाय समुद्री पोतकाय के अलावा जहां यह शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100% है। इसकी प्रक्रिया कंपनी ने तैयार कर ली है।

लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया

हमारे द्वारा निरीक्षण, उचित विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और पुनः गणना के माध्यम से पर्याप्त संख्या में नमूनों का सत्यापन किया गया। किसी भी भौतिक विसंगतियों की पहचान नहीं की गई है।

2. स्वास्थ्य बीमादावे का निपटान

स्वास्थ्य दावों की 3 श्रेणियां हैं, जैसे कि

- विभिन्न मंडलीय अधिकारियों द्वारा तृतीय पक्ष की एजेंसियों के माध्यम से संसाधित किये जाने वाले घरेलू स्वास्थ्य दावा
- विदेशी चिकित्सा दावे जिनके लिए सीएफएसी द्वारा भुगतान किये जाने वाले ओवरसीज चिकित्सा दावे
- भुगतान पश्चात ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से प्रतिपूर्ति किए गए कर्मचारी चिकित्सा दावे

चूंकि स्वास्थ्य दावों की श्रेणियों की संख्या और घटनाओं की संख्या बहुत बड़ी है, अतः स्वास्थ्य दावों के निपटान में भुगतानों का सत्यापन एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला साबित हुआ।

लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया

उपरोक्त श्रेणियों में से प्रत्येक से पर्याप्त संख्या में दावों का चयन किया गया और नियंत्रण और लेखांकन की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए दावा दर्ज से लेकर निपटान किये गये दावों के भुगतान तक की प्रक्रिया को सत्यापित किया गया और सत्यापन के दौरान कोई बड़ी विसंगतियां नहीं देखी गईं।

3. दावा का प्रावधान

उपगत दावे कंपनी के खर्च का एक प्रमुख घटक है। बीमा अनुबंधों की देयता के अनुमान में सर्वेयर की रिपोर्ट, अधिवक्ता की सलाह, जहाँ कहीं भी लागू हो सह बीमाकर्ताओं से सूचना, उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई दावों (आईबीएनआर) और उपगत लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किये गये दावे (आईबीएनईआर) के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उच्च स्तर का अनुमान शामिल है। अनुमानों, निर्णय और सुझाव के आधार पर कार्यप्रणाली में शामिल जटिलताओं को देखते हुए दावों का सत्यापन एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला बन गया।

लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया:

निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया गया:

- पुनर्बीमा, पोर्टफोलियो के दावों का प्रावधान हमारे द्वारा सत्यापित किया गया।
- कंपनी के दिशा-निर्देशों के आधार पर दावा प्रसंस्करण के लिये घटक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सर्वेयर के

अनुमान के आधार पर दावों का प्रावधान, अधिवक्ताओं की सलाह और सह-बीमाकर्ता की प्रतिक्रिया को दावों के निपटान और दावों के प्रावधान की प्रक्रियाओं पर खुद को संतुष्ट करने के लिए जांचा गया।

उपगत दावे लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई और उपगत दावे लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं की गई हेतु हमने कंपनी के नियुक्त बीमांकिक द्वारा किए गए 31/3/2023 को बीमांकिक मूल्यांकन पर विश्वास किया गया।

4. निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन की उपयुक्तता

समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 8 और 8ए देखें। लेखांकन नीति के लिए, समेकित वित्तीय विवरणों के बिंदु 9 को देखें। कंपनी की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निवेश के रूप में है (31 मार्च, 2023 तक कुल निवेश ₹ 32759.96 करोड़ रुपये हैं जो कुल संपत्ति का 79.75% है)। जैसा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई") द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी निवेश, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016 ("निवेश विनियम") और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार किए और प्रबंधित किए जाने चाहिए। इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता था क्योंकि असूचीबद्ध या अक्सर कारोबार न किए जाने वाले निवेश के मूल्यांकन में प्रबंधन निर्णय शामिल होता है। साथ ही, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी की रेटिंग को प्रभावित करने वाली घटनाओं के कारण, निवेश को पुनर्वर्गीकृत करने और निवेश विनियमों और/या कंपनी की आंतरिक नीतियों की आवश्यकताओं के अनुसार इसके मूल्यांकन/हानि का आकलन करने की आवश्यकता हो सकती है।

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया

हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित निवेश के उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन/हानि पर संबंधित प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और परीक्षण परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- नमूना आधार पर निवेश की सही रिकॉर्डिंग, मूल्यांकन / हानि, प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और निवेश विनियमन और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुपालन का परीक्षण किया गया।
- असूचीबद्ध और कम कारोबार वाले निवेशों और/या घटना विशिष्ट पुनर्वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए, हमने नियामक आवश्यकताओं और कंपनी की आंतरिक नीतियों के साथ प्रबंधन के मूल्यांकन की पुष्टि की।

किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई ठोस अपवाद नहीं मिला जो यह बताता हो कि निवेशों को उचित रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकित नहीं किया गया हो।

or period of risk basis for the respective policies, whichever is appropriate other than Marine Hull where it is 100% of the Net written premium. The process of the same has been formulated by the company.

Auditor's Response

Sufficient number of samples were verified by us through inspection, appropriate analytical procedures and re-calculation. No material discrepancies have been identified.

2. Settlement of Health Insurance claim

There are 3 categories of Health claims namely

- (i) Domestic Health claim processed by various divisional officers through third party agencies
- (ii) Overseas medical claims for which payment are made by CFAC
- (iii) Staff medical claims paid and reimbursed from Oriental Insurance Company Ltd

As the no. of categories of health claims and the number of instances are very large verification of payments in settlement of health claims proved to be a key audit matter.

Auditor's Response

Sufficient number of claims from each of the above categories were selected and the process involved from lodgments of claim to payment of settlement claims were verified to check the effectiveness of controls and accounting and no major discrepancies were observed during the verification.

3. Claim Provisioning

Incurred Claims is a major component of expense of the Company. The estimation of liability of insurance contracts involve a high degree of estimation based on surveyor's report, advocate's advices, communication from co insurers where ever applicable, actuarial valuation of liability in respect of claims incurred but not reported (IBNR) and claims incurred but not enough reported (IBNER). In view of complexities involved in the methodology based on assumptions, judgments and advices verification of claims provision became a key audit matter.

Auditor's Response

The following audit process was adopted:

- (i) Claims provisioning of Reinsurance portfolio was verified by us.
- (ii) Reports of Component Auditors on claims processing based on guidelines of the company and claims provisioning based on Surveyor's estimate, advice from advocates and co-insurer's feedback were checked to satisfy

ourselves on the procedures of settling claims and provisioning for claims.

For claims incurred but not reported and claims incurred but not enough reported, we relied on the Actuarial valuation as on 31/3/2023 done by company appointed Actuary

4. Appropriateness of the classification and valuation of Investments

Refer Schedule 8 & 8A of the Consolidated Financial Statement. For accounting policy, refer Point 9 to the Consolidated financial statements. The Company holds investments against policy holders 'liabilities, linked liabilities and shareholders' funds. A significant portion of the assets of the Company is in the form of investments (total investments as at March 31, 2023 is ₹ 32759.96 crore which constitutes 79.75% of Total Assets). As prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI"), all investments, should be made and managed in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2016 (the "Investment Regulations") and policies approved by Board of Directors of the Company. This area was considered as a key audit matter as the valuation of unlisted or not frequently traded investment involves management judgement. Also, due to events affecting the investee company's rating, there could be a need to reclassify investment and assess its valuation / impairment as per the requirements of the Investment Regulations and/ or Company's internal policies.

Auditor's Response

Our procedures included the following:

- Evaluating the design and testing operating effectiveness of the related key controls over proper classification and valuation/ impairment of investment implemented by the management.
- Tested on Sample basis the correct recording of Investments, valuation / Impairment , classification of securities and compliance with Investment regulation and policies approved by the Board of Directors
- For unlisted and not frequently traded investments and/or event specific reclassification and valuation, we corroborated management's assessment with the regulatory requirements and the Company's internal policies.

Based on the work carried out, we did not come across any material exception which suggests that the investments were not properly classified or valued.

IV. मामले का महत्व

हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट में निम्नलिखित मामले पर ध्यान आकर्षित करते हैं

- 31 मार्च 2023 को सॉल्वेंसी मार्जिन के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में नोट संख्या 22के अनुसार (-)0.29 है जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (संपत्ति, देनदारियां और सामान्य बीमा व्यवसाय की सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियम, 2016 के अनुसार निर्धारित मार्जिन से कम है।
- नोट संख्या 33 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए, सामान्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन का विकल्प चुनने वाले कंपनी के सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देयता के आस्थगन के संबंध में, वर्ष के दौरान ₹ 253.12 करोड़ रुपये की राशि को अवशोषित किया गया है। जैसा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा उनके पत्र संख्या 411/F&A(NL)/Amort-EB/2019-20/125 दिनांक 07-07-2020 के माध्यम से अनुमोदित किया गया है, ₹ 253.12 हजार रुपये की शेष राशि का परिशोधन 2023-24 में किया जाएगा।
- अचल संपत्तियों में कमियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 25 में, विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए दी गई पहचान को अचल संपत्ति रजिस्टर में विवरण के साथ सहसंबंधित किया जाना शेष है।
- समेकित वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 03, जो ₹ 500.39 करोड़ रुपये की राशि जिसे आयकर विभाग से वापसी के मामले में अग्रिम वसूली योग्य के रूप में दर्शाया गया है, के संबंध में, सीआईटी, आईटीएटी, एचसी और एससी जैसे विभिन्न स्तरों पर ये रकम वित्तीय वर्ष 2000-01 से लंबित हैं।
- सहायक कंपनी की बही में दिखाई देने वाली प्रतिभूतियों (बिना उद्धृत इक्रिटी और वरीयता शेयरों) में कुछ निवेशों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 2, जिनमें से विवरण (स्क्रिप वार विवरण) सहायक कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। ये शेयर सहायक कंपनी की हिरासत में नहीं हैं क्योंकि इनका पता नहीं लगाया जा सकता है। 31 मार्च 2023 को इन प्रतिभूतियों का कुल बही मूल्य ₹ 0.04 करोड़। सहायक कंपनी ने इसके लिये 100% प्रावधान रखा है। अपेक्षित जानकारी के अभाव में उसका बाजार मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

V. समेकित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट में वह जानकारी शामिल है जिसमें निदेशक की रिपोर्ट और जिम्मेदारी रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद है

कि अन्य जानकारी इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस बारे में कोई भी आश्वासन व्यक्त नहीं करेंगे। वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि जब यह उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर दी गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट के दौरान हमारे द्वारा प्राप्त की गई जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्य कथन प्रतीत होता है।

अन्य जानकारी प्राप्त होने पर, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें प्रशासन के प्रभारी लोगों को इस मामले के बारे में सूचित करना आवश्यक है और हम,

- यदि महत्वपूर्ण गलतबयानी को सुधार कर लिया गया है, तो सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया निष्पादित करें; या
- यदि प्रशासन के प्रभारी लोगों को मामले के बारे में सूचित करने के बाद भी महत्वपूर्ण गलतबयानी को सुधारा नहीं किया जाता है, तो हमारे कानूनी अधिकारों और दायित्वों पर विचार करते हुए उचित कार्रवाई करें, ताकि बिना सुधारी गई महत्वपूर्ण गलतबयानी को उचित रूप से उन उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाया जा सके जिनके लिए यह ऑडिटर की रिपोर्ट तैयार किया गया है।

VI. समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और उन पर प्रशासन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और लेखा परीक्षकों की बीमा कंपनियों की रिपोर्ट) विनियमन 2002, (''विनियमन'') के अनुसार कंपनी का वित्तीय प्रकटन और नकदी प्रवाह, लेखांकन तथा आमतौर पर भारत में स्वीकृत सिद्धांत जो विनियमन द्वारा निर्धारित आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं, उन वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाना भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के

IV. Emphasis of Matter

We draw attention to the following matter in the Notes to the consolidated financial statements

1. Note No. 22 to the Consolidated financial statements, regarding the Solvency Margin as on 31st March 2023 (-)0.29 which is below the stipulated margin as per the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016.
2. Note No. 33 to the Consolidated financial statements, regarding the deferment of pension liability of the retired and existing employees of the company who opted for Pension under General Employees' Pension Scheme 1995, an amount of ₹ 253.12 Crores has been absorbed during the year. As approved by Insurance Regulatory and Development Authority of India, vide its letter Ref 411/F&A(NL) /Amort-EB/2019-20/125 dated 07-07-2020. The balance provision amounting to ₹ 253.12 Crores will be amortized in 2023-24.
3. Note No.25 to the Consolidated financial statements regarding deficiencies in fixed assets, the identification given for various assets is yet to be correlated with the details in the Fixed Asset Register.
4. Note No.3 to the Consolidated financial statements, regarding an amount of ₹ 500.39 Crores which is shown as advance recoverable in respect of Refund dues from Income Tax Department, are pending at various levels such as CIT, ITAT, HC and SC. These amounts are pending from FY 2000-01.
5. Note No. 2 of the Consolidated Financial Statements regarding certain Investments in securities (unquoted equity and preference shares) appearing in the books of the Subsidiary Company, the details of which including (scrip wise details) are not available with the Subsidiary Company. These shares are not in the custody of the Subsidiary Company as the same are not traceable. The aggregate book value of these securities as on 31st March 2023 was ₹ 0.04 Crs . The Subsidiary Company has created 100% provision against the same. In the absence of required information, the market value of the same cannot be ascertained.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

V. Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Director's Report including Annexures to Director's report and Responsibility Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The

Other Information is expected to be made available to us after the date of this Auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

On receipt of Other Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and we shall,

- a) If the material misstatement is corrected, perform necessary procedure to ensure the correction; or
- b) If the material misstatement is not corrected after communicating the matter to those charged with governance, take appropriate action considering our legal rights and obligations, to seek to have the uncorrected material misstatement appropriately brought to the attention of users for whom this auditor's report is prepared.

VI. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associates and jointly controlled entities in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002, ("the Regulation") the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards issued by ICAI as prescribed by the Regulation. The respective Board of Directors of the companies included in the Group and its associates and jointly controlled entities are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act for safeguarding of the assets of the group and for preventing and deducting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that

रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है और धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, व्यवसाय की वर्तमान समुत्थान के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं और, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, व्यवसाय की वर्तमान समुत्थान संबंधित मामलों और लेखांकन के व्यवसाय की वर्तमान समुत्थान आधार का उपयोग करते हुए जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को परिसमापन करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं करता है, या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल कंपनियों और उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

VII. समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता है कि एसएएस के अनुसार आयोजित ऑडिट, मौजूदा एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलतबयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हमारे लिये:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक

नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू चिंता वाली संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और अंतर्निहित वस्तु का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने कार्य के लक्ष्यों की योजना बनाते हैं और अपने कार्य के परिणामों का आकलन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक पहलुओं पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह और उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना है। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के ऑडिट के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका ऑडिट अन्य ऑडिटर्स द्वारा किया गया है,

were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Holding company, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for overseeing the financial reporting process of the group and of its associates and jointly controlled entities.

VII. Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of

internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Holding company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and of its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and of its associates and jointly controlled entities to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone financial statements
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its associates and jointly controlled entities to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the

ऐसे अन्य ऑडिटर उनके द्वारा किए गए ऑडिट के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। अपनी ऑडिट अभिप्राय के लिए हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

हम होल्डिंग कंपनी और समेकित वित्तीय विवरण में शामिल ऐसी अन्य संस्थाओं के प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिनके हम स्वतंत्र ऑडिटर हैं, अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट का नियोजित दायरा और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान चिन्हित करते हैं।

जो शासी अधिकारी हैं हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले बन गये हैं।

VIII. अन्य मामले

हमने जेनिथ सिक्वोरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट हमने नहीं किया है, जिसके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 को ₹ 35.35 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति, 79.26 करोड़ रुपये का कुल राजस्व और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 15.03 करोड़ रुपये के शुद्ध नकदी प्रवाह को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

2 (दो) सहयोगियों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी का हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के ₹ 45.14 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

अ. इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेंस पीटीई लिमिटेड, एक सहयोगी का ऑडिट अन्य ऑडिटर द्वारा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य ऑडिटर की रिपोर्ट पर आधारित है।

ब. एक सहयोगी कंपनी, हेल्थ इश्यूरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय स्थिति का ऑडिट नहीं किया गया है। सहयोगी की कुल संपत्ति समेकित संपत्ति का 0.65%

है। हमने ऐसे अनऑडिटेड वित्तीय विवरण पर ही भरोसा किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

IX. अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, विनियमन और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लागू सीमा तक और समेकित वित्तीय विवरण आवश्यक तरीके से तैयार किए गए हैं।

2. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश या निर्देश के अनुसार आवश्यक है, हम इसकी रिपोर्ट करते हैं

ए) हमने योग्य राय के आधार वाली पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

बी) योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें कंपनी में रखी गई हैं, और जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है जो उचित है और हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रिटर्न उन क्षेत्रीय कार्यालयों और मंडल कार्यालयों से प्राप्त हुए हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

सी) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित बैलेंस शीट, समेकित राजस्व खाते, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए खाते, पुस्तकों के साथ मेल खाते हैं।

डी) घटक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के तहत ऑडिट किए गए क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों, मंडल लेखा परीक्षकों और विदेशी रन-ऑफ परिचालन की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और हमारे द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले तरीके से इसे तैयार करने इसका ध्यान रखा गया है।

ई) योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारतीय बीमा विनियामक

consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the Holding Company and such other entities included in the consolidated financial statement of which we are independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

VIII. Other Matters

We did not audit the financial statements of Zenith Securities and Investments Ltd., a subsidiary, whose financial statements reflect total assets of ₹ 35.35 Crores as at 31st March, 2023, total revenues of ₹ 79.26 Crores and net cash flows amounting to ₹ 15.03 Crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated financial statements.

The Consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹ 45.14 Crores for the year ended 31st March, 2023, as considered in the Consolidated financial statements, in respect of 2 (two) associates, whose financial statements / financial information have not been audited by us.

- a. India International Insurance PTE Ltd., one of the associates has been audited by other auditor whose report have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiary and associates and our report in terms of sub-sections (3) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries and associates, is based solely on the reports of the other auditor.
- b. Financials of one of the associate company, Health Insurance TPA of India Ltd., has not been audited. The total assets of the associate is 0.65% of the

consolidated assets. We have relied solely on such unaudited Financial statement.

Our opinion on the Consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

IX. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The consolidated financial statements have been drawn up in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Regulation and the provisions of the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in the manner so required.
2. As required by Section 143 (3) of the Companies Act, 2013 and Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and orders or direction issued by the Insurance Regulatory and Development Authority we report that:
 - a) We / the other auditors whose reports we have relied upon, have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.
 - b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by as so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the Regional offices, Divisional offices, subsidiary and associates not visited by us.
 - c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Revenue Accounts, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.
 - d) The Reports of the Regional Auditors, Divisional Auditors, Subsidiary and of foreign run off operations audited under section 143(8) of the Companies Act, 2013 by the component auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report in the manner considered necessary by us.

विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 द्वारा निर्धारित आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक का अनुपालन करते हैं।

- एफ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निवेश का मूल्यांकन बीमा अधिनियम के प्रावधानों, इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों और आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया गया है।
- जी) योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण और लेखांकन नीतियां, प्रासंगिक और उचित मानी जाने वाली सीमा और जो आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के साथ असंगत नहीं हैं, लेखांकन सिद्धांतों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक का अनुपालन करती हैं।
- एच) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, राजस्व खाते, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण और उन कार्यालयों से प्राप्त रिटर्न के साथ, जहां हम नहीं गए, वहाँ खाते किताबों के अनुरूप हैं।
- आई) अनुपालन के लिये जिम्मेदार कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए प्रबंधन प्रतिनिधित्व के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी ने आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया है।
- जे) हमने प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है और समेकित वित्तीय विवरणों में कोई स्पष्ट गलती या महत्वपूर्ण असंगतता नहीं है;
- के) हमने वास्तविक निरीक्षण या प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके ऋण से संबंधित नकदी और बैंक शेष, निवेश और प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है;
- एल) हमें दी गई हमारी सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी द्वारा दिए गए निरूपण के अनुसार, पॉलिसीधारकों के फंड की संपत्ति का कोई भी हिस्सा पॉलिसीधारक फंड के आवेदन और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया गया है।
- एम) अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।
- एन) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और

ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हम अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक - 1 में देते हैं।

- ओ) कंपनी (ऑडिटऑरऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम:
- समेकित वित्तीय विवरण समूह और उसके सहयोगियों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 3 देखें;
 - समूह और उसके सहयोगियों को डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि नहीं हुई।
 - होलडिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और भारत में निगमित सहयोगी कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।
- अ. प्रबंधन ने यह यह अभिवेदन दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थों'') सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (ओं) या इकाई (ओं) को या उनमें कोई धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें।
- बी. प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में बताए गए के अलावा, कंपनी को विदेशी संस्थाओं (''फंडिंग पार्टियों'') सहित किसी भी व्यक्ति(यों) या इकाई(ओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (''अंतिम लाभार्थी'') की ओर से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने

- e) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Accounting Standard issued by ICAI and prescribed by the Insurance Regulatory Development Authority of India (Preparation of Financial Statement and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.
- f) As per the information and explanations provided to us, the investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, the regulations and orders/directions issued by IRDAI in this regard.
- g) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, the Consolidated financial statements and the Accounting Policies of the Company comply with the accounting principles and with the Accounting Standard issued by ICAI, to the extent considered relevant and appropriate and which are not inconsistent with accounting principles prescribed by IRDAI;
- h) The Balance Sheet, Revenue Accounts, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from offices not visited by us.
- i) Based on the management representation made by the management of the Company charged with compliance, nothing has come to our attention which causes us to believe that the company has not complied with the terms and conditions of registration as stipulated by IRDAI
- j) We have reviewed the Management Report and there is no apparent mistake or material inconsistency with the Consolidated financial statements;
- k) We have verified the cash and bank balances, investments and securities relating to loans by actual inspection or by production of certificates and other documentary evidences;
- l) To the best of our information and explanations given to us and representation made by the company, no part of the assets of the Policyholders' Funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the Policyholders' Fund.
- m) As per the Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05.06.2015, sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 is not applicable to Government Companies.
- n) With respect to the adequacy of internal financial control systems and the operating effectiveness of such controls, we give our Report in Annexure – I.
- o) With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the group and its associates - Refer Note No. 3 to the Consolidated financial statements;
 - ii. The Group and its associates did not have any material foreseeable losses on long-term contracts including derivative contracts.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Holding Company, its subsidiary company and associate company incorporated in India.
 - iv. a. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
 - b. The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including

गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी। अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना; और

- स. ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उचित माना है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- v. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।
- vi. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते

की किताबें बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, कंपनी पर 1 अप्रैल, 2023 से लागू है और तदनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के संबंध में हमारी टिप्पणियाँ अनुबंध - II में दी गई हैं।

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर &
एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929
UDIN 23021929BGZDRP8043

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276
UDIN 23218276BGWJHN1008

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814
UDIN 23029814BGYMTI2254

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 30.05.2023

- foreign entities (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
- c. Based on audit procedures which we considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) contain any material mis-statement.
- v. The company has not declared or paid any dividend during the year.
- vi. Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail facility is applicable to the Company with effect from April 1, 2023, and accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended March 31, 2023.
3. As required by section 143(5) of the Companies Act, 2013, our comments with regard to the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India are given in Annexure – II.

— Vide our report of date attached —

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929
UDIN 23021929BGZDRP8043

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276
UDIN 23218276BGWJHN1008

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814
UDIN 23029814BGYMTI2254

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक -I

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 तक युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड ('इसके बाद इसे 'होलिडिंग कंपनी' के रूप में संदर्भित किया गया है), इसकी सहायक कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर समाप्त वर्ष के लिए होलिडिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और संरक्षण शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होने वाली सीमा तक निर्धारित माना जाता है तथा दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मौजूदा कमजोरी के कारण से उत्पन्न जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण से ही हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों का अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए व्यवहारों को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं। ; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी

ANNEXURE – I TO INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of United India Insurance Company Limited (“hereinafter referred to as “the Holding Company”) its subsidiary company and its associate company which are companies incorporated in India, as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the Holding Company for the year ended.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the Holding company, its subsidiary company and its associate company, which are companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the Auditors’ judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company’s internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company’s internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company’s assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation

के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण खराब हो सकता है।

योग्य अभिप्राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च, 2023 को नीचे दी गई आसक्ति के कारण की पहचान की गई है:

- होलिडिंग कंपनी के पास अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने और समाधान के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं था।
- रिपोर्ट में त्रुटियों को खत्म करने के लिए पुनर्बीमा मॉड्यूल में सिस्टम नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा।

‘आसक्ति का कारण’ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण को एक सामयिक आधार पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित आसक्ति के कारण के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, होलिडिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में

बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2023 के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरी पर विचार किया है, और भौतिक कमजोरी ने समेकित पर हमारी राय को प्रभावित किया है। कंपनी के वित्तीय विवरण और हमने समेकित वित्तीय विवरण पर एक योग्य राय जारी की है।

हमारी राय में, 31 मार्च 2023 तक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर होलिडिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह 30 क्षेत्रीय कार्यालयों (जिसमें 366 मंडल कार्यालयों के रिटर्न शामिल हैं) 6 बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल से संबंधित है, संबंधित कार्यालयों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर &
एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929
UDIN 23021929BGZDRP8043

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276
UDIN 23218276BGWJHN1008

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814
UDIN 23029814BGYMTI2254

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 30.05.2023

of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the material weakness has been identified as at March 31, 2023 as below:

1. The Holding Company did not have appropriate internal controls for obtention of year end confirmation of balances from other insurance companies and reconciliation.
2. The system controls in Reinsurance module of the holding Company to be strengthened to eliminate errors in reports.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Holding Company, its subsidiary company and its associate company, which are companies incorporated in India, have, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company

considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2023 Consolidated financial statements of the Company, and the material weakness has affected our opinion on the Consolidated financial statements of the Company and we have issued a qualified opinion on the Consolidated financial statements.

In our opinion, the Holding Company, its subsidiary company and its associate company, which are companies incorporated in India, have, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid reports under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting insofar as it relates to 30 Regional Offices (in which are incorporated the Returns of 366 Divisional Offices) 6 Large Corporate and Broker Cells and overseas runoff operation is based on the corresponding reports of the auditors of the respective offices.

Vide our report of date attached

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929
UDIN 23021929BGZDRP8043

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276
UDIN 23218276BGWJHN1008

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814
UDIN 23029814BGYMTI2254

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी
निर्देशों एवं उप-निर्देशों के संबंध में टिप्पणियाँ

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश

| क्र. सं. | निर्देश | उत्तर |
|----------|---|--|
| 1 | क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहिताथों के साथ-साथ खालों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है। | हाँ, होल्डिंग कंपनी के पास व्यवस्था मौजूद है। सभी लेखांकन व्यवहार आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। जेनिसिस कॉन्फिगरेटर (जीसी कोर) सभी ऑफरिंग कार्यालयों और पोर्टलों पर उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। निवेश विभाग में एक स्टैंडअलोन ट्रेजरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है और प्रधान कार्यालय के सीएफएसी विभाग में जीसी सॉफ्टवेयर के अलावा एफएसीटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। स्थापना विभाग में पेट्रोल की प्रक्रिया एसएपी के माध्यम से की जाती है। |
| 2 | क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। | ऐसा कोई मामला नहीं है। |
| 3 | क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं। | होल्डिंग कंपनी को केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से पीएमएफबीवाई/आरएसबीवाई से संबंधित सब्सिडी का एक हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसका उचित हिसाब-किताब किया गया और उसका उपयोग किया गया। |

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 004104S

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर &
एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929
UDIN 23021929BGZDRP8043

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276
UDIN 23218276BGWJHN1008

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814
UDIN 23029814BGYMTI2254

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 30.05.2023

ANNEXURE-II TO INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Comments in regard to the directions and sub-directions
issued by the Comptroller and Auditor General of India

I. DIRECTION U/S 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013

| S.No. | Directions | Reply |
|-------|--|--|
| 1 | Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the Integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated. | Yes, the holding company has system in place. All Accounting transactions are processed through IT Systems. Genisys configurator (GC CORE) is the software used across all operating offices and portals. A standalone treasury management software is used at Investment department and in CFAC Department of Head office FACT software is used in addition to GC Software. Payroll is processed through SAP in Establishment Department The Unexpired Risk Reserve is being computed by a separate SQL Software in CFAC Department. |
| 2 | Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off debts/loans/interest etc., made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. | No such cases |
| 3 | Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilised as per its term and conditions? List the cases of deviations. | The Holding Company received a part of Subsidy relating to PMFBY / RSBY from central and state agencies which were properly accounted for and utilized. |

Vide our report of date attached

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929
UDIN 23021929BGZDRP8043

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276
UDIN 23218276BGWJHN1008

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814
UDIN 23029814BGYMTI2254

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

II. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत उप निर्देश

| क्र. सं. | विवरण | उत्तर | | | |
|----------|--|--|----------|---------------------------|--------------|
| | | विवरण | समाधानित | गैर समाधानित | पुनर्गठनाधीन |
| 1 | भौतिक/डीमैट रूप में उपलब्ध सीजीएस/एसजीएस/बॉन्ड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के शीर्षकों की संख्या और इनमें से, ऐसे मामलों की संख्या जो कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्शाई गई संबंधित राशियों से मेल नहीं खाती हैं, जिन्हें सत्यापित किया जा सकता है और पाई गई विसंगति को उचित रूप से रिपोर्ट किया जा सकता है। | ऋणपत्र | 18 | 2 (बहि मूल्य ₹ ज.4947501) | 0 |
| 2 | क्या निवेश के संबंध में स्टॉप लॉस सीमा निर्धारित की गई है। यदि हाँ, तो सीमा का पालन किया गया अथवा नहीं। यदि नहीं, तो विवरण दिया जा सकता है। | हां निवेश नीति मौजूद है और इसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की व्यवस्था शामिल है। हाँ। निवेश के संबंध में स्टॉप लॉस सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उनका पालन किया गया है। | | | |
| 3 | क्या कंपनी ने अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं के साथ अपने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अंतर-कंपनी शेष के लिए समाधान पर कार्रवाई किया है और क्या अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं से उनके कारण शेष के लिए पुष्टि प्राप्त की गई है? | होलिडिंग कंपनी के पास ज़ोनल/क्षेत्रीय स्तर पर पीएसयू बीमाकर्ताओं के साथ समय-समय पर बैठकों के माध्यम से सह-बीमा शेष राशि को सुलझाने की एक प्रक्रिया है जहां शेष राशि पर सहमति और निपटान किया जाता है। हालाँकि कंपनी ने वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की है। | | | |
| 4 | क्या कंपनी के संबंध में जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध संपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर लिया गया है। | होलिडिंग कंपनी जीएसटी पोर्टल में उपलब्ध क्रेडिट के साथ चालान के मिलान के बाद पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट के अलावा सभी पात्र इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाती है। 31.03.2023 को बेजोड़ इनपुट क्रेडिट ₹ 56.19 करोड़ रुपये किताबों में उपलब्ध हैं। | | | |
| 5 | क्या पुनर्बीमा व्यवहारों को कोर बीमा समाधान के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत कर दिया गया है। यदि हाँ, तो क्या पुनर्बीमा संबंधी आंकड़ों का प्रवाह पूरी तरह से स्वचालित है। यदि नहीं, तो विवरण दिया जा सकता है। | हां, पुनर्बीमा व्यवहारों को कोर बीमा समाधानों के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत कर दिया गया है। बीमा लेखन आंकड़े और दावा आंकड़े स्वचालित रूप से जीसी-कोर के आरआई मॉड्यूल में प्रवाहित होते हैं। | | | |

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर &
एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929
UDIN 23021929BGZDRP8043

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276
UDIN 23218276BGWJHN1008

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814
UDIN 23029814BGYMTI2254

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 30.05.2023

II. Sub-Directions u/s 143(5) of the Companies Act, 2013

| S.No. | Particular | Reply | | | |
|-------|---|---|------------|--------------------------|---------------|
| | | Particulars | Reconciled | Un-Reconciled | Restructuring |
| 1 | Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc. available in physical/demat form and out of these, number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported. | Debentures | 18 | 2 (Book Value ₹ 4947501) | 0 |
| 2 | Whether stop loss limits have been prescribed in respect of the investments. If yes, whether or not the limit was adhered to. If no, details may be given. | Yes. Investment Policy exists and includes mechanism to review investment portfolios. Yes. Stop loss limits have been prescribed in respect of the investments and have been adhered to. | | | |
| 3 | Whether Company has carried out reconciliation exercise for inter-company balances reflected in their financial statements with other PSU insurers and whether confirmation has been obtained from other PSU insurers for balances due from them? | The Holding Company has a process of reconciling co-insurance balances through periodical meetings with PSU insurers at Zonal/ Regional level where balances are agreed and settled. However the Company has not obtained year end confirmation of balances | | | |
| 4 | Whether entire input tax credit (ITC) available on GST portal in respect of the Company has been availed within prescribed time limits. | The Holding Company avails all eligible input credit other than inputs on capital goods after matching with the invoices with the credit available in the GST portal. The unmatched input credit as on 31.03.2023 is ₹ 56.19 Crs lying in the books. | | | |
| 5 | Whether re-insurance transaction have been fully integrated with CORE Insurance Solution. If yes, whether the flow of re-insurance related data is fully automated. If no details may be given | Yes. Reinsurance transactions have been fully integrated with GC CORE insurance solutions. The underwriting data and claims data flow automatically to RI module of GC CORE. | | | |

Vide our report of date attached

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929
UDIN 23021929BGZDRP8043

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276
UDIN 23218276BGWJHN1008

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814
UDIN 23029814BGYMTI2254

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के साथ पठित 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ पढ़ी गई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। कथन है कि यह उनके द्वारा 30 मई 2023 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का एक पूरक ऑडिट किया है। हमने युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है, लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए जेनिथ सेक्यूरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट नहीं किया है। इसके अलावा, इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड सिंगापुर पर अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ए) लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक निजी संस्था है जो अपने वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और पूरक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए संबंधित कानूनों के अंतर्गत विदेश में निगमित हुई है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी का पूरक लेखा परीक्षण किया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजातों तक पहुंचे बिना यह पूरक ऑडिट स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक ही सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को इजाजत दे।

वास्ते एवं कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 31.07.2023

(एस.वेङ्कियांगिरि)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) READ WITH 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of consolidated financial statements of United India Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938, read with the Insurance Regulatory & Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of United India Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted

a supplementary audit of the financial statements of United India Insurance Company Limited but did not conduct supplementary audit of the financial statements of Zenith Securities and Investments Limited and Health Insurance TPA of India Limited for the year ended on that date. Further, section 139(5) and 143(6)(a) of the Act is not applicable to India International Insurance Pte. Ltd, Singapore being private entity incorporated in foreign country under the respective laws, for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of this company. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place : Chennai

Date : 31.07.2023

(S. Velliangiri)

Principal Director of Commercial Audit

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: January 27, 2022

समेकित अग्नि बीमा राजस्व खाता 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

CONSOLIDATED FIRE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष / Current Year | गत वर्ष / Previous Year |
|--|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| | | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net) | 1 | 8205207 | 9097570 |
| निवेशों की बिक्री / अदायगी पर लाभ/हानि (शुद्ध) Profit/Loss on sale/redemption of Investments (Net) | | 869773 | 450565 |
| विनिमय से हानि/लाभ Exchange Loss/Gain | | 0 | 0 |
| ब्याज, लाभांश व किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross | | 1503075 | 1949719 |
| अन्य / Others | | | |
| शेयरधारकों की निधि से अतिरिक्त ईओएम को अंशदान Contribution from Shareholders Fund towards excess EOM | | 3438489 | 1430810 |
| कुल (A) TOTAL (A) | | 14016544 | 12928664 |
| उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net) | 2 | 5735895 | 5319758 |
| कमीशन Commission | 3 | 971503 | 1263156 |
| बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business | 4 | 7345937 | 5314622 |
| अन्य / Others | | | |
| निवेश से संबंधित खर्च Expenses relating to Investments | | 2787 | 2659 |
| निवेश की प्रीमियम पर परिशोधन Amortisation of Premium on Investments | | 6187 | 6742 |
| अशोध्य और सन्दिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts | | 62133 | 41050 |
| हासित निवेश से संबंधित बट्टे खाते में डाली गयी राशि Amount written off in respect of depreciated investments | | 39647 | 61043 |
| सक्रिय रूप से न व्यापारित साम्यांश के अवमूल्यन हेतु प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities | | -15551 | -13556 |
| कुल (B) TOTAL (B) | | 14148538 | 11995474 |
| प्रचालन लाभ/(हानि) इ = (अ - आ) Operating Profit/(Loss) C = (A-B) | | -131994 | 933190 |

| विनिमयन / APPROPRIATIONS | | | |
|---|--|----------------|---------------|
| शेयरधारकों के खाते को अंतरित Transfer to Shareholders' Account | | -131994 | 933190 |
| महाविपत्ति आरक्षित को अंतरित Transfer to Catastrophe Reserve | | 0 | 0 |
| अन्य आरक्षित को अंतरित Transfer to Other Reserves | | 0 | 0 |
| कुल (₹) TOTAL (C) | | -131994 | 933190 |

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 सी (2) के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार अग्नि बीमा कारोबार में, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कहीं भी किए गए उपगत प्रबंध खर्च सभी अग्नि बीमा राजस्व खाते में खर्च के रूप में पूर्णतः विकलित किये गये हैं।

As required by Section 40C(2) of Insurance Act 1938, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief, all expenses wherever incurred whether directly or indirectly in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the Fire Insurance Revenue account as expenses.

_____ कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से / For and on behalf of Board _____

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

_____ दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached _____

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 30.05.2023

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: January 27, 2022

समेकित समुद्री बीमा राजस्व खाता 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

CONSOLIDATED MARINE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 (₹ '000) | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 (₹ '000) |
|--|---------------------|---|--|
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net) | 1 | 2267831 | 2029094 |
| निवेशों की बिक्री / अदायगी पर लाभ/हानि (शुद्ध) Profit/Loss on sale/redemption of Investments (Net) | | 200415 | 106265 |
| विनिमय से हानि/लाभ Exchange Loss/Gain | | 0 | 0 |
| ब्याज, लाभांश व किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross | | 346340 | 320849 |
| अन्य / Others | | | |
| शेयरधारकों की निधि से अतिरिक्त ईओएम को अंशदान Contribution from Shareholders Fund towards excess EOM | | 489563 | 173825 |
| कुल (अ) TOTAL (A) | | 3304149 | 2630033 |
| उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net) | 2 | 1341732 | 1795760 |
| कमीशन Commission | 3 | 266967 | 262851 |
| बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business | 4 | 1175818 | 757898 |
| अन्य / Others | | | |
| निवेश से संबंधित खर्च Expenses relating to Investments | | 642 | 627 |
| निवेश की प्रीमियम पर परिशोधन Amortisation of Premium on Investments | | 1426 | 1590 |
| हासित निवेश से संबंधित बटूटे खाते में डाली गयी राशि Amount written off in respect of depreciated investments | | 9136 | 14397 |
| अशोध्य और सन्दिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts | | 14316 | 9681 |
| सक्रिय रूप से न व्यापारित साम्यांश के अवमूल्यन हेतु प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities | | -3583 | -3197 |
| कुल (आ) TOTAL (B) | | 2806454 | 2839607 |
| प्रचालन लाभ/(हानि) इ = (अ - आ) Operating Profit/(Loss) C = (A-B) | | 497695 | -209574 |

| विनिमयन / APPROPRIATIONS | | | |
|---|--|---------------|----------------|
| शेयरधारकों के खाते को अंतरित Transfer to Shareholders' Account | | 497695 | -209574 |
| महाविपत्ति आरक्षित को अंतरित Transfer to Catastrophe Reserve | | 0 | 0 |
| अन्य आरक्षित को अंतरित Transfer to Other Reserves | | 0 | 0 |
| कुल (₹) TOTAL (C) | | 497695 | -209574 |

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 सी (2) के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार समुद्री बीमा कारोबार में, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कहीं भी किए गए उपगत प्रबंध खर्च, सभी समुद्री बीमा राजस्व खाते में खर्च के रूप में पूर्णतः विकलित किये गये हैं।

As required by Section 40C(2) of Insurance Act 1938, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief, all expenses wherever incurred whether directly or indirectly in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the Marine Insurance Revenue account as expenses.

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से / For and on behalf of Board

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 30.05.2023

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: January 27, 2022

समेकित विविध बीमा राजस्व खाता 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

CONSOLIDATED MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|--|---------------------|---|--|
| | | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net) | 1 | 140969822 | 125829337 |
| निवेशों की बिक्री / अदायगी पर लाभ/हानि (शुद्ध) Profit/Loss on sale/redemption of Investments (Net) | | 12028810 | 6065629 |
| अंतरण शुल्क इत्यादी / Transfer fees, etc. | | 12574 | 11395 |
| ब्याज, लाभांश व किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross | | 20787254 | 18348059 |
| अन्य / Others | | | |
| शेयरधारकों की निधि से अतिरिक्त ईओएम को अंशदान Contribution from Shareholders Fund towards excess EOM | | 20462159 | 4281902 |
| कुल (अ) TOTAL (A) | | 194260619 | 154536322 |
| उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net) | 2 | 133532205 | 127884641 |
| कमीशन Commission | 3 | 9373450 | 7498894 |
| बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business | 4 | 54555017 | 35336779 |
| अन्य / Others | | | |
| निवेश से संबंधित खर्च Expenses relating to Investments | | 38533 | 35796 |
| निवेश की प्रीमियम पर परिशोधन Amortisation of Premium on Investments | | 85565 | 90762 |
| हासित निवेश से संबंधित बटूटे खाते में डाली गयी राशि Amount written off in respect of depreciated investments | | 548317 | 821776 |
| अशोध्य और सन्देह ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts | | 859286 | 552621 |
| सक्रिय रूप से न व्यापारित साम्यांश के अवमूल्यन हेतु प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities | | -215062 | -182501 |
| कुल (आ) TOTAL (B) | | 198777311 | 172038768 |
| प्रचालन लाभ/(हानि) इ = (अ - आ) Operating Profit/(Loss) C = (A-B) | | -4516692 | -17502446 |

 समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 विविध बीमा राजस्व खाता / MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT

| विनिमयन / APPROPRIATIONS | | | |
|---|--|-----------------|------------------|
| शेयरधारकों के खाते को अंतरित Transfer to Shareholders' Account | | -4516692 | -17502446 |
| महाविपत्ति आरक्षित को अंतरित Transfer to Catastrophe Reserve | | 0 | 0 |
| अन्य आरक्षित को अंतरित Transfer to Other Reserves | | 0 | 0 |
| कुल (₹) TOTAL (C) | | -4516692 | -17502446 |

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 सी (2) के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विविध बीमा कारोबार में, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कहीं भी किए गए उपगत प्रबंध खर्च सभी विविध बीमा राजस्व खाते में खर्च के रूप में पूर्णतः विकलित किये गये हैं।

As required by Section 40C(2) of Insurance Act 1938, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief, all expenses wherever incurred whether directly or indirectly in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the Miscellaneous Insurance Revenue account as expenses.

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से / For and on behalf of Board

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 30.05.2023

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

युनाइटेड इंडिया इश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड/ UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: January 27, 2022

समेकित लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 (₹ '000) | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 (₹ '000) |
|--|---------------------|---|--|
| प्रचालन लाभ / (हानि) / OPERATING PROFIT/(LOSS) | | | |
| अग्नि बीमा / Fire Insurance | | -131994 | 933190 |
| समुद्री बीमा / Marine Insurance | | 497695 | -209574 |
| विविध बीमा / Miscellaneous Insurance | | -4516692 | -17502446 |
| निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENTS | | | |
| ब्याज, लाभांश व किराया - सकल / Interest, Dividend & Rent - Gross | | -467043 | 1364438 |
| निवेश की बिक्री पर लाभ / Profit on sale of investments | | 786182 | 891283 |
| घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि / Less: Loss on sale of investments | | 0 | 0 |
| अन्य आय / OTHER INCOME | | | |
| बट्टे खाते में खला गया विविध शेष / Sundry Balances written back | | 1050830 | 22719 |
| परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि तथा अन्य आय Profit/Loss on sale of assets & other incomes | | -171280 | 139824 |
| कुल (अ) TOTAL (A) | | -2952302 | -14360566 |
| प्रावधान (कर के अलावा) / PROVISIONS (Other than taxation) | | | |
| निवेश के अवमूल्यन हेतु / For diminution in the value of investments | | 2905 | -12241 |
| सन्देह ऋणों हेतु / For doubtful debts | | 0 | 42082 |
| अन्य खर्च / OTHER EXPENSES | | | |
| अतिरिक्त ईओएम हेतु पालिसीधारकों की निधि को अंशदान Contribution to Policyholders Fund towards excess EOM | | 24390211 | 5886537 |
| उधार पर ब्याज/ Interest On Borrowings | | 624514 | 742500 |
| निगमिय सामाजिक दायित्व पर खर्च Expenses on Corporate Social Responsibility | | 10130 | 118980 |
| गैर बीमा कारोबार से संबंधित खर्च Expenses other than those related to Insurance Business | | 2177 | 4434 |
| बट्टे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण / Bad debts written off | | 0 | 0 |
| निवेश प्रीमियम पर परिशोधन / Amortisation of Premium on Investments | | 0 | 6912 |
| हासित निवेश से संबंधित बट्टे खाते में डाली गयी राशियाँ Amount written off in respect of depreciated investments | | 0 | 62579 |
| कुल (आ) TOTAL (B) | | 25029937 | 6851783 |
| कर के पूर्व लाभ (इ) = (अ - आ) / Profit / (Loss) Before Tax (C) = (A-B) | | -27982239 | -21212349 |
| कर के लिये प्रावधान / Provision for Taxation | | 33000 | 25000 |
| घटाएँ : एमएटी क्रेडिट / Less: MAT Credit | | 0 | 0 |
| स्थगित कर / Deferred tax | | -12 | -3 |
| गत वर्षों से संबंधित कर / Taxation relating to earlier years | | 4060 | 0 |

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|--|---------------------|---|--|
| कर के बाद लाभ लेकिन माइनारिटी ब्याज और संबद्ध कंपनी के लाभ के अंश के पूर्व (डी) / Profit after Taxation but before Minority Interest and Share of Profit of Associates (D) | | -28019287 | -21237346 |
| जोड़ें : संबद्ध कंपनी के लाभ / (हानि) का अंश / Add : Share of Profit / (Loss) of Associates | | -113395 | 195940 |
| घटाएँ : माइनारिटी ब्याज का अंश / Less: Share of Minority Interest | | -616 | 100697 |
| कर, माइनारिटी ब्याज और संबद्ध कंपनी के लाभ के अंश के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) / Net Profit / (Loss) after Taxation, Minority Interest and Share of Profit of Associates | | -28132066 | -21142103 |
| विनियोजन / APPROPRIATIONS | | | |
| गत वर्ष से अग्रोषित अधिशेष / Brought forward Surplus from Previous year | | 0 | 0 |
| प्रस्तावित अंतिम लाभांश / Proposed final dividend | | 183300 | 0 |
| अंतरिम लाभांश / Interim Dividend | | 0 | 0 |
| लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax | | 0 | 0 |
| सांविधिक रिजर्व को अंतरित / Transferred to Statutory Reserve | | 149496 | 82423 |
| डिबेंचर मोचन आरक्षित को अंतरित / Transferred to Debenture Redemption Reserve | | 0 | 225000 |
| सामान्य आरक्षित को अंतरित / Transferred to General Reserve | | -1125000 | -5697602 |
| तुलन पत्र को अंतरित शेष / Balance carried forward to Balance Sheet | | -27339862 | -15751924 |
| मूल और तरलीकृत प्रति शेयर से आय / Basic and Diluted Earning per share | | (7.29) | (5.64) |

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से / For and on behalf of Board

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S
For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S
For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051
For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929
CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276
CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814
CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

स्थान : चेन्नै

Place : Chennai

दिनांक : 30.05.2023

Date : 30.05.2023

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: January 27, 2022

समेकित 31 मार्च 2023 के दिन पर का तुलन पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|--|---------------------|---|--|
| | | (₹ '000) | (₹ '000) |
| निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS | | | |
| शेयर पूंजी SHARE CAPITAL | 5 | 39050000 | 39050000 |
| आरक्षितियाँ और अधिशेष RESERVES AND SURPLUS | 6 | 1632153 | 2016443 |
| सही मूल्य परिवर्तन खाता - शेयरधारकों FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT - SHAREHOLDERS' | | 51467 | 2116728 |
| सही मूल्य परिवर्तन खाता - पॉलिसीधारकों FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT - POLICYHOLDERS' | | 36806773 | 30348427 |
| ऋण BORROWINGS | 7 | 0 | 9000000 |
| अल्पमत हित / MINORITY INTEREST | | 94859 | 299444 |
| अस्थगित कर दायित्व / DEFFERED TAX LIABILITY | | 0 | 8 |
| कुल / TOTAL | | 77635252 | 82831050 |
| निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | 8 | 359704738 | 363888112 |
| ऋण LOANS | 9 | 2081296 | 1950390 |
| स्थायी परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS | 10 | 4403278 | 4498930 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS | | | |
| नकद और बैंक शेष CASH AND BANK BALANCES | 11 | 22156295 | 26696331 |
| अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियाँ ADVANCES AND OTHER ASSETS | 12 | 59307992 | 59123776 |
| उप कुल (अ) SUB-TOTAL (A) | | 81464287 | 85820107 |

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|--|---------------------|---|--|
| चालू देयताएँ CURRENT LIABILITIES | 13 | 326855900 | 308174690 |
| प्रावधान / PROVISIONS | 14 | 86254233 | 80903723 |
| उप कुल (आ) / SUB-TOTAL (B) | | 413110133 | 389078413 |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (इ) = (अ-आ) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | | -331645846 | -303258306 |
| विविध खर्च (जिनको बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 15 | 0 | 0 |
| लाभ और हानि खाते में नामे शेष DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT | 6A | 43091786 | 15751924 |
| कुल / TOTAL | | 77635252 | 82831050 |

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से / For and on behalf of Board

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 30.05.2023

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

31 मार्च 2023 को आकस्मिक देयताएँ / CONTINGENT LIABILITIES AT 31ST MARCH 2023
(₹ '000)

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|--|---|--|
| आंशिक रूप में चुकता शेयर / On Partly Paid Investments | 1074.55 | 800 |
| पालिसी के तहत अन्य दावे जिन्हें कंपनी ऋण नहीं मानती Claims other than those under policies, not acknowledged as debts | 1625300 | 1648619 |
| शेष बीमालेखन अभिवन्धन (शेयर और ऋण पत्रों के संबंध में) Underwriting commitments outstanding (in respect of Shares and Securities) | 0 | 0 |
| कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई प्रतिभूतियाँ / Guarantees given by or on behalf of the Company | 0 | 150 |
| विवादास्पद वैधानिक माँग / देयताएँ जिसका प्रावधान नहीं किया गया Statutory demands /liabilities in dispute, not provided for** | 41682481 | 35868504 |
| खाते में पुनर्बीमा देयताओं के लिये प्रावधान नहीं किया गया है / Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts | 0 | 0 |
| बकाया साख पत्र / Outstanding Letter of Credit | 32218 | 31017 |
| अन्य (बैंक गारंटी/ Others (Bank Guarantee) | 54900 | 13039 |

- नोट : 1. विवाद में वैधानिक माँग/ विवादित देनदारियाँ जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, इसमें जुर्माना, यदि कोई लागू हो, शामिल नहीं है।
2. आयकर अधिकारियों ने पिछले कुछ वर्षों में कंपनी को अब तक देय रिफ़ंड की राशि ₹ 5003975 हजार (₹ 4850674 हजार) को समायोजित किया है।
3. 1 फ़रवरी 2003 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए व्यापार देय, सर होमी मेहता ट्रस्ट (इमकान मालिक) को 358.33 रुपये (हजारों में) देय किराए का प्रदर्शन करता है। मकान मालिक ने सहायक कंपनी के कब्जे वाले परिसर को खाली करने के लिए नोटिस भेजा है और मुख्य रूप से बेदखली के लिए लघु वाद न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया है। उक्त मुकदमे में मकान मालिक ने 110/- प्रति वर्ग फ़ुट प्रति माह या माननीय न्यायालय जो उचित समझे, की अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की है। ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया और मुकदमा परिसर से बेदखल करने का आदेश दिया। लघु वाद न्यायालय के समक्ष अपील करने पर जुलाई 2008 में ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को रद्द कर दिया गया। इसके बाद मकान मालिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फ़ैसले के खिलाफ़ एक नागरिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जो लंबित है। स्मॉल कॉज कोर्ट ने मैन्से प्रॉफ़िट के लिए O.20 R. 12 के संदर्भ में जांच का भी आदेश दिया है, जो लंबित है। इसे देखते हुए इस स्तर पर मैन्से प्रॉफ़िट की गणना नहीं की जा सकती और न ही इसका प्रावधान किया गया है।

Note : 1. Statutory demands / liabilities in dispute, not provided for does not include penalty, if any applicable.

2. The Income Tax authorities have adjusted, over the years, the refund due until date to the company amounting to ₹ 5003975 thousands (₹ 4850674 thousands).
3. Trade Payables represent Rent payable to Sir Homi Mehta Trust ("The Landlord") ₹ 358.33 (in thousands) for the period 1st February 2003 to 31st March 2022. The landlord had sent the notice for the eviction of the premises occupied by the subsidiary Company and had also filed the suit in the Court of Small Causes mainly for the eviction. In the said suit, the landlord, had prayed for the interim relief of ₹ 110/- per sq. feet per month or at such rates as the Hon. Court may deem fit. The trial court decreed and ordered eviction from the suit premises. On appeal before the Small Causes Court the judgement of the trial court was set aside in July 2008. Thereafter landlord has filed a Civil Revisionary Application against the judgement in the Bombay High Court, which is pending. The Small Causes Court had also ordered for an enquiry in terms of O.20 R.12 for manse profit, which is pending. In view of this the manse profit is not quantifiable at this stage and not provided for the same.

**वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**
**अनुसूची - 1 - अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए /
SCHEDULE - 1 - PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023**

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | | समुद्री / Marine | | विविध / Misc. | | कुल / Total | |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year |
| | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business Written | 18825406 | 18434801 | 4363405 | 3747916 | 153254240 | 135039770 | 176443051 | 157222487 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम/ Add: Premium on Reinsurance accepted | 2227617 | 2544589 | 47540 | 101015 | 425003 | 626062 | 2700160 | 3271666 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded | 11966866 | 10527842 | 2235455 | 1526201 | 10972515 | 14073584 | 25174836 | 26127627 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 9086157 | 10451548 | 2175490 | 2322730 | 142706728 | 121592248 | 153968375 | 134366526 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -880950 | -1353978 | 92341 | -293636 | -1736906 | 4237089 | -2525515 | 2589475 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 8205207 | 9097570 | 2267831 | 2029094 | 140969822 | 125829337 | 151442860 | 136956001 |

अनुसूची - 2 - उपगत दावे (शुद्ध) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए SCHEDULE - 2 - CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | | समुद्री / Marine | | विविध / Misc. | | कुल / Total | |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year |
| | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 9289209 | 8272624 | 3942437 | 2262217 | 137822493 | 132487744 | 151054139 | 143022585 |
| जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 387314 | 1699183 | 10584 | 82946 | 274449 | 317947 | 672347 | 2100076 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance ceded | 3092351 | 3436382 | 2587863 | 1058311 | 11292438 | 13095560 | 16972652 | 17590253 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 6584172 | 6535425 | 1365158 | 1286852 | 126804504 | 119710131 | 134753834 | 127532408 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष Add: Claims Outstanding - Closing - Direct | 25887244 | 26296290 | 9155289 | 11680036 | 256915338 | 252118469 | 291957871 | 290094795 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted | 2311386 | 3483096 | 170623 | 140652 | 863867 | 1061726 | 3345876 | 4685474 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा Less: Claims outstanding - Closing - RI Ceded | 13901121 | 14633600 | 5931625 | 8402975 | 26721072 | 28849763 | 46553818 | 51886338 |
| जोड़े : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध Add: Claims Outstanding - Closing - Net | 14297509 | 15145786 | 3394287 | 3417713 | 231058133 | 224330432 | 248749929 | 242893931 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 26296290 | 30315116 | 11680036 | 8581367 | 252118469 | 244563793 | 290094795 | 283460276 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 3483096 | 4452408 | 140652 | 177148 | 1061726 | 1211023 | 4685474 | 5840579 |
| जोड़े : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 14633600 | 18406071 | 8402975 | 5849710 | 28849763 | 29618894 | 51886338 | 53874675 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - शुद्ध Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net | 15145786 | 16361453 | 3417713 | 2908805 | 224330432 | 216155922 | 242893931 | 235426180 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 5735895 | 5319758 | 1341732 | 1795760 | 133532205 | 127884641 | 140609832 | 135000159 |

अनुसूची - 3 - कमीशन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए SCHEDULE - 3 - COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | | समुद्री / Marine | | विविध / Misc. | | कुल / Total | |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year |
| | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अदा किये गये कमीशन / COMMISSION PAID | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 1781009 | 1742324 | 316368 | 299934 | 10321385 | 8530170 | 12418762 | 10572428 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 1781009 | 1742324 | 316368 | 299934 | 10321385 | 8530170 | 12418762 | 10572428 |
| जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन Add: Commission on Reinsurance Accepted | 288623 | 330696 | 10816 | 17030 | 84275 | 121212 | 383714 | 468938 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Reinsurance Ceded | 1098129 | 809864 | 60217 | 54113 | 1032210 | 1152488 | 2190556 | 2016465 |
| कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net) | 971503 | 1263156 | 266967 | 262851 | 9373450 | 7498894 | 10611920 | 9024901 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय (सकल) का विवरण / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | | | | | | | |
| एजेंट्स / Agents | 703318 | 689880 | 182401 | 175768 | 7467030 | 6128196 | 8352749 | 6993844 |
| दलाल / Brokers | 1009350 | 980482 | 133820 | 124022 | 2387000 | 1911888 | 3530170 | 3016392 |
| निगमिय एजेंसी / Corporate Agency | 68341 | 71962 | 147 | 144 | 467355 | 490086 | 535843 | 562192 |
| अन्य / Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 1781009 | 1742324 | 316368 | 299934 | 10321385 | 8530170 | 12418762 | 10572428 |

अनुसूची - 4 - बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालन खर्च 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
SCHEDULE - 4 - OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | | समुद्री / Marine | | विविध / Misc. | | कुल / Total | |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | गत वर्ष Previous Year |
| | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) | (₹ '000) |
| कर्मचारियों का वेतन और कल्याण हित Employees' remuneration and Welfare benefits | 6719001 | 4740268 | 1057305 | 652463 | 49068036 | 30654934 | 56844342 | 36047665 |
| यात्रा, परिवहन और वाहन खर्च Travel, conveyance and vehicle running expenses | 41788 | 33103 | 6576 | 4556 | 305172 | 214074 | 353536 | 251733 |
| प्रशिक्षण खर्च Training Expenses | 2679 | 867 | 422 | 120 | 19563 | 5605 | 22664 | 6592 |
| किराया, दरें और कर Rents, rates & taxes | 144516 | 154774 | 22741 | 21303 | 1055383 | 1000915 | 1222640 | 1176992 |
| मरम्मत / Repairs | 15655 | 14968 | 2464 | 2060 | 114324 | 96796 | 132443 | 113824 |
| मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and Stationery | 19511 | 20481 | 3070 | 2819 | 142490 | 132447 | 165071 | 155747 |
| संचार / Communication | 25867 | 32336 | 4071 | 4451 | 188906 | 209111 | 218844 | 245898 |
| विधि और व्यवसायिक प्रभार Legal and Professional charges | 12946 | 11891 | 2037 | 1637 | 94546 | 76898 | 109529 | 90426 |
| लेखा परीक्षक के शुल्क, खर्च आदि Auditors' fees, expenses etc. | | | | | | | | |
| अ) लेखापरीक्षक के रूप में (a) as auditor | 4892 | 6159 | 770 | 848 | 35723 | 39834 | 41385 | 46841 |
| आ) सलाहकार के रूप में या अन्य किसी हैसियत में (b) as advisor or in any other capacity, in respect of | | | | | | | | |
| (i) कर संबंधित मामले (i) Taxation matters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ii) बीमा मामले (ii) Insurance matters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (iii) प्रबंधन सेवाएँ तथा (iii) Management services; and | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| इ) अन्य किसी हैसियत (c) Any other capacity | 252 | 269 | 39 | 37 | 1842 | 1743 | 2133 | 2049 |
| विज्ञापन और जन संचारण Advertisement and publicity | 5028 | -178 | 792 | -25 | 36717 | -1153 | 42537 | -1356 |
| ब्याज और बैंक प्रभार Interest and Bank Charges | 38302 | 40276 | 6027 | 5544 | 279710 | 260461 | 324039 | 306281 |
| मूल्यहास / Depreciation | 106606 | 51720 | 16775 | 7118 | 778532 | 334467 | 901913 | 393305 |
| प्रीमियम खाते पर सेवा कर Service Tax on Premium A/c | 0 | 620 | 0 | 86 | 0 | 4010 | 0 | 4716 |
| बहिर्भूत व्यय Outsourcing Expenses | 37858 | 29852 | 5957 | 4109 | 276469 | 193049 | 320284 | 227010 |
| यूमेक्स व्यय / UMEM Exp. | 86847 | 97632 | 13666 | 13438 | 634237 | 631377 | 734750 | 742447 |
| अन्य / Others | 84189 | 79584 | 33106 | 37334 | 1523367 | 1482211 | 1640662 | 1599129 |
| कुल / TOTAL | 7345937 | 5314622 | 1175818 | 757898 | 54555017 | 35336779 | 63076772 | 41409299 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 5 - 31 मार्च 2023 को शेयर पूंजी
SCHEDULE - 5 - SHARE CAPITAL AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष Previous Year 31-03-2022 |
|--|---|--|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अधिकृत पूंजी Authorised Capital 7500000000 साम्यांश शेयर प्रत्येक ₹ 10/- का 7500000000 Equity Shares of ₹ 10/- each | 75000000 | 50000000 |
| निर्गमित पूंजी Issued Capital 3905000000 साम्यांश शेयर प्रत्येक ₹ 10/- का 3905000000 Equity Shares of ₹ 10/- each | 39050000 | 39050000 |
| अभिदत्त पूंजी Subscribed Capital 3905000000 साम्यांश शेयर प्रत्येक ₹ 10/- का 3905000000 Equity Shares of ₹ 10/- each | 39050000 | 39050000 |
| मांग पूंजी Called up Capital 3905000000 साम्यांश शेयर प्रत्येक ₹ 10/- का 3905000000 Equity Shares of ₹ 10/- each | 39050000 | 39050000 |
| घटाएँ : अप्रदत्त मांग Less : Calls unpaid | 0 | 0 |
| जोड़ें : जब्त साम्यांश शेयर (मूलतः प्रदत्त राशि) Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up) | 0 | 0 |
| घटाएँ : सम मूल्य साम्यांश शेयरों की वापसी खरीद Less : Par Value of Equity Shares bought back | 0 | 0 |
| घटाएँ : प्रारंभिक खर्च Less : Preliminary Expenses | 0 | 0 |
| घटाएँ : खर्च में बीमालेखन या शेयरों के अंशदान पर कमीशन या दलाल कमीशन शामिल है Less : Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares | 0 | 0 |
| कुल / TOTAL | 39050000 | 39050000 |

अनुसूची - 5अ - शेयरधारण का प्रतिमान (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित) 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए
SCHEDULE - 5A - PATTERN OF SHARE HOLDING [As certified by the Management] FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | शेयरों की संख्या No. of Shares | आधिपत्य % % of Holding | शेयरों की संख्या No. of Shares | आधिपत्य % % of Holding |
| संवर्धक / Promoters | | | | |
| भारतीय / Indian | | | | |
| भारत सरकार / Government of India | 3904999970 | 100% | 3904999970 | 100% |
| भारत सरकार के मनोनीत सदस्य Nominees of Govt. of India | 30 | 0% | 30 | 0% |
| कुल / TOTAL | 3905000000 | | 3905000000 | |

**अनुसूची - 6 - 31 मार्च 2023 को आरक्षितियाँ तथा अधिशेष
SCHEDULE - 6 - RESERVES & SURPLUS AS AT 31ST MARCH 2023**

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष Previous Year 31-03-2022 |
|--|---|--|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| पूँजी आरक्षित / Capital Reserve | 14567 | 14567 |
| पूँजी परिशोधन आरक्षित / Capital Redemption Reserve | 0 | 0 |
| शेयर प्रीमियम / Share Premium | 0 | 0 |
| सामान्य आरक्षित / General Reserve | 1125000 | 5697602 |
| जोड़ें : लाभ और हानि खाते से अंतरित / Add: Transfer from Profit & Loss Account | -1125000 | -5697602 |
| वर्ष के अंत में शेष / Closing Balance | 0 | 0 |
| महाविपत्ति आरक्षित / Catastrophe Reserve | 0 | 0 |
| अन्य आरक्षितियाँ - निवेश आरक्षित / Other Reserves - Investment Reserve | 8628 | 8628 |
| विदेशी मुद्रा संप्रेषित आरक्षित / Foreign Currency Translation Reserve | 734988 | 730567 |
| वर्ष के दौरान जोड़ें / घटाएँ / Add/Less: during the year | 591214 | 4421 |
| वर्ष के अंत में शेष / Closing Balance | 1326202 | 734988 |
| भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा में आईसी 45- के तहत बनाए गए सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserve - Reserve Fund created under Section 45-IC of the Reserve Bank of India Act, 1934. | 282756 | 133260 |
| जोड़ें : लाभ और हानि खाते से अंतरित / Add: Transfer from Profit & Loss Account | 0 | 0 |
| वर्ष के अंत में शेष / Closing Balance | 282756 | 133260 |
| डिबेंचर मोचन आरक्षित / Debenture Redemption Reserve | 0 | 1125000 |
| लाभ और हानि खाते में शेष लाभ / Balance of Profit in Profit & Loss Account | 0 | 0 |
| कुल / TOTAL | 1632153 | 2016443 |

**अनुसूची - 6ए - 31 मार्च 2023 को लाभ एवं हानि खाते में डेबिट बैलेंस
SCHEDULE - 6A - DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT AS AT 31ST MARCH 2023**

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|--|--|---------------------------------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| Opening Balance / वर्ष के आरंभ में शेष | 15751924 | 0 |
| Add: Loss of Current Year / जोड़ें : चालू वर्ष का हानि | 27339862 | 15751924 |
| वर्ष के अंत में शेष / Closing Balance | 43091786 | 15751924 |

**अनुसूची - 7 - 31 मार्च 2023 को उधार
SCHEDULE - 7 - BORROWINGS AS AT 31ST MARCH 2023**

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष / Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष / Previous Year 31-03-2022 |
|---|--|---------------------------------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| त्राण पत्र / बाण्ड / Debentures / Bonds | 0 | 9000000 |
| बैंक / Banks | 0 | 0 |
| वित्तीय संस्थायें / Financial Institutions | 0 | 0 |
| अन्य (विवरणानुसार) / Others (to be specified) | 0 | 0 |
| कुल / TOTAL | 0 | 9000000 |

अनुसूची - 8 - 31 मार्च 2023 को निवेश (समेकित निधि)

SCHEDULE - 8 INVESTMENTS (CONSOLIDATED FUNDS) AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष Previous Year 31-03-2022 |
|---|---|--|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| निवेश / Investment | | |
| दीर्घकालीन निवेश / Long Term Investment | | |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी प्रत्याभूत बाण्ड जिसमें सरकारी हुण्डी भी शामिल है / Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills | 166819299 | 163534051 |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities | 0 | 0 |
| अन्य निवेश / Other Investments | 0 | 0 |
| a) शेयर / Shares | 0 | 0 |
| aa) साम्यांश / Equity | 82628652 | 84060526 |
| जोड़ें: अधिग्रहण पश्चात लाभ का हिस्सा (हानि का शुद्ध) / Add: Share of post acquisition profit (net of losses) | 4654748 | 4517730 |
| ab) अधिमान / Preference | 65 | 65 |
| b) म्यूचुअल फण्ड / Mutual Funds | 90473 | 83865 |
| c) व्युत्पन्न दस्तावेज़ / Derivative Instruments | 0 | 0 |
| d) ऋणपत्र तथा बाण्ड / Debentures and Bonds | 11718804 | 13420696 |
| e) अन्य प्रतिभूतियाँ / Other Securities | 0 | 0 |
| f) नियंत्रित कंपनी / Subsidiaries | 0 | 0 |
| g) निवेश परिसंपत्तियाँ - संपदा / Investment Properties- real Estates | 0 | 0 |
| आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश / Invst in Infra and Social Sector | 57292459 | 52958270 |
| गैर अनुमोदित निवेश / Other than Approved Investments | 13717676 | 20400383 |
| उप कुल / Sub Total | 336922176 | 338975586 |
| अल्पकालीन निवेश / Short Term Investment | | |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी प्रत्याभूत बाण्ड जिसमें सरकारी हुण्डी भी शामिल है / Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills | 5725712 | 6837986 |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities | 0 | 0 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 8 - 31 मार्च 2023 को निवेश (समेकित निधि)
SCHEDULE - 8 INVESTMENTS (CONSOLIDATED FUNDS) AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष Previous Year 31-03-2022 |
|---|---|--|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अन्य निवेश / Other Investments | 0 | 0 |
| a) शेयर / Shares | 0 | 0 |
| aa) साम्यांश / Equity | 0 | 0 |
| ab) अधिमान / Preference | 0 | 0 |
| b) म्यूचुअल फण्ड / Mutual Funds | 7457230 | 5712231 |
| c) व्युत्पन्न दस्तावेज / Derivative Instruments | 0 | 0 |
| d) ऋणपत्र तथा बाण्ड / Debentures and Bonds | 2640881 | 5702386 |
| e) अन्य प्रतिभूतियाँ-वाणिज्य दस्तावेज / Other Securities-Commercial paper | 0 | 0 |
| f) नियंत्रित कंपनी / Subsidiaries | 0 | 0 |
| g) निवेश परिसंपत्तियाँ - संपदा / Investment Properties-Real Estates | 0 | 0 |
| आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश / Invt in Infra and Social Sector | 6958739 | 6159923 |
| स्वीकृत निवेशों के अलावा अन्य-(नोट 1 & 2 का संदर्भ लें) / Other than Approved Investments-(refer note 1 & 2) | 0 | 500000 |
| उप कुल / SUB-TOTAL | 22782562 | 24912526 |
| कुल / TOTAL | 359704738 | 363888112 |
| गैर अंकित साम्यांश प्रतिभूतियाँ एवं व्युत्पन्न दस्तावेजों के अलावा कंपनी का सम्पूर्ण निवेश / Aggregate amount of Company's Investment other than listed equity securities and derivative instruments | | |
| खाता मूल्य / Book Value | 243124812 | 250007240 |
| बाजार मूल्य / Market Value | 235149633 | 249537988 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 8A - 31 मार्च 2023 को निवेश (पालिसीधारकों की निधि)
SCHEDULE - 8A INVESTMENTS (POLICYHOLDERS FUNDS) AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष Previous Year 31-03-2022 |
|---|---|--|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| निवेश / Investment | | |
| दीर्घकालीन निवेश / Long Term Investment | | |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी प्रत्याभूत बाण्ड जिसमें सरकारी हुण्डी भी शामिल है / Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills | 166819299 | 152871631 |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities | 0 | 0 |
| अन्य निवेश / Other Investments | 0 | 0 |
| a) शेयर / Shares | 0 | 0 |
| aa) साम्यांश / Equity | 82363548 | 78579780 |
| जोड़ें: अधिग्रहण पश्चात लाभ का हिस्सा (हानि का शुद्ध) / Add: Share of post acquisition profit (net of losses) | 0 | 4223174 |
| ab) अधिमान / Preference | 65 | 61 |
| b) म्यूचुअल फण्ड / Mutual Funds | 90473 | 78397 |
| c) व्युत्पन्न दस्तावेज़ / Derivative Instruments | 0 | 0 |
| d) ऋणपत्र तथा बाण्ड / Debentures and Bonds | 11718804 | 12545667 |
| e) अन्य प्रतिभूतियाँ / Other Securities | 0 | 0 |
| f) नियंत्रित कंपनी / Subsidiaries | 0 | 0 |
| g) निवेश परिसंपत्तियाँ - संपदा / Investment Properties- real Estates | 0 | 0 |
| आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश / Invst in Infra and Social Sector | 57292459 | 49505391 |
| गैर अनुमोदित निवेश / Other than Approved Investments | 13717676 | 19070278 |
| उप कुल / Sub Total | 332002324 | 316874379 |
| अल्पकालीन निवेश / Short Term Investment | | |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी प्रत्याभूत बाण्ड जिसमें सरकारी हुण्डी भी शामिल है / Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills | 5725712 | 6392149 |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities | 0 | 0 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

**अनुसूची - 8A - 31 मार्च 2023 को निवेश (पालिसीधारकों की निधि)
SCHEDULE - 8A - INVESTMENTS (POLICYHOLDERS FUNDS) AS AT 31ST MARCH 2023**

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current Year 31-03-2023 | गत वर्ष Previous Year 31-03-2022 |
|---|---|--|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अन्य निवेश / Other Investments | | |
| a) शेयर / Shares | 0 | 0 |
| aa) साम्यांश / Equity | 0 | 0 |
| ab) अधिमान / Preference | 0 | 0 |
| b) म्यूचुअल फण्ड / Mutual Funds | 7457230 | 5339794 |
| c) व्युत्पन्न दस्तावेज / Derivative Instruments | 0 | 0 |
| d) ऋणपत्र तथा बाण्ड / Debentures and Bonds | 2640881 | 5330590 |
| e) अन्य प्रतिभूतियाँ-वाणिज्य दस्तावेज / Other Securities-Commercial paper | 0 | 0 |
| f) नियंत्रित कंपनी / Subsidiaries | 0 | 0 |
| g) निवेश परिसंपत्तियाँ - संपदा / Investment Properties-Real Estates | 0 | 0 |
| आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश / Invst in Infra and Social Sector | 6958739 | 5758296 |
| गैर अनुमोदित निवेश / Other than Approved Investments | 0 | 467400 |
| उप कुल / SUB-TOTAL | 22782562 | 23288229 |
| कुल / TOTAL | 354784886 | 340162608 |

**समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

अनुसूची - 9 - 31 मार्च 2023 को ऋण / SCHEDULE - 9 - LOANS FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH 2023

| क्र. सं | विवरण / Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---------|---|----------------|----------------|
| | | (₹ '000) | (₹ '000) |
| 1 | प्रतिभूति के आधार पर वर्गीकरण / SECURITY-WISE CLASSIFICATION | | |
| | प्रतिभूति / Secured | | |
| | (अ) संपत्ति के बन्धक पर | | |
| | (a) On mortgage of property | | |
| | (अअ) भारत में / (aa) In India | 1750709 | 1539088 |
| | (अआ) भारत के बाहर / (bb) Outside India | 0 | 0 |
| | (आ) शेयर, बाण्ड, सरकार की प्रतिभूतियों में / (b) On Shares, Bonds, Govt. Securities | 0 | 0 |
| | (इ) अन्य (सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण) / (c) Others (Govt Guaranteed Loans) | 216626 | 297341 |
| | अप्रतिभूत / Unsecured | 113961 | 113961 |
| | कुल / TOTAL | 2081296 | 1950390 |
| 2 | ऋणकर्ता के आधार पर वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION | | |
| | (अ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें / (a) Central and State Governments | 216626 | 297341 |
| | (आ) बैंक तथा वित्तीय संस्थानों / (b) Banks and Financial Institutions | 0 | 0 |
| | (इ) नियंत्रित कंपनी / (c) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | (ई) औद्योगिक उपक्रम / (d) Industrial Undertakings | 150638 | 155823 |
| | (उ) हड्को को ऋण / (e) Loans to HUDCO | 0 | 0 |
| | (ऊ) अन्य-कर्मचारी आवास ऋण / (f) Others-Employees Housing Loan | 1714032 | 1497226 |
| | कुल / TOTAL | 2081296 | 1950390 |
| 3 | निष्पादन के आधार पर वर्गीकरण / PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION | | |
| | (अ) मानक ऋण / (a) Loan classified as standard | | |
| | (अअ) भारत में / (aa) In India | 1915800 | 1784217 |
| | (अआ) भारत के बाहर / (bb) Outside India | 0 | 0 |
| | (आ) गैर निष्पादन ऋण / (b) Non-Performing Loans | | |
| | (अअ) भारत में / (aa) In India | 165496 | 166173 |
| | (अआ) भारत के बाहर / (bb) Outside India | 0 | 0 |
| | कुल / TOTAL | 2081296 | 1950390 |
| 4 | परिपक्वता के आधार पर वर्गीकरण / MATURITY-WISE CLASSIFICATION | | |
| | (अ) अल्पकालीन / (a) Short - Term | 62478 | 83479 |
| | (आ) दीर्घकालीन / (b) Long - Term | 2018818 | 1866911 |
| | कुल / TOTAL | 2081296 | 1950390 |

*नोट : अनुसूची 14 में अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण के तहत गैर निष्पादन ऋण के लिए ₹.150638 (गत वर्ष ₹. 150638) का प्रावधान किया गया है

*Note: Provision of ₹ 150638 thousands (Previous year ₹ 150638 thousands) against non performing loan is grouped under provision for Bad and Doubtful debts in Schedule 14.

| | चालू वर्ष | गत वर्ष | | Current Year | Previous Year |
|---|-----------|-----------|--|--------------|---------------|
| | ₹ in '000 | ₹ in '000 | | ₹ in '000 | ₹ in '000 |
| गैर निष्पादन ऋण का प्रावधान | 165496 | 166173 | Provision against non performing loans | 165496 | 166173 |
| ऋण संदिग्ध माना गया है और हानि परिसंपत्तियों हेतु | 165496 | 166173 | Loans considered as doubtful & loss assets | 165496 | 166173 |

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ₹ 7663 हजार (₹ 7137 हजार) का प्रावधान किया गया है जो मानक परिसंपत्तियों का राशि ₹ 1915800 हजार (₹ 17842170 हजार) के 0.4% पर है।

Pursuant to RBI Guidelines a provision of ₹ 7663 thousands (₹ 7137 thousands) is made, being 0.4% on standard assets amounting to ₹ 1915800 thousands (₹ 1784217 thousands)

अनुसूची - 10 - 31 मार्च 2023 को स्थायी परिसम्पत्तियाँ
SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH 2023

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | लागत / सकल ब्लाक / COST / GROSS BLOCK | | | | मूल्यहास / DEPRECIATION | | | | शुद्ध ब्लाक / NET BLOCK | |
|---|---------------------------------------|--|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | आरंभ में Opening | जोड़ें / अंतरण Additions / Transfers | कटौती / अंतरण Deductions / Transfers | अंत में Closing | गत वर्ष तक Upto last year | वर्ष के लिए For the year | बिग्री पर/ समायोजन On Sales / Adjustments | तारीख तक To Date | वर्ष के अंत पर As at year end | गत वर्ष Previous year |
| गुडविल / Good will | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अप्रत्यक्ष / Intangibles | 1399748 | 200714 | 0 | 1600462 | 924787 | 183644 | 0 | 1108431 | 492031 | 474961 |
| संपत्ति-स्वामित्व / Land - Freehold | 131793 | 0 | 0 | 131793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131793 | 131793 |
| पट्टे की संपत्ति / Land - Leasehold | 42403 | 8846 | 0 | 51249 | 30701 | 7021 | 0 | 37722 | 13527 | 11702 |
| पट्टे की संपत्ति / Leasehold Properties | 260792 | 0 | 0 | 260792 | 79014 | 4051 | 0 | 83065 | 177727 | 181778 |
| भवन / Building | 811819 | 54079 | 0 | 865898 | 473202 | 26174 | 0 | 499376 | 366522 | 338616 |
| असबाब सज्जा सामग्री / Furniture & Fittings | 409113 | 2460 | 15571 | 396002 | 366168 | 9714 | 15103 | 360779 | 35223 | 42945 |
| सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण / Information Technology Equipment | 3825393 | 138121 | 127087 | 3836427 | 2536437 | 519239 | 124978 | 2930698 | 905729 | 1288958 |
| वाहन / Vehicles | 956961 | 158434 | 239819 | 875576 | 710057 | 126131 | 205282 | 630906 | 244670 | 246904 |
| कार्यालय उपकरण / Office Equipment | 112876 | 5092 | 10769 | 107198 | 95362 | 7133 | 9915 | 92580 | 14618 | 17513 |
| अन्य-विद्युत उपकरण / Others - Electrical Equipments | 457870 | 3941 | 14897 | 446914 | 413896 | 9273 | 14114 | 409055 | 37859 | 43973 |
| अन्य परिसंपत्तियाँ / Other Assets | 223195 | 2630 | 4194 | 221631 | 169737 | 9558 | 3869 | 175426 | 46205 | 53458 |
| कुल / Total | 8631963 | 574317 | 412337 | 8793942 | 5799361 | 901938 | 373261 | 6328038 | 2465904 | 2832601 |
| चालू कार्य / Work-in-progress | 1666329 | 379634 | 108589 | 1937374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937374 | 1666329 |
| कुल योग / Grand Total | 10298292 | 953951 | 520926 | 10731316 | 5799361 | 901938 | 373261 | 6328038 | 4403278 | 4498930 |
| गत वर्ष / Previous Year | 8302250 | 2349645 | 353603 | 10298292 | 5721438 | 393342 | 315418 | 5799362 | 4498930 | |

अनुसूची - 11 - मार्च 2023 को नकद एवं बैंक शेष
SCHEDULE - 11 CASH AND BANK BALANCES AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| नकद (चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प को मिलाकर) / Cash (including cheques, drafts and stamps) | 508567 | 622526 |
| बैंक शेष / Bank Balances | | |
| जमा खाते / Deposits Accounts | | |
| अल्पकालीन (12 महीने के अंदर देय) / Short-term (due within 12 months) | 10081072 | 16745058 |
| अन्य / Others | | |
| चालू खाते / Current Accounts | 11551055 | 6429040 |
| अन्य - मार्गस्थ प्रेषणाएँ / Others - Remittance in transit | 0 | 0 |
| अप्रदत्त लाभांश खाते / Unpaid dividend accounts | 15601 | 875 |
| संक्षिप्त नोटिस और माँगे जानेवाली राशि / Money at Call and Short Notice | 0 | 0 |
| अन्य संस्थान के साथ / With other Institutions | 0 | 2898832 |
| कुल / TOTAL | 22156295 | 26696331 |
| बैंक शेष में गैर राष्ट्रीकृत बैंकों के साथ का शेष सम्मिलित है Balances with Non-Scheduled Banks included in Bank Balances | 4109 | 6856 |

अनुसूची - 12 - 31 मार्च 2023 को अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियाँ

SCHEDULE - 12 ADVANCES AND OTHER ASSETS AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अग्रिम / ADVANCES | | |
| अर्पणकारी कंपनियों के पास आरक्षित जमा / Reserve Deposits with ceding companies | 17939941 | 15271509 |
| निवेश के लिए आवेदन राशि / Application money for investments | 0 | 0 |
| पूर्व अदायगी / Prepayments | 223323 | 216292 |
| निदेशकों / अधिकारियों को अग्रिम / Advance to Directors/Officers | 4719 | 5074 |
| अग्रिम कर भुगतान और स्रोत पर काटा गया कर (कर के लिये शुद्ध प्रावधान) / Advance tax paid and Taxes Deducted at Source (Net of provision for taxation) | 1779782 | 1871093 |
| अन्य / Others | 28 | 950 |
| कर्मचारी अग्रिम और ऋण (₹ 599 संदिग्ध माना गया) / Staff Advances and Loans (₹ 599 considered doubtful) | 150655 | 168268 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 20098448 | 17533186 |
| अन्य परिसम्पत्तियाँ / OTHER ASSETS | | |
| निवेश से उपार्जित आय / Income accrued on investments | 5415356 | 6175434 |
| बकाया प्रीमियम (₹ 228 संदिग्ध माना गया) / Outstanding Premiums (₹ 228 considered doubtful) | 433106 | 318210 |
| अभिकर्ता का बकाया / Agents Balances | 0 | 0 |
| अन्य संस्थाओं के कारण बीमा कारोबार (पुनर्बीमा सहित) को लेकर (₹ 893516 रुपये संदिग्ध माना गया) / Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) (₹ 893516 considered doubtful) | 20697202 | 20579250 |
| जमा, अग्रिम और अन्य लेखा (₹ 1383477 संदिग्ध माना गया) / Deposits, Advances & Other Accounts (₹ 1383477 considered doubtful) | 12664258 | 14518685 |
| अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustments (Net) | -378 | -989 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 39209544 | 41590590 |
| कुल (अ + आ) / TOTAL (A+B) | 59307992 | 59123776 |

अनुसूची - 13 - 31 मार्च 2023 को चालू देयताएँ

SCHEDULE - 13 CURRENT LIABILITIES AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|------------------|------------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| अभिकर्ताओं के शेष / Agents' Balances | 1700472 | 1316223 |
| अन्य बीमा कंपनियों को देय राशि / Balances due to other insurance companies | 17297812 | 18334482 |
| अर्पित पुनर्बीमा पर जमा राशि / Deposits held on re-insurance ceded | 0 | 0 |
| अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम / Premiums received in advance | 4536118 | 6161364 |
| अविनियोजित प्रीमियम / Unallocated Premium | 0 | 0 |
| विविध लेनदार / Sundry Creditors | 53816880 | 38658565 |
| सहायक/नियंत्रण कंपनियों को देय / Due to subsidiaries/holding company | 0 | 0 |
| बकाया दावे / Claims Outstanding | 248749929 | 242893931 |
| अधिकारियों / निदेशकों को देय / Due to Officers/Directors | 0 | 0 |
| अन्य / Others | 15616 | 11676 |
| भूतपूर्व शेयरधारकों की निधि / Former Share Holders Fund | 1330 | 1330 |
| पालिसीधारकों की अदावित राशि / Unclaimed Amount of Policy Holders | 737743 | 797119 |
| कुल / TOTAL | 326855900 | 308174690 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 14 - 31 मार्च 2023 को प्रावधान / SCHEDULE - 14 PROVISIONS AS AT 31ST MARCH 2023

| विवरण / Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| असमाप्त जोखिमों के लिये आरक्षित / Reserve for Unexpired Risk | 71059942 | 68534427 |
| प्रस्तावित लाभांश के लिये / For proposed dividends | 0 | 0 |
| लाभांश वितरण कर के लिये / For dividend distribution tax | 0 | 0 |
| सक्रिय रूप से न व्यापारित साम्यांश के अवमूल्यन हेतु प्रावधान / Provision for diminution in value of other than actively traded Equities | 788119 | 1024607 |
| प्रावधान कर / Provision Tax | -1030 | -7368 |
| ग्रुप मेडिकलेम पालिसी के लिए प्रावधान / Provision for Group Mediclaim Policy | 126140 | 45000 |
| अवकाश का नकदीकरण हेतु / For Leave Encashment | 4918340 | 2850513 |
| कर्मचारी अल्पकालीन सुविधा के लिए प्रावधान / Provision for Employee Short term Benefits | 132500 | 67500 |
| चिकित्सा छुट्टी के लिए प्रावधान / Provision for Sick Leave | 0 | 94557 |
| ऋण, निवेश और अन्य परिसम्पत्तियों हेतु / For Loans, Investments and Other Assets | 9230222 | 8294487 |
| कुल / TOTAL | 86254233 | 80903723 |

**अनुसूची - 15 - 31 मार्च 2023 को विविध खर्च
(जिनको बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)**
**SCHEDULE - 15 MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)
AS AT 31ST MARCH 2023**

| विवरण / Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|------------|------------|
| | (₹ '000) | (₹ '000) |
| शेयर/ऋण पत्र के जारी में प्रदान की गयी छूट / Discount Allowed in issue of shares/debentures | 0 | 0 |
| अन्य (विवरणानुसार) / Others (to be specified) | 0 | 0 |
| कुल / TOTAL | 0 | 0 |

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये मदवार विभाजन रिपोर्ट

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष प्राप्त कारोबार / Direct Business Written | 18825406 | 18434801 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted | 2227617 | 2544589 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded | 11966866 | 10527842 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 9086157 | 10451548 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -880950 | -1353978 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 8205207 | 9097570 |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 9289209 | 8272624 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 387314 | 1699183 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 3092351 | 3436382 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 6584172 | 6535425 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct | 25887244 | 26296290 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted | 2311386 | 3483096 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding - Closing - RI Ceded | 13901121 | 14633600 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding Closing - Net | 14297509 | 15145786 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 26296290 | 30315116 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 3483096 | 4452408 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 14633600 | 18406071 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे शुद्ध / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - Net | 15145786 | 16361453 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 5735895 | 5319758 |
| अदा किये गये / COMMISSION PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 1781009 | 1742324 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 1781009 | 1742324 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 288623 | 330696 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 1098129 | 809864 |
| कमीशन (शुद्ध) / COMMISSION (NET) | 971503 | 1263156 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय (सकल) का विवरण / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेंट / Agents | 703318 | 689880 |
| दलाल / Brokers | 1009350 | 980482 |
| निगमिय एजेंसी / Corporate Agency | 68341 | 71962 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 1781009 | 1742324 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(₹ '000)

| समुद्री नौभार / Marine Cargo | | समुद्री पोत / Marine Hull | | कुल समुद्री / Marine Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 1878374 | 1995626 | 2485031 | 1752290 | 4363405 | 3747916 |
| 33523 | 16469 | 14017 | 84546 | 47540 | 101015 |
| 469768 | 523046 | 1765687 | 1003155 | 2235455 | 1526201 |
| 1442129 | 1489049 | 733361 | 833681 | 2175490 | 2322730 |
| 173890 | -118196 | -81549 | -175440 | 92341 | -293636 |
| 1616019 | 1370853 | 651812 | 658241 | 2267831 | 2029094 |
| 2086948 | 1243704 | 1855489 | 1018513 | 3942437 | 2262217 |
| 15015 | 12871 | -4431 | 70075 | 10584 | 82946 |
| 987638 | 375110 | 1600225 | 683201 | 2587863 | 1058311 |
| 1114325 | 881465 | 250833 | 405387 | 1365158 | 1286852 |
| 2837282 | 4031093 | 6318007 | 7648943 | 9155289 | 11680036 |
| 31529 | 31245 | 139094 | 109407 | 170623 | 140652 |
| 1365469 | 2201786 | 4566156 | 6201189 | 5931625 | 8402975 |
| 1503342 | 1860552 | 1890945 | 1557161 | 3394287 | 3417713 |
| 4031093 | 4490005 | 7648943 | 4091362 | 11680036 | 8581367 |
| 31245 | 31664 | 109407 | 145484 | 140652 | 177148 |
| 2201786 | 2872638 | 6201189 | 2977072 | 8402975 | 5849710 |
| 1860552 | 1649031 | 1557161 | 1259774 | 3417713 | 2908805 |
| 757115 | 1092986 | 584617 | 702774 | 1341732 | 1795760 |
| 273795 | 260297 | 42573 | 39637 | 316368 | 299934 |
| 273795 | 260297 | 42573 | 39637 | 316368 | 299934 |
| 7584 | 3933 | 3232 | 13097 | 10816 | 17030 |
| 13094 | 17747 | 47123 | 36366 | 60217 | 54113 |
| 268285 | 246483 | -1318 | 16368 | 266967 | 262851 |
| 169808 | 162210 | 12593 | 13558 | 182401 | 175768 |
| 103873 | 97958 | 29947 | 26064 | 133820 | 124022 |
| 114 | 129 | 33 | 15 | 147 | 144 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273795 | 260297 | 42573 | 39637 | 316368 | 299934 |

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये मदवार विभाजन रिपोर्ट

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | मोटर निजी क्षति / Motor OD | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष प्राप्त कारोबार / Direct Business Written | 16786991 | 14126547 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded | 672462 | 723845 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 16114529 | 13402702 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -2253388 | 124051 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 13861141 | 13526753 |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 16026551 | 12809351 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 752116 | 632173 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 15274435 | 12177178 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct | 5966620 | 5319758 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted | 48201 | 31815 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding - Closing - RI Ceded | 269675 | 271424 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding Closing - Net | 5745146 | 5080149 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 5319758 | 4707407 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 31815 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 271424 | 238825 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे शुद्ध / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - Net | 5080149 | 4468582 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 15939432 | 12788745 |
| अदा किये गये कमीशन / COMMISSION PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 3288360 | 2523699 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 3288360 | 2523699 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 100897 | 105974 |
| कमीशन (शुद्ध) / COMMISSION (NET) | 3187463 | 2417725 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय (सकल) का विवरण / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेंट / Agents | 2222162 | 1827781 |
| दलाल / Brokers | 933829 | 563184 |
| निगमिय एजेंसी / Corporate Agency | 132369 | 132734 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 3288360 | 2523699 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(₹ '000)

| मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP | | मोटर कुल / Motor Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 43065734 | 40641006 | 59852725 | 54767553 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1737697 | 2064852 | 2410159 | 2788697 |
| 41328037 | 38576154 | 57442566 | 51978856 |
| -3536785 | 1432765 | -5790173 | 1556816 |
| 37791252 | 40008919 | 51652393 | 53535672 |
| 35991729 | 23099812 | 52018280 | 35909163 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110988 | 1286064 | 2863104 | 1918237 |
| 33880741 | 21813748 | 49155176 | 33990926 |
| 210360363 | 207241179 | 216326983 | 212560937 |
| 0 | 0 | 48201 | 31815 |
| 11364685 | 11847903 | 11634360 | 12119327 |
| 198995678 | 195393276 | 204740824 | 200473425 |
| 207241179 | 187057680 | 212560937 | 191765087 |
| 0 | 756 | 31815 | 756 |
| 11847903 | 10008974 | 12119327 | 10247799 |
| 195393276 | 177049462 | 200473425 | 181518044 |
| 37483143 | 40157562 | 53422575 | 52946307 |
| 2266616 | 1538839 | 5554976 | 4062538 |
| 2266616 | 1538839 | 5554976 | 4062538 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86908 | 102443 | 187805 | 208417 |
| 2179708 | 1436396 | 5367171 | 3854121 |
| 2163054 | 1463369 | 4385216 | 3291150 |
| 99380 | 70542 | 1033209 | 633726 |
| 4182 | 4928 | 136551 | 137662 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2266616 | 1538839 | 5554976 | 4062538 |

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये मदवार विभाजन रिपोर्ट

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | कर्मकार प्रतिकर / Workmen Comp. | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष प्राप्त कारोबार / Direct Business Written | 657174 | 649411 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded | 26328 | 32477 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 630846 | 616934 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | 76002 | 3014 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 706848 | 619948 |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 170750 | 125429 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 10299 | 7485 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 160451 | 117944 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct | 839235 | 685955 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding - Closing - RI Ceded | 44516 | 98761 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding Closing - Net | 794719 | 587194 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 685955 | 798174 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 98761 | 43887 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे शुद्ध / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - Net | 587194 | 754287 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 367976 | -49149 |
| अदा किये गये कमीशन / COMMISSION PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 85836 | 80324 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 85836 | 80324 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 3950 | 3654 |
| कमीशन (शुद्ध) / COMMISSION (NET) | 81886 | 76670 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय (सकल) का विवरण / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेंट / Agents | 79756 | 74404 |
| दलाल / Brokers | 6230 | 6244 |
| निगमिय एजेंसी / Corporate Agency | -150 | -324 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 85836 | 80324 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(₹ '000)

| व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident | | विमानन / Aviation | | इंजीनियरिंग / Engineering | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 4344571 | 5073087 | 792230 | 1209365 | 4606763 | 4004604 |
| 21376 | 10282 | 90219 | 167417 | 172918 | 246776 |
| 1649119 | 2517746 | 840937 | 1210160 | 2197186 | 2146345 |
| 2716828 | 2565623 | 41512 | 166622 | 2582495 | 2105035 |
| 242230 | -290917 | 73550 | -14327 | -893387 | 26805 |
| 2959058 | 2274706 | 115062 | 152295 | 1689108 | 2131840 |
| 5420566 | 4793045 | 326796 | 500711 | 1882814 | 2283438 |
| 10687 | 12861 | 124003 | 95053 | 95577 | 157942 |
| 3068608 | 2938328 | 264158 | 435894 | 433752 | 989141 |
| 2362645 | 1867578 | 186641 | 159870 | 1544639 | 1452239 |
| 5477291 | 5960254 | 1916890 | 1172083 | 7901090 | 8525957 |
| 88638 | 7048 | 128332 | 243837 | 205901 | 240968 |
| 2159233 | 3143142 | 1568405 | 844805 | 5258524 | 5427394 |
| 3406696 | 2824160 | 476817 | 571115 | 2848467 | 3339531 |
| 5960253 | 6607601 | 1172083 | 2216689 | 8525957 | 10328297 |
| 7048 | 682 | 243837 | 272350 | 240968 | 489762 |
| 3143142 | 3830245 | 844805 | 1573404 | 5427394 | 6503543 |
| 2824159 | 2778038 | 571115 | 915635 | 3339531 | 4314516 |
| 2945182 | 1913700 | 92343 | -184650 | 1053575 | 477254 |
| 212866 | 216578 | 16408 | 13560 | 463567 | 421930 |
| 212866 | 216578 | 16408 | 13560 | 463567 | 421930 |
| 5019 | 0 | 34996 | 29832 | 43408 | 84038 |
| 158825 | 301953 | 26444 | 34113 | 124634 | 108728 |
| 59060 | -85375 | 24960 | 9279 | 382341 | 397240 |
| 110891 | 105369 | 1846 | 1631 | 170098 | 145063 |
| 68345 | 81567 | 14562 | 11929 | 292723 | 276056 |
| 33630 | 29642 | 0 | 0 | 746 | 811 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212866 | 216578 | 16408 | 13560 | 463567 | 421930 |

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये मदवार विभाजन रिपोर्ट

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अन्य विविध / Other Misc. | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष प्राप्त कारोबार / Direct Business Written | 4407164 | 4198564 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted | 1229 | 64967 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded | 845128 | 543133 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 3563265 | 3720398 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -2016259 | 9798 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 1547006 | 3730196 |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 2663742 | 2411351 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 39934 | 49531 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 349970 | 294709 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 2353706 | 2166173 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct | 4175531 | 3558216 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted | 202193 | 474053 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding - Closing - RI Ceded | 1055333 | 862891 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding Closing - Net | 3322391 | 3169378 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 3558216 | 3160996 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year- RI Accepted | 474053 | 310198 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 862891 | 888971 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे शुद्ध / Less: Claims Outstanding at the beginning of the year - Net | 3169378 | 2582223 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 2506719 | 2753328 |
| अदा किये गये कमीशन / COMMISSION PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 1067263 | 737990 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 1067263 | 737990 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 553 | 5962 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 83531 | 131697 |
| कमीशन (शुद्ध) / COMMISSION (NET) | 984285 | 612255 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय (सकल) का विवरण / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेंट / Agents | 859979 | 607151 |
| दलाल / Brokers | 173701 | 93056 |
| निगमिय एजेंसी / Corporate Agency | 33583 | 37783 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 1067263 | 737990 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(₹ '000)

| देयताये / Liability | | स्वास्थ्य व अस्पतालीकरण / Health & Hosp. | | फसल / Crop | | कुल विविध / Total Misc. | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 1683918 | 1538773 | 72482237 | 63193427 | 4427458 | 404986 | 153254240 | 135039770 |
| 139261 | 136620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425003 | 626062 |
| 474123 | 479827 | 2926645 | 4233464 | -397110 | 121735 | 10972515 | 14073584 |
| 1349056 | 1195566 | 69555592 | 58959963 | 4824568 | 283251 | 142706728 | 121592248 |
| 23055 | -120511 | 6495397 | -256428 | 52679 | 3322839 | -1736906 | 4237089 |
| 1372111 | 1075055 | 76050989 | 58703535 | 4877247 | 3606090 | 140969822 | 125829337 |
| 239102 | 326831 | 71171211 | 76158004 | 3929232 | 9979772 | 137822493 | 132487744 |
| 4248 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274449 | 317947 |
| 67458 | 64237 | 3457748 | 4340151 | 777341 | 2107378 | 11292438 | 13095560 |
| 175892 | 265154 | 67713463 | 71817853 | 3151891 | 7872394 | 126804504 | 119710131 |
| 1721491 | 1867295 | 13954399 | 13917952 | 4602428 | 3869820 | 256915338 | 252118469 |
| 115845 | 63844 | 162 | 161 | 74595 | 0 | 863867 | 1061726 |
| 152155 | 181935 | 689827 | 763043 | 4158719 | 5408465 | 26721072 | 28849763 |
| 1685181 | 1749204 | 13264734 | 13155070 | 518304 | -1538645 | 231058133 | 224330432 |
| 1867295 | 2484058 | 13917952 | 14401962 | 3869821 | 12800929 | 252118469 | 244563793 |
| 63844 | 62680 | 161 | 0 | 0 | 74595 | 1061726 | 1211023 |
| 181935 | 252516 | 763043 | 815078 | 5408465 | 5463451 | 28849763 | 29618894 |
| 1749204 | 2294222 | 13155070 | 13586884 | -1538644 | 7412073 | 224330432 | 216155922 |
| 111869 | -279864 | 67823127 | 71386039 | 5208839 | -1078324 | 133532205 | 127884641 |
| 155092 | 150980 | 2765826 | 2804458 | -449 | 41812 | 10321385 | 8530170 |
| 155092 | 150980 | 2765826 | 2804458 | -449 | 41812 | 10321385 | 8530170 |
| 299 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84275 | 121212 |
| 14553 | 13184 | 320389 | 358403 | 112079 | -7661 | 1032210 | 1152488 |
| 140838 | 139176 | 2445437 | 2446055 | -112528 | 49473 | 9373450 | 7498894 |
| 55458 | 48445 | 1803786 | 1855315 | 0 | -332 | 7467030 | 6128196 |
| 99325 | 100039 | 699354 | 667127 | -449 | 42144 | 2387000 | 1911888 |
| 309 | 2496 | 262686 | 282016 | 0 | 0 | 467355 | 490086 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155092 | 150980 | 2765826 | 2804458 | -449 | 41812 | 10321385 | 8530170 |

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 18825406 | 18434801 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 18825406 | 18434801 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 2227617 | 2544588 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 2132126 | 2498186 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 95491 | 46402 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 11966866 | 10527841 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 8603132 | 6886108 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 3363734 | 3641733 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 9086157 | 10451548 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India | 12354400 | 14046879 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत के बाहर / Net Premium - Outside India | -3268243 | -3595331 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -880950 | -1353978 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 8205207 | 9097570 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 1 - CONSOLIDATED PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| समुद्री नौभार / Marine Cargo | | समुद्री पोत / Marine Hull | | कुल समुद्री / Marine Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| | | | | | |
| 1878374 | 1995626 | 2485031 | 1752290 | 4363405 | 3747916 |
| 1878374 | 1995626 | 2485031 | 1752290 | 4363405 | 3747916 |
| 33523 | 16469 | 14017 | 84546 | 47540 | 101015 |
| 10559 | 556 | 12607 | 84433 | 23166 | 84989 |
| 22964 | 15913 | 1410 | 113 | 24374 | 16026 |
| 469768 | 523046 | 1765687 | 1003155 | 2235455 | 1526201 |
| 242104 | 277125 | 382510 | 816627 | 624614 | 1093752 |
| 227664 | 245921 | 1383177 | 186528 | 1610841 | 432449 |
| 1442129 | 1489049 | 733361 | 833681 | 2175490 | 2322730 |
| 1646829 | 1719057 | 2115127 | 1020096 | 3761956 | 2739153 |
| -204700 | -230008 | -1381766 | -186415 | -1586466 | -416423 |
| 173890 | -118196 | -81549 | -175440 | 92341 | -293636 |
| 1616019 | 1370853 | 651812 | 658241 | 2267831 | 2029094 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | मोटर निजी क्षति / Motor OD | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 16786991 | 14126547 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 16786991 | 14126547 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 672462 | 723845 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 672462 | 715702 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 0 | 8143 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 16114529 | 13402702 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India | 16114529 | 13410844 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत के बाहर / Net Premium - Outside India | 0 | -8143 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -2253388 | 124051 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 13861141 | 13526753 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 1 - CONSOLIDATED PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP | | मोटर कुल / Motor Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| | | | |
| 43065734 | 40641006 | 59852725 | 54767553 |
| 43065734 | 40641006 | 59852725 | 54767553 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1737697 | 2064852 | 2410159 | 2788697 |
| 1737697 | 2049272 | 2410159 | 2764974 |
| 0 | 15580 | 0 | 23723 |
| 41328037 | 38576154 | 57442566 | 51978856 |
| 41328037 | 38591734 | 57442566 | 52002578 |
| 0 | -15580 | 0 | -23723 |
| -3536785 | 1432765 | -5790173 | 1556816 |
| 37791252 | 40008919 | 51652393 | 53535672 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | कर्मकार प्रतिकर / Workmen Comp. | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 657174 | 649411 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 657174 | 649411 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 26328 | 32477 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 26328 | 32477 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 630846 | 616934 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India | 630846 | 616934 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत के बाहर / Net Premium - Outside India | 0 | 0 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | 76002 | 3014 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 706848 | 619948 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 1 - CONSOLIDATED PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident | | विमानन / Aviation | | इंजीनियरिंग / Engineering | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| | | | | | |
| 4344571 | 5073087 | 792230 | 1209365 | 4606763 | 4004604 |
| 4344571 | 5073087 | 792230 | 1209365 | 4606763 | 4004604 |
| 21376 | 10282 | 90219 | 167417 | 172918 | 246776 |
| 0 | 40 | 100000 | 111210 | 153858 | 233336 |
| 21376 | 10242 | -9781 | 56207 | 19060 | 13440 |
| 1649119 | 2517746 | 840937 | 1210160 | 2197186 | 2146345 |
| -950594 | 979483 | 368291 | 938519 | 1304741 | 1273859 |
| 2599713 | 1538263 | 472646 | 271641 | 892445 | 872486 |
| 2716828 | 2565623 | 41512 | 166622 | 2582495 | 2105035 |
| 5295166 | 4093644 | 523938 | 382056 | 3455880 | 2964080 |
| -2578338 | -1528022 | -482426 | -215434 | -873385 | -859045 |
| 242230 | -290917 | 73550 | -14327 | -893387 | 26805 |
| 2959058 | 2274706 | 115062 | 152295 | 1689108 | 2131840 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अन्य विविध / Other Misc. | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| से प्रीमियम / PREMIUM FROM | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 4407164 | 4198564 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 4407164 | 4198564 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 1229 | 64967 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 1228 | 46467 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 1 | 18500 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 845128 | 543133 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 511154 | 516974 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 333974 | 26159 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | 3563265 | 3720398 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India | 3897239 | 3728056 |
| शुद्ध प्रीमियम - भारत के बाहर / Net Premium - Outside India | -333974 | -7659 |
| असमाप्त जोखिमों के लिये निधि में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks | -2016259 | 9798 |
| अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net) | 1547006 | 3730196 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 1 - CONSOLIDATED PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| देयताये / Liability | | स्वास्थ्य व अस्पतालीकरण / Health & Hosp. | | फसल / Crop | | कुल विविध / Total Misc. | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| | | | | | | | |
| 1683918 | 1538773 | 72482237 | 63193427 | 4427458 | 404986 | 153254240 | 135039770 |
| 1683918 | 1538773 | 72482237 | 63193427 | 4427458 | 404986 | 153254240 | 135039770 |
| 139261 | 136620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425003 | 626062 |
| 139261 | 136620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394347 | 527673 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30656 | 98389 |
| 474123 | 479827 | 2926645 | 4233464 | -397110 | 121735 | 10972515 | 14073584 |
| 380878 | 405326 | 2926645 | 4219485 | -315985 | -100616 | 6661617 | 11030481 |
| 93245 | 74501 | 0 | 13979 | -81125 | 222351 | 4310898 | 3043103 |
| 1349056 | 1195566 | 69555592 | 58959963 | 4824568 | 283251 | 142706728 | 121592248 |
| 1442301 | 1270067 | 69555592 | 58973942 | 4743443 | 505602 | 146986971 | 124536959 |
| -93245 | -74501 | 0 | -13979 | 81125 | -222351 | -4280243 | -2944714 |
| 23055 | -120511 | 6495397 | -256428 | 52679 | 3322839 | -1736906 | 4237089 |
| 1372111 | 1075055 | 76050989 | 58703535 | 4877247 | 3606090 | 140969822 | 125829337 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 2 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 9289209 | 8272624 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 9289209 | 8272624 |
| प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 387314 | 1699183 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 347162 | 1673166 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 40152 | 26017 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 3092351 | 3436382 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 2125443 | 2078329 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 966908 | 1358053 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 6584172 | 6535425 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत में / Net Claims paid - In India | 7510928 | 7867461 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत के बाहर / Net Claims paid - Outside India | -926756 | -1332036 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year | 14297509 | 15145786 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - In India | 25887244 | 26296290 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct | 25887244 | 26296290 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India | 1882681 | 3127884 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India | 428705 | 355212 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted | 2311386 | 3483096 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India | 7927712 | 9802675 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India | 5973409 | 4830925 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded | 13901121 | 14633600 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net | 14297509 | 15145786 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning | 15145786 | 16361453 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India | 26296290 | 30315116 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 26296290 | 30315116 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India | 3127884 | 4263736 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India | 355212 | 188672 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 3483096 | 4452408 |
| जोड़ें : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India | 9802675 | 10719802 |
| जोड़ें : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India | 4830925 | 7686269 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 14633600 | 18406071 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net | 15145786 | 16361453 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 5735895 | 5319758 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 2 - CONSOLIDATED CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| समुद्री नौभार / Marine Cargo | | समुद्री पोत / Marine Hull | | कुल समुद्री / Marine Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 2086948 | 1243704 | 1855489 | 1018513 | 3942437 | 2262217 |
| 2086948 | 1243704 | 1855489 | 1018513 | 3942437 | 2262217 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15015 | 12871 | -4431 | 70075 | 10584 | 82946 |
| -1043 | 1639 | 1490 | 70073 | 447 | 71712 |
| 16058 | 11232 | -5921 | 2 | 10137 | 11234 |
| 987638 | 375110 | 1600225 | 683200 | 2587863 | 1058310 |
| 483598 | 155293 | 881025 | 637177 | 1364623 | 792470 |
| 504040 | 219817 | 719200 | 46023 | 1223240 | 265840 |
| 1114325 | 881465 | 250833 | 405388 | 1365158 | 1286853 |
| 1602307 | 1090050 | 975954 | 451409 | 2578261 | 1541459 |
| -487982 | -208585 | -725121 | -46022 | -1213103 | -254607 |
| 1503342 | 1860552 | 1890945 | 1557161 | 3394287 | 3417713 |
| 2837282 | 4031093 | 6318007 | 7648943 | 9155289 | 11680036 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2837282 | 4031093 | 6318007 | 7648943 | 9155289 | 11680036 |
| 7134 | 7599 | 60425 | 88563 | 67559 | 96162 |
| 24395 | 23646 | 78669 | 20844 | 103064 | 44491 |
| 31529 | 31245 | 139094 | 109407 | 170623 | 140652 |
| 2223059 | 2511550 | 4603696 | 6142524 | 6826755 | 8654074 |
| -857590 | -309764 | -37540 | 58665 | -895130 | -251099 |
| 1365469 | 2201786 | 4566156 | 6201189 | 5931625 | 8402975 |
| 1503342 | 1860552 | 1890945 | 1557161 | 3394287 | 3417713 |
| 1860552 | 1649031 | 1557161 | 1259774 | 3417713 | 2908805 |
| 4031093 | 4490005 | 7648943 | 4091363 | 11680036 | 8581368 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4031093 | 4490005 | 7648943 | 4091363 | 11680036 | 8581368 |
| 7599 | 13244 | 87883 | 124645 | 95482 | 137889 |
| 23646 | 18420 | 21524 | 20839 | 45170 | 39259 |
| 31245 | 31664 | 109407 | 145484 | 140652 | 177148 |
| 2511551 | 1245168 | 6142524 | 1169217 | 8654075 | 2414385 |
| -309765 | 1627470 | 58665 | 1807855 | -251100 | 3435325 |
| 2201786 | 2872638 | 6201189 | 2977072 | 8402975 | 5849710 |
| 1860552 | 1649031 | 1557161 | 1259775 | 3417713 | 2908806 |
| 757115 | 1092986 | 584617 | 702774 | 1341732 | 1795760 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 2 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | मोटर निजी क्षति / Motor OD | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 16026551 | 12809351 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 16026551 | 12809351 |
| प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 752116 | 632173 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 752116 | 632173 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 15274435 | 12177178 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत में / Net Claims paid - In India | 15274435 | 12177178 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत के बाहर / Net Claims paid - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year | 5745146 | 5080149 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - In India | 5966620 | 5319758 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct | 5966620 | 5319758 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India | 48201 | 31815 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted | 48201 | 31815 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India | 269675 | 271424 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded | 269675 | 271424 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net | 5745146 | 5080149 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning | 5080149 | 4468582 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India | 5319758 | 4707407 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 5319758 | 4707407 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India | 0 | 0 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India | 31815 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 31815 | 0 |
| जोड़ें : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India | 271424 | 238825 |
| जोड़ें : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 271424 | 238825 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net | 5080149 | 4468582 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 15939432 | 12788745 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 2 - CONSOLIDATED CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP | | मोटर कुल / Motor Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 35991729 | 23099811 | 52018280 | 35909162 |
| 35991729 | 23099811 | 52018280 | 35909162 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110988 | 1286063 | 2863104 | 1918236 |
| 2110886 | 1286063 | 2863002 | 1918236 |
| 102 | 0 | 102 | 0 |
| 33880741 | 21813748 | 49155176 | 33990926 |
| 33880844 | 21813748 | 49155279 | 33990926 |
| -103 | 0 | -103 | 0 |
| 198995678 | 195393276 | 204740824 | 200473425 |
| 210344673 | 207226643 | 216311293 | 212546401 |
| 15690 | 14536 | 15690 | 14536 |
| 210360363 | 207241179 | 216326983 | 212560937 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 48201 | 31815 |
| 0 | 0 | 48201 | 31815 |
| 11364685 | 11847903 | 11634360 | 12119327 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11364685 | 11847903 | 11634360 | 12119327 |
| 198995678 | 195393276 | 204740824 | 200473425 |
| 195393276 | 177049462 | 200473425 | 181518044 |
| 207226643 | 187043568 | 212546401 | 191750975 |
| 14536 | 14112 | 14536 | 14112 |
| 207241179 | 187057680 | 212560937 | 191765087 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 756 | 31815 | 756 |
| 0 | 756 | 31815 | 756 |
| 11847903 | 10008974 | 12119327 | 10247799 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11847903 | 10008974 | 12119327 | 10247799 |
| 195393276 | 177049462 | 200473425 | 181518044 |
| 37483143 | 40157562 | 53422575 | 52946307 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 2 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | कर्मकार प्रतिकर / Workmen Comp. | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 170750 | 125429 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 170750 | 125429 |
| प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 10299 | 7485 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 10299 | 7485 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 160451 | 117944 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत में / Net Claims paid - In India | 160451 | 117944 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत के बाहर / Net Claims paid - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year | 794719 | 587194 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - In India | 828775 | 676265 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - Outside India | 10460 | 9690 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct | 839235 | 685955 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India | 44516 | 98761 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded | 44516 | 98761 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net | 794719 | 587194 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning | 587194 | 754287 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India | 676265 | 788766 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India | 9690 | 9408 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 685955 | 798174 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India | 0 | 0 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India | 98761 | 43887 |
| जोड़ें : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 98761 | 43887 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net | 587194 | 754287 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 367976 | -49149 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 2 - CONSOLIDATED CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident | | विमानन / Aviation | | इंजीनियरिंग / Engineering | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 5420566 | 4793045 | 326796 | 500711 | 1882814 | 2283438 |
| 5420566 | 4793045 | 326796 | 500711 | 1882814 | 2283438 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10687 | 12861 | 124003 | 95053 | 95577 | 157942 |
| 173 | 4605 | 54223 | 1471 | 81740 | 147080 |
| 10514 | 8256 | 69780 | 93582 | 13837 | 10862 |
| 3068608 | 2938328 | 264158 | 435894 | 433752 | 989141 |
| 936040 | 482058 | 226816 | 431554 | 272895 | 711368 |
| 2132568 | 2456270 | 37342 | 4340 | 160857 | 277773 |
| 2362645 | 1867578 | 186641 | 159870 | 1544639 | 1452239 |
| 4484699 | 4315591 | 154203 | 70628 | 1691658 | 1719151 |
| -2122054 | -2448014 | 32438 | 89242 | -147019 | -266912 |
| 3406696 | 2824160 | 476817 | 571115 | 2848467 | 3339531 |
| 5477291 | 5960253 | 1916890 | 1172083 | 7901090 | 8525957 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5477291 | 5960253 | 1916890 | 1172083 | 7901090 | 8525957 |
| 5163 | 5518 | 86663 | 131104 | 202537 | 238460 |
| 83475 | 1530 | 41669 | 112733 | 3364 | 2509 |
| 88638 | 7048 | 128332 | 243837 | 205901 | 240969 |
| 3086694 | 3507955 | 1398327 | 786399 | 3518821 | 3646637 |
| -927461 | -364814 | 170078 | 58406 | 1739703 | 1780758 |
| 2159233 | 3143141 | 1568405 | 844805 | 5258524 | 5427395 |
| 3406696 | 2824160 | 476817 | 571115 | 2848467 | 3339531 |
| 2824159 | 2778038 | 571115 | 915635 | 3339531 | 4314516 |
| 5960253 | 6607601 | 1172083 | 2216689 | 8525957 | 10328297 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5960253 | 6607601 | 1172083 | 2216689 | 8525957 | 10328297 |
| 5518 | 682 | 131104 | 78222 | 238459 | 338214 |
| 1530 | 0 | 112733 | 194129 | 2509 | 151549 |
| 7048 | 682 | 243837 | 272351 | 240968 | 489763 |
| 3507955 | 999609 | 786399 | 1491918 | 3646637 | 4317335 |
| -364813 | 2830636 | 58406 | 81487 | 1780757 | 2186209 |
| 3143142 | 3830245 | 844805 | 1573405 | 5427394 | 6503544 |
| 2824159 | 2778038 | 571115 | 915635 | 3339531 | 4314516 |
| 2945182 | 1913700 | 92343 | -184650 | 1053575 | 477254 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची - 2 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध)
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अन्य विविध / Other Misc. | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| अदा किये गये दावे / CLAIMS PAID | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 2663742 | 2411351 |
| प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India | 2663742 | 2411351 |
| प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted | 39934 | 49531 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India | 39235 | 31462 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India | 699 | 18069 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded | 349970 | 294709 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India | 284254 | 209918 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India | 65716 | 84791 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे / Net Claims paid | 2353706 | 2166173 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत में / Net Claims paid - In India | 2418724 | 2232896 |
| अदा किये गये शुद्ध दावे - भारत के बाहर / Net Claims paid - Outside India | -65018 | -66722 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year | 3322391 | 3169378 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - In India | 4175531 | 3558216 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - Outside India | 0 | 0 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct | 4175531 | 3558216 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India | 1540 | 186369 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India | 200653 | 287683 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted | 202193 | 474052 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India | 699815 | 495964 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India | 355518 | 366926 |
| घटाएँ : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded | 1055333 | 862890 |
| जोड़ें : वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net | 3322391 | 3169378 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning | 3169378 | 2582223 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India | 3558216 | 3160996 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct | 3558216 | 3160996 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India | 186369 | 136818 |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India | 287684 | 173380 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - स्वीकृत पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted | 474053 | 310198 |
| जोड़ें : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India | 499916 | 604436 |
| जोड़ें : आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा - भारत के बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India | 362975 | 284535 |
| जोड़ें : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - अर्पित पुनर्बीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded | 862891 | 888971 |
| घटाएँ : वर्ष के आरंभ में बकाया दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net | 3169378 | 2582223 |
| उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 2506719 | 2753328 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 2 - CONSOLIDATED CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| देयताये / Liability | | स्वास्थ्य व अस्पतालीकरण / Health & Hosp. | | फसल / Crop | | कुल विविध / Total Misc. | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 239102 | 326831 | 71171211 | 76158004 | 3929232 | 9979772 | 137822493 | 132487743 |
| 239102 | 326831 | 71171211 | 76158004 | 3929232 | 9979772 | 137822493 | 132487743 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4248 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274449 | 317947 |
| 4248 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179619 | 187178 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94830 | 130769 |
| 67458 | 64237 | 3457748 | 4340151 | 777341 | 2107378 | 11292438 | 13095559 |
| 21712 | 39816 | 3649793 | 4148106 | 566427 | 2107378 | 8831238 | 10055919 |
| 45746 | 24421 | -192045 | 192045 | 210914 | 0 | 2461200 | 3039640 |
| 175892 | 265154 | 67713463 | 71817853 | 3151891 | 7872394 | 126804504 | 119710131 |
| 221638 | 289575 | 67521418 | 72009899 | 3362805 | 7872394 | 129170875 | 122619004 |
| -45746 | -24420 | 192045 | -192045 | -210914 | 0 | -2366371 | -2908871 |
| 1685181 | 1749204 | 13264734 | 13155070 | 518304 | -1538645 | 231058133 | 224330432 |
| 1721491 | 1867295 | 13954399 | 13917952 | 4602428 | 3869820 | 256889188 | 252094242 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26150 | 24226 |
| 1721491 | 1867295 | 13954399 | 13917952 | 4602428 | 3869820 | 256915338 | 252118468 |
| 115845 | 63844 | 162 | 162 | 74595 | 0 | 486505 | 625457 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377362 | 436270 |
| 115845 | 63844 | 162 | 162 | 74595 | 0 | 863867 | 1061727 |
| 149053 | 165905 | 737517 | 767238 | 2651610 | 3155831 | 23920713 | 24744017 |
| 3102 | 16030 | -47690 | -4194 | 1507109 | 2252634 | 2800359 | 4105746 |
| 152155 | 181935 | 689827 | 763044 | 4158719 | 5408465 | 26721072 | 28849763 |
| 1685181 | 1749204 | 13264734 | 13155070 | 518304 | -1538645 | 231058133 | 224330432 |
| 1749204 | 2294222 | 13155070 | 13586884 | -1538644 | 7412074 | 224330432 | 216155923 |
| 1867295 | 2484057 | 13917952 | 14401962 | 3869821 | 12800930 | 252094243 | 244540273 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24226 | 23520 |
| 1867295 | 2484057 | 13917952 | 14401962 | 3869821 | 12800930 | 252118469 | 244563793 |
| 63844 | 62680 | 161 | 0 | 0 | 74595 | 625455 | 691211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436271 | 519814 |
| 63844 | 62680 | 161 | 0 | 0 | 74595 | 1061726 | 1211025 |
| 165905 | 173447 | 767237 | 814718 | 3155831 | 2999552 | 24747968 | 21692701 |
| 16030 | 79068 | -4194 | 360 | 2252634 | 2463899 | 4101795 | 7926194 |
| 181935 | 252515 | 763043 | 815078 | 5408465 | 5463451 | 28849763 | 29618895 |
| 1749204 | 2294222 | 13155070 | 13586884 | -1538644 | 7412074 | 224330432 | 216155923 |
| 111869 | -279864 | 67823127 | 71386039 | 5208839 | -1078325 | 133532205 | 127884640 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची -3 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए कमीशन
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अग्नि / Fire | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| कमीशन / COMMISSION | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 1781009 | 1742324 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 1781009 | 1742324 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 288623 | 330695 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन - भारत में / Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India | 278498 | 321383 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India | 10125 | 9312 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 1098129 | 809863 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत में / Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India | 791276 | 543963 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India | 306853 | 265900 |
| कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net) | 971503 | 1263156 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India | 1268231 | 1519745 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत के बाहर / Commission (Net) - Outside India | -296728 | -256589 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय (सकल) का विवरण / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेंट-भारत में / Agents - In India | 703318 | 689880 |
| एजेंट / Agents | 703318 | 689880 |
| दलाल / Brokers | 1009350 | 980482 |
| निगमिय एजेंसी / Corporate Agency | 68341 | 71962 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 1781009 | 1742324 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 3 - CONSOLIDATED COMMISSION (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| समुद्री नौभार / Marine Cargo | | समुद्री पोत / Marine Hull | | कुल समुद्री / Marine Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 273795 | 260297 | 42573 | 39637 | 316368 | 299934 |
| 273795 | 260297 | 42573 | 39637 | 316368 | 299934 |
| 7584 | 3933 | 3232 | 13097 | 10816 | 17030 |
| 1101 | 107 | 2946 | 13046 | 4047 | 13153 |
| 6483 | 3826 | 286 | 51 | 6769 | 3877 |
| 13094 | 17747 | 47123 | 36366 | 60217 | 54113 |
| 11879 | 15454 | 18599 | 34193 | 30478 | 49647 |
| 1215 | 2293 | 28524 | 2173 | 29739 | 4466 |
| 268285 | 246483 | -1318 | 16368 | 266967 | 262851 |
| 263017 | 244949 | 26920 | 18491 | 289937 | 263440 |
| 5268 | 1534 | -28238 | -2123 | -22970 | -589 |
| 169808 | 162209 | 12593 | 13558 | 182401 | 175767 |
| 169808 | 162209 | 12593 | 13558 | 182401 | 175767 |
| 103873 | 97958 | 29947 | 26064 | 133820 | 124022 |
| 114 | 130 | 33 | 15 | 147 | 145 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273795 | 260297 | 42573 | 39637 | 316368 | 299934 |

 समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची -3 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए कमीशन
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | मोटर निजी क्षति / Motor OD | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| कमीशन / COMMISSION | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 3288360 | 2523699 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 3288360 | 2523699 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन - भारत में / Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 100897 | 105974 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत में / Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India | 100897 | 105974 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net) | 3187463 | 2417725 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India | 3187463 | 2417725 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत के बाहर / Commission (Net) - Outside India | 0 | 0 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय(सकल) का विवरण नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेंट-भारत में / Agents - In India | 2222162 | 1827781 |
| एजेंट / Agents | 2222162 | 1827781 |
| दलाल / Brokers | 933829 | 563184 |
| निगमीय एजेंसी / Corporate Agency | 132369 | 132734 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 3288360 | 2523699 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 3 - CONSOLIDATED COMMISSION (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP | | मोटर कुल / Motor Total | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 2266616 | 1538839 | 5554976 | 4062538 |
| 2266616 | 1538839 | 5554976 | 4062538 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86908 | 102443 | 187805 | 208417 |
| 86908 | 102443 | 187805 | 208417 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2179708 | 1436396 | 5367171 | 3854121 |
| 2179708 | 1436396 | 5367171 | 3854121 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2163054 | 1463369 | 4385216 | 3291150 |
| 2163054 | 1463369 | 4385216 | 3291150 |
| 99380 | 70542 | 1033209 | 633726 |
| 4182 | 4928 | 136551 | 137662 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2266616 | 1538839 | 5554976 | 4062538 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची -3 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए कमीशन
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | कर्मकार प्रतिकर / Workmen Comp. | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| कमीशन / COMMISSION | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 85836 | 80324 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 85836 | 80324 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन - भारत में / Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India | 0 | 0 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India | 0 | 0 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 3950 | 3654 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत में / Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India | 3950 | 3654 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India | 0 | 0 |
| कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net) | 81886 | 76670 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India | 81886 | 76670 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत के बाहर / Commission (Net) - Outside India | 0 | 0 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय(सकल) का विवरण नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेन्ट-भारत में / Agents - In India | 79756 | 74404 |
| एजेन्ट / Agents | 79756 | 74404 |
| दलाल / Brokers | 6230 | 6244 |
| निगमीय एजेन्सी / Corporate Agency | -150 | -324 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 85836 | 80324 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
SCHEDULE - 3 - CONSOLIDATED COMMISSION (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident | | विमानन / Aviation | | इंजीनियरिंग / Engineering | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 212866 | 216578 | 16408 | 13560 | 463567 | 421930 |
| 212866 | 216578 | 16408 | 13560 | 463567 | 421930 |
| 5019 | 0 | 34996 | 29832 | 43408 | 84038 |
| 0 | 0 | 25296 | 22564 | 36267 | 76499 |
| 5019 | 0 | 9700 | 7268 | 7141 | 7539 |
| 158825 | 301953 | 26444 | 34113 | 124634 | 108728 |
| 55543 | 195824 | 23291 | 33439 | 84218 | 79623 |
| 103282 | 106129 | 3153 | 674 | 40416 | 29105 |
| 59060 | -85375 | 24960 | 9279 | 382341 | 397240 |
| 157323 | 20754 | 18413 | 2685 | 415616 | 418806 |
| -98263 | -106129 | 6547 | 6594 | -33275 | -21566 |
| 110891 | 105369 | 1846 | 1631 | 170098 | 145063 |
| 110891 | 105369 | 1846 | 1631 | 170098 | 145063 |
| 68345 | 81567 | 14562 | 11929 | 292723 | 276056 |
| 33630 | 29642 | 0 | 0 | 746 | 811 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212866 | 216578 | 16408 | 13560 | 463567 | 421930 |

**समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA**

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
अनुसूची -3 - 31 मार्च 2023 के समाप्त वर्ष के लिए कमीशन
भारत में और भारत के बाहर विभाजन

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | अन्य विविध / Other Misc. | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| कमीशन / COMMISSION | | |
| प्रत्यक्ष कारोबार / Direct Business | 1067263 | 737990 |
| कुल (अ) / TOTAL (A) | 1067263 | 737990 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted | 553 | 5962 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन - भारत में / Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India | 371 | 5097 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India | 182 | 865 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded | 83531 | 131697 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत में / Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India | 57249 | 106767 |
| घटाएँ : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन-भारत के बाहर / Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India | 26282 | 24930 |
| कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net) | 984285 | 612255 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India | 1010385 | 636320 |
| कमीशन (शुद्ध) - भारत के बाहर / Commission (Net) - Outside India | -26100 | -24065 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय (सकल) का विवरण / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below: | | |
| एजेंट-भारत में / Agents - In India | 859979 | 607151 |
| एजेंट / Agents | 859979 | 607151 |
| दलाल / Brokers | 173701 | 93056 |
| निगमिय एजेंसी / Corporate Agency | 33583 | 37783 |
| अन्य / Others | 0 | 0 |
| कुल (आ) / TOTAL (B) | 1067263 | 737990 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

SCHEDULE - 3 - CONSOLIDATED COMMISSION (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

| देयताये / Liability | | स्वास्थ्य व अस्पतालीकरण / Health & Hosp. | | फसल / Crop | | कुल विविध / Total Misc. | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
| 155092 | 150980 | 2765826 | 2804458 | -449 | 41812 | 10321385 | 8530170 |
| 155092 | 150980 | 2765826 | 2804458 | -449 | 41812 | 10321385 | 8530170 |
| 299 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84275 | 121212 |
| 299 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62233 | 105540 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22042 | 15672 |
| 14553 | 13184 | 320389 | 358403 | 112079 | -7661 | 1032210 | 1152488 |
| 13887 | 13183 | 320389 | 358403 | 120321 | -13964 | 866653 | 985346 |
| 666 | 1 | 0 | 0 | -8242 | 6303 | 165557 | 167142 |
| 140838 | 139176 | 2445437 | 2446055 | -112528 | 49473 | 9373450 | 7498894 |
| 141504 | 139177 | 2445437 | 2446055 | -120770 | 55777 | 9516965 | 7650365 |
| -666 | -1 | 0 | 0 | 8242 | -6304 | -143515 | -151471 |
| 55458 | 48445 | 1803786 | 1855315 | 0 | -332 | 7467030 | 6128196 |
| 55458 | 48445 | 1803786 | 1855315 | 0 | -332 | 7467030 | 6128196 |
| 99325 | 100039 | 699354 | 667127 | -449 | 42144 | 2387000 | 1911888 |
| 309 | 2496 | 262686 | 282016 | 0 | 0 | 467355 | 490086 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155092 | 150980 | 2765826 | 2804458 | -449 | 41812 | 10321385 | 8530170 |

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये कैश फ्लो विवरण
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| I. प्रचालन कार्यों से कैश फ्लो I. Cash Flow from the Operating Activities | | |
| अग्रिम आय, शुद्ध सह बीमा सहित पालिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम Premium received from policyholders, including advance receipts, net of coinsurance | 177217385 | 160612030 |
| अन्य आय / Other Receipts | 207647 | 143002 |
| पुनर्बीमाकर्ताओं को अदायगी, शुद्ध कमीशन और दावे Payments to reinsurers, net of commission and claims | (9680268) | (8619924) |
| सहबीमाकर्ताओं को अदायगी, शुद्ध दावे से प्राप्त आय Payments to coinsurers, net of claims recovery | 2521100 | 9710251 |
| अदा किये गये दावे / Payments of claims | (151542545) | (142974640) |
| अदा किया गया कमीशन और दलाल कमीशन Payments of commission and brokerage | (12034513) | (10172353) |
| अदा किया गया अन्य प्रचालन खर्च Payments of other operating expenses | (46212634) | (34882010) |
| प्रारंभिक और पूर्व-ऑपरेटिव व्यय / Preliminary & Pre-operative Expenses | 0 | 0 |
| जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण / Deposits, advances and staff loans | 587417 | 323828 |
| वापसी आय कर / अदा किया गया (शुद्ध) / Income taxes paid/ refund (net) | (92711) | (36864) |
| अदा किया गया सेवा कर / वापसी (शुद्ध) / Service tax paid / refund (net) | (617508) | 1497427 |
| अन्य अदायगी / प्राप्तियाँ (शुद्ध) / Other payments/collections (Net) | 986125 | 41857 |
| विदेशी विनिमय के परिवर्तन में हुई लाभ / हानि / Gain /Loss on Foreign Exchange Fluctuations | (212305) | 93892 |
| असाधारण कार्यों के पूर्व कैश फ्लो / Cash flow before extraordinary activities | (38872809) | (24263504) |
| असाधारण कार्य / Extraordinary Activities | (610) | 989 |
| असाधारण कार्यों के पश्चात् कैश फ्लो Cash flow after extraordinary activities | (38873420) | (24262516) |
| प्रचालन कार्यों से शुद्ध कैश फ्लो Net Cash flow from the Operating Activities | (38873420) | (24262516) |

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| II. निवेश कार्यों से कैश फ्लो II. Cash Flow from the Investing Activities | | |
| स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय / Purchase of fixed assets | (855250) | (2280214) |
| स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से आय / Proceeds from Sale of Fixed Assets | 178002 | 68920 |
| निवेश का क्रय / Purchase of investments | (25830493) | (66871855) |
| वितरित ऋण / Loans Disbursed | 0 | 0 |
| निवेश का बिक्री मूल्य / Sale Value of Investments | 28959542 | 16309941 |
| प्राप्त वापसियाँ / Repayments Received | 20325846 | 39449018 |
| प्राप्त किराया / ब्याज/लाभांश / Rents/Interests/Dividends received | 22330672 | 21139810 |
| मुद्रा बाजार के साधन में और तरल म्युचुअल फंड में निवेश / Investments in money market instruments and in liquid mutual funds | (397568) | 2324454 |
| निवेश से संबंधित खर्च / Expenses relating to investments | (34871) | (35653) |
| अन्य अदायगी / प्राप्तियाँ (शुद्ध) / Other payments / collections (Net) | 5 | 50659 |
| निवेश कार्यों से शुद्ध कैश फ्लो / Net cash flow from the Investing Activities | 44675885 | 10155081 |
| III. वित्तीय कार्यों से कैश फ्लो III. Cash Flow from the Financing Activities | | |
| शेयर पूँजी के निर्गमन से आय / Proceeds from issuance of share capital | 0 | 1000000 |
| उधार से आय / निवेश / Proceeds from borrowing / investments | 0 | 0 |
| उधार का पुनर्अदायगी / Repayments of borrowing | (9000000) | 0 |
| अदा किया गया ब्याज/लाभांश / Interest/dividends paid | (1342500) | (1117305) |
| वित्तीय कार्यों से शुद्ध कैश फ्लो / Net cash flow from the Financing Activities | (10342500) | (117305) |
| IV. नकद और नकद समतुल्य पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव (शुद्ध) IV. Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents (net) | | |
| नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़ोत्तरी / Net increase in Cash and Cash Equivalents | (4540035) | (14224739) |
| वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य / Cash and cash equivalents at the beginning of the year | 26696331 | 40921071 |
| वर्ष की समाप्ति पर नकद और नकद समतुल्य / Cash and cash equivalents at the end of the year | 22156296 | 26696331 |

(₹ '000)

| विवरण / Particulars | चालू वर्ष Current year ₹ | गत वर्ष Previous year ₹ |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| घटक का नकद और नकद समतुल्य Components of Cash and Cash Equivalnets | | |
| 1. हाथ में नकदी / Cash on Hand | 508567 | 622526 |
| 2. बैंकों के साथ शेष / Balance with Banks | | |
| चालू खातों में / In Current Accounts | 11551055 | 6429040 |
| 3 महीने से कम परिवर्तता वाले एफडी आर में / In FDR with maturity less than 3 Months | 289082 | 16509382 |
| अप्रदत्त लाभांश लेखा / Unpaid Dividend Accounts | 15601 | 875 |
| उप कुल / Sub-Total | 12364305 | 23561823 |
| 3 महीनों से अधिक और 12 महीने से कम अल्पकालिक एफडी / FD for Short Term More than 3 Months and Less than 12 Months | 9791991 | 235676 |
| अन्य संस्थानों के साथ (सीबीएलओ के साथ) / With Other Institution (with CBLO) | 0 | 2898832 |
| उप कुल / Sub-Total | 9791991 | 3134508 |
| कुल योग / Grand Total | 22156296 | 26696331 |

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से / For and on behalf of Board

 अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

 गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

 सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

 वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

 वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

 वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

 सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

 सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

 सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

स्थान : चेन्नै

Place : Chennai

दिनांक : 30.05.2023

Date : 30.05.2023

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

31 मार्च 2023 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. समेकन के सिद्धांत

अ. समेकित वित्तीय विवरण युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी और सहयोगियों (एक साथ कंपनी के रूप में संदर्भित) से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये हैं:

- लेखांकन मानक (एएस) 21 – झसमेकित वित्तीय विवरण के अनुसार इंट्रा-ग्रुप बैलेंस और इंट्रा-ग्रुप लेनदेन को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद, कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की समान वस्तुओं के बुक वैल्यू को एक साथ जोड़कर लाइन-दर-लाइन आधार पर संयोजित किया जाता है।
- सहायक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय शुद्ध संपत्ति पर सहायक कंपनियों में निवेश की लागत के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख या पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा भी मामला हो।
- सहायक कंपनियों में निवेश के निपटान से प्राप्त आय और निपटान की तारीख के अनुसार इसकी परिसंपत्तियों की देनदारियों को घटाकर शेष राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है, जो कि सहायक कंपनी में निवेश के निपटान पर लाभ या हानि है।
- वर्ष के लिए समेकित सहायक कंपनी के शुद्ध लाभ में अल्पमत हित की हिस्सेदारी की पहचान की जाती है और कंपनी के शेयरधारकों के कारण होने वाली शुद्ध आय पर पहुंचने के लिए समूह की आय के लिये समायोजित किया जाता है।
- समेकित सहायक कंपनी की शुद्ध संपत्ति में अल्पमत हित की हिस्सेदारी की पहचान की जाती है और कंपनी के शेयरधारकों की देनदारियों और इक्विटी से अलग समेकित तुलन पत्र में प्रस्तुत की जाती है।
- सहयोगी कंपनियों में निवेश को लेखांकन मानक (एएस) 23 के अनुसार इक्विटी पद्धति के अंतर्गत लेखांकन किया गया है – समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन।
- कंपनी अधिग्रहण के पश्चात्, कंपनी और उसके सहयोगियों के बीच लेन-देन से होने वाले अवास्तविक लाभ और हानि को समाप्त करने के बाद, उपलब्ध जानकारी के आधार पर, अपने लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से, शेष राशि के लिए अपने भंडार के माध्यम से सहयोगियों के लाभ या हानि के कारण होने वाली सीमा तक, सहयोगियों की शुद्ध संपत्ति में परिवर्तन में अपने हिस्से का हिसाब रखती हैं।
- सहयोगियों में निवेश की लागत और सहयोगियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय शुद्ध संपत्ति के हिस्से के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख या पूंजी आरक्षित के रूप में चिन्हित जाता है, जैसा भी मामला हो।
- जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किए जाते हैं, सिवाय इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड को छोड़कर – एक सहयोगी जिसे सिंगापुर कंपनी अधिनियम, कैप 50 के अनुसार सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एफफआरएस) के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी की लेखांकन नीति की तुलना में भौतिक अंतर होते हैं;
 - असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि, सहयोगी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति

असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि में अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि और प्रीमियम की कमी की आरक्षित राशि का योग शामिल होता है। प्रीमियम कमी रिजर्व हानि के आँकड़ों पर बीमांकिक तरीकों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है और तब पहचाना जाता है जब व्यवसाय की किसी भी पंक्ति के लिए तुलन पत्र की तारीख पर लागू नीतियों की असमाप्त अवधि के कारण दावों और व्ययों का अपेक्षित मूल्य अनर्जित प्रीमियम रिजर्व से अधिक हो जाता है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31ST MARCH 2023

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. PRINCIPLES OF CONSOLIDATION

A. The consolidated financial statements relate to United India Insurance Company Limited the holding company and its subsidiary company and associates (together referred as “the company”). The consolidated financial statements have been prepared on the following basis:

1. The financial statements of the Company and its subsidiary company are combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions in accordance with Accounting Standard (AS) 21 - “Consolidated Financial Statements”
2. The difference between the cost of investment in the subsidiaries, over the net assets at the time of acquisition of shares in the subsidiaries is recognised in the financial statements as Goodwill or Capital Reserve, as the case may be.
3. The difference between the proceeds from disposal of investment in subsidiaries and the carrying amount of its assets less liabilities as of the date of disposal is recognised in the consolidated Statement of Profit and Loss being the profit or loss on disposal of investment in subsidiary.
4. Minority Interest’s share of net profit of consolidated subsidiary for the year is identified and adjusted against the income of the group in order to arrive at the net income attributable to shareholders of the Company.
5. Minority Interest’s share of net assets of consolidated subsidiary is identified and presented in the consolidated balance sheet separate from liabilities and the equity of the Company’s shareholders.
6. Investment in Associate Companies has been accounted under the equity method as per Accounting Standard (AS) 23 - “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements”.
7. The Company accounts for its share in

change in net assets of the associates, post-acquisition, after eliminating unrealised profits and losses resulting from transactions between the Company and its associates to the extent of its share, through its Statement of Profit and Loss to the extent such change is attributable to the associates’ Profit or Loss through its reserves for the balance, based on available information.

8. The difference between the cost of investment in the associates and the share of net assets at the time of acquisition of shares in the associates is identified in the financial statements as Goodwill or Capital Reserve as the case may be.
9. As far as possible, the consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances and are presented in the same manner as the Company’s separate financial statements, except for the India International Insurance Pte Ltd an associate have been prepared in accordance with Singapore Financial Reporting Standards (FRS) as required by the Singapore Companies Act, Cap. 50. As compared to Accounting policy of the company the material difference are with respect to;
 - a) Reserves for unexpired risks, the accounting policy followed by Associate
Reserves for unexpired risks comprise the sum of unearned premium reserves and premium deficiency reserves. Premium deficiency reserves are derived using actuarial methods on loss statistics and are recognised when the expected value of claims and expenses attributable to the unexpired periods of policies in force at the balance sheet date for any line of business exceeds the unearned premium reserves.

अनर्जित प्रीमियम रिजर्व की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाती है:

- (i) मरीन कार्गो के अलावा व्यवसाय के सभी प्रत्यक्ष और ऐच्छिक पुनर्बीमा वर्गों के लिए 365 वीं विधि, जिसके लिए 25% लागू है;
- (ii) मरीन कार्गो के अलावा ट्रीटी पुनर्बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों के मामले में, प्रीमियम का 40% और मरीन कार्गो के लिए, प्रीमियम का 25%; और
- (iii) समुद्री कार्गो को छोड़कर, प्रत्यक्ष और वैकल्पिक पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में गणना में वास्तविक अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाता है।

ब) आस्थगित अधिग्रहण लागत

वित्तीय अवधि के दौरान किए गए कमीशन और अन्य अधिग्रहण लागत जो नए बीमा अनुबंधों को सुरक्षित करने और/या मौजूदा बीमा अनुबंधों को नवीनीकृत करने के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन जो बाद की वित्तीय अवधियों से संबंधित होती हैं, उन्हें इस हद तक स्थगित कर दिया जाता है कि वे भविष्य के राजस्व मार्जिन से पुनर्प्राप्त किए जा सकते हैं। आस्थगित अधिग्रहण लागत (डीएसी) की गणना वास्तविक कमीशन पर 365वीं पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अन्य सभी अधिग्रहण लागतें व्यय होने पर व्यय के रूप में विहित की जाती हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक क्षति समीक्षा की जाती है और, यदि आवश्यक हो, तो वहन मूल्य को वसूली योग्य राशि में अवलेखित किया जाता है।

स) परिचालन पट्टे और वित्तीय पट्टे के लेखांकन के बीच के अंतर हटा दिया गया है। उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति और पट्टा दायित्व को पट्टा प्रारंभ तिथि पर मान्यता दी जाती है।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें पट्टे पर दी गई देनदारी की प्रारंभिक राशि शामिल होती है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को बाद में प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत और पट्टे की अवधि के अंत तक सीधी-रेखा विधि का उपयोग करके मूल्यहास किया जाता है।

लीज देनदारी को प्रारंभ में लीज भुगतान के उस वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिसका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी गई।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को वित्तीय स्थिति के विवरण में अन्य परिसंपत्तियों में और पट्टे की देनदारियों को मअन्य देनदारियों में मान्यता दी गई है।

मशीनरी के अल्पावधि पट्टों के मामले में जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने या उससे कम है और कम मूल्य वाली संपत्तियों के पट्टे, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टा देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है। इन पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान सीधी-रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

10. समेकन में उपयोग की गई सहायक कंपनी और सहयोगियों के वित्तीय विवरण कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि यानी 31 मार्च, 2023 तक ही तैयार किए जाते हैं, सिवाय इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड को छोड़कर, एक सहयोगी जिसके लिए रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किया गया है।

ब. समेकन में शामिल सहायक कंपनी और सहयोगियों की सूची और उनमें कंपनी की हिस्सेदारी इस प्रकार है:

| कंपनी का नाम | स्वामित्व % में | निगमन का देश |
|---|-----------------|--------------|
| सहायक कंपनी | | |
| जेनीथ सेक्यूरिटीय एंड इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड | 69.45% | भारत |
| सहयोगी | | |
| इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड | 20.00% | सिंगापुर |
| हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ़ इंडिया लिमिटेड | 23.75% | भारत |

The unearned premium reserves are computed on the following basis:

- (i) 365th method for all direct and facultative reinsurance classes of business other than marine cargo, for which 25% is applicable;
- (ii) in the case of all classes of treaty reinsurance business, other than marine cargo, 40% of the premiums and for marine cargo, 25% of the premiums; and
- (iii) the actual acquisition cost is taken into account in the computation in respect of direct and facultative reinsurance business, except for marine cargo.

b) Deferred acquisition costs

Commission and other acquisition costs incurred during the financial period that vary with and are related to securing new insurance contracts and/or renewing existing insurance contracts, but which relates to subsequent financial periods, are deferred to the extent that they are recoverable out of future revenue margins. Deferred acquisition costs (“DAC”) are calculated using the 365th method on actual commission. All other acquisition costs are recognised as an expense when incurred.

An impairment review is performed at each reporting date and, if required, the carrying value is written down to the recoverable amount.

c) The distinction between accounting of Operating Lease and Financial Lease has been removed. A right-of-use

asset and a lease liability is recognized at the lease commencement date.

The right-of-use asset is initially measured at cost, comprising the initial amount of the leased liability. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-to-use asset and the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the Company’s incremental borrowing rate.

The right-of-use asset is recognized in ‘other assets’ and lease liabilities in ‘other liabilities’ in the Statement of Financial Position.

In case of short term leases of machinery that have lease term of 12 months or less and leases of low-value assets, right-of-use assets and lease liabilities are not recognized. These lease payments are recognized as expense on straight-line basis over the lease term.

- 10. The financial statements of the subsidiary and associates used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Company i.e. 31st March, 2023, except for the India International Insurance Pte Ltd an associate for which financial statements as on reporting date are not available. These have been consolidated based on latest available financial statements.

B. The list of subsidiary company, and associates which are included in the consolidation and the company holdings therein are as under:

| Name of the Company | Ownership in % | Country of Incorporation |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Subsidiary company | | |
| Zenith securities and Investments Ltd | 69.45% | India |
| Associates | | |
| India International Insurance Pte Ltd | 20.00% | Singapore |
| Health Insurance TPA of India Limited | 23.75% | India |

2. लेखांकन सभागम:

- 2.1 वित्तीय विवरण इतिहासपरक लागत सभागम के तहत भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश / परिपत्र / अधिसूचना द्वारा निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
- 2.2 केश फ्लो स्टेटमेंट भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अनुसार प्रत्यक्ष पद्धति पर तैयार किया जाता है।

3. अनुमानों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार संपत्ति, देनदारियों, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। संलग्न वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं।

4. अंशधारकों/ पॉलिसीधारकों की निधी:

- 4.1. अंशधारकों के निधि में अंश पूंजी के साथ-साथ सभी रिजर्व और अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व और उचित मूल्य परिवर्तन खाते को छोड़कर) संचित घाटे और विविध व्यय को उस सीमा तक शामिल किया जाता है जिसे बैलेंस शीट की तारीख में बड़े खाते में नहीं डाला गया है।
- 4.2. पॉलिसीधारकों के फ्रंड में शामिल हैं:
- क) बकाया दावे जिनमें उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया (आईबीएनआर) और उपगत लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किया गया (आईबीएनईआर);
- बी) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व;
- ग) प्रीमियम न्यूनता रिजर्व; यदि कोई
- घ) आपदा रिजर्व, यदि कोई हो; और
- ई) अन्य परिसंपत्तियों को शामिल करके अन्य देनदारियाँ

उपरोक्त बिंदु (ई) में अन्य देनदारियों में शामिल हैं (i) अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम (ii) अनावंटित प्रीमियम (iii) अन्य बीमा कंपनियों के कारण शेष राशि (iv) पूल के अन्य सदस्यों जैसे कि तृतीय पक्ष पूल के कारण; आतंकवाद पूल; आदि (v) विविध लेनदार (पॉलिसीधारकों के लिये)।

उपरोक्त बिंदु (ई) में अन्य परिसंपत्तियों में शामिल हैं (i) बकाया प्रीमियम (ii) पुनर्बीमाकर्ताओं सहित बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं से देय (iii) तृतीय पक्ष पूल जैसे पूल के साथ शेष राशि; आतंकवाद पूल; इत्यादि।

5. प्रीमियम :

5.1 प्रत्यक्ष व्यवसाय :

- 5.1.1 लंबी अवधि (एक वर्ष से अधिक की अवधि वाले) मोटर बीमा पॉलिसियों को छोड़कर प्रीमियम आय को जोखिम की धारणा पर मान्यता दी गई है।
- 5.1.2 लंबी अवधि की मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में, तृतीय पक्ष के कवरेज के लिए प्राप्त प्रीमियम (वस्तु एवं सेवा कर का शुद्ध) को 1/n आधार पर जोखिम के प्रारंभ में पॉलिसी अवधि के दौरान समान रूप से मान्यता दी गई है, जहां एन पॉलिसी की अवधि की वर्षों को दर्शाता है। स्व: क्षति कवरेज के लिए प्राप्त प्रीमियम को बीमाकृत घोषित मूल्य (आईडीवी) के अनुपात में साल-दर-साल आधार पर मान्यता दी जाती है।
- 5.1.3 उन पॉलिसियों के मामले में जहां भुगतान किस्तों में प्राप्त होता है, वहाँ पर राजस्व किस्त प्राप्त होने पर मान्य किया जाता है।
- 5.1.4 फ्रंसल बीमा के संबंध में, प्रीमियम के किसान वाले हिस्से की प्राप्ति पर प्रीमियम का हिसाब किया जाता है और संबंधित सरकारी हिस्से का हिसाब देय आधार पर किया जाता है।
- 5.1.5 प्रीमियम की वसूली होने पर पुनर्स्थापन प्रीमियम का हिसाब लगाया जाता है।
- 5.1.6 अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम उस वर्ष के दौरान जारी पॉलिसियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम को प्रदर्शित करता है तथा जहां बैलेंस शीट की तारीख के बाद जोखिम आरंभ होता है। इसके अलावा, लंबी अवधि की मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में, बाद के वर्षों में मान्य किये जाने योग्य प्रीमियम को अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम माना जाता है।
- 5.1.7 अर्जित प्रीमियम को सकल आधार पर 1/365 विधि के आधार पर जोखिम की अवधि या पॉलिसी अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है। किस्त प्रीमियम को शेष पॉलिसी अवधि में मान्यता दी जाती है। प्रीमियम में बाद में कोई भी संशोधन जब भी होता है, उसे जोखिम की शेष अवधि या लागू होने वाली पॉलिसी अवधि में मान्यता दी जाती है।

2. ACCOUNTING CONVENTION:

- 2.1 The financial statements are prepared under the historical cost convention in accordance with the accounting principles prescribed by The Insurance Regulatory and Development Authority Of India (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, Orders / Circulars / Notifications issued by Insurance Regulatory and Development Authority Of India (IRDAI) from time to time.
- 2.2 Cash flow statement is prepared on Direct method as per Insurance Regulatory and Development Authority of India (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

3. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, revenue and expenses and disclosure of contingent liabilities as of the date of the financial statements. The estimates and assumptions used in the accompanying financial statements are based upon the management's evaluation of the relevant facts and circumstances as of the date of the financial statements. Actual results may differ from estimates and assumptions used in preparing these financial statements.

4. SHAREHOLDERS'/POLICYHOLDERS' FUNDS:

- 4.1 Shareholders' funds consists of Share Capital plus all Reserves and Surplus (except Revaluation reserve and fair value change account) net of accumulated losses and Miscellaneous expenditure to the extent not written off as at the balance sheet date.
- 4.2 Policyholders' funds consists of:
- Outstanding claims including Incurred but not Reported (IBNR) and Incurred but not enough reported (IBNER);
 - Unearned Premium Reserve;
 - Premium Deficiency Reserve; if any
 - Catastrophe Reserve, if any; and
 - Other Liabilities net of Other Assets

Other Liabilities in point (e) above, comprise of (i) Premium received in advance (ii) Unallocated premium (iii) Balance due to Other Insurance companies (iv)

Due to other members of a pool such as third party pool; Terrorism pool; etc (v) Sundry creditors (due to policyholders).

Other Assets in point (e) above, comprise of (i) Outstanding premium (ii) due from other entities carrying on insurance business including Re insurers (iii) balance with Pool such as Third Party Pool; Terrorism Pool; etc.

5. PREMIUM:

5.1 Direct Business:

- 5.1.1 Premium Income other than for long term (with term More than one year) Motor Insurance policies is recognized on assumption of risk.
- 5.1.2 In case of Long term Motor Insurance Policies, Premium received (net of Goods & Services Tax) for third party coverage is recognized equally over the policy period at the commencement of risk on 1/n basis where n denotes the term of the policy in years. Premium received for own damage coverage is recognised on a year to year basis in proportion to the insured declared value (IDV).
- 5.1.3 In the case of Policies where payments are received in instalment revenue is recognised on receipt of instalment
- 5.1.4 In respect of Crop Insurance, Premium is accounted upon receipt of farmer share of premium and corresponding government share is accounted on due basis
- 5.1.5 Reinstatement premium is accounted as and when the premium is recovered
- 5.1.6 Premium received in Advance represents premium received in respect of policies issued during the year where the risk commences subsequent to the balance sheet date. Further in case of long term motor insurance policies, premium recognizable in subsequent years is treated as premium received in advance.
- 5.1.7 Premium earned is recognised as income over the period of risk or the policy period based on 1/365 method on gross basis. The Instalment premium are recognised over the balance policy period. Any subsequent revisions to premium as and when they occur are recognised over the remaining period of risk or policy period as applicable.

- 5.1.8 पॉलिसी रद्द करने पर उत्पन्न होने वाली प्रीमियम आय का समायोजन उसी अवधि में मान्यता दिया जाता है जिसमें इसे रद्द किया गया है
- 5.1.9 फ्री-लुक अवधि सहित प्रीमियम रिफंड का हिसाब वर्ष के दौरान पारित पृष्ठांकन के आधार पर किया जाता है।
- 5.1.10 प्रत्येक खंड के लिए अनर्जित प्रीमियम के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, जो समय विभाजन के आधार पर या जोखिम की अवधि, जो भी उचित हो, की गणना के बाद आने वाली लेखांकन अवधि के लिए मान्यता प्राप्त प्रीमियम के उस हिस्से का प्रदर्शित करता है। यह नीचे दिए गए ५.३ के अनुसार गणना की गई असमाप्त जोखिम आरक्षित का हिस्सा है।

5.2 पुनर्बीमा :

- 5.2.1 प्रीमियम आय की मान्यता 31 मार्च तक विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों से प्राप्त रिटर्न/एडवाइज के आधार पर की जाती है।
- 5.2.2 भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में प्रीमियम आय की मान्यता संबंधित लेखा वर्ष के खातों को अंतिम रूप देने तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर की जाती है। जहां भी खातों को अंतिम रूप देने तक रिटर्न प्राप्त नहीं होता है, वहाँ उसका अनुमान लगाया गया है।
- 5.2.3 सेशंस पर प्रीमियम को परिचालन कार्यालयों द्वारा बीमालेखन किए गए प्रीमियम के आधार पर मान्यता दी जाती है। जहां भी पूर्ण तकनीकी विवरण उपलब्ध नहीं है, वहां उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुनर्बीमा सेशंस का अनुमान लगाया जाता है।
- 5.2.4 पूल स्वीकृतियां/सेशंस: आतंकवाद पूल रेट्रो/परम एणु पूल के संबंध में प्रीमियम, दावे, सेवा शुल्क, निवेश आय और व्यय का हिसाब जीआईसी (पूल प्रशासक) से प्राप्त बयानों के अनुसार किया जाता है। जहां भी विवरण प्राप्त नहीं होते हैं, उसका अनुमान लगाया जाता है और हिसाब लगाया जाता है। आतंकवाद पूल/परमाणु पूल के संबंध में हमारे सेशंस के प्रीमियम, दावे, सेवा शुल्क और व्ययों का हिसाब 31 मार्च तक किया जाता है।

5.3 असमाप्त जोखिम के लिये रिजर्व:

असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम में कमी रिजर्व शामिल हैं।

i) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व(यूपीआर):

अनर्जित प्रीमियम रिजर्व की गणना निम्नानुसार की जाती है:

ए) समुद्री हल: पिछले बारह महीनों के दौरान शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100%

अ) अन्य सभी खंडों के संबंध में: 1/365 पद्धति के आधार पर समय विभाजन के आधार पर या संबंधित पॉलिसियों के लिए जोखिम की अवधि के आधार पर, जो भी उचित हो।

(ii) प्रीमियम कमी का रिजर्व:

प्रीमियम कमी की गणना तब की जाती है जब अपेक्षित दावा लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत का योग संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक हो जाता है आईआरडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम कमी को मान्यता दी जाती है

6. दावे:

6.1 प्रत्यक्ष व्यवसाय:

अ. सूचना प्राप्त होती ही दावों को मान्य किया जाता है।

ब. विनिमय में उतार-चढ़ाव, लाभ/हानि सहित दावों से सीधे तौर पर जुड़े सभी व्ययों को दावों के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है।

स. वर्ष अंत में लंबित दावे:-

- वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देनदारी सर्वेक्षण रिपोर्ट, लीडर की एडवाइज, पिछले अनुभव, अन्य लागू कानूनों, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और खातों को अंतिम रूप देने की तारीख तक अन्य स्रोतों के आधार पर प्रदान की जाती है।
- एक वर्ष से अधिक समय से बकाया अज्ञात मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में, अनुमानित देनदारी के 100% की दर से प्रावधान किया गया है। अन्य मामलों में अनुमानित देनदारी के 1/3 की दर से प्रावधान किया जाता है।

6.2 पुनर्बीमा :

अ. सूचना प्राप्त होती ही दावों को मान्य किया जाता है।

ब. आवक स्वीकृतियों (भारतीय) के संबंध में बकाया दावों की देनदारी खातों को अंतिम रूप देने तक प्राप्त रिटर्न पर आधारित है। आवक स्वीकृतियों (विदेशी) के संबंध में बकाया दावों की देनदारी 31 मार्च तक प्राप्त रिटर्न पर आधारित है। जहां भी खातों को अंतिम रूप देने तक रिटर्न प्राप्त नहीं होता है, उसका अनुमान बीमांकिक मूल्यांकन पर लगाया गया है।

6.3 आईबीएनआर/आईबीएनईआर :

उपगत दावे लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) और उपगत लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं।

- 5.1.8 Adjustment to Premium Income arising on cancellation of policy are recognised in the period in which it is cancelled.
- 5.1.9 Premium refunds including for the free-look period are accounted on the basis of endorsements passed during the year.
- 5.1.10 A reserve for unearned premium for each segment representing that part of the recognised premium attributable to the succeeding accounting periods calculated on time apportionment basis or the period of risk, whichever is appropriate is created. This forms part of unexpired risk reserve calculated as per 5.3 below

5.2 Reinsurance:

- 5.2.1 Premium income is recognized based on the returns/advices received from foreign reinsurance companies received upto 31st March.
- 5.2.2 Premium Income in respect of Indian Reinsurers is recognized based on returns received upto finalization of accounts of the relevant accounting year. Wherever returns are not received upto finalization of accounts, the same has been estimated.
- 5.2.3 Premium on cessions are recognized on the basis of the premium underwritten by the operating offices. Wherever full technical particulars are not available, reinsurance cessions are estimated on the basis of information available.
- 5.2.4 Pool Acceptances/ Cessions: Premium, Claims, Service charges, Investment income and expenses in respect of Terrorism Pool Retro / Nuclear Pool are accounted as per the statements received from GIC (Pool Administrator). Wherever statements are not received, the same is estimated and accounted for. Premium, Claims, Service charges and expenses of our cessions in respect of Terrorism Pool / Nuclear Pool are accounted up to 31st March.

5.3 Reserve for Unexpired Risk:

Reserve for Unexpired Risk comprises of Unearned Premium Reserve and Premium Deficiency Reserve.

i) Unearned Premium Reserve (UPR):

Unearned Premium Reserve is computed as under

a) Marine Hull: 100% of the Net Written

Premium during the preceding Twelve Months

b) In respect of all other Segments: on the Basis of 1/365 method on time apportionment basis or period of risk basis for the respective policies, whichever is appropriate.

(ii) Premium Deficiency Reserve:

Premium Deficiency is calculated where the sum of expected claim costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium. The premium Deficiency is recognised as per IRDAI guidelines.

6. CLAIMS:

6.1 Direct Business:

- a. Claims are recognized as and when intimated
- b. All expenses directly attributable to claims including exchange fluctuations gains / losses are accounted as part of claims.
- c. Outstanding claims at the year-end:-
- Estimated Liability for outstanding claims at the year end are provided on the basis of survey reports, advices of Leaders, past experience, other applicable laws, information provided by clients and other sources upto the date of finalization of accounts.
 - In respect of unidentified motor third party claims outstanding for more than one year, provision is made at the rate of 100% of the estimated liability. In other cases provision is made at the rate of 1/3rd of the estimated liability.

6.2 Reinsurance:

- a. Claims are recognized as and when intimated.
- b. Liability for outstanding claims in respect of Inward Acceptances (Indian) is based on returns received up to finalization of accounts. Liability for outstanding claims in respect of Inward Acceptances (Foreign) is based on returns received up to 31st March. Wherever returns are not received upto finalization of accounts, the same has been estimated on actuarial valuation.

6.3 IBNR/IBNER:

Claims Incurred But Not Reported (IBNR) and Incurred But Not Enough Reported (IBNER) is made on the basis of actuarial valuation.

6.4 सक्षित संपत्तियाँ और दावा संबंधी वसूलियाँ:

दावों के तहत वसूली और सक्षित संपत्तियों के निपटान का हिसाब वसूली पर लगाया जाता है और दावों में जमा किया जाता है।

7. प्रबंधन का व्यय:

7.1 व्ययों का विभाजन:

प्रबंधन के व्ययों को सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और स्वीकृत पुनर्बीमा के आधार पर राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है, जिसमें समुद्री व्यवसाय के लिए 75% और अग्नि और विविध व्यवसाय के लिए 100% का भार दिया जाता है। पॉलिसी स्टाम्प और पुनर्बीमा से संबंधित व्यय सीधे संबंधित राजस्व खातों में ले जाया जाता है। निवेश से संबंधित व्यय, जैसे सुरक्षित अभिरक्षा, ब्याज/लाभांश का संग्रह, बैंक शुल्क आदि, को बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के निधि के आधार पर राजस्व खातों और लाभ और हानि खाते के बीच विभाजित किया जाता है।

7.1.1 पॉलिसीधारकों की शेष राशि से संबंधित विविध क्रेडिट शेष को वापस लाभ और हानि खाते में लिखा जाता है।

7.2 मूल्य ह्रास :

अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर लिखित मूल्य पद्धति पर लगाया जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के अनुसार मूल लागत के 5% तक अवशिष्ट मूल्य पर विचार किया जाता है, नई वाहन योजना 2011 के तहत कवर की गई मोटर कारों के मामले को छोड़कर, जिसके लिए अपनाया गया उपयोगी जीवन 5 वर्ष हैं।

7.2.1 लीज होल्ड संपत्तियों की लागत का परिशोधन, पट्टे की अवधि या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के अनुसार संपत्ति के उपयोगी जीवन के दौरान, जो भी कम हो, किया जाता है।

7.3 कर्मचारी लाभ :

7.3.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

7.3.2 सेवाकाल-पश्चात लाभ योजनाएं:

परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के भुगतान पर देय होने पर व्यय के रूप में शुल्क लिया जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लिए लाभ और हानि खाते में पूर्ण रूप से मान्य किया जाता है, जिसमें वे घटित होते हैं। पिछली सेवा लागत को उस सीमा तक तुरंत मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभ पहले से ही निहित नहीं हो जाते हैं, और अन्यथा लाभ निहित होने तक औसत अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है।

8. विदेशी मुद्राओं का अंतरण/ रूपांतरण:

8.1 आय और व्यय की वस्तुएं, विदेशी शाखा की बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार मौद्रिक आइटम और भारतीय परिचालन में विदेशी मुद्रा व्यवहार का अंतरण निम्नानुसार किया गया है:

8.1.1 लेन-देन की तिथि पर प्रचलित दरों पर आय और व्यय का व्यवहार

8.1.2 तुलन पत्र की तिथि पर मौद्रिक मदों को उस तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विदेशी शाखा (गैर-अभिन्न) से संबंधित शेष राशि के अनुवाद के कारण विनिमय अंतर को परिचालन बंद होने तक विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व में जमा किया जाता है। इस गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन के बंद होने पर, स्थगित किए गए विनिमय अंतर की संचयी राशि को ऐसे समापन के वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

8.3 भारतीय परिचालन में विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले अनुवाद में अंतर को प्रासंगिक राजस्व खातों / लाभ और हानि खाते में लागू माना जाता है।

9. ऋण । निवेश:

9.1. शेयरों, बांडों और डिबेंचर की खरीद और बिक्री का हिसाब अनुबंध की तारीख (व्यापार तिथि) पर किया जाता है।

9.2. निवेश की लागत में प्रतिभूति लेनदेन कर (जहां भी लागू हो), अधिग्रहण पर प्रीमियम और निवेश के अधिग्रहण के लिए किए गए अन्य प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं और यह उस पर अर्जित कमीशन/ शुल्क को छोड़कर है। इक्विटी के संबंध में ब्रोकरेज और प्रतिभूति लेनदेन कर को कम करने के बाद शुद्ध बिक्री पर विचार किया जाता है।

9.3. इक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड में निवेश को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो निवेश बैलेंस शीट की तारीख से 92 महीने के भीतर प्रदर्शन और परिपक्व हो रहे हैं उन्हें अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैर-निष्पादित निवेश सहित अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.4 Salvage and Claim related Recoveries:

Recoveries under claims and disposal of salvage are accounted on realisation and are credited to claims.

7. EXPENSES OF MANAGEMENT:

7.1 Apportionment of expenses:

Expenses of Management are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of gross direct premium plus reinsurance accepted, giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business. Expenses relating to policy stamps and reinsurance are directly taken to respective Revenue Accounts. Expenses relating to Investment, such as safe custody, collection of interest/dividend, bank charges etc., are apportioned between Revenue Accounts and Profit and loss Account based on policyholders' and shareholders' funds as on the Balance Sheet date.

7.1.1 Sundry credit balances not pertaining to policyholders' balances are written back to profit and loss account.

7.2 Depreciation:

Depreciation on fixed assets is charged on written down value method based on useful life of the Assets and considering residual value upto 5% of original cost as per Schedule II to the Companies Act, 2013, except in case of Motor Cars covered under New Conveyance Scheme 2011, for which useful life adopted is 5 years.

7.2.1 Cost of Lease Hold properties is amortized over the period of lease or useful life of the asset, as per Schedule II to the Companies Act, 2013, whichever is shorter .

7.3 Employee Benefits:

7.3.1 Short-term employee benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

7.3.2 Post –Employment benefit Plans:

Payments to defined contribution retirement benefit schemes are charged as an expense as they fall due.

For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with

actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognized in full in the Profit and Loss account for the period in which they occur. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

8. TRANSLATION/CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES:

8.1 Items of income and expenditure, Monetary items as at the Balance Sheet date of foreign branch and foreign currency transactions in Indian operations are translated as under:

8.1.1 Items of income and expenditure at the rates prevailing on the date of transaction.

8.1.2 Monetary items as at the Balance Sheet date are converted at the exchange rates prevailing at that date.

8.2 Exchange differences on account of translation of the balances relating to foreign branch (non-integral) is accumulated in a Foreign Currency Translation Reserve until the closure of the operation. On the closure of this non-integral foreign operation, the cumulative amount of the exchange differences which have been deferred will be recognized as income or as expenses in the year of such closure.

8.3 The difference in translation arising out of foreign currency transaction in Indian operations is recognized in the relevant Revenue accounts / Profit and Loss Account as applicable.

9. LOANS & INVESTMENT:

9.1 Purchase and sale of shares, bonds & debentures are accounted for on the date of contract (trade date).

9.2 The cost of investment includes Securities Transaction Tax (wherever applicable), premium on acquisition and other direct expenses incurred for the acquisition of the investment and is net of commission / fee earned thereon. The net sale consideration is arrived at after reducing brokerage and Securities Transaction Tax in respect of equity.

9.3 Investments in Equity Shares and Venture Capital Funds are classified as Long term Investments. Investments which are performing and maturing within 12months from the Balance Sheet date

9.4. मुद्रा बाजार के इंस्ट्रुमेंट जैसे जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और सीबीएलओ (टीआरईपी) जिन पर अनुबंध के समय छूट दी जाती है, उनका हिसाब उनके रियायती मूल्य पर किया जाता है।

9.5 सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय वरीयता शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को परिशोधन के अधीन लागत पर दिखाया जाता है। भारत औसत लागत के आधार पर प्रीमियम को उपकरण की नवीनतम खरीद की तारीख से परिपक्वता की शेष अवधि तक की अवधि के लिए, पुट/कॉल विकल्प, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए परिशोधित किया जाता है।

9.6. सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाता है। हालाँकि, किसी भी स्टॉक के एनएसई में सूचीबद्ध नहीं होने/कारोबार नहीं होने की स्थिति में, इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार बीएसई (सेकेंडरी एक्सचेंज) में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के आधार पर किया जाएगा। भारत के बाहर की कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, जो उद्धृत और सक्रिय रूप से कारोबार किया जाता है, का मूल्यांकन बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अंतिम उद्धृत मूल्य पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते-शेयरधारकों/पॉलिसी धारकों में मान्य किया जाता है।

अ. नवीनतम एनएवी अनुपलब्धता के मामले में:

| | प्रावधान: जहाँ एनएवी < बही मूल्य से | प्रावधान: जहाँ एनएवी > बही मूल्य से |
|----------------|--|--|
| 1 वर्ष तक | बही मूल्य और एनएवी के बीच अंतर | शून्य |
| 2 वर्ष तक | बही मूल्य और एनएवी के बीच अंतर या बही मूल्य का 10% जो भी अधिक हो | बही मूल्य का 10% |
| 3 वर्ष तक | बही मूल्य और एनएवी के बीच अंतर या बही मूल्य का 20% जो भी अधिक हो | बही मूल्य का 20% |
| 4 वर्ष तक | बही मूल्य और एनएवी के बीच अंतर या बही मूल्य का 50% जो भी अधिक हो | बही मूल्य का 50% |
| 4 वर्ष से अधिक | बही मूल्य का 100% | बही मूल्य का 100% |

ब. निधि की मियाद (विस्तार सहित)

| | प्रावधान |
|--|------------------------------|
| निधि की मियादी की समाप्ति पर (अर्थात् मूल मियादी या यथा विस्तारित मियादी) 18 महीने तक | उपरोक्त अ के अनुसार प्रावधान |
| 18 माह पश्चात | 100% |

9.7. भारत के बाहर निगमित कंपनियों में रखे गए शेयरों सहित असूचीबद्ध / कम कारोबार वाले इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और जब ब्रेक-अप मूल्य लागत से कम होता है तो ऐसे निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान किया जाता है। यदि ब्रेक-अप मूल्य नकारात्मक है, तो बुक वैल्यू के 100% की दर से प्रावधान किया जाता है।

9.8. अ) म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन फंड द्वारा घोषित बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर किया जाता है और अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते-शेयरधारकों/पॉलिसी धारकों में मान्यता दी जाती है।

ब) कैपिटल फंड्स / वैकल्पिक निवेश फंड्स (वीसीएफ/एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है जहां बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य लागत से कम है। जहां भी बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य उपलब्ध नहीं है या जहां फंड की अवधि समाप्त हो गई है, वहां बुक वैल्यू पर निम्नलिखित तरीके से प्रावधान किया गया है:

are classified as Short Term Investments. All other investments including Non-Performing Investments are classified as Long term Investments.

- 9.4 Money market instruments such as Certificate of Deposit, Commercial Papers and CBLO (TREP) which are discounted at the time of contract, are accounted at their discounted value.
- 9.5 Investments in debt securities including Government Securities and redeemable Preference Shares are shown at cost subject to amortization. The premium, based on weighted average cost is amortized for the period from the date of latest purchase of the instrument till the residual period of maturity, considering put/ call option, if any.
- 9.6 Investments in Equity shares that are actively traded are valued at last quoted closing price on NSE (Primary Exchange) as on the Balance Sheet date. However, in case of any stock not being listed/not traded in NSE, Equity shares will be valued based on last quoted closing price in BSE(Secondary Exchange) as on the Balance Sheet date. Investments in Equity shares of companies outside India that are quoted and actively traded are valued at last quoted price at London Stock Exchange as on the Balance

Sheet date. The unrealized gains / losses are recognized in Fair Value Change account -Shareholders/Policy Holders.

- 9.7 Investments in Unlisted / Thinly traded equity shares including shares held in companies incorporated outside India are valued at cost and provision is made for diminution in value of such investments when break-up value is lower than the cost. In case the break-up value is negative, provision is made @ 100% of book value.
- 9.8 a) Investment in units of Mutual funds, are valued at Net Asset Value as at the Balance Sheet date as declared by the funds and unrealized gains / losses are recognized in Fair Value Change account -Shareholders/ Policy Holders.
- b) Investments in Venture Capital Funds/ Alternative Investment Funds (VCF/AIF) are valued at Cost. Provision is made for diminution in value of such investments where Net Asset Value as at the Balance Sheet date is lower than cost. Wherever the Net Asset Value as on Balance Sheet date is not available or where the term of the fund has expired, provision is made on the Book Value in the following manner:

A. In case of Non-availability of Latest NAV:

| | Provision: Where NAV < Book Value | Provision: Where NAV > Book Value |
|--------------|--|---|
| Upto 1 yr. | Difference between Book Value and NAV | Nil |
| Upto 2yrs | Difference between Book Value and NAV or 10% of Book Value whichever is higher | 10% of Book Value |
| Upto 3yrs | Difference between Book Value and NAV or 20% of Book Value whichever is higher | 20% of Book Value |
| Upto 4yrs | Difference between Book Value and NAV or 50% of Book Value whichever is higher | 50% of Book Value |
| Above 4 yrs. | 100% of Book Value | 100% of Book Value |

B. Term of Fund (Including Extension)

| | Provision |
|---|-------------------------|
| On expiry of term(i.e.original term or term as extended) of fund upto 18 months | Provision as in A above |
| After 18 months | 100% |

9.9. नुकसान

9.9.1. नुकसान को उन कंपनियों के इक्विटी शेयरों के संबंध में मान्यता दी गई है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार घाटे में रहे हैं और जिनकी पूंजी आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गई है, या जहां पिछले तीन वर्षों के लिए ऑडिट किए गए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं।

9.9.2. निवेश निम्नानुसार अवलेखित किये गए हैं:

1. इक्विटी शेयर, जिनका सक्रिय रूप से कारोबार किया जाता है, उनके बाजार मूल्य पर अवलेखित किये जाते हैं।
2. सक्रिय कारोबार के अलावा अन्य इक्विटी शेयरों को ब्रेक अप मूल्य पर अवलेखित किया जाता है और जहां ब्रेक अप मूल्य नकारात्मक होता है, उन्हें प्रति कंपनी 1 रुपये तक अवलेखित किया जाता है।

9.9.2.1 नुकसान के हानि का कोई भी उलटाव, जिसे पहले राजस्व/लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी गई थी,

अ) सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के संबंध में, राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी

i. यदि संचित घाटा पूरी तरह समाप्त हो जाए और

ii. कंपनी ने ठीक पिछले तीन वर्षों में शुद्ध लाभ दिखाया है।

ब) सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के अलावा अन्य के संबंध में, वसूली पर राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

9.9.3. कंपनी परिसंपत्ति वर्गीकरण, आय की पहचान और ऋण/अग्रिम/डिबेंचर से संबंधित प्रावधान के संबंध में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण/संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करती है।

9.9.4. प्रिफरेंस शेयरों के संबंध में, 100% की सीमा तक स्थायी कमी का प्रावधान किया गया है।

अ. परिपक्वता लाभांश का भुगतान लगातार तीन वर्षों तक नहीं किया जाता है (या)

ब. कंपनी को पिछले तीन वर्षों में घाटा हुआ है और

उसकी पूंजी आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गई है (या)

स. जहां पिछले तीन वर्षों के अंकेक्षित वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं।

9.10. निवेश की प्राप्ति/बिक्री पर लाभ या हानि की गणना प्रत्येक निवेश के भारत औसत बुक वैल्यू को घटाकर की जाती है

9.11. लाभांश आय (अंतरिम लाभांश के अलावा) को घोषणा के वर्ष में आय के रूप में गिना जाता है। अंतरिम लाभांश, भारत के बाहर रखी गई इक्विटी पर लाभांश और प्रेफरेंस शेयरों पर लाभांश का हिसाब प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। शेयरों और डिबेंचर से होने वाली आय, जो आपत्ति/लंबित डिलीवरी के अधीन है, का हिसाब प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

9.12. वेंचर कैपिटल फंड के संबंध में राजस्व की मान्यता प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

9.13. भविष्य में ब्याज की हानि के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि को केवल लेखांकन वर्ष के कारण होने वाली सीमा तक आय के रूप में मान्यता दी जाती है और शेष राशि को संबंधित वर्षों में विभाजन के लिए अग्रिम खाते में प्राप्त ब्याज में रखा जाता है।

9.14. निवेश आय, बिक्री पर लाभ/हानि/निवेश की वसूली, निवेश से संबंधित व्यय, निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन, मूल्यहास निवेश के संबंध में बट्टे खाते में डाली गई/लिखी गई राशि, गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान/मूल्य में कमी को आईआरडीआई विनियमन (परिपत्र IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/20 दिनांक 04 अप्रैल 2016) के अनुसार बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार पॉलिसी धारकों की निधि और शेयर धारकों की निधि के आधार पर राजस्व खातों और लाभ और हानि खाते में विभाजित किया जाता है।

9.15. आईआरडीआई विनियमन (परिपत्र IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 दिनांक 04 अप्रैल, 2016) के अनुसार पॉलिसीधारकों की निधि से किए गए निवेश को बैलेंस शीट की तारीख पर अलग और अलग से प्रकट किया जाता है।

9.9 Impairment

- 9.9.1 Impairment is recognized in respect of Equity shares of companies which have been continuously incurring losses during three immediately preceding years and the capital of which has been partially or fully eroded, or where the audited annual accounts for the three immediately preceding years are not available.
- 9.9.2 Investments are written down as under:
1. Equity shares, which are actively traded, are written down to their market value.
 2. Equity shares other than actively traded, are written down to the break up value and where the break up value is negative, are written down to Re.1/- per company.
- 9.9.2.1 Any reversal of impairment loss, earlier recognized in Revenue/Profit & Loss account,
- a) in respect of Actively Traded Equity shares, shall be recognized in the Revenue/Profit & Loss account
 - i. if the accumulated losses are completely wiped out and
 - ii. The company has shown net profit for three immediately preceding years.
 - b) in respect of other than Actively traded equity shares, shall be recognized in the Revenue/Profit & Loss account, on realization.
- 9.9.3 The Company follows the prudential norms prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority / Related RBI guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans / advances / debentures.
- 9.9.4 In respect of preference shares, provision for permanent diminution is made to the extent of 100%. The permanent diminution is reckoned as follows:
- a. The preference dividend is not paid for three consecutive years (or)
 - b. The maturity proceeds have not been received for three consecutive years (or)
 - c. The company has incurred losses in three immediately preceding years and the capital of which has been partially or fully eroded (or)
 - d. Where the audited annual accounts for the three immediately preceding years are not available.
- 9.10 Profit or Loss on realization / sale of investment is computed by deducting the weighted average book value of each investment.
- 9.11 Dividend income (other than interim dividend) is accounted for as income in the year of declaration. Interim dividends, dividend on Equity held outside India and dividend on Preference Shares are accounted on receipt basis. Income from shares and debentures, which are under objection / pending delivery, is accounted for on receipt basis.
- 9.12 Revenue with respect to Venture Capital Funds is recognized on Receipt basis.
- 9.13 Amounts received towards compensation for future loss of interest is recognized as income only to the extent attributable to the accounting year and the balance is kept in interest received in advance account for apportionment in the relevant years.
- 9.14 Investment income, profit/loss on sale / realization of investment, expenditure relating to investments, amortization of premium on investments, amount written off / written down in respect of depreciated investments, provision for non performing investment / diminution in value are apportioned to Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policy holders' Funds and Share holders' Funds as on the Balance Sheet date as per IRDAI Regulation (Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 dated April 04,2016).
- 9.15 Investments made out of Policyholders' Funds are segregated and disclosed separately as on the Balance Sheet date as per IRDAI Regulation (Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 dated April 04, 2016).

10. अ) अचल संपत्ति:

अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत से संचित मूल्यहास घटाकर बताया गया है। प्रत्यक्ष लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि संपत्ति उपयोग के लिए तैयार न हो जाए। इन लागतों में माल ढुलाई, स्थापना लागत, शुल्क, कर और अन्य आवंटित खर्च शामिल हैं। इसके अलावा, लागत निकालने में किसी भी व्यावसायिक बट्टा और छूट में कटौती की जाती है।

ब) अमूर्त संपत्ति :

अमूर्त संपत्तियों को विकास/अधिग्रहण की लागत से संचित परिशोधन घटाकर बताया गया है। इसका परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर तीन वर्षों की अवधि में किया जाता है। सॉफ्टवेयर विकास/अधिग्रहण लागत, लेखांकन मानक २६ (एएस २६) में निर्धारित मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाली लागतों को छोड़कर, राजस्व में ली जाती है।

11. कराधान

- 11.1 आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात् आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि) और आस्थगित कर शुल्क या क्रेडिट (लेखा आय और अवधि के लिए कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) शामिल हैं। आस्थगित कर शुल्क या क्रेडिट और संबंधित आस्थगित कर देनदारियों या परिसंपत्तियों को उन कर दरों का उपयोग करके मान्य किया जाता है जो बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं।
- 11.2 वर्तमान कर का प्रावधान लागू न्यायिक घोषणाओं और कंपनी के वकील की राय पर उचित विचार के बाद किया जाता है।
- 11.3 कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भविष्य की आयकर देनदारी के समायोजन के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देता है, को एक संपत्ति माना जाता है यदि इस बात का पुख्ता सबूत है कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एमएटी को बैलेंस शीट में एक परिसंपत्ति के

रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभावना होती है कि इससे जुड़ा भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा।

- 11.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब तक कि उचित निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों को भविष्य में बेचा जा सकता है। कराधान कानूनों के तहत अवशोषित मूल्यहास या अग्रेषित हानि के मामले में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां आभासी निश्चितता होती है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों का वसूली हो सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

12. पट्टा शुल्क

पट्टे, जहां पट्टादाता पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी के विकल्प पर सभी लीज समझौते रद्द किए जा सकते हैं।

13. प्रावधान और आकस्मिकताएं (पॉलिसी के तहत दावे के अलावा अन्य दावे)

- 13.1 कंपनी किसी पिछली घटना के वर्तमान दायित्व के लिए एक विश्वसनीय अनुमान के आधार पर प्रावधान बनाती है जो भविष्य में संसाधनों के बहिर्प्रवाह का कारण बन सकती है।
- 13.2 किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व का होना जिसके लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी।
- 13.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

10. a) FIXED ASSETS:

Fixed assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Direct costs are capitalized till the assets are ready to be put to use. These costs include freight, installation costs, duties, taxes and other allocated expenses. Further, any trade discounts and rebates are deducted in arriving at the cost.

b) INTANGIBLE ASSETS:

Intangible Assets are stated at cost of development / acquisition less accumulated amortisation. The same is amortised over a period of three years on straight line basis. Software development / acquisition costs, except those which meet the recognition criteria as laid down in Accounting Standard 26 (AS 26), are charged to revenue.

11. TAXATION

- 11.1 Income tax expense comprises current tax (i.e amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law) and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between the accounting income and taxable income for the period). The deferred tax charge or credit and the corresponding deferred tax liabilities or assets are recognized using the tax rates that have been enacted or substantively enacted as on the balance sheet date.
- 11.2 Provision for current tax is made after due consideration of the applicable judicial pronouncements and opinions from the company's counsel.
- 11.3 Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is

considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognized as an asset in the Balance Sheet when it is probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

- 11.4 Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future. In the case of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only to the extent there is virtual certainty that the deferred tax assets can be realized. Deferred tax assets are reviewed as at each balance sheet date.

12. LEASE CHARGES

Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term. All lease agreements are cancellable at the option of the company.

13. PROVISIONS AND CONTINGENCIES (CLAIMS OTHER THAN THOSE UNDER POLICIES)

- 13.1 The Company creates provision based on a reliable estimate for the present obligation of a past event that might cause outflow of resources in future.
- 13.2 Disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may or may not require an outflow of resources.
- 13.3 Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

II. खातों के लिये टिप्पणियाँ:

1. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव:

1.1 लेखांकन सभागम:

| असमाप्त जोखिमों के लिये रिजर्व | |
|--|--|
| वर्तमान नीति | |
| असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम कमी रिजर्व शामिल हैं। | |
| (i) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर): | |
| अनर्जित प्रीमियम रिजर्व लिखित शुद्ध प्रीमियम के उस हिस्से को प्रदर्शित करने वाली राशि पर बनाया जाता है, जो समुद्री हल व्यवसाय, परमाणु पूल और आतंकवाद (अग्नि और इंजीनियरिंग) के मामले को छोड़कर, शुद्ध प्रीमियम के 50% पर आगामी लेखांकन अवधि के लिए फल स्वरूप माने जाने वाला और आवंटित किया जाता है, जहां यह शुद्ध प्रीमियम के 100% पर रखा जाता है। | |
| (ii) प्रीमियम में कमी का रिजर्व: | |
| प्रीमियम कमी की गणना तब की जाती है जब अपेक्षित दावा लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत का योग संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक हो जाता है। प्रीमियम की कमी को आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार मान्य किया जाता है। | |
| संशोधित नीति | |
| असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम की कमी रिजर्व शामिल है | |
| (i) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर): | |
| अनर्जित प्रीमियम रिजर्व की गणना निम्नानुसार की जाती है | |
| अ) मरीन हल: पिछले बारह महीनों के दौरान शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100% | |
| ब) अन्य सभी खंडों के संबंध में: 1/365 पद्धति के आधार पर समय विभाजन के आधार पर या संबंधित पॉलिसियों के लिए जोखिम की अवधि के आधार पर, जो भी उचित हो। | |
| (ii) प्रीमियम में कमी का रिजर्व: | |
| प्रीमियम कमी की गणना तब की जाती है जब अपेक्षित दावा लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत का योग संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक हो जाता है। आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम की कमी को मान्यता दी जाती है। | |

यूआरआर की गणना के लिए 1/365 पद्धति अपनाए जाने का औचित्य: चूंकि बीमा क्षेत्र द्वारा कुछ वर्षों में इंड एस को क्रियान्वित करने की संभावना है, इसलिए यूआरआर की गणना के लिए 1/365 पद्धति को अपनाया जरूरी समझा गया जो इंड एस के प्रावधानों के अनुरूप है।

परिवर्तन का प्रभाव : 7158685 हजार (रिजर्व निस्तार)

2. समेकित संस्थाओं की सूची और शुद्ध संपत्ति और लाभ/हानि में उनकी संबंधित हिस्सेदारी

| संस्थान का नाम | शुद्ध संपत्तियाँ, अर्थात्., कुल संपत्तियों में घटाया गया कुल देनदारियाँ | | | | लाभ या हानि में हिस्सेदारी | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | समेकित शुद्ध संपत्तियों का % राशि | राशि (₹ हज़ारों में) | समेकित कुल परिसंपत्तियों का % | राशि (₹ हज़ारों में) | समेकित लाभ या हानि का % | राशि (₹ हज़ारों में) | समेकित लाभ या हानि का % | राशि (₹ हज़ारों में) |
| | 2022-23 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2021-22 | |
| मूल: | | | | | | | | |
| युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड | 81.77 | 28245435 | 88.61 | 51463953 | 102.25 | -28766766 | 102.89 | -21649383 |
| सहायक: | | | | | | | | |
| भारतीय | | | | | | | | |
| 1. जेनीथ सेक्यूरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड का अंश | 1.02 | 353585 | 1.15 | 669174 | -2.01 | 564794 | -1.48 | 311340 |
| 2. सहायक में अल्पमत हित | 0.27 | 94859 | 0.52 | 299444 | -0.65 | 182684 | -0.48 | 100697 |

II. NOTES TO ACCOUNTS

1. Impact of change in Accounting Policies:

1.1 Accounting Convention

Reserve for Unexpired Risk

Existing Policy

Reserve for Unexpired Risk comprises of Unearned Premium Reserve and Premium Deficiency Reserve.

(i) Unearned Premium Reserve (UPR):

Unearned Premium Reserve is made on the amount representing that part of net premium written which is attributable to, and allocated to the succeeding accounting periods at 50% of net premium, except in the case of Marine Hull business, Nuclear Pool and Terrorism (Fire and Engineering), where it is made at 100% of net premium.

(ii) Premium Deficiency Reserve:

Premium Deficiency is calculated where the sum of expected claim costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium. The Premium Deficiency is recognised as per IRDAI guidelines.

Revised Policy

Reserve for Unexpired Risk comprises of Unearned Premium Reserve and Premium Deficiency Reserve

(i) Unearned Premium Reserve (UPR):

Unearned Premium Reserve is computed as under

- Marine Hull: 100% of the Net Written Premium during the preceding Twelve Months
- In respect of all other Segments: on the basis of 1/365 method on time apportionment basis or period of risk basis for the respective policies, whichever is appropriate.

(ii) Premium Deficiency Reserve:

Premium Deficiency is calculated where the sum of expected claim costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium. The Premium Deficiency is recognised as per IRDAI guidelines.

Rationale for adopting 1/365 method of calculating URR: As Insurance Sector is likely to implement the Ind AS in a couple of years, it was felt imperative to adopt 1/365 method of calculation of URR which is in alignment to the provisions of Ind AS.

Impact of Change: ₹ 7158685 thousands (Reserve Release).

2. List of Entities consolidated and their respective share of Net Assets and Profit/Loss

| Name of the entity | Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities | | | | Share in profit or loss | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | As % of consolidated net assets | Amount (₹ in thousands) | As % of consolidated net assets | Amount (₹ in thousands) | As % of consolidated profit or loss | Amount (₹ in thousands) | As % of consolidated profit or loss | Amount (₹ in thousands) |
| | 2022-23 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2021-22 | |
| Parent: | | | | | | | | |
| United India Insurance Company Limited | 81.77 | 28245435 | 88.61 | 51463953 | 102.25 | -28766766 | 102.89 | -21649383 |
| Subsidiary: | | | | | | | | |
| Indian | | | | | | | | |
| 1. United India Insurance Co. Ltd's share in Zenith Securities and Investments Ltd | 1.02 | 353585 | 1.15 | 669174 | -2.01 | 564794 | -1.48 | 311340 |
| 2. Minority Interests in Subsidiary | 0.27 | 94859 | 0.52 | 299444 | -0.65 | 182684 | -0.48 | 100697 |

| सहयोगी (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| भारतीय | | | | | | | | |
| 1. हेल्थ इश्यूरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड | 0.65 | 222934 | 0.41 | 238187 | 0.05 | -15253 | 0.18 | -37752 |
| विदेशी | | | | | | | | |
| 1. इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेंस प्राइवेट लिमिटेड | 16.29 | 5626653 | 9.31 | 5408361 | 0.35 | -98142 | -1.11 | 233692 |
| कुल | 100.00 | 34543466 | 100.00 | 58079119 | 100.00 | -28132683 | 100.00 | -21041406 |

नोट्स : रिपोर्टिंग तिथि तक इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड के वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं। नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए हैं।

हेल्थ इश्यूरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड के खाते, कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने से पहले, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए हैं, क्योंकि कंपनी खातों को अपनाने की तारीख से पहले खातों को अपनाने के लिए युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की जा सकी थी।

| वर्ष के लिये समेकित लाभ | (₹ in 000) | |
|-------------------------|------------|-----------|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| फलस्वरूप लाभ : | | |
| कंपनी के मालिक | -28315367 | -21142103 |
| अल्पमत हित | 182684 | 100697 |

हमारी सहायक कंपनी जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के नोट 10 के फुट नोट से पता चलता है कि गैर उद्भूत इक्विटी शेयर और गैर उद्भूत प्रेफरेंस शेयर की कीमत कंपनी की पुस्तकों में क्रमशः ₹ 384.19 (हजारों में) और ₹ 65.40 रुपये (हजारों में) दिखाई दे रहे हैं, जिनका विवरण (स्क्रिप्टवार विवरण सहित) कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, ये शेयर कंपनी की अभिरक्षा में नहीं हैं क्योंकि इनका पता नहीं लगाया जा सका है। इसे देखते हुए, कंपनी ने इसके लिये 100% प्रावधान बनाया है। ऐसे में उसका बाजार मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता।

3. आकस्मिंत देनदारियाँ:

(₹ '000)

| विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|------------|------------|
| आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश पर | 1074.55 | 800 |
| पॉलिसियों के अंतर्गत दावों के अलावा अन्य दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है | 1625300 | 1648619 |
| बकाया बीमालेखन प्रतिबद्धताएँ (शेयर एवं प्रतिभूतियों के लिये) | 0 | 0 |
| कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी | 0 | 150 |
| वैधानिक मांग एवं विवादित देनदारियाँ जिनके लिये प्रावधान नहीं किया गया** | 41682481 | 35868504 |
| खातों में प्रदान नहीं की गई सीमा तक पुनर्बीमा का दायित्व | 0 | 0 |
| बकाया साख पत्र | 32218 | 31017 |
| अन्य (बैंक गारंटी) | 54900 | 13039 |

**नोट्स:

1. विवाद में वैधानिक मांग/ विवादित देनदारियाँ जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, इसमें जुर्माना, यदि कोई लागू हो, शामिल नहीं है।
2. आयकर अधिकारियों ने पिछले कुछ वर्षों में कंपनी को अब तक देय रिफंड की राशि ₹ 5003975 हजार (₹ 4850674 हजार) को समायोजित किया है।
3. 1 फरवरी 2003 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए व्यापार देय, सर होमी मेहता ट्रस्ट ("मकान मालिक") को ₹ 358.33 रुपये (हजारों में) देय किराए का प्रदर्शन करता है। मकान मालिक ने सहायक कंपनी के कब्जे वाले परिसर को खाली करने के लिए नोटिस भेजा है और मुख्य रूप से बेदखली के लिए लघु वाद न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया है। उक्त मुकदमे में मकान मालिक ने ₹ 110/- प्रति वर्ग फुट प्रति माह या माननीय न्यायालय जो उचित समझे, की अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की है।
ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया और मुकदमा परिसर से बेदखल करने का आदेश दिया। लघु वाद न्यायालय के समक्ष अपील करने पर जुलाई 2008 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया। इसके बाद मकान मालिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ एक नागरिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जो लंबित है।
समॉल कॉज कोर्ट ने मैसने प्रॉफिट के लिए 0.20 ₹.12 के संदर्भ में जांच का भी आदेश दिया है, जो लंबित है। इसे देखते हुए इस स्तर पर मैसने प्रॉफिट की गणना नहीं की जा सकती और न ही इसका प्रावधान किया गया है।

| Associates (Investment as per the equity method) | | | | | | | | |
|--|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|--------|-----------|
| Indian | | | | | | | | |
| 1. Health Insurance TPA of India Limited | 0.65 | 222934 | 0.41 | 238187 | 0.05 | -15253 | 0.18 | -37752 |
| Foreign | | | | | | | | |
| 1. India International Insurance Pte Ltd | 16.29 | 5626653 | 9.31 | 5408361 | 0.35 | -98142 | -1.11 | 233692 |
| Total | 100.00 | 34543466 | 100.00 | 58079119 | 100.00 | -28132683 | 100.00 | -21041406 |

Notes: Financial statements of India International Pte. Ltd. as on reporting date are not available. Latest available financial statements are for the period ending 31st December 2022.

The Accounts of Health Insurance TPA of India Ltd, before being approved by the Board of the Company, has been used in preparation of Consolidated Financial Statements, as the Company could not conduct the Board Meeting for adoption of Accounts before the date of adoption of Accounts by the Board of United India Insurance Company Limited.

| Consolidated profit for the year | (₹ in 000) | |
|----------------------------------|------------|-----------|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| Profit attributable to: | | |
| Owners of the company | -28315367 | -21142103 |
| Minority Interests | 182684 | 100697 |

Foot note to Note 10 of Zenith Securities and Investments Ltd, our Subsidiary, indicates that Unquoted Equity shares and unquoted Preference Shares amounting to ₹ 384.19(in thousands) and ₹ 65.40(in thousands) respectively appearing in the books of the Company, the details of which (including scrip wise details) are not available with the Company. Further, these shares are not in the custody of the Company as the same not traceable. In view of the same, the Company has created 100% provision against the same. As such, the market value of the same cannot be ascertained.

3. Contingent Liabilities:

(₹ '000)

| Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|------------|------------|
| On partly paid investments | 1074.55 | 800 |
| Claims other than those under policies, not acknowledged as debts | 1625300 | 1648619 |
| Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities) | 0 | 0 |
| Guarantees given by or on behalf of the Company | 0 | 150 |
| Statutory demands / liabilities in dispute, not provided for** | 41682481 | 35868504 |
| Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts | 0 | 0 |
| Outstanding Letter of Credit | 32218 | 31017 |
| Others (Bank Guarantee) | 54900 | 13039 |

**Notes:

- Statutory demands / liabilities in dispute, not provided for does not include penalty, if any applicable.
- The Income Tax authorities have adjusted, over the years, the refund due until date to the company amounting to ₹ 5003975 thousands (₹ 4850674 thousands).
- Trade Payables represent Rent payable to Sir Homi Mehta Trust ("The Landlord") ₹ 358.33 (in thousands) for the period 1st February 2003 to 31st March 2022. The landlord had sent the notice for the eviction of the premises occupied by the subsidiary Company and had also filed the suit in the Court of Small Causes mainly for the eviction. In the said suit, the landlord, had prayed for the interim relief of ₹ 110/- per sq. feet per month or at such rates as the Hon. Court may deem fit.

The trial court decreed and ordered eviction from the suit premises. On appeal before the Small Causes Court the judgement of the trial court was set aside in July 2008. Thereafter landlord has filed a Civil Revisionary Application against the judgement in the Bombay High Court, which is pending.

The Small Causes Court had also ordered for an enquiry in terms of 0.20 ₹12 for manse profit, which is pending. In view of this the manse profit is not quantifiable at this stage and not provided for the same.

4. भारत के भीतर और बाहर कंपनी की संपत्तियों पर रुकावटें।

(अ) जमा एवं निवेश

(₹ '000)

| विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|------------|------------|
| साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने के लिए मार्जिन मनी के रूप में जमा | 32218 | 31017 |
| दावों के लिए बैंक खातों की कुकी/आदेश के अनुसार अदालत में जमा की गई राशि | 153589 | 56787 |
| विदेशी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए की गई जमाराशियाँ | 0 | 0 |
| 6.54% भारत सरकार 2032 (6.79% भारत सरकार 2029) सीबीएलओ ऑपरेशन के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जमा - एफवी ₹ 46800 हजार (₹ 46800 हजार) | 44702 | 46608 |
| कैश मार्केट में संस्थागत ट्रेडों की मार्जिनिंग के संबंध में सेबी के दिनांक 19.03.2008 के परिपत्र के अनुपालन में मार्जिन मनी के माध्यम से स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास ₹ 287866 हजार (अंकित मूल्य ₹ 300000 हजार) (पिछले वर्ष - मूल्य ₹ 300000 हजार) के लिए 6.22% भारत सरकार 2035 जमा किया गया है। | 287866 | 287866 |

(ब) वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया निवेश: शून्य

(स) अग्रिम और जमा में शामिल हैं:

- शून्य (₹ 1005433 हजार) एचडीएफसी बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा किया गया और इंट्रा-डे बैंकिंग लेनदेन की सुविधा के लिए ग्रहणाधिकार के लिए चिह्नित किया गया।
- ₹ 500 हजार (₹ 500 हजार) मार्जिन मनी सीबीएलओ (टीआरईपी) ऑपरेशन के माध्यम से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जमा की गई।

5. ऋण, निवेश और अचल संपत्तियों के संबंध में की गई प्रतिबद्धताएं और बकाया:

(₹ '000)

| विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|------------|------------|
| ऋण एवं निवेश (अनुमानित) | 190000 | 190000 |
| सम्पदा के लिए प्रतिबद्धताएँ | 814542 | 797646 |
| ईडीपी/कोर बीमा परियोजना के लिए प्रतिबद्धताएँ | 29070 | 782480 |
| स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क और लंबित संप्रेषण (अनुमानित) ** | 83733 | 89505 |
| निष्पादित किये जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि | शून्य | शून्य |

**दिसंबर 2022 में किए गए उचित मूल्य अनुमान के अनुसार

6. दावों से घटाया गया पुनर्बीमा, भारत में/ भारत से बाहर के दावाकर्ताओं को किया गया भुगतान:

(₹ '000)

| व्यवसाय | भारत में | | भारत से बाहर | |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| अग्नि | 6544020 | 6509408 | 40152 | 26017 |
| समुद्री | 1355021 | 1275619 | 10138 | 11234 |
| विविध | 126709674 | 119579362 | 94830 | 130769 |
| कुल | 134608715 | 127364389 | 145120 | 168020 |

7. कंपनी के निवेश के बही आंकड़ों और एसएचसीआईएल (कस्टोडियन) से प्राप्त पुष्टि के बीच मिलान से उत्पन्न निवेश में अंतर को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है।

(₹ '000)

| विवरण | स्वरूप | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---------------------------|--------|-------------|------------|------------|
| ईक्रीटी और प्रिफरेंस शेयर | अल्प | बहिमूल्य | शून्य | शून्य |
| प्रतिभूति | अल्प | बहिमूल्य | 4947 | 4947 |
| कुल | अल्प | बहिमूल्य | 4947 | 4947 |
| ईक्रीटी और प्रिफरेंस शेयर | आधिक्य | अंकित मूल्य | शून्य | शून्य |

8. 31.03.2023 को लंबित दावों का आयुवार विश्लेषण अनुलग्नक-1 में संलग्न किया गया है।

4. Encumbrances to assets of the company within and outside India.

(a) Deposits and Investments (₹ '000)

| Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|------------|------------|
| Deposits towards margin money for issue of letters of credit / bank guarantee | 32218 | 31017 |
| Deposits made in court as per orders /attachments of bank accounts for claims | 153589 | 56787 |
| Deposits made to comply with Overseas Statutory requirements | 0 | 0 |
| 6.54% GOI 2032 (6.79% GOI 2029) deposited with Clearing Corporation of India for CBLO operation – FV ₹ 46800 thousands (₹ 46800 thousands) | 44702 | 46608 |
| 6.22% GOI 2035 for ₹ 287866 thousands (Face Value ₹ 300000 thousands) (Previous year - Value ₹ 300000 thousands) has been deposited with Stock Holding Corporation of India Ltd by way of margin money in compliance with SEBI circular dated 19.03.2008 regarding Margining of Institutional Trades in the Cash Market. | 287866 | 287866 |

(b) Investments made in accordance with statutory requirements: NIL

(c) Advances and Deposits include: -

- ₹ NIL (₹ 1005433 thousands) deposited with HDFC Bank as Fixed Deposit and marked for lien to facilitate intra-day banking transactions.
- ₹ 500 thousands (₹ 500 thousands) deposited with Clearing Corporation of India by way of margin money CBLO (TREP) Operation.

5. Commitments made and outstanding on account of loans, investments and fixed assets: (₹ '000)

| Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---|------------|------------|
| Loans and Investment (Estimated) | 190000 | 190000 |
| Commitments for Estates | 814542 | 797646 |
| Commitments for EDP/Core Insurance Project | 29070 | 782480 |
| Stamp duty and Registration charges and pending conveyance (estimated at)** | 83733 | 89505 |
| Estimated amount of contracts remaining to be executed | NIL | NIL |

**As per Fair value estimation done in December 2022.

6. Claims less reinsurance, paid to claimants in/outside India: (₹ '000)

| Business | In India | | Outside India | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Fire | 6544020 | 6509408 | 40152 | 26017 |
| Marine | 1355021 | 1275619 | 10138 | 11234 |
| Miscellaneous | 126709674 | 119579362 | 94830 | 130769 |
| Total | 134608715 | 127364389 | 145120 | 168020 |

7. Differences in investment, arising out of the reconciliation between the book figures and the confirmation received from SHCIL (Custodian) of the Company's investments are tabulated as under. (₹ '000)

| Particulars | Nature | | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| Equity and Preference Shares | Short | Book Value | Nil | Nil |
| Debentures | Short | Book Value | 4947 | 4947 |
| Total | Short | Book Value | 4947 | 4947 |
| Equity and Preference Shares | Excess | Face Value | Nil | Nil |

8. Age wise Analysis of Outstanding Claims as at 31.03.2023 are enclosed in Annexure-I.

9. भारत में/ भारत से बाहर लिखित प्रीमियम से घटाया गया पुनर्बीमा :

(₹ '000)

| व्यवसाय | भारत में | | भारत से बाहर | |
|---------|------------|------------|--------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| अग्नि | 8990666 | 10405146 | 95491 | 46402 |
| समुद्री | 2151116 | 2306704 | 24374 | 16026 |
| विविध | 142676072 | 121493859 | 30656 | 98389 |
| कुल | 153817854 | 134205709 | 150521 | 160817 |

10. वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने अधीनस्थ ऋण के रूप में ₹ 900 करोड़ जुटाए, जिसमें 9000 असुरक्षित, अधीनस्थ, सूचीबद्ध पूर्ण भुगतान वाले प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड डिबेंचर (एनसीडी या डिबेंचर) के स्वरूप में प्रत्येक ₹ 10 लाख पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर 8.25% की कूपन दर जारी किए गए। प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और 5 वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा कॉल विकल्प का उपयोग करने का अधिकार है।

2 फरवरी 2023 को कॉल विकल्प के प्रयोग द्वारा कंपनी ने ISIN INE346Z08011 के तहत प्रत्येक जारी किए गए 10 लाख का मूल्य डिबेंचर ("एनसीडी") की स्वरूप में 9000 नंबर 8.25% रेटेड, असुरक्षित, अधीनस्थ, पूरी तरह से भुगतान किए गए, सूचीबद्ध, रिडीम करने योग्य और गैर-परिवर्तनीय बांड के संबंध में पूरी मूल राशि ₹ 900 करोड़ भुना ली है और डिबेंचर धारकों को वार्षिक ब्याज का भुगतान किया गया। डिबेंचर के मोचन के परिणामस्वरूप, बीएसई ने अपने पत्र दिनांक 16 फरवरी 2023 के माध्यम से घोषणा की है कि 17 फरवरी 2023 से कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध किया जाएगा। इसके अलावा, रेटिंग एजेंसियों ने कंपनी की ऋण रेटिंग वापस ले ली है।

11. निवेश की खरीद के संबंध में, ₹ 96029 हजार (₹ 117240 हजार) की सीमा तक डिलीवरी लंबित है और निवेश की बिक्री के संबंध में ₹ 892728 हजार (₹ 169398 हजार) का भुगतान 31.03.2023 तक अतिदेय है।

12. आय स्वीकरण के उद्देश्य से निवेशों को निष्पादित और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में पृथक्करण:

(₹ '000)

| विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--------------------------|------------|------------|
| निष्पादित संपत्तियां | 322241938 | 341673867 |
| गैर निष्पादित संपत्तियां | 5357658 | 5777723 |
| कुल | 327599597 | 347451590 |

संबंधित आईआरडीए दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए (छूट/संग्रह का शुद्ध) पर चालू लेखा वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त आय की कुल राशि ₹ 1635455 हजार (₹ 1526226 हजार) है और 31.03.2023 तक ₹ 13303250 हजार (₹ 11667795 हजार) है।

13. 31-03-2023 को पुनर्गठनाधीन ऋण परिसंपत्तियां

(₹ '000)

| क्र. सं. | विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|----------|--|------------|------------|
| 1. | पुनर्गठनाधीन ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि | 66297 | 71482 |
| 2. | पुनर्गठनाधीन मानक परिसंपत्तियों की कुल राशि | 0 | 5184 |
| 3. | पुनर्गठनाधीन उप-मानक परिसंपत्तियों की कुल राशि | 0 | 0 |
| 4. | पुनर्गठनाधीन संदिग्ध और अन्य परिसंपत्तियों की राशि | 66297 | 66298 |

14. आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 की अनुसूची बी के भाग I के अनुसार, ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों' के रूप में माना जाएगा और परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापा जाएगा। प्रीमियम का परिशोधन, पुट/कॉल विकल्प, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए, परिपक्वता की शेष अवधि में किया जाता है।

15. आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित विनियमन के अनुसार, सूचीबद्ध इक्रिटी शेयरों और म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले ₹ 36783513 हजार (₹ 31663678 हजार) की अवास्तविक लाभ / हानि (शुद्ध) को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है। ऐसे निवेशों की ऐतिहासिक लागत (बढ़े खाते में डालने का शुद्ध) ₹ 76796450 हजार (₹ 78665770 हजार) थी। लंबित वसूली के कारण, उचित मूल्य परिवर्तन खाते में क्रेडिट शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

9. Premium less reinsurance written from business in/outside India:

(₹ '000)

| BUSINESS | In India | | Outside India | |
|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Fire | 8990666 | 10405146 | 95491 | 46402 |
| Marine | 2151116 | 2306704 | 24374 | 16026 |
| Miscellaneous | 142676072 | 121493859 | 30656 | 98389 |
| Total | 153817854 | 134205709 | 150521 | 160817 |

10. During the year 2017-18, the Company raised ₹ 900 crores as Subordinated Debt issuing 9000 unsecured, subordinated, listed fully paid up redeemable non-convertible Bonds in the nature of Debentures (NCDs or Debentures) of ₹ 10 lakhs each at a coupon rate of 8.25% on a private placement basis under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2015 and as approved by IRDAI vide letter 177/F&A(NL)/GUI/OFC/01/2017-18 dated 06th December 2017. The tenor of the securities is 10 years with the right to exercise call option by the Company at the end of 5 years.

The Company has redeemed in full the principal amount ₹ 900 Crores in respect of 9000 Nos. 8.25% Rated, Unsecured, Subordinated, Fully Paid-up, Listed, Redeemable and Non-Convertible Bonds in the nature of Debentures ("NCDs") face value of ₹ 10 lakhs each issued under ISIN INE346Z08011 and paid annual interest due there on to the debenture holders by exercise of Call Option on 2nd February 2023. In consequence of redemption of debenture, BSE vide its letter dated 16th February 2023 has announced the Company to be unlisted from Stock Exchange with effect from 17th February 2023. Further, the rating agencies has withdrawn debt rating of the Company.

11. In respect of Purchases of Investments, deliveries are pending to the extent of ₹ 96029 thousands (₹ 117240 thousands) and in respect of sale of investments payment amounting to ₹ 892728 thousands (₹ 169398 thousands) is overdue as on 31.03.2023.

12. Segregation of Investments into performing and non-performing assets for the purpose of Income recognition:

(₹ '000)

| Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|-----------------------|------------|------------|
| Performing Assets | 322241938 | 341673867 |
| Non-Performing Assets | 5357658 | 5777723 |
| Total | 327599597 | 347451590 |

The aggregate amount of income not recognized for the current accounting year on NPA (net of waiver/ collections) as per related IRDA guidelines is ₹ 1635455 thousands (₹ 1526226 thousands) and up to 31.03.2023 is ₹ 13303250 thousands (₹ 11667795 thousands).

13. Loan assets subject to Restructuring as on 31-03-2023

(₹ '000)

| Sl. No | Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--------|--|------------|------------|
| 1. | Total amount of loan assets subjected to restructuring | 66297 | 71482 |
| 2. | The amount of standard assets subjected to restructuring | 0 | 5184 |
| 3. | The amount of Sub-Standard assets subjected to restructuring | 0 | 0 |
| 4. | The amount of Doubtful and other assets subjected to restructuring | 66297 | 66298 |

14. As per Part I of Schedule B of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations 2002, Debt Securities shall be considered as 'Held to Maturity Securities' and shall be measured at Historical costs subject to amortization. Amortization of premium is done over the residual period of maturity, considering put/ call option, if any.

15. In accordance with the regulation prescribed by IRDAI, unrealized gains / losses (net) amounting to ₹ 36783513 thousands (₹ 31663678 thousands) arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual funds are taken to Fair Value Change Account. The historical cost (net of write off) of such investments amounted to ₹ 76796450 thousands (₹ 78665770 thousands). Pending realization, the credit balance in the fair value change account is not available for distribution

16. बाजार मूल्य और निवेश की इतिहासपरक लागतों का विवरण, जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य के आधार पर किया गया है, इस प्रकार हैं: (₹ '000)

| विवरण | बाजार मूल्य | | इतिहास परक लागत | | उचित मूल्य परिवर्तन | |
|--------------|-------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| ईक्रिटी शेयर | 106122734 | 104617218 | 69636573 | 73015387 | 36486161 | 31601831 |
| म्यूचुअल फंड | 7457229 | 5712230 | 7159877 | 5650383 | 297352 | 61847 |
| कुल | 113579963 | 110329448 | 76796450 | 78665770 | 36783513 | 31663678 |

17. परिपत्र संख्या IRDAF&I/CIR/INV/250/12/2012 दिनांक 04.12.2012 के अनुसार, रेपो/रिवर्स रेपो व्यवहार में एक्सपोजर का विवरण नीचे दिया गया है: (₹ '000)

| विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम लंबित | | वर्ष के दौरान अधिकतम लंबित | | वर्ष के दौरान दैनिक औसत लंबित | | कि तिथि में लंबित | |
|---|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ (iii) सरकारी प्रतिभूतियाँ | शून्य | 1352540 | शून्य | 1499713 | शून्य | 1389333 | शून्य | शून्य |
| (iv) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

18. कंपनी ने आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों पर आईआरडीएआई नियमों के अनुसार निम्नलिखित गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (डिबेंचर) के संबंध में प्रावधान किए हैं।
• 31.03.2023 को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के लिये ₹ 872692 हजार (₹ 1149750 हजार) के मुकाबले ₹ 872692 हजार (₹ 1149750 हजार) का प्रावधान है। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में कुल ऋण एक्सपोजर का 100% प्रावधान किया गया है।
19. कंपनी के पास रियल एस्टेट निवेश संपत्ति नहीं है।
20. ब्याज, लाभांश और किराया सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और स्वीकृत पुनर्बीमा के आधार पर राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है, जिसमें समुद्री व्यवसाय के लिए 75% और अग्निर और विविध व्यवसाय के लिए 100% का भार दिया जाता है।
21. 31.03.2023 तक कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 75000000 हजार है। कंपनी की चुकता पूंजी ₹ 39050000 हजार (प्रत्येक ₹ 10 के ₹ 3905000000 शेयर) है।
22. 31 मार्च 2023 को सॉल्वेंसी मार्जिन (-)0.29 है। बोर्ड से अनुमोदन के पश्चात, कंपनी सॉल्वेंसी मार्जिन की गणना के लिए उचित मूल्य परिवर्तन खाते में शेष राशि की 100% छूट की मांग करेगी। यदि अनुमोदन प्राप्त होता है, तो सॉल्वेंसी मार्जिन 0.56 होगी।
23. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना:

बंधकीय पारिश्रमिक की गणना संबंधी खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी (एक सरकारी कंपनी होने के नाते) पर लागू नहीं होते हैं।

24. विवादित मामलों को छोड़कर, कोई भी निपटाया गया बीमा दावा बैलेंस शीट की तारीख - शून्य (शून्य) पर छह महीने से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया गया है।
25. अचल संपत्तियों में शामिल हैं: -

अ) भूमि- लीजहोल्ड में बैंगलोर फाइनेंशियल सिटी में आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से प्राप्त लगभग 1 एकड़ भूमि शामिल है, जिसकी राशि उप-लीज-सह-बिक्री समझौते पर ₹ 39761 हजार (₹ 39761 हजार) है, जिसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कार्यालय परिसर का निर्माण पूरा होने के बाद कंपनी के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। सिविल निर्माण कार्य पूरा करने और गतिविधि/व्यवसाय शुरू करने की समय सीमा दिसंबर 2018 तक थी।

16. Break up of Market value and historical costs of investments, which have been valued on fair value basis, are as follows: (₹ '000)

| Particulars | Market Value | | Historical Cost | | Fair value change | |
|---------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Equity Shares | 106122734 | 104617218 | 69636573 | 73015387 | 36486161 | 31601831 |
| Mutual fund | 7457229 | 5712230 | 7159877 | 5650383 | 297352 | 61847 |
| Total | 113579963 | 110329448 | 76796450 | 78665770 | 36783513 | 31663678 |

17. In accordance with Circular No IRDA/F&I/CIR/INV/250/12/2012 dated 04.12.2012, the details of exposure in Repo/ Reverse Repo transactions are given below: (₹ '000)

| Particulars | Minimum outstanding during the year | | Maximum outstanding during the year | | Daily Average Outstanding during the year | | Outstanding as on | |
|--|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|---|------------|-------------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Securities Sold under Repo | | | | | | | | |
| (i) Government Securities | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| (ii) Corporate Debt Securities | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Securities purchased under Reverse Repo | | | | | | | | |
| (iii) Government Securities | NIL | 1352540 | NIL | 1499713 | NIL | 1389333 | NIL | NIL |
| (iv) Corporate Debt Securities | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |

18. The Company has made provisions in respect of the following non-performing assets (Debentures) as per IRDAI regulations on income recognition, asset classification, provisioning and other related matters: Reliance Home Finance Ltd (RHFL) – Provision as on 31.03.2023 is ₹ 872692 thousands (₹ 1149750 thousands) against total exposure of ₹ 872692 thousands (₹ 1149750 thousands). Provision has been made at 100% of the total debt exposure in Reliance Home Finance Ltd.
19. The Company does not have Real Estate Investment Property.
20. Interest, Dividends and Rent are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of gross direct premium plus reinsurance accepted, giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business.
21. The Authorized Share Capital of the Company is at ₹ 75000000 thousands as of 31.03.2023. The Paid up Capital of the Company is ₹ 39050000 thousands (3905000000 shares of ₹ 10 each).
22. The Solvency margin as on 31st March 2023 is (-)0.29. The Company will seek 100% forbearance of balance in Fair Value change account for calculation of Solvency Margin after approval from the Board

of the company. If approved, the Solvency margin would be 0.56.

23. Computation of Managerial Remuneration: Disclosure relating to computation of managerial remuneration has not been made as the provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the company (being a government company) vide Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR463 (E) dated 5th June, 2015.
24. Barring disputed cases, no settled insurance claim remained unpaid for more than six months as on the Balance Sheet date – NIL (NIL).
25. Fixed Assets include: -
- A) Land- Leasehold includes land measuring about 1 acre acquired from IFCI Infrastructure Development Ltd (IIDL) at Bangalore Financial City, amounting to ₹ 39761 thousands (₹ 39761 thousands) on sub-lease-cum-sale agreement, which will be registered in the name of the company after completion of construction of office complex within the time limit specified therein. The time limit for completion of civil construction work and commencement of activity/business was upto December 2018.

चूंकि कई उप आवांटियों ने निर्माण में प्रतिस्पर्धा नहीं की है, केआईएडीबी (कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड) ने अपने पत्र दिनांक 03 सितंबर, 2018 के माध्यम से आईआईडीएल को मंजूरी के लिए राज्य उच्च स्तरीय एकल विंडो क्लियरेंस समिति (एस एचएलएसडब्ल्यूसीसी) से संपर्क करने की सलाह देते हुए समय का और विस्तार संबंधी अपने बोर्ड निर्णय की सूचना दी।

इस बीच, कंपनी ने साइट पर कंपाउंड वॉल का निर्माण कर लिया है। 16.02.2021 को सभी उप पट्टेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान, केआईएडीबी द्वारा 30 सितंबर 2022 तक सभी उप पट्टेदारों द्वारा विस्तारित समयसीमा के भीतर निर्माण पूरा करने के लिये दो साल के लिए विस्तार दिया गया। विस्तार अवधि की समाप्ति पर, आईआईडीएल ने उप-पट्टेदारों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन के लिए समय के विस्तार के साथ-साथ लीज अवधि के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। कंपनी ने आईआईडीएल के जवाब में कहा है कि निर्माण गतिविधि का विवरण उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा और प्रारंभिक चरण में युआईआईसी के लिए बिजली आपूर्ति की न्यूनतम मानक आवश्यकताओं पर विचार किया जा सकता है।

बी) ₹ 102529 हजार (₹ 166341 हजार) मूल्य की इमारतें परिवहन और पंजीकरण के लिए लंबित हैं।

सी) अनुसूची 10 (स्थिर संपत्ति) में शामिल फ्रीहोल्ड भूमि के तहत ₹ 241 हजार (₹ 241 हजार) की 5 संपत्तियों के संबंध में शीर्षक विलेख युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विलय की गई पूर्ववर्ती कंपनियों के नाम पर हैं। एलिस ब्रिज, अहमदाबाद स्थित लीजहोल्ड संपत्ति के लिए मूल्य ₹ 2334 हजार (₹ 2334 हजार) का एक लीज डीड उपलब्ध नहीं है।

डी) अचल संपत्ति मॉड्यूल को भौतिक रूप से उपलब्ध परिसंपत्तियों से जोड़ा जाएगा।

26. कंपनी ₹ 2000000 हजार (₹ 15000000 हजार की सामूहिक क्षमता के साथ जीआईसी द्वारा प्रशासित) की भागीदारी के साथ भारत परमाणु पूल बीमा का सदस्य है। वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से प्रीमियम के हमारे हिस्से के रूप में ₹ 207000 हजार (₹ 207000 हजार) का हिसाब लगाया है और इसे 100% की दर से अर्पित किया गया है। पुनर्बीमा आवक ₹ 138008 हजार (₹ 136619 हजार) पर बुक की गई और देयता प्रीमियम के तहत दर्ज की गई।
27. हांगकांग स्थित कंपनी की एजेंसी ने 01.04.2002 से बीमालेखन परिचालन बंद कर दिया है और रन ऑफ परिचालन से संबंधित व्यवहार का हिसाब-किताब किया गया है। अंतिम आईबीएनआर/आईबीएनईआर रिपोर्ट लंबित होने के कारण, पिछले वर्ष के लिए बीमांकक की रिपोर्ट पर आधारित शून्य प्रावधान पर वर्तमान वर्ष के लिए विचार किया गया है। कंपनी ने 2022-23 के दौरान रन-ऑफ परिचालन के प्रबंधन के लिए ₹ 2371 हजार (₹ 2540 हजार) की

राशि खर्च की और 31.03.2023 तक 26151 हजार (₹ 24226 हजार) की राशि के तीन दावे बकाया हैं।

28. बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2023 को आईबीएनआर/आईबीएनईआर रिजर्व ₹ 123426786 हजार (₹ 119465260 हजार) है, जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में अतिरिक्त प्रावधान 3961526 हजार (₹ 6540715 हजार) हो गया है।
29. बीमा व्यवसाय चलाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से देय / देय शेष राशि का समय-समय पर निपटान किया जाता है। हालाँकि, वर्ष के अंत की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।
- पुनर्बीमा के संबंध में, खातों के विवरण के आधार पर ब्रोकर्स /पुनर्बीमाकर्ताओं को निपटान किया जाता है। हालाँकि, वर्ष के अंत की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है
 - जमा, अग्रिम और अन्य खातों में विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य सरकार से वसूली योग्य (₹ 2269266 हजार ((₹ 2354074 हजार) की राशि शामिल है। (₹ '000)

| | 31-03-2023 पर | 31-03-2022 पर |
|----------------|------------------|------------------|
| 1 वर्ष से कम | 794988 | 883451 |
| 1 – 3 वर्ष | 81704 | 78679 |
| 3 वर्ष से अधिक | 1392574 | 1392574 |
| कुल | 2269266 | 2354704 |

• अन्य अग्रिमों में ₹ 561987 हजार (₹ 744600 हजार) की राशि शामिल है, जो बकाया जीएसटी इनपुट क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है, जिसे युआईआईसी जीएसटी अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले जीएसटी पोर्टल में विक्रेताओं द्वारा दायर मिलान चालान के समाधान पर दावा करने के लिए पात्र है।

• वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी का हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीआईसी एचएफएल) के पक्ष में 29 मार्च 2019 के वचन पत्र के अनुसार 8.4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹ 144.32 करोड़ की सीमा तक सौंपा गया है।

31 मार्च 2018 तक आवास ऋण शेष, जहां ऋण 6 महीने से अधिक (90%) और 6 महीने से कम (80%) के लिए नियमित रूप से चुकाया गया है वहाँ जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में सौंपा गया है। मूल संपत्ति दस्तावेज जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से यूआईआईसी द्वारा ट्रस्ट में रखा जाएगा। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और कंपनी के साथ सहमति के अनुसार 8.4% के ब्याज के बीच का अंतर कर्मचारियों से वसूल की गई ब्याज राशि को अवशोषित करता है। .

30. अंतर-कार्यालय खातों का समाधान प्रगति पर है और बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार ₹ 378 हजार (क्रेडिट बैलेंस) (₹ 978 हजार (क्रेडिट बैलेंस) का अंतर है।

As many of the sub allottees have not completed construction, KIADB (Karnataka Industrial Areas Development Board) vide its letter dated 03rd September, 2018 informed its board decision advising IIDL to approach the State High Level Single Window Clearance Committee (SHLSWCC) for approval for a further extension of time.

In the meanwhile, the company has constructed compound wall at the site. During the meeting held on 16.02.2021 through video conference with all sub lessees, extension for two years up to 30th September 2022 was granted by KIADB and construction to be completed by all the sub lessees within the extended timeline. On expiry of the extension period, IIDL submitted application for renewal of the Lease period along with extension of time for project implementation by the sub-lessees. The Company in response to IIDL has represented that the details of construction activity will be submitted in due course and the minimum standard requirements of power supply may be considered for UIIC in the initial phase.

- B) Buildings valued at ₹ 102529 thousands (₹ 166341 thousands) are pending for Conveyance and Registration.
- C) Title deeds in respect of 5 properties of ₹ 241 thousands (₹ 241 thousands) under the Freehold lands included in schedule 10 (Fixed Assets) are in the name of erstwhile companies merged with United India Insurance Co. Ltd. One lease deed for leasehold property at Ellis Bridge, Ahmedabad valued at ₹ 2334 thousands (₹ 2334 thousands) is not available.
- D) Fixed assets module to be linked with the physical availability of the assets.
26. The Company is a member of India Nuclear Pool Insurance with a participation of ₹ 2000000 thousands (administrated by GIC with a collective capacity of ₹ 15000000 thousands). For the year 2022-23 the company has accounted ₹ 207000 thousands (₹ 207000 thousands) as our share of premium on direct side and the same was ceded @ 100%. RI inward was booked at ₹ 138008 thousands (₹ 136619 thousands) and is accounted under Liability Premium.
27. The Company's Agency at Hong Kong ceased underwriting operations with effect from 01.04.2002 and the transactions relating to run off operations have been accounted. Pending final IBNR/IBNER report, the NIL provision based on the Actuary's report for the previous year has been considered for current year. The company incurred a sum of ₹ 2371 thousands (₹ 2540 thousands) towards expenditure for managing the run off operations during 2022-23

and three claims amounting to ₹ 26151 thousands (₹ 24226 thousands) are outstanding as on 31.03.2023.

28. As per the Actuarial Valuation, the IBNR/IBNER Reserves as on 31st March 2023 is ₹ 123426786 thousands (₹ 119465260 thousands), resulting in additional provisioning in the current year amounting to ₹ 3961526 thousands (₹ 6540715 thousands).
29. Balances Due from / Due to other persons or bodies carrying on Insurance business, are settled periodically. However, confirmations of balance have not been received for year-end balances.
- In respect of Reinsurance, settlements are effected to brokers /reinsurers based on statement of accounts. However, confirmations of balance have not been received for year-end balances.
 - Deposits, Advances & Other Accounts include a sum of ₹ 2269266 thousands (₹ 2354074 thousands) recoverable from Central/ State Government towards various schemes.

(₹ '000)

| | As on 31-03-2023 | As on 31-03-2022 |
|-------------------|------------------|------------------|
| Less than 1 year | 794988 | 883451 |
| 1 – 3 years | 81704 | 78679 |
| More than 3 years | 1392574 | 1392574 |
| Total | 2269266 | 2354704 |

- Other Advances includes a sum of ₹561987 thousands (₹744600 thousands) which represents outstanding GST input credit balance which UIIC is eligible to claim upon reconciliation of matching invoices filed by vendors in GST portal before the due date specified by the GST Act.
- During the year 2018-19, the Housing Loan Portfolio of the Company has been assigned in favour of GIC Housing Finance Ltd. (GIC HFL) to the extent of ₹ 144.32 crores as per undertaking dated 29th March 2019 at an interest rate of 8.4% p.a.
Housing Loan Balances as on 31st March 2018, where the loan has been serviced regularly for more than 6 months (90%) and less than 6 months (80%) has been assigned in favour of GIC Housing Finance Ltd. The original Property documents will be held in trust by UIIC on behalf of GIC Housing Finance Ltd. The difference between interest of 8.4% as agreed with GIC Housing Finance Ltd and the Company absorbs the interest amount recovered from the employees.

30. Reconciliation of Inter-Office accounts is in progress and as on the balance sheet date there is a difference of ₹ 378 thousands (credit balance) (₹ 978 thousands (credit balance)).

31. आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में खंडीय रिपोर्टिंग वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियों के साथ दी गई है
32. भारत सरकार की विस्तृत राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4896, 4897 और 4898ई दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से दिनांक 01.08.2017 से कर्मचारियों के वेतन संशोधन को अधिसूचित किया गया। "कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण लाभ" के तहत ₹ 2901 करोड़ की राशि शामिल की गई है, जो वर्तमान और सेवानिवृत्त पात्र कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि और एएस-15 के अनुसार वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लाभ के प्रति बीमांकिक दायित्व में वृद्धि को प्रदर्शित करती है।

33. पेंशन

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 1627 (ई) दिनांक 23.04.2019 के माध्यम से 1995 से पहले कंपनी की सेवाओं में शामिल हुए सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों के लिए सामान्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक अंतिम विकल्प को मंजूरी दी थी। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, इस योजना के तहत पेंशन का विकल्प चुनने वाले मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में भविष्य की देनदारी ₹ 12655948 हजार है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संदर्भ 411/एफए(एनएल)/अमोर्ट-ईबी/2019-20/125 दिनांक 07-07-2020 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 से पांच साल की अवधि में कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना 1995 का विस्तार के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाली ₹ 12655948 हजार की अतिरिक्त पेंशन देयता के परिशोधन की अनुमति दी है।

तदनुसार, कंपनी ने वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान कुल देनदारी का पांचवां हिस्सा, जो कि प्रत्येक राशि ₹ 2531190 हजार है, अवशोषित कर लिया है। भावी देनदारी की अवशोषित राशि 2531190 हजार है। (₹ '000)

| पेंशन | |
|-----------------------------------|---|
| विवरण | योजना के विस्तार के लिए परिशोधन की जाने वाली राशि |
| कुल देयता | 12655948 |
| 2019-20 में अवशोषित | 2531190 |
| 2020-21 में अवशोषित | 2531190 |
| 2021-22 में अवशोषित | 2531190 |
| 2022-23 में अवशोषित | 2531190 |
| 2023-24 में किये जाने वाला अवशोषण | 2531188 |

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ

(i) भविष्य निधि

योग्य कर्मचारी (जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना है) को भविष्य निधि से लाभ मिलता है, जो एक परिभाषित लाभ योजना है। सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या रोजगार समाप्ति पर ब्याज सहित कुल योगदान का भुगतान किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर मासिक योगदान करते हैं। ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न और ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के बीच यदि कोई कमी है, तो उसे पूरा करना कंपनी का दायित्व है।

कंपनी ने राजस्व खातों और लाभ और हानि खाते में भविष्य निधि योगदान के लिए ₹ 1899807 हजार (₹ 15601 हजार) को मान्यता दी है।

(ii) उपदान

कंपनी पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए उपदान, एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना ("ग्रेच्युटी योजना") प्रदान करती है। उपदान योजना निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार के कार्यकाल के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। पांच साल की सेवा पूरी होने पर वेस्टिंग होती है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसके आधार पर, कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट ("ट्रस्ट") में सभी सुनिश्चित देनदारियों का योगदान करती है। ट्रस्टी ट्रस्ट में किए गए योगदान का प्रबंधन करते हैं और योगदान को कानून द्वारा अनुमति के अनुसार विशिष्ट निवेशों में निवेश किया जाता है।

(iii) (अ) सेवानिवृत्ति/पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए मासिक पेंशन, एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना ("पेंशन योजना") प्रदान करती है। पेंशन योजना कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु तक मासिक पेंशन प्रदान करती है। मासिक पेंशन संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार के कार्यकाल पर आधारित है। दस वर्ष की सेवा पूरी होने पर वेस्टिंग होती है। कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम से वार्षिकी खरीदकर मासिक पेंशन का भुगतान करती है। पेंशन योजना के संबंध में देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसके आधार पर, कंपनी सभी सुनिश्चित देनदारियों को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज पेंशन फंड ट्रस्ट ("ट्रस्ट") में योगदान करती है। ट्रस्ट में किए गए योगदान का प्रबंधन ट्रस्टी करते हैं और योगदान को कानून द्वारा अनुमति के अनुसार विशिष्ट निवेशों में निवेश किया जाता है।

31. Segmental reporting in the format prescribed by IRDAI is given along with Schedules forming part of Financial Statements.
32. Government of India vide Gazette Notification No. S.O 4896, 4897 & 4898E dated 14.10.2022 notified the wage revision of employees with effect from 01.08.2017. An amount of ₹2901 crores has been included under “Employee Remuneration and Welfare Benefits” which represents arrears paid to the current and retired eligible employees and increase in actuarial liability towards employee benefit on account of wage revision as per AS-15.

33. Pension

Government of India vide gazette notification no 1627(E) dated 23.04.2019 approved a final option to the Retired and existing Employees who have joined the services of the Company before 1995 to opt for Pension under General Employees’ Pension Scheme 1995. As per Actuarial valuation, the future liability in respect of existing employees who have opted for pension under this scheme is ₹ 12655948 thousands. Insurance Regulatory and Development Authority of India, vide its letter Ref 411/F&A(NL) /Amort-EB/2019-20/125 dated 07-07-2020, has allowed amortization, of additional future Pension liability of ₹ 12655948 thousands arising out of extension of Pension Scheme 1995 to the existing employees of the company, over a period of five years with effect from financial year 2019-20.

Accordingly, the company has absorbed one fifth of the total liability, amounting to ₹ 2531190 thousands each during the years 2019-20 till 2022-23. The unabsorbed amount of future liability carried over is ₹ 2531190 thousands.

(₹ ‘000)

| Pension | |
|--------------------------------|--|
| Particulars | Amount to be Amortized for Extension of Scheme |
| Total liability | 12655948 |
| Absorbed in year 2019-20 | 2531190 |
| Absorbed in year 2020-21 | 2531190 |
| Absorbed in year 2021-22 | 2531190 |
| Absorbed in year 2022-23 | 2531190 |
| To be Absorbed in year 2023-24 | 2531188 |

Retirement benefits to employees

(i) Provident fund

Eligible employees (employees not opted for pension plan) receive benefits from the provident fund, which is a defined benefit plan. Aggregate

contributions along with interest thereon are paid at retirement, death, incapacitation or termination of employment. Both the employee and the Company make monthly contributions to the United India Insurance Employee’s Provident Fund Trust equal to a specified percentage of the covered employee’s salary. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return from the investments of the trust and the interest rate notified by the trust.

The Company recognized ₹1899807 thousands (₹15601 thousands) for provident fund contribution in the Revenue Accounts and Profit and Loss account.

(ii) Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan (the “Gratuity Plan”) covering eligible employees. The Gratuity Plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement, death, incapacitation or termination of employment, of an amount based on the respective employee’s salary and the tenure of employment. Vesting occurs upon completion of five years of service. Liabilities with regard to the Gratuity Plan are determined by actuarial valuation as of the balance sheet date, based upon which, the company contributes all the ascertained liabilities to the United India Insurance Employees’ Gratuity Fund Trust (the “Trust”). Trustees administer contributions made to the Trust and contributions are invested in specific investments as permitted by law.

(iii) Superannuation/ Pension

(a) The Company provides for monthly pension, a defined benefit retirement plan (the “pension Plan”) covering eligible employees. The pension Plan provides a monthly pension after retirement of the employees till death. The Monthly pension is based on the respective employee’s salary and the tenure of employment. Vesting occurs upon completion of ten years of service. The company pays the monthly pension by purchasing the annuity from Life Insurance Corporation of India. Liabilities with regard to the pension plan are determined by actuarial valuation as of the balance sheet date, based upon which, the company contributes all the ascertained liabilities to the United India Insurance Employees’ Pension Fund Trust (the “Trust”). Trustees administer contributions made to the Trust and contributions are invested in specific investments as permitted by law.

(iii) (ब) नई सेवानिवृत्ति/नई पेंशन

नई पेंशन योजना जो 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित योगदान योजना है। कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है।

कंपनी ने राजस्व खातों और लाभ और हानि खाते में पेंशन योगदान के लिए ₹ 492354 हजार (₹ 282036 हजार) को मान्यता दी।

(iv) अवकाश नगदीकरण

कंपनी के कर्मचारी अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं। कर्मचारी अप्रयुक्त अर्जित अवकाश नकदीकरण के एक हिस्से को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य की अवधि में इसका उपयोग कर सकते हैं या अधिकतम 240 दिनों के लिए अप्रयुक्त अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए सेवानिवृत्ति या रोजगार समाप्ति पर नकद मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी उस अवधि में छुट्टी नकदीकरण के लिए एक दायित्व दर्ज करती है जिसमें कर्मचारी इस पात्रता को बढ़ाने वाली सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी अवकाश नकदीकरण की अपेक्षित लागत

को उस अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जिसे कंपनी अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की उम्मीद करती है जो कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख पर जमा हुई है।

(v) चिकित्सकीय अवकाश

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 से चिकित्सकीय अवकाश के प्रावधान को वापस ले लिया है क्योंकि सेवा के दौरान और इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के समय चिकित्सकीय अवकाश के लिए कोई नकदीकरण नहीं है और इसलिए एएस 15 (2005) संशोधित के पैरा 14 के तहत आवश्यक कोई भुगतान शामिल नहीं है। संशोधित एएस 15 (2005) के पैरा 14 के अनुसार, एक उद्यम को क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को जमा करने की अपेक्षित लागत को उस अतिरिक्त राशि के रूप में मापना चाहिए जो उद्यम बैलेंस शीट की तारीख में जमा हुई अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की उम्मीद करता है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2023 तक ग्रेज्युटी/पेंशन योजना की वित्त पोषित स्थिति और कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि निर्धारित करती है।

अ. परिभाषित लाभ दायित्व के प्रारंभिक और समापन शेष का समाधान:

(₹ '000)

| विवरण | पेंशन निधि | | उपदान निधि | |
|---------------------------------------|------------|----------|------------|----------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व | 46393849 | 42036243 | 11108693 | 12198456 |
| वर्तमान सेवा लागत | 841211 | 734198 | 246513 | 263932 |
| ब्याज लागत | 3048156 | 2414011 | 662082 | 682848 |
| बीमांकित (लाभ)/हानि | 24140513 | 12779357 | 1521333 | 682624 |
| वर्ष के दौरान अवशोषित परिशोधन राशि | 2531190 | 2531190 | 0 | 0 |
| पूर्व सेवा लागत | 0 | 0 | 0 | 0 |
| भुगतान किया गया लाभ | (20529867) | 14101150 | (3300758) | 2719169 |
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व | 56425052 | 46393849 | 10237863 | 11108693 |

ब. प्लान एसेट्स के उचित मूल्य के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान:

(₹ '000)

| विवरण | पेंशन निधि | | उपदान निधि | |
|---|------------|------------|------------|----------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष के आरंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य | 31079039 | 33506000 | 10823791 | 10696300 |
| प्लान एसेट्स पर संभावित आय | 1607497 | 2451219 | 709222 | 711320 |
| बीमांकित लाभ/(हानि) | 3411171 | 257801 | 4158 | 364681 |
| अन्य कंपनियों से प्राप्ति | 0 | 0 | 808 | 0 |
| नियोक्ता का योगदान | 15680000 | 12455000 | 1190000 | 1770658 |
| पूर्व योगदान | 309804 | (3489831) | 362930 | 0 |
| भुगतान किया गया लाभ | (20529867) | (14101150) | (3300758) | 2719169 |
| वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य | 31557644 | 31079039 | 9790151 | 10823791 |

(iii) (b) New Superannuation/ New Pension

New pension scheme which is applicable to employees who joined the company on or after 1st April 2010 is a defined contribution scheme. The company pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the company is limited to such fixed contribution.

The Company recognized ₹ 492354 thousands (₹ 282036 thousands) for pension contribution in the Revenue Accounts and Profit and Loss account.

(iv) Leave encashment

The employees of the Company are entitled to Leave Encashment. The employees can carry forward a portion of the unutilized accrued Leave Encashment and utilize it in future periods or receive cash compensation at retirement or termination of employment for the unutilized accrued Leave Encashment for a maximum of 240 days. The company records an obligation for Leave Encashment in the period in which the employee renders the services that increase this entitlement. The Company measures the expected cost of Leave Encashment as the additional amount that the company expects to

pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the balance sheet date based on actuarial valuation.

(v) Sick Leave

The company has withdrawn the provision for sick leave from FY 2022-23 onwards since there is no encashment for sick leave anytime during service and also at the time of resignation or retirement and therefore there is no payment involved as required under Para 14 of AS 15 (2005) revised. As per Para 14 of AS 15 (2005) revised, "An enterprise should measure the expected cost of accumulating compensated absences as the additional amount that the enterprise expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date.

The following table sets out the funded status of gratuity/pension plan and the amounts recognized in the company's financial statements as at March 31, 2023.

A. Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit obligation: (₹ '000)

| Particulars | Pension Fund | | Gratuity Fund | |
|---|--------------|----------|---------------|----------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Defined benefit obligation at the beginning of the year | 46393849 | 42036243 | 11108693 | 12198456 |
| Current service cost | 841211 | 734198 | 246513 | 263932 |
| Interest cost | 3048156 | 2414011 | 662082 | 682848 |
| Actuarial (gain)/loss | 24140513 | 12779357 | 1521333 | 682624 |
| Amortized amount absorbed during the year | 2531190 | 2531190 | 0 | 0 |
| Past Service Cost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benefits paid | (20529867) | 14101150 | (3300758) | 2719169 |
| Defined benefit obligation at the end of the year | 56425052 | 46393849 | 10237863 | 11108693 |

B. Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets: (₹ '000)

| Particulars | Pension Fund | | Gratuity Fund | |
|--|--------------|------------|---------------|----------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Fair value of plan assets at the beginning of the year | 31079039 | 33506000 | 10823791 | 10696300 |
| Expected return on plan assets | 1607497 | 2451219 | 709222 | 711320 |
| Actuarial gain/(loss) | 3411171 | 257801 | 4158 | 364681 |
| Received from other companies | 0 | 0 | 808 | 0 |
| Employer contribution | 15680000 | 12455000 | 1190000 | 1770658 |
| Past Contribution | 309804 | (3489831) | 362930 | 0 |
| Benefits paid | (20529867) | (14101150) | (3300758) | 2719169 |
| Fair value of plan assets at the end of the year | 31557644 | 31079039 | 9790151 | 10823791 |

स. परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान:

(₹ '000)

| विवरण | पेंशन निधि | | उपदान निधि | |
|--|------------|----------|------------|----------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य | 31557644 | 31079039 | 9790151 | 10823791 |
| वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 58956241 | 43862659 | 10237863 | 11108693 |
| अवशोषित दायित्व | 2531190 | 2531190 | 0 | 0 |
| बैलेंस शीट में गैर-निधि देयता/(संपत्ति) को दी गई मान्यता | 24867407 | 15314810 | 447712 | 284902 |

ड. लाभ एवं हानि खाता में मान्य किया गया व्यय :

(₹ '000)

| विवरण | पेंशन निधि | | उपदान निधि | |
|---|------------|-----------|------------|---------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्तमान सेवा लागत | 841211 | 734198 | 246513 | 263932 |
| ब्याज का लागत | 3048155 | 2414011 | 662082 | 682849 |
| प्लान एसेट्स पर संभावित आय | (1607497) | (2451219) | (709222) | 711320 |
| शुद्ध बीमांकक(लाभ)/हानि | 20729341 | 12521555 | 1517175 | 317944 |
| अन्य कंपनियों से प्राप्ति | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वर्ष के दौरान परिशोधन | 2531190 | 0 | 0 | 0 |
| लाभ एवम हानि खाता में मान्य किया गया कुल व्यय | 25542400 | 13218545 | 1716548 | 553405 |
| प्लान एसेट्स पर वास्तविक आय | 5018668 | (2709021) | 713380 | 1076001 |

ई. ट्रस्ट द्वारा अनुरक्षित निवेश का प्रतिशत

(में %)

| विवरण | पेंशन (वित्त पोषित) | | उपदान (वित्त पोषित) | |
|-----------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ | 7.13 | 8.69 | 6.31 | 12.40 |
| उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड | 12.42 | 15.30 | 1.06 | 12.40 |
| सूचित कंपनियों के ईक्यूिटी शेयर | 0.47 | 1.49 | 0 | 0 |
| विशेष जमा योजना (म्यूचुअल फंड) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य | 79.98 | 74.52 | 92.63 | 75.20 |

फ. बैलेंस शीट की तारीख पर प्रधान बीमांकिक धारणा (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

(में %)

| विवरण | पेंशन (वित्त पोषित) | उपदान (वित्त पोषित) | अवकाश नगदीकरण (गैर वित्त पोषित) |
|---|--|---------------------|---------------------------------|
| छूट की दर | 7.48 | 7.47 | 7.47 |
| प्लान एसेट्स पर संभावित आय की दर | 7.40 | 7.00 | N.A |
| वेतन में वृद्धि की दर | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| कर्मचारियों द्वारा नौकरी छोड़ने या पाने की दर | महत्वपूर्ण नहीं | | |
| मृत्यु दर | एलआईसी (2012-14) सेवारत कर्मचारियों के लिये और एलआईसी(2012-15) सेवानिवृत्त सदस्यों के लिये गत वर्ष -(एलआईसी (2006-08) सेवारत कर्मचारियों के लिये और एलआईसी (1996-98) सेवानिवृत्त सदस्यों के लिये) | | |
| प्रयोग विधि | अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि | | |

ग. बीमांकिक धारणा के आधार पर विचार किया गया

| विवरण | धारणा का आधार |
|----------------------------------|---|
| प्लान एसेट्स पर संभावित आय की दर | एक वर्ष का ब्याज दर |
| वेतन में वृद्धि की दर | बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है। |

C. Reconciliation of fair value of assets and obligations: (₹ '000)

| Particulars | Pension Fund | | Gratuity Fund | |
|---|--------------|----------|---------------|----------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Fair value of plan assets as at the end of the year | 31557644 | 31079039 | 9790151 | 10823791 |
| Present value of obligations as at the end of the year | 58956241 | 43862659 | 10237863 | 11108693 |
| Absorbed Liability | 2531190 | 2531190 | 0 | 0 |
| Unfunded liability/ (asset) recognized in the Balance Sheet | 24867407 | 15314810 | 447712 | 284902 |

D. Expense recognized in the Profit and Loss account: (₹ '000)

| Particulars | Pension Fund | | Gratuity Fund | |
|--|--------------|-----------|---------------|---------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Current service cost | 841211 | 734198 | 246513 | 263932 |
| Interest cost | 3048155 | 2414011 | 662082 | 682849 |
| Expected return on plan assets | (1607497) | (2451219) | (709222) | 711320 |
| Net Actuarial (gain)/loss | 20729341 | 12521555 | 1517175 | 317944 |
| Received from other companies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortization During the year | 2531190 | 0 | 0 | 0 |
| Total expenses recognized in the Profit and Loss account | 25542400 | 13218545 | 1716548 | 553405 |
| Actual return on plan assets | 5018668 | (2709021) | 713380 | 1076001 |

E. Investment percentage maintained by the trust (In %)

| Particulars | Pension (Funded) | | Gratuity (Funded) | |
|--------------------------------------|------------------|---------|-------------------|---------|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Government securities | 7.13 | 8.69 | 6.31 | 12.40 |
| High Quality Corporate Bonds | 12.42 | 15.30 | 1.06 | 12.40 |
| Equity Shares of Listed Co. | 0.47 | 1.49 | 0 | 0 |
| Special Deposit Scheme (Mutual Fund) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 79.98 | 74.52 | 92.63 | 75.20 |

F. Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet date (expressed as weighted average) (In %)

| Particulars | Pension (Funded) | Gratuity (Funded) | Leave Encashment (Unfunded) |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Discount rate | 7.48 | 7.47 | 7.47 |
| Expected rate of return on plan assets | 7.40 | 7.00 | N.A |
| Rate of escalation in salary | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Employee turnover | Not significant | | |
| Mortality | LIC (2012-14) for serving employees and LIC (2012-15) for retired members Previous Year -(LIC (2006-08) for serving employees and LIC (1996-98) for retired members) | | |
| Method used | Projected Unit Credit Method | | |

G. Basis of Actuarial assumption considered

| Particulars | Basis of assumption |
|--|---|
| Expected rate of return on plan assets | One-year Interest rate |
| Rate of escalation in salary | The estimate of future salary increase, considered in actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employment market |

ह. (1) चालू वर्ष और गत चार वर्षों में मान्य की गई राशि : (₹ '000)

| विवरण (पेंशन) | वर्ष अंत | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31-03-2019 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2022 | 31-03-2023 |
| परिभाषित लाभ दायित्व | 31965544 | 48881898 | 42036243 | 46393849 | 56425051 |
| प्लान एसेट्स | 29388303 | 31856204 | 33506000 | 31079039 | 31557644 |
| आधिक्य/ (घाटा) | (339937) | (17025694) | (8530243) | (15314810) | (24867407) |
| प्लान दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि | 2237304 | 35156163 | 9100721 | 12779357 | 24140513 |
| प्लान एसेट्स पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि | 91922 | (76756) | (480044) | (257801) | 3411171 |

ह. (2) चालू वर्ष और गत चार वर्षों में मान्य की गई राशि: (₹ '000)

| विवरण (उपदान) | वर्ष अंत | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31-03-2019 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2022 | 31-03-2023 |
| परिभाषित लाभ दायित्व | 11514123 | 12320302 | 12198456 | 11108693 | 10237863 |
| प्लान एसेट्स | 10496842 | 13307618 | 10696300 | 10823791 | 9790151 |
| आधिक्य/ (घाटा) | (1017281) | 987316 | (1502156) | (284902) | (447712) |
| प्लान दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि | 483469 | 954612 | 1007920 | 682624 | 1521333 |
| प्लान एसेट्स पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि | 106707 | (125968) | (136059) | 364681 | 4158 |

34. नियामक आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित मदों के अंतर्गत किए गए व्ययों का खुलासा किया जाता है: (₹ '000)

| विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|------------------|------------|------------|
| आऊटसोर्सिंग व्यय | 332550 | 227205 |
| व्यवसाय विस्तार | 734749 | 742447 |
| विपणन समर्थन | NIL | NIL |

35. संबंधित पक्ष के खुलासे (एएस 18):

अ. संबंधित कक्ष का नाम और कंपनी के साथ संबंध:

i) सहायक

मे. जेनीथ सेक्यूरिटीज एंड इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड:

ii) सहयोगियाँ

मे. इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेंस पीटीई लि. सिंगापूर

मे. हैल्थ इश्यूरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लि. भारत

iii) सामान्य निदेशक

मे. कैम इंडिया एश्यूरेंस कं.लि. केन्या

मे. जीआईसी हाऊसिंग फायनांस लि. भारत

iv) प्रमुख प्रबंध कार्मिक

श्री सत्यजीत त्रिपाठी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (01-04-2022 से)

श्री नवनीत डोडा, महाप्रबंधक पू का नि(21.11.2022 से 30.11.2022 तक)

सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि, महाप्रबंधक पू का नि (18.11.2022 से)

श्री जी सुंदररामन, महाप्रबंधक सी एफ ओ (01-04-2022 से).

सुश्री अनघा शांतनु देशपांडे, कंपनी सचिव (01-04-2022 से).

H. (1) Amount recognized in current year and previous four years: (₹ '000)

| Particulars (Pension) | Year Ended | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31-03-2019 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2022 | 31-03-2023 |
| Defined Benefit Obligation | 31965544 | 48881898 | 42036243 | 46393849 | 56425051 |
| Plan Assets | 29388303 | 31856204 | 33506000 | 31079039 | 31557644 |
| Surplus/(Deficit) | (339937) | (17025694) | (8530243) | (15314810) | (24867407) |
| Actuarial (gain)/loss on plan obligation | 2237304 | 35156163 | 9100721 | 12779357 | 24140513 |
| Actuarial (gain)/loss on plan assets | 91922 | (76756) | (480044) | (257801) | 3411171 |

H. (2) Amount recognized in current year and previous four years: (₹ '000)

| Particulars (Gratuity) | Year Ended | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31-03-2019 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2022 | 31-03-2023 |
| Defined Benefit Obligation | 11514123 | 12320302 | 12198456 | 11108693 | 10237863 |
| Plan Assets | 10496842 | 13307618 | 10696300 | 10823791 | 9790151 |
| Surplus/(Deficit) | (1017281) | 987316 | (1502156) | (284902) | (447712) |
| Actuarial (gain)/loss on plan obligation | 483469 | 954612 | 1007920 | 682624 | 1521333 |
| Actuarial (gain)/loss on plan assets | 106707 | (125968) | (136059) | 364681 | 4158 |

34. The expenses incurred under the following heads are disclosed as per Regulatory requirement: (₹ '000)

| Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|----------------------|------------|------------|
| Outsourcing Expenses | 332550 | 227205 |
| Business Development | 734749 | 742447 |
| Marketing Support | NIL | NIL |

35. Related party disclosures (AS 18):

a. Name of the related party and their relationship with the company:

i) **Subsidiary**

M/s. Zenith Securities and Investments Limited

ii) **Associates**

M/s. India International Insurance Pte Ltd., Singapore

M/s. Health Insurance TPA of India Ltd., India

iii) **Common Director**

M/s. Ken India Assurance Co Ltd., Kenya

M/s GIC Housing Finance Ltd., India

iv) **Key Management Personnel**

Shri Satyajit Tripathy, Chairman cum Managing Director (From 01-04-2022).

Shri Navneet Doda, General Manager & WTD (from 21.11.2022 to 30.11.2022)

Ms. Rajeshwari Singh Muni, General Manager & WTD (from 18.11.2022)

Shri G Sundararaman, General Manager & CFO (From 01-04-2022).

Ms. Anagha Shantanu Deshpande, Company Secretary (From 01-04-2022).

अ. व्यवहारों का विवरण:

(₹ '000)

| क्र. सं. | विवरण | मे. इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेंस पीटीई लि. | मे. कैन इंडिया इश्यूरेंस कं.लि. | मे. हैल्थ इश्यूरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लि. | मे. जीआईसी हाऊसिंग फायनांस लि. | प्रमुख प्रबंध कार्मिक | |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------|
| 1. | वर्ष के दौरान व्यवहार | | | | | | |
| र. | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | 56780.00 | 4390.34 | शून्य | 17802 | शून्य |
| | | 31-03-2022 | 41122.50 | 3131.40 | शून्य | 15824 | शून्य |
| ल. | ईफ्रिटी में निवेश | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ल. | पुनर्बीमा व्यवहार | | | | | | |
| | - प्रत्यक्ष को देय | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | 130747 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | 31-03-2022 | 19523 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | - प्रत्यक्ष से देय | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| व. | प्राप्त निदेशकों का पारिश्रामिक | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | 146 | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | 136 | शून्य | शून्य | शून्य |
| श. | वेतन, भत्ते एवं अन्य योगदान | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 11704 |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 9277 |
| ष. | प्राप्त किराया | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | 646 | 106 | Nil |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | 1185 | 530 | Nil |
| स. | किराया प्राप्य | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | 54 | 543 | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | 173 | 269 | शून्य |
| ह. | वर्ष के दौरान भुगतान किया गया टीपीए शुल्क | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | 101658 | शून्य | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | 114141 | शून्य | शून्य |
| ळ. | देय टीपीए शुल्क | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | 1074 | शून्य | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | 32199 | शून्य | शून्य |
| क्ष. | ब्याज का भुगतान | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | शून्य | 62771 | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | 83255 | शून्य |
| झ. | चुकाया गया ऋण | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | शून्य | 164486 | शून्य |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | 189466 | शून्य |
| 2. | ऋण और अग्रिम का शेष इस प्रकार है: | | | | | | |
| | | 31-03-2023 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 4719 |
| | | 31-03-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 5074 |

चूंकि कंपनी और उसकी सहायक कंपनी शासन नियंत्रित हैं, इसलिए लेखांकन मानक एए-18 की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य शासन नियंत्रित उपक्रमों के साथ लेनदेन से संबंधित कोई खुलासा नहीं किया जाता है।

b. Details of Transactions

(₹ '000)

| Sl. No | Particulars | M/s. India International Insurance Pte Ltd. | M/s. Ken India Assurance Co Ltd. | M/s. Health Insurance TPA of India Ltd. | M/s GIC Housing Finance Ltd. | Key Managerial Personnel |
|--------|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| 1. | Transactions during the year | | | | | |
| a. | Dividend received during the year | | | | | |
| | 31-03-2023 | 56780.00 | 4390.34 | Nil | 17802 | Nil |
| | 31-03-2022 | 41122.50 | 3131.40 | Nil | 15824 | Nil |
| b. | Investment in Equity | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| c. | Reinsurance transactions | | | | | |
| | - Due to Direct | | | | | |
| | 31-03-2023 | 130747 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | 31-03-2022 | 19523 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | - Due from Direct | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| d. | Director's Remuneration Received | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | 146 | Nil | Nil | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | 136 | Nil | Nil | Nil |
| e. | Salaries, Allowances and Contributions | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | Nil | Nil | 11704 |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | Nil | Nil | 9277 |
| f. | Rent received | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | 646 | 106 | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | 1185 | 530 | Nil |
| g. | Rent receivable | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | 54 | 543 | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | 173 | 269 | Nil |
| h. | TPA fees paid during the year | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | 101658 | Nil | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | 114141 | Nil | Nil |
| i. | TPA fees payable | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | 1074 | Nil | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | 32199 | Nil | Nil |
| j. | Interest Paid | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | Nil | 62771 | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | Nil | 83255 | Nil |
| k. | Loan Repaid | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | Nil | 164486 | Nil |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | Nil | 189466 | Nil |
| 2. | Balances of Loan and Advances as on: | | | | | |
| | 31-03-2023 | Nil | Nil | Nil | Nil | 4719 |
| | 31-03-2022 | Nil | Nil | Nil | Nil | 5074 |

Since the Company and its Subsidiary are State controlled, no disclosures are made pertaining to the transactions with other State controlled undertakings in accordance with the requirements of the Accounting Standard AS-18.

36. पट्टे – एएस-19

कंपनी ने किराया समझौते में समाप्ति खंड के साथ विभिन्न वाणिज्यिक परिसरों और आवासीय फ्लैटों को पट्टे पर लिया है (समाप्ति पूर्व समझौते को समाप्त करने के प्रावधान के साथ)। इन पट्टा समझौतों को आम तौर पर तत्कालीन प्रचलित शर्तों / आवश्यकताओं के आधार पर समीक्षा के बाद समाप्ति पर नवीनीकृत किया जाता है। पट्टा शर्तें/समझौते आमतौर पर कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक प्रारूपों के आधार पर निष्पादित किए जाते हैं। राजस्व खाते में चार्ज किए गए परिचालन पट्टों के संबंध में पट्टा किराये का खर्च ₹ 1222640 हजार (₹ 1176992 हजार) है।

37. एएस 20 के अनुसार प्रकटीकरण प्रति अंश आय

| क्र. सं. | विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|----------|--|------------|------------|
| 1. | शुद्ध लाभ/(हानि) अंश धारकों के कारण (₹ हजारों में) | -28464863 | -21449526 |
| 2. | जारी किए गए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (संख्या में) | 3905000000 | 3805273973 |
| 3. | प्रति अंश मूल आय ₹10/- प्रति | -7.29 | -5.64 |

कंपनी के पास कोई बकाया डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयर नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी की प्रति शेयर मूल और घटी हुई आय यथावत रहती है।

38. लेखांकन मानक-22 की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय की आभासी निश्चितता के अभाव में 31 मार्च 2023 तक वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि, हमारी सहायक कंपनी जेनिथ सिक्वोरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने ₹ 4.04 हजार (शून्य) की राशि के लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति और शून्य (₹ 7.72 हजार) की राशि के लिए आस्थगित कर देयता को मान्यता दी है।
39. प्रबंधन की राय में, कंपनी की परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं है जिसके लिए लेखांकन मानक -28 के संदर्भ में किसी भी समायोजन की आवश्यकता है।

40. प्रबंधन द्वारा प्रमाणित क्षेत्रवार सकल प्रीमियम इस प्रकार है:

(₹ '000)

| क्र. सं. | विवरण | 31-03-2023 | | | 31-03-2022 | | |
|----------|--|------------------|---|---------------|------------------|---|---------------|
| | | मूल्य | जारी की गई पॉलिसियों और कवर किए गए जीवन की संख्या | % | मूल्य | जारी की गई पॉलिसियों और कवर किए गए जीवन की संख्या | % |
| 1. | ग्रामीण क्षेत्र (जारी की गई पॉलिसियों की संख्या) | 15707799 | | 8.90 | 11910300 | | 7.58 |
| 2. | सामाजिक क्षेत्र (कवर किए गए जीवन की संख्या) | 28814901 | 186873 | 16.33 | 20991300 | 156956 | 13.35 |
| 3. | अन्य क्षेत्र | 131920351 | - | 74.77 | 124320887 | - | 79.07 |
| | कुल व्यवसाय | 176443051 | | 100.00 | 157222487 | | 100.00 |

41. जोखिम की सीमा और पुनर्बीमा का विवरण इस प्रकार है:

(खप %)

| क्र. सं. | विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|----------|------------------|------------|------------|
| 1. | बरकारार जोखिम | 87.26 | 85.46 |
| 2. | पुनर्बीमित जोखिम | 12.74 | 14.54 |

42. अ. अन्य प्रावधानों का विवरण

(₹ '000)

| विवरण | अवकाश नगदीकरण के लिये प्रावधान दीर्घकालिक | | चिकित्सकीय अवकाश | | अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | |
|------------|---|------------|------------------|------------|---|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| आरंभिक शेष | 2850513 | 2677756 | 94557 | 100041 | 8294486 | 7649052 |
| परिवर्धन | 2067826 | 0 | 0 | 0 | 961481 | 1471954 |
| उपयोगीकरण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उलटाव | 0 | 172757 | 94557 | 5484 | 25744 | 826520 |
| अंतिम शेष | 4918339 | 2850513 | 0 | 94557 | 9230223 | 8294486 |

36. Leases- AS-19

The Company has taken various commercial premises and residential flats on lease with Termination Clause in the Rent Agreement with provision to terminate the agreement before its expiry. These lease agreements are normally renewed on expiry after review based on the then prevalent conditions / requirements. Lease Terms / Agreements are usually executed based on Standard Formats as per Company guidelines. Lease rental expense in respect of operating leases charged to revenue account is 1222640 thousands (₹ 1176992 thousands).

37. Disclosures as per AS 20 "Earnings per Share"

| Sl. No | Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--------|---|------------|------------|
| 1. | Net Profit/(Loss) attributable to shareholders (₹ in thousands) | -28464863 | -21449526 |
| 2. | Weighted Average Number of Equity Shares issued (in Nos.) | 3905000000 | 3805273973 |
| 3. | Basic earnings per share of ₹10/- each | -7.29 | -5.64 |

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

38. Deferred Tax Assets has not been recognized in the financial statements as on 31st March 2023 in the absence of virtual certainty of sufficient future taxable income as per the requirements of Accounting Standard-22. However, our subsidiary Zenith Securities and Investments Ltd. has recognized Deferred Tax Asset for an amount of ₹ 4.04 thousands (NIL) and Deferred Tax Liability for an amount of NIL (₹ 7.72 thousands).
39. In the opinion of the management, there is no impairment of assets of the company that require any adjustment to be made in terms of Accounting Standard-28.

40. The sector-wise Gross Premium underwritten as certified by the Management is as follows: (₹ '000)

| Sl. No. | Particulars | 31-03-2023 | | | 31-03-2022 | | |
|---------|---------------------------------------|------------------|---|---------------|------------------|---|---------------|
| | | Value | No of Policies issued and lives covered | % | Value | No of Policies issued and lives covered | % |
| 1. | Rural Sector (No. of Policies issued) | 15707799 | | 8.90 | 11910300 | | 7.58 |
| 2. | Social Sector (Lives covered) | 28814901 | 186873 | 16.33 | 20991300 | 156956 | 13.35 |
| 3. | Other Sector | 131920351 | - | 74.77 | 124320887 | - | 79.07 |
| | Total Business | 176443051 | | 100.00 | 157222487 | | 100.00 |

41. The details for extent of risk retained and reinsured are as follows: (In %)

| Sl. No. | Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|---------|----------------|------------|------------|
| 1. | Risk Retained | 87.26 | 85.46 |
| 2. | Risk Reinsured | 12.74 | 14.54 |

42. A. Details of Other Provisions (₹ '000)

| Particulars | Provision for Leave Encashment Long term | | Sick Leave | | Provision for Bad and Doubtful Debts | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Opening balance | 2850513 | 2677756 | 94557 | 100041 | 8294486 | 7649052 |
| Additions | 2067826 | 0 | 0 | 0 | 961481 | 1471954 |
| Utilization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reversals | 0 | 172757 | 94557 | 5484 | 25744 | 826520 |
| Closing balance | 4918339 | 2850513 | 0 | 94557 | 9230223 | 8294486 |

ब. कर्मचारियों को अल्प कालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ जो उस अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर पूरी तरह से देय हो जाते हैं जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है, जैसे अवकाश यात्रा सब्सिडी, चिकित्सा लाभ अनुमान के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

43. **प्रीमियम की कमी** : राजस्व खंड स्तर पर असमाप्त प्रीमियम रिजर्व नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित अपेक्षित दावा लागत और प्रबंधन द्वारा अनुमानित दावे से संबंधित व्ययों को कवर करने के लिए पर्याप्त पाया गया है। इसलिए, वर्ष के दौरान कोई प्रीमियम कमी आरक्षित प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, प्रीमियम की कमी केवल विमानन, व्यक्तिगत दुर्घटना और फसल पोर्टफोलियो में उत्पन्न हुई है और इसका खुलासा यहाँ किया गया है। (₹ '000)

| खंड | कमी | |
|--------------------|------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| मोटर | 0 | 472963 |
| विमानन | 11952 | 5084 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | 87463 | 0 |
| फसल | 7084 | 0 |

44. दिनांक 28-05-2015 के परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/CLD/114/05/2015 के अनुसार अनधियाचित राशि और उस पर निवेश आय का खुलासा। (₹ '000)

| विवरण | चालू वर्ष | | गत वर्ष | |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | पॉलिसी बकाया | अर्जित आय | पॉलिसी बकाया | अर्जित आय |
| आरंभिक शेष | 786125 | 10994 | 789124 | 11557 |
| जोड़ें: अनधियाचित राशि को अंतरित राशि | 413440 | 0 | 2469412 | 0 |
| जोड़ें: अनधियाचित राशि का चेक जारी किया गया लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाया नहीं गया (चेक पुराने होने पर ही शामिल किया जाएगा) | 13252 | 0 | 7652 | 0 |
| जोड़ें: अनधियाचित निधि पर निवेश से आय | 42864 | 3991 | 44091 | -563 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान दावों के भुगतान की राशि | 430718 | 0 | 2486655 | 0 |
| घटाएं: एससीडब्लूएफ को अंतरित राशि (पूर्व हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का शुद्ध) | 102206 | 0 | 37499 | 0 |
| अनधियाचित राशि का अंतिम शेष | 722758 | 14985 | 786125 | 10994 |

नोट: (i) आईआरडीएआई परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/MISC/173/07/2017 दिनांक 25.07.2017 और परिपत्र संख्या RDA/F&A/CIR/MISC/20/02/2018 दिनांक 06.02.2018 के अनुसार 102206 हजार (₹ 37499 हजार) की राशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित कर दी गई है।

(ii) पॉलिसीधारकों से संबंधित अनधियाचित राशि के लिए ₹ 740500 हजार (₹ 867946 हजार) की राशि का सावधि जमा शेष 31-03-2023 तक उपलब्ध है।

(iii) पॉलिसीधारकों के अनधियाचित राशि का आयु-वार विश्लेषण अनुबंध -II में संलग्न है।

45. अ. पॉलिसीधारकों की शेष राशि से संबंधित विविध क्रेडिट शेष को लेखांकन नीति के अनुसार लाभ और हानि खाते में अवलेखित किया जाता है, जिसमें ₹ 897508 हजार शामिल हैं जो तीन साल से अधिक पुराने निरस्त और रोके गए चेक को प्रदर्शित करते हैं।

ब. 31.03.2023 तक, चूंकि कंपनी का निवलमूल्य (अंशधारकों की निधि) नकारात्मक हो गया है, अतः UIIC (होलिंग कंपनी) का पूरा निवेश पॉलिसी धारक निधि के अंतर्गत दिखाया गया है। सहायक कंपनी का निवेश और सहयोगी के अधिग्रहण के बाद के लाभ/हानि का हिस्सा अंशधारक निधि के अंतर्गत दिखाया गया है।

46. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम 2016 के अनुसार व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रबंधन व्यय की गणना की गई है। खंडों के प्रबंधन के व्यय, जो स्वीकार्य सीमा के भीतर हैं उन्हें राजस्व खातों में लिखे गए हैं। उन खंडों के लिए प्रबंधन का खर्च जो स्वीकार्य सीमा से अधिक हो गया है, उन्हें लाभ और हानि खाते (शेयरधारकों के खाते) से ₹ 24390211 हजार (₹ 5886537 हजार) के लिये लिखा गया है।

B. Short Term Benefits to Employees

Short term employee benefits which fall due wholly within 12 months after the end of the period in which the employee rendered the related service, such as leave travel subsidy, medical benefits are provided based on estimates.

43. **Premium Deficiency:** The Unexpired Premium Reserve at revenue segment level is found to be sufficient to cover the expected claims cost as certified by the appointed actuary and the claims related expenses as estimated by the management. Hence, no premium deficiency reserve is required to be provided during the year. However, premium deficiency has arisen only in Aviation, Personal Accident and Crop portfolio and the same is disclosed here.

(₹ '000)

| Segment | Deficiency | |
|-------------------|------------|------------|
| | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
| Motor | 0 | 472963 |
| Aviation | 11952 | 5084 |
| Personal Accident | 87463 | 0 |
| Crop | 7084 | 0 |

44. Disclosure of Unclaimed amount and Investment Income thereon as per circular No. IRDA/F&A/CIR/CLD/114/05/2015 dated 28-05-2015.

(₹' 000)

| Particulars | Current Year | | Previous Year | |
|---|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | Policy Dues | Income Accrued | Policy Dues | Income Accrued |
| Opening Balance | 786125 | 10994 | 789124 | 11557 |
| Add: Amount Transferred to Unclaimed Amount | 413440 | 0 | 2469412 | 0 |
| Add: Cheque issued out of the Unclaimed amount but not encashed by the policyholders (to be included only when the cheques are stale) | 13252 | 0 | 7652 | 0 |
| Add: Investment Income on Unclaimed Fund | 42864 | 3991 | 44091 | -563 |
| Less: Amount of claims paid during the year | 430718 | 0 | 2486655 | 0 |
| Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier) | 102206 | 0 | 37499 | 0 |
| Closing Balance of Unclaimed Amount | 722758 | 14985 | 786125 | 10994 |

*Note: (i) An amount of ₹ 102206 thousands (₹ 37499 thousands) has been transferred to Senior Citizens welfare Funds as per IRDAI Circular No. IRDA/F&A/CIR/MISC/173/07/2017 dated 25.07.2017 and Circular No. IRDA/F&A/CIR/MISC/20/02/2018 dated 06.02.2018.

(ii) Fixed Deposit balance for an amount of ₹ 740500 thousands (₹ 867946 thousands) is available as on 31-03-2023 towards unclaimed amount pertaining to policyholders.

(iii) Age wise analysis of unclaimed amount of Policyholders' funds is enclosed in Annexure-II.

45. (a) Sundry credit balances not pertaining to policyholders' balances are written back to profit and loss account as per accounting policy, which includes ₹ 897508 thousands representing write back of stale and stop cheques more than three years old.
- (b) As on 31.03.2023, since the Networth (Shareholders funds) of the Company has become negative, the entire investment of UIIC (holding company) has been shown under Policy holder fund. The Investment of the Subsidiary company and Share of post acquisition profit/loss of associate is shown under shareholder fund.
46. Expenses of management expenses over allowable limits have been computed in respect of different lines of business in terms of Insurance regulatory and Development Authority of India (Expenses of management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations 2016. The Expenses of management for the segments, which are within the allowable limits, have been charged to the Revenue Accounts. Expenses of Management for the segments which have exceeded the allowable limits have been charged to the Profit & Loss Account (Shareholders Account) to the tune of ₹ 24390211 thousands (₹ 5886537 thousands).

47. पर्यावरण और वन मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4.11.2008 के तहत "पर्यावरण राहत कोष" (ईआरएफ) के लिए फंड मैनेजर के रूप में कंपनी को पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया और नवीनतम अधिसूचना संख्या के तहत जी.एस.आर. 34 (ई) दिनांक 15 जनवरी 2020 के अनुसार कंपनी को फंड मैनेजर के रूप में 15 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई। संरचना, वैधानिक आवश्यकताओं और अन्य परिचालन मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण की प्राप्ति तक, कंपनी ने निधि के गैर लेखा परीक्षित खातों के आधार पर आय के रूप में सेवा शुल्क (व्ययों का शुद्ध) ₹ 3621 हजार (₹ 3066 हजार) को वर्ष के दौरान उक्त अधिसूचना के संदर्भ में फंड मैनेजर को मान्यता दी है।

48. विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाइयों का विवरण:

| क्र. सं. | प्राधिकारी | गैर अनुपालन/ उल्लंघन | लगाया गया जुर्माना (₹ '000) | जुर्माना का भुगतान (₹ '000) | जुर्माना माफी/ कम किया गया (₹ '000) |
|----------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. | बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | सेवा कर/ जीएसटी प्राधिकारी | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | आयकर प्राधिकारी | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | कोई अन्य कर प्राधिकारी | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या एफईएमए के तहत कोई प्राधिकरण | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | कंपनी रजिस्ट्रार/एनसीएलटी/सीएलबी/ कॉर्पोरेट मामलों का विभाग या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कोई प्राधिकरण | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | मुआवजे को छोड़कर दावा निपटान सहित लेकिन किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया जुर्माना | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/बीएसई | विनियमन संख्या 52 (1), 52 (4), 54 (2), 50 (2), 53 (2), 6 (1), 7 (1) ष सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 | 1185 | 0 | 1185 |
| 9 | भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | कोई अन्य केंद्रीय/राज्य/स्थानीय सरकार/ वैधानिक प्राधिकरण | - | 0 | 0 | 0 |

वर्ष के दौरान किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

49. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान पर अध्याय के तहत प्रकटीकरण आवश्यक है।

| विवरण | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|------------|------------|
| वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया | शून्य | शून्य |
| उपरोक्त राशि पर ब्याज | शून्य | शून्य |
| एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि। | शून्य | शून्य |
| वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि | शून्य | शून्य |
| भुगतान में विलंब के लिए देय और भुगतान किये जाने वाली ब्याज की राशि, लेकिन अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना | शून्य | शून्य |
| वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त शेष ब्याज की राशि | शून्य | शून्य |

उपरोक्त जानकारी को इस हद तक संकलित किया गया है कि कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पाटियों की पहचान की गई है।

47. The Company was appointed as Fund Manager for “Environment Relief Fund” (ERF) vide Ministry of Environment and Forest’s Gazette Notification dated 4.11.2008 for a period of five years and vide latest notification no. G.S.R 34 (E) dated 15th January 2020, the company’s position as Fund Manager was extended up to 15th August 2024. Pending receipt of clarification regarding Constitution, statutory requirements and other operational issues, the Company in terms of the said notification has recognized Fund Manager’s service charges (net of expenses) to the tune of ₹ 3621 thousands (₹ 3066 thousands) as income during the year, based on the unaudited accounts of the Fund.

48. Details of penal actions taken by various Government Authorities:

| Sl. no | Authority | Non-Compliance / Violation | Penalty Awarded (₹ ‘000) | Penalty Paid (₹ ‘000) | Penalty Waived / Reduced (₹ ‘000) |
|--------|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. | Insurance Regulatory and Development Authority | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Service Tax / GST Authorities | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Income Tax Authorities | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Any other Tax Authorities | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Enforcement Directorate / Adjudicating Authority / Tribunal or any Authority under FEMA | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Registrar of Companies / NCLT / CLB / Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956 | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penalty awarded by any Court / Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Securities and Exchange Board of India / BSE | Regulation No 52(1), 52(4), 54(2), 50(2), 53(2), 6(1), 7(1) of SEBI(LODR) Regulations, 2015 | 1185 | 0 | 1185 |
| 9 | Competition Commission of India | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Any other Central / State / Local Government / Statutory Authority | - | 0 | 0 | 0 |

No other penal action has been taken by any other Government Authority during the year.

49. Disclosures required under Section 22 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 under the Chapter on Delayed Payments to Micro and Small Enterprises.

| Particulars | 31-03-2023 | 31-03-2022 |
|--|------------|------------|
| Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the year | Nil | Nil |
| Interest due on the above amount | Nil | Nil |
| Amount of interest paid in terms of Section 16 of the MSMED Act, 2006. | Nil | Nil |
| Amount of payments made to the suppliers beyond the appointed day during the year | Nil | Nil |
| Amount of interest due and payable for the delay in making the payment but without adding the interest specified under the Act | Nil | Nil |
| Amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the year | Nil | Nil |

The above information has been compiled to the extent such parties have been identified based on information available with the company.

50. (अ) कंपनी खातों को बंद करने से पहले मई 2021 में एलसीबी मुंबई में एक बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ और इसमें ₹ 2046911 हजार की राशि संलिप्त थी और यह पिछले वर्ष के खातों में पूरी तरह से प्रावधान की गई थी। जून 2022 में हमें आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई (ईओडब्ल्यू) द्वारा की गई वसूली में से अदालत के आदेश के अनुसार क्षतिपूर्ति बांड के निष्पादन पर ₹ 791160 हजार की राशि प्राप्त हुई है। ईओडब्ल्यू द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 98749 हजार की राशि और वसूल की गई है, जिसे एस्करो खाते में जमा किया गया है, राशि जारी करने के लिए अदालत के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न पक्षों से वसूल की गई ₹ 153187 हजार की राशि और ₹ 45397 हजार की छह संपत्तियों को कुर्क कर लिया है।
- (ब) मंडल कार्यालय सूरत में वर्ष 2021-22 में उजागर हुए ₹ 21145 हजार की धोखाधड़ी को पिछले वित्तीय वर्ष में पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। कर्मचारी हिरासत में है और जांच जारी है।
51. वर्तमान वर्ष के समूहों/वर्गीकरणों के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहीकरण/पुनर्वर्गीकरण/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्निर्माण किया गया है।
52. वित्तीय विवरण के वर्णनात्मक भाग में आंकड़े हजारों रुपये में हैं, जो आईआरडीआई मानदंडों के अनुरूप हैं।
53. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष से संबंधित हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 30.05.2023

समेकित वित्तीय विवरण
टिप्पणियाँ जो खातों का हिस्सा हैं

50. (a) A major fraud was unearthed in LCB Mumbai in May 2021 before the closure of company accounts and the amount involved was ₹ 2046911 thousands and this is fully provided for in the earlier year accounts. In June 2022 we have received an amount of ₹ 791160 thousands on execution of indemnity bond as per the court order out of recoveries made by Economic offence wing, (EOW) Mumbai. An amount of ₹ 98749 thousands has been further recovered during the current financial year by EOW which is deposited in the escrow account awaiting court order for releasing the amount. Enforcement directorate has attached an amount of ₹ 153187 thousands recovered from various parties and six properties worth ₹ 45397 thousands.
- (b) Fraud unearthed in the year 2021-22 amounting to ₹ 21145 thousands at DO Surat has been fully provided in the last financial year. The employee is in detention and investigation is in progress.
51. Regrouping/reclassifying/rearranging/recasting of previous year figures has been done wherever necessary to conform to the current year groupings/classifications.
52. Figures in the narrative part of financial statements are in thousands of Rupees, conforming to IRDAI norms.
53. Figures given in brackets relate to previous year.

For and on behalf of Board

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

Vide our report of date attached

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

31-03-2023 को बकाया दावों का बयान (भारतीय व्यवसाय)
अनुलग्नक -1

(₹ in '000)

| विभाग | 30 दिन या उससे कम अवधि के लिये शेष | | 3 महीने या उससे कम परन्तु 30 दिन से अधिक अवधि के लिये शेष | | 6 महीने या उससे कम परन्तु 3 महीने से अधिक अवधि के लिये शेष | | 1 साल या उससे कम परन्तु 6 महीने से अधिक अवधि के लिये शेष | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---|----------------|--|----------------|--|-----------------|
| | सं. | राशि | सं. | राशि | सं. | राशि | सं. | राशि |
| अग्नि | 212 | 799197 | 209 | 1544637 | 310 | 1409212 | 626 | 4432867 |
| समुद्री नौभार | 186 | 56530 | 289 | 118362 | 341 | 136613 | 506 | 247883 |
| समुद्री पोत | 22 | 17570 | 27 | 33694 | 84 | 126749 | 49 | 399934 |
| मोटर निजी क्षति | 24979 | 1098385 | 15725 | 1526999 | 8306 | 1214444 | 3243 | 580698 |
| मोटर तृतीय पक्ष | 3108 | 2084988 | 4418 | 2773795 | 7490 | 4425557 | 14899 | 9513891 |
| मोटर अस्वीकृत जोखिम पूल | 6 | 534 | 5 | 275 | 4 | 202 | 9 | 4094 |
| मोटर तृतीय पक्ष पूल | 23 | 13131 | 26 | 6441 | 26 | 10036 | 75 | 15850 |
| कर्मकार प्रतिकर | 28 | 7699 | 59 | 8872 | 71 | 16809 | 90 | 29779 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | 353 | 1133956 | 664 | 343802 | 659 | 387897 | 556 | 303929 |
| विमानन | 0 | 0 | 1 | 7050 | 3 | 11486 | 6 | 26656 |
| इंजीनियरिंग | 348 | 137133 | 466 | 175878 | 416 | 345506 | 500 | 1143272 |
| जमा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य विविध | 666 | 125933 | 831 | 236944 | 634 | 319585 | 615 | 503333 |
| देयतायें | 12 | 6474 | 14 | 14804 | 26 | 42188 | 67 | 79149 |
| स्वास्थ्य व अस्पतालीकरण | 44519 | 5550792 | 30750 | 1249968 | 29326 | 565487 | 58853 | 1083078 |
| फ़सल | 6 | 6674 | 0 | 0 | 1 | 382315 | 1 | 1123857 |
| कुल | 74468 | 11038996 | 53484 | 8041521 | 47697 | 9394084 | 80095 | 19488267 |

| विभाग | 3 वर्ष या उससे कम लेकिन 1 वर्ष से अधिक केलिये लंबित | | 5 वर्ष या उससे कम लेकिन 3 वर्ष से अधिक केलिये लंबित | | 5 वर्ष से अधिक केलिये लंबित | | कुल | |
|-------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | सं. | राशि | सं. | राशि | सं. | राशि | सं. | राशि |
| अग्नि | 506 | 7357082 | 328 | 5070295 | 806 | 4111400 | 2997 | 24724688 |
| समुद्री नौभार | 400 | 1286293 | 139 | 158788 | 320 | 517406 | 2181 | 2521874 |
| समुद्री पोत | 65 | 3450502 | 41 | 1391728 | 68 | 339823 | 356 | 5760000 |
| मोटर निजी क्षति | 1349 | 317281 | 965 | 212471 | 1504 | 246402 | 56071 | 5196679 |
| मोटर तृतीय पक्ष | 41625 | 27203936 | 39354 | 24077518 | 41216 | 19423769 | 152110 | 89503454 |
| मोटर अस्वीकृत जोखिम पूल | 36 | 9120 | 59 | 20887 | 431 | 190616 | 550 | 225726 |
| मोटर तृतीय पक्ष पूल | 290 | 115978 | 552 | 180813 | 6596 | 2507417 | 7588 | 2849665 |
| कर्मकार प्रतिकर | 214 | 68100 | 186 | 66731 | 515 | 161601 | 1163 | 359590 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | 662 | 481632 | 197 | 73295 | 609 | 196090 | 3700 | 2920600 |
| विमानन | 17 | 1370123 | 19 | 124007 | 7 | 7880 | 53 | 1547202 |
| इंजीनियरिंग | 567 | 1429148 | 111 | 1945695 | 160 | 2545211 | 2568 | 7721843 |
| जमा | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4361 | 5 | 4361 |
| अन्य विविध | 720 | 658897 | 366 | 375666 | 962 | 686488 | 4794 | 2906846 |
| देयतायें | 122 | 340162 | 214 | 275712 | 1085 | 354855 | 1540 | 1113344 |
| स्वास्थ्य व अस्पतालीकरण | 36408 | 1232843 | 1476 | 122321 | 1011 | 78730 | 202343 | 9883219 |
| फ़सल | 17 | 195672 | 28 | 1174747 | 1 | 9241 | 54 | 2892506 |
| कुल | 82998 | 45516769 | 44035 | 35270673 | 55296 | 31381288 | 438073 | 160131597 |

AGE WISE CLAIMS OUTSTANDING AS ON 31ST MARCH 2023

Annexure I

(₹ in '000)

| Department | O/s for 30 days or Less | | O/s for 3 months or Less but more than 30 days | | O/s for 6 months or Less but more than 3 months | | O/s for 1 year or Less but more than 6 months | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|--|----------------|---|----------------|---|-----------------|
| | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| Fire | 212 | 799197 | 209 | 1544637 | 310 | 1409212 | 626 | 4432867 |
| Marine Cargo | 186 | 56530 | 289 | 118362 | 341 | 136613 | 506 | 247883 |
| Marine Hull | 22 | 17570 | 27 | 33694 | 84 | 126749 | 49 | 399934 |
| Motor OD | 24979 | 1098385 | 15725 | 1526999 | 8306 | 1214444 | 3243 | 580698 |
| Motor TP Others | 3108 | 2084988 | 4418 | 2773795 | 7490 | 4425557 | 14899 | 9513891 |
| Motor DR Pool | 6 | 534 | 5 | 275 | 4 | 202 | 9 | 4094 |
| Motor TP Pool | 23 | 13131 | 26 | 6441 | 26 | 10036 | 75 | 15850 |
| Workmen Comp. | 28 | 7699 | 59 | 8872 | 71 | 16809 | 90 | 29779 |
| Personal Acc. | 353 | 1133956 | 664 | 343802 | 659 | 387897 | 556 | 303929 |
| Aviation | 0 | 0 | 1 | 7050 | 3 | 11486 | 6 | 26656 |
| Engineering | 348 | 137133 | 466 | 175878 | 416 | 345506 | 500 | 1143272 |
| Credit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Misc. | 666 | 125933 | 831 | 236944 | 634 | 319585 | 615 | 503333 |
| Liabilities | 12 | 6474 | 14 | 14804 | 26 | 42188 | 67 | 79149 |
| Health & Hosp. | 44519 | 5550792 | 30750 | 1249968 | 29326 | 565487 | 58853 | 1083078 |
| Crop | 6 | 6674 | 0 | 0 | 1 | 382315 | 1 | 1123857 |
| TOTAL | 74468 | 11038996 | 53484 | 8041521 | 47697 | 9394084 | 80095 | 19488267 |

| Department | O/s for 3 years or Less but more than 1 year | | O/s for 5 years or Less but more than 3 years | | O/s for more than 5 years | | Total | |
|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| Fire | 506 | 7357082 | 328 | 5070295 | 806 | 4111400 | 2997 | 24724688 |
| Marine Cargo | 400 | 1286293 | 139 | 158788 | 320 | 517406 | 2181 | 2521874 |
| Marine Hull | 65 | 3450502 | 41 | 1391728 | 68 | 339823 | 356 | 5760000 |
| Motor OD | 1349 | 317281 | 965 | 212471 | 1504 | 246402 | 56071 | 5196679 |
| Motor TP Others | 41625 | 27203936 | 39354 | 24077518 | 41216 | 19423769 | 152110 | 89503454 |
| Motor DR Pool | 36 | 9120 | 59 | 20887 | 431 | 190616 | 550 | 225726 |
| Motor TP Pool | 290 | 115978 | 552 | 180813 | 6596 | 2507417 | 7588 | 2849665 |
| Workmen Comp. | 214 | 68100 | 186 | 66731 | 515 | 161601 | 1163 | 359590 |
| Personal Acc. | 662 | 481632 | 197 | 73295 | 609 | 196090 | 3700 | 2920600 |
| Aviation | 17 | 1370123 | 19 | 124007 | 7 | 7880 | 53 | 1547202 |
| Engineering | 567 | 1429148 | 111 | 1945695 | 160 | 2545211 | 2568 | 7721843 |
| Credit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4361 | 5 | 4361 |
| Other Misc. | 720 | 658897 | 366 | 375666 | 962 | 686488 | 4794 | 2906846 |
| Liabilities | 122 | 340162 | 214 | 275712 | 1085 | 354855 | 1540 | 1113344 |
| Health & Hosp. | 36408 | 1232843 | 1476 | 122321 | 1011 | 78730 | 202343 | 9883219 |
| Crop | 17 | 195672 | 28 | 1174747 | 1 | 9241 | 54 | 2892506 |
| TOTAL | 82998 | 45516769 | 44035 | 35270673 | 55296 | 31381288 | 438073 | 160131597 |

AGEING OF OUTSTANDING CLAIMS AS AT 31-03-2023

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
अनुलग्नक-II
पंजीकरण संख्या : 545, भा बी वि व वि प्रा के साथ नवीकरण की तारीख : 27 जनवरी 2022
प्रपत्र-अ - 31 मार्च 2023 को पालिसीधारकों द्वारा गैर दावा राशि का
वर्षवार विश्लेषण का विवरण
(₹. लाख में)

| विवरण | कुल राशि | वर्षवार विश्लेषण | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | 0-6 महीने | 7-12 महीने | 13-18 महीने | 19-24 महीने | 25-30 महीने | 31-36 महीने | 37-120 महीने | 120 महीने से अधिक |
| किसी कारणवश पालिसीधारकों / बीमाधारकों को निपटित दावे की राशि अदा नहीं की गयी बीमाधारकों / पालिसीधारकों द्वारा दर्जवाद के तहत को छोड़कर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| परिपक्वता या अन्यतः पर बीमाधारकों / पालिसीधारकों को देय राशि | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पालिसी शर्तों के अनुसार या प्राधिकरण के निर्देशानुसार पालिसीधारकों को आधिक्य वसूल प्रीमियम कर या अन्य प्रभार जो देय है लेकिन वापस नहीं की गयी | 5406 | 422 | 294 | 386 | 208 | 136 | 150 | 3333 | 477 |
| चेक जारी किया लेकिन पालिसीधारकों / लाभार्थियों द्वारा भुनाया नहीं गया | 1971 | 654 | 436 | 55 | 115 | 20 | 54 | 584 | 53 |
| कुल | 7377 | 1076 | 730 | 441 | 323 | 156 | 204 | 3917 | 530 |

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Annexure-II

Registration No. :545, Date of Renewal with the IRDAI: 27th January 2022

Form A - Statement showing the Age-wise Analysis of the Unclaimed Amount of the Policyholders as on 31.03.2023

(₹. in Lakhs)

| Particulars | Total Amount | AGE-WISE ANALYSIS | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| | | 0-6 months | 7-12 months | 13-18 months | 19-24 months | 25-30 months | 31-36 months | 37-120 months | More than 120 months |
| Claims settled but not paid to the policyholders/ beneficiaries due to any reasons except under litigation from the policyholders/ beneficiaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum due to the policyholders/ beneficiaries on maturity or otherwise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Any excess collection of the premium/tax or any other charges which is refundable to the policyholders/ beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far | 5406 | 422 | 294 | 386 | 208 | 136 | 150 | 3333 | 477 |
| Cheques issued but not encashed by the policyholder/beneficiaries | 1971 | 654 | 436 | 55 | 115 | 20 | 54 | 584 | 53 |
| Total | 7377 | 1076 | 730 | 441 | 323 | 156 | 204 | 3917 | 530 |

UNCLAIMED AMOUNT OF THE POLICYHOLDERS - AGE-WISE ANALYSIS

(धारा 129 की उप धारा (3) के प्रथम प्रावधान के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 5 के अनुसार)
सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग "अ": सहायक

(₹ '000)

| | | |
|----|--|--|
| 1 | क्रम सं. | 1 |
| 2 | नियंत्रित कंपनी का नाम | जेनिथ सेक्यूरिटीज एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड |
| 3 | नियंत्रित कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि यदि नियंत्रक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो | लागू नहीं |
| 4 | विदेशी नियंत्रित कंपनी के संबंध में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर | लागू नहीं |
| 5 | शेयर पूंजी | 2000 |
| 6 | आरक्षितियाँ और अधिशेष | 372337 |
| 7 | कुल परिसंपत्तियाँ | 396771 |
| 8 | कुल देयतायें | 22434 |
| 9 | निवेश | 190996 |
| 10 | कुल बिक्री | 787421 |
| 11 | कर के पूर्व लाभ | 784527 |
| 12 | कर के लिए प्रावधान (पूर्व वर्षों से संबंधित वर्तमान कर) | 37048 |
| 13 | कर के बाद लाभ | 747479 |
| 14 | प्रस्तावित लाभांश | 0 |
| 15 | % आधिपत्य का प्रतिशत | 69.45% |

नोट:

| | | |
|---|--|-------|
| 1 | नियंत्रित कंपनी जो अपना प्रचालन शुरू नहीं किया | शून्य |
| 2 | वर्ष के दौरान नियंत्रित कंपनी जो अपना प्रचालन परिसमाप्त या विक्रय किया | शून्य |

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 30.05.2023

FORM AOC-I

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/ associate companies/joint ventures**Part "A": Subsidiaries**

(₹ '000)

| | | |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | Sl. No. | 1 |
| 2 | Name of the subsidiary | ZENITH SECURITIES AND INVESTMENT LTD |
| 3 | Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period | N.A |
| 4 | Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries. | N.A |
| 5 | Share capital | 2000 |
| 6 | Reserves & surplus | 372337 |
| 7 | Total Assets | 396771 |
| 8 | Total Liabilities | 22434 |
| 9 | Investments | 190996 |
| 10 | Turnover | 787421 |
| 11 | Profit before taxation | 784527 |
| 12 | Provision for taxation (current tax expenses relating to prior years) | 37048 |
| 13 | Profit after taxation | 747479 |
| 14 | Proposed Dividend | 0 |
| 15 | % of shareholding | 69.45% |

Notes:

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Names of Subsidiaries which are yet to commence operations | NIL |
| 2 | Names of Subsidiaries which have been liquidated or sold during the year | NIL |

For and on behalf of Board

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

Vide our report of date attached

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929

CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814
Place : Chennai
Date : 30.05.2023

भाग 'बी' संबद्ध कंपनी

संबद्ध कंपनियां / जाइंट वेंचर कंपनी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण (₹ '000)

| संबद्ध कंपनी का नाम | हेल्थ इंश्योरेंस टी पी ए ऑफ इंडिया लि. | इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रा. लि. सिंगपुर |
|--|--|---|
| 1. अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तिथि | 31.03.2023(Unaudited) | 31.12.2022 |
| 2. वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के नियंत्रण में संबद्ध / जाइंट वेंचर के शेयर | | |
| संख्या | 28500000 | 10000000 |
| संबद्ध कंपनी / जाइंट वेंचर में निवेश की राशि | 285000 | 18276 |
| आधिपत्य प्रतिशत की सीमा | 23.75% | 20% |
| 3. बतायें कि कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है | शेयरधारण के आधार पर | शेयरधारण के आधार पर |
| 4. कारण बतायें कि संबद्ध जाइंट वेंचर की लेखा को क्यों समेकित नहीं किया गया | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 5. अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारण को प्रदत्त नेटवर्थ | 222934 | 5626653 |
| 6. वर्ष के लाभ / हानि | | |
| i. समेकित में सम्मिलित | -15253 | -98142 |
| ii. समेकित में गैर सम्मिलित | -48971 | -392567 |

* (मनोनीत निदेशक के एक शेयर भी सम्मिलित है।)

नोट:

| | |
|---|----------|
| 1. नियंत्रित कंपनी जो अपना प्रचालन शुरू नहीं किया | कोई नहीं |
| 2. वर्ष के दौरान नियंत्रित कंपनी जो अपना प्रचालन परिसमाप्त या विक्रय किया | कोई नहीं |

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी तरफ से

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

गोपालकृष्णन सुंदररामन
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक
डीआईएन 09093945

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08681994

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते पी एस सुब्रमनिया अय्यर & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004104S

सीए जे रघुराम
भागीदार
सदस्यता सं. 021929

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN : 001997S

सीए डी थेरेसा
भागीदार
सदस्यता सं. 218276

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN :004997S/S200051

सीए आर.सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 30.05.2023

Part “B”: Associates

Statement pursuant to section 129(3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures

(₹ '000)

| Name of Associates/Joint Ventures | HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LIMITED | INDIA INTERNATIONAL INSURANCE PTE LTD, SINGAPORE |
|---|---------------------------------------|--|
| 1. Latest audited Balance Sheet Date | 31.03.2023(Unaudited) | 31.12.2022 |
| 2. Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end | | |
| No. | 28500000 | 10000000 |
| Amount of Investment in Associates/Joint Venture | 285000 | 18276 |
| Extend of Holding % | 23.75% | 20% |
| 3. Description of how there is significant influence | By shareholding | By shareholding |
| 4. Reason why the associate/joint venture is not Consolidated | N.A | N.A |
| 5. Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet | 222934 | 5626653 |
| 6. Profit / Loss for the year | | |
| i. Considered in Consolidation | -15253 | -98142 |
| ii. Not Considered in Consolidation | -48971 | -392567 |

*(including one share held by Nominee Director)

Notes:

| | |
|--|-----|
| 1. Names of Associates/Joint Ventures which are yet to commence operations | NIL |
| 2. Names of Associates/Joint Ventures which have been liquidated or sold during the year | NIL |

For and on behalf of Board

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

GOPALAKRISHNAN SUNDARARAMAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER & DIRECTOR
DIN: 09093945

SATYAJIT TRIPATHY
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN: 08681994

Vide our report of date attached

For P. S. Subramania Iyer & Co
Chartered Accountants
FRN : 004104S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

CA. J Raghuram
Partner
Membership No. 021929


CA. D Theresa
Partner
Membership No. 218276

CA. R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

Place : Chennai
Date : 30.05.2023

SUPER TOP-UP

GIVES YOU
**EXTRA
COVER**



UIN: UIIHLIP22187V032122

Threshold Limit:
**Up to
25 Lakh**



Sum Insured: **Up to ₹95 Lakh***
Available on Individual and Floater basis

Age of Entry: 18 years to 65 years with Lifelong Renewability.

- Covers Parents & Parents-in-law as well
- Coverage for all Day Care Procedures and AYUSH (Ayurveda, Unani, Siddha & Homeopathy)
- Modern Treatments Methods including Robotic Surgery and Oral Chemotherapy covered
- Optional cover for Daily Cash Allowance on hospitalisation
- Pre and Post Hospitalisation expenses payable
- Home Care Treatment for any Epidemic/ Pandemic
- In-built Road Ambulance Cover
- Reduced Exclusions meaning wider coverage
- No Room-Rent capping
- No waiting periods except PEDs
- Cashless Treatment at our countrywide 14000+ Network Hospitals
- Affordable cover all across India with added advantage of our Preferred Provider Network in 12 Cities
- Income Tax Benefits under Sec 80D

For more details on risk factors, terms and conditions please read sales brochure carefully before concluding a sale.

For any assistance visit www.uiic.co.in or visit our nearest office/agent.



युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD.

(A Government of India undertaking)

Regd. Office: 24, Whites Road Chennai-600 014.

Head Office: #19, Nungambakkam High Road, IV Lane, Chennai - 600034.

At United India, it's always U before I



युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

(A Government of India undertaking)

Regd. Office: 24, Whites Road, Chennai – 600014

Head Office: #19, Nungambakkam High Road, IV Lane, Chennai – 600034

At United India it's always U before I